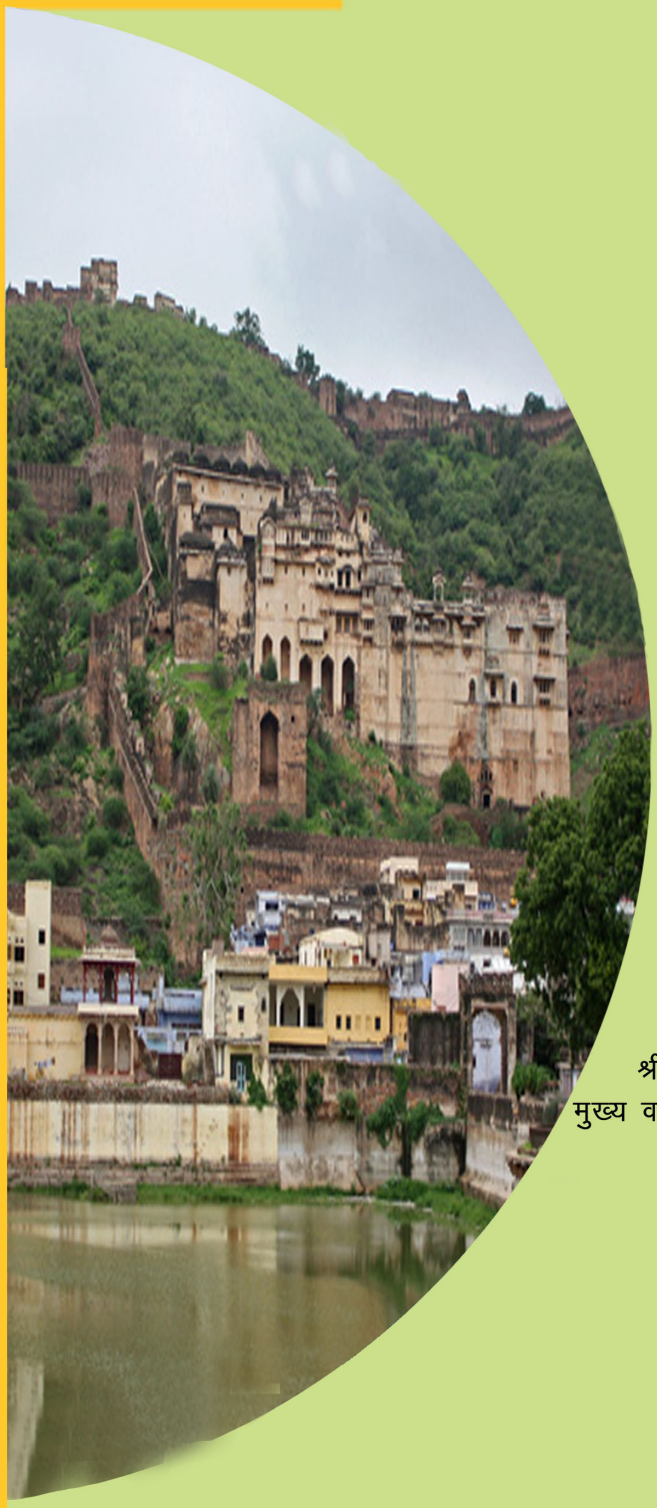

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

वन विभाग

कार्य आयोजना

(2013–14 से 2022–23)

वन मण्डल, बून्दी

प्रस्तुतकर्ता

आर.एस. नाथावत, रा.व.से.
कार्य आयोजना अधिकारी एवं
उप वन संरक्षक, बून्दी

निर्देशन

श्री एस.के.जैन, भा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना,
राज. जयपुर

श्री एम.एल.मीना, भा॰व॰से॰
मुख्य वन संरक्षक,
कोटा

मार्गदर्शन

श्री ए.सी. चोबे भा॰व॰से॰
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त
राज. जयपुर

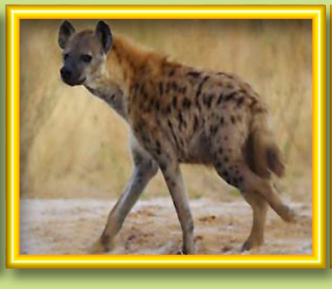

जिला बूंदी – मानचित्र

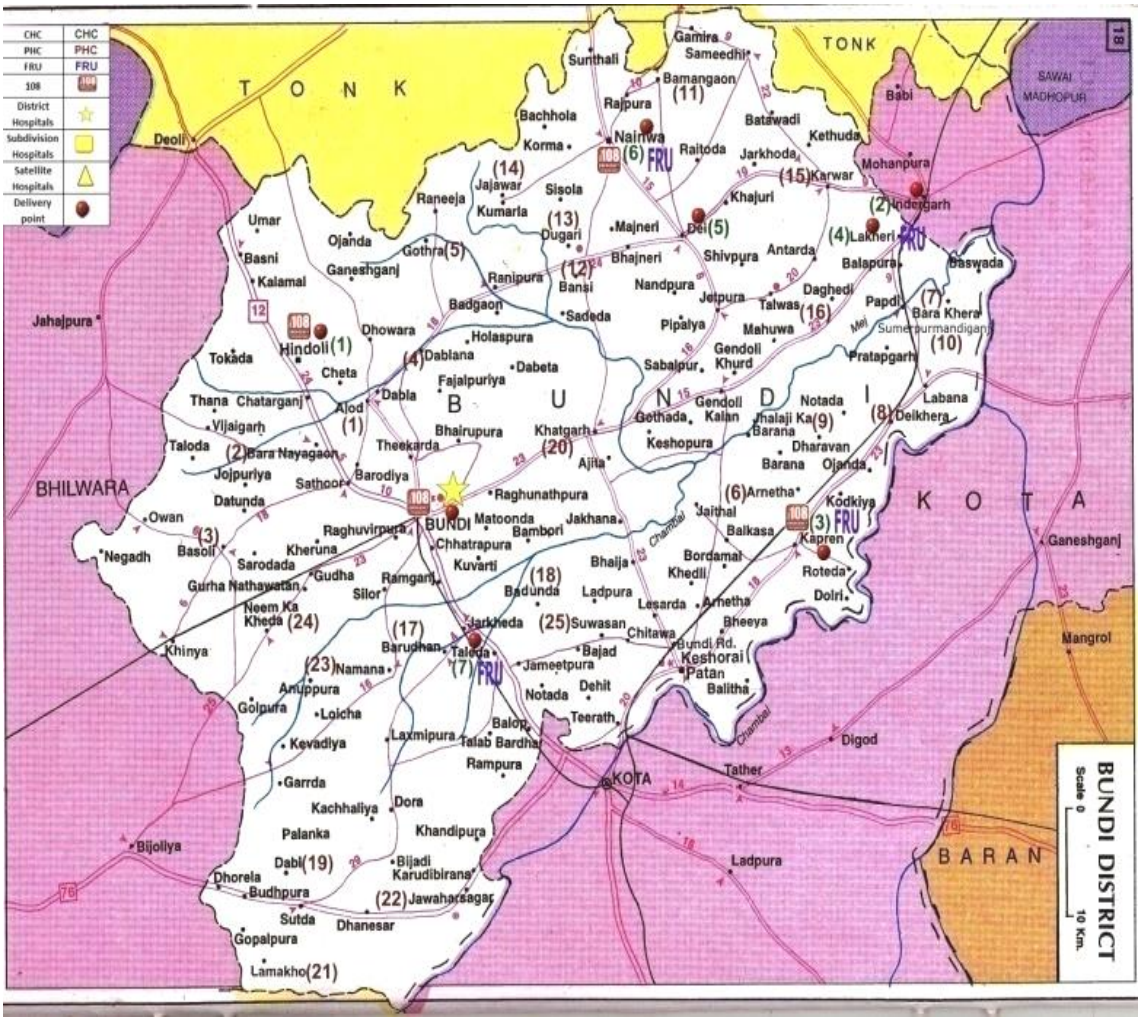
CHC
PHC
FRU
108
District Hospitals
Subdivision Hospitals
Satellite Hospitals
Delivery point
TONK
SAWAI MADHOPUR
BHILWARA
KOTA
BARAN
BUNDI
BUNDI DISTRICT
Scale 0
10 Km.
Deoli
Jahajpura
Hindoli (1)
Nainwa (6) FRU
Indergarh (2) FRU
Lakheri (4) FRU
Dei (5)
Gothra (5)
Dabla (4)
Alod (1)
Bara Nayagaon (2)
Basoli (3)
Khatgarh (20)
Jaital (6) Arnetha
Kapren (3) FRU
Jarkheda (7) FRU
Bundi Rd. Keshorai Patan
Kota
Ladpura
Digod
Tather
Mangrol
Ganeshganj
Bijoliya
Dhorela
Budhpura
Sutda
Dhanesar
Gopalpura
Lamakho (21)
Jawaharsagar (22)
Dabi (19)
Bijadi Karudibirana
Khandipura
Palanka
Kachhaliya
Dora
Garrda
Kevadiya
Laxmipura
Talab Bardha
Rampura
Balon
Teerath
Dehit
Notada
Jameetpura
Bajad
Namana (23)
Anuppura
Golpura
Loicha
Neem Ka Kheda (24)
Khinya
Barudhan (17)
Badunda (18)
Suwasan (25)
Chitawa
Lesarda
Bhaija
Khedli
Bordamal
Roteda
Dolri
Bheeya
Balitha
Kodkiya
Balkasa
Gethada
Keshopura
Kalan
Thalaji Ka (9)
Barana
Dharavan
Ojanda
Notada
Labana
Delkhera (8)
Pratapgarh
Gendoli Khurd
Sabalpur
Sumerpurmandigan
Bara Khera (7)
Papdi
Daghedi
Talwas (16)
Mahuwa
Pipalya
Sadeda
Bansi
Nandpura
Jetpura
Shivpura
Antarda
Balapura
Baswada
Bhajneri
Majneri
Dugari (13)
Kumarla
Jajawar (14)
Sisola
Raneeja
Ranipura
Badgaon
Holaspura
Dabeta
Fajalpuriya
Dabla
Dhowara
Ojanda
Umar
Basni
Kalamai
Ganeshganj
Tokada
Cheta
Thana Chatarganj
Vijaigarh
Taloda
Jojpuriya
Datunda
Sathoor
Barodiya
Theekarda
Bhairupura
Raghunathpura
Jakhana
Bamborl
Matoonda
Chhatrapura
Kuvarti
Raghuvirpura
Kheruna
Sarodada
Gudha
Gurha Nathawatan
Ramganj
Silor
Owan
Negadh
Bamangaon (11)
Rajpura
Bachhola
Korma
Sunthali
Gamira
Sameedhi
Raitoda
Jarkhoda
Kethuda
Batawadi
Karwar (15)
Khajuri
Mohanpura
Babi
Chambal
Mej

प्राक्कथन

प्रदेश के प्रत्येक वन मण्डल में वन एवं वन्यजीवों के प्रबन्धन हेतु कार्य आयोजना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्तमान लोकतांत्रिक परिवेश एवं परिस्थितियों में प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य है– धारणीय (sustaianble) वन विकास, स्थानीय रोजगार व आय संवर्धन, पर्यावरण व पारिस्थितिकी संतुलन । इस कार्य आयोजना लेखन में उन समस्त वैज्ञानिक कारकों को ध्यान में रखा गया है, जो वन मण्डल की वनभूमि, वनों के घनत्व एवं वन्यजीवों की वर्तमान स्थिति को सतत् विकसित कर सुरक्षा प्रदान करते हुए संधारण सुनिश्चित कर सकें।

यह कार्य आयोजना वर्तमान बून्दी जिले के वन क्षेत्रों के वैज्ञानिक प्रबन्धन हेतु वर्ष 2013–14 से 2022–23 तक की अवधि के लिये पुनरिक्षित की गई है। प्रथम कार्य आयोजना श्री पी.एस. श्रीवास्तव भा.व.से. द्वारा लिखी गई थी, जिसका कार्यकाल वर्ष 1962–63 से वर्ष 1971–72 तक रहा। दूसरी कार्य आयोजना श्री अभिजीत घोष भा.व.से. द्वारा लिखी गयी, जिसका कार्यकाल वर्ष 1981–82 से वर्ष 1990–91 तक रहा। तदुपरान्त वन मण्डल में किसी कार्य आयोजना का लेखन नहीं किया गया। परन्तु उक्त कार्य आयोजना में कार्यवृतों के प्रस्तावित उपचारों का पालन कार्य आयोजना अवधि के पूर्ण होने के उपरान्त भी होता रहा है।

अप्रेल 1949 को बून्दी वन मण्डल का सृजन हुआ। जिलें में वर्तमान में 1542.42 वर्ग किलोमीटर वन भूमि स्थित है। जो कि जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5776 वर्ग कि.मी. का 26.70 प्रतिशत है। जिसमे प्रादेशिक वन क्षेत्र (991.87 वर्ग कि.मी.) रामगढ वन्यजीव अभयारण्य (222.22 वर्ग कि.मी.), रणथम्भोर व्याघ्र आरक्षिति मध्यावर्ती क्षेत्र (186.33 वर्ग कि.मी.) , जवाहर सागर (97.60 वर्ग कि.मी.) , वन्य जीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य (34.61 वर्ग कि.मी.) सम्मिलित है। बून्दी वन मण्डल की रेन्ज – बून्दी, डाबी, नैनवा, के0 पाटन, हिण्डोली तथा इन्द्रगढ़ के वन क्षेत्रों की वर्तमान कार्य आयोजना तैयार की गई है।

इस कार्य आयोजना में प्रादेशिक वन क्षेत्र, रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति मध्यवर्ती क्षेत्र(Buffer Areas) जो 06/07/2012 की अधिसुचना के पश्चात संरक्षित क्षेत्र एवं राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्रों के कुल 121281.19 हैक्टेयर क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। इन संरक्षित क्षेत्रों के वर्तमान में पृथक से प्रबन्धन योजना नहीं हैं। अतः इन क्षेत्रों के उपचार इस कार्य आयोजना में सम्मिलित है। इन संरक्षित क्षेत्रों के लिए पृथक प्रबन्धन योजना अनुमोदित होते ही समस्त उपचार स्वीकृत प्रबन्धन योजना अनुसार किये जाएंगे।

रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति मध्यवर्ती क्षेत्र–डोबरली, पोलघटा, व बलबन (part), रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य,, जवाहर सागर, वन्य जीव अभयारण्य (कुल 329.6192 वर्ग कि.मी) क्षेत्रों का विवरण भी इस कार्य आयोजना के तहत लिखा गया है, इन क्षेत्रों के लिये वन्यजीव प्रभाग द्वारा पृथक से "प्रबन्धन योजना" स्वीकृत है। अतः इन क्षेत्रों में विकास कार्य पृथक प्रबंधन योजना अनुसार करवाये जाते है तथा इस कार्य आयोजना में इन क्षेत्रों के उपचार प्रस्तावित नहीं है।

वर्तमान कार्य आयोजना में परम्परागत प्रणाली के साथ साथ अत्यन्त आधुनिक तकनीक व सूचना प्रोद्योगिकी का समावेश किया गया है। जिसमें डिजिटाइज्ड नक्शे (SRSAC), GIS, Co-ordinates सेटेलाइट इमेजरीज्, रिमोट सेन्सिग डाटा (RS), FSI एवं Forest Statistics, Forest Manual आदि का उपयोग कर , वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर , नवीनतम तकनीक व सूचना प्रोद्यौगिकी को कार्य आयोजना में समाहित किया गया है। इनके अतिरिक्त समस्त वैज्ञानिक कारकों को ध्यान में रखा गया है जो कि वनमण्डल की वनभूमि के क्षेत्रफल, वनों के घनत्व एवं वन्यजीवों की वर्तमान स्थिति को विकसित कर सुरक्षा प्रदान कर सकें। इन सभी नवीनतम तकनीकों के प्रयोग से यह कठिनतम कार्य बहुत ही शीघ्रता से सम्पन्न हो पाया है।

प्रारम्भिक कार्य आयोजना प्रतिवेदन 2005 में 10 प्रबन्धन वृत्त अन्वीक्षात्मक तौर पर प्रस्तावित किये गये थे। प्रबन्ध के सामान्य उद्देश्यों एवम् बून्दी वन मण्डल की परिस्थितियों के अनुसार विशिष्ठ उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एवम् राष्ट्रीय कार्य आयोजना संहिता, 2004 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान की कार्य आयोजना में विभिन्न प्रधान कार्यवृत्तों (Principal Working Circles) तथा आज्ञापक (अतिच्छादी) कार्यवृत्तों (Mandatory (Overlapping) Working Circles) का गठन किया गया है।

इस प्रबन्धन योजना के लेखन में श्री ए॰सी॰ चौबे भा.व.से. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त), राजस्थान द्वारा समय–समय पर कार्यों की समीक्षा करते हुये लेखन कार्य में सुधार एवं समस्याओं का निराकरण करते हुये अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया है। श्री राजीव कुमार त्यागी भा.व.से. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), राजस्थान द्वारा समय–समय पर समीक्षा कर महत्वपूर्ण सुझाव निर्देशित किये। जिनकी अनुपालना से यह कार्य आयोजना समस्त परिप्रेक्ष्यों में सम्पूर्ण लिखी गई है। श्री एस.के. जैन, भा.व.से. मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयो. एवं वन बंदोबस्त), राजस्थान श्री एम॰एल॰ मीना भा.व.से., मुख्य वन संरक्षक, कोटा

द्वारा इस कार्य आयोजना को पूर्ण करने में मार्ग दर्शन प्रदान करने के लिये मैं, उनका हार्दिक रूप से आभारी हूँ। श्री अरिन्दम तोमर भा.व.से. मुख्य वन संरक्षक (सुचना एवं प्रौद्योगिकी) का आभारी हूँ, जिन्होंने मार्गदर्शन के साथ–साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रणाली द्वारा इस वन मण्डल के समस्त वनखण्डों के मानचित्र उपलब्ध करवाये हैं।

मैं, वन मण्डल, बून्दी के क्षेत्रीय वन अधिकारियों, अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक कार्मिको द्वारा इस कार्य आयोजना को पूर्ण करने के लिये समय पर सही सूचनायें उपलब्ध कराने के लिये धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, क्योंकि उनके सक्रिय सहयोग के बिना इस कार्य आयोजना को शीघ्रता से सम्पूर्ण करना मेरे लिये सम्भव नहीं होता।

इस कार्य आयोजना लेखन हेतु मैसर्स क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज द्वारा किये गये समस्त कार्यों एवं सहयोग के लिये धन्यवाद देता हूँ। जिनके अथक परिश्रम एवं लगन से किये गये फील्ड कार्यों के आधार पर ही कार्य आयोजना लेखन का कार्य समयावधि पर सम्पन्न हो सका हैं।

पूर्व की कार्य आयोजना से आंकलित वन एवं वन्यजीवों की तत्कालीन स्थिति और इस कार्य आयोजना से प्रदर्शित वर्तमान स्थिति के विश्लेषण से वन एवं वन्यजीवों का भविष्य आभाषित हुआ। इस कार्य आयोजना के लेखन का वन एवं वन्यजीवों का भविष्य भय रहित हो, यही मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में ही हम सबका सुखद् भविष्य छिपा है।

अन्त में, मैं, वन एवं वन्यजीवों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनसे प्राप्त अपनत्व ने मुझे इस कार्य आयोजना के लेखन में मेरी क्षमता से अधिक सार्थक कार्य करने को प्रेरित किया।

आर. एस. नाथावत रा.व.से.
कार्य आयोजना अधिकारी
बून्दी

जिले में सामान्यतः पाये जाने वाले वनस्पति की सूची वृक्ष (Trees)

क्र.स.	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम
1.	आंवला	*Emblica officinalis Gaertn*
2.	अकोल	*Alangium salvifolium*
3.	अचार (चिरोंजी)	*Buchanania lanzan, (Spreng)*
4.	आल	*Morinda tinctoria, (Roxb)*
5.	आम	*Mangifera indica, (Linn)*
6.	अमलतास, बरड़ावन	*Cassia fistula, (Linn)*
7.	अंजन	*Hardwickia binata, (Roxb.)*
8.	अरंजीया (रोंझ)	*Acacia leucophloea (Wild)*
9.	अरडू	*Aillanthus excelsa, (Roxb.)*
10.	अरीठा	*Sapindus emarginatus Valh.*
11.	आसापाला अशोक	*Polyalthia longifolia Hook. F.*
12.	इमली	*Tamarindus indica Linn.*
13.	कचनार	*Bauhinia variegata Linn.*
14.	कदम	*Anthocephalus cadamba*
15.	कलम	*Mitragyna parvifolia, (Roxb)*
16.	कोहड़ा	*Terminalia arjuna*
17.	करंज	*Pongamia pinnata (Linn.)*
18.	काकोन	*Flacourtia indica (Burm.f.) Mirr.*
19.	कैंथ	*Feronia limonia (Linn.) Swingle*
20.	कलसाडरिया	*Lagerstromia parvifilora (Roxb.)*
21.	कलझाड़िया	*Bridelia retusa Spreng*
22.	कपासिया पूला	*Kydia calycina (Roxb.)*
23.	कड़ाया	*Sterculia urens (Roxb.)*
24.	करी अम्बिया	*Miliusa tomentosa (Roxb.)*
25.	कटूम्बर	*Ficus hispida Linn.*
26.	कैर	*Capparis decidua Forsk.*
27.	कनकेड़ा	*Mertensia paniculata Linn.*

28.	कामेनी कुन्ति	*Murraya paniculata*
29.	कसोद	*Cassia siamea Linn.*
30.	कुमठा	*Acacia Senegal*
31.	कुसुम	*Schleichera oleosa (Lour)*
32.	खैर	*Acacia catechu Wild.*
33.	खजूर	*Phoenix sylvestris (Roxb.)*
34.	खिरनी, दूधी	*Wrightia tomentosa* Roemisen
35.	गूलर	*Ficus glomerata Roxb.*
36.	गुलमोहर	*Delonix regia W & A*
37.	गोया खैर	*Dichrostachys cinerea W & A*
38.	गुन्दा, लसोड़ा	*Cordia dichotoma Forst*
39.	गदा पलास	*Erythrina indica (Roxb.)*
40.	गूगल	*Commiphora mukul*
41.	गिरनार	*Cochlospermum gossypium Linn.*
42.	घटबोर	*Zizyphus Xylopyrus Wild*
43.	छीला	*Butea monosperma lamk*
44.	चुरेल	*Holoptelea integrifolia Planch*
45.	गुन्दी	*Cordia rothii*
46.	शीशम	*Dalbergia Sissoo*
47.	चिचिवा	*Albizia odoratissima Linn. F.*
48.	जामुन	*Syzygium cumini (Linn.) Skeels*
49.	जाल (पीलू)	*Salvadora oleoides*
50.	जाल (खारा)	*Salvadora persica*
51.	जड़ जामुन	*Eugenia operculata Alston*
52.	जमरासी	*Elaeodendron glaucum*
53.	जंगल जलेबी	*Pithecellobium dulce Wild.*
54.	झिंझा	*Bauhinia racemosa Lamk.*
55.	तम्बोलिया	*Ehretia laevis Roxb.*
56.	तेन्दू	*Diospyros melanoxylon Roxb.*
57.	तिन्सा	*Ougeinia oojeinensis*

58.	तून	*Toona ciliata Poem*
59.	दूधी	*Wrightia tinctoria B. Br.*
60.	धामन	*Grewia tiliaefolia*
61.	धौक	*Anogeissus pendula*
62.	धोबन	*Dalbergia peniculata*
63.	धावड़ा	*Anogeissus latifolia Wall*
64.	नीम	*Azadirachta indica Ajuss*
65.	नागफनीथोर	*Opuntia dillenii*
66.	पाडर	*Stereospermum suaveolens* D.C.
67.	पाखर	*Ficus lacor Buch* & Ham
68.	पारस पीपल	*Ficus rumphii*
69.	पीपल	*Ficus religiosa* Linn.
70.	बकायन	*Melia azaderach* Linn.
71.	बबूल	*Acacia nilotica (L) Wild.*
72.	बहेड़ा	*Terminalia belerica (*Gaerth*)* Roxb.
73.	बरगद, बड़	*Ficus Bengalensis Linn.*
74.	बीजा	*Pterocarpus marsupium (*Roxb.*)*
75.	बरना	*Crataeva religiosa* Forest
76.	बेल, बीली	*Aegle marmelos (*Linn.*)* Correa.
77.	बेर	*Ziziphus mauritiana (Lamk)*
78.	बिस्तेन्दू	*Diospyros cordifolia* Roxb.
79.	बुकन	*Parkinsonia* aculeata
80.	वमकारा	*Gardenia turgida (Roxb.)*
81.	महुआ	*Madhuca indica* Gmel.
82.	मेन्डला	*Dolichandrone falcata* Seem.
83.	मोखा	*Schrebera swietenioides (*Roxb.*)*
84.	रेन (खिरनी)	*Mimusops hexandra (*Roxb.*)*
85.	रोहेड़ा	*Tecomella undulata*
86.	सालर	*Boswellia serrata (*Roxb.*)*
87.	सेमल	*Bombax ceiba D.C.*

88.	सेंजना	*Moringa Concanensis*
89.	शहतूत	*Morus alba Linn.*
90.	सिरस (सफेद) गुराड़	*Albizia procera* Benth
91.	सिरस (काला)	*Albizia lebbeck* Benth
92.	सीताफल	*Anona squamosa* Linn.
93.	सफेदा	*Eucalyptus*
94.	हल्दू	*Adina cordifolia Hook F.*
95.	हिंगोट	*Balanites Aegyptiaca* Linn.
96.	फराश	*Tamarix articulata (*Vahl.*)*
97.	ज्यूलिफ्लोरा	*Prosopis juliflora H.F.N.T.*

(ख) छोटे वृक्ष एवं क्षुप		
1	आंधाशीशी	*Zanthium strumarium (*Linn.*)*
2	आंकड़ा	*Calotropis procera(R. Br.)*
3	आंकड़ा (सफेद)	*Calotropis gigantea (*R. Prr.*)*
4	आंधी झड़ा	*Achyranthes aspera (* Linn.*)*
5	आंवल	*Cassia auriculata*
6	अर्निया	*Clerodendrun Viscosum*
7	अडूसा	*Adhatoda vasica Nees*
8	आक	*Calotropis procera* (R.Br.)
8	काली स्याली	*Grewia flavencens*(Juss)
9	कैलस्पारिया	*Securinega leucopyrus*
10	कलवारिया (जाल)	*Capparis Spinosa* (Linn.)
11	कंटेर	*Capparis sepiaria*
12	करील	*Capparis decudua*
13	करोन्दा	*Carissa spinarum*
14	खीनी	*Periploca aphylla*
15	खीम्परा	*Leptedenia pyrotechnica*
16	गोखरू	*Tribulus terrestris(Linn.)*
17	गुडशारिया	*Grewia hirsuta*

18	गंगेरण	*Grewia tenax Fiori*
19	चिरोन का धनिया	*Mollugo cerviana*
20	जवासा	*Alhagi camelorum*
21	झाऊ	*Tamarix dioica Roxb.*
22	झाड़ी बैर	*Zizyphus numularia*
23	झील	*Indigofera oblongifolia Forek.*
24	झीझंनी	*Mimosa rubicaulis* (Linn.)
25	थोर	*Euphorbia nivulia Ham.*
26	थोर	*Euphorbia royleana Beiss*
27	तिजारा	*Papaver somniferum*
28	तिलबम	*Wendlandia exerta*
29	तुलसी	*Ocimum sanctum*
30	वन तुलसी	*Pogastemon. benghalensis Burmf O. Ktze*
31	दमासा	*Fagonia cretica*
32	डासरण	*Rhus mysorensis*
33	धतुरा	*Datura metal* (Linn.)
34	दुधी कड़वाला	*Holarrhena antidysenterica* (Wild)
35	डोल्कन	*Grewia villosa* (Wild)
36	दूधा	*Euphorbia hirta*
37	मकोह	*Zizypus cenoplia*
38	मकोय	*Solanum nigrum*
39	मरोड़फली	*Helicteres isora (Linn).*
40	मेंहदी	*Elicteres isora (Linn.)*
41	मोरली	*Lyceum curriculum*
42	नील	*Indifogera tinctoria*
43	नेगड़	*Vitex negundo(Linn).*
44	पंवारिया	*Cassia tora Linn.*
45	पीली केटेली	*Barleria prionitis*
46	पीथारिया	*Abutilon ramosum*
47	बेकल	*Gymnosporia spinosa (Forsk) Fiori.*

48	बन अरहड़	*Fleminagia semialata (Roxb.)*
49	बन कपास	*Thespesia lampas (Dalz. & Gibs.)*
50	बौली	*Acacia jacquementii*
51	बापची	*Ocimum americanum*
52	बासूनी	*Tephrosia heakeriana*
53	बेकर	*Indifogera cordifolia heync*
54	बेकरी	*Indifogera linifolia (Retz.)*
55	बेकरीस	*Indifogera anabaptista*
56	बुई	*Aerva Pseudo tomentosa*
57	सत्यानासी	*Argemons maxicana (Linn.)*
58	सफेद स्याली हारसिंगार	*Nyctanthes arbor-tristis (Linn.)*
59	ऊँट कटेली	*Lepidagathis trinervis*
60	ऊँवंती	*Ageratum conyzoides (Linn.)*

(ग) आरोही क्षुप एवं लताएं		
1	केवच	*Mucuna pruriens* (Hook)
2	कतुम्बा	*Cayratia carnosa* (Gagnep)
3	गुडबैल	*Viscum orientale* (Wild)
4	त्रिपत्ती	*Oxalis corniculata*
5	दूधी बैल (काली दूधी)	*Ichnocarpus frutescens* (Linn. B. Br.)
6	दूजनी	*Millettia auriculata* (Baker)
7	पहाड़ बेल	*Cissampolos pareira* (Linn.)
8	पलास बैल	*Butea parviflora* (Roxb.)
9	मालकंगनी	*Celastrus paniculatus (*Wild)
10	मेड़ासिंगी	*Cryptolepis buchanani*
11	नाहरकांटा	*Asparagus dumosus* (Baker)
12	नीमगीलोय	*Tinospora cordifolia* (Micrs)
13	र्त्ती चिरमू	*Abrus precatorious (Linn.)*
14	कुका बेल	*Aristolochia bracteata*
1	अन्जन	*Cenchrus cilliaris Linn.*
2	कराड़	*Dichanthium annulatum Staff*

3	कास	*Saccharum spontaneum Linn.*
4	खस	*Vetiveria zizanioides (Linn.) Nesh.*
5	गन्देल	*Chrysopogon gryllus (Linn.) trin*
6	गडियाला	*Coix gigantea Keen ex.* (Roxb.)
7	ग्रामना	*Panicum antidotale* (Retz.)
8	दाब	*Imperata cylindrica* (Linn.)
9	दूब	*Cynodon dactylon Pers.*
10	मूंज	*Saccharum munja (Roxb.)*
11	पोलड़ पोलरड़ी	*Apuluda mutica* (Linn.)
12	बरू	*Sorghum halepense* (Linn.)
13	बामण	*Chloris dolichostachya Lag.*
14	भरूट	*Cenchrus baebetus Sehum*
15	सूखाला	*Heteropogon contertus* (Linn.)
16	सीवण	*Echinochloea colonum* (Linn.)
17	सीण	*Sehima nervosum staff*
18	रातरड़ा	*Themeda quadrivalvis*
19	रोसा	*Cymbopogon martini* (Roxb.) *Wats*
20	लापला	*Aristida depressa* (Betz)
21	बांस	*Dendrocalamus strictus*
22	बांस	*Bambusa arundinacea*
23	अमरबेल	*Cuscuta reflixa* (Roxb.)

पक्षी वर्ग (Avifauna)

क्र.सं.	हिन्दी नाम	अंग्रेजी नाम	वैज्ञानिक नाम
1.	चक्वा, सुर्खाब	Brahminy duck	*Tadorna ferruginea (pallas)*
2.	नक्टा	Comb duck	*Sarkidiornis melanotos.*
3.	गुगरल	Grey duck	*Anas poecilorhyncha.*
4.	हंस, राजहंस	Barheaded Goose	*Anser indicus (Iatham)*

5.	घरेलू बतासी	House swift	*Apus affinis (J.E.Gray)*
6.	ताड़ी बतासी	Palm swift	*Cypsiurus parvus.*
7.	बड़ी बतासी	Alpine swift	*Apus melba (Linn)*
8.	छिपक, चपक	Indian Nightjar	*Caprimulgus asiaticus*
9.	पीपी, कुराइई	Bronzewinged Jacana	*Metopidius indicus (Latham)*
10.	पिह, पिहूया	Pheasant tailed Jacana	*Hydrophasianus chirurgus.*
11.	शुक्तिग्राही	Oystercatcher	*Haematopus ostralegus. (Linn)*
12.	लघुवलयित टिटहरी	Little ringed plower	*Charadrius Bubius.*
13.	गुनियार	Curlew	*Numenius arguta (Linn.)*
14.	नाचन चहा, चहा	Fantail snipe	*Gallinago gallinago (Linn.)*
15.	गजपांव, तिंघुर	Black winged stitt.	*Himantopus himantopus.*
16.	कस्या चहा	Avocet.	*Recurvirostra avosetta (Linn)*
17.	कवनिक बर्सिरी	Stone curlew	*Burhinus oedcnemus (Linn.)*
18.	नुकरी	Indian courser	*Cursorius coromandelicus.*
19.	टिहरी, कूररी	River Tern	*Sterna aurantia.*
20.	अंजन, कबुद	Grey Heron	*Ardea cinerea (Linn.)*
21.	कोकरई, वाक	Night Heron	*Nycticorex nycticorax (Linn.)*
22.	अंध्रा बगला	Pond Heron	*Ardeola grayii.*
23.	करचिआ बगला	Little Egret	*Egretta garzetta. (Linn.)*
24.	सुर्खिया बगला	Cattle Egret	*Bubulcus ibis (Linn.)*
25.	कांच बगला	Little Green. Bittern.	*Butorides striatus (Linn)*
26.	लगलग	White Ibis.	*Tjhreskiormis*
27.	बाज, काला बाज	Black Ibis	*Pseudibis papillosa*
28.	चमच बाज	Spoon bill	*Platalea leucoredia (Linn.)*
29.	कोरयल, केरन	Pied kingfisher.	*Ceryle rudis (Linn.)*
30.	छोटा किलकिला	Small blue kingfisher	*Alcedo atthis (Linn.)*
31.	किलकिला कौरिल्ला	White-breasted Kingfisher	*Haleyon smyrnensis (Linn.)*
32.	लघुहरित पत्रंगा	Small Green Beeeater.	*Merops orientalis. (Latham)*
33.	बड़ा पत्रिंगा	Blue tailed Beeeater	*Merops persicus*
34.	नीलकंठ	Roller or Blue Jay	*Coracias benghalensis (Linn.)*

35.	हुदहुद	Hoopeo	*Upupa epops (Linn.)*
36.	भड तीतर	Common Sandgrouse	*Pterocles exustus*
37.	पहाडी भड तीतर	Painted Sand grouse	*Pterocles Indicus*
38.	हरियल	Common Green. Pigeon	*Treron Phoenicoptera*
39.	कबूतर	Blue Rock Pigeon	*Columba livia.*
40.	गिर्वी फाखता	Red turtle Dove.	*Streptopelia traquebarica*
41.	चित्रक, फाखता	Spotted Dove	*Streptopelia chinensis*
42.	पारकी, पण्डूक	Ring Dove.	*Strenptopelia decaocto*
43.	छोटी फाखत	Little Brown Dove.	*Streptopelia senegalensis*
44.	पपीहा, पपीया	Brain fever Bird.	*Cuculus varius*
45.	कोयल, कोकिल	Koel.	*Eudynamys scolopacea (Linn)*
46.	महोक, कूक	Coucal.	*Centropus sinensis (stepheus)*
47.	राज गिद्ध	King vulture.	*Targes calvus*
48.	गिद्ध, बंगाली गिद्ध	White backed vulture.	*JGyps bengalensis (Gmelin)*
49.	सफेद गिद्ध	White Scavenger. Vulture.	*Neophron percnopterus*
50.	लग्गर	Laggar-Falcon	*Falco biarmicus* Jugger Gray
51.	मोर, मयूर	Common Pea fowl.	*Pavo cristatus (Linn.)*
52.	लाल वन कुक्कुट	Red Junglefowl	*Gallus gallus (Linn.)*
53.	जंगली मुरगी	Grey jungle fowl	*Gallus sonneratii (Temminck)*
54.	काला तीतर	Black partridge	*Francolinus francolinus*
55.	तीतर, सफेद तीतर	Grey partridge	*Francolinus pondicerianus*
56.	बटेर	Common Quail	*Coturnix coturnix*
57.	चानक, चाइना बटेर	Rain Quail	*Coturnix coromandelica*
58.	लव्वा क्षुप बटेर	Bush Quail	*Perdicula asiatica (Latham)*
59.	श्वेत वक्ष जल कुक्कुटी	White breasted Waterhen	*Amaurornis phoenicurus*
60.	जलममुर्गी, बोदार	Indian Moorhen	*Gallinula chloropus ((Linn.)*
61.	सारस	Sarus crane	*Grus antigone (Linn.)*
62.	भरत	Small Indian Skylark	*Alauda gulgula*
63.	चन्दुल	Crested Lark	*Galerida cristata (Linn.)*

64.	जंगली अगिया	Redwinged Bush Lak	*Mirafra erythro-ptera*
65.	बवाबील भाण्डीक	Common Swallow	*Hirundo rustica (Linn.)*
66.	मस्जिद अबाबील	Redrumped swallow	*Hirundo daurica (Linn.)*
67.	लीश्रा अबाबीला	Wiretailed swallow	*Hirundo smithii (Ieach)*
68.	सफेद लटेरा	Grey Shrike	*Lanius excubitor*
69.	छोटा लटोरा	Baybacked shrike	*Lanius vittatus*
70.	काजल लहटोरा	Ruffous backed shrike	*Lanius schach (Linn.)*
71.	जंगली कसया	Cuckoo shrike	*Coracina melanoptese*
72.	पीलक	Gol\den Oriole	*Oriolus oriolus (Linn.)*
73.	कृष्ण शीश पीलक	Black hooded Oriole	*Oriolus xanthornus (Linn.)*
74.	भुंजंगा, कौतवाल	King crow	*Dicrurus adsimilis*
75.	पहाड़ी भुंजंगा	Whitebellied Drongo	*Dicrurus caerulescens (Linn.)*
76.	भीमराज, भागराज	Racket tailed Drongo	*Dicrurus paradiseus (Linn.)*
77.	तिल्यर	Rosy pastor	*Sturnus roseus.*
78.	घूसट शीर्ष मैना	Grey headed Myna	*Sturnus malabaricus*
79.	बामनी मैना	Brahminy Myna	*Sturnus pagodarum*
80.	देशी मैना	Common Myna	*Acridotheres tristis*
81.	गंगा मैना	Bank Myna	*Acridotheres ginginianus*
82.	जंगली मैना	Jungle Myna	*Acridotheres fuscus*
83.	देशी कौवा	House crow	*Corvus splendens*
84.	जंगली कौवा	Jungle crow	*Corvus macrorhynchos*
85.	महा–लट मटा	Tree Pie	*Dendrocitta vagabunda*
86.	बुलबुल, गुल्दुम	Redvented Bulbul	*Pycnonotus cafer (Linn)*
87.	भोहों वाली बुलबुल	White checked Bulbul	*Pycononotus luteolus*
88.	जर्द बुलबुल	Black-crested Bulbu	*Pycnonotus melanicterus*
89.	घुघोई, कचपचिया	Large Grey Babbler	*Turdoides malcolmi (Sykes)*
90.	सतभाई, घोंघई	Jungle Babble	*Turdoides striatus*
91.	डूमरी, चिलचिल	Common Babbler	*Turdeides caudatus*
92.	नील मक्षिकांश	Blue Flycatcher	*Muscicapa tickelliae*
93.	शाह बुलबुल	Paradise Fly-catcher	*Terpsiphone paradise*

94.	नाचन, चकदिल	White spotted fantail flycatcher	*Rhipidura albicollis*
95.	घास की कुत्की	Streaked Fantail warbler	*Cisticola juncidis*
96.	कलछुरी	Indian Robin	*Saxicoloides fulicata (Linn.)*
97.	डयैरा, डइया	Magqie-Robin	*Copsychus saularis (Linn)*
98.	पीतकपोल बल्गुली	Black lored Tit	*Parus xanthogenys*
99.	भारतीय लुलिका	Indian Pipit	*Anthus novaesee Clandiac*
100.	पिल्लख	Yellow wagtail	*Motacilla flava*
101.	पिल्किया	Grey wagtail	*Motacilla caspica*
102.	गगूला, खंजन	Large pied Wagtail	*Motacilla maderaspatensis*
103.	धोबल	White Wagtail	*Motacilla alba*
104.	शकरखोरा	Purple sunbird	*Nectarinia asiatica (Latham)*
105.	जंगली चिड़ी	Yellow throated sparrow	*Petronia xanthocollis (Burton)*
106.	गौरेरूया	House sparrow	*Passer domesticus*
107.	सर्वो वया, शोर बया	Black breasted weaver bird	*Ploceus benghalensis (Linn)*
108.	बया	Common weaker bird	*Ploceus philippinus (Linn)*
109.	हरी मुनिया	Green munia	*Estrilda Formosa*
110.	चरचरा, सर मुनिया	White throated munia	*Lonchura malabarica (Linn)*
111.	गन्दम	Black headed Bunting	*Emberiza melanocephala*
112.	पथर चीरिया	Crested Bunting	*Melophus lathami*
113.	पन कौवा, मनहित	L. cormorant	*Phalacrocorax niger*
114.	पनडुब्बी, बानवी	Snake-bird	*Anhinga rufa (Daudin)*
115.	कठफौडत्रा	Pied wood-packer	*Picoides mahrattensis*
116.	कठफौड़ा	Glodenbacked wood pecker	*Dinopium benghalense (Linn)*
117.	हीरामन तोता	Large Indian Parakeet	*Psittacula eupatria*
118.	लाइबर तोता	Roseringed Parakeet	*Psittacula krameri*
119.	तुइया तोला	Blossomheaded Parakeet	*Psittacula cyanocephala*
120.	कुरैया, करेल	Screech Owl	*Tyto alba*
121.	घुग्घु	Indian Great Horned owl	*Bubo bubo (Linn)*
122.	खकूसट, चुगद	Spotted owlet	*Athene brama*

सरीसृप (Reptiles)

क्र.सं.	हिन्दी नाम	कॉमन अग्रेंजी नाम	लेटिन नाम
1	मगरमच्छ	Magger crocodile	*Crocodylus palustris*
2	कछुआ (पानी का)	Indian sawbaok	*Kachnga tecta*
3	कछुआ (तालाब का)	Indian mud turtle	*Lissemys punctata*
5	कछुआ (भूमि का)	Starred tortoise	*Geochelone elegans*
6	छिपकली	Northern house geeko	*Hemidactylus flaviviridis*
7	छिपकली	Fat tailed gecko	*Eublepharis macularivl*
8	गिरगिट	Common garden lizard	*Calotes versicolor*
9	हालनियाँ	Indian chameleon	*Chamaeleo zeylanicus*
11	गोह	Common indian monitor	*Varanus bengalensis*
12	दुमुही	Johr's earth boa	*Eryx johnii*
13	अजगर	Indian python	*Python molurul*
14	धामण	Common rat snake	*Ptyas mucosus*
17	करायत	Common indian krait	*Bungarus caeruleus*
18	नाग	Indian cobra	*Naja naja*
19	चित्ती	Russell's viper	*Vipera rapelli*
20	सांडा	Spiny tailed lizard	*Uromastix hardwikii*
21	स्याह गोह	Caracol	*Felis caracol*
22	क्रेट	Krait	*Bungarus coerulens*
23	पिटवाईपर	Pitviper	*Crotalus horridus*

उभयचारी वर्ग AMPHIBIA

क्र. सं	हिन्दी नाम	कॉमन अग्रेंजी नाम	लेटिन नाम
1	मेंढक, डेटका	Common Indian Toad	*Bufo melanostictus*
2	मेंढक, डेटका	Marbled Toad	*Bufo stomaticus*
3	मैंदा, डेटका	Indian Bull Frog	*Rana tigerina*
4	मैंदा, डेटका	Burrowing Frog	*Rana tomopterna*

मत्स्य वर्ग
(Fish Fauna)

क्र0सं0	स्थानीय नाम		वैज्ञानिक नाम
	हिन्दी	अंग्रेजी	अंग्रेजी
INDIAN MAJOR CARPS			
1	कतला	catla	*Catla catla*
2	रोहु	Rohu	*Labeo rohita*
3	मिग्रल	Migral	*Cirrhinus mrigala*
INDIAN MINOR CARPS			
3	बाता	Bata	*L.bata*
4	फुट्टी	Phutti	*Punctus ticto*
5	सरसो	Sarsi	*Labeo gonius*
CAT FISHES			
4	लॉची	Lanchi	*Wallaga attu*
5	सिगाडा	Singhara	*Mystus seenghala*
6	सिंगी	Singhi	*Hetropneustes fossilis*

Glossary of words

स्थानीय एवं हिन्दी नामों की अंग्रेजी शब्दावली

आबादी	:	Settlement/Cultivation or home stead inside forest
आरक्षित	:	Reserved
अग्नि रक्षण	:	Fire protection
अग्नि रक्षा पट्टी	:	Fire line
अग्रगामी प्ररोह	:	Leading shoot
अग्नि रक्षा संकार्य	:	Fire protection operation
अग्नि चेतावनी	:	Fire alarm
अग्नि शामक	:	Fire fighter
अग्नि शामक दल	:	Fire brigade
अतिच्छादी	:	Overlapping
अधिपक्व	:	Over mature
अधिपातन	:	Over felling
अधिशुल्क	:	Royalty
अन्वेषण	:	Research
अपरिपक्व	:	Immature
अपालित पशु	:	Stray cattle
सामान्य वन	:	Normal forest
आरक्ष–युक्त स्थूल वन	:	Coppice with reserves forest
आवर्तन	:	Rotation
आवरण	:	Cover
उत्पत्ति	:	Outturn

उत्पाद सारणी	:	Outturn table
उर्षकारी मान	:	Calorific value
कंटक वन	:	Thorn forest
कर्षण कार्य	:	Cultural operation
कूट	:	Ridge
गहन उपचार	:	Intensive treatment
गुणवत्ता	:	Quality
घनत्व	:	Density
चराई की घटनाएं	:	Incidence of grazing
चारण	:	Grazing
चित परिमाण	:	Stacked volume
चित प्रकाष्ठ	:	Stacked timber
छत्र	:	Crown
जैव–कारक	:	Biotic factor
जल प्रदाय	:	Water supply
नवपादप	:	Seedling
तना	:	Bole/Stem
तरूण सस्य	:	Young crop
द्रुतरोही	:	Fast growing
धरण	:	Humus
धराग्नि	:	Ground fire
निरूसारण	:	Extraction
निष्पादन	:	Execution
परजीवी	:	Parasite
परिधि	:	Girth

परिभ्रांषन	:	Degradation
परिमाण	:	Volume
परिमाण प्रति एकड़	:	Volume per acre
परिपक्व	:	Mature
परिरक्षण	:	Preservation
परिवर्तन	:	Conversion
परिवर्तन कारक	:	Conversion factor
परीक्षण खंडक/निदर्श खण्डक	:	Sample Plot
भौतिकीय भूगोल	:	Physiography
प्रतिबन्धित कार्यकलाप	:	Restricted activities
कार्य वृत्त	:	Working circle
प्रति एकड़ उपज	:	Yield per acre
चयनित पातन	:	Selection felling
प्रविधि	:	Technique
पादगिरि	:	Foot-hills
पारिस्थितिक प्रस्थिति	:	Ecological status
पारिस्थितिकीय	:	Ecological
पार्श्वशाखा	:	Lateral shoot
प्राकृतिक रूपधेय	:	Natural feature
उपज	:	Yield
उपज सारणी	:	Yield table
पुनरीक्षण	:	Revision
पुनर्वासन	:	Rehabilitation
पुनरूत्पादन	:	Regeneration
पूर्वतोवृद्धि	:	Advance growth

पूर्वावधारणा	:	Anticipation
बालवृक्ष	:	Sapling
बाह्यगणना	:	Extrapolation
बीजजात सस्य	:	Seedling crop
भक्ष्य	:	Prey
भू–दृश्य	:	Landscape
भौमिकी	:	Geology
माध्य वार्षिक संवृद्धि	:	Mean annual increment
मन्द प्रवण	:	Gentle slope
मन्दरोही	:	Slow growing
मृत प्रायः वृक्ष	:	Moribund tree
मृदा / आर्द्रता अवस्था	:	Soil/ moisture condition
मृदावरण	:	Soil cover
कृन्तक	:	Rodent
मूलरोह	:	Root sucker
मूलाक्षय	:	Root rot
रचना	:	Composition
रन्ध्रता	:	porosity
वक्र	:	Curve
वर्तमान वार्षिक संवृद्धि	:	Current annual increment
वनाग्नि	:	Forest Fire
विनियमन	:	Regulation
वृद्धि आंकड़े	:	Growth data
संरचना	:	Texture
वयोवर्ग	:	Age class

वास्तविक मापन	:	Actual measurement
वार्षिक वलय	:	Annual ring
विचलन	:	Deviation
वितान	:	Canopy
प्रति–अग्नि	:	Counter fire
विरलन	:	Thinning
स्थल चारण	:	Stall feeding
स्थूण प्ररोह	:	Coppice shoot
संकलन	:	Compilation
संनिधि मानचित्र	:	Stock map
समृद्धि पौधारोपण	:	Enrichment plantation
संमृदामय मृदा	:	Loamy soil
वृद्धिरत सस्य	:	Growing stock
समूहरोही	:	Gregarious
समुपयोजन	:	Exploitation
समुपयोज्य आकार	:	Exploitable size
समुपयोज्य वय	:	Exploitable age
सस्य	:	Crop
सह	:	Associate
साद	:	Silt
संरक्षण आरक्षिति	:	Conservation Reserve
सादवरण	:	Silting
संयत प्रवण	:	Moderate slops
सान्द्र परिमाण	:	Solid volume
खुर	:	Hoof

शाखा कर्तन	:	Lopping
शोष	:	Driage
शैलमय	:	Rocky
हिंस्त्र	:	Predator
आंतरी	:	Valley
अनारक्षित	:	Unprotected
बाग	:	Garden
बघेरा	:	Panther or Leopard
बलैंड़ी	:	A wooden pole
बलीता	:	Fuel wood
औरण / बनी	:	A forest preserve usually near a temple
बंजर / बंजड़	:	An uncultivated waste land
बंजारे	:	A migratory tribe
बावड़ी	:	Step well rectangular in shape
बारानी	:	Unirrigated land
बटाई	:	Sharing of produce by the worker and owner of the land
बीहड़ क्षेत्र	:	Ravine area
भिस्ती	:	Laborer employed for water supply
बीघा	:	A measure of land
बन्धा	:	A earthen dam
चक	:	Plot of land
चारागाह	:	An area set a side for grazing
छांगन	:	Lops & tops of trees
छप्पर	:	Thatched hut

छापर	:	A treeless grassyland in midst of the forest
चारा	:	Fodder
चौखट	:	Door frame
चौमासा	:	Rainy season
चौकी	:	Out post
चीतल	:	Spotted deer
चड़स	:	A leather bucket used for drawing water from well for irrigation
कुली	:	Female labour of daily wage
डांडा / बंलिन्डा	:	A wooden pole generally 8-10 feet long & 6" to 8" midgirth used for roofing kachha house
दरख्त	:	Tree
ढाणा	:	Superior structure of the well support the "charas"
ढांडा / ढोर / मवेशी	:	Cattle
डूंगर / डूंगरी	:	A hill/hillock
घुंवाली	:	Brush wood used for fencing
इकाई	:	Unit
बैलगाड़ी	:	Bullock cart
गैला / रास्ता	:	Foot path
सेर	:	Path surrounded by earthen wall
डोली	:	Earthen Wall
गैर मुमकिन	:	Land unfit for cultivation
गांवाई जंगल	:	Village waste land out side forest boundary
गरगड़ी	:	Wooden pulley

घास	:	Grass
घर	:	House
घाटी	:	Narrow and constricted valley
घाटा	:	A passage in the hill
गोचर	:	A grazing ground for cattle
ग्राम पंचायत	:	A body of elected members in a Village council
हल	:	Plough
हाका	:	Hounding of animals for hunting
हक	:	Right
हिरण	:	Deer
ईलाका गैर मवेशी	:	Cattle from out side the state or district
इजारा तरीका	:	Kind of contract system
जागीर	:	A grant of land under the old feudal system
जागीरदार	:	A person possessing a jagir
जकाती	:	In-charge of forest naka
झाड़बाड़	:	Fencing material
झौंपड़ी	:	Thatched hut
जोड़	:	A grass preserve
जूड़ी	:	Plough yolk
महकमा जंगलात	:	Forest department
कच्चा	:	Made of mud
कबाड़ा	:	House building timber
कंकर	:	Calcareous nodules
करवत (करोत)	:	Hand saw

काश्तकार	:	Cultivator
कत्था	:	Catechu
कातरा	:	A red hairy caterpillar
खाल / धारा	:	Stream
खाली	:	Streamlet
खालसा	:	Belonging to Government
खड़ी	:	Chalk
खारड़ा	:	Saline land
खरीफ	:	Crop of the rains
खसरा	:	A number allotted to a plot by revenue department
जोत	:	Holding
खोह	:	A small valley in the hills

Table of Content

S.No.	अध्याय	Chapter	Page No.
i	प्राक्कथन	Preface	
ii	बून्दी– मानचित्र	Bundi – map	i
iii	पादपजात तथा प्राणिजात की सूची	List of Flora and Fauna	
vi	शब्द सूची	Glossary of Words	
	Part I		
1.	अध्याय 1		1
	भू–क्षेत्र का विवरण	The Tract Dealt With	
2.	अध्याय 2		27
	पादपजात तथा प्राणिजात	Flora and Fauna	
3.	अध्याय 3		63
	वन उत्पादों का उपयोग	Utilization of Forest Produce	
4.	अध्याय 4		71
	वनोपज के विदोहन व विपणन में वन विकास निगम की गतिविधियां और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के परिणाम	Activities of the Forest Development Corporation in Harvesting and Marketing of forest produce, Result of Socio economic Survey.	
5.	अध्याय 5		77
	पंच वर्षीय योजनाएं	Five Year Plans	
6.	अध्याय 6		95
	कर्मचारी वर्ग व श्रम प्रदाय	Staff and Labour Supply	

7.	**अध्याय 7**		**104**
	विगत प्रबन्धन की प्रणाली	Past system of management	
8.	**अध्याय 8**		**122**
	वृद्धि एवं उपज की सांख्यिकी	Statistics of Growth	
	PART-2		
9.	**अध्याय 9**	**Chapter IX**	**150**
	भावी प्रबन्धन का विवेचन एवं निर्धारण	Future Management- Analysis and Decision	
10.	**अध्याय 10**	**Chapter X**	**165**
	भू–संरक्षण एवं पुनर्वास कार्यवृत्त	Soil Conservation and Rehabilitation Working Circle	
11.	**अध्याय 11**	**Chapter XI**	**186**
	वृक्षारोपण (अतिच्छादी) कार्यवृत्त	Plantation (Overlapping) Working Circle	
12.	**अध्याय 12**	**Chapter XII**	**225**
	चारा प्रबन्धन कार्यवृत्त	Fodder Management working circle	
13.	**अध्याय 13**	**Chapter XIII**	**243**
	वन सुरक्षा (अतिच्छादी) कार्य वृत्त	Forest Protection (Overlapping) Working Circle	
14.	**अध्याय 14**	**Chapter XIV**	**266**
	वन्यजीव प्रबन्धन (अतिच्छादी) प्रबन्धन वृत्त	Wild Life Management (Overlapping) Working Circle	
15.	**अध्याय 15**	**Chapter XV**	**298**
	साझा वन प्रबन्धन (अतिच्छादी) कार्य वृत्त	Joint Forest Management (Overlapping) Working Circle	

16.	**अध्याय 16**	**Chapter XVI**	**316**
	अकाष्ठिय वन उपज (अतिच्छादी) कार्य वृत्त	Non Wood Produce Working Circle (Overlapping)	
17.	**अध्याय 17**	**Chapter XVII**	**335**
	पारिस्थितिकीय पर्यटन	Eco-Tourism	
18	**अध्याय 18**	**Chapter XIII**	**344**
	सामाजिक वानिकी प्रबन्धन	Social Forestry	
19	**अध्याय 19**	**Chapter XVIII**	**359**
	विविध विनियम	Miscellaneous Regulations	
20.	**अध्याय 20**	**Chapter XIX**	**369**
	नियंत्रण एवं अभिलेख	Control and Records	
21.	**अध्याय 21**	**CHAPTER XX**	**373**
	अधिष्ठान व श्रमिक वर्ग	Establishment and Labour	
22	**अध्याय 22**	**CHAPTER XXI**	**378**
	सामान्य वित्तीय पूर्वानुमान और प्रचालन का वित्तीय नियोजन	General financial forecast and financial plan of operation	
23	**अध्याय 23**	**Chapter XXII**	**382**
	भारत में SFM के मानदण्ड व संकेतक प्रस्ताव	Criteria & indicator approach for SFM in India	
24	**अध्याय 24**	**Chapter XXIII**	**405**
	बून्दी वन मण्डल की कार्य आयोजना का संक्षिप्त विवरण	Summary of the (proposed) Working Plan of Forests of Bundi district, Rajasthan	

List of Appendices

No.	परिशिष्ट APPENDICES	
1	बूंदी वन मण्डल की कार्य आयोजना का क्षेत्र विवरण (Area Statement)	I
2	गणना परिणाम (Enumeration Results)	II
3	प्राकृतिक पुर्नजनन का सर्वेक्षण	III
4	अनुसंधान भू–खण्ड (Research plots)	IV
5	दरों की सूची (BSR)	V
6	पट्टे एवं अनुबन्ध	VI
7	बूंदी वन मण्डल में रेंजों के अधीन बीट व नाकों की सूचना	VII
8	बूंदी जिले में राजकीय विश्राम गृहों की सूची	VIII
9	बूंदी वन मण्डल में पदस्थापित रहे अधिकारियों की सूची वर्ष (1945 से 2012 तक)	IX
10	बूंदी वनमण्डल सीमा स्तम्भों की स्थिति	X
11	बूंदी वन मण्डल वन भूमि की वैधानिक स्थिति एवं अमल दरामद की स्थिति	XI
12	बूंदी जिले में पंजीकृत उद्योग	XII
13	बूंदी जिले में विद्युत उपभोक्ता	XIII
14	बूंदी जिले में विद्युत उपभोग	XIV
15	वनमंडल में वनसुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों सम्बन्धी रेन्जवार आंकड़े	XV
16	बूंदी जिले के वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति सम्बंधी सूचना	XVI
17	वनमण्डल अधीन भवनों की आवश्यकता/उपलब्धता एवं वर्तमान स्थिति	XVII
18	वनमण्डल बूंदी में सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से गत 10 वर्षो में घास एवं चारा प्राप्त करने सम्बन्धी विवरण	XVIII

19	• ड्यूटी के दौरान मारे गये वन कार्मिकों की सूची। • महा वृक्षों की सूची।	XIX
20	वनखण्डों में वनाग्नि पट्टियों की सूचना	XX
21	वन भूमि स्थानान्तरण प्रकरण (1) वन विभाग को प्राप्त भूमि (2) अनारक्षित भूमि का विवरण	XXI
22	गत 10 वर्षो में एनीकट निर्माण कार्य की सूची	XXII
23	जिले में वन भूमि पर अतिक्रमण की सूचना, सितम्बर 2012 के अनुसार	XXIII
24	रेंज हिण्डोली में दर्ज वन एवं वन्यजीव अपराध प्रकरणों की सूचना (वर्ष 99–2000 से 2010–11)	XXIV
25	दीवार निर्माण सूचना	XXV
26	वन मार्गो की सूची	XXVI
27	गैर काष्ठीय वन उत्पादन द्वारा गत 10 वर्षो में प्राप्त राजस्व	XXVII
28	वन प्रबन्धन के लिए उपयुक्त नीतियाँ व विनियमों की सूची।	XXVIII
29	बूंदी में पत्ता तेन्दू इकाइयों का गठन वर्ष 1981	XXIX
30	रामगढ. अभयारण आदेश विज्ञप्ति	XXX
31	घास बीड़ो की सूची	XXXI
32	राष्ट्रीय घडीयाल अभ्यारण की विज्ञाप्ति	XXXII
33	जवाहर सागर अभ्यारण की विज्ञाप्ति	XXXIII
34	राडियों की सूची	XXXIV
35	वृक्षारोपण की सूची	XXXV
36	पंच वर्षीय योजना के अर्न्तगत वृक्षारोपण की सूची	XXXVI

अध्याय–1
भू–क्षेत्र का विवरण

	अध्याय 1		**Chapter - I**	
	भू–क्षेत्र का विवरण		**The Tract Dealt with**	
1.1	नाम व स्थिति		Name and Location	
1.2	भूमि का स्वरूप		Configuration of the Ground	
1.3	भौमिकी, चट्टाने एवं मृदा		Geology , Rocks and Soil	
	1.3.1	चट्टाने	1.3.1	Rocks
	1.3.2	मृदा	1.3.2	Soil
	1.3.3	खनिज सम्पदा	1.3.3	Minerals
	1.3.4	भौमिकी का वनों पर प्रभाव	1.3.4	Effect of Geology on Vegetation
1.4	जलवायु		Climate and Rainfall	
	1.4.1	तापमान	1.4.1	Temperature
	1.4.2	वर्षा	1.4.2	Rainfall
	1.4.3	पवन	1.4.3	Flow of Wind
	1.4.4	आर्द्रता	1.4.4	Relative Humidity
	1.4.5	पाला	1.4.5	Frost
1.5	जल आपूर्ति		Water Supply	
1.6	वन क्षेत्र का क्षेत्रफल एवं विस्तार		Area and Distribution of Forest Land	
1.7	वैधानिक स्थिति		Legal Status	
1.8	वन विभाग को प्राप्त भूमि		Land Received by Forest Department	
1.9	कार्य आयोजना मानचित्रों की स्थिति		Condition of Working Plan Maps	
1.10	कार्य आयोजना में भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) का उपयोग		Use of GIS in Working Plan	
1.11	वनखण्डों में पक्की दीवार निर्माण की स्थिति		Construction of Wall	
1.12	अमल दरामद की स्थिति		Mutation	
1.13	सीमा चिन्हों की स्थिति		Boundary Pillars	
1.14	अधिकार व रियायते		Rights and Concessions	

अध्याय – 1

भू–क्षेत्र का विवरण

(The Tract Dealt With)

1.1 नाम व स्थिति

1.1.1 यह कार्य आयोजना बूंदी वन मण्डल के आरक्षित, रक्षित व अवर्गीकृत वन क्षेत्रों के लिये लिखी गई है, जो कि समस्त जिले में फैले हुए हैं। इस कार्य आयोजना में बून्दी जिले के वनक्षेत्र सम्मिलित हैं, परन्तु रामगढ़ अभ्यारण्य, जवाहरसागर वन्य जीव अभ्यारण्य एवं रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति मध्यवर्ती क्षेत्र (डोबरली, पोलघटा, व बलबन (भाग) के वनक्षेत्र सम्मिलित नहीं है।

यह जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है, जिसके उत्तर में जिला टोंक, दक्षिण–पूर्व में कोटा, दक्षिण में चित्तौड़ तथा पश्चिम में भीलवाड़ा जिला है। जिले के दक्षिणी व पूर्वी ओर चम्बल नदी बहती है जो कि बून्दी जिले को कोटा जिले से पृथक करती है। बून्दी जिले का उत्तरी अक्षांश 24°59′11″ से 25°53′11″ तक तथा पूर्वी देशान्तर 75°91′30″ से 76°19′30″ तक है। बून्दी जिला मुख्यालय जयपुर से 210 किमी. व कोटा से 37 किमी. दूरी पर स्थित है।

	In sq. Km	विवरण
जिले का कुल क्षेत्रफल	5776.00	
वैधानिक वन क्षेत्र	**1542.42**	
• प्रादेशिक वन क्षेत्र	0991.87	कार्य ऑयोजना में सम्मिलित क्योंकि अभी अलग से प्रबन्ध योजना नहीं है अथवा अभी **Tiger Conservation Plan** में सम्मिलित नही है।
• रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति मध्यवर्ती क्षेत्र	0186.33	
• राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य	0034.61	
कुल योग	1212.81	
• रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति मध्यवर्ती क्षेत्र–डोबरली,	0009.79	यह क्षेत्र पूर्व में रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति को सौंपा गया व TCP का

पोलघटा, व बलबन (part)		भाग हैं।
• रामगढ (संरक्षित क्षेत्र)	0222.22	अलग से प्रबन्ध योजना
• जवाहर सागर (संरक्षित क्षेत्र)	0097.60	--do--
कुल योग	329.61	

बून्दी जिले में (1212.81+329.61)= 1542.42 sq km वन क्षेत्र है

वनमण्ड़ल का मुख्यालय बूंदी शहर में है, जो कि जिले का भी मुख्यालय है। यह वनमण्डल मुख्य वन संरक्षक, कोटा के अधीन आता है । जिला मुख्यालय बूंदी रेल्वे स्टेशन है। जयपुर से जबलपुर राष्ट्रीय राज्य मार्ग 12, इस जिला मुख्यालय से होकर गुजरता है। अन्य महत्तवपूर्ण राज्य मार्ग भी जिले सें होकर गुजरते हैं।

प्रशासनिक संरचना

जिले की प्रशासनिक संरचना संरचना निम्नानुसार है।

1. उपखण्ड	–	5
2. तहसील	–	5
3. उप तहसील	–	2
4. पंचायत समिति	–	5
5. ग्राम पंचायते	–	181
6. आबाद ग्राम	–	880
7. गैर आबाद ग्राम	–	10
8. नगर पालिका	–	6

1.2 भूमि का स्वरूप

1.2.1 बूंदी जिले का स्वरूप असमान चतुर्भुज जैसा है। जिले का एक बड़ा भाग पर्वतीय है और जुताई योग्य नहीं है। बूंदी जिले में पूर्व से दक्षिण–पश्चिम दिशा मे पहाड़ियाँ है जो कि जिले को लगभग दो समान भागो में विभाजित करती है। अरावली की पहाड़ियां जिले के दक्षिण–पश्चिम व उत्तर–पश्चिम सीमाओं के पास है। उत्तर दिशा में पहाड़ियां लगातार नहीं है परन्तु बीच–बीच में एक–दूसरे से अलग होती हुई श्रृंखला के रूप में है जो कि इस क्षेत्र की पहचान बनाती है। इनका ढलान मध्यम से तीव्र है ओर वनों से

आच्छादित है। सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी 1715 फीट ऊंचाई की है। मुख्य फैलाव दो पहाड़ियों के मध्य है जो करीब 100 किमी. लम्बाई में है। यह पर्वत श्रृंखलाएं इस क्षेत्र को दो जलग्रहण क्षेत्रों में विभक्त करती है। उत्तर–पश्चिमी भाग कम उपजाऊ है तथा बिखरी पहाड़ियों में विभाजित है। उत्तर व उत्तरी–पश्चिमी पहाड़ियां अरावली पर्वत माला से पूर्व की अवधि की है जो अधिकांश नंगी पहाड़ियां हैं, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 250 मीटर से 400 मीटर है। दक्षिण–पूर्वी भाग की भूमि अच्छी तथा उपजाऊ है जिसे चम्बल नदी सिंचित करती है। दक्षिण–पश्चिमी भाग छोटी पहाड़ियों वाला है जिसमें टूटी–फूटी छोटी मध्यम पहाड़ियां हैं जो भीलवाड़ा तथा चित्तौड़ जिले की सीमा के साथ–साथ है, इस क्षेत्र को स्थानीय भाषा में 'बरड़ा' कहते हैं।

1.2.2 चम्बल नदी बूंदी जिले की पूर्वी व दक्षिण–पूर्वी सीमा बनाती है। इस जिले में होकर मेज, तालेड़ा, घोड़ा पछाड़ एवं मांगली नदी बहती है जो कि चम्बल के ड्रेनेज प्रणाली का एक भाग है । इन नदियों में वर्षाकाल के अलावा, कहीं–कहीं ही पानी रहता है। विशेष तौर पर गर्मी के मौसम में क्योकि ये मौसमी नदियां हैं। मेज नदी नेगड़ गांव के पास बूंदी जिले में प्रवेश करती है। जो रामगढ वन्य जीव अभ्यारण्य के मध्य बहती हुई अन्त में चम्बल नदी में मिल जाती है। इन नदियों के किनारों के पास के क्षेत्र गहरी कन्दराओं से युक्त है। ये कन्दराऐं आस–पास कृषि योग्य भूमि के लिये खतरा बन गयी है, विशेष रूप से जहां कृषक वैज्ञानिक विधि से खेती नहीं की जा रही है।

1.3 भौमिकी, चट्टाने एवं मृदा

इस वन मण्डल का उत्तरी भाग समतल भू–भाग है, जो स्लेट, फाईलाइट्स जिसमें क्वार्टजाईट तथा डोलोमाईट मार्वल का मिश्रण है, से बना हुआ है। यह क्षेत्र करीब 2500 मिलियन वर्ष पूर्व अरावली श्रेणी के ग्वालियर ग्रुप से सम्बन्धित है। बूंदी की विंध्ययन चट्टाने हैं 'ग्रेट विंध्ययन बेसिन' का ही भाग है । विध्यांचल पर्वत श्रेणी वृहत विंध्यान बेसिन का निर्माण करती है जो बिहार में रोहतास से आरम्भ होकर चितौड़गढ़ जिले तक विस्तृत है।

बूंदी जिले में कैमूर, रेवा एवं भन्डर ग्रुप की चट्टानें हैं जिनमें सेण्ड स्टोन, शेल्स तथा लाईम स्टोन की प्रचुर मात्रा मौजूद है। ये बून्दी वन मण्डल के दक्षिणी भाग में पाये जाते है। पूर्व अरावली एवं विध्ययन पर्वत श्रेणी का सम्पर्क क्षेत्र ग्रेट बाउन्ड्री फाल्ट के नाम से जाना जाता है जो फूलसागर के पास बड़ौदिया गांव के पास मौजूद है। इस स्थान को ज्योलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया ने राष्ट्रीय मोन्यूमेन्ट के रूप में महत्व प्रदान किया है। विंध्ययन चूने के पत्थर की मोटाई लगभग 100 मीटर है, यह अपर भण्डार

सेण्ड स्टोन बूंदी व लाखेरी के मध्य स्पष्ट दिखाई पडता है। केमूर व भण्डर सेण्ड स्टोन बारीक कणों वाले, मुलायम, गहरे लाल रंग की झलक लिए होते हैं तथा आसानी से उपयोग लिये जा सकते हैं। कैमूर तथा भण्डर किस्म का सेण्ड स्टोन अच्छे लोकप्रिय शेड्स में उपलब्ध होने के कारण निर्यात हो रहा है।

1.3.2 मृदा

इस वन मण्डल की मृदा को प्रमुखतः चार भागों में विभक्त किया जा सकता है– कम गहराई की पर्वतीय मृदाएं जो सस्य को धारित मात्र करने की क्षमता रखती है; पर्वतों के निचले तलहटियों में पायी जाने वाली मृदा; चट्टानी क्षेत्रों की मृदा तथा मैदानी मृदा जो कि कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजस्थान में मृदा सर्वेक्षण का कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल (1958) में किया गया था। इस परियोजना का प्रारम्भिक उद्देश्य मृदा की प्रकृति अनुसार उन्नत कृषि को बढ़ावा देना था परिणामस्वरूप बूंदी जिलें की उपरोक्त चारों प्रकार की मृदाओं को 12 श्रेणियों में विभक्त किया गया जो कि U.S.D.A. 'मृदा सर्वेक्षण मेनुअल(Soil Survey Manual)' के अनुरूप थी। इन बारह मृदाओं की श्रेणियों के नाम, उस क्षेत्र के गांव के नाम पर आधारित है।

- **दुर्गापुरा श्रेणी** – यह हल्के टेक्सचर, अच्छे जल निकास वाली मृदा (केलकेरयस लोम (दुमट मटियार)) है।
- **बामण गांव श्रेणी** – यह मध्यम टेक्सचर, अच्छे जल निकास वाली मृदा होती है।
- **बड़गांव श्रेणी** – यह मध्यम टेक्सचर, अच्छे जल निकास वाली मृदा है।
- **छत्रपुरा श्रेणी** – यह मध्यम टेक्सचर, अच्छे जल निकास वाली मृदा है।
- **हाथीपुरा श्रेणी** – यह मध्यम टेक्सचर व मध्यम गहराई की अच्छे जल निकास वाली कंकर–पत्थर की परत वाली मृदा होती है।
- **रतवाड़ा श्रेणी** – ठीक–ठाक गहराई की, हल्के टेक्सचर व अच्छे जल निकास वाली, कंकर व बालू पत्थर के क्षारण वाली मृदा होती है।
- **तालाब गांव श्रेणी** – मध्यम टेक्सचर व अच्छे जल निकास वाली चट्टाने के क्षरण वाली मृदा होती है।
- **संडीला श्रेणी** – मध्यम टेक्सचर वाली ठीक–ठाक जल निकास वाली मृदा होती है।
- **रण श्रेणी** – यह मध्यम गहराई की व मध्यम टेक्सचर वाली, अच्छे जल निकास वाली मृदा होती है।
- **गुढा श्रेणी** – हल्के टेक्सचर व अच्छे जल निकास वाली और चट्टानों के क्षरण वाली मृदा होती है।

- **बस्सी श्रेणी** – हल्के टेक्सचर व पानी के बहुत अधिक बहाव वाले केलकेयरस मृदा होती है।
- **देवपुरा श्रेणी** – मध्यम. टेक्सचर वाली अच्छे जल निकास वाली पत्थरों के क्षरण वाली मृदा होती है।

पहाड़ी क्षेत्र में दुर्गापुरा, तालव गांव और गुढ़ा श्रेणी आते है जबकि बाकी की मृदाऐं मैदानी क्षेत्र की हैं जिनमें कहीं–कहीं चट्टाने दिखाई देती हैं। चम्बल जल ग्रहण क्षेत्र में क्षारीयता , लवणता, क्षारण आदि कई समस्याएं है। बांध सिंचाई परियोजनाओं से इन समस्याओं पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया है। वनक्षेत्रों में मृदा सामान्यतः शुष्क व निम्न गुणवत्ता की है, ढलानों में मृदा बालुई–लोम या लोम, बजरी व पत्थरों से ढ़की हुई है और हल्के लाल रंग की है एवम् सामान्यतः छिछली है। नालों के किनारे व अन्य निचले भागों पर मृदा क्लेयी–लोम या क्लेयी है व गहरी है। कन्दराओं में मृदा की पर्याप्त गहराई है।

1.3.3 खनिज सम्पदा

जिला बूंदी खनिज–सम्पदा समृद्ध है। चूने के पत्थर, बलुई पत्थर, सिलिका , संगमरमर आदि इस जिले के मुख्य खनिज उत्पाद है । वन मण्डल क्षेत्र में पाये जाने वाले मुख्य खनिज नीचे सारणी में दर्शाये जा रहे हैं।

क.स.	खनिज का प्रकार	रेंज	वनखण्ड
1	इमारती पत्थर		
	(1) पत्थर की पट्टियां	डाबी	अम्बारानी, धौरेला, गरड़दा, Mसालिया, गुंवार, गुढ़ाराजपुरा, करूंदी लाम्बाखोह, मरारी, पराणा
	(2) भवन निर्माण पत्थर	बूंदी ,हिंडोली	कांटी अस्तोली, खीण्यां
	(3) बलास्ट	बूंदी, इन्द्रगढ	भैंरूपुरा, झरपीर, फोलाई, पिपलिया मानक चौक
2	चूने का पत्थर	(i) बूंदी (ii) हिंडोली (iii) के. पाटन (iv) डाबी	भैंरूपुरा, कांटी अस्तोली फूल सागर, डाटूंदा, सथूर, टोकरा – ए हिंडोली, कांकरा, लाखेरी,सलामदरा – बी लक्ष्मीपुरा
3	सिलिका	बून्दी डाबी	फूल सागर, धनेश्वर
4	संगमरमर	हिंडोली	ऊमरपगारा
5	लौह अयस्क	(i) बूंदी (ii) हिंडोली (iii) नैनवा (iv) डाबी	भैरूपुरा डांटूदा पिपलिया मानक चौक लक्ष्मीपुरा

1.3.4 भौमिकी का वनों पर प्रभाव :–

विध्यंयन सिस्टम पर पायी जाने वाली वनस्पति निम्न स्तर की जिरोफाईटिक वनस्पति है। धोक तथा सालर इस क्षेत्र की इडैफिक क्लाईमेक्स की प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाली प्रजातियाँ है। जबकि दक्षिणी पश्चिमी भाग के पठारी क्षेत्र में मिश्रित विविध वन पाये जाते है। कन्दरा युक्त क्षेत्रों में मुख्यतया रोंझ, हिंगोट, बेर, पीलू(जाल), हींसजाल पाये जाते है। शेल व स्लेट चट्टानों के क्षेत्रों में धोक की निम्न स्तर के वन है, परन्तु घाटियों व निचले क्षेत्रों में धोक अच्छा पाया जाता है। जिन क्षेत्रों में क्वारजाईट ऊपरी सतह पर है, वे अधिकतर घास युक्त रिक्त स्थान है। काली चिकनी मृदा पर छीला, रोंझ, खैर, गोयाखैर पाया जाता है। चूने के पत्थर वाले क्षेत्रों पर झाड़ी वाले वन पाये जाते हैं।

1.4 जलवायु

दक्षिण–पूर्व राजस्थान की जलवायु दीर्घ व बहुत गर्म ग्रीष्मकाल, कम वर्षा व लघु शीतकाल वाली होती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बूंदी जिला "सेमी ऐरिड क्लाईमेटिक जोन" में आता है तथा इसकी उष्णदेशीय शुष्क जलवायु है। जनवरी सबसे ठण्डा महीना होता है व मई–जून सबसे अधिक गर्मी वाले माह होते है। जुलाई से सितम्बर तक वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम हवाओं के कारण प्रचण्ड गर्मी पड़ती है जिसे "लू" कहते है। जिसकी वजह से चट्टाने दिन में तपती है तथा बहुत देर रात बाद ठण्डी होती है। वन क्षेत्रों के पृथक से आंकडे संधारित नहीं किये जा रहे हैं, अतः जिला मुख्यालय बूंदी पर संधारित आंकड़ों को ही दर्शाया गया है।

1.4.1 तापमान

मध्य मार्च से गर्मी आरम्भ होती है और माह मई–जून में तापमान अत्यधिक होता है। सर्वाधिक तापमान 48.8 ° से.ग्रे तक पहुंच जाता है। इन माहों में पश्चिमी गर्म हवाऐं चलती हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में 'लू' कहते हैं। जून के अन्तिम सप्ताह में या जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में मानसून आरम्भ होने से गर्मी से राहत अनुभव की जाती है और वर्षा काल सितम्बर तक चलता है। अक्टूबर से तापमान गिरना आरम्भ होता है। माह दिसम्बर–जनवरी सर्द ऋतु के माह होते हैं। सर्दी में निम्नतम तापमान 5 ° से.ग्रे तक गिर जाता है। वर्ष 2002 से 2011 तक के 10 वर्ष के आंकडों से स्पष्ट होता है कि मई, 2010 सबसे गर्म माह रहा है औसत अधिकतम तापमान 44.7 ° से.ग्रे और जनवरी 2011 सबसे सर्द माह रहा है जब औसत निम्नतम तापमान 10.1 ° से.ग्रे रहा।

वर्ष 2002 से 2011 की अवधि में बून्दी में तापमान निम्नानुसार रहा है :

वर्ष	तापमान (° से.ग्रे)	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	दिसम्बर
2002	औसत अधिकतम	23.9	26.2	33.8	40.8	43.9	41.0	27.8
	औसत न्यूनतम	11.2	13.6	20.1	27.4	31.3	30.3	14.6
2003	औसत अधिकतम	23.5	26.1	33.4	40.1	42.6	40.6	25.4
	औसत न्यूनतम	10.8	14.8	20.0	26.9	30.2	29.9	12.9
2004	औसत अधिकतम	23.3	28.2	37.0	41.0	41.6	39.7	25.8
	औसत न्यूनतम	11.1	13.9	21.6	28.3	29.6	28.96	13.4
2005	औसत अधिकतम	22.0	26.6	33.7	38.3	41.8	41.6	24.2
	औसत न्यूनतम	11.1	14.1	21.0	23.9	29.9	30.8	10.9
2006	औसत अधिकतम	24.9	31.7	32.3	39.6	43.3	38.9	25.4
	औसत न्यूनतम	11.9	18.0	19.5	27.0	31.4	29.2	13.5
2007	औसत अधिकतम	24.0	27.7	32.7	40.9	42.6	39.8	24.5
	औसत न्यूनतम	11.6	15.7	19.3	27.3	30.6	29.9	12.5
2008	औसत अधिकतम	22.5	25.5	34.6	38.7	41.2	36.4	27.0
	औसत न्यूनतम	10.7	11.7	20.5	25.0	28.9	27.5	14.8
2009	औसत अधिकतम	24.4	28.8	34.9	40.0	43.6	41.6	25.7
	औसत न्यूनतम	12.8	14.6	20.4	25.4	30.8	30.4	13.9
2010	औसत अधिकतम	23.6	28.4	37.1	42.2	44.7	42.2	24.8
	औसत न्यूनतम	10.6	14.9	22.7	28.5	31.8	30.3	12.1
2011	औसत अधिकतम	23.1	27.4	34.1	39.1	43.1	38..9	25.8
	औसत न्यूनतम	10.1	14.6	20.2	24.8	30.5	28.5	12.3

स्त्रोत: - कार्यालय भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, राज., प्रतिनिधिक स्थानक, बूंदी

1.4.2 वर्षा

बूंदी में औसत वार्षिक वर्षा 724.1 मि0मी0 होती है एवम् वर्ष में औसतन 39 वर्षा दिवस होते हैं। 95% वर्षा, जुलाई–अगस्त एवं सितम्बर में होती है। इन तीन माहों में कई बार लगातार 15–20 दिन वर्षा होती है। माह जनवरी में भी कई बार वर्षा होती है जिसे स्थानीय भाषा में 'मावठ' कहते हैं।

इस वनमण्डल के वर्षा के आंकडें निम्नानुसार हैं

वर्षा (मिलीमीटर में)

वर्ष / माह	जन.	फर.	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित.	अक्टू.	नव.	दिस.
2002	000.0	072.6	000.0	000.0	000.0	024.2	040.3	181.4	086.5	000.0	002.2	001.4
2003	002.1	028.8	000.0	020.4	002.2	098.9	210.2	129.6	079.5	000.0	000.0	003.1
2004	007.7	000.0	000.0	000.2	007.9	046.9	078.4	534.9	003.6	027.0	000.0	000.0
2005	000.0	000.0	008.5	004.6	003.2	039.2	396.6	046.9	164.6	000.0	000.0	000.0
2006	000.0	000.6	023.5	000.0	005.2	114.9	161.3	419.1	143.9	002.0	000.0	000.0
2007	003.6	027.5	004.3	001.1	000.2	099.4	370.3	175.4	169.6	000.0	000.0	005.4
2008	000.0	000.0	001.8	022.8	028.3	195.9	196.7	127.3	107.6	000.0	012.1	000.0
2009	000.0	000.0	006.3	001.1	001.2	033.0	308.7	068.6	014.5	044.3	026.0	000.0
2010	000.0	003.2	000.0	002.4	000.0	023.4	155.3	328.2	073.8	000.4	053.7	000.6
2011	000.0	008.9	000.0	000.0	010.4	335.8	244.3	327.9	171.9	000.0	000.0	000.0

स्त्रोत: - कार्यालय भारतीय मौसम विज्ञान विभग, राज., प्रतिनिधिक स्थानक, बूंदी

1.4.3 हवायें

उत्तर–पश्चिमी तेज गर्म हवायें एवं धूल भरी आंधियां मई–जून माह में चलती हैं। कम तापमान व कम गति वाली उत्तर–पूर्वी हवायें नवम्बर से फरवरी माह तक चलती हैं।

1.4.4 आर्द्रता

गर्मी में आर्द्रता सबसे कम लगभग 20 प्रतिशत व वर्षा काल में सर्वाधिक लगभग 90 प्रतिशत होती है।

जिला बूंदी में आर्द्रता के आंकडे निम्न सारणी में दर्शाये अनुसार हैं :

वर्ष	सापेक्षिक आर्द्रता (%)	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	दिस.
2002	0830 IST	070	059	039	027	034	053	053
	1730 IST	035	034	016	014	015	034	031
2003	0830 IST	064	058	034	025	024	053	068
	1730 IST	030	031	015	011	010	033	040
2004	0830 IST	076	049	023	026	037	054	064
	1730 IST	044	023	011	010	015	031	039
2005	0830 IST	066	052	044	021	024	039	055
	1730 IST	041	028	023	010	011	029	032
02006	0830 IST	058	044	044	022	032	052	062
	1730 IST	035	024	022	011	016	034	042
2007	0830 IST	062	068	043	023	030	051	060
	1730 IST	038	035	019	009	013	035	038
2008	0830 IST	049	042	032	026	039	063	068
	1730 IST	033	022	018	014	017	050	043
2009	0830 IST	070	050	033	020	029	044	074
	1730 IST	050	028	015	009	013	024	049
2010	0830 IST	079	058	030	021	023	042	066
	1730 IST	046	031	014	008	009	022	037
2011	0830 IST	066	064	037	024	032	058	062
	1730 IST	038	037	020	010	014	043	038

स्त्रोत: - कार्यालय भारतीय मौसम विज्ञान विभग, राज., प्रतिनिधिक स्थानक, बूंदी

1.4.5 पाला

सर्द ऋतु में कभी–कभी बूंदी जिले क्षेत्र में पाला भी पड़ता है, जिसका वनस्पति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

1.5 जल आपूर्ति

जल आपूर्ति के मुख्य स्रोत हैं नदी, नहर, तालाब, कुएं एवं बावड़ी आदि हैं जो कि समस्त जिले में पाये जाते हैं। चम्बल नदी के अतिरिक्त जिले में अन्य कोई नदी नहीं है जिसमें पानी का बहाव वर्ष भर रहता हो। बूंदी जिले की मुख्य नदियां हैं चम्बल (जो कि इसकी दक्षिण–पूर्वी सीमा बनाती है), मेज, मांगली, बजुन, इरास एवं तालेड़ा। ये

सभी मौसमी नदियां चम्बल की सहायक नदियां (Tributaries) हैं जो वर्षा काल में ही बहती हैं। बूंदी की प्रमुख झील नैनवा रेंज में रतनसागर झील है जहाँ पर अप्रवासी पक्षी भारी तादाद में आते है।

बूंदी में कुल 28,433 कुएं हैं जिनमें से उपयोगी 23146 हैं व अनुपयोगी 5383 हैं व 11,223 ट्यूबवेल्स हैं जिनमें 7662 पर डीजल पम्पस हैं व 3561 पर विद्युत चालित पम्प सेट्स हैं। बूंदी जिले में कुल 35 उपयोगी व 54 अनुपयोगी तालाब हैं। इन तालाबों सें सिंचाई भी की जाती है व पीने के पानी के लिये भी इन्हें काम में लिया जाता है। मुख्य तालाब फूल सागर, जेत सागर (बाड़ी तालाब), कनक सागर (डूंगरी तालाब), बरधा बंधा तालाब, गुढ़ा बंधा, रूणीजा बंधा, बांढरा बंधा, इंद्राणी बंधा, मोतीपुरा बंधा आदि है। गुढ़ा बांध के अतिरिक्त अन्य सभी बांध लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत आते हैं व लोगों की दैनिक आवश्यकताओं हेतु काम में लिये जाते हैं। बांयी मुख्य चम्बल नहर व इसकी शाखाएं जिले में होकर गुजरती हैं। जिले में जल स्तर औषत 20 मीटर गहराई पर रहता है परन्तु गर्मी के मौसम में यह 40 से 50 मीटर तक की गहराई में चला जाता है, विशेषतः हिंडोली व डाबी के बडे क्षेत्रों में। ग्रीष्म काल में पानी के अभाव में ग्रामीण अपने पशुओं को लेकर पलायन भी कर जाते है। ग्रीष्म काल में वन्य पशुओं के लिये भी जल का अभाव बहुत कष्टदायी होता है।

1.6 वन क्षेत्र का क्षेत्रफल एवं विस्तार

बूंदी वन मण्डल 6 रेंजों में विभाजित हैं जिनमें कुल 151 वनखण्ड है, जिनमें से 104 रक्षित वनखण्ड है व 30 आरक्षित तथा 17 वनखण्ड अवर्गीकृत की श्रेणी में आते हैं जिनका विवरण वनमण्डल की छहों रेन्जों बूंदी, के. पाटन, डाबी, हिंडोली, इन्द्रगढ एवं नैनवा में नीचे दी गयी सारणी अनुसार है। पीपल्या माणक चौक वनखण्ड का संविभाग नं 21 व, 22 नैनवा रेन्ज में सम्मिलित है, लेकिन उसे भी अलग वनखण्ड में गणना की गई है।

क सं.	रेंज	आरक्षित		रक्षित		अवर्गीकृत		कुल	
		वन खण्ड	क्षैत्रफल	वन खण्ड	क्षैत्रफल	वन खण्ड	क्षैत्रफल	वन खण्ड	क्षैत्रफल (है. में)
1	हिण्डोली	4	10291.88	21	20034.89	5	162.27	30	30489.07
2	नैनवा	0	0	25	14402.22	2	517.46	27	14919.68
3	इन्द्रगढ़	4	3676.48	24	13148.49	4	244.84	32	17069.81
4	डाबी	17	32302.6	6	8978.19	1	2.36	24	41283.15

5	बूंदी	5	12627.52	10	838.50	1	142.62	16	13608.62
6	के. पाटन	0	0	18	3781.90	4	128.97	22	3910.87
	कुल योग	**30**	**58898.48**	**104**	**61184.19**	**17**	**1198.52**	**151**	**121281.2**

रामगढ रेन्ज (222.22 वर्ग कि. मी.) का समस्त भाग वन्य जीव अभ्यारण्य में सम्मलित है। पीपल्या माणक चौक वनखण्ड का शेष संविभाग 1–20,23–32 रामगढ रेजं में है। इसके अतिरिक्त बूदीं जिले में 97.60. वर्ग कि. मी वनक्षेत्र जवाहरसागर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत है, जो उप वन संरक्षक, वन्य जीव, कोटा के अधीन है तथा इस कार्यआयोजना का भाग नहीं है। 09.79 वर्ग कि. मी का वन क्षेत्र रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति मध्यवर्ती क्षेत्र का भाग है, जिसमें डोबरली, पोलघटा, व बलबन आदि वनखण्ड आते है भी इस कार्यआयोजना का भाग नहीं है। इस तरह से बून्दी जिले में (1212.81 sq km वन क्षेत्र (कार्यआयोजना का भाग है) व 329.61 sq km वन क्षेत्र (कार्य आयोजना का भाग नहीं है)

1.7 वन क्षेत्रों की वैधानिक स्थिति :

राज्य सरकार में राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 3 के अन्तर्गत किसी क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित करने की शक्ति निहित है। राजस्थान वन अधिनियम का प्रकाशन राजस्थान राज पत्र संख्या पार्ट 4–ए दिनांक 18.4.1953 के जरिए हुआ है। इन शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा वन मण्डल के वन खण्डों को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 20 के अन्तर्गत आरक्षित घोषित किया था। आरक्षित वनों में निषेध कार्यों की सूची का अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत उल्लेख किया गया है, इन निषेध कार्यों को नियंत्रण करने हेतु अधिनियम की धारा 26 ए के अन्तर्गत राज्य सरकार में नियम बनाने की शक्ति निहित है इन शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा आरक्षित वन नियम 1957 बनाये। जिनकी अधिसूचना 34(44) राजस्व/ए/53 दिनांक 28.1.58 राजस्थान राज पत्र संख्या पार्ट 5 दिनांक 20. 2.1958 में प्रकाशित की गई।

वन मण्डल के वन खण्डों का रक्षित वनों के रूप में घोषणा अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत की गई है। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 32 के अधीन भी प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रक्षित वन नियम 1957 बनाये गये जिसकी अधिसूचना संख्या एफ 34 (44) रे/5/53 दिनांक 28.1.58 राजस्थान राज पत्र पार्ट 4

सी दिनांक 20.2.1958 द्वारा प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त वन मण्डल में 17 वन खण्ड अवर्गीकृत वनों के रूप में सूचिबद्ध हैं। व्यवहार में यह पाया गया है कि इस वन अधिनियम के प्रावधान अधिक प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुये हैं क्योंकि वन भूमि बहुत आसानी से गैरवानिकीय प्रयोजना हेतु मुक्त की जा रही थी,परन्तु भारत सरकार द्वारा वन भूमि व वनों के संरक्षण को महत्व देते हुए, दिनांक 25.10.1980 को पारित वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानानुसार कोई आरक्षित वन या उसके किसी भाग को भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी गैरवानिकी आयोजना हेतु उपयोग में नहीं लिया जा सकेगा।

1.8 वन विभाग को प्राप्त भूमि

उपरोक्त के अलावा विगत वर्षों में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी कार्य हेतु विधिवत् अनारक्षित वन क्षेत्रों की एवज में क्षतिपूर्ति हेतु निम्न राजस्व क्षेत्र वन विभाग को प्राप्त हुए हैं :

गैर वानिकी कार्यो के एवज में वन मण्डल को प्राप्त भूमि		
क्रम संख्या	**परियोजना**	**क्षैत्रफल** (हैक्टेयर में)
1	सिचांई	886.37
2	ट्रांसमिशन लाईन	148.33
3	सडक	906.11
4	बांध परियोजना	212.5
5	माईन्स	108.32
योग		**2261.63**

इस प्रकार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन क्षेत्रो की एवज में क्षतिपूर्ति हेतु कुल 2261.63 है0 भूमि (AnnexureXXI) राजस्व विभाग से प्राप्त हो चुकी हैं । इन प्राप्त क्षेत्रो में अधिसूचना के प्रस्ताव प्रेषित कर दिये है एवं कुछ क्षेत्रों की कार्यवाही प्रगतिरत हैं। अतः इनको अविलम्ब अधिसूचित कराया जाना उचित होगा।

1.8.1 विभिन्न गैर वानिकी कार्यो हेतु उपयोग में ली गई वन भूमि (अनारक्षण प्रकरण)

विगत वर्षो में विभिन्न गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि अन्य विभागों को दी गई है, जैसे विद्युत लाइनें हेतु विद्युत विभाग को, माईनिंग लीजेज हेतु खनन विभाग को, सड़क निर्माण हेतु केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग को, पुनर्वास हेतु सिंचाई विभाग को

आदि कुल 976.1906 हैक्टेयर वन भूमि का डायवर्जन किया गया। 25.10.1980 से 31.3. 2009 तक वन क्षेत्रों में करवाये गये गैर–वानिकी कार्यो का विवरण निम्न प्रकार हैं :

क्र.स.	गैर वानिकी कार्यो हेतु वनमण्डल द्वारा प्रत्यावर्तित की गई वन भूमि		
	परियोजना	परियोजना की संख्या	क्षैत्रफल (हेक्टेयर)
1	सिचांई	1	205.00
2	ट्रांसमिशन लाईन	11	205.906
3	सडक / रेल्वे	11	127.128
4	बांध परियोजना	0	0
5	माईन्स	11	438.1566
योग		34	**976.1906**

इस प्रकार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन क्षेत्रो में से गैर वानिकी कार्यो हेतु कुल 976.1906 है0 भूमि राजस्व विभाग (AnnexureXXI) से प्राप्त हो चुकी हैं।

1.9 कार्य आयोजना मानचित्रों की स्थिति

बून्दी जिले के वन क्षेत्र को सर्वे आफ इन्डिया की 1:50000 पैमाने की जी टी शीट पर श्री अभिजीत घोष द्वारा, उनकी कार्य आयोजना से संबंधित क्षेत्र को वनखण्डवार एवं संविभाग वार अंकित किया गया था। मूल अभिलेख से मिलान करने पर विगत कार्य आयोजना के मानचित्रों में निम्न प्रकार की विसंगतियां दिखाई दीं :

1. प्रतिवेदन में अंकित कुछ संविभाग रामनगर, कोरमा, गुडा मकदु का, डिकोली आदि क्षेत्रफल मानचित्र के अनुरूप नहीं थे।
2. प्रतिवेदन में अंकित पिपल्या माणक चौक वनखण्ड के क्षेत्रफल एवं वनखण्ड के अधिसूचित क्षेत्रफल में अन्तर था।
3. कार्य आयोजना जी टी शीट पर अंकित डपटा, माखीदा, पालीबसवाडा आदि वनखण्डों की सही अधिसूचित सीमा नहीं दर्शाई गई थी।
4. कुछ वनखण्डों के कुछ संविभाग जैसे–पिपल्या माणक चौक (सविंभाग 21, 22) नैनवा रेंज और फलोदी (सविंभाग 1) रामगढ रेंज को दूसरी रेंजों में दर्शाया गया था।

इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि निम्न कारणों से वनखण्ड की सीमा की कुछ जानकारी छूट सकती है अथवा कुछ स्थानों पर सीमा में मामूली सा बदलाव हो सकता है :

(i) वनखण्ड के खसरा नक्शा को 1 इंच = 1 मील पैमाने पर छोटा करने पर ।

(ii) अनेक खसरा नक्शों को मिलाकर वनखण्ड का ईकजाइ नक्शा बनाने पर व अनेक वनखण्डों के एक से अधिक जीटी शीट पर होने के कारण ।

(iii) उपरोक्त प्रक्रिया में मानवीय कमियों के कारण ।

(iv) उपरोक्त प्रक्रिया में उपयोग में लिये गये उपकरणों के कारण ।

(v) बडे हुए नक्शे का ट्रेस (1:4000) तैयार करने पर।

(vi) इन नक्शों के ट्रेस को Flatbed Scanner पर स्केन करने के कारण

(vii) Scanned Maps की Geo-referencing के कारण व 1:50000 स्केल पर छोटा करने पर ।

(viii) जी टी शीट की Geo-referencing में कमियां होने के कारण ।

(ix) Georeferenced वनखण्ड सीमाओं को georeferenced जी टी शीट पर स्थापित (Superimpose) करने के कारण

उपरोक्त त्रुटियों को सुधार कर Stock Maps व Management Maps तैयार करने का कार्य प्राथमिकता से किया गया। वन खण्ड की सीमाएं नक्शों पर सही–सही बनाने हेतु राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन **"राज्य दूर संवेदी अनुप्रयोग केन्द्र State Remote Sensing Application Centre (SRSAC), जोधपुर"** की सेवाएं प्राप्त की गई हैं। जी टी शीट पर इस अस्थाई अंकन को पुनः चैक कर, जी टी शीट पर सर्वे ऑफ इन्डिया द्वारा अंकित ग्रीन वॉश क्षेत्र तथा अन्य वनक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए यथा संभव सही वनसीमा को स्थाई अंकित किया गया।

उपरोक्त समस्त कार्य करने पर जो परिणाम सामने आया उसका मौके पर जाकर जी पी एस उपकरण की सहायता से अनेक स्थानों पर मिलान किया गया। मिलान उपरान्त अधिकांश स्थानों पर वनसीमा का अंकन लगभग सही पाया गया। जहां कहीं भी अंतर पाया गया वह कार्य आयोजना की दृष्टि से स्वीकार योग्य था। यहां यह स्पष्ट करना अतिआवश्यक है इस प्रकार अंकित वन सीमा मात्र शैक्षिक उद्देश्य हेतु उपयुक्त है। उपरोक्त में अंकित वजहों से इस अंकित सीमा को, मौके पर सीमांकन को चेक करने अथवा मौके पर वनभूमि की सीमा का एकदम सटीक पता करने हेतु नहीं किया जा सकता है।

इस जी टी शीट से मात्र वनसीमा की मोटे तौर पर जानकारी होती है जो कि वनप्रबन्धन कार्य, नियोजन कार्य अथवा आयोजना के कार्य हेतु ही उपयुक्त है। वनसीमा की एकदम सटीक सही स्थिति हेतु सर्वे की वैज्ञानिक तथा विधिमान्य पद्धति तथा विधिमान्य अभिलेख यथा वनखण्ड पत्रावली में संधारित, अधिसूचित वनसीमा के खसरा नक्शों का उपयोग में लिया जाना, DGPS Survey करना प्रस्तावित है।

उपरोक्त पैरास् में वर्णित अनुसार पुराने नक्शों में अनेक स्थानों पर आवश्यक सुधार किये जाने के कारण अनेक वनखण्डों में अनेक पुराने संविभाग कक्षों की सीमाओं में परिवर्तन अवश्यंभावी हो गया था। इसके अतिरिक्त नक्शों में पूर्व में अंकित नहीं किये गये अनेक क्षेत्र के जोडे जाने से भी अनेक नवीन संविभाग कक्ष बनाने जरूरी हो गये थे। संविभाग की अंकित सीमा को जी टी शीट पर अंकित किसी प्रमुख भौगोलिक रूपक से मेल खाते हुए बनाया गया। मुख्यतः किसी स्थायी सडक मार्ग, नहर, नदी, नाला अथवा प्रमुख पहाडी पृष्ट या उभार को संविभाग की सीमा बनाने का प्रयास किया गया। वैधानिक प्रक्रिया अपनाकर विभिन्न अवसरों पर वनभूमि से पृथक कर विभिन्न गैर वानिकी प्रयोजनार्थ कार्य में ली गई अनेक वनखण्डों की वनभूमि को इस कार्य आयोजना में नक्शें पर चिन्हित किया जाना शेष है।

1. भूमि जो विधिवत् अनाधिसूचित की गई।
2. भूमि जो अन्य गैर वानिकी कार्य हेतु अनारक्षित की गई।
3. भूमि जो नियमन की श्रेणी में सूचीबद्ध है ।

1.10 कार्य आयोजना में भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) का उपयोग

भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) का उपयोग कार्य आयोजना के पूनरीक्षण एवं वन प्रबन्धन मे करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई।

(i) प्रत्येक वनमण्डल के कार्य आयोजना पुनरीक्षण के दौरान भौगोलिक सूचना प्रणाली (Georaphical Information System), सुदुर संवेदन (Remote Sensing) Software का उपयोग किया गया।

(ii) वनमण्डल के Digital Topo-Sheet (1:50,000) भारतीय विभाग से क्रय किया गया एवं कार्य आयोजना में उपयोग किया गया।

(ii) वनमण्डल के Stock Map तथा Management Map का Digitization किया गया।

(iii) प्रत्येक वनमण्डल के लिये निम्नानुसार स्पेशियल डेटा मॉडल तैयार किया गया।

(iv) सन्निधि मानचित्र, प्रबन्धन मानचित्र एवं अन्य मानचित्रों का Computer Printing के माध्यम से किया गया।

भौगोलिक सूचना प्रणाली के उपयोग से विभिन्न प्रकार का Spatial Data का निर्माण किया जाता हैं। समय समय पर यह डाटा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून एवं वन प्रवर्धन सूचना प्रणाली वन मण्डल द्वारा मंडलों का प्रदाय किया गया। यह डाटा सूचना की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

जी.आई.एस के अन्तर्गत कार्य आयोजना डिजिटल नक्शों पर बनाई गई, इसके अन्तर्गत विवरण की विभिन्न परतों (layers) को आसानी से नक्शों में बनाया जा सकता है। जिससे स्पष्ट व विश्वसनीय आंकडें उपलब्ध होते हैं। राजस्थान वन विभाग ने वन क्षेत्रों की डिजिटल ब्लॉक सीमाओं की परतें उपलब्ध करवाई हैं। इसका उद्देश्य कम्पार्टमेन्ट, स्टॉक/मैनेजमेन्ट मैप के नक्शों का योजना आयोग द्वारा चाही गई आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर डिजिटलीकरण करना है।

वर्तमान में जोधपुर में स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (SRSAC) को कार्य सौंपा गया है, राज्य में जिले के लिए जो कार्य योजना तैयार की जा रही है, उसके वनखण्डों की सीमाओं के लिए डिजीटल नक्शे प्राप्त किये गये है।

इस वन मण्डल के समस्त वन खण्डों की सीमाओं के जोधपुर स्थित राजकीय रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन केन्द्र (SRSAC)/ CCF-IT कार्यालय से नक्शे डिजीटाईज करवाये गये हैं और ऐसे नक्शे राजस्थान के वन विभाग ने उपलब्ध करवाये हैं। पूर्व कार्य ओयाजना के स्टॉक नक्शे एवं प्रबंधन नक्शों की सीमाएं जी.टी. शीट्स पर (वन खण्डों के संविभाग) दर्शाये गये हैं और जी.टी.शीट्स पर संविभाग की लेयर्स डाली गयी है। उन लेयर्स को स्टॉक या प्रबंधन मानचित्र बनाने हेतु निर्धारित रंगों (Colour Coding) में परिवर्तित किया गया है।

1.11 वनखण्डों में पक्की दीवार निर्माण की स्थिति :

बून्दी जिले में वनखण्डों की सुरक्षा हेतु पक्की दीवार निर्माण की आवश्यकता हैं। इससे वन क्षेत्र को अतिक्रमण व चराई से सुरक्षित किया जा सकता हैं। अभी तक लगभग 30 कि.मी. दीवार निर्माण कार्य हुआ हैं, तथा शेष प्रगति रत हैं, जिसे आगामी पंचवर्षीय योजना में पूर्ण करवा लिया जायेगा। यह कार्य इकोरेस्टोरेशन मॉडल के तहत करवाया जा रहा हैं। दीवार निर्माण कार्य में सीमाकंन नहीं होने, श्रमिक अनुपलब्ध होने व

अतिक्रमण व प्रशासनिक समस्याएँ होने से भी बाधा उत्पन्न हो रही हैं। जिनका निराकरण किया जा रहा हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010 से 15 जनवरी 2013 तक ई.को. रेस्टोरेशन मॉडल के पक्की दीवार निर्माण सूचना निम्नानुसार है :

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत दीवार लम्बाई कि0मी0 में	स्कीम	निर्मित दीवार लम्बाई कि0मी0 में
1	2009–10	4.000	NAREGA	04.000
2	2010–11	27.00	NAREGA	20.435
3	2011–12	29.50	NAREGA	3.805
		2.000	CAMPA	2.000
		0.300	IFMS	0.300
4	2012–13	3.000	TFC	1.000
	योग	**65.8**		**31.54**

1.12 अमल दरामद की स्थिति Position of Mutation

वन भूमि का राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के पक्ष में इन्द्राज एवं अंकन कराने की प्रकिया का तात्पर्य वन भूमि का अमल दरामद हैं। सभी प्रकार की वन भूमि वन विभाग के पक्ष मे राजस्व विभाग की जमाबन्दी में होना व इसका रेखांकन (तर्मीम) राजस्व नक्शों में लाल स्याही से होना आवश्यक हैं। वन भूमि के अमल दरामद के अभाव में राजस्व विभाग द्वारा गैर वानिकी उपयोग हेतु वन भूमि आंवटन होने की संभावना बनी रहती हैं। बूंदी वन मण्डल में वन भूमि के अमल दरामद के कार्य को प्राथमिकता दी जाकर प्रभावी कार्यवाही की गई हैं। कुल वन भूमि 121281.2 हैक्टेयर में से 117994.02 है0 वन भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो चुका हैं। अभी भी 3287.18 (2.7 प्रतिशत) वन भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होना अवशेष हैं। क्षेत्र में कुछ वन क्षेत्रों की वन सीमा के सम्बन्ध में राजस्व विभाग एवं वन विभाग का संयुक्त सर्वेक्षण होना है, जिसमें राजस्व क्षेत्र की सीमा का माप, पैमाइश, करते हुए वन सीमा कायम की जानी है। बूंदी वन मण्डल में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद की स्थिति को निम्नानुसार सारणी में दर्शाया गया है :–

क सं.	रेंज	कुल		अमल दरामद क्षैत्रफल (है.में)	अमल दरामद से शेष (है.में)
		वनखण्ड	क्षैत्रफल (है.में)		
1	हिण्डोली	30	30489.07	29462.45	1026.62
2	नैनवा	27	14919.68	13960.58	959.1
3	इन्द्रगढ़	32	17069.81	16939.67	130.14
4	डाबी	24	41283.15	40146.03	1137.12
5	बूंदी	16	13608.62	13603.7	4.92
6	के. पाटन	22	3910.87	3881.59	29.28
	कुल योग	**151**	**121281.2**	**117994.02**	**3287.18**

1.13 मीनार बन्दी परियोजना अनुसार सीमा चिन्हों की स्थिति

वन मण्डल में कुल लगाये जाने वाले सीमा स्तम्भ	कुल सीमा स्तम्भ जो 31.03.2012 तक लगाये जा चुके	शेष मीनारों की संख्या जो लगवाया जाना शेष रहेगा	मोनोलिथस् / पत्थर गढी
8195	971	7224	1983

इसके अतिरिक्त 1983 मोनोलिथस् भी मौके पर मौजुद है। ग्रामीणों ने मीनारों को हानि पहुचाँई है, जिससे वर्तमान में मीनारों की स्थिति संतोषपद नहीं कहीं जा सकती है एवं वन क्षेत्रों में कई स्थानों पर अतिक्रमण हुए हैं, विशेषतः कृषि के लिए 31.12.1970 तक हुए समस्त अतिक्रमणों का नियमितिकरण किये जाने से भी वन सीमाओं की स्थिति में परिवर्तन हो गया था। सीमा रेखाओं की समय पर सफाई होनी चाहिए थी जो नहीं कराई गई है। टूटे हुए मीनारों के स्थान पर नये मीनारें लगाये जाने चाहिए थे वे भी नहीं लगाये गये हैं। कहीं–कहीं पुरानी मीनारें /पत्थर गढी भी मिलते हैं परन्तु उनकी स्थिति में स्पष्ट न होने से वन सुरक्षाकर्मियों को कार्य सम्पादन में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। यह जानकारी करना कठिन हो रहा है कि सीमा पर स्थित खेत अतिक्रमण हैं या नहीं।

'**सीमा रेखा पंजिका**' इस वन मण्डल में संधारित नहीं की जा रही है। जहाँ–जहाँ मीनारें लगे हैं उनको सही रूप से संधारित होनी चाहिये, उन पर रंग करके मीनारों की संख्या व दिशा दर्शाई होनी चाहिए। पिछले कई दशकों से संविभाग व वन खण्ड सीमाओं की सफाई नहीं की गई है। सीमा रेखाओं व मीनारों के संधारण हेतु राजकीय राशि का अभाव रहा है।

सीमा सर्वेक्षण, इस कार्य आयोजना काल में नहीं किया गया है, मण्डल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर ही वन सुरक्षा कार्य वृत्त में उपचार प्रस्तावित किये जा रहे हैं।

रेंज कार्यालयों में वन सीमाओं सम्बन्धी मानचित्र नहीं पाये गये है, जिनसे वन खण्डों की सीमाओं का सही–सही ज्ञान हो सके। वनकर्मियों को संविभागों की विभाजन रेखा की जानकारी करने के आवश्यकता ही नहीं पड रही है क्योंकि वर्तमान में कूप्स कटान पूर्णत बन्द हैं। वन खण्ड पत्रावलियों की प्रति रेंज कार्यालयों में उपलब्ध नहीं पायी गयी जबकि नाका स्तर तक इनकी प्रतियों उपलब्ध होनी चाहिये ताकि वन क्षेत्र से सम्बन्धित खसरों का स्थानीय स्टाफ को ज्ञान हो। पूर्व में पत्थर की मीनारें लगाई जाती थी एवं उनके स्थान पर अब चूने–पत्थर या सीमेन्ट–पत्थर की मीनारें लगाने का कार्य वार्षिक लक्ष्यों अनुसार करवाया जा रहा है। वन क्षेत्रों से बाहर निकाले गये क्षेत्र व उनके स्थान पर आये क्षेत्रों के पुनः नोटीफिकेशन्स का कार्य होना शेष है। जी.पी.एस. से प्रत्येक मीनार की सही–सही स्थिति ज्ञात की जा सकती है, इसलिए प्रत्येक मीनार का जी.पी. एस. से अक्षांश व देशांतर (Longitutude & Latitude) लिया जाये।

1.14 अधिकार व रियायतें

Rights and Concessions

1948 में राजस्थान राज्य की स्थापना के लिए, रियासतों के विलीनीकरण के उपरान्त धीरे–धीरे राज्य सरकार द्वारा वनों पर अधिकार व रियायतों का बोझ डाला जाने लगा। राज्य परिषद के संकल्प संख्या 182 दिनांक 18.02.1949 की अनुपालना में कृषक विशेषकर आदिवासियों को वन उपज लेने संबंधी रियायत हेतु शासन आदेश क्रमांक 136 दिनांक 14.02.1949 से विज्ञप्ति जारी की गई थी। तदुपरान्त, बृहत्त राजस्थान बनने के साथ ही शासन आदेश क्रमांक एफ 1 (428) फोर/49 दिनांक 13.03.1951 से पूर्व में जारी विज्ञप्ति में संशोधन किया गया। रियायतों के प्रश्न पर पुनर्विचार हेतु शासन आदेश क्रमांक एफ 1 (30) फोर/52 दि. 29.04.1952 से सरकारी व गैर सरकारी व्यक्तियों की एक समिति शासन आदेश क्रमांक 4241/एफ 34 (44) रेव/53

दिनांक 24.11.1955 जारी किये गये। इन नियमों के अंतर्गत निम्न प्रकार की रियायतें प्रदान की गई थी।

1. ग्रामीणों व आदिवासियों को कृषि व निर्माण प्रयोजनार्थ मुफ्त लकड़ी।
2. मुफ्त बाड़बंदी हेतु सामग्री।
3. वन से सूखी लकड़ी संग्रहित करने का अधिकार।
4. सर बोझ द्वारा घास एकत्रित करने का अधिकार।
5. खाने योग्य जड़, पत्ते, फल तथा छप्पर हेतु सामग्री एकत्रित करने का अधिकार।

समय के साथ–साथ तत्कालीन आवश्यकतानुसार राज्य सरकार द्वारा राजस्थान वन अधिनियम 1953 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत अनेक प्रकार के अधिकार व रियायतें आमजन को प्रदत्त की गई। निम्न अधिनियम, नियम व शासन आदेशो से वन एवं वन उपज पर अधिकार व रियायतें प्रभावित होती है :–

1. राजस्थान वन अधिनियम, 1953
2. संरक्षित वन नियम, 1957
3. राजस्थान वन उपज (परिवहन) नियम, 1957
4. राजस्थान वन (बन्दोबस्त) नियम, 1957
5. रक्षित वन नियम, 1957
6. राजस्थान रक्षित वन (रियायतों का प्रयोग) नियम, 1960
7. राजस्थान रक्षित वन (अधिकारों का प्रयोग) नियम, 1960
8. राजस्थान रक्षित वन (अधिकारों का प्रत्यर्पण) नियम, 1960
9. राजस्थान संरक्षित वन (अधिकारों का प्रयोग) नियम, 1960
10. राजस्थान संरक्षित वन (रियायतों का प्रयोग) नियम, 1960
11. राजस्थान वन उपज (आरामिलों की स्थापना व नियंत्रण) नियम, 1983
12. राजस्थान सरकार ठेका जंगलात नियम 1958
13. राजस्थान वन उपज (तेन्दू पत्ता) नियम 1974

सन् 1988 में नवीन "राष्ट्रीय वन नीति" जारी की गई। इस नीति में वन प्रबन्ध में आमजन की भागीदारी को बढ़ाने पर मुख्य जोर दिया गया था। इसके फलस्वरूप सन् 1991 में साझा वन प्रबन्ध की प्रणाली का वनों के प्रबन्धन में उपयोग करने के संकल्प के साथ ही स्थानीय ग्रामवासियों को अधिकार व वन रियायतों का दिया जाना एकदम नवीन युग का सूत्रपात हुआ है।

सर्वप्रथम परिभ्रांषित एवं वृक्षविहीन वन क्षेत्रों को पुनः हरा भरा करने में ग्रामवासियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्यादेश क्रमांक एफ 7 (39) 75/90 जयपुर, दिनांक 15 मार्च 1991 जारी किया गया जिसके अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र में कार्यरत संघ ट्री ग्रोवर्स को–ओपरेटिव/वन श्रमिक सहकारी/समिति/ग्राम्य वानिकी सुरक्षा एवं विकास समिति एवं अन्य ऐसी सहकारी समितियों को परिभ्रांषित वन भूमि के टूकड़ो को विकास, सुरक्षा एवं प्रबन्ध का दायित्व सौंपा जा सकता था। और इस प्रकार की जनभागीदारी की एवज में संबंधित संस्था/समिति के सदस्यों को क्षेत्र की सुरक्षा एवं विकास से उत्पन्न होने वाली लघु वन उपज (बांस के अलावा) जैसे घास, पत्ते फल–फूल, टूटी हुई टहनियां इत्यादि सुविधानुसार प्राप्त कर सकते थे। घास व चारा निःशुल्क उपलब्ध था।

तदुपरान्त राज्य सरकार द्वारा राज्यादेश क्रमांक एफ 7(23) वन/90 जयपुर, दिनांक 26 अप्रेल 1991 जारी किया गया जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भूमि, गोचर एवं सरकारी पड़त भूमि पर किये गये वृक्षारोपण में स्थानीय वासियों से सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई। इसमें ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा एवं उपज के वितरण की भी व्यवस्था कायम की गई। इसके अनुसार कम से कम दस वर्षो तक वन क्षेत्र/वृक्षारोपण की प्रभावी तौर पर सुरक्षा एवं देख रेख करने पर अंतिम विदोहन से पूर्व संबंधित समिति को निम्न अधिकार दिए गये–

- समय–समय पर प्राप्त होने वाली निम्न लघु वन उपज घास, पत्ते, सूखी गिरी टहनियां, फलियां, बीज, फूल एवं फल एवं अन्य ऐसी उपज को ग्रामवासी निःशुल्क एकत्र कर सिरबोझ के रूप में निकास कर पायेंगे।
- क्षेत्र में प्राप्त होने वाली मुंजा, बुहारी, एवं खस घास को नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने का प्रावधान है।
- अंतिम विदोहन वन विभाग के विभागीय कार्य मण्डल के माध्यम से किया जायेगा।
- अंतिम विदोहन से प्राप्त वन उपज के संबंध में इसमें प्रावधान किया गया था कि छाल सहित 20 सेमी से कम गोलाई वाली लकड़ी को समिति की सिफारिश अनुसार स्थानीय लोगों में बांट दिया जायेगा।
- 20 सेमी से अधिक गोलाई की लकड़ी को समिति के सदस्यों के समक्ष उप वन संरक्षक विभागीय कार्य मण्डल द्वारा स्थानीय बाजार में प्रचलित दरों पर विक्रय

कर दिया जायेगा अथवा समिति क अनुशंषा पर समस्त प्रकार की लकड़ी को विभागीय कार्य मण्डल द्वारा खुली नीलामी से विक्रय किया जायेगा।

- सन् 2000 में इस संबंध में जारी समस्त पूर्व आदेशों को संशोधित कर राज्य सरकार द्वारा राज्यादेश क्रमांक फ 7 (39) वन/90 जयपुर, दिनांक 17.10.2000 जारी किया गया। वर्तमान में साझा वन प्रबन्धन इस राज्यादेश के अन्तर्गत संचालित है। इस राज्यादेश में वृक्षाविहीन/परिभ्रांषित होने की कगार पर खड़े वन/वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा/विकास/प्रबन्धन में सक्रिय समितियों को निम्न अधिकार व रियायतें प्रदान की गई है :
- अंतिम विदोहन से पूर्व "उससे समय–समय पर प्राप्त होने वाली लघु वन उपज (तेन्दू पत्ता और गोंद को छोड़कर) जैसे घास, पत्तियां, पाला, फलियां फल, फूल बीज, सूखी गिरी पड़ी टहनियां मूंजा (पानी पूला), बुहारी, खस तथा अनुमोदित प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली अन्य लघु वन उपज समिति को निःशुल्क उपलब्ध होगी।
- इस वन उपज की निकासी की प्रक्रिया समिति अपने स्तर पर निर्धारित कर सकेगी।
- विधिवत् अनुबंध उपरान्त कम से कम 5 वर्ष तक समिति द्वारा क्षेत्र की प्रभावी सुरक्षा करने पर, समिति को अनुमोदित प्रबन्ध योजना अनुसार किये गये किसी भी कल्चरल ऑपरेशन से प्राप्त वन उपज के कार्य पर किये गये सरकारी व्यय को घटाने के बाद बकाया पर समिति का अधिकार होगा।
- अनुमोदित प्रबन्ध योजना के अनुसार एवं बड़े ऊंचे वृक्षों की उपलब्धता पर समिति को छंगाई कराने का भी अधिकार होगा।

अंतिम विदोहन से प्राप्त वन उपज व आय के संबंध में इस राज्यादेश में यह व्यवस्था की गई है कि :–

- बांस को छोड़कर छाल सहित 20 से.मी. से कम गोलाई की लकड़ी समिति की सिफारिश पर समिति के सदस्यों को वन अधिकारियों की देखरेख में समानुपात में वितरित कर दी जायेगी।
- छाल सहित 20 से.मी. से अधिक गोलाई की लकड़ी एवं सभी नाप के बांस वन विभाग द्वारा समिति के सदस्यों के समक्ष स्थानीय बाजार में प्रचलित दरों पर सदस्यों के समक्ष स्थानीय बाजार में प्रचलित दरों पर सदस्यों में विक्रय कर दिये जायेंगे।

- समिति के सदस्यों की मांग से अधिक लकड़ी एवं बांस का निस्तारण समिति की सिफारिश के अनुसार सदस्यों के समक्ष वन विभाग के नियमानुसार खुली नीलामी अथवा निर्धारित दर द्वारा विक्रय कर दिया जायेगा।

पंचायत राज अधिनियम, 1992

सन् 1992 में केन्द्र सरकार द्वारा संविधान में 73 वां संशोधन किया गया। इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर अधिक अधिकार देने व पंचायत राज संस्थाओं यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् को सशक्त करने का प्रावधान था। इसी संविधान संशोधन के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा अपनी आज्ञा क्रमांक प 15 (35) वन/97 जयपुर दिनांक 17.07.2003 से राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 50, 51 तथा 52 तथा 53 के क्रम में वन विभाग से संबंधित निम्न दायित्वों, कार्यो व शक्तियों को हस्तांतरण पंचायत राज संस्थाओं – यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद को किया गया है :

1. गैर वन भूमि पर सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी के कार्य।
2. सामाजिक वानिकी हेतु पौधशाला की स्थापना आदि।
3. पंचायत क्षेत्र में वन सम्पदा का रखरखाव व संधारण।

पृथक आज्ञा क्रमांक प 15 (35) वन/97 जयपुर दिनांक 17.07.2003 के अनुसार राजस्थान पंचायत राज (Modification of Provision in their Application in the Sheduled areas) एक्ट 1999 के हित राज्य में वन और गैर वन क्षेत्रों पर पैदा होने वाली समस्त अकाष्ठिय वन उपज (शहद, मोम, लाख, महुआ, फूल ऑयल–सीड्स, जंगली झाड़ियां और शाक, आंवला, बहेड़ा, अरीठा, जामुन, खिरनी, मोलसरी, आम, बेर, लिसोड़ा, तेन्दू आदि के फल घास एवं चारा, पलाश के पत्ते आदि) से होने वाली आय पर अधिकार ग्राम पंचायतों को होगा।

उपरोक्त वर्णन से यह बहुत स्पष्ट उभर कर आता है कि पूर्व की भांति व्यक्तिगत अधिकार दिये जाने के स्थान पर विगत तीन दशकों में सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ ही लाभ का अधिकार दिये जाने की व्यवस्था धीरे–धीरे अमल में लाई गई। वन क्षेत्र के बन्दोबस्त के दौरान स्थापित किये गये अधिकारों व रियायतों के अतिरिक्त वन क्षेत्र व वन उपज के उपयोग के संबंध में वर्तमान में अधिकांश अधिकारों का क्रियान्वयन

वस्तुतः वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति जैसी सामुहिक संस्थाओं के माध्यम से ही किया जा रहा है।

दिसम्बर, 2005 में केन्द्र सरकार द्वारा वन क्षेत्र में आवासित अनुसूचित जनजाति व पारम्परिक वन आवासित समुदायों के सदस्यों के वनक्षेत्र एवं वन सम्पदा के उपयोग के अनेक प्रकार के अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से एक अधिनियम पारित किया है। जिसका नाम है ''अनुसूचित जनजाति एवं गैर पारम्परिक वन आवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006''। दिनांक 02 जनवरी 2007 को यह अधिनियम राष्ट्रीय गजट में भी प्रकाशित हो गया है तथा जनवरी, 2008 से इसके तहत बनाए गए नियम भी लागू हो गये है। इस अधिनियम से केन्द्र सरकार द्वारा वन क्षेत्र पर अपने निर्वाह आजीविका की आवश्यकताओं हेतु निर्भर अनुसूचित जनजाति एवं गैर पारम्परिक वन आवासित समूदायों के सदस्यों को वनक्षेत्र एवं वनसम्पदा पर निम्न प्रकार के अधिकार प्रदान करने का प्रावधान किया है :

1. 13 दिसम्बर 2005 की स्थिति अनुसार अनुसुचित जनजाति के कब्जे में स्थित वन भूमि पर रहने व स्वयं हेतु कृषि कार्य करने का अधिकार एवं अन्य गैर परम्परागत जाति के वन निवासियों को 13 दिसम्बर 2005 को 3 पीढ़ी (75 वर्ष) पूर्व के निवासी होने पर वनभूमि में रहने एवं कृषि कार्य करने का अधिकार।
2. सामुदायिक अधिकार जो पूर्व काल में उनको उपलब्ध थे जैसे निस्तार के अधिकार आदि।
3. पारम्परिक तौर पर उनके द्वारा संग्रहित किये जाने वाले अकाष्ठिय वन उपज के स्वामित्व, पहुँच, संग्रहण, उपयोग व निस्तारण का अधिकार।
4. वन क्षेत्र पर अन्य प्रकार के सामुदायिक उपयोग के अधिकार जैसे मछली, चराई आदि।
5. आवास व आवास स्थान पर सामुदायिक सावधि पट्टेदारी का अधिकार।
6. विवादित भूमि पर अधिकार।
7. वन क्षेत्र में प्रदत्त लीज, पट्टे आदि के खातेदारी में परिवर्तन का अधिकार।
8. वन ग्राम को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने का अधिकार।
9. सामूदायिक वन सम्पदा की सुरक्षा, प्रबन्धन और संरक्षण को अधिकार।
10. स्वीकार्य सामूदायिक अधिकार।
11. जैव विविधता पर पहुँच का अधिकार।
12. स्वयं की बौद्धिक सम्पदा और पारम्परिक ज्ञान के संबंध में अधिकार।

13. अन्य कोई अधिकार जो परम्परागत तौर पर प्राप्त हो।

14. बगैर उचित मुआवजा व विधिक सहायता के अवैध निष्कासन अथवा पुर्नवास होने पर पुनः उसी स्थान पर पुनर्स्थापना का अधिकार।

इन अधिकारों के निर्धारण की प्रणाली भी अधिनियम में निर्धारित की जा चुकी है जिसमें ग्राम सभा द्वारा अधिकार निर्धारण की कारवाई प्रारम्भ की जायेगी, जिस पर उपखण्ड स्तर पर गठित समिति द्वारा विचार कर सिफारिश की जायेगी। अधिकारों का अंतिम निर्णय जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

Chapter – II

S. No.	अध्याय 2		Chapter 2	
	पादप तथा प्राणी जगत		**(Flora and Fauna)**	
	अध्याय 2 अ		**Chapter 2 a**	
	पादप जगत		**Flora**	
2a.1	सस्य की संरचना एवं दशा		Composition and Condition of the Crop	
2a.2	उत्तरी शुष्क मिश्रित पतझड वन (5B/C2)		Champion and Seth Classification	
2a.3	धोक वन (कल्धी) (5/E1 प्रकार)		General Description of the Crop	
2a.4	झाड़ीनुमा धोक वन (5E1–DS)		Degraded Dhok Forest	
2a.5	सालर वन (5 E2)		Salar Forest	
2a.6	बबूल वन (5 E3 प्रकार)		Babool Forest	
2a.7	छीला वन (5/ E5 प्रकार)		Chila Forest	
2a.8	खैर वन		Khair Forest	
2a.9	झाड़ी वन		Scrub Forest	
2a.10	रिक्त एवं घटिका वन क्षेत्र		Blank Forest	
2a.11	सस्य को क्षति पहुंचाने वाले कारक		Factors Injurious to the Crop	
	2a.11.1	मानवीय कारक	2a.11.1	Human Factors
	2a.11.2	जैविक कारक	2a.11.2	Biological Factors
	2a.11.3	प्राकृतिक कारक	2a.11.3	Natural Factors
	2a.11.4	गैर वानिकी कार्य	2a.11.4	Faulty Management
	2a.11.5	दोषयुक्त प्रबन्ध	2a.11.5	Non-Forestry Activities
	अध्याय 2ब		**Chapter 2b**	
2b	**प्राणी जगत**		**Fauna**	
2b.1	सामान्य विवरण		General Description	

	2b.1.1	स्तनपायी वर्ग	2b.1.1	Mammalian
	2b.1.2	पक्षी वर्ग	2b.1.2	Avifauna
	2b.1.3	मत्स्य वर्ग	2b.1.3	Pisces
	2b.3.4	सरीसर्प वर्ग	2b.3.4	Reptiles
	2b.3.5	उभयचर वर्ग	2b.3.5	Amphibia
2b.2	वन्यजीवों को हानि पहुंचाने वाले कारक		Factors Affecting Wildlife	
	2b.2.1	शिकार	2b.2.1	Hunting
	2b.2.2	आश्रय स्थलों का विनाश	2b.2.2	Destruction of Habitat
	2b.2.3	खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव	2b.2.3	Affect on Food Chain
	2b.2.4	संक्रामक रोग	2b.2.4	Contagious Diseases
	2b.2.5	प्रदूषण	2b.2.5	Pollution
	2b.2.6	विकास के दुष्प्रभाव	2b.2.6	Illeffects of Developments
	2b.2.7	बढ़ती आबादी के दुष्प्रभाव	2b.2.7	Effect of Increasing population
	2b.2.8	चराई व कटान	2b.2.8	Grazing and Felling
	2b.2.9	अग्नि	2b.2.9	Fire
	2b.2.10	घटते जंगल	2b.2.10	Reducing Forest Aeas
	2b.2.11	संक्रमण वाली बीमारियां	2b.2.11	Infectious Diseases
	2b.2.12	जलवायु	2b.2.12	Climate
2b.3	जिले में वन्यजीव प्रबंधन		Wildlife Management in the District	
2b.4	वन्य जीव संवेदनशील स्थल		Wild Life Sensitive Areas	
2b.5	वन्य जीवों से संबंधित हमला शिकार दुर्घटना		Cases of Attack / Hunting/ Accidents of Wildlife	

अध्याय – 2 (अ)
पादप जगत
Chapter 2 (A)
Flora

2a.1 सस्य की संरचना एवं दशा

अधिकांश वन क्षेत्र, जिले की विंध्ययन एवं अरावली पर्वतमालाओं की पहाडियों में सीमित है। बूंदी में दो प्रकार के वन पाये जाते हैं धोक वन व मिश्रित वन, परन्तु इनकी कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है।

वन के सस्य की संरचना व दशा मुख्यतः जलवायु व उसके नीचे स्थित भौमिकी, चट्टानों एवं मृदा पर निर्भर करती है। वनों के संरचना जैव कारको पर भी निर्भर करती है जैसे मानवीय हस्तक्षेप एवं पशुओं द्वारा भारी चराई। जैविक प्रभाव के कारण वन अधिकतर स्थानो पर झाडीनुमा हो गये हैं। इन वनों में स्पष्ट परिपक्व श्रेणी उपस्थित नहीं है। समुद्रतल से ऊंचाई का वनस्पति पर कोई विशेष प्रभाव नही रहा है। सस्य का अधिकांश भाग टेडा–मेंढा कटा हुआ तथा परिभ्रांषित है जिसका प्रमुख कारण है जैविक दबाव अधिकांश क्षेत्र बहुत कम घनत्व वाला है या वृक्ष–विहीन है।

चेम्पियन एवं सेठ पुनवर्गीकरण के अनुसार समस्त वन मण्डल के वनों का बहुत बडा भाग शुष्क पतझड़ी ट्रोपिकल वन श्रेणी में आता है। चेम्पियन एवं सेठ के वर्गीकरण अनुसार निम्न मुख्य वर्ग एवं उपवर्ग में वनमण्डल के समस्त वन क्षेत्रों को विभाजित किया गया है।

2a.2 उत्तरी शुष्क मिश्रित पतझड वन (5B/C2)

इस प्रकार के वन बूंदी वन मण्डल की डाबी रेंज के वनखण्ड गुडा राजपुरा, लाम्बाखोह, डाबी पलकान, अम्बारानी, धनेसर धोरेला गरडदा एवं खेरार में पाये जाते हैं और यहां वृक्षों की प्रमुख प्रजातियां है, कल्धी सफेद धोक, सालर एवं गडमार जोकि शुष्क चट्टानी भूमि में बहुतायत में आती है। यहां कल्धी का स्थान सफेद धोक ने ले लिया है, यह स्पष्ट देखा जा सकता है। इस क्षेत्र की अन्य प्रजातियां हैं – सालर, गुर्जन, खैर, तेन्दू, गड़मार, कलम, सेमल, कडाया, बेहेडा, सिरस, आंवला, बेल, कैथ, लिसोडा, अमलताश, पलाश, खिरनी, गोया खैर हिंगोट, बेर एवं झींझा आदि।

क्षुप– अडूसा, लाल बेर, ग्रिव्या आदि।

छोटे पौधे– आंधी झाडा, ट्रोफोशिया, आधाशीशी, मकोय, आंकडा, धतूरा एवं जंगली चौलाई आदि।

घास – पोर्लाड, लापला, गन्देल आदि बहुत कम स्थानों पर व कहीं–कहीं बाँस भी पाया जाता है।

ये वन मार्च से जून तक पत्ते–विहीन रहते हैं और अधिकतर इसी अवस्था में इनमें फूल आते हैं। इन वनों में कही–कही शुद्ध सालर के भाग भी पाये जाते हैं।

पारिस्थितिकी स्तर – इन वनों में सफेद धोक मिलना यह दर्शाता है कि ये वन विकास के चर्मोतकर्ष पर है परन्तु जहां लगातार अनियंत्रित कटान, अत्यधिक चराई एवं आग लगने की घटनाएं होती है, तथा विकास की गति उल्टी दिशा में हो जाती है।

2a.3 धोक वन (कल्धी) (5/E1 प्रकार)

ऐसे वनों में कल्धी मुख्य प्रजाति होती है और कहीं कहीं यह 80 प्रतिशत से भी अधिक है। इस वन मण्डल की समस्त रेंजों में मुख्यत इस ही प्रकार के वन है। ऐसे वनों में कल्धी की सह प्रजातियां खैर, खिरनी, काकोन, बेर, पलाश व सिरस हैं ।

सह प्रजातियां कलम, जामुन, रोली, बांस हैं जो कि कम स्थानों पर पायी जाती है।

अधोवन – बेर, अडूसा, आधासीसी, कैर, पंवार एवं आंधीझाड़ा थोड़ी कम संख्या में मरोडफली व बज्रदन्ती भी मिलती है। इन क्षेत्रों में घास कम होती है। पर जहाँ जहाँ खुले व रिक्त स्थान है वहां लापला, सूरवाला, पोलार्डा व गन्देल भी मिलते हैं।

कल्धी प्रायः धीमी गति से बढने वाला वृक्ष है जिसकी सामान्यतः ऊंचाई 8 मीटर के आस–पास होती है परन्तु जहां जलवायु बहुत उपयुक्त होती है इसकी वृद्धि 11 मीटर तक पायी गयी है।

पारिस्थितिकी स्तर

धोक वनों की अधिकतर प्रजातियों में शुष्क बनने की क्षमता होती है, शुष्क वनों में कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे जलवायु, मृदा व जैविक, जिनका वन प्रायः सामना करते रहते हैं, ये वन अपने आपको इन परिस्थितियों में ढाल लेते हैं जिससे कुछ प्रजातियां सस्य बना विकास कर लेती है और प्रमुख हो जाती है। ऐसे क्षेत्रों में धोक

प्रमुख प्रजाति होती है, हालाकिं यह विभिन्न प्रकार की भौमिकी व मृदाओं पर पायी जाती है। यदि सुरक्षा मिल जाये तो धोक 100 वर्ष तक विपरीत परिस्थितियों का संघर्ष करता है व प्राकृतिक पुर्नजनन भी करता है। धोक व खैर शुद्व रूप में पाये जाते हैं व मिश्रित रूप में भी और यह जानना कठिन हो जाता है कि वह क्या कारक है जिसके कारण धोक प्रमुख हो गया। यह देखा गया है कि जहां खैर के शुद्ध वन हैं धोक वहां से लगभग गायब हो गया है। जिसका मुख्य कारण यह रहा होगा कि धोक जलाऊ लकड़ी के लिये उपयुक्त होने के कारण बार–बार काटा गया है। इसलिये खैर के क्षेत्रों में धोक का स्थान बेर ने ले लिया है। चट्टानी क्षेत्र जहां मृदा बहुत कम गहरी है व पत्थरों युक्त है वहां भी धोक वृक्षों की कमी होती गई है। खुले क्षेत्रों में पहाड़ियों की ढलान पर व नालों में धोक के क्षेत्र देखे जा सकते हैं। अनियंत्रित कटान व मवेशी द्वारा चराई ने धोक समाप्ति को बढावा दिया है। इन सभी विपरीत परिस्थितियों वश धोक की वृद्धि व घनत्व कम हो गया है व जगह–जगह रिक्त स्थान बन गये हैं।

2a.4 झाड़ीनुमा धोक वन (5E1–DS)

वन मण्डल, बून्दी में 60 प्रतिशत धोक परिभ्रांषित रूप में पाया जाता है। कहीं–कही पर बीज से या कापिस से प्राप्त धोक वन झाड़ीनुमा हो गये हैं, ऐसे वन पहाड़ियों के नीचे ढ़लानों पर है या आधार स्थानों पर पाये जाते हैं। इस प्रकार के वन सभी छह रेंजों में देखने को मिल जाएंगे।

पारिस्थितिकी स्तर

इस प्रकार के वन पहाड़ियों के नीचे ढलानों या आधार में इसलिये पाये जाते हैं क्योकि भूक्षरण के कारण मृदा पहाडी ऊपर से बहकर नीचे आ जाती है। मानवीय बस्तियों के पास ऐसे वन होने पर यहां मवेशीयों द्वारा नयी पौध बार–बार चर ली जाती है या कुचल दी जाती है। बस्ती के लोग जलाऊ लकड़ी के लिये इन वृक्षों की बार–बार कटाई कर देते हैं, ताकि उनके दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यह अवस्था धोक के पूर्णतः हट जाने के पहले वाली व अन्तिम अवस्था है।

2a.5 सालर वन (5E2)

खुले वन क्षेत्रों में पहाड़ियों के ऊपरी भाग में सालर के परिपक्व या पोल क्रोप के रूप में पाये जाते हैं जहां शुष्क पहाड़ वाले वन दबे हुए रूप में रह जाते हैं। ये वन माह फरवरी से जून तक पत्ते–विहीन रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में घास व पौधे कम पाये जाते हैं।

ये वन विभिन्न प्रकार के चट्टानी क्षेत्रों में पाये जाते हैं विशेषतः स्टिलाईनिक और कभी कभी लेटेराईनिक चट्टानों पर जैसे – शेल व पहाड़ियों की चोटियों, पहाड़ियों के उठे हुए भागों या ऐसे पठार जहाँ पानी आसानी से बह जाता है। इनकी सह प्रजातियां हैं गुर्जन, कड़ाया एवं सफेद धोक ये वन समुद्रतल से 400 मी. अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पाये जाते हैं। परन्तु 300–400 मीटर की ऊँचाई वाले क्षेत्रों में मिश्रित वनों के रूप में पाये जाते हैं। जिसमें मुख्य सह प्रजाति कल्धी है। ये वन बूंदी रेंज के भैंरूपुरा व झरपीर वन–खण्डों में देखे जा सकते हैं एवं डाबी क्षेत्र के वन खण्ड अम्बारानी गुढ़ा, राजपुरा, डाबी, पलकान, लाम्बाखोंह, घोरेला गरडदा में भी पाये जाते हैं।

पारिस्थितिकीय स्तर

इस प्रकार के वनो का अधिकांश स्थानो पर विकास स्थिर हैं इसका मुख्य कारण है कि ये वन अग्नि से अप्रभावी रहते हैं और अनियंत्रित अवैध कटान होने पर कल्धी के वृक्ष तो काट लिये जाते हैं व सालर को छोड़ दिया जाता है। जिसकी कॉपिस की क्षमता कम होती है। पुर्नजनन देखने में नहीं आता परन्तु ऐसे पूरे क्षेत्र में परिपक्व व अधिक परिपक्व बहुत से वृक्ष देखने को मिल जाते हैं।

2a.6 बबूल वन (5E3 प्रकार)

इस प्रकार के वनों का सीधा सम्बन्ध काली मृदा से है। वनक्षेत्रों की तलहटी बबूल के वृक्षों से घने रूप में आच्छादित है। के साथ इसकी कुछ सह प्रजातियां आ जाती हैं । स्थानीय भाषा में बबूल की बनी को 'राडी' कहते हैं। इस प्रकार के वन का बहुत अच्छा उदाहरण है नैनवा रेंज के वनखण्ड 'नैनवा देई' के वन क्षेत्र है।

2a.7 छीला वन (5/E5 प्रकार)

वन मण्डल के समतल व गहरी मृदा वाले भागों में ये घासयुक्त वन पाये जाते हैं। जिनमें छीला के वृक्ष छितरे हुए एवं विस्तृत रूप में पहाड़ियों के नीचे वाले ढलानों पर पाये जाते हैं। परिभ्रांषित वनों में ये मुख्य सह प्रजाति के रूप में मिलते हैं समस्त वन क्षेत्र में इस प्रकार के वनों के भाग छितरे हुए पाये जाते हैं। घाटियों में ढाक की सह प्रजाति जाल व करील है।

2a.8 खैर वन

खैर के शुद्ध क्षेत्र कम चौड़ाई की पट्टी के रूप में अन्य प्रकार के वनों के बीच बीच में पाये जाते हैं। डाबी रेंज में जहां–जहां खुले क्षेत्र हैं, उनमें बेर के साथ में विस्तृत भू–भाग में भी पाये जाते हैं विशेषतः वन खण्ड रामपुरिया, करूंदी, एवं खैरपुर में। घाटियों में ये कल्धी क्षेत्रों में भी पाये जाते हैं वन खण्ड भैंरूपुरा, झरपीर, भोजपुर, नीम का खेड़ा आदि में विस्तृत रूप से शुद्ध सस्य के रूप में पाये जाते हैं। खैर के सहयोगी वृक्ष बेर, कल्धी, एवं तेन्दू, पठार के ऊपर शुद्ध खैर के वृक्ष टेढे मेंढें एवं छोट्टे होने कं कारण ऐसा प्रतीत होता है मानो झाड़ी वन हो। खैर का पुर्नजनन बहुत कम आ रहा है और 'बरडा' क्षेत्र में तो पूर्णत अनुपस्थित है।

पूर्व में जो कत्था कूप्स में खैर के वृक्ष काटे गये उनमें पुर्नजनन नहीं हुआ क्योंकि जिन क्षेत्रों में वन काटे गये वहां उचित सुरक्षा के अभाव में मवेशी अनियंत्रित चराई करती रही व नई पौध को कुचलती रही।

पारिस्थितिकीय स्तर

जैविक प्रभाव यहां अधिक प्रभावशाली है।प्रतिवर्ष वर्षा काल मे हजारों की संख्या में चरवाहे उनके गांवों से भेड़ों को लेकर बून्दी, कोटा होते हुए मध्यप्रदेश में जाते हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में ऊंट भी होते हैं। ये भेड़ व ऊंट जिस मार्ग से गुजरते हैं वहा अंकुरित समस्त प्रजातियों के पौधों को चर जाते हैं जिससे मात्र वर्तमान वनस्पति को ही हानि नहीं होती वरन् वृक्षों के भविष्य में पुर्नजनन की संभावनाओं पर भी पानी फिर जाता है।

2a.9 झाड़ी वन

इस प्रकार के वन कन्दराओं वाले भाग तक सीमित है और ये के. पाटन व नैनवा रेंज तक ही सीमित रहे हैं। यहां की वनस्पति कांटेदार है जिसमें अकेशिया, विलायती बबूल, गोयाखैर, ककेड़ा एवं करील आदि प्रमुख प्रजातीयॉ है ।

कन्दराओं में काटेदार वृक्षों के वन 6B/C_2 प्रकार) –

ये वन चम्बल प्रणाली की नदियों के किनारे पाये जाते हैं। ऐसे वन क्षेत्रों के प्रमुख प्रजातियां हैं, कुमठा, जाल रोंझ, गोया खैर, करील, हिंगोट, कंकेड़ा, छीला एवं बहुत कम संख्या में सेमल। यहॉ सस्य अनियमित व कम घनत्व वाली है (0.1 घनत्व) केवल

कुछ वर्चस्व वाले वृक्षों की ऊँचाई 5 मीटर तक पहुँचती है। छोटे पौधे भी अधिक नहीं पाये जाते और उनकी मुख्य प्रजातियाँ हैं लालबेर, गंगेरन, करोंदा, अडूसा एवं नेगड़। घास अत्यधिक चराई के वजह से कम ही पाई जाती है और इसकी प्रमुख प्रजातियां – लापला, सूरवाला, डाब एवं करड़ है।

पारिस्थितिकीय स्तर

लगातार भू–क्षरण एवं जैविक दबाव के कारण उपयोगी वृक्षों को काट लिया जाता है जिससे उनका अनुपात प्रतिवर्ष कम होता जाता है।

2a.10 रिक्त एवं घटिका वन क्षेत्र

रिक्त एवं घटिका वन क्षेत्र पूरे वन मण्डल में फैले हुए हैं और ये सभी प्रकार के वनों की परिभ्रांषित अवस्था है। पहाड़ियों के चोटियों पर, पठारो पर व पहाड़ियों की सामान्य ढलानों पर विस्तृत क्षेत्रों में घास युक्त क्षेत्र पाये जाते हैं। इन रिक्त स्थानों का जैविक व भौमिक कारकों से सीधा सम्बन्ध है। विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के वृक्ष इन क्षेत्रों में छितरे हुए दिखाई पड़ते हैं। इन क्षेत्रों में वनस्पति का घनत्व 0.0 से 0.2 तक का है। ये घास वाले रिक्त स्थान शुष्क घास वन से मिलते–जुलते हैं।यदि इन क्षेत्रों की उचित सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाये तो ये वृक्षों वाले वन में परिवर्तित हो सकते हैं। धोक के वनों में पायी जाने वाली घासों के अतिरिक्त इन क्षेत्रों में रातेड़ा (Apluda mutica and Thameda quardivalvis) भी पायी जाती है। घास क्षेत्र की घटिया प्रजातियां जैसे लापला एवं सूरवाला में विकास होने पर क्रायसोपोगोन, एरेमोपोगान एवं वोंथियोछोला के उपरान्त सीन व करड़ घास आती हैं।

इन घास वाले रिक्त स्थानों के अलावा वन मण्डल में ऐसे अनुत्पादक रिक्त स्थान भी हैं जहां चट्टाने निकल आयी है और जिन पर मृदा लगभग नहीं के बराबर है ऐसे स्थान हिंडोली व डाबी के पास है ।बारम्बार कटाई व चराई के कारण ही ऐसे रिक्त स्थान उत्पन्न हुए हैं, प्रबन्धन की सुविधा की दृष्टि से बूंदी वन मण्डल के वनों के विस्तार को निम्न प्रकार समझा जा सकता है :

प्रबन्धन की सुविधा की दृष्टि से बूंदी वनमण्डल के वनों के विस्तार को निम्न प्रकार समझा जा सकता है :–

क्र.स.	प्रकार	क्षेत्रफल (हैक्टयर में)	कुल क्षेत्र का प्रतिशत
1	धोंक	21295.67	17.55
2	परिभ्रांषित धोंक	9181.5	7.57
3	घास एवं प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा	15244.42	12.56
4	मिश्रित वन	26819	22.11
5	रिक्त	48740.41	40.18
	योग	121281.19	100

स्त्रोत :– वन क्षेत्र के फील्ड सर्वेक्षण व एरिया स्टेटमेंन्ट के अनुसार

2a.11 सस्य को क्षति पहुंचाने वाले कारक

वनों को क्षति पहुंचाने वाले बहुत से कारक हैं। पेड़ पौधों को मुख्यतः अग्नि, मनुष्य, पशु पक्षियों, बेल/लताओं कीड़ों, बाढ़, प्रतिकूल जलवायु फफूंद द्वारा क्षति होती है। कुछ प्राकृतिक कारणों के अलावा वनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले समस्त कारण मानव जनित हैं जिन पर नियंत्रण पाना असंभव नहीं हैं। वैसे अलग–अलग एवं एक–एक कारक के प्रभाव को देखा जाये तो ये कारण बहुत छोटे लगते हैं, परन्तु इन सबका एक साथ प्रभाव वनों को भीषण क्षति पहुंचाता है।

वन क्षेत्रों को क्षति पहुंचाने वाले कारक निम्न हैं -

i) मानवीय कारक (अवैध कटान, छंगाई, खेती, पशु चराई, अग्नि)

ii) जैविक कारक(भेड व मवेशी प्रवास, बेल, लताऐं, परजीवी पौधे, जानवर, फंगस व कीड़े)

iii) प्राकृतिक कारक (सूखा, पाला आंधी, तूफान एवं पानी का भराव)

2a.11.1 मानवीय कारक

मनुष्य ने जाने अनजाने में वनों को काफी क्षति पहुंचाई है। अवैध कटान, अवैध काश्त, चराई, अतिक्रमण, अवैध खनन कार्य, अग्नि आदि कारणों से वनों को भारी हानि हुई है।

2a.11.1(i) अवैध कटाई/छंगाई

वनों की कटाई/छंगाई / की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। वृक्षों की जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी एवं चारे आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वृक्षों का, विशेषतः धोक, बेर प्रजाति, सालर, आदि का अवैध कटान/छंगाई स्थानीय लोगों द्वारा

किया जाता रहा है। वर्षा ऋतु में ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति के लिये माह अप्रैल – जून तक इन वन क्षेत्रों में काफी मात्रा में अवैध कटान होता है।इसके अतिरिक्त ग्वालों द्वारा छंगाई से वर्तमान वनस्पति को हानि होती है वन क्षेत्रों से सिर भार से काफी लकड़ी निकाली जाती है, जिसे बेचकर वे अपनी जीविका चलाते हैं। बूंदी वन मण्डल में संधारित अभिलेखों के अनुसार गत 10 वर्षों में वन क्षेत्रों में अवैध कटान के उपलब्ध करवाए गए प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार हैं:–

क्रम संख्या	वर्ष	दर्ज प्रकरणों की संख्या
1	2000-01	322
2	2001-02	365
3	2002-03	289
4	2003-04	380
5	2004-05	412
6	2005-06	449
7	2006-07	219
8	2007-08	196
9	2008-09	212
10	2009-10	209
11	2010-11	147
12	**2011–12**	**168**
	योग	3368

2a.11.1 (ii) **चराई**

आबादी के आस–पास वाले क्षेत्रों में वनस्पति नहीं है। वनक्षेत्रों में खुली व अनियंत्रित चराई से काफी क्षति होती है, इसके अतिरिक्त, वर्षा काल में पश्चिमी राजस्थान से रेबारी लोग अपनी भेड़ों को चराई हेतु बून्दी, कोटा होते हुए मध्यप्रदेश में जाते हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में ऊंट भी होते हैं। ये भेड़ व ऊंट जिस मार्ग से गुजरते हैं अनियंत्रित वहां अंकुरित समस्त प्रजातियों के पौधों को चर जाते हैं जिससे वनक्षेत्र के सस्य, उत्पादकता आदि को हानि होता है। इसके कारण कोमल पौधे नष्ट हो जाते हैं, पौधे कुचल दिये जाते हैं, मृदा सख्त हो जाती है व छोटे प्रस्फुटित प्ररोह (कॉपिस शूट्स) चर व कुतर लिये जाते हैं। नए वृक्षारोपण क्षेत्रों में चूहों आदि से क्षति होती है। गांवों के पास और आबादी वाले क्षेत्रों में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। इन क्षेत्रों में पुर्नजनन पर काफी असर पड़ता है।

वनमण्डल बूंदी में संधारित अभिलेखों के अनुसार गत 10 वर्षों में वन क्षेत्रों में अवैध चराई के प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार हैं :–

क्र.स.	वर्ष	दर्ज प्रकरणों की संख्या
1	2000	141
2	2001	538
3	2002	578
4	2003	449
5	2004	410
6	2005	534
7	2006	499
8	2007	516
9	2008	499
10	2009	470
11	2010	442
12	2011	102
13	2012	76
	योग	**5254**

2a.11.1(iii) अतिक्रमण एवं अवैध काश्त

वन भूमि पर अतिक्रमण कर उसका गैर वानिकी उपयोग जिले में वन आवरण घटने व वन क्षेत्र के परिभ्रांषित एवं अनुत्पादक होने का सबसे प्रभावी कारक हैं। जनसंख्या के दबाव, और कृषि भूमि के विस्तार से वन भूमि पर अतिक्रमण निरंतर बढ़ रहा है। विशेषकर वनों की सीमाओं से लगी हुई कृषि भूमि के मालिकों द्वारा वन भूमि पर काश्त करने की प्रवृति प्राचीनकाल से देखी गई है। इन वन क्षेत्रों की सीमायें तय मीनारें लगाये जा चुके हैं फिर भी इन क्षेत्रों में अतिक्रमण जारी है। इस कारण कुछ वृक्ष प्रजातियों का पतन भी हो गया है, तथा अनेक प्रजातियों की संख्या में भारी कमी हो रही है। कुछ वन खण्डों में अवैध काश्त को बढ़ावा देने के लिए अतिक्रमियों द्वारा मीनारों को या तो हटा दिया जाता है या उनको किसी अन्य स्थान पर लगा दिया जाता है। आधुनिक संसाधनों की इन वन क्षेत्रों तक पहुंच भी इन अवैध कार्यों को बढ़ावा दे रही है।

वनमण्डल अभिलेखों के अनुसार वन क्षेत्रों में भूमि अतिक्रमण प्रकरणों की संख्या व प्रभावित क्षेत्रफल निम्नानुसार है

क्र. सं.	वनमंडल	रेंज	अतिक्रमण की संख्या	अतिक्रमण का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	बूंदी	बूंदी	289	89.99
2	बूंदी	हिण्डोली	799	1292.15
3	बूंदी	नैनवा	234	233.34
4	बूंदी	इन्द्रगढ़	121	202.1
5	बूंदी	केशवराय पाटन	37	53.63
6	बूंदी	रामगढ़	476	42.92
7	बूंदी	डाबी	533	1703.12
	योग		**2489**	**3617.25**

अतिक्रमण प्रकरणों का रेंजवार विस्तृत विवरण निम्ननानुसार है :–

क्रं0सं0	रेंज	नाम वनखण्ड	अतिक्रमण की संख्या	अतिक्रमण क्षैत्रफल (है0)
1	बूंदी	राडी गोबरिया	8	20.8
2	बूंदी	कांटी अस्तोली	265	11.75
3	बूंदी	गुढ़ा नीम का खेड़ा	16	27.36
		रेंज योग	**289**	**59.91**
4	डाबी	डसालिया ए0	73	180
5	डाबी	डसालिया बी0	27	60
6	डाबी	लाम्बाखोह	32	77
7	डाबी	डाबी पलका	66	127
8	डाबी	धोरेला–गरडदा	43	73
9	डाबी	मराड़ी	30	56
10	डाबी	गुवांर	25	64
11	डाबी	गोलपुर	7	11.2
12	डाबी	धनेश्वर	14	25.6
13	डाबी	खडीपुर	63	200
14	डाबी	करोन्दी	20	150

15	डाबी	भरता बावडी	71	115
16	डाबी	अमलात अनार खो	3	50
17	डाबी	कछालिया	8	200
18	डाबी	लक्ष्मीपुरा	12	150
19	डाबी	रामपुरिया	22	149.6
20	डाबी	जाखमुण्ड	17	14.72
		रेंज योग	**533**	**1703.12**
21	के0 पाटन	जरखोदा	25	41.45
22	के0 पाटन	मांगली ए0	5	4
23	के0 पाटन	रामगंज	2	1.62
24	के0 पाटन	ख्यावदा	5	6.56
		रेंज योग	**37**	**53.63**
25	नैनवा	देई–नैनवां ए0	21	31.74
26	नैनवा	देई–नैनवां बी	4	7.84
27	नैनवा	देई–नैनवां सी	41	7.20
28	नैनवा	देई–नैनवां डी	22	3.52
29	नैनवा	चेनपुरिया–लक्ष्मीपुरा	23	36.32
30	नैनवा	तलवास	24	25.44
32	नैनवा	बांसी दुगारी	33	38.72
33	नैनवा	जजावर ए	66	82.56
		रेंज योग	**234**	**233.34**
34	इन्द्रगढ	बटावती	4	3
35	इन्द्रगढ	अरियाली–बुढ़करवर	53	67.3
36	इन्द्रगढ	मोहनपुरा	3	3
37	इन्द्रगढ	गेण्डोली	11	12
38	इन्द्रगढ	माताजी वाला	5	9.28
39	इन्द्रगढ	बन की डडवाडा डी.	25	53.92
40	इन्द्रगढ	सालमदरा	3	5.6
41	इन्द्रगढ	पापडी	15	44.8
42	इन्द्रगढ	कांकरा	2	3.2
		रेंज योग	**121**	**202.1**
43	हिण्डोली	खीण्या	42	7.24

44	हिण्डोली	नैगढ़	2	3.52
45	हिण्डोली	बन्धा का खेड़ा	23	46.08
46	हिण्डोली	नहारगढ़ – भोजगढ़	10	24.16
47	हिण्डोली	औधन्धा	114	367.3
48	हिण्डोली	उमर – माता	7	13.12
55	हिण्डोली	बडगांव	14	27.04
56	हिण्डोली	फालेन्डा	35	48.64
57	हिण्डोली	रेण ए0	37	54.72
58	हिण्डोली	रेण बी0	74	129.12
59	हिण्डोली	अकलोर–पानीढाल	109	140.48
60	हिण्डोली	हिण्डोली–काछोला	83	139.52
61	हिण्डोली	टोकडा बी0	18	19.2
62	हिण्डोली	टोकडा ए0	6	5.776
63	हिण्डोली	डाटून्दा	40	40.48
64	हिंण्डोली	डाटून्दा	19	30.08
65	हिण्डोली	बान्डी मराडी	95	103.36
66	हिण्डोली	ओवन	56	74.88
67	हिण्डोली	उमर – पगारा	15	47.52
		रेंज योग	**799**	**1292.15**
महायोग			**2013**	**3574.336**

2a.11.1(iv) अवैध खनन

इस वनमण्डल के अधिकांश क्षेत्र में अच्छी किस्म के पत्थर मिलते हैं। डाबी आदि कुछ क्षेत्रों में खनन कार्य नियमानुसार चल रहा है। अवैध खनन से वन क्षेत्र काफी प्रभावित हो चुका है। अवैध खनन की वजह से भू–दृश्य खराब होता जा रहा है। मुख्यतः अवैध संभावित खनन बालाजी की घाटी, जजावद, जैतपुर, रूणिजा, धांधडी, अरियाली बुढकरवर, खजुरीवाला आदि क्षेत्र है।

बूंदी वन मण्डल में संधारित अभिलेखों के अनुसार गत 10 वर्षों में वन क्षेत्रों में अवैध खनन के दर्ज प्रकरणों की संख्या निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	वर्ष	दर्ज प्रकरणों की संख्या
1	2000	100
2	2001	138
3	2002	87
4	2003	86
5	2004	71
6	2005	94
7	2006	83
8	2007	62
9	2008	74
10	2009	101
11	2010	72
12	2011	83
13	2012	112
योग		**1163**

2a.11.1(v) **अग्नि**

वनों में प्राकृतिक कारणों से बूंदी वनमण्डल में कोई विशेष हानि नहीं हुई है। अप्रैल से जून के महीने में यहां का तापमान 45° सेन्टीग्रेड तक पहुंच जाता है। गर्मी के मौसम में शुष्क पर्णपाती वन होने की वजह से वनखण्डों की पहाड़ियों में अधिकांश पादप व घास सूख जाने पर आग लगने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। कभी कभी लोगों की लापरवाही की वजह से भी आग लगकर फैल जाती है ।

अग्नि रेखाएँ (फायर–लाइन्स) की नियमित सफाई होने से इस क्षति से वनों को बचाया जा सकता है।

2a.11.2 **जैविक कारक**

(i) **भेड़ों का निषक्रमण :**

राज्य में पाली, जालौर, नागौर आदि जिलों में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में चरवाहे वर्षा काल में उनके गांवों से भेड़ों को लेकर बून्दी, कोटा होते हुए मध्यप्रदेश में जाते हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में ऊंट भी होते हैं। ये भेड़ व ऊंट जिस मार्ग से गुजरते हैं वहा अंकुरित समस्त प्रजातियों के पौधों को चर जाते हैं जिससे मात्र वर्तमान

वनस्पति को ही हानि नहीं होती वरन् वृक्षों के भविष्य में पुर्नजनन की संभावनाओं पर भी पानी फिर जाता है। ये ग्रामीण वर्षाकाल में रेगिस्तानी क्षेत्रों से इसलिये प्रवास (Migration) करते हैं क्योंकि उनके गांवों के पास की भूमि पर खेती की जाती है। ये चरवाहे, भेड़ चरा कर 3–4 दिन एक क्षेत्र में रूक कर आगे बढ़ जाते हैं, इस प्रकार बून्दी वनमण्डल के लगभग समस्त वन क्षेत्रों को विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं। यह भेड़ों का प्रवास कई बार जिले में कानून व व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। ये चरवाहे सपरिवार चलते हैं, स्थान–स्थान पर केंप करते हैं व साथ में बकरी, गधे व ऊंट रखते हैं। इनके द्वारा जब घास व चारा बहुत बड़ी मात्रा में चर लिया जाता है तो स्थानीय पशुओं व वन्य जीवों के भूखा मरने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन भेड़ों के झुण्डों का बून्दी वन क्षेत्रों में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाना चाहिये क्योकि वर्तमान में ये क्षेत्र पहले से ही बहुत जैविक दबाव में हैं, परन्तु इस समस्या का निदान उच्च स्तर पर नीति निर्धारण कर किया जाना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण उपचार है जिन क्षेत्रों से भेड़ें अप्रवास आरम्भ करती है उन क्षेत्रों में ही अच्छे चारागाह, सेवन, धामण घास के व चारे वाले वृक्षों के तैयार किये जावें। जब तक ये चारागाह पश्चिमी राजस्थान में विकसित नहीं हो जाये, निम्न सुधारों पर क्रियान्वयन आरम्भ किया जाये।

- प्रत्येक भेड़ों के झुण्ड के मालिक को उनके मूल निवास वाले जिले के अप्रवास अधिकारी से एक पहचान पत्र बनाकर अपने साथ रखना होगा इस पहचान पत्र में उसका नाम, पिता का नाम, उम्र, पता, फोटो व कहां से कहां तक जायेगा, कौन–सा मार्ग अपनावेगा, भेड़ों व अन्य पशुओं की संख्या आदि तथ्य स्पष्ट दर्शित होंगे।
- प्रत्येक भेड़ चरवाहे (रेवड़ मालिक) के द्वारा अपनाये जाने वाले मार्ग का विवरण व काल पूर्व में ही निश्चित किया जायेगा।
- समय–समय पर जारी किये गये राज्यादेशों के अनुसार प्रत्येक चरवाहे को शुल्क जमा कराना होगा।

वनस्पति पर जैसे जैविक परिस्थितियों में सुधार होगा खैर का स्थान धोक ले लेगा।

2a.11.2 (ii) **जानवर, कीड़े व फफूंदी**

जानवर, कीडे व फफूंद वनों को क्षति पहुंचाने के प्रभावी कारक है। जानवर जैसे मवेशी, जंगली जानवर, पक्षी जैसे जंगली आम्या व बया, कीड़े जैसे टिड्डे आदि भी भारी मात्रा में वन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाते हैं। चराई से मुख्यतः वृक्षारोपण क्षेत्रों को हानि होती है। दीमक व फफूंदी से नव प्रस्फुटित पुनरोत्पादन पर घातक प्रभाव पड़ता हैं।

फफूंदी जैसे फोम्स बेडियल शीशम व खैर के वृक्षों पर उगती है तथा उनकी लार काष्ठ को गला देती है। इन वनक्षेत्रों में दीमक का प्रभाव काफी रहता हैं जिस के कारण पौधों को बार बार बदलना पड़ता है और इन सब में काफी व्यय भी करना पड़ता है। वनों को बचानें के लिये दीमक का उपचार अत्यन्त ही अनिवार्य है।

2a.11.2 (iii) **लतायें**

बेल, लताऐं व परजीवी जैसे कैपेरिस साइलेमिका, पीलवानी, रत्ती, (एब्रस प्रिकेटोरियस), अमर बेल, नाहरकांटा आदि की तेजी से होती वृद्धि से पेड़–पौधों को क्षति पहुंचाती है।

2a.11.3 **प्राकृतिक कारक**

2a.11.3 (i) **बाढ़**

इस जिले में बाढ़ की संभावना बहुत कम है। वर्षा के आंकड़ों के अनुसार माह जुलाई में 350–450 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई हैं। वर्षा काल में पानी के तेज बहाव के कारण मृदा बह जाती है जिससे वृक्षों की जड़ें ऊपर आ जाती है व पेड़ों को हानि पहुंचती है। पानी के तेज बहाव के कारण मृदा की ऊपरी उपजाऊ सतह बह जाती है और उसका अपक्षरण हो जाता है, जिसके कारण न केवल उपजाऊ भूमि ही नष्ट होती है अपितु कृषि भूमि भी अनुपजाऊ हो जाती है।

2a.11.3 (ii) **तुषार**

तापमान बहुत नीचे गिरने से तुषार–पात होता है। उसे पाला पड़ना भी कहते हैं। इन क्षेत्रों में अभिवहन तुषार पात बहुत आम बात है। इसका प्रकोप रेतीले क्षेत्रों में या शुष्क क्षेत्रों में अधिक महसूस होता है। तुषार–पात के कारण छोटे पौधों को काफी क्षति होती है। इसका प्रकोप अधिक होने से छोटे ही नहीं वरन् बड़े पौधे भी मर जाते हैं। पौधे की कोशिकाओं के बीच के पानी के जमने से कोशिकाओं के अंदर का जल बाहर खिंचता है। फलस्वरूप कोशिका सूखने लगती है। कभी कभी कोशिकाओं के अंदर भी जल जम जाता है और परिणामस्वरूप जीवद्रव्य तथा कोशिका भित्ति को क्षति पहुंचती है। कभी–कभी इस जमाव के कारण जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है, फलस्वरूप पौधे मर जाते हैं।

2a.11.3 (iii) **सूखा**

वर्षा की अनिश्चित्ता से जिले में प्राकृतिक पुर्नजनन, छोटी पौध एवं कृत्रिम वृक्षारोपण पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सूखा, इन वन क्षेत्रों में किए गए वनीकरण प्रयासों को काफी हानि पहुंचाता है।

2a.11.4 **गैर वानिकी कार्य**

विगत दो दशकों में वन क्षेत्रों का उपयोग अनेक प्रकार के गैर वानिकी कार्यों हेतु किया गया है। वनमण्डल कार्यालय में संधारित किए गए अभिलेखों के अनुसार विगत दो दशकों में गैर वानिकी कार्यों का अभिलेख निम्नानुसार है :–

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनारक्षण प्रकरणों का विवरण

क्रं0 सं0	अनारक्षण प्रकरण का नाम	वर्ष	नाम वनखण्ड	गांव का नाम	अनारक्षित क्षेत्रफल (है0 में)	अनारक्षण प्रयोजन
1	बून्दी दूरदर्शन रिले केन्द्र वनखण्ड शिकार बुर्ज में वनभूमि प्रत्यावर्तन	1989	शिकार बुर्ज	बून्दी	1.12	दूरदर्शन प्रसारण हेतु।
2	सेण्ड स्टोन माईन्स के0 एल0 घाटीवाला धनेश्वर–डसालिया–सूतड़ा	2000	डसालिया बी0	सूतडा, धनेश्वर	104.34	खनन प्रयोजनार्थ।
3	लाईम स्टोन माईन्स ए0सी0सी0 सीमेंन्ट फेक्ट्री लि0 लाखेरी	2006	उतराना	लाखेरी, उतराना	108	खनन प्रयोजनार्थ।
4	लाईम स्टोन माईन्स ए0सी0सी0 सीमेंन्ट फेक्ट्री लि0 लाखेरी	2006	लाखेरी	लाखेरी, उतराना	100	खनन प्रयोजनार्थ।
5	वन भूमि प्रत्यावर्तन सिलिका सेन्ड के.एल. घाटीवाला बडोदिया	2000	फुल सागर	बडौदिया	41.6	सिलिका सेन्ड स्टोन कार्य
6	पावर ग्रिड कारपोरेशन 132 के.पी. अन्ता ब्यावर ट्रांसमिशन लाईन	2002	कांटी अस्तोली	कांटी अस्तोली सथूर	15.52	ट्रांसमीशन लाईन (इलेक्ट्रीकल पावर सप्लाई)।
7	5 लीज होल्डर गरडदा में स्वीकृत खनन कलस्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन	2001	गरडदा	गरडदा	7.652	खनन सेन्ड स्टोन गरडदा।
8	10 लीज धारक कलस्टर खनन कार्य हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन 5 लीज का नवीनीकरण लम्बित है।	2001	लाम्बाखोह	लाम्बाखोह	11.4506	नवीनीकरण प्रस्ताव लम्बित है। खनन प्रयोजनार्थ
9	132 केवी. ट्रांसमीशन लाईन हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन बून्दी से केकडी लाईन	2001	डाबी पलकां	डाबी, पलकां	14.85	विद्युत प्रसारण हेतु।

10	5 लीज होल्डर गरडदा में स्वीकृत खनन कलस्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन 5.52 है0	2001	डसालिया ए0	डसालिया	4.8088	खनन प्रयोजनार्थ।
11	2 लीज होल्डर कलस्टर हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन 4. 276 है0	2001	डाबी पलकां	डाबी, पलकां	4.276	खनन प्रयोजनार्थ।
12	5 लीज होल्डर्स हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन	2002	डाबी पलकां	डाबी, पलकां	4.95	खनन प्रयोजनार्थ।
13	27 लीज होल्डर कलस्टर हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन	2004	धोरेला–गरड दा	धोरेला, गरडदा	38.04	खनन प्रयोजनार्थ।
14	4 लीज होल्डर कलस्टर हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन 5. 2992 है0	2004	लाम्बाखोह	लाम्बाखोह	13.0392	खनन प्रयोजनार्थ।
15	भारत पेट्रोलियम बम्बई हेतु ट्रान्समीशन फोर पेट्रोलियम प्रोडक्ट	2005	बलवन	इन्द्रगढ़, बलवन	0.92	पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रान्समीशन पाईप लाईन (अण्डर ग्राउण्ड)
16	नेशनल हाईवे दिल्ली हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन	2006	धनेश्वर–करोन्दी–डाबी –धोरेला–गर डदा	धनेश्वर, करोन्दी, डाबी	88.78	सडक प्रयोजनार्थ।
17	संपर्क सड़क नेत हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन	2007	अकलोर–पानी ढाल	अकलोर, पानीढाल	2.5	सडक प्रयोजनार्थ।
18	संपर्क सड़क कालानला से रामगंज हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन	2007	मरा फतेहपुर	मरा, फतेहपुर	3.75	सडक प्रयोजनार्थ।
19	400 केवी. ग्रिड R.A.P.P To Kota पावर ग्रिड कोटा मेंडता ट्रांसमीशन लाईन हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन	2007	डसालिया बी0–धनेश्वर–खडीपुर–करोन्दी–रामपुरिया – जाखमुण्ड	धनेश्वर, खडीपुर, रामपुरिया, जाखमुण्ड	83.3	विद्युत प्रसारण हेतु।
20	पावर ग्रिड स्टेशन R.A.P.P to Kota to Merta ट्रांसमीशन लाईन हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन 12.466 है0	2007	सथूर, विजयगढ़, जाखमुण्ड	विजयगढ़, जाखमुण्ड, सथूर	12.466	विद्युत प्रसारण हेतु।
21	संपर्क सडक डोरा–जलोदी हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन 2. 88 है0	2008	डोरा	डोरा	2.38	सड़क प्रयोजनार्थ।
22	संपर्क सडक अमरत्या–लुहारिया हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन 4.60 है0	2008	हिण्डोली–का छोला	काछोला	4.6	सड़क प्रयोजनार्थ।
23	संपर्क सडक एन.एच 39 से मराडी तक वन भूमि प्रत्यावर्तन 2.60 है0	2008	वनखण्ड मराडी–बाण्डी खेडा	बाण्डी का खेडा, मराडी	2.6	सडक प्रयोजनार्थ।

24	संपर्क सडक नमाना–गरडदा–केवडिया हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन 1. 705 है0	2008	मराडी	मराडी	1.705	सडक प्रयोजनार्थ।
25	मेंगा हाइवे लालसोठ–दौसा कोटा हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन 10.89 है0	2009	मोहनपुरा	मोहनपुरा, लाखेरी	10.89	सडक प्रयोजनार्थ।
26	संपर्क सडक विजयगढ़ नेहडी हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन 3.375 है0	2009	फालेण्डा	फालेण्डा	3.375	सडक प्रयोजनार्थ।
27	400 केवी. धारा–भीलवाडा ट्रांसमीशन लाईन हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन 24.15 है0	2009	गुढ़ा नीम का खेडा	गुढ़ा नीम का खेडा	24.15	विद्युत ट्रान्समीशन हेतु।
28	220 केवी कोटा जयपुर एसी. लाईन फ्रोम मेंज रिवर से धारधडी हिल्स हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन 5.60 है0	1999	जजावर	जजावर	5.6	विद्युत ट्रान्समीशन हेतु।
29	हुवालिया लिकं रोड हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन 4.5 है0	2009	उमर–पगारा	टीकड, हुवालिया	4.5	सडक प्रयोजनार्थ।
30	संपर्क सडक गोठडा–हिण्डोली हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन 3.44 है0	2010	बाछोला	बाछोला	2.048	सडक प्रयोजनार्थ।
31	गरडदा सिंचाई परियोजनार्थ 205 है0 वनभूमि प्रत्यावर्तन	1998	मराडी–पराना –केवडिया लतारिया	होलासपुरा, मराडी, केवडिया	205	सिंचाई प्रयोजनार्थ।
32	नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट आगरा गैस बेस्ड परियोजना हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन 24.5 है0	1987	भीमलत, खीण्या	खीण्या	24.5	विद्युत प्रसारण हेतु।
33	कोटा–ब्यावर ट्रान्समीशन लाईन हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन 22 है0	1989	गुढ़ा नीम का खेडा–भीमलत –खीण्या	नीम का खेडा खीण्या	22	विद्युत प्रसारण हेतु।
34	एच.बी.जे. गैस पाईप लाईन हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन 3.48 है0	1986	पापडा	बलवन	1.48	गैस प्रसारण हेतु।
योग					**976.1906**	

वर्ष 2010 तक वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिकी कार्यों हेतु विधिवत् अनारक्षित वन क्षेत्रों की एवज में क्षतिपूर्ति हेतु वन विभाग को प्राप्त राजस्व क्षेत्र का विवरण

क्र. सं.	नाम ग्राम	रकबा (हैक्टेयर) में	प्रकरण का नाम व संक्षिप्त विवरण जिसमें उक्त भूमि प्राप्त हुई	नामांतरण की संख्या	रक्षित/आरक्षित कराने की प्रगति	
					प्रारंभिक विज्ञप्ति	अंतिम विज्ञप्ति
1.	बाछोला तह. नैनवा	815.55	चाकन सिंचाई परियोजना में प्राप्त भूमि	–	प–2 (25) वन 06 दिनांक 29. 08.06 राजपत्र दिनांक 30.11.06	नहीं
2.	कोरमा तह. नैनवा	301.88	(1) ट्रान्समिशन लाईन 430 केवी. कोरमा तह. नैनवा विद्युत लाईन धारा भीलवाड़ा 24.15 है. वनभूमि प्रत्यावर्तन।'' (2) संपर्क सड़क विजयगढ़ से नेहड़ी 3375 है. वनभूमि प्रत्यावर्तन संपर्क सड़क नमाना से गंवार वनभूमि प्रत्याव र्तन 4.73	–	प–2 (26) वन 06 दिनांक 29. 08.06 राजपत्र दिंनाक 28.12.06 ''	नही. नही.
3.	कोटा खुर्द तह. इन्द्रगढ़	672.94	संपर्क सड़क गोठडा से हिंडोली 2.048 है. वनभूमि प्रत्यावर्तन 2.048	–	प्रा. वि. प–2 (26) वन 06 दिनांक 29.08.06 राजपत्र दिनांक 28.12.06	नहीं
4.	रोटेदा तह. के. पाटन	48.39	(1) जिला कलेक्टर बूंदी के आदेश दिनांक 20.06.11 से प्राप्त भूमि सिंचाई परियोजना। सार्वजनिक निर्माण विभाग की परियोज नाओं में दी गई गैर वन भूमि। (2) संपर्क सड़क हूवालिया 4.50 है. वनभूमि प्रत्यावर्तन	–	जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक 26 दिनांक 29. 06.06 से प्राप्त एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी के. पाटन द्वारा दिनांक 09.04.06 को चार्ज में ली 47.39 हैं.	विज्ञप्ति प्रकाशित होना प्रस्तावित है।
5.	गोपालपुरा तह0 के0पाटन	54.17	जिला कलेक्टर बून्दी के आदेश दिनांक 26. 06.06 से सिंचाई एवं सडक परियोजना में दी गई गैर वन भूमि	जिला कलेक्टर के आदेश 26 दिनांक 29.06.06 से स्थानान्तरित	चार्ज में ली गई है। 15.72 है0	विज्ञप्ति प्रकाशित होना प्रस्तावित है।
6	ढ़िकोली तह0 के0पाटन	27.41	संपर्क सडक नमाना–गरडदा केवड़िया वनभूमि प्रत्यावर्तन 1.705 है0	जिला कलेक्टर के आदेश 26 दिनांक 29.06.06 से स्थानान्तति नामान्तरण संख्या 39	चार्ज में ली गई है। 14.37 है0	विज्ञप्ति प्रकाशित होना प्रस्तावित है।

	धावड तह0 के0पाटन		संपर्क सड़क नेत में वनभूमि प्रत्यावर्तन 2.50 है0	जिला कलेक्टर के आदेश 26 दिनांक 26.06.06 से स्थानान्तरित	चार्ज में ली गई है। 27.41 है0	
7	अणघौरा तह0 इन्द्रगढ़	10.89	जिला कलेक्टर बून्दी के आदेश 564 दिनांक 11.02.08 से प्रोजेक्ट मेंनेजर रिडकोर मेंगा हाईवे लालसोट कोटा 10.89 है0 हेतु आवंटित वनभूमि प्रत्यावर्तन के एवज में प्राप्त।	जिला कलेक्टर बून्दी के आदेश प–2(31) राजस्व/13/08/ दिनांक 11.02.08 से स्थानान्तरित	ग्राम अणघौरा 10.89 है0	विज्ञप्ति प्रकाशित होना प्रस्तावित है।
8	डोरा तह0 बून्दी	2.38	जिला कलेक्टर बून्दी के आदेश 3459–63 दिनांक 30.03.07 से संपर्क सडक डोरा से जलोदी वनभूमि प्रत्यावर्तन में प्राप्त 2.38 है0	3459–63 दिनांक 30.08.11 नामान्तरण संख्या 220/30.03.08	चार्ज में 19.03.08. से प्राप्त (14.15 बीघा) 2.38 है0	विज्ञप्ति प्रकाशित होना प्रस्तावित है।
9	गरडदा तह0 बून्दी	100.04	गरडदा बांध परियोजना 205 है0 वनभूमि प्रत्यावर्तन	–	प्रा0 वि0 प–2–(24) वन दिनांक 04.08.06 राजपत्र दिनांक 21.09.06 में प्रकाशित की गई।	नहीं।
10	ग्राम बहडावली	112.46	गरडदा बांध परियोजना 205 है0	–	प्रा0 वि0 प–2–(12) वन दिनांक 19.07.06 राजपत्र दिनांक 21.09.06 में प्रकाशित की गई।	नहीं।
11	ग्राम बरानी तह0 के0पाटन	50.76	ए.सी.सी. लाखेरी माईन्स चमावली से उतराना 100 है0	–	प्रा0वि0 4–2(1) वन दिनांक 09.07.09 राजपत्र में प्रकाशित की।	नहीं।
12	करवाला की झोपडियां	57.56	ए.सी.सी. लाखेरी माईन्स चमावली से उतराना 100 है0	–	प्रा0वि0 4–2(1) वन दिनांक 09.07.09 राजपत्र में प्रकाशित की।	नहीं।
13	ग्राम मराडी तह0 हिंडोली	7.20	संपर्क सड़क एन.एच. 39 से मराडी वनभूमि प्रत्यावर्तन 2.60 है0	जिला कलेक्टर के आदेश 567 दिनांक 15.02.07	कार्यवाही प्रस्तावित है।	नहीं।

	ग्राम मराडी तह0 हिण्डोली		संपर्क सडक अमरत्या से लुहारपुरिया वनभुमि प्रत्यावर्तन 4.60 है0	जिला कलेक्टर के आदेश 567 दिनांक 15.02.07 से नामान्तरण सं0 297 दिनांक 03.11.07	कार्यवाही प्रस्तावित है।	नहीं।
		2261.63				

2a.11.5 **दोषयुक्त प्रबन्ध**

इस जिले के वन क्षेत्र पूर्व में राजाओं एवं जमींदारों के नियंत्रण में होने की वजह से वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधित नहीं थे। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान और उसके बाद प्राकृतिक पुर्नजनन के लिये समुचित व पर्याप्त उपाय किये बिना ही धौंक के वनों में ठेका पद्धति द्वारा अतिपातन किया गया। इतना ही नहीं कार्य आयोजना बनाये जाने के बाद भी यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि वन मण्डल में विकास कार्य योजना अनुसार हो रहे हैं या नहीं। केवल वनों के कटान व दोहन के लिये ही कार्य आयोजना को देखा गया अन्यथा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उचित प्रकार से विचलन स्टेटमेंन्ट संधारित नहीं किये गये इस कारण से वैज्ञानिक तरीके से प्रबन्धन पूर्ण रुप से नहीं हो पाया है।

अध्याय 2 (ब)

प्राणी जगत

Fauna

2b.1 सामान्य विवरण

बूंदी जिले का क्षेत्र रियासतकाल में राजा व जागीरदारों द्वारा शिकारगाहों के रूप में प्रबंधित किया जाता था, उस समय इन वनों में वन्य प्राणियों की विविधता व प्रचुरता थी। परन्तु भारत की स्वतंत्रता उपरान्त, जन संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई, कृषि हेतु वनों का कटान, वन क्षेत्र में चराई के बढते दबाव, सडको एवं बांधो के निर्माण एवं बढते औद्योगिकरण के कारण, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास क्षेत्रों एवं उनके भोजन में कमी आई । प्रजातंत्र में कानून का भय जनता में कम होता चला गया है जिससे वन व वन्य प्राणियो की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पडा । वर्ष 1980 से वन विकास कार्यों के कारण वनों में अभिवृद्धि स्वरूप वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास में पुनः वृद्धि होने लगी है।

जिले में पाये जाने वाले प्राणी जगत का विस्तृत विवरण कार्य आयोजन के प्रारम्भ में उल्लेखित किया गया है। सामान्यतः पाये जाने वाले स्तनधारी, पक्षीवर्ग सरीसर्प एवं मत्स्य वर्ग निम्नानुसार है :

2b.1.1 स्तनधारी वर्ग

जिले में स्तनपायी वन्य जीवों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। गर्मी के दिनों में जब वन क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है तब ही वन्य प्राणी वन क्षेत्रों के बाहर आते हैं और कभी कभी आबादी क्षेत्रों में या खेतों में आ जाने पर दिखायी देते हैं इस काल में ये बांधो या तालाब के किनारे आसानी से देखे जा सकते हैं। जिले में सामान्यतः पाये जाने वाले स्तनपायी हैं, बघेरा, लोमडी, गिलहरी, चिंकारा, रोजडा, भेडिया, नेवला, चूहा, जरख, सियार, खरगोश, सेही, जंगली सूअर, बंदर, बिज्जू, चमगादड, गिलहरी, लंगूर, ऊदबिलाव व झाऊचूहा।

2b.1.2 पक्षी वर्ग

जिला बूंदी, कोटा, झालावाड व बारां को सम्मिलित क्षेत्र जो कि हाड़ौती के नाम से जाना जाता है पारिस्थिति की द्वष्टि से बहुत समृद्ध है यहां प्रवासी पक्षी चीन व यूरोप

से आते हैं पक्षियों की कुछ प्रजातियां तो ऐसी हैं जो इस क्षेत्र को बून्दी से अधिक पसंद करती है इस क्षेत्र को पक्षियों द्वारा पसंद किये जाने के मुख्य कारण है नम भूमि, घने वन व अनेक जल वाले स्थान इन विशेष तथ्यों के कारण ही इस क्षेत्र को पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है।

प्रत्येक सर्दी में माह अक्टूबर से मार्च तक हजारों की तादाद में प्रवासी पक्षी, चीन, लद्दाख व यूरोप से आकर जल स्थलों पर आवास करते हैं। वर्ष 2011 में यूरोप व केन्द्रीय एशिया से बार–हेडेड गूज एवं रूडी शेलड्रक ग्रलेग–गूज यहां आये थे एवमं वर्ष 2010 एवं 2011 में कुरजा (*Demmoscelle cranesa*) बडी संख्या में इस क्षेत्र में आये थे। पेलिकन्स विशेष रूप से ग्रे पेलीकनस जनवरी के प्रथम सप्ताह में यहां आ जाते हैं। पेंटेंड स्टोंक तो यहां भरतपुर राष्ट्रीय पक्षी पार्क से भी अधिक ब्रीडिंग करते पाये गये हैं। यहां के अन्य प्रमुख प्रवासी पक्षी है गिद्ध, सारस एवं डक्स (बतखें) जिनकी दो जातियां ग्रेलेग बार हेडेड एवं रडी शेलडक (कामन शेल डक) प्रायः यहां देखी गयी हैं।

बूंदी जिले के विशेष प्रवासी पक्षी :

- चमचा (Spoon Bill) – इस पक्षी के लिये तो बूंदी जिला स्वर्ग है क्योकि इसके लिये बडी संख्या में पानी के स्थलों में मछलियां पायी जाती हैं।
- पेलिकिन्स – लार्ज एवं रोजी
- फलेमिंगो – ये पक्षी वर्षा आरम्भ होते ही यहां आ जाते है।
- स्टोर्कस – संसार में कुल 17 प्रजातियों में से स्टोर्क की चार प्रजातिया यहां देखी जा सकती है।
- बबूल की ऊंची डालियों पर पेन्टेड स्टोर्क, ओपन बिल्ड स्टॉक आसानी से देखे जा सकते हैं।
- अन्यपक्षी–जकाना,कूटस,मूरहेन्स,वाटरहेन्स,किंगफिशर रोलरस,गोल्डन आरिमोल।

बूंदी जिले के पक्षियों के देखे जाने के मुख्य स्थान शंभू सागर, रामनगर,अभयपुरा बांध भीमलत एवं कनक सागर हैं । बूंदी जिले मे पाये जाने वाले स्थानीय पक्षी निम्ननानुसार है – क्वेल्स, पारट्रीज, डक्स, आऊल्स, आईबिस, हेरोन्स, हनी बर्जाड, ईग्लस, व्हाईट ब्रेस्टेड वाटरहेन, लैपविगस, लिटिल रिंग्ड प्लोवर, रीक्टर्टन, सैंडग्राऊज, ग्रीन बी ईटर, इंडियन फाउल कोरमोरेन्टस शिकरा, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट, जैकानाज, पैराकीटस, हूप्पी, पीकॉक, नाईटर्जास, यूरेसियन स्पैरो हाक, बिल्यू रॉक पिजन, हरियल, पपिहा, सुर्खाव, पर्पल सन बर्ड, ब्राह्मणी स्टर्लिंग, कॉमन मेंना, जंगल मेंना, इग्रेटस, बुलबुल, प्रिनिया, स्काई लार्क,

ड्रांगोज, श्राइक्श ,बारवेटस, मुनिया, हाउस स्पैरो, रोबिन्स, बैबर्लस, कॉमन टेलर बर्ड, फैन टेल, आईओरा, होर्नबिल, इंडियन सिल्वर बिल एवं ब्राउन रॉकचैट।

जलीय पक्षी, प्रायः बांध तालाब, पोखर, एनीकट चैक डैम्स एवं खनन क्षेत्र के गडढो के पास मिलते हैं जिसका एक मुख्य कारण है कि बांध की पाल के पास प्रायः बड, पीपल गूलर नीम, जामुन, आम व बबूल के वृक्ष होते हैं जो कि पक्षियों के उपयुक्त आश्रय प्रदान करते हैं। इन जल स्त्रोतों से पक्षियों को मछलियां घोंघे व मेंढक एवं अनेक प्रकार की जलीय वनस्पति उपलब्ध होती है। इन जलीय पक्षियों को कीड़े–मकोड़े वर्ष पर्यन्त मिल जाते हैं। मुख्य तालाब जिन पर प्रवासी पक्षी व स्थानीय पक्षी पाये जाते है उन तालाबों का रेंजवार विवरण निम्नानुसार है।

क्र. संख्या	रेंज का नाम	तालाब
1.	बूंदी	नवलसागर
		फूलसागर
		नठावा
		भीमलत
		अभयपुरा बांध
2.	नैंनवा	कनक सागर (दुगारी)
		रतनसागर (तलवास)
		पाई (बालापुरा)
		नैंनवा तालाब (नर्सरी के सामने)
3.	हिंडोली	हिंडोली तालब (रामसागर) गोठडा गुढा बांध
4.	डाबी	बरधा बांध गरडदा बांध
5.	इंद्रगढ	इंद्राणी बांध आदि

निम्न पक्षी जिलें में विलुप्त होने के कगार पर है

गिद्ध, गरूड, बाज, बरसाती बटेर, लैसर फ्लेमिंगो, लेसर बैस्ट्रेल, ब्राड बीक्ड़ सैंड पाईपर, एलेग्जैडराइन पेराकीट, स्वैलो, बर्बिट, बंटिंग, स्केली ब्रेस्टेड, मुनिमा, ब्राउन फिश

प्रौउल, व्हाईट नेकड टिट, ब्लैक बैलिड टर्न, पलोर्वस, चील व कौओं की संख्या में भी बहुत कमी आयी है।

2b.1.3 मत्स्य वर्ग – बूंदी जिला जल भण्डारों के संबंध में धनी है, यहां अनेक छोटे बडे तालाब हैं। इनके अतिरिक्त जिले में नहरों व नदियों का बहुत बडा जाल है, जिसका उपयोग मत्स्य पालन हेतु किया जाता है। इन तालाबों व एनीकट्स में बहुत बडा जल क्षेत्र मत्स्य वर्ग प्राणी की उत्पति हेतु उपलब्ध है। वर्षा प्रारम्भ होते ही इनका प्रजनन प्रारम्भ हो जाता है। जिले में निम्न प्रजाति की मछलियों का व्यवसाय होता है। रोहू, लांची, सवंल, सिंगी, सीगाडा, व अन्य जिले में पायी जाने वाली मछलियों के नाम निम्न सारणी अनुसार है :–

क्र.स.	स्थानीय नाम	लेटिन नाम
1	कतला	*Catla catla*
2	रोहू	*Lebeo rohita*
3	मिग्रल	*Cirrhinus mrigala*
4	सिगाड़ा	*Mystus seenghala*
5	लांची	*Wallago attu*
6	संवल	*Channa marulius*
7	कटेरना	*Mystus cavasius*
8	बारा	*Mastacembelus armatus*
9	सरसो	*Labeo gonius*
10	चाल	*Oxygaster baceila*
11	फुटी	*Punctus ticto*

12	महासीर	*Tor tor*
13	कालोट	*Labeo calbasu*
14	गिरई	*Channa punctatus*
15	ममोला	*Labeo fimbriatus*
16	भागन	*Cirrhinus reba*
17	सिल्वर कार्प	*Hypophthalmichthys molitrise*
18	ग्रास कार्प	*Ctenopharyngodon idella*
19	कामन कार्प	*Cyperinus carpio*
20	पबदा	*Ompak bimaculatus*
21	सिंगी	*Heteropneustesa fossilesa*

जिले में वर्ष 2007–2008 में मछलियों का उत्पादन निम्न प्रकार रहा–

क्र.स.	**मछलियों की प्रजातिया**	**इकाई**	**उत्पादन**
	1	2	3
1	मेजर कार्य (कतला, रोहू, मिग्रल)	कि. ग्राम	4,76,000
2	माईनर कार्य (बारा, फूटी, सरसो)	कि. ग्राम	242,000
3	केट फिश (लांची, सिगाडा, संवल)	कि. ग्राम	2,72,000
		योग	9,90,000

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी प्रतिवेदन वर्ष 2009

जिले में मत्स्य पालन व्यवसाय 32 झीलों में किया जाता है एवं 4 मत्स्य विक्रय बाजार है। उपरोक्त सारणी भी दर्शायी गयी मेजर कार्य मछलियां स्वंय के वजन से अधिक एक्वेटिक फ्लोरा प्रतिदिन खा जाती है।

2b.3.4 सरीसर्प वर्ग

बूंदी जिले में सामान्यतः पाये जाने वाले जलीय व भू स्थलीय सरीसृप निम्न है–

नेवला, पाटागोह, सांडा (बहुत कम), गिरगिट, छिपकली, अजगर, नाग, वाईपर, क्रेत, चीती, दुमुही, रेट स्लेना कछुआ, स्किन्क, पानी का सांप **(checkered keel Back),** चम्बल नदी में घडियाल व मगरमच्छ, भी पाये जाते हैं।

2b.3.5 उभयचर वर्ग :

बूंदी जिले में पर्याप्त जल स्त्रोत होने के कारण मत्स्य व उभयचारी जीवों के प्रजनन एवं वृद्धि के लिये उपयुक्त परिवेश उपलब्ध हो जाता है। जिले में सबसे बडी संख्या में मेंढक (Rana tigerina) and टोड (Bufo melanostictus) पाये जाते हैं। परन्तु कम संख्या में अन्य प्रजाति के मेंढक भी पाये जाते हैं। जैसे– मार्बल्ड टोड, मार्बल्ड बेलून फ्रोग, इंडियन बुल फ्रोग, इंडियन क्रिकेट फ्रोग आदि।

2b.2 वन्य प्राणियों को हानि पहुंचाने वाले कारक :

वन्य जीवों को हानि पहुंचाने वाले कारको को हम दो मुख्य वर्गों में निम्नानुसार विभक्त कर सकते हैं।

परोक्ष

आखेट के कारण वन्य जीवों को परोक्ष रूप से बहुत हानि होती है, स्वतंत्रता उपरान्त हथियारों के लाइसेन्स आसानी से मिलने व आम आदमी में कानून का भय कम होने के कारण तथा द्रुतगामी वाहनों के कारण आखेट की प्रवृति बढ़ी है। स्वतंत्रता पूर्व आखेट राजवंशों तक ही सीमित था, परन्तु उपरोक्त कारणों की वजह से आम–आदमी आखेट करने लगा जिससें परोक्ष रूप से वन्य जीवों की संख्या में कमी आयी।

स्वतंत्रता उपरान्त आखेट हेतु लाईसेन्स दिये जाते थे, जिससे भी वन्य प्राणियों का ह्रास हुआ। इन आखेटों ने स्पोर्ट (गेम) का नाम ले लिया तथा समाज के साधन सम्पन उच्च वर्ग ने झूठी शान के लिये इसे अपना लिया।

वर्तमान में अवैध शिकार का जाल बहुत वृहद स्तर पर फैला हुआ है जिससे वन्य जीव अपराधी मृत वन्य प्राणियों के शरीर के भागों को शीघ्र अन्यत्र भिजवा देते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में कुछ जातियों में दशहरा पर शिकार करने की प्रथा होने से भी वन्य जीवों को प्राण गंवाने पड़ते हैं। समाज में अभी भी यह अंधविश्वास है कि किसी विशेष प्राणी के विशेष अंग के उपयोग से कोई बीमारी दूर हो जाती है, ऐसी सोच के कारण अवैध शिकार व इसके व्यापार को बढ़ावा

मिला है। अनेक वन्य प्राणियों की चमड़ी को वस्त्र व पर्स, नेकटाई आदि बनाने में भी काम में लिया जाता है, जिसके कारण चोरी–छुपे वन्य जीवों को मारा जाता है।

अपरोक्ष

वन्य जीवों के आवास क्षेत्रों का सीमित होना

अपरोक्ष–रूप से सर्वाधिक हानि आवास क्षेत्रों के सिकुड़ने से हुई है, वनों के क्षेत्रफल में तो कमी आती है, वनों के विरल हो जाने से भी दुष्प्रभाव पड़ा है। वन्य–प्राणियों के प्राकृतिक आवास के घटते जाने के निम्न कारण हैं–

- कृषि क्षेत्रों का विस्तार।
- बांधों के निर्माण व बांधो के कारण वन्य क्षेत्र, डूब क्षेत्र में परिर्वततित हो गये।
- जनसंख्या वृद्वि के कारण से प्रदूषण।
- सड़कों का निर्माण।
- कल–कारखानों के निर्माण से प्रदूषण
- नहरों का निर्माण।
- खनन कार्य।

उपरोक्त समस्त कारण ऐसे है जो परोक्ष व अपरोक्ष दोनों रूपों में वन्य प्राणियों को हानि पहुंचाते हैं।

2b.2.1 शिकार

मनुष्य ने आखेट चाहे वह नियमानुसार रहा हो या अवैध, वन्य जीवों के जीवन का हनन अपने निजी स्वार्थवश किया है। वर्तमान में मानव भोजन के लिये ही इन जीवों के प्राण नहीं लेता वरन मृत वन्य जीवों के शारिरिक अंगों का व्यवसाय भी करने लगा है। जैसे – मांस, चमडा, हड्डियां आदि। इनकी खाल से ट्रॉफी भी बनायी जाती है जो रईसों के घरों में सजावट के काम ली जाती है। स्वतंत्रता से पूर्व आखेट केवल राजा व जागीरदारों तक सीमित था परन्तु स्वतंत्रता उपरान्त जन सामान्य के पास आधुनिक आग्नेय आस्त्र आदि आ जाने व प्रजातंत्र में कानून का भय कम होने के कारण इन निरीह प्राणियों की हत्या बडी संख्या में हुई है जिससे इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है।

2b.2.2 आश्रय स्थलों का विनाश :

अनेक शोध कार्यो से यह स्थापित हो चुका है कि समस्त वन्य जीवों ने विकास की प्रक्रिया के दौरान देखने, सुनने, सूंघने, पहचानने, अनुभव करने आदि की विशेष प्रकार की विभिन्न योग्यताएं विकसित कर ली जिससे वे आसानी से सुरक्षा के साथ भोजन की व्यवस्था भी कर सके, इन विशिष्टताओं के सहारे ही वे आपस में सम्पर्क कर सकते हैं।

इस हेतु उनको प्राकृतिक आश्रय स्थल की प्रकृति, बहुत बडा योगदान प्रदान करती है। पिछले पाँच दशकों में मानव ने विकास की दौड में इन वन्य प्राणियों के आश्रय स्थलों को अनेक प्रकार से विपरीत रूप से प्रभावित किया है जिसकी वजह से वन्य प्राणियों का जीवन संकट में पड गया है। मानव द्वारा वन्य प्राणियों के आश्रय स्थलों का विनाश या आस–पास किये जाने वाले दखल वन्य जीवों की संख्या में कमी एक बड़ा कारण रहा है।

2b.2.3 खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव

प्रत्येक वन्य जीव किसी न किसी खाद्य श्रृंखला का भाग है और उसका अस्तित्व किसी न किसी खाद्य श्रृंखला पर निर्भर है। प्रकृति में संतुलन बनाये रखने हेतु बडी जटिल खाद्य श्रृंखलाए हैं जिनके मामूली परिर्वतन भी बहुत विशाल प्रभावकारी होते हैं। मानवीय कृत्यों ने इन खाद्य–श्रृंखलाओं में बहुत अधिक दखल दिया है। इसका प्रमुख उदाहरण है पिछले 50 वर्ष में गिद्धों का बूंदी जिले से लुप्त होने के कगार पर आना जिसका कारण अधिक दूध उत्पादन एवं दर्द निवारण हेतु घरेलू दुधारू मवेशियों को दिया जाने वाला 'डाइक्लोफेनिक सल्फेट इंजेक्शन'है। जब मवेशी मरता है तो गिद्ध द्वारा इस दवा से युक्त उस पशु का मांस खाने से गिद्धों की मृत्यु हो जाती है, यही कारण है कि एशिया महाद्वीप में नब्बे प्रतिशत गिद्धों की प्रजाति समाप्त हो गयी है।

2b.2.4 संक्रामक रोग

चराई के दबाव के कारण मवेशी, वन्य प्राणियों के आश्रय क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं और वन्य प्राणियों में अनेक प्रकार से संक्रमण फैला देते हैं। गर्मियों में पीने योग्य पानी के स्थान (Water hole) वन क्षेत्रों में बहुत कम बचते हैं और जब संक्रमित पशु उस वाटर होल पर पानी पीता है तो वह उस जल को संक्रमित कर देता है और जब स्वस्थ वन्य जीव वह पानी पीता है तो वह स्वस्थ वन्य प्राणी भी संक्रमित हो जाता है। इस कारक का प्रमुख उदाहरण है सांभर जो कि शेर, बघेरे का मुख्य भोजन है उसमें

टयूबरक्लोसिस बेक्टीरिया फैलता है। इन वन्य प्राणियो के इलाज का भी कोई सफल तरीका अभी तक ज्ञात नहीं है जिससे वन्य प्राणियो के जीवन को बहुत हानि हो रही है।

2b.2.5 प्रदूषण

वायु व जल प्रदूषण से भी वन्य प्राणियों को बहुत हानि हुई है, इसका सबसे अच्छा उदारण है राजस्थान के वन्य क्षेत्रों से गिद्धों का पूर्ण रूप से विलुप्त होने के कगार पर पहुचना। आज से 50 वर्ष पूर्व हर गांव के बाहर झुण्ड़ों में गिद्व देखने को मिल जाते थे, परन्तु अब नगण्य मात्रा मे ही दिखाई देते है ये पक्षी मृत जीवों के शरीर को खाकर वातावरण को शुद्व रखते थे परन्तु वे मृत जीव जिन्हें इंजेक्शन द्वारा डाईक्लोफेन–सेल्फेट दिया गया था उनके मृत शरीर को खाने से इनकी मृत्यु हो गयी।

यदि हम चीलों की संख्या का 50 वर्ष पूर्व की स्थिती से तुलना करें तो पाते हैं कि वर्तमान में यह संख्या आधी से भी कम रह गयी है। बूंदी जिलें में लाखेरी जैसे बड़े–बड़े सीमेंट कारखानें हैं, उनसे वातावरण अशुद्ध होने से वन्य प्राणियों के श्वसन तंत्र को कितनी हानि होती होगी, किसी हद तक वन्य प्राणी वातावरण से सामाजस्य स्थापित करने की क्षमता रखते हैं परन्तु प्रदूषण के कारण इनके प्राकृतिक आवास एवं जीवन शैली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा कालांतर में इनके प्रजनन सक्रियता में भी कमी दृष्टिगोचर हुई है। इस प्रकार के प्रदूषण से नभचर, जलचर एवं भूमि के अन्दर रहने वाले जीवों पर तेजी से प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे इनकी खाघ श्रृंखला भी प्रभावित हो रही है।

2b.2.6 विकास के दुष्प्रभाव

स्वतंत्रता उपरान्त तीव्र गति से विकास के कारण सड़कों का विस्तृत निर्माण हुआ, बांध व नहरे बनी, कल–कारखाने लगे व खनन कार्य में वृद्धी हुई। इन समस्त कार्यों से वन–क्षेत्र में तो कमी आयी ही इन से जल व वातावरण भी प्रभावित हुआ। सड़क पर द्रुतगति के वाहनों से वन्य प्राणी दुर्घटना ग्रस्त हो जाते हैं और कई बार इनकी मृत्यु भी हो जाती है, तथा वाहनो की आवाज से ध्वनी प्रदूषण होता है और साथ ही वायू–प्रदूषण भी, अनेक बार पेरापिट वाल के अभाव में वन पशु कुएं या गडढ़े में गिर जाते हैं और उन्हें बचाने के पूर्ण प्रयासों के बावजूद उनकी मृत्यु हो जाती है। विद्युत 'ट्रान्समिशन लाईनों' से भी दुर्धटनाएं होती हैं। कृषकों द्वारा अपनी फसलों के बचाव में कई बार जाल लगा दिये जाते हैं जिसमें फंस कर इनकी मृत्यु हो जाती है।

2b.2.7 बढ़ती आबादी का दुष्प्रभाव

बढती आबादी के खाद्य व आवास हेतु कृषकों को अधिक भूमि की आवश्यकता होती है जिससे वन क्षेत्रों में अतिक्रमण बढ़ता है।

2b.2.8 चराई व कटान–

वन क्षेत्रों के पास स्थित ग्रामिणों द्वारा अवैध कटान व अवैध चराई वन्य प्राणियों को उपलब्ध प्राकृतिक सुविधाओं में कमी कर देती है। बढ़ती आबादी की निरंतर बढ़ती जा रही भोजन, ईधन, चारा, एवं आवास निर्माण सामग्री की आवश्यकताओं की पूर्ति वनों से वृक्ष, घास, पत्थर तथा अन्य आवश्यक वन उपज वैध/अवैध रूप से प्राप्त करके की जाती है, इससे वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को भारी क्षति हुई है।

2b.2.9 अग्नि

वन अग्नि जो कि प्राय: गर्मी के मौसम में लगती है उससे वृक्ष व घास जल जाने से वन्य प्राणियों की भोजन सामग्री में तो कमी आती ही है, छोटे वन्य जीव अग्नि की भेंट चढ़ जाते हैं।

2b.2.10 घटते जंगल

वर्षा की कमी, अकाल व जन संख्या वृद्धि से वनों में वृक्षों के घनत्व में कमी आ जाती है और वन में जल स्त्रोंत बहुत कम रह जाते हैं, जिसके कारण वन्य प्राणी गर्मियो में जंगल के बाहर आ जाते हैं और ग्रामीणों द्वारा उन्हे हानि पहुँचायी जाती है। मांसाहारी वन्य जीव जंगलों के पास बसे आवासीय क्षेत्रों में मवेशियों, भेड़–बकरियों व मनुष्य को अपना शिकार बनाते हैं जिसके फलस्वरूप है, ग्रामीण इन वन्य प्राणियों को जान से मार देते हैं।

2b.2.11 संक्रमण वाली बीमारियां

वन क्षेत्रों में चराई का दबाव अत्यधिक बढ़ा एवं अछूते रहे वन क्षेत्रों में भी मवेशियों द्वारा चराई आरम्भ हो गई। बीमार व संक्रमित पालतू पशुओं द्वारा वनों में निर्बाध चराई से वन्य प्राणियों में भी रोगों का संक्रमण हो जाता है विशेषतः क्षय रोग। ग्रामीण अपने मवेशियों में संक्रमण की रोकथाम के लिये नियमित टीकाकरण भी नही' करवाते, न ही रोगी पशुओं का इलाज कराते उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं जिससे वन्य जीव भी

उनसे संक्रमित हो जाते हैं। बीमार मृत मवेशियों का भक्षण करने के कारण मांसाहारी वन्य जीव भी रोग ग्रस्त हो जाते हैं तथा कालांतर में मृत्यु के कारण इनकी संख्या में कमी हो जाती है।

2b.4.12 जलवायु

जलवायु पर विभिन्न कारणों से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से मौसम तंत्र में भी बदलाव आया है। जिससे कभी भारी वर्षा व बाढ़ आ जाती है तो कभी वर्षा की कमी और सूखा पड़ जाता है। कभी अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक सर्दी हो जाती है। ये सभी जलवायु की विपरीत परिस्थितियां वन्य जीवों की मृत्यु का कारण बनती है। वन्य जीवों को हानि पहुंचाने वाले मुख्य कारक मनुष्य, मवेशी, पानी की कमी, संक्रामक रोग, एवं खाद्य श्रृंखला का प्रभावित होना। इन मुख्य कारकों में भी मानव वन्य प्राणियों को सर्वाधिक प्रभावित करता है

2b.3 जिले में वन्यजीव प्रबंधन

बूंदी वन मण्डल में 4 वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र अवस्थित है। जिनमें प्रथमतः रामगढ़ विषधारी अभयारण्य वर्ष 1982 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत रामगढ़ विषधारी अभयारण्य के नाम से घोषित किया गया था। जवाहर सागर –वन्यजीव अभ्यारण्य 9760.448 हैक्टेयर में स्थित है । इन दोनों अभयारण्यों का प्रशासनिक नियंत्रण उप वन संरक्षक, वन्यजीव, कोटा के अधीन हैं। राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य के नाम से वर्ष 1983 में के. पाटन रेंज में घड़ियाल के संरक्षण के लिए चम्बल नदी के किनारे का क्षेत्र वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित हुआ है। रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति मध्यवर्ती क्षेत्र, जो 06/07/2012 की अधिसुचना के पश्चात (18632.62 हैक्टेयर) तथा पूर्व (979.35 हैक्टेयर) में घोषित, कुल 19611.97 हैक्टेयर संरक्षित क्षेत्र है। राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभयारण्य क्षेत्र का प्रशासनिक नियंत्रण उपवन संरक्षक वन्यजीव सवाई माधोपुर के अधीन है। जिले में वन्य जीवों की द्वष्टि से रामगढ अभ्यारण्य प्रमुख है जहां कई बार पेंथर भी सवाई माधोपुर से आकर विचरण करता हुआ देखा जा सकता है। यह क्षेत्र धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी कोटा व चितौडगढ में बनने वाले 'बायोस्फीयर' में आ जायेगा आशा की जाती है तब वन्य प्राणी एक बडे भू भाग में बिना रूकावट के विचरण कर पायेंगे। पिछले पांच वर्षों में रेंन्ज रामगढ मे कराई गई वन्य जीव गणना के उपलब्ध आकडो के अनुसार में वन्य जीवों की स्थिति निम्नानुसार है ।

क्र. स.	वन्य जीव	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	बघेरा	0	4	2	1	1	3
2	भालू	3	2	गणना नही कराई गई	0	0	11
3	भेडिया	53	10	गणना नही कराई गई	29	18	0
4	चीतल	7	5	21	41	10	50
5	चिंकारा	6	49	03	50	57	36
6	जंगली बिल्ली	60	19	15	33	29	64
7	जंगली सूअर	215	170	37	192	159	293
8	काला हिरण	0	16	गणना नही कराई गई	—	49	54
9	लंगूर	42	1280	गणना नही कराई गई	—	0	गणना उपलब्ध नहीं है।
10	लोमडी	67	55	9	33	35	46
11	नीलगाय	2960	1209	801	1644	1106	2455
12	सांभर	0	12	22	10	1	6
13	सियार/गीदड	303	148	40	166	157	94
14	जरख	12	गणना उपलब्ध नहीं है।	17	10	14	23

उपरोक्त सारणी में दर्शायी गयी संख्या का अध्यन पिछले 10 वर्ष की वन्य जीवों की गणना से तुलना करने पर हम पाते हैं कि वन्य जीवों की संख्या में पिछले दस वर्ष में उल्लेखनीय कमी आयी है। वन मण्डल में प्रतिवर्ष माह मई की पूर्णिमा को की जाने वाली गणना को वैज्ञानिक द्वष्टि से बहुत विश्वसनीय नही कहा जा सकता। वन मण्डल स्तर पर होने वाली इस गणना की प्रक्रिया, समय, इसमें नियोजित वनकर्मियों की वन्य जीवों के संबंध में ज्ञान व दक्षता आदि का देखते हुए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यह प्रक्रिया पूर्णरूपेण सही मायने में नहीं अपनाई जा रही है। इस वजह से इस गणना से प्राप्त जानकारी के आधार पर वन्य जीवों की उपस्थिति का अनुमान मात्र ही होता है।

2b.4 वन्य जीव, प्रतिसंवेदनशील स्थल :

क्र. स.	स्थल का प्रचलित नाम	नाम वन खण्ड	रेंज	समीपस्थ गांव	प्रमुख प्रजाति
1.	माणक चौक	पीपलिया माणक चौक	रामगढ़	लुहारपुरा	नीलगाय,सेही,सियार,लोमड़ी
2.	मोतीपुरा	पीपलिया माणक चौक	रामगढ़	लुहारपुरा	पेंथर,भगेरा,सियार,लोमड़ी
3.	भीमगंज	पीपलिया माणक चौक	रामगढ़	जावरा	नीलगाय,सियार, लोमड़ी

2b.5 वन्य जीवों से संबंधित हमला /शिकार/दुर्घटना

जिले में वन्य जीवों से सम्बन्धी हमले, शिकार, दुर्घटना के प्रकरण बहुत कम होते हैं। पिछले वर्षों में इस प्रकार की निम्न घटनाएं जिले में हुई हैं।

क्र. स.	वर्ष	घटना का प्रकार	वन्य जीव का नाम	राजस्व गांव	वनखण्ड व रेंज	घटना का विवरण
1.	2009–10	जरख द्वारा हमला	जरख	थाना	थाना/ हिंडोली	दिनांक 12.7. 2009 को पंजा मारने से घायल
2.	2010.11	वन्य जीव द्वारा बकरी पर हमला	अज्ञात	खजूरी	आंतरदा/ नैनवा	दिनांक 18.5. 2010 को अज्ञात वन्य प्राणी द्वारा बकरी को मारना
3.	2011–12	जरख द्वारा आदमी पर हमला	मोहनपुरा	मोहनपुरा	मोहनपुरा/ इन्द्रगढ़	दिनांक 5.10. 2010 को जरख द्वारा हमला

इस संदर्भ में वन विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ 11 (1) वन/78 दिनांक 1.3.2011 के अनुसार वन्यजीवों द्वारा जन हानि अथवा घायल किये जाने तथा पालतू मवेशियों के मारे जाने पर मुआवजा राशि निम्नानुसार है–

क्र.स.	जन श्रेणी		मवेशियों की श्रेणी	
1	जनहानि होने पर	2,00,000	भैंस/ बैल/ऊँट	10,000
2	स्थायी अयोग्य होने पर	1,00,000	गाय	5,000
3	अस्थायी अयोग्य होने पर	20,000	भैंस व गाय का बच्चा	2,000
4	–	–	बकरी/भेड़/गधा	1,000

NH-76 बनने से दुर्घटना मे वन्य जीवो के मरने की घटनाओ के कारण NHAI द्वारा 16–16 कि मी दोनो ओर दीवार निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जो लगभग पूर्ण होने को है।

Chapter – III

वन उपज का उपयोग

	अध्याय 3	**Chapter – III**
	वन उपज का उपयोग	**Utilization of Forest Produce**
3.1	कृषि प्रथा एवं जनसामान्य की मांग व आवश्यकता	Agricultural Customs and Needs of the Population
3.2	कृषि औजारों एवं भवन निर्माण हेतु लकड़ी	Wood for Agricultural Equipments and Buildings
3.3	जलाऊ ईंधन	Fuel Wood
3.4	घास व चारा	Grass & Grazing
3.5	कच्चे मकानों की छत हेतु सामग्री	Material for Roofs of Raw houses
3.6	लघु वन उपज	Minor Forest Produce
3.7	पत्ता तेन्दू	Tendu Leaves
3.8	विक्रय के मार्ग	Markets of Forest Produce

अध्याय–3

वन उपज का उपयोग

3.1 कृषि प्रथा एवं जनसामान्य की मांग व आवश्यकता

जिला बूंदी का भू क्षेत्र 5576 वर्ग कि.मी. है व जनसंख्या (2011) 11.13 लाख है जिसमें से 80 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है। इस प्रकार बूंदी जिले में ग्रामीण जनसंख्या 8.91 लाख है। जिला बूंदी में जनसंख्या घनत्व 193 प्रति वर्ग कि.मी. है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 7.70 लाख थी। इससे स्पष्ट होता है कि 20 वर्षो में बूंदी जिले में भूमि पर दबाव 1.5 गुना हो गया है।

वर्ष 2001 में 81.35 प्रतिशत लोग गांवों में निवास करते थे और 18.65 प्रतिशत आबादी शहरों या कस्बों में निवास करती थी और गांवों में लोंगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, अर्थात इस जिले की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है। वर्ष 2008 में लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित था, चम्बल नदी पर बने बांध की बांयी मुख्य नहर से बूंदी जिले में सिंचाई क्षेत्र काफी बढ़ गया है व उपज भी प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष बढ़ रही है। गेंहू, मक्का एवं चावल जिले की मुख्य पैदावार है। बासमती चावल अच्छी किस्म का होता है और खाड़ी के देशों को निर्यात भी किया जाता है। थोड़ी कम मात्रा में अन्य फसलों जैसे बाजरा, जौ, दालें व सब्जियां भी होती हैं। कृषि जोत छोटी है और मृदा भी बहुत उपजाऊ नहीं है विशेषतः 'बरड़ा' क्षेत्रों में जहाँ लोग पशु पालन करते हैं या वनों पर निर्भर हैं। गांवों में आधे से ज्यादा मकान 'केवलू' की छत वाले हैं, परन्तु आर्थिक विकास के कारण ऐसे घरों की संख्या प्रतिवर्ष कम होती जा रही है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी की संख्या काफी है परन्तु इनकी नस्ल बहुत अच्छी किस्म की नहीं होने से कम लाभप्रद होती है।
जिले में औद्योगिकरण की गति कम होने से बेरोजगारों का अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक है।
वनों से जन सामान्य की प्रमुख मांग निम्न हैं–

- कच्चे भवनों के निर्माण हेतु छोटी लकड़ी (small timber) की मांग।
- कृषि के काम आने वाले औजारों के निर्माण हेतु लकड़ी की मांग।
- भोजन पकाने के लिये ईधन की आवश्यकता।
- खेत व मवेशी के बाड़े हेतु बाड़–बन्दी करने हेतु सामग्री की मांग।

- पशुओं के चराई हेतु चारा व घास।
- कच्चे मकानों की छत हेतु काम आने वाले मूंजा आदि।
- लघु वन उपज।

3.2. कृषि औजारों एवं भवन निर्माण हेतु लकड़ी

इस मांग की पूर्ति ग्रामीण स्थानीय बाजार से ही करते हैं क्योंकि बूंदी के वनों इस कार्य हेतु में उत्तम किस्म की लकड़ी उपलब्ध नहीं है। कृषक उनके खेतों पर लगे वृक्षों को आरा मशीन मालिकों को बेचते हैं और वहां से कच्चे भवन निर्माण के लिये लकड़ी खरीद कर काम चलाते हैं, ऐसे वृक्ष है' नीम, आम, बबूल आदि या फिर बाजार में उपलब्ध अन्य राज्यों से लायी गयी साल या सागवान की लकड़ी। कुछ अति गरीब व्यक्ति चोरी छिपे पास के जंगल से भी इस उपयोग हेतु कल्धी या सफेद धोक की लकड़ी ले आते हैं।

बबूल की लकड़ी हल बनाने या बैलगाड़ी निर्माण में काम में ली जाती है जबकि साल, सागवान की लकड़ी घरों के दरवाजे, खिड़कियां व कुर्सी– टेबल, पलंग आदि बनाने के काम लिये जाते हैं। कस्बों में अब लोग सोफा–सेट काम में लेने लगे है जिसमें मुख्यत: सफेदे की लकड़ी काम में ली जा रही है।

कई दशकों पहले ग्रामीणों को वनों से नीचे दी गई सारणी अनुसार उनके हक रियायतों के रूप में लकड़ी लाने के अधिकार थे परन्तु वर्तमान में वनों की क्षमता ही शेष नहीं बची है जिससे उन को दी जाने वाली रियायतों की पूर्ति हो सके। ग्रामीणों की लकड़ी की मांग कच्चे मकान बनाने हेतु निम्न सारणी में दर्शायी गयी माप अनुसार होती है–

क्र.स.	लकड़ी का नाम	लम्बाई मीटर में	बीच की गोलाई (सें.मी.में)
1.	डांडी	2.7–3.6	25.4–30.4
2.	डांडा	2.4–3.0	15.2–20.3
3.	बलींड़ा	4.2–5.4	50.8–60.8
4.	आडण	3.0–3.6	60.8–71.1
5.	अदसारी	3.0–4.2	25.4–30.4
6.	मियाल	2.4–3.0	60.8–71.1
7.	थूनी	3.0–3.6	30.4–40.6

कल्धी की लकड़ी उक्त आवश्यकताओं के लिये ग्रामीण पसंद करते हैं, परन्तु कल्धी की लकड़ी नहीं मिलने के स्थिति में अन्य वृक्षों जैसे तेन्दू, खैर, नीम, सिरस आदि की लकड़ी को भी काम में लिया जाता है।

3.3 जलाऊ ईधन :

बूंदी शहर व इसके बड़े कस्बों में वर्तमान में अधिकतर घरों में ईधन के रूप में गैस का उपयोग होने लगा है परन्तु अब भी ग्रामीण आबादी इस सुविधा सें वंचित है गैस का वितरण भी नियमित नहीं होने से व ग्रामीणों की क्रय शक्ति कम होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी आबादी अब भी भोजन पकाने के लिये लकड़ी या लकड़ी के कोयले पर र्निभर है। चूंकि वर्तमान में वनों की कटाई पर रोक है अत: कोयले के लिये कूप्स विभागिय कार्य वृत्त द्वारा नहीं काटे जाने के परिणाम स्वरूप न तो लकड़ी का कोयला बनता है न ही बाजार में उपलब्ध है ऐसी स्थिति में जलाऊ लकड़ी ही एक मात्र ईंधन के रूप में काम में ली जाती है। बूंदी के वन ग्रामीणों की इस मांग की पूर्ति करने की क्षमता खो चुके है। कुछ वर्ष पूर्व तक बूंदी मुख्यालय पर ही सैकड़ों लोग सिर बोझे द्वारा पास के वन क्षेत्रों से लकड़ी लाते दिखाई देते थे।

3.4 घास व चारा

2007 की पशुगणना के आंकड़े निम्न सारणी में दर्शाये अनुसार हैं–

गाय	भैंस	बकरी	भेंड़	ऊँट	अन्य
273659	281233	368823	58915	2196	2725

मवेशी ईकाईयों की संख्या ज्ञात करने के लिये नीचे दर्शाये तथ्यों का उपयोग किया गया है–

गाय/बैल	–	1.00 मवेशी ईकाई
भैंस	–	2.00 मवेशी ईकाई
बकरी	–	0.25 मवेशी ईकाई
भेंड़	–	0.25 मवेशी इकाई
ऊँट	–	4.00 मवेशी ईकाई
अन्य	–	1.00 मवेशी ईकाई

गाय	273659 x 1	=	273659
भैंस	281233 x 2	=	562966
बकरी	368813 x 0.25	=	92206
भेंड़	58915 x 0.25	=	4725
ऊँट	2196 x 4	=	8784
अन्य	2725 x 1	=	2725
योग		=	954569

कुल वन क्षेत्र 1542.42 वर्ग कि.मी पर निर्भर है 9.54 लाख मवेशी इकाई और प्रति वर्ग कि.मी. पर मवेशी भार है 618 मवेशी ईकाई। यह भार अत्यधिक है और बूंदी वन मण्डल के वन क्षेत्र इसे वहन करने की क्षमता नहीं रखते। भैसों की बहुत बड़ी संख्या ऐसी है, जिन्हें घरों पर बांध कर रखा जाता है और कृषि उपज की सामग्री से घर पर ही चराया जाता है, अन्यथा सभी मवेशी को वनों में चरने हेतु छोड़ दिया जाता है। पूर्व में गांवो के पास चारागाह भूमि निश्चित रखी जाती थी परन्तु ग्रामिणों द्वारा ऐसे बडें भू–भागों पर अतिक्रमण कर लिये जाने से, मात्र वन क्षेत्र ही चराई हेतु शेष रहे हैं। इस प्रकार भारी मवेशी दबाववश वन क्षेत्रों में हो रही चराई से न केवल वृक्षों के छोटे पौधे भी चर लिये जाते हैं, बल्कि मवेशी के खुर तले दबकर मृत भी हो जाते हैं। वृक्षारोपण एवं क्लोंर्जस को छोड़ समस्त वन क्षेत्रों में अनियंत्रित मवेशी चरती दिखाई पडती है।

3.5 कच्चे मकानों की छत हेतु सामग्री

बूंदी जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों पर छत हेतु प्राय: केवलू ही काम में लिये जाते हैं बहुत ही कम कच्चे मकानों की छत घास फूस की बनायी जाती है जिसकी पूर्ति खेतो की मेंढ़ पर लगाये गये मूंज घास से हो जाती है। इस घास के रेंजवार ठेके भी होते हैं। यह घास पहाड़ियों की तलहटी में या कन्दराओं में पायी जाती है और इस सामग्री की मांग अनुसार कमी नहीं है।

3.6 लघु वन उपज

जिले में अकाष्ठीय वन उपज और औषधीय पादपों की मांग में वृद्धि हुई है परन्तु वनों के परिभ्रांषित के कारण इस सामग्री की भी तेजी से कमी होती जा रही है। औषधीय पादपों का राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग बढ़ने व अच्छा मूल्य प्राप्त होने से

इनको ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में भी सम्मिलित किया जाने लगा है। जिले की मुख्या गौण वन उपज एवं औसत थोक भाव निम्नानुसार हैंः–

क्र.स.	वन उपज	इकाई	उत्पादन की मात्रा (रू. में)	मूल्य	औसत थोक भाव (रू. में)
अ	मुख्य वन उपज				
1	तेन्दू पत्ता	मा.बोरां	4923	944	180
2.	कत्था, जलाऊ लकड़ी, सिर बोझा	क्विटंल	उपलब्ध नहीं है।	उपलब्ध नहीं है।	उपलब्ध नहीं है।
ब	लघु उपज				
1	इमारती लकड़ी	क्विंटल	उपलब्ध नहीं है।	उपलब्ध नहीं है।	उपलब्ध नहीं है।
2.	वनों की शुद्व उपज	–	ठेके द्वारा	295	ठेके पर
3.	पौध वितरण	संख्या	उपलब्ध नहीं है।	196	–
4.	विविध	रूपये	–	2215	

स्त्रोत :– जिला सांख्यिकी रूपरेखा बूंदी 2009 के अनुसार

3.7 तेन्दू पत्ता :

इस प्रजाति के वृक्ष बहुत कम संख्या में पूरे जिले में पाये जाते हैं। र्निधन ग्रामीण परिवारों को वर्ष के सबसे कठिन समय में अर्थात माह अप्रेल–मई की भीषण गर्मी के समय में अपने स्थानीय क्षेत्र से ही अच्छी आय प्राप्त हो जाती है।

माह अप्रेल–मई में तेन्दू के वृक्ष पर प्रतिवर्ष नवीन कोमल पत्तों का उचित समय पर संग्रहण किया जाता है जो कि बीड़ी बनाने में काम आते हैं। यह उपज विभाग द्वारा एकत्रित करवायी जाती है। क्षेत्र को विभक्त कर तेन्दू पत्ता ईकाईयों का गठन किया गया है। ईकाईयों में उपलब्ध तेन्दू पत्ता की मात्रा एवं मूल्य के आधार पर प्रत्येक इकाई का विक्रय पंजीकृत विक्रेताओं को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता हैं। इस प्रकार तेन्दू पत्ता एकत्रीकरण से ग्रामीण श्रमिकों को निर्धारित दर पर राशि का भुगतान किया जाता है।

- **कत्था**– बूंदी वनमण्डल में खैर के वृक्ष काफी बड़ी संख्या में है। वर्ष 1997 तक विभागीय कार्यवृत, राजस्थान द्वारा इनसे कत्था बनाया जाता रहा था परन्तु वर्तमान में राजस्थान में कत्थे के वृक्ष कटान पर पाबन्दी होने से अब कत्था नहीं बनाया जाता।
- **गोंद**– वनों में बहुत से ऐसे वृक्ष है जिनसे गोंद निकलता है जैसे कल्धी, धावड़ा, खैर, बबूल खेजड़ी, छीला, सालर व कड़ाया मई 2012 से सभी प्रकार की गोंद निकासी पर पाबन्दी होने से अग्रिम आदेशो तक गोंद एकत्रीकरण पर रोक लगी हुई है।
- **बांस**– बूंदी वन मण्ड़ल में बांस के क्षेत्र बहुत ही कम है। बांस की स्थानीय मांग मुख्यत: टोकरे बनाने का कार्य बूंदी में एक जाति विशेष करती है।
- **अन्य लधु वन ऊपज**– खिरनी की लकड़ी खिलौने बनाने के काम आती है।
- **पत्थर**– डाबी रेंज के वन क्षेत्र में पत्थर निकासी की लीज राज्य सरकार द्वारा दी हुई है, जिनसे पट्टी, कातलें आदि भवन निर्माण सामग्री निकाली जाती है। इस सामग्री से जिले को काफी राजस्व प्राप्त होता है परन्तु अनियंत्रित खदानों से इस क्षेत्र में वनों को काफी हानि हुई है।
- **बाजार**– इस वन मण्ड़ल के मुख्य बाजार बूंदी, लाखेरी व नैनवा में है परन्तु वन पैदावर मुख्यत: कोटा, अजमेर व जयपुर में विक्रय के लिए भेजी जाती है।

इन वन क्षेत्रों से मुख्य योग्य सामग्री निम्न है–

- लकड़ी (कच्चे मकान बनाने हेतु)
- जलाऊ लकड़ी
- लकड़ी का कोयला
- अन्य लघु वन ऊपज जैसे– गोंद, बीडी पत्ता आदि

3.8 विक्रय के मार्ग

दिल्ली, बम्बई रेलवे लाईन, इस जिले में होकर लगभग 61 कि.मी. में गुजरती है। परन्तु इस रेल्वे लाईन द्वारा वन सामग्री बाहर नहीं भिजवायी जाती, यह मुख्यत: सड़कों द्वारा बाहर भेजी जाती है इस हेतु मुख्य सड़कें हैं :

क्र.स.	सड़क का नाम	जिले में सड़क की लम्बाई (किमी)
1.	देवली बूंदी–कोटा राज्य मार्ग–1	74 कि.मी.
2.	अलफा नगर–तालेड़ा रोड़	8 कि.मी.

3.	बूंदी–साइगर नमाना रोड़	1.5 कि.मी.
4.	जैतपुर तलवास रोड़	7 कि.मी.
5.	मीरा गेट–गणेश घाटी (बूंदी डबलाना रोड़)	27 कि.मी.
6.	नैनवा–जजावर रोड़	15 कि.मी.
7.	नैनवा–उनियारा रोड़	15 कि.मी.
8.	लबान–लाखेरी रोड़	11 कि.मी.
9.	खटकड़–केशवरायपाटन रोड़	25 कि.मी.
10.	तालेड़ा–केशवरायपाटन रोड़	24 कि.मी.
11.	कोटा बलाईथा–केशवरायपाटन रोड़	16 कि.मी.
12.	केशवरायपाटन –लबान रोड़	44 कि.मी.
13.	खटकड़ नैनवा रोड़	41 कि.मी.
14.	बूंदी–लाखेरी रोड़	69 कि.मी.
15.	बूंदी– चितौड़गढ़ रोड़	30 कि.मी.

उपरोक्त सड़क मार्गों के अलावा वन क्षेत्रों से गुजरने वाले अनेक कच्चे रास्ते हैं जो खदान क्षेत्रों तक जाते हैं। इन सड़क मार्गों से स्थानीय नागरिक उनको मिलने वाली रियायती सामग्री, स्वयं के उपयोग हेतु व बाजार में विक्रय हेतु ले जाते हैं। वन ऊपज निकासी मुख्यत: तेन्दू पत्ता की कही जा सकती जाती है जो कि विभागिय स्तर पर एकत्रित किया जाता है, इस वन उपज की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती।

Chapter – IV

	अध्याय 4	**CHAPTER IV**
	वन उपज के विदोहन व विपणन में वन विकास निगम की गतिविधियां और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के परिणाम	**Activities of the Forest Development Corporation in Harvesting and Marketing of forest produce, Results of Socio economic Survey**
4.1	दस वर्षीय जनसंख्या वृद्धि दर में कमी	Population Increase in Ten Years
4.2	पुरूष–महिला अनुपात	Gender Ratio
4.3	प्रतिवर्ग कि.मी. पर जनसंख्या घनत्व	Population Density per Sq. mt.
4.4	शहरीकरण में वृद्धि	Increased Urbanization
4.5	जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का वितरण	Distribution of ST and SC Population
4.6	व्यवसायानुसार जनसंख्या का वितरण	Distribution of Population According to Economic Activities
4.7	कृषि	Agriculture
4.8	पशुधन	Live Stock
4.9	मत्स्य पालन	Fish Rearing
4.10	डेयरी विकास	Dairy Development
4.11	सिंचाई व विद्युत	Irrigation and Electricity
4.12	साक्षरता	Literacy
4.13	रोजगार	Employment

अध्याय – 4

वन उपज के विदोहन व विपणन में वन विकास निगम की गतिविधियां और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के परिणाम

CHAPTER IV

Activities of the Forest Development Corporation in Harvesting and Marketing of forest produce, Result of Socio Economic Survey

4.1 दस वर्षीय जनसंख्या वृद्धि दर में कमी होना

बूंदी जिले की जनसंख्या के दस वर्षीय आंकड़ों का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि प्रति दस वर्ष में वर्ष 1931 से 1971 तक लगातार वृद्धि हुई और वर्ष 1971 के उपरान्त हर दशक में यह लगातार कम होती गयी है और वर्ष 2011 में पुनः सन् 1931 के स्तर तक आ पहुँची है अर्थात् 15.70% जनसंख्या वृद्धि दर में लगातार कमी होना केवल जिले के ही हित में नहीं है, वरन पूरे देश के हित में हैं क्योंकि जनसंख्या विस्फोट के कारण प्रतिव्यक्ति साधनों की कमी हो जाती है व जीवन स्तर में वृद्धि नहीं हो पाती है जोकि विकास का मुख्य सूचक है।

4.2 पुरूष–महिला अनुपात

पिछले 20 वर्ष के आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट जानकारी होती है कि प्रति 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 1991, 2001 व 2011 में क्रमशः 888, 907 व 922 रही है। यह राज्य सरकार द्वारा कन्या भ्रूण की हत्या पर विभिन्न साधनों द्वारा लगाये गये रोक का परिणाम है यदि इस अनुपात में वृद्धि नहीं होती तो स्थानीय समाज को अनेक सामाजिक समस्याओं का आने वाले समय में सामना करना पड़ता। इस सुधार का श्रेय बूंदी जिले में शिक्षा में वृद्धि का होना भी रहा है।

4.3 प्रतिवर्ग कि.मी. पर जनसंख्या घनत्व

जैसे-जैसे जनसंख्या किसी क्षेत्र में बढ़ती है, चूकिं क्षेत्र का क्षेत्रफल वही रहता है, परिणाम यह होता है कि प्रति कि.मी. जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाता है और प्रति व्यक्ति संसाधनों की कमी होती जाती है जिससे जीवन स्तर में गिरावट आती है और विकास की गति नकारात्मक हो जाती है वर्ष 1991, 2001 एवं 2011 में बूंदी जिले में

जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग कि0मी0 क्रमशः 139, 167 एवं 193 रहा है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने इस क्षति की पूर्ति की है अन्यथा लोगों को दैनिक उपभोग की सामग्री भी उपलब्ध न हो पाती जैसे उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीट नाशक, मशीनरी, आवागमन व मनोरंजन के साधन चिकित्साएं, सुविधाएं आदि।

4.4 शहरीकरण में वृद्धि :

पिछले 20 वर्ष के जनसंख्या के आंकड़ों के विश्लेषण से यह आभास होता है कि समय के साथ–साथ शहरीकरण की प्रक्रिया बढ़ती जाती है उदारणार्थ बूंदी जिले में वर्ष 1991, 2001 एवं 2011 में क्रमशः शहरों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत निम्न प्रकार रहा है। 17.36 %, 18.65 %, एवं 19.94% यह वृद्धि यह दर्शाती है कि ग्रामीण लोगों के ज्यों–ज्यों जीवन स्तर में वृद्धि हुई कुछ लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर गये जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या में कमी आती गयी है जो कि वर्ष 1991, 2001 एवं 2011 में क्रमशः निम्न प्रकार रही है 82.62 %, 81.35 %, एवं 80.06 %।

4.5 जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का वितरण :

वर्ष 1991 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का अनुपात क्रमशः 18.79 % व 20.25% रहा जबकि वर्ष 2001 में यह अनुपात 18.11 % ,एवं 20.24 %, रहा। उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि समय के साथ इन जातियों के अनुपात में अन्तर नगण्य रहा है अर्थात् किसी जाति विशेष का जिले से पलायन नहीं हुआ है।

धर्म के अनुसार समाज में परिवर्तन :

धार्मिक रूप से बूंदी जिले में मुख्यतः दो ही धर्म के धर्मावलम्बी निवास करते हैं हिन्दू व मुसलमान शेष धर्मों के लोगों की संख्या 20,000 से अधिक नहीं है अर्थात् नगण्य ही है।

वर्ष 1991 एवं 2011 में हिन्दू और मुसलमानों का अनुपात क्रमशः निम्न प्रकार रहा है 91.8%, 5.7 % एवं 91.6 %, 5.8 %, इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि किसी भी धर्म के व्यक्ति का धर्म के आधार पर पलायन नहीं हुआ है व जिले में धार्मिक सौहार्द है।

4.6 व्यवसायानुसार जनसंख्या का वितरण

वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों से यह जानकारी मिलती है कि लगभग 76% लोग अब भी कृषि पर निर्भर है जिनमें से 55% लोगों के पास स्वंय की भूमि है और

21% लोग कृषि क्षेत्र में मजदूरी करते हैं। मात्र 2% लोग ही ऐसे है जो खानदानी पेशे का अपनाये हुये हैं शेष जनसंख्या अन्य विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत हैं।

4.7 कृषि

बूंदी जिले में कृषि लोगों का रोजगार का मुख्य साधन है अतः इस क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण आवश्यक है। वर्ष 2003 एवं 2007 में गेहूँ, मक्का व चावल हेतु क्षेत्रफल क्रमशः निम्न प्रकार रहा है, वर्ष 2003 में 1030, 444 एवं 744 वर्ग कि.मी. व वर्ष 2007 में 1298, 3323 एवं 1696 वर्ग कि.मी.। उक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि न केवल तीन मुख्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, बल्कि जोते गये खेतों के क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई है जिसका मुख्य श्रेय अच्छी सिंचाई की सुविधाओं को जाता है। जिले में गेहूँ, मक्का और चावल का उत्पादन, लाख टन में क्रमशः निम्न प्रकार हुआ है 4.55, 1039 एवं 0.488। इनके अतिरिक्त जिले में थोड़े–थोड़े ज्वार, बाजरा व जौ भी अनाज के रूप में पैदा किये जाते हैं। तिलहन में सरसों के स्थान पर सोयाबिन को प्राथमिकता देने लगे हैं, यह पिछले दस वर्षो के अध्ययन से स्पष्ट होता है। इस जिले के अन्य मुख्य कृषि उत्पाद है विभिन्न प्रकार की दाले, मसालें व सब्जियां । वर्ष 2007 मे खरीफ की फसलें 1797 वर्ग कि.मी. में बोयी गयी व रबी की फसलें 1991 वर्ग कि.मी. में, पिछले दस वर्ष के आंकड़ों से यह भी विदित होता है कि जिले मे प्रति हैक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। बूंदी जिले में बहुत ही उत्तम गुणवता का चावल उत्पन्न होता है जोकि खाड़ी के देशो के लिये निर्यात भी किया जाता है इसका उत्पादन वर्ष 2007 में प्रति हैक्टेयर 1775 कि ग्राम था जो 2007 में 2875 कि.ग्रा. हो गया ऐसा ही गेहूँ के साथ है वर्ष 2003 में इसका उत्पादन प्रति हैक्टेयर 2242 कि.ग्रा. था जो कि वर्ष 2007 में 3506 कि.ग्रा. हो गया।

4.8 पशुधन

बूंदी जिले के पशुधन की सारणी निम्नानुसार है :

वर्ष	गाय व /बैले	भैंस/भैंसें	भेड़	बकरियां	ऊंट
1997	3,21,137	1,24,372	86,661	3,24,254	5,244
2003	2,60,832	1,40,293	66,921	3,08,107	3,742
2007	2,73,659	2,81,233	58,915	3,68,823	2,196

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी रूपरेखा 2009, बूंदी

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि जिले में प्रतिवर्ष गायों की संख्या के अनुपात में भैंसों की संख्या में वृद्धि हुई है। जिसका मुख्य कारण है डेयरी उद्योग का विकास।

पहले गायों को चरने के लिये वन क्षेत्रों में भेज देते थे परन्तु अब कृषि उत्पादों के द्वारा भैंसों को घर पर रख कर ही चराते हैं, और दूध बेचकर कृषक अतिरिक्त आय करते हैं, जिसके दूध में वसा की मात्रा भी अधिक होने से उन्हें दूध की अधिक राशि मिलती हैं। इसी प्रकार कुक्कट की संख्या में कमी यह दर्शाती है कि अतिरिक्त व्यय हेतु इनके विक्रय में वृद्धि हुई है परन्तु इस क्षेत्र में इसके अनुरूप कुक्कट की वृद्धि नहीं हुई है।

जिले में मछलियों की किस्म व उत्पादन निम्नानुसार है –

मछलियों की किस्म	इकाई	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08
मेजर कार्य (कातल, रोहू मिग्रल)	कि. ग्रा.	296584	323733	375445	377205	476000
केट फिश (लांची, सिगाड़ा, संवल)	कि. ग्रा.	206397	145295	201946	298270	272000
माईनर कार्य (बारा, फूटी, सरसो)	कि. ग्रा.	162332	233032	218339	240015	242000
योग		665313	702060	795730	915490	990000

स्त्रोत :– जिला सांख्यिकी रूपरेखा बूंदी 2009 के अनुसार

4.9 मत्स्य पालन :

यदि वर्ष 2003 व 2007 के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो यह तथ्य सामने आता है कि इस क्षेत्र मे पायी जाने वाली मछलियों के उत्पादन में लगभग 50% की उन्नती पायी गयी है। वर्ष 2003 में 6.65 लाख कि.ग्राम मछलियों को उत्पादन हुआ जो 2007 में बढ़कर 9.99 लाख कि.ग्राम हो गया।

4.10 डेयरी विकास :

वर्ष 2003 व 2007 के आंकड़ो के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में लगभग 10% प्रतिवर्ष की हिसाब से वृद्धि हो रही है वर्ष 2003 के बूंदी जिले में कुल दूध का उत्पादन 50,77,618 लीटर था जो 2007 में 72,53,280 लीटर हो गया।

4.11 सिंचाई व विद्युत :

वर्ष 2003 में जिले में कुल सिंचित क्षेत्र 1696 वर्ग कि.मी. था जो वर्ष 2007 में बढ़कर 2007 वर्ग कि.मी. हो गया। जिसका मुख्य कारण सिंचाई के साधनों में अभिवृद्धि होना रहा है। जिले में वर्ष 1997 में विद्युत पम्प व ट्रेक्टर क्रमशः 7725 व 4473 थे जो वर्ष 2003 में बढ़कर क्रमशः 13309 व 7176 हो गये।

किस भी क्षेत्र के विकास को नापने के लिये प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत को मुख्य आधार माना जाता है। यह ही स्थिति विद्युत उपयोग की है वर्ष 2003–4 में जिले में विद्युत उपयोग 96 मि. किलोवाट था जो वर्ष 2007–08 में बढ़कर लगभग 125 किलोवाट हो गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि जिले में जनसंख्या के जीवन स्तर में वृद्धि हुई है व विकास हुआ है।

4.12 साक्षरता :

वर्ष 1991 में जिले में साक्षरता प्रतिशत 32.75 थी जो 2001 में बढ़कर 55.57 प्रतिशत हो गयी। नगरीय क्षेत्रों में तो यह 64 प्रतिशत से बढ़कर 73% हो गयी जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 26.02 से 51.4% हो गयी। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों के प्रसार से शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई है विशेषतः नारी शिक्षा में जो कि इन दस वर्षों में दो गुनी से भी अधिक हो गयी है।

4.13 रोजगार :

वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार बूंदी जिले में 46% लोग कार्यशील है व 52.5% अकार्यशील है शेष सीमान्त कार्यशील है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि जिले में बेरोजगारी कितने विकरालरूप में है, ग्रामीण क्षेत्रों मे तो बेरोजगार लोगों का प्रतिशत और भी अधिक है। इस कार्य योजना के क्रियान्वयन काल में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम मात्रा में ही सही परन्तु रोजगार उपलब्ध होगा। जिले में यदि वांछित विकास चाहिये तो शिक्षा में वृद्धि तथा जनसंख्या वृद्धि में कमी किया जाना अति आवश्यक है। शिक्षित व्यक्ति वन विकास पर्यावरण व प्रदूषण की कठिनाईयों को अच्छी प्रकार समझ सकता है।

Chapter – V

S. No.	अध्याय 5	CHAPTER V
	पंचवर्षीय योजनाऐं	**Five Year Plans**
5.1	परिचय	Introduction
5.2	प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951–56	First Five Year Plan 1951-56
5.3	द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956–61	Second Five Year Plan 1956-61
5.4	तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961–66	Third Five Year Plan 1961-66
5.5	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969–74	Fourth Five Year Plan 1969-74
5.6	पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974–79	Fifth Five Year Plan 1974-79
5.7	छठी पंचवर्षीय योजना 1980–85	Sixth Five Year Plan 1980-85
5.8	सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985–90	Seventh Five Year Plan 1985-90
5.9	वर्ष 1990–92 की अवधि	Period between 1990 and 1992
5.10	आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992–97	Eighth Five Year Plan 1992-97
5.11	नवीं पंचवर्षीय योजना 1997–2002	Ninth Five Year Plan 1997-2002
5.12	दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002–07	Tenth Five Year Plan 2002-07
5.13	ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना 2007–12	Eleventh Five Year

अध्याय–5

पंचवर्षीय योजनाएं

Chapter – V

Five Year Plans

5.1 परिचय–

राष्ट्रीय कार्य आयोजना संहिता 2004 में दिये गये दिशा निर्देशानुसार यह अध्याय प्रथम बार कार्य आयोजना बूंदी में सम्मिलित किया जा रहा है। इस अध्याय में प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951) से वर्तमान 2012 तक योजनावार अवधि में करवाये गये वानिकी कार्यों के विषय में वर्णन किया गया है। स्वतंत्र भारत में विकास की प्रक्रिया को गति, दिशा व उद्धेश्य प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को आधार बनाया गया। यह कार्य 'योजना आयोग' द्वारा किया जाता है, जिसके पदेन अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। आयोग का सामान्य कार्य उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है जो कि मनोनित होते हैं। वर्तमान में अर्थशास्त्री श्री मोन्टेक सिंह अहलुवालिया भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। वर्ष 2012 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम वर्ष है।

समस्त आरम्भ से अब तक की पंचवर्षीय योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है –

क्र.स.	योजना का नाम	अवधि
1.	प्रथम पंचवर्षीय योजना	1951–56
2.	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	1956–61
3.	तृतीय पंचवर्षीय योजना	1961–66
4.	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	1969–74
5.	पॉचवी पंचवर्षीय योजना	1974–79
6.	छठी पंचवर्षीय योजना	1980–85
7.	सातवीं पंचवर्षीय योजना	1985–89
8.	आठवी पंचवर्षीय योजना	1992–97
9.	नवीं पंचवर्षीय योजना	1997–2002
10.	दसवीं पंचवर्षीय योजना	2002–07
11.	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	2007–12

भारत सरकार द्वारा वानिकी क्षेत्र को योजनावार आवंटित राशि स्वतंत्रता उपरान्त योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में वानिकी विकास हेतु आवंटित राशि निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	योजना का नाम	अवधि	कुल परिव्यय राशि (करोड़ रू. में)	वनिकी एवं वन्य जीव हेतु व्यय राशि (करोड़ रू. में)	कुल योजना परिव्यय का प्रतिशत
1.	प्रथम पंचवर्षीय योजना	1951–56	2069	7.64	0.37
2.	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	1956–61	4800	21.21	0.44
3.	तृतीय पंचवर्षीय योजना	1961–66	7500	45.85	0.61
4.	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	1969–74	6,687	41.93	0.63
5.	पांचवी पंचवर्षीय योजना	1974–79	15,901	89.42	0.56
6.	छठी पंचवर्षीय योजना	1980–85	38,853	208.84	0.53
7.	सातवीं पंचवर्षीय योजना	1985–89	97,500	692.49	0.71
8.	आठवी पंचवर्षीय योजना	1992–97	1,80,000	1,859.10	1.03
9.	नवीं पंचवर्षीय योजना	1997–02	1,39,197	1,413.00	1.01
10.	दसवीं पंचवर्षीय योजना	2002–07	4,34,100	4,081.87	0.94
11.	ग्याहरवी पंचवर्षीय योजना	2007–12	8,59,200	8,189.09	0.95

वर्ष 1967 से 1968 तक का काल–

वर्ष 1965 में हुए भारत–पाक युद्ध के उपरान्त वर्ष 1966–67, 1967–68, 1968–69 में केन्द्र सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना प्रणाली को त्याग कर वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी।

वर्ष 1990–1992 का काल–

वर्ष 1990 से 1992 तक वार्षिक योजनाएं ही बनाई गई, जिले में इस अवधि में विभिन्न योजना अन्तर्गत जो वृक्षारोपण करवाये गये उनका विवरण मण्डल कार्यालय बूंदी द्वारा उपलब्ध करवाया गया निम्नानुसार है।

वर्ष 1951 से 2012 तक के काल का पंचवर्षीय योजनावार विवरण निम्नानुसार है।

5.2 प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष (1951–56)

8 दिसम्बर, 1951 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की जिसका बजट 206.80 अरब रूपये था। भारत के प्रथम कृषि मंत्री स्व. श्री कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ने 1952 में "वन महोत्सव" के रूप मे एक आन्दोलन आरम्भ किया और राजस्थान राज्य का बूंदी जिला भी इससे अछूता नहीं रहा और बूंदी वनमण्डल में अनेक वृक्षारोपण करवाये गये जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.स.	वर्ष	स्थान	क्षेत्रफल (है0)	व्यय(रू. में)
1	1954	बाईपास बूंदी	16	865
2	1954	डाटुन्दा	10	1247
3	1954	चतरगंज	2	298
4	1954	देई	20	2249
5	1954	खटकड़	1	223
योग			**49**	**4,882**
1	1955	मांगली	10	2671
2	1955	गोबरिया की राड़ी	10	1872
3	1955	चतरगंज	12	4535
4	1955	देई	20	5548
		योग	**52**	**14,626**
1	1956	मांगली	30	12401
2	1956	जैतपुरा	40	11192
3	1956	लाखेरी	40	12776
		योग	**110**	**46,369**
		महायोग	**211**	**45,877**

स्त्रोत :– गत कार्य आयोजना

इस पंचवर्षीय योजना में वन मार्ग का निर्माण नहीं किया गया

5.3 द्वितीय पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1957 – 1961)

इस योजना काल में भारी उद्योगों की स्थानों पर मुख्यरूप से ध्यान केन्द्रित किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में निम्न विकास कार्य करवाये गयें :

वृक्षारोपण

क्र.स.	वर्ष	स्थान	क्षेत्रफल (है0)	व्यय (रू.में)
1	1957	मांगली	30	8836
2	1957	जैतपुरा	40	11842
3	1957	लाखेरी	40	11396
		योग	**110**	**32,074**
1	1958	मांगली	30	9074
2	1958	जैतपुरा	40	10849
3	1958	लाखेरी	40	10980
4	1958	बूंदी	23	8479
5	1958	बड़ाखेड़ा	20	6609
		योग	**153**	**4599**
1	1959	मेज	30	887
2	1959	जैतपुरा	20	5300
3	1959	लाखेरी	20	5499
4	1959	गुढ़ाबीड़	40	10603
		योग	**110**	**30273**
1	1960	मेज	30	4498
2	1960	गुढ़ा बीड़	40	6000
		योग	**70**	**10498**
		महायोग	**443**	**1,18,836**

स्त्रोत :– गत कार्य आयोजना

- वर्ष 1957–58 में नैंनवा में एक वनपाल आवास का निर्माण करवाया गया जिस पर कुल व्यय रू. 10,000 हुए।
- ग्राम खेनिया में वन रक्षक चौकी का निर्माण करवाया गया जिस पर कुल व्यय 4409 रूपये हुआ।

चक्रात्मक चराई हेतु पेड़ोक्स निर्माण

क्र.स.	वर्ष	स्थान	क्षेत्रफल (है0)	व्यय (रू. में)
1	1957	खटकड़	40	1918
2	1958	खटकड़	40	2000
3	1958	हिण्डोली	80	3000
योग			**160**	**6918**
1	1959	खटकड़	40	2692
2	1959	हिण्डोली	40	2000
योग			**80**	**4692**
1	1960	पानीढ़ाल	80	4000
2	1960	पोलाई	80	4000
3	1960	तलवास	80	4000
		योग	**240**	**12000**
महायोग			**480**	**23610**

स्त्रोत :– गत कार्य आयोजना

वर्तमान डाबी रेंज के अतिरिक्त वर्ष 1961 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

माह जुलाई 1958 में श्री पी.एस. श्रीवास्तव भा.व.से. द्वारा कार्य योजना लेखन का कार्य आरम्भ किया व जून 1961 से बूंदी वनमण्डल के कार्य आयोजना लेखन कार्य पूर्ण किया। इस काल में रेंज डाबी के अलावा अन्यत्र अग्नि रेखाऐं संधारित नहीं की जा रही थी और इसमें 90 किमी अग्नि रेखाएं थीं जिन्हें संधारित किया जा रहा था।

5.4 तृतीय पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1961 से 1966)

(1) वृक्षारोपण

क.सं.	वर्ष	क्षेत्रफल (है.)	व्यय रू. में	विशेष विवरण योजना का नाम
1	1962–63	160.92	33952	कन्दरा वृक्षारोपण
2	1963–64	1461.03	174970	अवर्गीकृत वन एवं कन्दरा वृक्षारोपण
3	1964–65	1086.95	207615	अवर्गीकृत वनखण्ड
4	1965–66	20.23	7062	कन्दरा वृक्षारोपण
5	1966–67	120.00	44143	कन्दरा वृक्षारोपण
	योग	**2849.13**	**467742**	

स्त्रोत :– गत कार्य आयोजना

तृतीय पंचवर्षीय योजना के पेडाक्स का विवरण निम्नानुसार है।

क.स.	नाम पेडोंक्स	वनखण्ड निर्माण वर्ष	क्षेत्रफल हैक्टर में
1	अम्बारानी	1963 – 64	3244
2	गराड़ी महोत्सव संविभाग सं. 2	1964 – 65	2000
3	करोन्दी	1966 – 67	405
4	तलवास क्लोजर	1966 – 67	60
5	पीपल्या माणक चौक क्लोजर	1966 – 67	80
	योग		**5789**

स्त्रोत :– गत कार्य आयोजना

- प्रथम दो पेडोक्स का क्षेत्र अब कोटा वन मण्डल को स्थानान्तरित हो चुका है।
- वर्ष 1966–67 में सलमदरा में भवन वन रक्षक हट कर निर्माण करवाया गया।

वर्ष 1967 – 68 में करवाये गये वृक्षारोपणों का वर्णन

क.स.	नाम वृक्षारोपण	वर्ष	क्षेत्रफल है. में	व्यय रूपयों में	योजना
1	मरा वृक्षारोपण – ए	1967	80	23658.50	कन्दरा वृक्षारोपण
2	मरा वृक्षारोपण – बी	1967	40	23453.00	कन्दरा वृक्षारोपण
3	नयागांव	1967	80	27998.00	कन्दरा वृक्षारोपण
4	ख्यावादा	1967	80	27058.00	कन्दरा वृक्षारोपण
5	बांसी डूंगरी	1967	40	15362.50	कन्दरा वृक्षारोपण
	योग		**320**	**467742**	
1	मरा वृक्षारोपण (68)	1968	50	25092.60	कन्दरा वृक्षारोपण

स्त्रोत :– गत कार्य आयोजना

5.5 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में करवाये गये वृक्षारोपण एवं क्लोजर्स (वर्ष 1969 से 1974)

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में करवाये गये वृक्षारोपण निम्नानुसार है :

क. स.	नाम वृक्षारोपण	वर्ष	क्षेत्रफल है. में	व्यय रू. में	योजना
1	मरा वृक्षारोपण 69	1969–70	80	46640.50	कन्दरा वृक्षारोपण
2	लक्ष्मीपुरा क्लोजर 269	1970–71	64	3662.50	कन्दरा वृक्षारोपण
3	ख्यावदा वृक्षारोपण 71	1971–72	250	1,40,101.31	कन्दरा वृक्षारोपण

4	गुलखेड़ी क्लोजर 71	1971–72	170	32,136.04	कन्दरा वृक्षारोपण
5	सथुर क्लोजर 71	1971–72	100	7460.50	कन्दरा वृक्षारोपण
6	खटकड़ क्लोजर 71	1971–72	100	7166.20	कन्दरा वृक्षारोपण
7	पिपलिया माणक चौक क्लोजर	1971–72	140	10768.69	कन्दरा वृक्षारोपण
8	झरपीर मीराजी की बावड़ी क्लोजर 71	1971–72	150	33,426.14	कन्दरा वृक्षारोपण
9	हिण्डोली की पहाड़ी क्लोजर 271	1971–72	6	5740.40	कन्दरा वृक्षारोपण
10	झरपीर क्लोजर 71	1971–72	100	7343.25	कन्दरा वृक्षारोपण
11	ख्यावदा वृक्षारोपण	1972	120	65403.44	कन्दराओं में भू–संरक्षण
12	तलवास आतरंदा वृक्षारोपण	1972	100	24210.52	कन्दराओं में भू–संरक्षण
13	खिण्या क्लोजर	1972	100	23082.65	अकाल राहत कार्य
14	फोलाई क्लोजर	1972	100	19512.00	अकाल राहत कार्य
15	पिपलिया माणक चौक क्लोजर	1972	–	5110.00	अकाल राहत कार्य
16	लक्ष्मीपुरिया रामपुरिया क्लोजर	1972	100	18671.49	अकाल राहत कार्य
17	ओडान्डा क्लोजर	1972	100	19585.63	अकाल राहत कार्य
18	तलवास आतरंदा क्लोजर	1972	100	16547.44	अकाल राहत कार्य
19	हिंडोली काछोला क्लोजर	1972	100	13437.44	अकाल राहत कार्य
20	ख्यावदा वृक्षारोपण	1973	250	1,02,927.65	कन्दराओं में भू–संरक्षण
21	खटकड़ वृक्षारोपण	1974	200	130,799.06	कन्दराओं में भू–संरक्षण
22	कांटी अस्तोली क्लोजर	1974	46	31813.64	कन्दराओं में भू–संरक्षण
योग			1060		294445.53

स्त्रोत :– गत कार्य आयोजना

क.स.	विकास कार्य का नाम	निर्माण वर्ष	क्षेत्रफल है. में	व्यय रू. में
1	ख्यावदा वृक्षारोपण 1973	1973–74	250	1,02,927.65
2	खटकड़ वृक्षारोपण 1974	1974–75	200	1,30,799.06
3	कांटी अस्तोली क्लोजर 1974	1974–75	46	31813.64

स्त्रोत :– गत कार्य आयोजना

इस पंचवर्षीय योजना में भवन निर्माण कार्य निम्न प्रकार करवाया गया।

वर्ष	स्थान	उद्देश्य
1969 – 70	सरोदरा गुलखेड़ी	वन रक्षक हट नाका भवन
1970 – 71	खटकड़ खयावदा	वनपाल क्वार्टर वनरक्षक हट
1971 – 72	तलवास	वृक्ष पालक हट

स्त्रोत :– गत कार्य आयोजना

(III) वर्ष 1972 – 73 में विभागीय कार्य मण्डल कोटा द्वारा बूंदी वन मण्डल में कूप्स कटाई का कार्य आरम्भ किया गया जो कि पूरे पंचवर्षीय योजनाकाल में चला।

5.6 पांचवी पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1974 – 79)

क. स.	नाम कार्य	निर्माण वर्ष	क्षेत्रफल (है. में)	व्यय (रूपयों में)	योजना का नाम
1	झरपीर क्लोजर 75	1975– 76	200	25306.8	पहाड़ी क्षेत्रों में भू–संरक्षण
2	शिकार बुर्ज क्लोजर 75	1975 – 76	34	4199.00	पहाड़ी क्षेत्रों में भू–संरक्षण
3	कांटी अस्तोली क्लोजर 75	1975 – 76	100	23886.00	पहाड़ी क्षेत्रों में भू–संरक्षण
4	पीपलिया माणक चौक 75	1975 – 76	110	30808.34	पहाड़ी क्षेत्रों में भू–संरक्षण
5	खटकड़ वृक्षारोपण 75	1975 – 76	50	22929.37	पहाड़ी क्षेत्रों में भू–संरक्षण
6	देवडूंगरी क्लोजर 76	1976 – 77	88	21004.20	पुर्नभ्रांषित वनों का पुर्नवास
7	नया बाग क्लोजर 76	1976 – 77	110	16026.41	अवर्गीकृत वन

8	कांटी अस्तोली क्लोजर 76	1976 – 77	110	25349.79	पुर्नभ्रांषित वनों का पुर्नवास
9	देई फुलेता वृक्षारोपण 76	1976– 77	100	25340.94	पुर्नभ्रांषित वनों का पुर्नवास
10	कांकरा क्लोजर 76	1976– 77	100	18997.47	पुर्नभ्रांषित वनों का पुर्नवास
11	शिकारबुर्ज वृक्षारोपण 76	1976– 77	100	6080.50	जूलीफ्लोरा वृक्षारोपण
12	जाखमुण्ड वृक्षारोपण 76	1976–77	50	3003.10	जूलीफ्लोरा वृक्षारोपण
13	बड़ा बीड़ वृक्षारोपण 76	1976– 77	100	6010.40	जूलीफ्लोरा वृक्षारोपण
14	कठयाडी रजवास वृक्षारोपण 76	1976 – 77	100	5995.00	जूलीफ्लोरा वृक्षारोपण
15	टोंकरा बी वृक्षारोपण 76	1976 – 77	50	2997.35	जूलीफ्लोरा वृक्षारोपण
16	कांटी अस्थोली क्लोजर 77	1977 – 78	100	27499.61	पुर्नभ्रांषित वनों का पुर्नवास
17	कांकरा क्लोजर 77	1977 – 78	40	9900.00	पुर्नभ्रांषित वनों का पुर्नवास
18	नीम का खेड़ा क्लोजर 77	1977 – 78	60	17497.00	पुर्नभ्रांषित वनों का पुर्नवास
19	हिण्डोली क्लोजर	1977 – 78	40	5987.75	केन्द्र प्रभावित योजना
20	बस्सी वृक्षारोपण	1977 – 78	200	66963.55	केन्द्र प्रभावित योजना
21	लीलाड़ा सड़क किनारे वृक्षारोपण	1977 – 78	282	11390.61	शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण
22	खटकड़ वृक्षारोपण	1978 – 79	100	25996.00	शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण
23	गरड़दा क्लोजर	1978 – 79	150	49,911.85	शेल्टर बेल्ट

					वृक्षारोपण
24	खटकड़ वृक्षारोपण	1978 – 79	100	38264.80	शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण
25	फूलेता वृक्षारोपण	1978 – 79	100	38300.02	शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण
26	नाहरगढ़–भोजगढ़ वृक्षारोपण	1978 – 79	125	37849.70	शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण
27	डाटुन्दा वृक्षारोपण	1978 – 79	50	19150.00	शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण
28	फूल सागर क्लोजर	1978 – 79	100	41945.90	पुराने कार्य नवीनीकरण
29	एरोड्रम बालाजी वृक्षारोपण	1978 – 79	100	4500.00	अवर्गीकृत वन
30	देवडूंगरी वृक्षारोपण	1978 – 79	100	1500.00	अवर्गीकृत वन
31	बस्सी वृक्षारोपण	1978 – 79	240	52998.87	सी.एस.एस
32	लीलाडा माईनर वृक्षारोपण	1978 –79	5.5	9100.46	शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण
33	लीलाडा माईनर वृक्षारोपण	1978 –79	2.7	8512.80	शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण
34	बूंदी नैनवा सड़क किनारे वृक्षारोपण	1978 – 79	1.7	1300.17	शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण
35	नया बाग सड़क किनारे वृक्षारोपण	1978 – 79	–	1200.00	शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण
36	सथूर सड़क किनारे वृक्षारोपण	1978 – 79	50	19399.35	शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण
37	सथूर सड़क किनारे वृक्षारोपण (गुलाब की बावड़ी)	1978 – 79	3.3	12906.65	शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण
38	टोंकडा सड़क किनारे वृक्षारोपण	1978 – 79	2.5	9453.50	शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण
39	देवका वृक्षारोपण	1978 – 79	1.3	4500.00	शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण
40	बासनी सड़क किनारे	1978 – 79	4.7	17367.86	शेल्टर बेल्ट

	वृक्षारोपण				वृक्षारोपण
41	जजावर वृक्षारोपण	1979 – 80	200	158395.14	फूड़ फार वर्क योजना
42	लक्ष्मीपुरा–मरा फतेहपुरा क्लोजर	1979 – 80	95	49646.25	फूड़ फार वर्क योजना
43	उदांड़ा वृक्षारोपण	1979 – 80	50	28000.00	फूड़ फार वर्क योजना

स्त्रोत :– गत कार्य आयोजना

भवन निर्माण

क्र.स	स्थिति	निर्माण वर्ष	व्यय राशि (रू.में)
1	नाका बसौली	1975 – 76	2,375.00
2	नर्सरी माली हट पेंच की बावड़ी	1976 – 77	3248.00
3	केटल गार्ड हट कांटी अस्तोली	1976 – 77	4912.00
4	केटल गार्ड हट क्लोजर हिंडोली	1976 – 77	4912.00
5	वनरक्षक चौकी फूलेता	1976 – 77	14606.00
6	नर्सरी मांगली	1976 – 77	1624.00
7	केटल गार्ड हट क्लोजर लक्ष्मीपुरा	1976 – 77	2598.00
8	केटल गार्ड हट कांकरा	1976 – 77	2436.00

स्त्रोत :– गत कार्य आयोजना

5.7 छठी पंचवर्षीय योजना वर्ष (1980 – 85)

(a) इस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1981 में दो भवनों का निर्माण कराया गया जो निम्नानुसार है :

क.स.	नाम भवन	स्थान	वर्ष	राशि (रू. में)
1	जैतपुर चौकी	जैतपुर (नैनवा)	1981	20,000
2	आंकोदा चौकी	आकोदा (हिण्डोली)	1981	20,000

(b) इस पंचवर्षीय योजना में वृक्षारोपण व क्लोजर्स निम्न प्रकार करवाये गये।

क. स.	नाम कार्य	वर्ष	क्षेत्रफल (है.)	राशि (रू. में)	योजना
1	ए–क्लोजर	1980 – 81	112	45451.54	फूड फॉर वर्क ए. पी. ए वर्क
2	शिकार बुर्ज	1980 – 81	30	9986.00	फूड फॉर वर्क ए. पी. ए वर्क
3	खारीबाड़ा	1980 – 81	56	2145.08	फूड फॉर वर्क ए. पी. ए वर्क
4	खानपुरा डूंगरी	1980 – 81	–	78778.88	फूड फॉर वर्क ए. पी. ए वर्क
5	गुढ़ा नीम का खेड़ा	1980 – 81	–	70392.57	फूड फॉर वर्क ए. पी. ए वर्क
6	कोटड़ी क्लोजर	1980 – 81	–	20346.00	फूड फॉर वर्क ए. पी. ए वर्क
7	जजावर वृक्षारोपण	1980 – 81	–	2995.00	फूड फॉर वर्क ए. पी. ए वर्क

वर्क 1981 से 86 तक के आंकडे उपलब्ध नहीं है।

(c) इस काल में जिला बूंदी में विभागीय कार्य वृत्त द्वारा लकड़ी–कोयला व कत्था कूप्स में कार्य जारी रहे।

5.8 सातवी पंचवर्षीय योजना (1985 से 90 तक)

सातवी पंचवर्षीय योजना में करवाये गये वृक्षारोपण व क्लोजर्स का विवरण निम्नानुसार है :

क.स.	वर्ष	वृक्षारोपण क्षेत्रफल	लगाये गये पौधें	योजना
1	1987	272	1,63,960	राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी योजना
2	1987	300	3,15,500	आर.एल.जी.पी.
3	1987	100	3500	परि.वनों का पुर्नवास
4	1987	150	70,000	चारागाह विकास
5	1987	325	71,800	एन.आर.ई.पी.
	योग	**1147**	**561760**	—

इसके अतिरिक्त नहर किनारे वृक्षारोपण 118 रनिग कि.मी में 3,7500 पौधे लगाये गये।

1	1988	476	3,38,100	सा.वा. परि.
2	1988	500	165700	बीहड़ सुधार योजना
3	1988	30	3000	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
	योग	**1006**	**5,33,800**	–
1	1989	100	76800	–
2	1989	500	14000	–
	योग	**600**	**216800**	–

5.9 वर्ष 1990 – 92 की अवधि :

वर्ष 1990 – 92 तक मात्र वार्षिक योजनाऐं ही बनाई गई, इस काल में राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी योजना व बीहड़ सुधार योजना के अर्न्तगत वृक्षारोपण करवाये गये। इस काल में बूंदी वन मण्डल में करवाये गये पौधारोपण की स्थिति निम्न सारिणी अनुसार है :–

क.स.	वर्ष	रोपित क्षेत्रफल (है. में)	रोपित पौधों की संख्या
1	1990 – 91	708	3,03,500
3	1991 – 92	700	3,86,500

5.10 आठवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष (1992 – 97)

वर्ष 1992 से पुनः नियमित पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम आरम्भ हुआ। इस पांच वर्षों में बूंदी वन मण्डल में भू–संरक्षण परियोजना, पर्यावरण विकास परियोजना, परिभ्रांषित वनों का पुर्नवास शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं लघु वन उपज का विकास, योजनाओं के अर्न्तगत विकास कार्य करवाये गये जिनका विस्तार विवरण निम्न सारणी अनुसार है :–

क.सं.	वर्ष	रोपित क्षेत्र. (है. में)	रोपित पौधे	योजना का नाम	कुल व्यय
1	1990–93	250	2,55,000	राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना	–
2	1993–94	587	4,43,500	"	–
3	1994–95	547	260017	"	–
4	1995–96	360	1,92,649	"	21.67
5	1996–97	1850	2,51,201	"	140.24

5.11 नवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष (1997 – 2002)

इस पंचवर्षीय योजना में वनमण्डल बूंदी में निम्न योजनाओं के तहत शहरी वृक्षारोपण व विकास कार्य करवाये गये जिनका वर्षवार विवरण निम्न सारणी अनुसार है।

क.सं.	वर्ष	रोपित पौधों की संख्या	व्यय राशि (लाखों में)
1	1997–98	1,20,321	48.17
2	1998–99	3,77,505	95.59
3	1999–20	4,28,000	73.73
4	2000–01	35,000	3.07
5	2001–02	23,000	5.96

इस योजना अवधि में प्रथम बार बडे पैमाने पर साझा वन प्रबन्धन के तहत वृक्षारोपण के साथ–साथ समग्र ग्रामीण विकास के गैर वानिकी कार्य भी विभाग द्वारा प्रारम्भ किये गये। जनता को विभाग के कार्य व भावना के साथ जोड़ने की प्रभावी शुरूआत इस योजना अवधि में ही हुई। वर्ष 1997 में विभागीय कार्य मण्ड़ल ने लकड़ी–कोयला कूप व कत्था कूप का विदोहन पूर्णतः बन्द कर दिया।

5.12 दसवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2002 – 2007)

इस योजना अवधि में देश में वन एवं वृक्ष आवरण 2007 तक 25 प्रतिशत तथा 2012 तक 33 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2002 एवं 2003 में किसी योजना अंतर्गत कार्य आंवटन के अभाव में जिलें में वृक्षारोपण कार्य नहीं हो पाये वर्ष 2004 से 2006 के मध्य के काल में वृक्षारोपण राष्ट्रीय वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना वन विकास ऐजेंसी बूंदी, भू–संरक्षण योजना एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपणों के मद में कार्य करवाये गये। सन् 2004 में जापान से सहायता प्राप्त 'राजस्थान जैव विविधता परियोजना' के प्रारम्भ होने के साथ ही जिले में पुनः वृक्षारोपण साझा वन प्रबन्धन सुदृढ़ीकरण द्वारा, एवं ग्रामीण विकास के कार्य हाथ में लिये गये। वर्ष 2004 से ही राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम अंतर्गत वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के माध्यम से कार्य कराने हेतु जिले में वन

विकास अभिकरण की स्थापना हुई तथा योजना अन्तर्गत विकास कार्य आरम्भ करवाये गये। इस अवधि में विभाग द्वारा वानिकी विकास कार्य अंतर्गत रोपित क्षेत्रफल लगाये गये पौधों की संख्या तथा किया गया कुल व्यय निम्नानुसार है :–

क.सं.	वर्ष	क्षेत्रफल (है. में)	रोपित पौधों की संख्या (लाखों में)	रोपित कार्य पर कुल व्यय (लाख रूपयों में)
1	2002–2003	50	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2	2003–2004	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3	2004–2005	1250	5.72	157.59
4	2005–2006	1373	6.37	214.31
5	2006–2007	1450	5.56	225.02

वर्ष 2002 में लघु वन उपज योजना तहत 50 हैक्टेयर में वृक्षारोपण करवाया गया। वर्ष 2004, 2005, 2006 में राष्ट्रीय वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रमश 1250, 1373 एवं 1450 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाये गये। शेष वृक्षारोपण कार्य क्षतिपूर्ति के रूप में लिये गये हैं।

5.13 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2007 – 2012)

इस योजना अवधि में अन्य लक्ष्यों के साथ–साथ देश में वन आवरण को 5 प्रतिशत बढ़ाये जाने का लक्ष्य रखा गया। साझा वन प्रबन्धन की प्रणाली को अधिक स्थाई व स्वावलम्बी बनाने की आवश्यकता है क्योंकि बढ़ते प्रजातांत्रिक वातावरण में जनता को साथ लेकर ही किसी भी प्रकार के विकास कार्य को सफल बनाया जा सकता है। वर्ष 2007–08 में 'राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम' जो कि 'जापान बैंक ऑफ ओवरसीज सहयोग' द्वारा चलाई जा रही है, के तहत 550 हैक्टेयर क्षेत्र में विकास कार्य करवाये गये परन्तु इस योजना का प्रथम फेज इस वर्ष समाप्त होने व अगला फेज आरम्भ न हो पाने की स्थिति में अगले वर्षो में इस योजना अन्तर्गत कार्य आंवटित नहीं हो पाये वर्ष 2010–11 में मात्र 50 हैक्टेयर क्षेत्र में भू–संरक्षण परियोजना अन्तर्गत कार्य करवाया गया है। वर्ष 2011–12 में अर्थात पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में 250 हैक्टेयर क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि प्रबन्धन एंव नियोजन प्राधिकरण योजना अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य करवाया गया है। इसके अतिरिक्त इस पंचवर्षीय योजना मे वन सुरक्षा को प्रबल बनाने हेतु वर्ष 2012 तक केम्पा व मनरेगा एवं अन्य योजनाओ मे पत्थर व सीमेन्ट चिनाई वाली दीवार 27.50 कि.मी. लम्बाई मे निर्मित की गई है।

ग्याहरवीं पंच वर्षीय योजना में किये गये कार्य		
वर्ष		
2007–08	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना वृक्षारोपण	550 है0
	पक्की दीवार	2 कि.मी.
	बाहरवें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत वन सम्पदा का संरक्षण पक्की दीवार	(1.5 किमी)
	बाउन्डरी पिल्लर	200
2008–09		
	महानरेगा योजना के अन्तर्गत क्लोजर निर्माण तलाई निर्माण एनीकट निर्माण	 2350 है0 20 1
2009–10		
	महानरेगा योतजना के अन्तर्गत क्लोजर निर्माण तलाई निर्माण	2250 3
2010–11		
	महानरेगा योजना के अन्तर्गत पक्की दीवार निर्माण	 13 किमी
	फार्म वन विद्या पौध तैयारी	2.20 लाख
	भू–संरक्षण योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	50 है0
	आर.एफ.बी.पी. पौध तैयारी	1.40 लाख
	एकीकृत वन सुरक्षा योजना	
	फायर लाईन बाउन्ड्री पिल्लर वाटर स्टोरेज टेंक रेंज कार्यालय कम निवास बेरक निर्माण अग्नि सुरक्षा उपकरण	 200 1 1 –
	तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश एनीकट निर्माण	 1
	ए.सी.ए. अग्रिम कार्य	100 है0
2011–12		
	महानरेगा योजना अन्तर्गत पक्की दीवार	9 किमी
	महानरेगा योजना अन्तर्गत वृक्षारोपण	300 है0
	फार्म वन विद्या पौध तैयारी	2.20 लाख
	आर.एफ.बी.पी. पौध तैयारी	1.40 लाख

	तेरहवें वित्त आयोग से पोषित वृक्षारोपण कार्य	100 है0
	नर्सरी विकास	
	चम्बल अभयारण्य वनरक्षक चौकी	1
	एकीकृत वन सुरक्षा योजना	
	रेंज कार्यालय कम निवास फायर लाइन मरम्मत बाउन्डरी पिल्लर वाच टावर बैरक निर्माण फोरेस्टर क्वार्टर	1 200 1 1 1
	स्टेट केम्पा निधि योजना अन्तर्गत	
	अग्रिम कार्य वृक्षारोपण पक्की दीवार एनीकट वनरक्षक चौकी	 250 है0 2 कि.मी. 1 1
	महायोग	

ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना अन्तर्गत कराये गये कार्यो की पूर्ण सूची विवरण सहित परिशिष्ट में संलग्न है।

Chapter – VI

S. No.	अध्याय 6	**CHAPTER VI**
	कर्मचारी वृन्द व श्रम आपूर्ति	**STAFF AND LABOUR SUPPLY**
6.1	विभागीय मानव संसाधन	Classification of Human Resource
6.2	विभागीय मानव संसाधन की गुणवत्ता	Effeciency of Human Resource
6.3	कार्मिकों की कार्य क्षमता व कुशलता को प्रभावित करने वाले कारक	Factors Influencing Capacity and Effeciency of Work Force
6.4	वनकर्मियों कों सामाजिक सुरक्षा	Social Security of Forest Work Force
6.5	गैर विभागीय मानव संसाधन	Non Departmental Human Resource

अध्याय – 6

कर्मचारी वृन्द व श्रम आपूर्ति

Chapter – VI

Staff and Labour Supply

बूंदी जिले में वानिकी विकास एवं वन प्रबन्धन के कार्यों में नियोंजित मानव संसाधन को दो वर्गों में बांटा जा सकता है –

- **विभागीय मानव संसाधन** :– वन विभाग के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी इस वर्ग में सम्मिलित हैं।
- **गैर विभागीय मानव संसाधन** :– विभागीय कर्मचारियों के अलावा सभी संगठित व असंगठित मानव शक्ति को इस वर्ग में रखा गया है।

6.1 विभागीय मानव संसाधन

बूंदी जिले का कुल वन क्षेंत्र **1542.42 वर्ग कि.मी.** है, जो कि तीन वन मण्डलों द्वारा निम्न प्रकार नियंत्रित होता है।

	In sq. Km
जिले का कुल क्षेत्रफल	5776.00
वैधानिक वन क्षेत्र	1542.42
• प्रादेशिक वानिकी वन क्षेत्र	0991.87
• रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति मध्यवर्ती क्षेत्र	0186.33
• राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य	0034.61
कुल योग	1212.81
रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति मध्यवर्ती क्षेत्र–डोबरली, पोलघटा, व बलबन(part)	0009.79
रामगढ (संरक्षित क्षेत्र)	0222.22
जवाहर सागर (संरक्षित क्षेत्र)	0097.60
कुल योग	0329.61

(i) वर्तमान में बूंदी जिले में मात्र एक कार्यालय "उपवन संरक्षक बूंदी" कार्यरत है। पंचायत समिति व जिला परिषद कों अस्थायी रूप से भिजवाये गये कार्मिकों से मण्डल कार्यालय द्वारा कार्य नही लिये जा रहे है। वनमण्डल में स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति निम्न सारणी में दर्शाये अनुसार है।

वनमण्डल बूंदी में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची–

क्र.स.	पद नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	उप वन संरक्षक	1	0
2.	सहायक वन संरक्षक	2	0
3.	लेखाकार	1	1
4.	कार्यालय सहायक	1	1
5.	क्षेत्रीय प्रथम श्रेणी	3	0
6.	क्षेत्रीय द्वितीय	5	3
7.	वरिष्ठ लिपिक	2	0
8.	कनिष्ठ लिपिक	9	1
9.	सर्वेयर	1	1
10.	वनपाल	16	1
11.	सहायक वनपाल	27	0
12.	वन रक्षक	77	22
13.	वाहन चालक	2	1
14.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	0
	कुल	150	31

उपरोक्त स्थायी कर्मचारियों के अतिरिक्त 150 कार्य प्रभारी कर्मचारियों के स्वीकृत पद हैं, जिनके विरूद्ध कार्यरत कार्य प्रभारी कर्मचारियों की सूची निम्न प्रकार है।

क्र.स.	पदनाम	कार्यरत कर्मचारी
1.	वर्कचार्ज कर्मचारी	145
2.	दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी	5
	योग	**150**

31.3.2012 की स्थिति के अनुसार वनमण्डल बूंदी में 6 रेंज व एक गश्ती दल है।

क्र.स.	नाम	रेंज मुख्यालय	पता
1.	बूंदी	बूंदी	रेंज ऑफिस, वनभवन, बूंदी
2.	नैनवा	नैनवा	रेंज ऑफिसर, नैनवा
3.	हिण्डोली	हिण्डोली	रेंज ऑफिसर, हिण्डोंली

4.	केशवरायपाटन	केशवरायपाटन	रेंज ऑफिसर, केशवरायपाटन
5.	डाबी	डाबी	रेंज ऑफिसर, डाबी
6.	इन्द्रगढ़	इन्द्रगढ़	रेंज ऑफिसर, इन्द्रगढ़
7	गश्ती दल बून्दी	बूंदी	डिवीजनल ऑफिस, बूंदी

नीचे दर्शाये गये इन छह रेंजों का क्षेत्र 38 नाकों में विभाजित किया हुआ है तथा नाकों का क्षेत्र विभिन्न बीटस में विभाजित है। नाके पर उपलब्ध स्टाफ को आवश्यकतानुसार बीटस पद स्थापित किया जाता है। नाके का प्रभारी नाकेदार, बीटस प्रभारी वन रक्षक होता है।

क्र.स	**रेंज का नाम**	**नाके का नाम**
1.	बूंदी	1. सथूर 2. श्योपुरिया 3. गुड़ा नाथावतान
2.	डाबी	1. ड़ाबी 2. धनेश्वर 3. धोरेला 4. खड़ीपुर 5. नमाना 6. लक्ष्मीपुरा 7. रामपुरिया
3.	हिण्ड़ोली	1. हिण्ड़ोली 2. पेच की बावड़ी 3. उमर पगारा 4. गोठड़ा 5. डाटून्दा 6. बसोली 7. खिणिया

4.	नैनवां	1. नैनवा 2. देई 3. जैतपुर 4. गुढ़ा सदावृतिया 5. बांसी 6. तलवास 7. आंतरदा 8. जजावर 9. जैतपुर
5.	इन्द्रगढ़	1. गेडोली 2. लाखेरी 3. इन्द्रगढ़ 4. बाबई 5. करवर 6. बलबन 7. डांगाहेडी 8. सालमदरा 9. कोटडी
6.	केशवरायपाटन	1. देई खेडा 2. के. पाटन 3. ख्यावदा
7	रामगढ	रामगढ रेन्ज में 9 नाके है– भेंरूपुरा,रामगढ, लुहारपुरा,पीपल्या,खटकड,आकोदा,विषधारी,गुडा सदावर्तिया,दलेलपुरा यह रेंज अब उ.व.सं, वन्य जीव सम्भाग, कोटा को हस्तांतरित हो गई है।

6.2 विभागीय मानव संसाधन की गुणवत्ता

क्षेत्रीय वन अधिकारी, वनपाल, वनरक्षक, पशुरक्षक आदि विभागीय द्वारा कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में वनों की सुरक्षा के साथ वन विकास कार्यों में ग्रामीणों को जोड़ने, वन प्रबन्धन की नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने तथा आमजन तक इसके प्रभाव व लाभ की जानकारी पहुंचाने का कार्य किया जाता है। पूर्व में सभी कार्य विभाग के कार्मिकों द्वारा किया जाते थे, परन्तु अब स्थानीय ग्रामीणों की सहभागिता प्राप्त कर, सामंजस्य स्थापित कर कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिये, स्वंय के स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता, विभिन्न मतों को ग्रहण कर समुदाय के नेतृत्व की क्षमता की आवश्यकता रहती है। फील्ड़ में कार्यरत कार्मिकों में कार्य की पूर्ण समझ तथा तकनीकी ज्ञान भी होना आवश्यक है। कार्यों को अपेक्षा अनुरूप परिणाम तक पहुंचाने तथा सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने के सम्बन्ध में सामर्थ्य को निम्न आधारों पर समझा जा सकता है –

- शारीरिक क्षमता – जिसको आयु के पैमाने पर समझा जा सकता है।
- तकनीकी क्षमता एवं अनुभव

आयु वर्ग अनुसार सुरक्षा हेतु कार्यरत कर्मचारीयों की सूची निम्नानुसार है :

क्र. स.	आयु वर्ग	क्षेत्रीय वन अधिकारी	वनपाल	सहायक वनपाल	वनरक्षक	कार्य प्रभारी कर्मचारी	योग
1	55 से 60	2	3	12	6	25	48
2	50 से 55	0	4	9	6	38	57
3	45 से 50	0	0	3	2	67	72
4	40 से 45	1	0	3	4	23	31
5	35 से 40	0	3	0	6	0	9
6	40 से 35	0	1	0	5	0	6
7	30 से कम	0	1	0	45	0	46
योग		**3**	**12**	**27**	**74**	**153**	**269**

(1) शारीरिक क्षमता की स्थिति कर्मचारियों की आयुवर्ग अनुसार उक्त सारणी से समझा जा सकता है।

स्त्रोतः– कार्यालय मण्डल वन अधिकारी बूंदी से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार

विश्लेषण : फील्ड़ कर्मचारियों के आयु वर्ग के विश्लेषण से स्पष्ट ज्ञान होंता है कि 40 वर्ष से कम आयु के वनकर्मियों की संख्या बहुत कम है । वर्ष 45 से अधिक आयुवर्ग के

वनकर्मियों पर अधिक कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में वन सुरक्षा की जिम्मेदारी है। उनकी औसत आयु 50 वर्ष से अधिक है जबकि इस कार्य के सम्पादन हेतु युवाओं की आवश्यकता होती है। वन सुरक्षा के अतिरिक्त, वनों का वैज्ञानिक प्रबन्धन करने, योजनाओं और सरकारी दिशा–निदर्शों की अनुपालना कराने, अभिलेखों को अच्छी प्रकार संधारित करने के अन्य जिम्मेदारी पूर्ण कार्यों कों समय पर पूर्ण करने होते हैं।

(2) तकनीकी दक्षता एवं अनुभव :

फील्ड़ में कार्यरत वनकर्मियों की शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है :

क्र.सं.	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	क्षेत्रीय वन अधिकारी	विज्ञान विषय में स्नातक
2	वनपाल	उच्च माध्यमिक
3	सहायक वनपाल	शत–प्रतिशत पदोन्नति
4	वन रक्षक	सैकण्डरी
5	कार्य प्रभारित वनकर्मी	साक्षर

उक्त सभी पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता पर्याप्त है परन्तु मात्र क्षेत्रीय वन अधिकारी ही प्रशिक्षण उपरान्त राज्य सेवा में आते हैं, शेष को उनकी नियुक्ति उपरान्त शीघ्र प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है क्योंकि वानिकी कार्य विशिष्टता वाले होते हैं अतः उन्हें समय–समय पर प्रशिक्षण अति आवश्यक है।

उपरोक्त सभी संवर्गों में आंकड़ों के विश्लेषण से यह जानकारी प्राप्त होती है कि लगभग 20–30 वर्ष तक उक्त कर्मचारी एक ही पद पर कार्यरत हैं उनके पदोन्नति की सम्भावनाएं वर्तमान में नगण्य हो गई हैं जिससे उनके मनोबल एंव अभिप्रेरण (Motivation) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है अतः पदोन्नति के अवसर बढ़ाये जाकर, मनोबल को बनाये रखने के लिए शीघ्र ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है।

वन में दबावों /अपराधों का बढती संख्या को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की संख्या के नार्मस् में भी परिवर्तन करना भी आवश्यक है। त्वरित कार्यवाही के लिए वनमण्डल में पुलिस लाईन जैसे वन सुरक्षा जाप्ता भी होना आवश्यक है जिसमें 30 प्रतिशत अतिरिक्त पद हो। रिक्त पदों पर नवीन नियोजन शीघ्र करना अनिवार्य हो गया है, अन्यथा वनों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की पूर्ण सम्भावना है।

6.3 कार्मिकों की कार्य क्षमता व कुशलता को प्रभावित करने वाले कारक

- **कार्यस्थल**

बूंदी जिले में, क्षेत्रीय वन अधिकारी, वनपाल व वनरक्षकों हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय, नाका व चौकी भवन उपलब्ध है परन्तु उचित संधारण के अभाव में भवनों की स्थिति दयनीय अवस्था में पहुंच गई है।प्रत्येक रेजं में अमीन अथवा सर्वेयर की अत्यन्त आवश्यकता है। क्षेत्रीय वन अधिकारी स्तर पर अवैध वाहनों/उपकरणों को जब्त करने की शक्ति, हथियार मुहैया कराई जाये। गश्ती दल संख्या के दो पारी, जितनी क्षमता विकसित की जाये व वाहन/ईधंन भत्ता उपलब्ध कराया जाये।

सभी स्तर के कर्मचारियों को अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान हो।

मंत्रालिक कार्मिक की सुविधा

रेंज कार्यालय में, अभिलेखों के उचित संधारण व अनेक प्रकार के पत्राचार के कारण कागजी कार्यवाही बहुत बढ़ गयी है जबकि क्षेत्रीय वन अधिकारी को विकास कार्यों, वन सुरक्षा कार्यों, बैठकों, विभिन्न न्यायालयों में बढते प्रकरणों में अतिव्यस्तता के कारण समय का अभाव रहता है अतः प्रत्येक रेंज कार्यालय में एक लिपिक एवं कनिष्ठ लेखाकार के पद स्थापन की बहुत आवश्यकता है।

- **वाहन मय चालक**

वर्तमान में क्षेत्रीय वन अधिकारियों कों अनुपयोगी व पुरानी मोटर साईकिलें उपलब्ध हैं जबकि वन सुरक्षा को हानि पहुंचाने वाले तत्वों के पास चौपहिया वाहन उपलब्ध होते हैं अतः प्रत्येक क्षेत्रीय वन अधिकारी के पास जीप मय चालक व वनपाल एवं वन रक्षकों के पास अच्छी स्थिति की मोटर साईकिल होना अति आवश्यक है। रेन्ज स्तर पर समस्त स्टाफ के परिवारों को रहने हेतु आवासीय कॉलोनी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

- **संचार व्यवस्था :**

वर्तमान वनों की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रत्येक स्थायी फील्ड़ कर्मचारी के पास मोबाईल फोन की सुविधा व रेंज कार्यालय में वायरलेस सेट की आवश्यकता है ताकि प्रत्येक वनकर्मी मण्डल कार्यालय से सम्पर्क में रहे।

6.4 वनकर्मियों कों सामाजिक सुरक्षा :

अधिकतर वनकर्मियों को अधिकतर समय अपने घर परिसर से दूर, दूरस्थ स्थानों पर अपने कर्त्तव्यों की पालना हेतु रहना होता है और यदि परिवार साथ रखते हैं तो पद्स्थापन स्थान पर राजकीय भवन उपलब्ध न होने की स्थिति में अपनी अल्प आय में किराये के भवन उन्हें उपलब्ध नहीं होते। अतः जहां–जहां वनकर्मियों का पद स्थापन हो वहां उनके पद अनुरूप आवास सुविधा उपलब्ध हो। रेंज स्तर पर समस्त स्टाफ के परिवारों को रखने हेतु आवासीय कॉलोनी की व्यवस्था होनी चाहिए।

6.5 गैर विभागीय मानव संसाधन

असंगठित क्षेत्र के दैनिक श्रमिक जो विगत वर्षों से विभाग के कार्यों में नियोजित किये जाते रहे हैं, इन श्रमिको द्वारा विभाग की श्रम–प्रधान कार्य जैसे–बाड़बन्दी निर्माण, ट्रेन्च खुदाई, खड्डे खुदाई, पौधे तैयारी पौधारोपण, निराई–गुड़ाई आदि कार्य किया जाता हैं परन्तु कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये इन पर निगरानी आवश्यक होती है।

स्वंयसेवी संस्थाओं से विशेषकर संचार, प्रसार प्रशिक्षण, सामुदायिक संगठन निर्माण, विवाद व समस्या समाधान में मध्यस्थता जैसे कार्यों में सहयोग की अपेक्षा रहती है जिस हेतु अधिकांशतः वे स्वंय अपने स्तर पर ही प्रशिक्षित व दक्ष होते हैं। विभाग द्वारा भी उन्हें समुचित जानकारी, प्रशिक्षण व सहयोग प्रदान किया जाता है।

Chapter – VII

	अध्याय 7	**CHAPTER VII**
	पूर्व प्रबन्धन प्रणाली	**PAST SYSTEM OF MANAGEMENT**
7.1	भूमिका	Introduction
7.2	सन् 1948 से पूर्व का काल	Period prior to 1948
7.3	वर्ष 1948 से 1962 तक का काल	Period Between 1948 to 1962
7.4	वर्ष 1962 से 1971 तक का काल	Period Between 1962 to 1971
7.5	वर्ष 1972–73 से 1980–81 का पोस्ट प्लान पीरियड	Post Plan Period of 1972-73 to 1980-82
7.6	श्री अभिजीत घोष की कार्य आयोजना अवधि 1981–82 से 1990–91	Working Plan of Sh. Abhijit Ghosh for 1981-82 to 1990-91
7.7	विविध विनिमय	Miscellaneous Regulation
7.8	वनों में सुधार के विशेष कार्य	Special Work for Forest Improvement
7.9	विगत ऊपज	Past Yield
7.10	विगत आय व्यय	Revenue & Expenditure

अध्याय–7

पूर्व प्रबन्धन प्रणाली

Chapter – VII
Past System of Management

7.1 भूमिका

वर्तमान बूंदी वन मण्डल के वन, राजशाही 'रियासत बूंदी' के अधीन थी। वनों के प्रबन्धन की दृष्टि से वनों के इतिहास को निम्न कालों में विभक्त कर आसानी से समझा जा सकता है–

- सन् 1948 से पूर्व का काल।
- सन् 1948 से 1962 के मध्य का समय
- श्री श्रीवास्तव प्लान 1962–63 से 1971–72
- श्री अभिजीत घोष प्लान 1981–82 से 1990–91

7.2 सन् 1948 से पूर्व का काल –

वर्ष 1242 ए.डी. में बूंदी राज्य की स्थापना देवराज द्वारा की गई थी तब से 1948 तक बूंदी वन मण्डल क्षेत्र राजशाही के अधीन रहा। वर्ष 1948 के पूर्व बूंदी राज के जंगल बूंदी महाराज की निजी सम्पत्ति थी तथा इस अवधि में वनों के विकास व विदोहन की कोई वैज्ञानिक नीति नहीं थी। वनों को तीन भागों में विभाजित किया हुआ था,

- शिकार हेतु सुरक्षित वन
- रक्षित वन
- अवर्गीकृत वन

शिकारगाह–

शिकारगाह वाले वन क्षेत्र उस काल में अच्छी तरह सुरक्षित थे, इनमें वृक्ष कटाई पर रोक थी, केवल मृत गिरे पड़े वृक्ष हटाये जा सकते थे। सस्य परिपक्व थी एवं परिपक्वता से भी अधिक आयु की भी होती थी।

रक्षित वन–

रक्षित वनों में कूप्स कापिस प्रणाली से काटे जाते थे और बीज हेतु कोई वृक्ष नहीं छोड़े जाते थे। कटे हुए कूप्स की बाड़बंधी नहीं की जाती थी व चराई भी बन्द नहीं की जाती थी परिणाम यह होता था कि कापिस से उत्पन्न हुए वृक्षों के फुटान को भी मवेशी द्वारा चर लिया जाता था।

अवर्गीकृत वन–

ये गांवों के पास के झाड़–वन होते थे जो कि 'बफर जोन' के रूप में थे। इन वनों से ग्रामीणों की इंधन की, मकान व कृर्षि औजार बनाने की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। इन क्षेत्रों में कटाई व चराई पर कोई नियंत्रण नहीं होता था।
इस काल में बबूल के वृक्ष भी राज के नियंत्रण में होते थे। बबूल वाले क्षेत्रों को 'बबूल राडीज' कहते थे, जिनके कटान पर भी किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखा गया।

तत्कालीन बूंदी राज्य के प्रधान मंत्री श्री डब्लू राबर्टसन के आदेश संख्या 49 दिनांक 31.3.1939 द्वारा समस्त बूंदी राज्य में दिनांक 15.4.1939 से भारतीय वन अधिनियम 1927 लागू किया गया। वर्ष 1940 में ठाकुर महीपाल सिंह बूंदी राज्य में वन अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे और श्री ऐडिन को सहायक वन अधीक्षक बनाया गया। राबर्टसन केलिफोरनिया से वानिकी में बी.एस.सी. थे। श्री राबर्टसन, श्री महीपाल सिंह व श्री ए. जी. अब्राहम जनवरी 1943 तक वनों के प्रभारी मंत्री व अधीक्षक रहे। माह फरवरी 1943 में श्री महीपाल सिंह राजस्व मंत्री भी रहे और साथ ही वन अधीक्षक का भी कार्य देखते थे । श्री ए. पी. अब्राहम सेवायें त्याग कर चले गये और उनका स्थान श्री सुन्दर बिहारी लाल सहायक वन संरक्षक ने लिया। 30 जून 1943 को श्री एम. एम. सोंलकी भारतीय वन सेवा अधिकारी ने कार्यभार सम्भाला। पूरे वन क्षेत्र को पांच भागों में विभक्त किया गया, बूंदी शहर, डाबी, नैनवां, हिण्डोली एवं के. पाटन प्रत्येक का प्रभारी एक क्षेत्रीय वन अधिकारी को बनाया गया जो कि सहायक वन संरक्षक के अधीन कार्य करते थे। वर्ष 1943–44 में श्री सोलंकी को वनों के अतिरिक्त बागों, शिकारगाहों का प्रभारी भी बना दिया गया। श्री सोलंकी का कार्यभार श्री एस. जेड़. एच बुरारी ने वन संरक्षक का कार्यभार सम्भाला परन्तु शीघ्र ही उन्होंने सेवा का परित्याग कर दिया और अक्टूबर 1945 से अगस्त 1946 तक श्री रनवीर सिंह के पास वन संरक्षक का कार्यभार रहा। उसके बाद श्री एम. आर. एच. पी. डी. के पास वन संरक्षक को कार्यभार रहा। वर्ष 1940–41 तक वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण नहीं हुआ था, परन्तु रक्षित क्षेत्रों का 'गजट नोटीफिकेशन' हो गया था। बकरियां व ऊंटों द्वारा वन विनाश को रोकने के लिये सख्त

कदम उठाये गये ताकि ग्रामीणों द्वारा वृक्षों की अनियंत्रित कटाई व चराई न हो। इस काल में जूलीफ्लोरा जैसे विदेशी वृक्ष की प्रविष्टी को एवं खैर के वृक्षारोपण का विशेष कार्य श्री अब्राहम को सौंपा गया। कच्ची सड़कों के किनारे 164 कि.मी. लम्बाई में बबूल का बीजारोपण किया गया और बूंदी के पास सड़क किनारे नीम के पौधे रोपित किये गये। अन्य क्षेत्रों में भी सड़क किनारे नीम, शीशम, खेजडी व आम के वृक्षारोपण किये गये। 1940 के दशक में जूलीफ्लोरा का विस्तृत बीजारोपण व वृक्षारोपण जिले में किया गया। वर्ष 1942–43 में नारायणपुरा डातुंदा 'लाख' उत्पादन के भी प्रयास किये गये, वन क्षेत्र के छीला के वृक्षों पर, परन्तु विषम जलवायु के कारण असफल रहे।

वर्ष 1946 में श्री ए. पी'. एफ हेमिल्टन भारत सरकार के वन महानिरीक्षक ने बूंदी राज्य के वनों का दौरा कर उचित प्रबंधन के सुझाव दिये। उन्होंने बताया कि बूंदी के वनों के मुख्य वृक्ष है' कल्धी, खैर, सालर, कड़ाया, बबूल, तेन्दू, खेजड़ी एवं धावड़ा जिन में कल्धी सबसे अधिक है और विस्तृत क्षेत्रों में इसके शुद्ध वन है, जिसकी जलाऊ लकड़ी व लकड़ी का कोयला बहुत लाभदायक है जो कि द्वितीय विश्वयुद्ध में भी काम आया था।

7.3 वर्ष 1948 से 1962 तक का काल–

माह मार्च 1948 में बूंदी राज्य राजस्थान राज्य में सम्मिलित हो गया। 1 मई 1948 को राजस्थान के एक कार्यकारी अधिकारी ने बूंदी राज के समस्त मंत्रियों से कार्यभार ले लिया और तीन माह बाद बूंदी राजस्थान का एक जिला बन गया।

अप्रेल 1949 में वन बंदोबस्त का कार्य आरम्भ हुआ और वर्ष 1948 से 1962 तक 295 वर्ग मील क्षेत्र का बंदोबस्त हो चुका था और 470 वर्ग मील का बंदोबस्त शेष रहा था, पूर्व की भांति बूंदी वन मण्डल की पांचों रेंजेज बूंदी, हिण्ड़ोली, बंरूधन के. पाटन एवं नैनवा यथावत रही। बूंदी के राजस्थान राज्य में मिलने के तुरन्त बाद राज्य सरकार ने दो विज्ञप्तियां जारी की जिससे स्थानीय नागरिकों को विशेषतः आदिवासियों को रियायतें स्वीकृत की गई, इस प्रकार वनों का बडे स्तर पर अनियंत्रित विदोहन आरम्भ हुआ। बहुत बडे क्षेत्र अधिक कृषि उपज हेतु वन क्षेत्र से बाहर निकाल दिये गये, ताकि भूमिहीनों को भूमि मिल सकें। राजपत्र में चराई की दरों का भी उल्लेख किया गया। वर्ष 1955 में वनों से रियायत के नियम राजकीय आदेश संख्या 4241/एफ 34(44) राजस्व 53 दिनांक 24.11.1955 द्वारा लागू किये गये इनके द्वारा और अधिक रियायतें दी गई। इस आदेश के द्वारा मामूली राशि जमा कराने पर रियायतें दे दी गई, परिणाम यह हुआ कि लोगों ने बहुत अच्छे व कीमती वनों का विनाश आरम्भ कर दिया और इस

प्रकार बूंदी के वनों पर बहुत जैविक भार बढ़ गया। वर्ष 1951 की जनगणना अनुसार बूंदी जिले में हलों की संख्या 36,698 थी, इन हलों हेतु समस्त लकड़ी वनों से ही आती थी। बूंदी शहर के पास के जंगलों का अनियंत्रित कटान दशकों से चल रहा है, जिससे वन परिभ्रांषित अवस्था में पहुँच गये हैं।

वर्ष 1952 में भारतीय वन नीति बनायी गयी। वर्ष 1953 में भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुरूप राजस्थान वन अधिनियम बनाया गया और इससे पूर्व वर्ष 1952 में राजस्थान वन्य जीव व पक्षी संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। राज्य के अन्य जिलों की तरह ये दोनो अधिनियम बूंदी जिले में भी लागू हो गये। वर्ष 1955 में 'राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम' लागू हुआ,जिसके द्वारा गैर सरकारी भूमि से निर्दयता से काटे जा रहे वृक्षों पर रोक व नियंत्रण लग सका। वर्ष 1956 में 'राजस्थान भू राजस्व अधिनियम' लागू हुआ। जिसके द्वारा वन क्षेत्रों में अतिक्रमण पर रोक लगाया जाना सम्भव हो सका। राजस्थान वन अधिनियम 1953 अनुसार वर्ष 1957 में 'राजस्थान शिकार नियम' बनाये गये। राज्य में वन उत्पाद के परिवहन पर नियंत्रण हेतु भी नियम बनाये गये।

राज्य सरकार के आदेश संख्या 12443/एफ.15(163) राजस्व/ए/58 दिनांक 1 जून 1958 द्वारा राज्य सरकार ने वन प्रबन्धन की एक जांच समिति का गठन किया, कठिनाई के अध्ययन और यह प्रतिवेदन वन जांच समिति प्रतिवेदन 1959 कहलाया।

बूंदी राज के राजस्थान में विलय के उपरान्त प्रारम्भिक वर्षो में वनों के सुधार के कोई कार्य नहीं करवाये गये विशेषतः प्रथम पंचवर्षिय योजना के प्रथम दो वर्षो में, प्रथम पंचवर्षिय योजना के अन्तिम तीन वर्षो में निम्न विकास कार्य करवाये गये–

वर्ष 1954 में 49 हेक्टेर्यस में, वर्ष 1955 में 52 हेक्टेयर्स में व 1956 में 110 हेक्टेर्यस में वृक्षारोपण करवाये गये। इन तीनों वर्षों में क्रमशः रूपये 4882,14626 और 26369 व्यय हुये। इस काल में कोई वन मार्ग नहीं बनवाये गये जो कच्चे मार्ग पूर्व से चले आ रहे थे उन्हे ही उचित समझा गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे निम्न प्रकार विकास कार्य करवाये गये–

वर्ष	वृक्षारोपण क्षेत्रफल (हेक्टेयर्स में)	व्यय रू. में
1957	110	32,074
1958	153	45,991
1959	110	30,273
1960	70	10,498
1961	–	–
योग	**443**	**1,18,836**

वर्ष 1957–58 में नैनवां में एक वनपाल नाका बनवाया गया और वर्ष 1959–60 में एक खैनिया में वनरक्षक चौकी का निर्माण करवाया गया। इन दोनों भवन निर्माण पर कुल राशि 14409 रू. व्यय हुई । अब तक केवल रेंज बंरूधन में ही अग्नि–रेखा 90 कि.मी. की थी।

7.4 वर्ष 1962 से 1971 तक का काल

वर्ष 1962–63 से 1971–72 के काल के लिये श्री पुरूषोत्तम स्वरूप श्रीवास्तव भा.व.से द्वारा कार्य आयोजना लेखन श्री आर. पी. शर्मा वन संरक्षक के मार्गदर्शन में किया गया और यह कार्य जून 1961 में पूर्ण कर लिया गया था। प्रथम बार वन खण्ड़ों की सीमाएं निश्चित की गईं। प्रबन्धन के उद्धेश्य तय किये गये और इस हेतु सात प्रबंधन वृत्त बनाये गये और तदनुसार वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन लिख गया। परन्तु इस कार्य आयोजना को अनुमोदन राज्य सरकार से नहीं हो सका। हालांकि इस कार्य आयोजना को राज्य सरकार से स्वीकृति नहीं मिली फिर भी वन कटान हेतू कूप्स विभाग द्वारा इस कार्य आयोजना के उपचारों अनुसार ही बनाये गये और तदनुसार विचलन व नियंत्रण फार्मस इसके अनुसार ही तैयार किये गये।

इस कार्य आयोजना के विभिन्न कार्यवृत्तों का विवरण निम्नानुसार है–

कापिस विद स्टेण्र्डड (स्थूण) प्रबंधन वृत्त–

इस वृत्त में वे वन क्षेत्र रखे गये जहां कल्धी के या विविध, अच्छे वन थे ये क्षेत्र बस्तियों से दूर थे और व्यापारिक द्वष्टि से इनमें से माल निकासी की जा सकती थी ऐसा क्षेत्र लगभग 250 वर्ग कि.मी. था। रक्षित वृक्षों के अतिरिक्त 50–55 स्टेण्र्डड वृक्ष प्रति हेक्टेयर छोड़े जाने थे। धोक का चक्रण काल 40 वर्ष रखा गया। निश्चित कटान वृत्त (Felling cycles) बनाये गये थे। कूप्स 1967–68 तक ठेका प्रथा द्वारा कटवाये गये और उसके बाद विभागिय कार्य वृत्त द्वारा कटवाये गये। कूप्स को एक वर्ष में नहीं काटा गया व कुछ कूप्स को आर्थिक रूप से उपयुक्त नहीं पाये जाने के कारण नहीं काटा गया। स्टाफ की लापरवाही के कारण अनेक स्थानों पर आंवटित कूप की जगह अन्यत्र वन क्षेत्र काट लिया गया। ग्रामीणों के धार्मिक कारणों से या चराई की कठिनाई के कारण एतराज लगाने की वजह से भी कूप्स नहीं काटे गये। वर्ष 1968–69 में राज्य सरकार के आदेश संख्या 138/68 दिनांक 28.5.68 द्वारा जारी निर्देशों के कारण कोई कूप नहीं काटे गये और 'ठेका प्रथा से जंगल कटाई' की प्रथा का हमेशा के लिये अन्त हो गया। फण्डस के अभाव में कूप्स में बाड़बन्धी नहीं हो पायी न ही संवर्धनिय क्रसण

कार्य हो पाये वर्ष 1969–70 से वर्ष 1971–72 तक कूप्स जयपुर स्टेट ट्रेड़िंग डिवीजन द्वारा काटे गये और स्टेट ट्रेड़िंग ने पिछले वर्षो के शेष रहे कूप्स भी काटे। इस वन मण्डल द्वारा दूरस्त व आर्थिक रूप से कम लाभदायक कूप्स की उसी वर्ष बाड़बन्दी नहीं की गयी, राशि के अभाव में संवर्द्धनिक कार्य भी नहीं करवाये गये। इस काल में लगभग 5650 हेक्टेयर्स क्षेत्र में कटान किया जाना था परन्तु वास्तविक रूप से मात्र लगभग 1533 हेक्टेयर्स में ही हुआ। कार्य आयोजना मे दिये गये उपचार अनुसार कटान नहीं हुए परिणाम यह हुआ कि काटे गये कूप्स में सफलतापूर्वक पुर्नजनन नहीं आ पाया। कूप्स की मार्किग दक्ष स्टाफ द्वारा नहीं की गई। काटे गये कूप्स में ग्रामिणों को रियायतें नहीं दी जानी थी। फिर भी ग्रामीण पूर्वानुसार अनियंत्रित रूप से ऐसे वन क्षेत्रों से रियायतों का लाभ उठाते रहे। विशेष क्षेत्रों के लिये विशेष उपचार नहीं लिखे गये। नयी सस्य भी पुरानी सस्य के साथ एक साथ काट दी गई। कूप्स की मार्किग के विस्तृत नियम नहीं सुझाये गये। कूप्स कटान के समय कम घनत्व व अधिक घनत्व वाली सस्य के लिये अलग–अलग उपचार नहीं लिखा गया जबकि कम घनत्व वाले क्षेत्रों में गेप प्लाटिंग करवानी थी। मुख्य सस्य का ही ध्यान रखा गया अन्य कम महत्वपूर्ण प्रजातियों का कोई ध्यान नहीं रखा गया। कूप्स वाले क्षेत्रों में भू संरक्षण कार्य उपचार हेतु नहीं लिखे गयें। स्टेण्डर्ड वृक्षों का चयन उपयुक्त तरीके से नहीं किया गया न ही उनके मध्य दूरी का ध्यान रखा गया। ठेकेदारी युग में ठूठों की ड्रेसिग का ध्यान नहीं रखा गया। काटे गये कूप्स में सही समय पर बाडबन्धी नहीं करवाये जाने से पुर्नजनन पर बुरा प्रभाव पड़ा।

अधिकार व रियायतों का प्रबन्धन वृत्त–

स्थानिय ग्रामीण नागरिक जो वनों मे रियायतों का हक रखते हैं उनके लिये यह प्रबन्धन वृत्त लिखा गया था और इसके अधीन 445 वर्ग कि.मी. क्षेत्र आता था जिसमें 5 पातन श्रेणिया रखी गई। उपचार इस प्रबन्धन वृत्त मे कापिस वृत्त के अनुरूप ही रखे गये। कूप्स विभागीय रूप से काटे जाने थे ऐसी प्रक्रिया प्रथम बार अपनायी गयी। काटे गये कूप्स की सामग्री का वितरण पंचायत समितियों द्वारा होता था। प्रावधान यह भी रखा गया था कि यदि यह प्रणाली संभव न हो तो कूप्स रियायतों के अधिकारी स्वयं के स्तर पर भी कूप कटान कर सकते है।

रियायतों के उपयोग कर्ताओं द्वारा वृक्ष उनके चाहे अनुसार काटे गये, उन्होंने वृक्षों का चयन अपनी उपयोगिता अनुसार किया यहां तक कि छोड़े जाने वाले 'स्टेण्डर्ड' वृक्षों का भी ध्यान नहीं रखा। काटे गये कूप्स चराई के लिये बन्द नहीं किये गये न ही किसी प्रकार के संवर्द्धनिक संकार्य करवाये गये। आधार रूप से ही इस प्रकार का प्रबन्धन

वृत्त बनाया जाना एक भूल थी क्योंकि रियायतों का लाभ उठानें वाले उपभोक्ता अपनी मनमर्जी अनुसार वन क्षेत्रों का विनाश कर रहे थे। इस प्रकार के कटान पर को नियंत्रण नहीं था, होना यह चाहिये था कूप्स विभाग द्वारा कटवा कर कटान से प्राप्त सामग्री का उचित वितरण किया जाता परन्तु हुवा यह कि ऐसे वन क्षेत्रों को भाग्य भरोसे छोड दिया गया जो कि एक बड़ी भूल थी। दूसरी सबसे बड़ी भूल यह थी कि इन कूप्स में चराई से रोक हेतु कोई बाडबंदी नहीं कराई गयी जिसके परिणाम स्वरूप पुर्नजनन समाप्त हो गया।

खैर प्रबन्धन वृत्त–

इस वन मण्डल के समस्त खैर वृक्ष युक्त क्षेत्र इस प्रबन्धन वृत्तमें रखे गये। समस्त 10 से. मी. से अधिक मोटाई वाले वृक्ष चयनित रूप से, 20 वर्ष के चक्रकाल में, इस वृत्ताधीन क्षेत्रों से काटे जाने थे। इस कार्य योजना काल में जिन खैर कूप्स में काम होना था वह नहीं हो पाया, क्योकि ऐसे कूप्स का बेचान नहीं हो पाया। कूप्स कटान उपरान्त को संवर्द्धनिक संकार्य नहीं करवाये गये जो कि आवश्यक थे। कूप्स में से मृत, बीमार एवं विकृत वृक्षों का कटान नहीं किया गया क्योकि ठेकेदारों ने उन्हे कत्था बनाने योग्य नहीं समझा। कुछ काटे गये कूप्स की बाडबन्दी नहीं की गई परिणाम स्वरूप वृक्षों का पुर्नजनन नहीं हो पाया। चूंकि खैर कूप्स का क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है अतः यह तो सम्भव नहीं है कि समस्त कूप वाले क्षेत्र में बाडबन्दी करवायी जा सके परन्तु कुछ खैर युक्त अच्छे भागों की बाडबन्दी अतिआवश्यक थी। साथ ही पातन के साथ अधिक परिपक्व वृक्षों के पातन के विषय में लिखा जाना अनिवार्य था।

बांस (अतिच्छादी) प्रबन्धन वृत्त–

इस वृत्त में वन मण्ड़ल के वे सभी क्षेत्र आते थे जहॉ बांस पाया जाता था इस वृत्त में एक ही पातन श्रेणी बनायी गयी थी। बांस कटान हेतु निश्चित पातन नियम बनाये गये और पातन चक्र चार वर्ष का रखा गया। बांस कूप्स में पातन इसलिये नहीं हुआ क्योंकि यह कार्य व्यापारिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं था। बांस के वनों में कोई सुधार कार्य नहीं किये गये। स्थानीय मांग की पूर्ति हेतु बांस वाले क्षेत्रों में वन अग्नि की प्रायः घटनाएं होती हैं जिसके नियंत्रण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसे वनों से बांस के विदोहन हेतु प्रथक कार्यवृत्त रखा जाना वांछनीय नहीं था और यही वजह रही की कार्य आयोजना काल में बांस का विदोहन नहीं हो सका।

सालर (अतिच्छादी) प्रबन्धन वृत्त–

बूंदी वन मण्ड़ल के वे समस्त वन जहां सालर के वृक्ष पाये जाते हैं। इस प्रबंधन वृत्त के अधीन रखे गये। बंरूधन रेंज में सालर के वृक्षों की गणना का कार्य भी कार्य आयोजना लेखन काल में किया गया और पूरे वनमण्ड़ल से कार्य आयोजना काल में 13896 परिपक्व वृक्षों के पातन का प्रावधान रखा गया। प्रतिवर्ष 350 वृक्षों के पातन का 10 वर्ष तक प्रावधान रखा गया जो कि कुल वृक्ष संख्या का एक चौथाई था। चूंकि इस वृक्ष की लकड़ी की बाजार में मांग नहीं होने से पूर्ण योजना काल में कोई कार्यवाही नहीं हुई।

घास व चराई प्रबन्धन वृत्त–

पूरे बूंदी वन मण्डल के वे समस्त क्षेत्र जहॉ घास उगने के अतिरिक्त कोई पैदावार नहीं होती, जो रिक्त पड़े हैं या जहां वृक्ष घनत्व 0–1 के मध्य है इस वृत्त में रखे गये और इनमें चक्रात्मक चराई का प्रावधान रखा गया। वास्तव में इन क्षेत्रों पर चराई का भार इनकी क्षमता से 10 गुणा आंका गया है ये बूंदी के वन लगभग 60 हजार मवेशी का भार उठा सकते थे पर वास्तव में बूंदी में लगभग 6 लाख मवेशी (पशु ईकाई) है। केवल बन्द वाले क्षेत्रों को छोड़कर समस्त वन मण्ड़ल क्षेत्र में मवेशी चराई जारी रही। यहां तक की कमी वाले माहों में ग्रामीण चराई हेतु पशुओं को बन्द वाले क्षेत्रों में भी घुसा देते थे। इस प्रबन्धन वृत्त के क्षेत्रों में अधिक गुणवता वाली घास का बीजारोपण भी कार्य आयोजना में प्रस्तावित किया गया परन्तु ऐसा हो न पाया।

वृक्षारोपण प्रबन्धन वृत्त–

इस प्रबन्धन वृत्त में वन मण्ड़ल के वे क्षेत्र रखे गये जो कि परिभ्रांषित थे, वृक्षों का धनत्व कम था परन्तु वे वृक्षों को धारित करने की क्षमता रखते थे साथ ही कन्दराओं युक्त, बबूल, राडीज व घास बीड़ इसमें सम्मिलित किये गये। इस वृत्त में 247 वर्ग कि. मी. क्षेत्र रखा गया और प्रति वर्ष 300 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य आयोजना काल 10 वर्ष तक रोपित किया जाना था। कार्य आयोजना काल के अन्त में पाय गया कि मात्र आधे क्षेत्र में 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में ही वृक्षारोपण हो पाया और इन वृक्षारोपणों में अधिकतर वृक्षारोपण उन क्षेत्रों में करवायें गये जोकि इस वृत्त में उपचार हेतु निश्चित ही नहीं किये गये थे। जिन कन्दरा क्षेत्रों में विलायती बबूल रोपित किया गया वे ही सफल वृक्षारोपण कहे जा सकते हैं। वृक्षारोपणों की असफलता के मुख्य कारण रहे हैं – वृक्ष प्रजातियों का अनुचित चयन अप्रभावशाली बाडबन्दी व उपचार विधि का पूर्ण रूपेण पालन न होना।

विविध नियमन–

अग्नि सुरक्षा, सीमाओं का संधारण, वनमार्ग व भवनों का निर्माण कार्य आयोजना में प्रस्तावित किया गया परन्तु वास्तिवक रूप से इनकी अनुपालना न हो पाई। वन मार्गो का समय पर संधारण नहीं पाया जिससे इनकी उपयोगिता ही नहीं रह गई। इस कार्य आयोजना काल में विशेष सुधार कार्य जो करवाये गये उनका विवरण अध्याय 3 में पंचवर्षीय योजना अनुसार विस्तार से दिया गया है।

श्री पी. एस. श्रीवास्तव की कार्य योजना के गुण–दोष :–

कठोर मेहनत से बूंदी वन मण्डल की जो प्रथम कार्य योजना श्री. पी. एस. श्री वास्तव ने बनायी वह लगभग निर्रथक ही सिद्ध हुई क्योंकि उस योजना में दर्शायी गयी उपचार विधियों की पालना ही नहीं की गई। वार्षिक बजट आवंटन की मांग मण्डल वन अधिकारी ने कार्य योजना में दर्शाये गये कार्य अनुसार राज्य सरकार को प्रस्तुत ही नहीं की। केवल कूप्स कटाई के समय ही कार्य आयोजना को देखने का काम किया गया है। प्रत्येक कार्य वृत्त में प्रस्तावित उपचारों का विवेचन उपरोक्त प्रत्येक कार्य वृत्त के विवरण में पृथक से दर्शाया गया है।

7.5 वर्ष 1972–73 से 1980–81 का पोस्ट प्लान पीरियडः–

श्रीवास्तव वर्किंग प्लान के बाद पुनः वर्किंग प्लान का रिविजन आवश्यक था जो 1978 तक नहीं किया गया। वनों का प्रबंधन मण्डल वन अधिकारी बूंदी के विवेक पर छोड़ा गया।

कूप कटान –

वर्ष 1972–73 से स्टेट ट्रेडिंग योजना के अन्तर्गत कोटा में एक वन मण्ड़ल कायम किया गया। 1972–73 से 1980–81 के मध्य 3962 हैक्टेयर क्षेत्र में कूप कटान हुआ। जो पूर्णतया अवैधानिक था। पुनर्जनन हेतु फेंसिंग ठीक तरह से नहीं की गई, सभी कार्य अधीनस्थ स्टॉफ पर छोड़े गये। तकनीकी कार्य का निष्पादन जिम्मेदारी से नहीं किया गया। बहुत कम क्षेत्रों में गैप प्लांटिंग किया गया। मानक वृक्षों का चयन नहीं किया गया। मुख्य रूप से धोंक का ही कटान किया गया। परमिट धारियों के लिए क्षेत्रों का निर्धारण नहीं किया गया किन्तु बाद में जब इस कार्यवाहीं की गई तो परमिट धारियों के लिए कूप उपलब्ध नहीं रहे। वर्ष 1972–73 एवं 1974–75 की अवधि में 282 हेक्टेयर कूप परमिट धारियों के लिए रखे गये। उचित प्रावधान के अभाव में खैर के

कूप पुर्नजनित नहीं हो पाये। वर्ष 1977–78 से 1978–79 में कत्था उत्पादन के लिए खिनियां ब्लॉक में कटान को पूर्णतया प्रतिबन्ध नहीं किया गया। खैर के सही वृक्षों का सामान्यतया कटान नहीं किया गया जिसके कारण रियायतदारों द्वारा अनियंत्रित कटान किया गया।

अन्य विकास कार्य –

इस अवधि में जल एवं मृदा संरक्षण के कार्य, पहाड़ी एवं कन्दरा क्षेत्रों में परिभ्रांषित वनों का पुनरोत्पादन, शैल्टर वैल्ट प्लांटेशन, भवन निर्माण, अकाल राहत कार्य आदि के कार्य कराये गये। वर्ष 1976 में संजय गांधी के अधिक पेड़ लगाओ नारे के साथ करोड़ो पौधे विभिन्न क्षेत्रों में लगाये गये। प्रभावी फेसिंग को प्रथमिकता देते हुए वृक्षारोपण के सफल कराने पर जोर दिया गया। वृक्षारोपण के संदर्भ पर समुचित ध्यान दिया गया। पोस्ट प्लान पीरियड़ के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में वर्ष 1972–73 से 1982–83 तक वन क्षेत्रों मे वृक्षारोपण कार्य करवाये गये। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत सड़क के किनारे वृक्षारोपण 1980 में शुरू हुआ। भवन निर्माण में वर्ष 1973–74 से 1976–77 के मध्य 13 चोकियों का निर्माण हुआ। वर्ष 1972–73 से वर्ष 1980–81 के बीच वन क्षेत्रों से जलाऊ लकड़ी (धोक, पंचमेल तथा सूखी लकड़ी) कोयला (धोक, पंचमेल तथा चूरी) कत्था (ग्रेड–1) तथा चूरी का उत्पादन किया गया।

7.6 श्री अभिजीत घोष की कार्य आयोजना अवधि 1981–82 से 1990–91

श्री अभिजीत घोष की कार्य आयोजना में प्रबन्ध के सामान्य उद्धेश्य निम्न थे

1. पारिस्थितिकी त्रासदी को रोकने के लिये वनों का संरक्षण करना।
2. जल ग्रहण क्षेत्रों में समुचित सुधार कर बांधों एवं जलाशयों की क्षमता को बनाये रखना।
3. प्राकृतिक एवं कृत्रिम पुनर्जनन द्वारा विरल वन क्षेत्रों का पुनर्वास करना एवं सस्य के गठन में सुधार करना।
4. कन्दरा स्थरीकरण उपायों से समीपवर्ती उपजाऊ कृषि भूमि को संरक्षित करना।
5. चारागाह विकास उपाय अपना कर चारा भण्ड़ार विकसित करना।
6. वनों के संसाधनों को स्थानिय निवासियों की हितोपूर्ति हेतु सदोपयोग में लेना।
7. स्थानीय निवासियों को आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न वन उपज का अधिकतम सतत उत्पादन सुनिश्चित करना।
8. वन उपज के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए वन क्षेत्रों के बाहर अधिक से अधिक क्षेत्र में वनावरण बढ़ाना।

9. वैज्ञानिक प्रबन्धन द्वारा सस्य का विकास कर वनों का सामान्य विन्यास प्राप्त करना।
10. ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषतः गरीब एवं कमजोर तबके को रोजगार उपलब्ध करना।
11. पर्यटन विकास एवं आमोद हेतु वन्यजीवों की सुरक्षा करना एवं संरक्षण करना।

वनों के प्रबन्धन एवं उपचारित हेतु अपनाये जाने वाली विधि–

बूंदी के वनों में जलाऊ लकड़ी तथा लघु काष्ठ पायी जाती है। इसी के अनुरूप कोपिस विद रिजर्व सिस्टम प्रस्तावित किया गया था। वनों की असमान संरचना एवं घनत्व तथा बिखरे हुए पडत एवं खाली क्षेत्रों के साथ साथ अण्डर स्टॉक क्षेत्र होने के कारण यह पद्यति उपयुक्त पायी गयी। इसके साथ–साथ कटान हुए कूपों को आगामी 10 साल तक पुनर्जनन हेतु प्रभावी रूप से बन्द किया जाना था। खाली क्षेत्रों तथा कम घनत्व वाले क्षेत्रों में गैप प्लांटिग करके स्टॉकिंग सुधारनी थी। जिन क्षेत्रों में रूट स्टॉक अच्छा था किन्तु धोक, खैर, तथा बेर प्रजातियों के परिभ्राषित वन रह गये थे, उनमें प्रभावी क्लोजर बनाते हुए कट बेक, कृत्रिम वृक्षारोपण किया जाना था। जल एवं मृदा संरक्षण हेतु बडे, मध्यम तथा छोटे जलग्रहण क्षेत्रों में जल एवं मृदा संरक्षण के प्रभावी कार्य किया जाना प्रस्तावित था। नग्न पहाड़ियों को ऐसी प्रजातियों से जो शीघ्र आच्छादित हो सके तथा कठिन परिस्थितियों में पनप सके, का रोपण कर आच्छादित किया जाना था। कन्दरा क्षेत्रों का इस प्रकार उपचार किया जाना था कि उनके भू–क्षरण के कारण उपजाऊ भूमि खराब न हो। इसके साथ साथ तैयार किये गये वृक्षारोपण को सुरक्षित एवं बचाये रखना आवश्यक था। ऐसा वन क्षेत्र जहॉ मृदा की गहराई बहुत कम थी तथा भेड़ निष्क्रमण की समस्या को देखते हुए उन्नत चरागाहों का विकास इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता थी वन सीमा के बाहर नेशनल, स्टेट हाईवे, नहरों के किनारे, रेल्वे लाईन के किनारे तथा पड़त पंचायत चारागाह एवं तालाबों के किनारे वृक्षारोपण कर विभिन्न स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना था। रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया जाना प्रस्तावित किया गया था।

प्रबन्धन वृत्तों का गठन–

श्री घोष द्वारा कार्य आयोजना के सामान्य उद्धेश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नानुसार प्रबन्ध वृत्तों का गठन किया गया।

1. **कोपिस विद रिर्जव वर्किग सर्किल–** इस प्रबन्धन वृत्त में दूरस्त क्षेत्रों के सघन धोक वन तथा विविध वन जो कि वाणिज्यिकीय उत्पादन के लिए अधिक उपयोगी थे, रखे गये,

जहां से उत्तम किस्म की टिम्बर जलाऊ लकड़ी तथा कोयला प्राप्त हो सके। इसके अन्तर्गत क्षेत्रों को कोपिस विद रिजर्व सिस्टम में रखा गया, जिसका कटान चक्र 40 वर्ष था। इस वृत्त के अधीन 16226.50 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया था।

2. **परिभ्रांषित वन वर्किंग सर्किल–** इसके अन्तर्गत वृक्ष विहीन एवं ऐसे परिभ्रांषित धोक, खेर एवं विविध प्रजातियों के वनों को रखा गया, जिन पर पशु चराई का दबाव था। इन क्षेत्रों में कट बेक के साथ प्रभावी सुरक्षा प्रस्तावित की गई। इस वृत्त में 55886.50 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया था।
3. **जल ग्रहण विकास वर्किंग सर्किल–** ऐस क्षेत्र जो कोटा बैराज, जवाहर सागर, गुढ़ा, बरधा, मोतीपुरा, भीमलत और अभयपुरा डेम के जलग्रहण क्षेत्र में रखा गया। इस वृत्त के अधीन 18511.50 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया था।
4. **वृक्षारोपण वर्किंग सर्किल–** इसके अधिन नंगी पहाड़ियां, कन्दरा क्षेत्र, खाली पड़त क्षेत्र जो वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त थे रखे गये। इसके अधीन 22653 हैक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया।
5. **चारागाह विकास वर्किंग सर्किल**– इसके अधीन घास बीड़ तथा ऐसे खाली क्षेत्र जहां मृदा की गहराई कम हो एवं घास का उत्पादन किया जा सके उन्हें रखा गया। इसके अधीन 30413.50 हेक्टेयर क्षेत्र विकास हेतु प्रस्तावित किया गया था।
6. **सामाजिक वानिकी–** बूंदी जिले में जहां की 85 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है तथा मूलतः खेती एवं पशुधन पर आधारित है, उनके लिए सामाजिक वानिकी एक महत्वपूर्ण आधार था। इसके जरिये वनों पर अवैध कटन, चराई का दबाव कम करते हुए स्थानिय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पेड़ो को विकास करना आवश्यक था। फार्म वानिकी, सड़कों के किनारे, ग्रामीण पड़त भूमि पर वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया। ग्रामीणों की निजी आवश्यकता पूर्ति/चारागाह भूमि पर उन्नत घास बीजों की बुआई कर चारागाहों का विकास करना तथा उन्हें 2 साल तक निषेध रखना प्रस्तावित किया गया। नहरों के किनारे की सुरक्षा तथा भूमि कटान को रोकने के उद्धेश्य से नहरों के किनारे वृक्षारोपण किया जाना, स्कूलों में पौधशालाओं की स्थापना आदि कार्य प्रस्तावित किये गये। सामाजिक वानिकी को जनता का कार्यक्रम बनाने के उद्धेश्य से वन महोत्सव (वृक्षों का त्यौहार) मनाने पर जोर दिया गया। आम जनता को वृक्षों के महत्व एवं जानकारी देने के प्रयास प्रस्तावित किये गये।

7. **वन्य जीव प्रबन्धन–** श्री घोष की कार्ययोजना में रामगढ़ विषधारी को वन्य जीव अभ्यारण घोषित किया जाना प्रस्तावित किया गया। जिसमें वन्य जीवों की कड़ी सुरक्षा, नाड़ी एवं तलाईयों का निर्माण, वन्य जीवों की गणना, संचार सुविधाओं का विकास,

भेरूपुरा से रामगढ़ तक सड़क निर्माण, वन्य जीवों द्वारा पशुओं के शिकार किये जाने की दशा में मुआवजा भुगतान करने आदि सुझाव प्रस्तावित किये गये।

7.7 विविध विनिमय–(मिसलेनियस रेग्यूलेशन)

श्री घोष की कार्य आयोजना में निम्न विविध विनियम प्रस्तावित किये गये–

1. छोटी कटान (पेटी फेलिंग्स)–

इसके अन्तर्गत सूखे पेड़, सूखे एवं हरे ऐसे वृक्ष जिनकी आवश्यकता विभागीय कार्यों के लिए हो, विशेष निशुल्क ग्रान्ट्स के अन्तर्गत सूखे एवं हरे पेड़ो का कटान, वनकर्मियों के निवास हेतु झोपड़ी निर्माण तथा अन्य कार्यो हेतु सूखे, हरे पेड़ों का अनुप्रयोग करना प्रस्तावित किया गया था। जिनकी अनुमति सक्षम अधिकारी से पूर्व में ली जानी वांछनीय थी।

2. वर्किंग ऑफ एरिया–

पूर्व में काटे गये कूपों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन सही नहीं होने के कारण इन क्षेत्रों का विकास ठीक प्रकार नहीं हुआ अतः खैर के लिए चयनित कटान (सलेक्टिव फेलिंग) 10 सेमी अर्द्धव्यास के वृक्षों पर ही किया जाना प्रस्तावित किया गया था। इसके साथ–साथ वनवर्धन के उपचार प्रस्तावित किये गये थे।

3. अवर्गीकृत वनों का प्रबन्धन एवं अग्नि सुरक्षा–

अग्नि सुरक्षा पट्टी बनाने तथा अग्नि से सुरक्षा हेतु घास बीड़ो की गश्त, आग से बचाने के उपायों पर प्रशिक्षण आदि प्रस्तावित किये गये। आग बुझाने सम्बन्धित कार्यो को प्रस्तावित किया गया। रेंजो में आग की घटनाओं का रजिस्टर संधारित करना, फायर लाईनों का ब्यौरा रखना, अग्नि नक्शे बनाना आदि प्रस्तावित किया गया। जान–बूझकर नुकसान करने के इरादे से आग लगाने वालों के खिलाफ दण्ड़ित करने की कार्यवाही पर जोर दिया गया। वनों की सुरक्षा मुस्तेदी से करने, अवैध कटान को रोकने, गश्तीदल का गठन, वन अपराधों का कोर्ट में चालान करने पर जोर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से अधीनस्थ स्टाफ के जल्दी–जल्दी स्थानान्तरण पर रोक, वाहनों का संधारण एवं पेट्रोलिंग हेतु उचित बजट प्रावधान, पुलिस एवं सहयोगी विभागों के साथ समन्वय पर जोर दिया गया।

4. चराई–

कुल वन क्षेत्र का 90 प्रतिशत भाग चराई से प्रभावित है। श्री घोष की कार्य योजना से पूर्व की कार्य योजना में घास चराई को पृथक वर्किंग सर्किल में रखा गया था, जबकि श्री घोष द्वारा रोटेशनल ग्रेजिंग का सुझाव दिया गया ताकि क्षेत्रों का उचित विकास हो सके।

5. लोपिंग (पातन) –

वन मण्डल के समस्त वन क्षेत्र भारी लोपिंग से प्रभावित है। यह लोपिंग पशुपालकों द्वारा धोक, सिरस, नीम, रोंझ एवं छीला के वृक्षों पर अमूमन की जाती है। जो वृक्षों के विकास के लिए घातक है। सफेद धोक के वृक्षों की लोपिंग से अछूते नहीं है। लोपिंग नियन्त्रण के निर्देश दिये गये।

6 निजी भूमि से वृक्षों का कटान–

निजी भूमि से वृक्षों को हटाने के सम्बन्ध में पर्याप्त सावधानियां बरती जानी चाहिये, क्योंकि इसकी आड़ में अवैध कटान प्रोतसाहित होती है। मांग एवं आपूर्ति के मध्य स्थित कमी को पूरा करने के लिए खेतों पर वृक्ष लगाया जाना प्रोत्साहित किया गया। भेड़ निष्क्रमण से सम्बन्धित समस्याओं की पहचान किया जाना आवश्यक है, क्योंकि यह वनों की हानि करने के साथ–साथ कानूनी व्यवस्था में भी व्यवधान पैदा करती है। क्योंकि यह हर वर्ष की समस्या है। इसे स्थाई रूप से रोकने का सुझाव दिया गया।

7 लघु वन उपज का संग्रह–

इस वनमण्डल के वनों से तेन्दूपत्ता, गोंद, मोम, शहद, फल, घास, चारा, बबूल, एवं खेजडे की फलियां, औषधियों वाले वृक्ष समस्त क्षेत्र में पाये जाते हैं। तेन्दू के वृक्षों से अच्छे एवं उपयोगी पत्तों के अधिक उत्पादन हेतु तकनीकी सुझाव दिये गये। जिनमें कोपिस करना, कटबेक किया जाना, पोलार्डिंग लोपिंग आदि कर्तन कार्य प्रस्तावित किये गये।

कड़ाया, सफेद धोक, खेर, छीला, सालर, गुरजन, रोंझ, बबूल, सेहजना, सिरस, खेजड़ी से गोंद प्राप्त होता है। गोंद की मांग बढने के कारण वन उपज निकास का दबाव बढ़ा है। जिसकी वजह से कड़ाया, छीला, सालर अधिक प्रभावित होते है। घास बीड़ों में

उत्पादित घास ठेके द्वारा नीलाम किया जाता है। इनमें चराई 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक निषेध रहती है।

डाबी एवं के. पाटन रेंजों में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये खनन होना बताया गया। जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों पर जोर दिया गया। वन भूमि पर अतिक्रमण के बहुत मुकदमे पाये जाने पर एल.आर.ए. सेक्शन 91 के अन्तर्गत निस्तारण पर जोर दिया गया।

वन भूमि के भू–भाग जो अन्य विभागों को विभिन्न कार्यों हेतु रिलीज कर दिये गये हैं, उन्हें नियमितिकरण किया जाना प्रस्तावित किया गया। राजस्व विभाग द्वारा ऐसे क्षेत्र जिन पर वन सम्पदा मौजूद है, उन्हें वन विभाग को स्थानान्तरित किया गया। उनको तत्काल कब्जे वन विभाग को दिया जाना निर्देशित किया गया तथा ऐसी भूमियों का राजस्थान राजपत्र में राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकाशित करने के निर्देश दिये गये। तथा ऐसे क्षेत्र जो आरक्षित तथा रक्षित भूमि से रिलीज कर दिये है, उन्हें डी–नोटिफाई करना प्रस्तावित किया गया। वन मार्गों के सुदृढ़ीकरण, विभागीय भवनों के संधारण, वन सीमाओं का संधारण तथा डिमारकेशन लाईनों को स्थापित करना, कम्पार्टमेन्ट्स लाईन का संधारण ब्लॉक बाउन्ड्री तथा अमलदरामद पूर्ण किये जाने पर जोर दिया गया। क्लोजर्स के गजट नोटिफिकेशन तथा वन विभाग के प्रशासनिक ढांचे के अनुपातिक गठन पर जोर दिया गया।

रिकार्ड एवं नक्शे–

श्री अभिजीत घोष द्वारा कार्य आयोजना तैयार करते समय इस बात पर ध्यान दिया गया की रेन्ज स्तर पर रिकार्ड का संधारण ठीक प्रकार नहीं है तथा इस बात पर मण्डल कार्यालय से संदर्भ लिया जाता है। अधीनस्थ स्टाफ की स्थिति अत्यधिक खराब होने के कारण इसे सुधारने के सुझाव दिये गये। अनुसंधान, प्रशिक्षण, रिफ्रेशर कोर्स, डाटा कलेक्शन, जनसम्पर्क, स्टाफवेलफेयर, कार्मिक सुधार तथा श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित किया गया।

प्रशासनिक नियन्त्रण एवं अभिलेखों के संधारण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश दिये गये।

प्रबन्धन के परिणाम –

कार्य आयोजना के अधिकांश प्रस्तावों की पालना उपचार विधि अनुसार नहीं की गई। परिणाम स्वरूप वनों का ह्रास हुआ। कार्य आयोजना में प्रस्तावित कार्यों हेतु मण्डल वन

अधिकारी द्वारा वार्षिक योजना में मांग ही नहीं की, जिससे प्रस्तावित उपचारों का कार्यान्वयन नहीं हो सका।

7.8 वनों में सुधार के विशेष कार्य

विगत कार्य आयोजना एवं उसके बाद की अवधि में विभाग द्वारा वन एवं वानिकी विकास हेतु निम्न योजनाओं में वृक्षारोपण के कार्य किये हैं। पूर्व में किये गये कार्यों का वर्णन किया जा चुका है।

क्र.स.	योजना का नाम	अवधि
1	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना Rural Landless Employment Guarantee Scheme (RLEGS)	1984–1988
2	ग्रामीण विकास मंत्रालय की पड़त भूमि विकास परियोजना	1989–90
3	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम National Rural Employment Programme(NREP)	1986–1987
4	राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी कार्यक्रम National Social Forestry Programme (NSFP)	1983–1988
5	वानिकी विकास परियोजना Forestry Dovelopment Project (FDP)	1995–2000
6	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण परियोजना Rajasthan Forestry and Bio-Diversity Conservation Project (RFBP)	2003– 2007

विगत कार्य आयोजना एवं उसके बाद की अवधि में विभाग द्वारा अनेक ऐसी योजनाएं ली गईं जिसमें वन एवं वानिकी विकास हेतु वृक्षारोपण के अतिरिक्त समग्र ग्रामीण विकास तथा जनसहभागिता के कार्य भी सम्मिलित थे। उनमें से कुछ प्रमुख योजनाओं को आगे वर्णित किया जा रहा है।

7.9 विगत उपज

राजकीय प्रदेश से कूप्स कटान पर वर्ष 1987 से रोक होने से वनमण्डल बूंदी में कोई वन क्षेत्र में वृक्ष कटान नहीं हुआ है अतः विगत ऊपज के आंकडे दिया जाना सम्भव नहीं है। लघुवन ऊपज एवं पता तेन्दू के आंकड़े सम्बन्धित कार्यवृत्त में उल्लेखित है।

7.10 विगत आय व्यय –

वनमण्डल बूंदी के आय–व्यय के आंकडे निम्न सारणी अनुसार हैः–

मद	वर्ष								
	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
वनों से आय(रू.हजार)									
तेन्दू पत्ते की बिक्री से आय	491	375	47	44	944	426	375	474	498
घास एवं चारागाह से आय	172	132	201	282	295	272	182	214	250
वन अपराधों के शमन से प्राप्त राशि	1259	1349	2196	1281	2215	2702	2758	3495	3250
अन्य (निविदा, बिक्री, वन भूमि हस्तांतरण से)	145	376	154	228	196	253	872	1625	1625
योग	2067	2232	2598	1835	3650	3653	4187	5808	5623
वनों पर व्यय									
भू क्षरण	117	999	87	181	195	0	0	0	0
वन विकास	15307	18228	24949	15282	12332	0	505	2170	11284
स्थापना/प्रशासन	23140	23140	23995	23761	30173	47298	56758	56078	65618
योग	38564	43222	51598	39224	42700	47298	57263	58248	76902

वृद्धि एवं उपज की सांख्यिकी

Chapter – 8

	अध्याय 8	**Chapter – VIII**
8.1	प्रस्तावना	Introduction
8.2	कल्धी (धोक)	Dhok
8.3	खैर	Khair
8.4	धावड़ा	Dhavada
8.5	सालर	Salar
8.6	देशी बबूल	Desi babool
8.7	चुरैल	Churel

अध्याय 8

वृद्धि एवं उपज की सांख्यिकी

Chapter - VIII

Statistics of Growth

8.1 प्रस्तावना :

इन वनों की मुख्य प्रजातियां :

1. कल्धी (धोक)
2. खैर
3. धावड़ा
4. सालर
5. देशी बबूल
6. चुरैल

इन सभी प्रजातियों की उपज की सारणी उपलब्ध नहीं है, किन्तु केन्द्रीय वनवर्धन अनुसंधान संस्थान देहरादून (उ.प्र.) एवं राज्य वन वर्धन अधिकारी जयपुर राजस्थान द्वारा उपरोक्त प्रजातियों की वृद्धि एवं आयतन के आंकड़ों का संकलन कर सारणियां बनाने का प्रयास किया गया है जो निम्नानुसार हैं:

8.2 कलधी (धोक) :

आयतन सारिणी :

धोक की सामान्य मानक आयतन सारिणी केन्द्रीय वनवर्धन अधिकारी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून (उ.प्र.) द्वारा भारतीय वन अभिलेख (नई श्रेणी) वन वर्धन भाग 10 संख्या 7 में संकलित कर प्रकाशित की गई है जो निम्नानुसार है :–

तालिका संख्या (1) कल्धी (धोक)

छाल के नीचे गोल, ठोस आयतन कुल इमारती लकड़ी

ऊंचाई पर व्यास की श्रेणी के ऊपर (से.मी. में)	61–80	8.1.–10.0	10.1–12.0	12.1–14.0
ऊंचाई की श्रेणी (मीटर में)	आयतन घन मीटर में			
20.1-22.0	0.044	0.051	0.055	-
22.1-24.0	0.076	0.087	0.099	-

24.1-26.0	0.107	0.122	0.142	-
26.1-28.0	-	0.159	0.187	(0.212)
28.1-30.0	-	0.193	0.231	(0.267)
30.1-32.0	-	-	0.275	(0.323)
32.1-34.0	-	-	0.320	(0.379)
34.1-36.0	-	-	0.365	(0.434)

टिप्पणी :

(1) कोष्ठक में अंकित आंकड़े कुछ ही वृक्षों अथवा बाह्य गणना वक्रों पर आधारित है।

(2) वास्तविक आयतन तथा ग्राफ पर आधारित वास्तविक औसत ऊंचाई एवं व्यास के बीच औसत विचलन 6.5 प्रतिशत है तथा समस्त अन्तर 0.3 प्रतिशत है।

तालिका –2

गोल ठोस आयतन में छाल के नीचे कुल इमारती लकड़ी तथा छाल के ऊपर कुल लघु इमारती लकड़ी

ऊंचाई पर व्यास की श्रेणी (से.मी.)	4.1–6.0	6.0–8.0	8.1–10.0	10.1–12.0	12.1–14.0
ऊंचाई की श्रेणी मीटर में	आयतन घन मीटर में				
6.1-8.0	0.012	0.015	0.019	-	-
8.1-10.0	0.019	0.022	0.029	-	-
10.1-12.0	0.026	0.033	0.044	0.066	-
12.1-14.0	0.035	0.048	0.063	0.086	(0.117)
14.1-16.0	0.045	0.061	0.082	0.110	(0.150)
16.1-18.0	0.057	0.078	0.103	0.137	(0.186)
18.1-20.0	0.068	0.093	0.126	0.168	(0.228)
20.1-22.0	0.080	0.110	0.151	0.203	(0.273)

22.1-24.0	-	(0.129)	0.178	0.241	(0.321)
24.1-26.0	-	(0.150)	0.203	0.280	(0.369)
26.1-28.0	-	-	0.231	0.317	(0.419)
28.1-30.0	-	-	(0.260)	0.354	(0.468)
30.1-32.0	-	-	-	0.392	(0.518)
32.1-34.0	-	-	-	0.429	(0.570)
34.1-36.0	-	-	-	(0.467)	(0.618)

टिप्पणी –

(1) कोष्ठक में लिखी गई संख्या कुछ वृक्षों पर अथवा बाह्य गणना वक्रों पर आधारित है।

(2) वास्तविक आयतन एवं ग्राफ पर आधारित आयतन तथा वास्तविक औसत व्यास एवं ऊंचाई के बीच का औसत विचलन 6.3 प्रतिशत तथा समस्त अन्तर 0.5 प्रतिशत है।

तालिका –3

कुल छोटी लकड़ी (छाल सहित) गोल, ठोस आयतन छाल के ऊपर

ए.बी.एच. पर व्यास की श्रेणी (से.मी.)	4.1–6.0	6.0–8.0	8.1–10.0	10.1–12.0	12.1–14.0
ऊंचाई की श्रेणी मीटर में	आयतन घन मीटर में				
6.1-8.0	0.012	0.015	0.019	-	-
8.1-10.0	0.019	0.022	0.029	-	-
10.1-12.0	0.026	0.033	0.044	0.066	-
12.1-14.0	0.033	0.048	0.063	0.086	(0.117)
14.1-16.0	0.045	0.061	0.082	0.110	(0.150)
16.1-18.0	0.057	0.078	0.103	0.137	(0.186)
18.1-20.0	0.068	0.093	0.126	0.168	(0.220)

20.1-22.0	0.080	0.066	0.100	0.148	(0.273)
22.1-24.0	-	0.053	0.091	0.142	(0.321)
24.1-26.0	-	0.043	0.081	0.138	(0.369)
26.1-28.0	-	-	0.072	0.130	(0.207)
28.1-30.0	-	-	(0.260)	0.123	(0.201)
30.1-32.0	-	-	-	0.117	(0.195)
32.1-34.0	-	-	-	0.109	(0.191)
34.1-36.0	-	-	-	(0.102)	(0.184)

टिप्पणी –

(1) कोष्ठक में लिखी गई संख्या कुछ वृक्षों पर अथवा बाह्य गणना वक्रों पर आधारित है।

(2) प्राप्त मान कुल इमारती लकड़ी (छाल के नीचे) को कुल इमारती लकड़ी (छाल के नीचे). कुल छोटी इमारती लकड़ी (छाल के ऊपर) के आयतन में से घटाने पर प्राप्त हुई है।

तालिका संख्या – 4

ठोस गोल लट्ठे की दोहरी छाल सहित माप हेतु

मध्य का व्यास छाल सहित (से.मी. में)	दोहरी छाल की मोटाई (से.मी. में)
6-8	0.50
8-10	0.60
10-12	0.72
12-14	0.82
14-16	0.94
16-18	1.04
18-20	(1.06)

टिप्पणी : कोष्ठक में दर्ज आंकड़े केवल कुछ वृक्षों पर आधारित है।

बीजाजात पौधों की वृद्धि के आंकड़े :

वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की काष्ठ संरचना शाखा द्वारा यह प्रकाशित किया गया है कि धोक प्रजाति में वलय के निर्माण की प्रक्रिया दोषपूर्ण है। इसके परिणामस्वरूप धोक के तने का विश्लेषण किया जाना सम्भव नहीं है। जबकि राज्य वन वर्धन अधिकारी राजस्थान, जयपुर द्वारा धोक के सैम्पल प्लाट्स के वास्तविक मापों से आधारित ग्राफ से आंकड़े प्रापत किए गए हैं। दो सैम्पल प्लाट्स कालीन ब्रून्दी वन मण्डल की सरिस्का रेंज में चयनित किए गए थे जहां की जलवायु एवं मृदीय संरचना जयपुर वन मण्डल के काफी समानता किए हुए हैं। इन प्लाट्स के चयन के समय इनके वृक्षों की आयु को कोई निश्चित जानकारी नहीं थी। आयु का निर्धारण सभी पेड़ों के औसत व्यास की गणना के द्वारा किया गया। इन सैम्पल प्लाट्स की तालिका इनके वृक्षों की वास्तविक माप औसत व्यास वृक्ष की ऊँचाई पर आधारित आंकड़ों से बनाई गई है। जिसमें औसत ऊँचाई एवं औसत आयतन प्रति एकड़ यां 2 एकड़ हेतु घनफुट में आयु के अनुरूप लिया गया है। इसी प्रकार वास्तविक कूपों पर आधारित प्रत्येक प्लाट्स हेतु आयु/व्यास की, आयु/ऊंचाई और आयु/आयतन हेतु पृथक–पृथक सारिणियां प्रत्येक 5 वर्ष के अन्तराल से 50 तक बनाई गई है।

जयपुर वन मण्डल की कार्य आयोजना स्व॰ श्री बी.एल. मीणा के अनुसार दोनों सैम्पल प्लाट्स के परिणाम निम्नानुसार अंकित है :–

1. नाम	नमूना प्लाट् संख्या (भरतपुर डिविजन)
2 स्थिति	डिवीजन अलवर
3 चट्टान मृदा धरण	चिकनी दोमट मिट्टी कंकड़ पत्थर युक्त धरण का निर्माण नहीं के बराबर है।
4 वन का प्रकार	धोककी विशुद्ध उपज जिसमें कोई अधो उपज नहीं
5 कार्य जो किए गए	प्रारंभ में 'बी' ग्रेड का विरलन
6 अन्तराल	प्रारभिंक छंटाई के पश्चात् 10–10 का अन्तराल रखा गया।

तालिका संख्या – 5

(वास्तविक मापों पर आधारित)

क्र.सं.	सृजन का वर्ष	उपज की आयु (वर्षों में)	औसत व्यास (इंच में)	औसत ऊंचाई (फीट में)	आयतन दो एकड़ में (घन फुट में)
1	1956	34	2.9	28.4	476.68
2	1961	39	3.3	29.4	595.12
3	1966	44	3.7	30.0	671.25
4	1971	49	3.9	32.5	722.04
5	1976	54	4.3	36.5	-

तालिका संख्या –6 (ग्राफ रेखा के अनुसार)

क्र.सं.	उपज की आयु (वर्षों में)	औसत व्यास (इंच में)	औसत ऊंचाई (फीट में)	आकृति गुणक	आयतन दो एकड़ में (घन फुट में)
1	5	0.4	4.5	-	55.0
2	10	0.9	9.5	-	110.0
3	15	1.4	14.5	-	170.0
4	20	1.7	19.7	-	245.0
5	25	2.0	22.5	0.330	320.0
6	30	2.4	25.5	0.400	400.0
7	35	3.0	28.5	0.645	490.0
8	40	3.9	30.5	0.763	620.0
9	45	4.3	32.0	0.722	725.0
10	50	4.6	33.0	0.670	800.0

आयु एवं वर्तमान वार्षिक (CAI) वृद्धि दर एवं आयु/औसत वार्षिक वृद्धि दर (MAI) के ग्राफ के परीक्षण से ज्ञात होता है कि वर्तमान वार्षिक वृद्धि (CAI) 40 वर्ष की आयु पर सर्वाधिक होती है जबकि औसत वार्षिक वृद्धि दर 55 वर्ष की आयु पर सर्वाधिक होती है। वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर (CAI) एवं औसत वार्षिक वृद्धि दर (MAI) का संधि वर्ष/चरमोत्कर्ष बिन्दु 49 वर्ष पर प्राप्त होता है। अतः धोक प्रजाति का 49 वर्ष पर सर्वाधिक आयतन प्राप्ति का समय होने के कारण आवर्तन काल के रूप में नियत किया गया है।

दूसरे सैम्पल प्लॉट के आंकड़े एवं सारिणियां निम्नांकित हैं :–

1. नाम	सेम्पल प्लाट संख्या – 2
2 स्थिति	सरिस्का के समीप जिला अलवर
3 चट्टान मृदा धरण	कंकर पत्थर युक्त दूमट मिट्टी जिसमें धरण का निर्माण नहीं के बराबर है।
4 वन का प्रकार	धोकका विशुद्ध जंगल जिसमें अधो वनस्पति उपलब्ध नहीं
5 कार्य जो किए गए	प्रारंभ में 'बी' श्रेणी की छंटाई (विरलन)
6 अन्तराल	11.5′ 11.5′ के अन्तराल पर 332 वृक्ष प्रति एकड़ रखे गए।

तालिका संख्या – 7

वास्तविक माप के आंकड़ों पर आधारित

क्र.सं.	माप का वर्ष	उपज की आयु (वर्षों में)	औसत व्यास (इंचों में)	औसत ऊंचाई (फीट में)	आयतन प्रति एकड़ (घन फुट में)
1	1956	31	2.7	28.5	238.3400
2	1961	36	3.4	30.2	297.5600
3	1966	41	3.7	31.5	382.3758
4	1971	46	4.1	32.6	397.4544
5	1976	51	4.7	34.6	597.9620

तालिका संख्या –8

(ग्राफ अंकन के वक्रों पर आधारित)

क्र.सं.	उपज की आयु (वर्षों में)	औसत व्यास (इंचों में)	औसत ऊंचाई (फीट में)	आकृति गुणक	आयतन प्रति एकड़ (घन फुट में)
1	5	0.4	7.0	-	27.0
2	10	0.8	14.0	-	57.0
3	15	1.3	19.0	-	88.0
4	20	1.7	23.0	0.350	120.0
5	25	2.2	26.0	0.430	160.0
6	30	2.6	28.0	0.500	215.0
7	35	3.0	29.0	0.550	280.0
8	40	3.4	30.0	0.560	355.0
9	45	3.9	31.5	0.545	440.0
10	50	4.6	32.5	0.495	450.0

वर्तमान वार्षिक वृद्धि (CAI) एवं औसत वार्षिक वृद्धि दर (MAI) के वक्रों के अवलोकन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान वार्षिक वृद्धि (CAI) एवं औसत वार्षिक वृद्धि अपने चरमोत्कर्ष पर क्रमशः 40वें एवं 50वें वर्ष पर पहुंचती है तथा वर्तमान वार्षिक वृद्धि एवं औसत वार्षिक वृद्धि का संधि बिन्दु 48वें वर्ष में आता है जो कि धोक के लिए अधिकतम आयतन उत्पादन हेतु आवर्तन काल नियत किया गया है।

उपरोक्त दोनों नमूना खण्डों के आंकड़ों एवं उनके परिणामों के आधार पर जयपुर वन मण्डल में धोक प्रजाति के लिए आवर्तन काल 50 वर्ष का नियत किया गया है।

स्थूणज वृद्धि (कॉपिस ग्रोथ) :-

नीचे दी जा रही तालिका में राजस्थान वन वर्धन अधिकारी जयपुर द्वारा वर्ष 1956 में कोटा वनमण्डल के जगपुरा एवं कोलीपुरा वनखण्डों में पातन के पश्चात प्राप्त स्थूणज वृद्धि की संख्या एवं उनकी वृद्धि के विभिन्न आंकड़ों को संकलित किया गया है :–

तालिका संख्या –9

कूप संख्या	पातन का वर्ष	वक्ष ऊंचाई पर औसत व्यास (से.मी. में)	औसत ऊंचाई (मीटर्स में)	प्रति ठूंठ औसत प्ररोहो की संख्या
1	1949-50	3.81	4.27	5
2	1950-51	3.30	4.07	5
5	1951-52	2.79	3.77	6
6	1952-53	1.77	3.33	9
7	1953-54	1.52	2.59	11
8	1954-55	-	2.20	16
9	1955-56	-	1.37	26

कूप पातन के प्रथम वर्ष में प्रत्येक प्ररोह की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर थी प्रत्येक मूल स्तंभ प्ररोहों की कुल संख्या अपने आप ही 5 से 10 वर्षों में 5′6 की संख्या तक सीमित रह गई। इनकी औसत व्यास 3.2 से.मी. तथा औसत ऊंचाई 4.1 मीटर 5 वर्ष में दर्ज की गई। जबकि बीज से उत्पन्न पुनरूत्पादन की वृद्धि का दर औसत व्यास 2.5 से.मी. और औसत ऊंचाई 2.6 मीटर 10 वर्षों में दर्ज की गई थी। इस प्रकार यह तथ्य निर्विवाद रूप से सत्य है कि स्थणज द्वारा प्राप्त प्ररोहों की वृद्धि दर बीजाजात पुर्नजनित उपज की अपेक्षा बहुत तीव्र गति से होती है।

उत्पाद सारिणी

धोक प्रजाति हेतु कोई आयतन सारिणी उपलब्ध नहीं होने के कारण गत कार्य आयोजना के अनुसार उपलब्ध आंकड़ों को ही कुल अन्तिम उत्पाद का आयतन प्रति एकड़ अलग–अलग कार्य स्थलों हेतु सम्पूर्ण राज्य के लिए निम्नानुसार संकलित किया गया है :–

तालिका संख्या –10

अन्तिम उत्पाद आयतन/एकड़ (घन फुट में)

क्र.सं.	मण्डल स्टेम/एकड	भरतपुर 379	राज्य का औसत 413
1	5	27.3	28.7
2	10	56.0	64.6
3	15	86.5	105.9
4	20	121.0	158.1
5	25	160.0	242.9
6	30	207.5	334.6
7	35	262.5	414.4
8	40	332.5	485.0
9	45	401.2	550.2
10	50	425.0	621.7

फल एवं बीज, दिसम्बर–जनवरी में पकते हैं और 100 बीज/फल प्रति ग्राम (2700 फल प्रति औंस) बीजों की अंकुरण क्षमता बहुत न्यून मात्रा में पाई गई।

रूपान्तरण गुणक :

विभागीय कार्य मण्डल वृत्त जयपुर एवं राज्य वन वर्धन अधिकारी राजस्थान द्वारा शोध क्षति के निर्धारण हेतु गुणक निम्नानुसार है :–

1	शोध प्रतिशत	25 प्रतिशत चार महिने के भण्डारण के पश्चात 40 प्रतिशत 12 महिने के भण्डारण के पश्चात
2	ठोस आयतन एवं चित्त परिमाप का अनुपात	0.44
3	ईंधन का गीला (हरा) भारत/चित्त परिमाप	4.0 से 4.20 क्विंटल (गीला) प्रति घनमीटर

4	कुल भार (चित्त परिमाप)	21.4614 कि.ग्राम प्रति घनमीटर (1 वर्ष के भण्डारण के पश्चात)
5	धोक लकड़ी का कोयला बनाने पर	25 प्रतिशत से 32 प्रतिशत (गीली लकड़ी के भार का)
6	कोयले की विभिन्न श्रेणियों को छंटनी के पश्चात प्रतिशत कूप से परिवहन दर विक्रय केन्द्र पर रखने पर	(1) कोयला – 87.5 प्रतिशत–89.5 प्रतिशत (2) चूरी – 4.0 से 5.5 प्रतिशत (3) धूल/मिट्टी – 4.0 से 5.0 प्रतिशत (4) अधजली लकड़ी– 0.3 से 5 प्रतिशत (5) कमी – 1.5 से 2.0 प्रतिशत

धोक प्रजाति हेतु औसत वृद्धि के आंकड़े निम्न तालिका में संकलित किए गए हैं :–

तालिका संख्या –11

क्र.सं.	आयु(वर्षों में)	औसत व्यास(इंचों में)	औसत ऊंचाई (फीट में)
1	5	0.5	5.4
2	10	1.08	12.0
3	15	1.56	16.25
4	20	2.15	20.10
5	25	2.70	23.0
6	30	3.20	26.7
7	35	3.75	30.3
8	40	4.30	33.6
9	45	4.80	36.0
10	50	5.30	38.26

धोक की वृक्ष निधि :

धोक प्रजाति के प्रारूप के खण्ड टाटगढ़ रेंज अजमेर वन मण्डल के अधिनस्थ बनाए गए थे जिनमें धोक एवं अन्य प्रजातियों के प्राकृतिक पुनरोत्पादन एवं स्थूणज वृद्धि से प्राप्त प्ररोहों की वृद्धि के आंकड़ों को संकलित किया जाकर निम्नांकित तालिका में तुलनात्मक अध्ययन हेतु दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या –12

	व्यास (इंचों में)						
स्कन्ध की श्रेणी	प्रजाति	0–2	2–4	4–6	6–7	योग	विवरण
(I) बीज से तैयार	धौंक	25	59	34	2	120	81 प्रतिशत धोक स्कन्ध पाया गया
(II) स्थूणज वृद्धि द्वारा	धौंक	101	124	21	–	246	
योग						366	
(I) पौध तैयारी से	अन्य मिश्रित प्रजातियां	10	23	4	–	37	65 प्रतिशत स्थूणज वृद्धि स्कन्ध पाया गया
(II) स्थूणज वृद्धि से		8	25	16	–	49	
योग						86	
(I) पौध से तैयार	–	35	82	38	2	157	प्रति एकड़
(II) स्थूणज से तैयार	–	109	149	37	–	295	
योग						452	

8.3 खैर :

केन्द्रीय वन वर्धन अनुसंधान संस्थान देहरादून (उ.प्र.) द्वारा खैर प्रजाति हेतु आयतन श्रेणियां प्रकाशित की गई है तथा राज्य वनवर्धन अधिकारी जयपुर राजस्थान द्वारा खैर के वृद्धि के आंकड़े एकत्रित कराए गए हैं। संबंधित तालिका निम्नानुसार अंकित की जा रही हैः–

तालिका संख्या – 1

खैर – सम्पूर्ण व्यापारिक इमारती लकड़ी और अन्तः काष्ठ के ठोस, गोले का आयतन छाल रहित

आयतन घन मीटर में

क. स.	6.4– 9.1	9.4– 15.2	12.5– 15.	15.5– 18.	18.6– 21.	21.6– 24.	24.7– 27.	सभी श्रेणियों के साथ – 2 (घ. मी.में)	मापे गए वृक्षों की संख्या	अन्तः काष्ठ % व्यवसायिक स्तर पर
1	(0.054) (0.056)	0.126 (0.081)	0.168 0.109	0.210 0.137	(0.252) (0.165)	- -	- -	0.168 0.109	146 -	- 65.0
2	(0.096) (0.120)	0.266 0.074	0.353 0.227	0.437 0.286	0.535 0.350	0.608 0.395	(0.692) (0.448)	0.409 0.263	631 -	- 65.0
3		(0.451) (0.294)	0.608 (0.395)	0.748 0.485	0.905 0.588	1.059 0.689	1.403 0.779	0.905 0.779	431 -	- 65.0
4				1.161 0.770	1.385 0.922	1.612 1.070	(1.839) (1.223) 0.986	1.486 0.986	113 -	- 66.5
5				(1.640) (1.133)	(1.982) (1.365)	(2.307) (1.590)	(2.646) (1.825)	2.150 (1.483)	17 -	- 69.0
6									1338	

अधो टिप्पणी : (1) कोष्ठक में लिखी गई माप कुछ वृक्षों अथवा बाह्य गणना वक्रों पर आधारित है।

(2) रेंखंकित आंकड़े गोलाकार में अन्तः काष्ठ केक आयतन को दर्शाते हैं।

तालिका संख्या – 2

खैर

वास्तविक माप पर आधारित व्यास– ऊंचाई का सम्बन्ध

क्र.सं.	माप लेने का वर्ष	औसत व्यास वक्ष ऊंचाई पर छाल सहित (इंचों में)	औसत ऊंचाई (फीट में)
1	1960	2.36	20.3
2	1965	3.46	24.5
3	1971	3.89	27.1
4	1976	4.21	27.5

तालिका संख्या –3

वास्तविक माप के आधार पर बनाए गए ग्राफ के अनुसार एक व्यास श्रेणी से दूसरी व्यास श्रेणी में पहुंचने में लगा समय

क्र.सं.	व्यास श्रेणियां (इंचों में)	एक व्यास की श्रेणी से दूसरी में प्रवेश हेतु लगने वाला औसत समय (वर्षों में)
1	1.5-2.0	2.5
2	2.0-2.5	3.0
3	2.5-3.0	3.5
4	3.0-3.5	4.0
5	3.5-4.0	5.0

तालिका संख्या –4

वास्तविक मापों पर आधारित ग्राफों के अनुसार एक ऊंचाई श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रवेश का समय वर्षों में

क्र.सं.	ऊंचाई की श्रेणी फीट में)	एक व्यास की श्रेणी से दूसरी में प्रवेश हेतु लगने वाला औसत समय (वर्षों में)
1	17.5-20.0	4.5
2	20.0-22.5	5.0
3	22.5-25.0	4.5
4	25.0-27.5	4.5
5	27.5-30.0	3.5

तालिका संख्या – 5

खैर – व्यास आधारित संदर्भ में ऊंचाई वृद्धि की तालिका

क्र.सं.	वक्ष ऊंचाई पर व्यास छाल सहित (इंचो में)	औसत ऊंचाई (फीट में)
1	2.0	19.0
2	3.0	22.0
3	4.0	25.5
4	5.0	32.5

चूँकि प्रजाति की माप बहुत छोटी अवधि तक ली गई है इसके आधार पर आए परिणाम बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते। फिर भी व्यास वृद्धि के अध्ययन हेतु दिशा निर्देशों के रूप में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। अध्ययन से यह पाया गया है कि खैर प्रजाति के वृक्ष को 1.5 इंच की व्यास श्रेणी से 4.0 इंच की व्यास श्रेणी में प्रवेश हेतु लगभग 20 वर्षों का समय लग जाता है।

राज्य वन वर्धन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर द्वारा वन मण्डल कोटा के दामोदर पुरा वनखण्ड से एकत्रित आंकड़ों पर आधारित वजन की सारिणी (Weight table) निम्नानुसार बनाई गई है :–

तालिका संख्या – 6 खैर

अन्तः काष्ठ का कुल भार ऊंचाई की श्रेणी (मीटर में) के अनुसार				
व्यास श्रेणी वक्ष ऊंचाई पर छाल सहित (से.मी. में)	**3.4–5.0**	**4.6–6.0**	**6.44**	**7.83**
7.5-10.0	-	6.53	6.44	7.83
10.1-12.5	8.50	10.53	11.46	12.31
12.5-15.0	12.50	14.64	15.95	17.25
15.0-17.5	16.60	18.75	20.70	21.50
17.0-20.0	-	23.32	25.29	-
20.0-22.5	-	28.64	30.90	-

राज्य वन वर्धन अधिकारी राजस्थान, जयपुर द्वारा चित्तौड़गढ़ एवं बून्दी वन मण्डलों में निदर्श के भूखण्ड डालकर यह अध्ययन कराया गया कि खैर प्रजाति के हांडी विधि द्वारा अन्तः काष्ठ का कितना प्रतिशत कत्था बनाया जा सकता है। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि चित्तौडगढ़ वन मण्डल में खैर की अन्तः काष्ठ के भार का 8.1 प्रतिशत ताजा बना कत्था तैयार हुआ जो तीन माह के पश्चात् 4.26 प्रतिशत पाया गया। जबकि बूंदी वनमण्डल में आंकड़े क्रमशः 10.34 प्रतिशत तथा 5.67 प्रतिशत पाए गए। चित्तौड़गढ़ वन मण्डल में 4.5 मीटर औसत ऊंचाई श्रेणी के तथा 10.0 से 12.5 व्यास श्रेणी के वृक्ष से 0.487 किलोग्राम सूखा कत्था प्राप्त हुआ जबकि बून्दी वनमण्डल से 10.0 से 12.5 व्यास श्रेणी के औसत वृक्ष से 0.477 किलोग्राम सूखा कत्था प्राप्त हुआ। खैर का बीज जनवरी–फरवरी में पकता है तथा एक ग्राम वजन में 39–40 बीज पाए जाते हैं।

8.4 धावड़ा :

धावड़ा प्रजाति हेतु आयतन सारिणी एवं अन्य प्रासंगिक आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन केन्द्रीय वन वर्धन अनुसंधान संस्थान देहरादून (उ.प्र.) द्वारा किया गया है जो निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या – 1

सम्पूर्ण काष्ठ (कुल इमारती लकड़ी छाल के ऊपर + कुल लघु काष्ठ) ठोस व गोलाई में आयतन छाल के ऊपर					
व्यास की श्रेणियां (छाल के ऊपर) की श्रेणी (से.मी. में)	10.1-15.0	15.1-20.0	20.1-25.0	25.1-30.0	30.1-35.0
ऊंचाई की श्रेणी(मीटर में)	आयतन घन मीटर में				
10.1-20.0	0.120	0.162	-	-	-
20.1-30.0	0.416	0.504	0.616	(0.743)	-
30.1-40.0	0.793	0.911	1.121	2.393	-
40.1-50.0	(1.241)	1.529	1.820	2.270	(2.950)
50.1-60.0	-	-	2.796	3.261	(4.003)

तालिका संख्या – 2

व्यास वृद्धि एवं आयतन प्रति वृक्ष प्रति हैक्टर आयु वर्गानुसार

आयु (वर्षों में)	वक्ष ऊंचाई पर व्यास (से.मी. में)	प्रति वृक्ष आयतन (घ.मी. में)	प्रति हेक्टर आयतन (घ.मी. में)
10	8.382	0.047	0.30
20	13.208	0.078	0.77
30	17.272	0.134	1.12
40	20.828	0.269	1.33

50	23.876	0.336	1.54
60	26.416	0.384	1.68
70	28.702	0.459	1.68
80	30.480	0.541	1.75

तालिका संख्या – 3

दोहरी छाल मोटाई एवं छाल प्रतिशत

क्र.सं.	व्यास की श्रेणी (वृक्ष ऊंचाई पर छाल सहित से.मी. में)	दोहरी छाल मोटाई (से.मी. में)	छाल प्रतिशत
1	10.1-20.0	1.0	16
2	20.1-30.0	1.1	12
3	30.1-40.0	1.2	9
4	40.1-50.0	1.3	8
5	50.1-60.0	1.4	6

8.5 सालर :

सालर प्रजाति हेतु केन्द्रीय वन वर्धन अनुसंधान संस्थान देहरादून (उ.प्र.) द्वारा राज्य के वनों से आंकड़े प्राप्त कर आयतन सारिणी जारी की है, जिनमें से मुख्य रूप से निम्नानुसार है :–

तालिका संख्या – 1

कुल काष्ठ (छाल रहित) ठोस व गोलाई में आयतन

व्यास श्रेणी वक्ष ऊंचाई पर छाल सहित से.मी. में ऊंचाई श्रेणी (मीटर में)	6.1–9.0	9.1–12.0	12.1–15.0	15.1–18.0	18.1–21.0	21.1–24.0
15.1-20.0	0.010	0.077	-	-	-	-
20.1-25.0	0.070	0.091	0.139	0.154	-	-
25.1-30.0	0.130	0.168	0.233	0.307	-	-
30.1-35.0	0.190	0.249	0.338	0.462	-	-
35.1-40.0	(0.251)	(0.333)	0.492	0.655	(0.836)	-
40.1-45.0	-	-	(0.679)	0.866	1.067	-
45.1-50.0	-	-	(0.879)	1.090	1.337	(1.596)
50.1-55.0	-	-	-	1.354	1.643	(1.935)
55.1-60.0	-	-	-	1.638	1.951	(2.315)
60.1-65.0	-	-	-	1.926	(2.279)	(2.720)

अद्योटिप्पणी –

(1) कोष्ठक में लिखी गई संख्या कुछ वृक्षों अथवा बाह्य गणना वक्रों पर आधारित है।

(2) वास्तविक आयतन और वास्तविक औसत व्यास व ऊंचाई पर आधारित वक्रों में औसतन विचलन 1.6 प्रतिशत तथा समग्र अन्तर 0.7 प्रतिशत है।

तालिका संख्या – 2

कुल काष्ठ (छाल सहित) आयतन गोल ठोसाकार में

व्यास श्रेणी वक्ष ऊंचाई पर छाल सहित (से.मी. में)						
3.1–6.0	6.0–9.0	9.1–12.0	12.1–15.0	15.1–18.0	18.1–21.0	21.1–24.0
आयतन घन मीटर में						
0.011	(0.018)	-	-	-	-	-
0.37	0.060	0.077	-	-	-	-
(0.071)	0.113	0.144	-	-	-	-
-	0.217	0.260	0.344	(0.389)	-	-
-	(0.346)	0.404	0.519	(0.624)	-	-
-	(0.484)	0.563	0.708	(0.866)	(1.389)	-
-	(0.641)	(0.748)	0.932	(1.174)	(1.753)	-
-	-	-	(1.199)	1.507	(2.184)	-
-	-	-	(1.560)	1.890	(2.184)	(2.323)
-	-	-	-	2.263	2.667	2.857
-	-	-	-	2.684	3.208	(3.489)
-	-	-	-	(3.087)	(3.743)	(4.137)

अधो टिप्पणी :–

1 कोष्ठक में लिखे गये आंकड़े कुछ वृक्षों अथवा बाह्य गणना वक्रों पर आधारित है।

2 वास्तविक आयतन एवं वास्तविक व्यास व ऊंचाई के वक्रों से प्राप्त आयतन का औसत विचलन 4.4 प्रतिशत तथा समग्र अन्तर 0.8 प्रतिशत है।

तालिका संख्या – 3

कुल लघु काष्ठ (छाल सहित) का आयतन गोलाकार ठोस आकृति में आयतन

व्यास श्रेणी वक्ष ऊंचाई पर (से.मी. में)						
3.1–6.0	6.0–9.0	9.1–12.0	12.1–15.0	15.1–18.0	18.1–21.0	21.1–24.0
आयतन घन मीटर में						
0.011	(0.018)	-	-	-	-	-
0.037	0.060	0.077	-	-	-	-
(0.071)	(0.098)	(0.119)	-	-	-	-
-	0.118	0.132	0.148	(0.172)	-	-
-	(0.170)	0.177	0.207	(0.209)	-	-
-	(0.237)	0.240	0.269	(0.270)	-	-
-	(0.326)	(0.327)	0.309	(0.345)	(0.331)	-
-	-	-	0.350	0.424	(0.419)	-
-	-	-	(0.461)	0.527	(0.513)	(0.328)
-	-	-		0.591	0.639	0.468
-	-	-		0.662	0.799	(0.631)
-	-	-		(0.738)	(0.964)	(0.820)

अधो टिप्पणी :–

कोष्ठक में लिखे गये आंकड़े कुछ वृक्षों अथवा बाह्य गणना वक्रों पर आधारित है।

तालिका संख्या – 4

सालर – दोहरी छाल मोटाई और छाल प्रतिशत

व्यास श्रेणी वक्ष ऊंचाई पर (छाल सहित से.मी. में)	दोहरी छाल मोटाई (से.मी. में)	छाल प्रतिशत
5.1-10.0	2.4	40
10.1-15.0	2.5	36
15.1-20.0	2.7	33
20.1-25.0	2.8	29
25.1-30.0	3.0	26
30.1-35.0	3.1	23
35.1-40.0	3.3	21
40.1-45.0	3.4	20
45.1-50.0	3.6	20
50.1-55.0	3.8	19
55.1-60.0	3.9	19
60.1-65.0	4.0	18
65.1-70.0	(4.2)	(18)
70.1-75.0	(4.3)	(17)

अधो टिप्पणी – कोष्ठक में लिखी गई संख्या कुछ वृक्षों पर आधारित है।

तालिका संख्या – 5

सालर – कुल लघुकाष्ठ (छाल सहित) आयतन ठोस गोलाकार में आयतन छाल सहित

व्यास श्रेणी वक्ष ऊंचाई पर (से.मी. में)						
3.1–6.0	6.0–9.0	9.1–12.0	12.1–15.0	15.1–18.0	18.1–21.0	21.1–24.0
आयतन घन मीटर में						
0.011	(0.018)	-	-	-	-	-
0.037	0.060	0.077	-	-	-	-
0.071	0.098	0.119	-	-	-	-
-	0.118	0.132	0.148	-	-	-
-	(0.170)	0.177	0.269	(0.209)	-	-
-	(0.237)	0.240	0.309	(0.270)	-	-

-	(0.323)	(0.326)	0.350	0.424	(0.331)	-
-	-	-	(0.461)	0.527	(0.419)	-
-	-	-	-	0.591	(0.513)	(0.328)
-	-	-	-	0.662	0.639	0.468
-	-	-	-	0.738	0.799	(0.631)
-	-	-	-	-	0.964	(0.820)

अधो टिप्पणी –

कोष्ठक में लिखी गई संख्या कुछ वृक्षों अथवा बाह्य गणना वक्रों पर आधारित है।

8.6 देशी बबूल :

देशी बबूल प्रजाति की वृद्धि एवं आयतन सारणियां केन्द्रीय वनवर्धन अनुसंधान संस्थान देहरादून (उ.प्र.) द्वारा संकलित एवं प्रकाशित की गई है। राज्य वन वर्धन अधिकारी राजस्थान जयपुर द्वारा भी जयपुर वन मण्डल हेतु बबूल प्रजाति के अन्य आंकड़े प्राप्त कर संकलित किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं :–

तालिका संख्या – 1

देशी बबूल

कुल मानक इमारती लकड़ी छाल रहित + कुल लघुकाष्ठ (छाल सहित) ठोस गोल आकार में

व्यास श्रेणी वक्ष ऊंचाई पर छाल सहित (से.मी. में)	3.55–6.10	6.40–9.14	9.14–12.19	12.50–15.24	15.54–18.29	18.69–21.34
5.1-10.02	0.014	0.014	0.014	-	-	-
10.02-15.2	0.042	0.456	0.072	0.084	-	-
15.2-20.3	0.070	0.112	0.140	0.168	-	-
20.3-25.4	-	0.168	0.224	0.283	-	-
25.4-30.5	-	0.252	0.339	0.437	0.535	-
30.5-35.6	-	(0.339)	0.479	0.636	(0.776)	-
35.6-40.6	-	-	0.664	0.877	(0.073)	-
40.6-45.7	-	-	0.877	1.147	(1.416)	-
45.7-50.8	-	-	(1.115)	1.444	(1.769)	-
50.8-55.9	-	-	(1.371)	(1.769)	(2.164)	-
55.9-61.0	-	-	-	(2.122)	(2.576)	-
61.0-66.0	-	-	-	(2.489)	(2.986)	-

अधो टिप्पणी :

1 कोष्ठक में लिखे गये आंकड़े कुछ वृक्षों अथवा बाह्य गणना वक्रों पर आधारित है।

2 वास्तविक आयतन एवं वास्तविक व्यास व ऊंचाई पर आधारित वक्रों से प्राप्त आयतन का औसत विचलन 13.8 प्रतिशत तथा समग्र अन्तर 0.01 प्रतिशत है।

तालिका संख्या –2

देशी बबूल

व्यवसायिक छाल उत्पादन सूखा वजन (12 प्रतिशत नमी समता)

व्यास श्रेणी वक्ष पर छाल सहित (से.मी. में)					
3.55–6.10	6.40–9.14	9.14–12.19	12.50–15.24	15.54–18.29	नाप किए गए वृक्षों की संख्या
2.79	2.79	-	-	-	18
4.65	5.58	6.51	-	-	150
-	13.02	17.07	-	-	108
-	25.11	32.55	40.92	-	48
-	38.13	49.29	59.52	-	21
-	-	66.03	78.12	(92.07)	13
-	-	(83.70)	(97.65)	(112.53)	10
					368

अधो टिप्पणी :

1 कोष्ठक में लिखे गये आंकड़े कुछ वृक्षों अथवा बाह्य गणना वक्रों पर आधारित है।

2 वास्तविक हवा में सूखा वजन और वास्तविक औसत व्यास और ऊंचाई के बीच का परस्पर औसत विचलन 6.3 प्रतिशत तथा समग्र अन्तर 0.7 प्रतिशत है।

तालिका संख्या – 3

दोहरी छाल मोटाई के काष्ठ छाल सहित और छाल प्रतिशत

लट्ठे का मध्य व्यास छाल सहित (से.मी. में)	छाल की दोहरी मोटाई (से.मी. में)	छाल प्रतिशत (पूना डिविजन)
5.1-10.2	1.02	38
10.2-15.2	1.53	28
15.2-20.3	2.03	24
20.4-30.5	2.79	20
30.5-35.6	3.05	20
35.6-40.6	3.30	19
40.6-45.7	3.30	18
45.7-50.8	3.30	17
50.8-55.9	3.56	-
55.9-61.0	3.56	-
61.0-66.0	3.56	-

राजस्थान वन वर्धन अधिकारी जयपुर द्वारा जयपुर वन मण्डल के अधीन बांदीकुई प्लान्टेशन 1957 के अन्तर्गत डाले गये नमूने के खण्ड से वास्तविक रूप से लिए गए आंकड़ों पर वृद्धि के आंकड़े अभिलिखित किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं :–

तालिका संख्या – 4

देशी बबूल (Acacia nilotica)वास्तविक गणना पर आधारित

क्र.सं.	गणना का वर्ष	आयु वर्षों में	औसत व्यास वक्ष ऊंचाई पर छाल सहित (इंच में)	औसत ऊंचाई (फीट में)
1	1964	7	3.5	29.7
2	1969	12	4.0	21.3
3	1976	19	5.4	35.7

तालिका संख्या – 5

देशी बबूल ग्राफ के अनुसार

क्र.सं.	आयु (वर्षों में)	औसत व्यास वक्ष ऊंचाई पर छाल सहित (इंच में)	औसत ऊंचाई (फीट में)
1	5	2.4	21.5
2	10	3.5	25.5
3	15	4.5	30.0
4	20	5.5	34.0
5	25	6.6	37.0

8.7 चुरैल :

केन्द्रीय वन वर्धन अनुसंधान संस्थान देहरादून (उ.प्र.) द्वारा चुरेल (पापड़ी) प्रजाति के लिए जारी की गई आयतन सारिणी निम्नानुसार है :

तालिका संख्या – 1

ऊंचाई की श्रेणियां (मीटर में)				
व्यास श्रेणियां वृक्ष ऊंचाई पर छाल सहित (से.मी. में)	18.6–24.4	24.7–30.5	30.8–36.6	माप किये गये वृक्षों की संख्या
20.3-30.5	(0.084)	(0.409)	-	5
30.5-40.6	(0.535)	(0.419)	-	10
40.6-50.8	(1.017)	(1.430)	-	45
50.8-61.0	(1.500)	1.965	(2.447)	142
61.0-71.1	(2.024)	2.590	(3.157)	105
71.1-81.3	(2.562)	3.554	(4.573)	23
81.3-91.4	-	(4.828)	(6.328)	2
योग				**332**

अधो टिप्पणी – कोष्ठक में लिखे गए आंकड़े कुछ वृक्षों या बाह्य गणना वक्रों पर आधारित है।

तालिका संख्या – 2

चुरैल

गोल, ठोस काष्ठ खण्ड का आयतन दोहरी छाल की मोटाई सहित एवं छाल प्रतिशत

क्र.सं.	काष्ठ खण्ड का मध्य व्यास (छाल सहित) (से.मी. में)	छाल की दोहरी मोटाई माप (से.मी. में)	छाल प्रतिशत
1	30.5-35.6	(3.80)	(19)
2	35.6-40.6	3.81	19
3	40.6-45.7	4.32	19
4	45.7-50.8	4.57	18
5	50.8-55.9	4.83	18
6	55.9-61.0	5.08	17
7	61.0-66.0	5.33	16
8	66.0-71.1	5.33	15
9	71.1-76.2	5.59	15
10	76.2-81.3	(5.84)	(14)
11	81.3-86.4	(6.10)	(14)
12	86.4-91.4	(6.10)	(13)

अधो टिप्पणी – कोष्ठक में लिखे गए आंकड़े कुछ वृक्षों या बाह्य गणना वक्रों पर आधारित है।

CHAPTER IX

	भाग 2	PART II
	अध्याय 9	**CHAPTER IX**
	भावी वन प्रबन्धन–अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय परिपेक्ष्य	Future Management- In International and National Perspective
9.1	प्रबन्धन के सामान्य उद्देश्य	General Objectives of Forest Management
9.2	वन संरचना एवं दशा	Status of Forest
9.3	वनों से मांग व आपूर्ति	Requirements from forest
9.4	रोजगार व आयवर्द्धन के अवसरों का निर्माण	Opportunities for employment and income
9.5	भावी वन प्रबन्धन के उद्देश्य	Objectives of Future Management
9.6	पर्यावरण व पारिस्थितिकी के उद्देश्य	Environment and Ecological Objectives
9.7	वन संवर्द्धनिक उद्देश्य	Siviculture Objectives
9.8	सामाजिक उद्देश्य	Social Objectives
9.9	नीतिगत व प्रशासनिक उद्देश्य	Policy and Administrative Objectives
9.10	उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अंगीकृत व्यूह रचना	Strategy Adopted for Achievment of Objectives
9.11	यथार्थ स्थिति	Factual Position
9.12	उपचार की विधियां	Treatment Methods
9.13	कार्यवृत्तो का गठन	Composition Working Circle
	9.13.1 वनों के प्रकार	Types of Forest
	9.13.2 कार्य वृत्तों का गठन	Constitution of Working Circles
9.14	क्षेत्र आवंटन	Allotment of Areas
9.15	वन खण्ड एवं संविभाग	Forest Blocks & Compartments
9.16	वन निधि मानचित्र	Forest Stock Maps
9.17	कार्य आयोजना की कार्य अवधि	Tenure of Working Plan
9.18	कार्य आयोजना का पुनरावलोकन	Review of the Working Plan

अध्याय – 9

भावी वन प्रबन्धन–अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय परिपेक्ष्य

CHAPTER - IX

FUTURE MANAGEMENT- IN INTERNATIONAL AND NATIONAL PERSPECTIVE

9.1 प्रबंध के सामान्य उद्देश्य

वनों एवं वृक्ष क्षेत्रों का धारणीय विकास भावी वन प्रबन्धन का एक मात्र मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जीनेरो में आयोजित "शिखर सम्मेलन, पृथ्वी 1992" में धारणीय वन प्रबन्धन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया :–

"धारणीय वन प्रबन्धन अर्थात वन व वन भूमि का इस रीति से संरक्षण और उपयोग की उसकी जैव विविधता, उत्पादकता, पुर्नजनन क्षमता, प्राणतत्वता और उनकी स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर वर्तमान में और भविष्य में संबंधित पारिस्थितिकीय, आर्थिक और सामाजिक कार्य की पूर्ति की क्षमता यथावत बनी रहे और जिससे अन्य किसी पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति नहीं पहुंचे। पृथ्वी 1992 सम्मेलन के क्रम में सितम्बर 2002 मे दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में आयोजित 'विश्व शिखर सम्मेलन' में, धारणीय वन प्रबन्धन पर व्यापक सहमति बनी। धारणीय वन प्रबन्धन को गरीबी उन्मूलन, नविनीकरण को कम करने, जैव विविधता के ह्रास को रोकने, भूमि और संसाधनों के अधोपतन, अपक्षय को रोकने, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने, सुलभ ईंधन आपूर्ति तथा खाद सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम माना गया। इस शिखर सम्मेलन में आगे की पहल करते हुए क्षेत्रीय आधार वाली तीन नई साझेदारियां प्रारम्भ की गईं। इन तीन में से एक थी 'एशिया वन साझेदारी'। एशिया वन साझेदारी में जापान सरकार एवं उसके सहयोगी संस्थाओं व सरकारों द्वारा मिलकर एशिया में धारणीय वन प्रबन्धन को प्रोत्साहित करने एवं निम्न बिन्दुओं पर मिलकर कार्य करने की व्यवस्था कायम की गईः– प्रवर्द्धन क्षमता, अवैध कटान, वनाग्नि, परिभ्रांषित वन भूमि, वन नीति कार्यक्रम का विकास, उपग्रह आंकड़ों का उपयोग व मानचित्रीकरण, सहभागी विकास, मानव व संस्थागत विकास एंव अनुसंधान के लिये ढांचा।

- भू क्षरण को रोकना, जलग्रहण क्षेत्रों को समुचित सुधार कर बांधों एवं जलाशयों की क्षमता को बनाये रखना।
- चारागाह क्षेत्रों में विकास कार्य करवाकर उन्नत किस्म की पौष्टिक घास व चारा उत्पादित करना व घास व चारे की मांग की यथासंभव पूर्ति करना।

- सुरक्षित चारा क्षेत्र बनाकर अकाल के समय चारे की पूर्ति करना।
- स्थानीय नागरिकों की जलाऊ लकड़ी व छोटी लकड़ी की मांग की यथासंभव पूर्ति करना।
- भू संरक्षण कार्य करवाकर भू–जल में वृद्धि करना व मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करना।
- सस्य में सुधार – विद्यमान वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन एवं वृक्षारोपण द्वारा वनों की गुणता घनत्व में वृद्धि।
- जैव विविधता में वृद्धि करना।
- पर्यावरण में सुधार करना।
- पातन को कार्य आयोजना में निर्दिष्ट सीमाओं के अन्तर्गत प्रतिबंधित करते हुए वनों से वन उपज प्राप्त करना।
- स्थानीय परिस्थितियों में सुधार द्वारा, वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं विकास हेतु उपयुक्त आश्रयस्थल एवं उचित वातावरण बनाना।

वन वर्धन की उपयुक्त पद्धति के अनुसार वनों का प्रबंध कर के सामान्य वन बनाने की दिशा में प्रगति करना।

9.2 वन संरचना एवं दशा

वनों की संरचना एवं दशा का विस्तृत विवरण भाग I के अध्याय 2 (अ) में विस्तृत में वर्णित है। बूंदी जिले का कुल अधिसूचित वन क्षेत्र 1542.42 वर्ग कि.मी है जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5776 वर्ग कि.मी. का 26.70 प्रतिशत हैं। प्रतिशत के आधार पर बूंदी जिला 10 वें स्थान पर आता है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून स्टेट फोरेस्ट प्रतिवेदन 2011 के अनुसार मध्यम सघनता वाला वन क्षेत्र 146 वर्ग कि.मी है, जो जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 5.3 प्रतिशत है। झाड़ीनुमा वन क्षेत्र का क्षेत्रफल 145 वर्ग कि.मी है। जो कि जिले के क्षेत्रफल का 2.50 प्रतिशत है।

9.3 वनों से मांग व आपूर्ति

स्थानीय जनता की वन उत्पाद की मांग व आपूर्ति के विषय में विस्तार से भाग I अध्याय 3 में वर्णन दिया गया है। मांग व पूर्ति में अन्तर अधिक होने के कारण इसको पाटने की आवश्यकता है। विशेषतः जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता एवं मवेशी हेतु चारा व घास जिसके लिये वनों पर निरन्तर, अनियंत्रित दबाव रहता है। भविष्य में भी जनसंख्या वृद्धि के कारण इस अन्तर में और अधिक वृद्धि होने की सम्भावना है। भविष्य

की मांग व आपूर्ति की स्थिति को देखते हुए वनों से इस दबाव को कम करने के लिये अभिनव व असामान्य उपाय किये जाने की आवश्यकता होगी, जैसे गैर वन क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी के कार्य करवाना आदि।

मृदा व जल संरक्षण

अन्य जिलों की तुलना में बूंदी जिले में स्थिति अच्छी होने के उपरान्त भी यह देखने में आया है कि इस जिले के वनों का एक बड़ा भाग रिक्त व आवरण विहीन होने से मृदा का क्षरण अत्यधिक है व वन मृदा बहुत उपजाऊ नहीं है। सतही आवरण के अभाव में वर्षा जल का भी ठीक–ठीक संरक्षण नहीं हो पा रहा है। जिले में पहाड़ी धरातल वाला काफी बड़ा क्षेत्र होने से भू एवं जल संरक्षण के उपाय विस्तृत स्तर पर किये जाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

9.4 रोजगार व आयवर्द्धन के अवसरों का निर्माण

जिले में आधी से अधिक जनसंख्या बेरोजगारी व अभावों से पीड़ित है अतः ग्रामीण बेरोजगारो को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा उन्हें इस माध्यम से वन एवं वानिकी कार्यो से सम्बद्ध रखना कुशल वन प्रबन्धन का एक अभिन्न अंग है। वनीकरण कार्यो में स्थानीय ग्रामीणों की सहभागिता से तथा वन क्षेत्र से प्राप्त होने वाले लाभ व आय के बंटवारे से वन सुरक्षा, प्रबन्धन व संरक्षण का लाभकारी वातावरण निर्मित किया जा सकता है। वन क्षेत्र में पाये जाने वाली विभिन्न प्रकार की लघु वन उपज व औषधीय पादपों को संरक्षण प्रदान कर तथा उनके वैज्ञानिक विदोहन व सही तकनीकी प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर वनों की उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही उन्हें आयवर्द्धन का स्त्रोत भी बनाया जा सकेगा।

वन क्षेत्र के बाहर भू एवं जल संसाधनों का उपयोग : वन क्षेत्र से बाहर उपलब्ध भूमि व जल संसाधनों के समुचित उपयोग से वनों पर पड़ रहे अत्यधिक जैविक दबावों में कमी लायी जा सकती है, वनों पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। बूंदी जिले में वन क्षेत्र के अतिरिक्त पर्याप्त भूमि व जल संसाधन उपलब्ध है। सड़क किनारे, रेल्वे लाईन किनारे व नहरों के किनारे वृक्षारोपण तथा कृषि वानिकी इत्यादि। बूंदी जिले में भूमि उपयोग का विवरण निम्न सारणी अनुसार हैं :

जंगलात	1,54242 है.
भूमि जो कृषि के अतिरिक्त काम ली गई	40,466 है.
उसर तथा कृषि अयोग्य भूमि	48,297 है.
योग (कृषि आयोग्य भूमि)	88,763 है.

भूमि व जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर प्राकृतिक वनस्पति आवरण, इच्छित उपयोगी लघु वन उपज, औषधीय पादप आदि को पनपाया जा सकता है और इनसे जनसंख्या की वन उपज आधारित मांगो की पूर्ति की जा सकती है।

9.5 भावी वन प्रबन्धन के उद्देश्य

- जिलें में वृक्ष एवं वन आवरण में वृद्धि कर कार्बन निक्षेप को बढ़ाना।
- वातावरण में कार्बन व अन्य ग्रीन हाउस गैसों के संकेन्द्रण को नियंत्रित करने हेतु जैव तत्व में वृद्धि की भूमंडलीय तापमान वृद्धि को निंयत्रित करने में योगदान देना।
- नवीनीकरण एवं गैर जीवाश्मी ईधन के उपयोग को प्रोत्साहित कर वातावरण में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना।
- जिलें में वृक्ष एवं वनावरण में वृद्धि कर कार्बन निक्षेप को बढ़ाना।

9.6 पर्यावरण व पारिस्थितिकी के उद्देश्य

वन्यजीवों के आश्रय स्थलों का सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास करना।

- जैव विविधता का संरक्षण कर पारिस्थितिकीय खाद्य श्रृंखला व संतुलन बनाये रखना।
- भविष्य में संभावित आवश्यकताओं हेतु जैव विविधता में उपस्थित जीव तत्वों को संरक्षित करना।
- जिले में उपस्थित वन एवं वन्यजीव सम्पदा के संरक्षण हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कर जन साधारण को इससे जोड़ना व पारिस्थितिकीय पर्यटन के माध्यम से उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करना।
- कन्दराओं, तीव्र पहाड़ी ढ़लानों पर तथा पहाड़ी क्षेत्रों में आच्छादित वन क्षेत्र एवं वृक्षों की सुरक्षा कर भू जल संरक्षण करना।
- वनावरण में वृद्धि कर तथा मृदा एवं जल संरक्षण के अन्य उपायों के माध्यम से मृदा क्षरण को रोकना तथा वर्षा जल का संरक्षण करना।

9.7 वन संवर्द्धनिक उद्देश्य

1. प्राकृतिक पुर्नजनन को अवर्द्धित व संरक्षित करना।
2. सस्य के प्रमुख प्रजातियों की पुर्नजनन को सफलतापूर्वक स्थापना का वातावरण निर्माण करना।
3. उपयुक्त व संवर्द्धन प्रणाली द्वारा वनों के सस्य की संरचना एवं दशा में सुधार कर उच्च गुणवत्ता वाले वन प्राप्त करना।
4. वृक्षविहीन एवं अपर्याप्त वन संवृद्धि भण्डार वाले क्षेत्रों को कृत्रिम वृक्षारोपण, मृदा व जल संरक्षण उपायों तथा सहायक वन संवर्द्धनिक कार्यो के माध्यम से विकृत सस्य की स्थिति में सुधार एवं पुर्नवास करना।

5. उद्देश्यों की प्राप्ति में सामंजस्य स्थापित करते हुए वन सम्पदा का वन संवर्द्धनिक उपचार कर स्थानीय व राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वार्षिक उद्घाटन में प्राप्त करना।

9.8 सामाजिक उद्देश्य

जनजातियों व स्थानीय ग्रामीणों को वनों के अनुक्षरण, पुर्नजनन, विकास तथा संरक्षण में संबद्ध करना तथा वनोपज के वैज्ञानिक विदोहन से लाभकारी आय संवर्द्धन व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

ग्रामीणों विशेषकर वनों से लगते हुए क्षेत्रों में रहने वाले तथा जीवन मापन के लिये निर्भर आदिवासी समुदायों के लोगों के लिये फूल, फल, लघु वन उपज, चारा आदि का परिक्षण करना।

वैज्ञानिक प्रबन्धन द्वारा वनों की उत्पादकता में सुधार व वृद्धि कर स्थानीय जनता की जलाऊ लकड़ी चारा व घास आदि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

9.9 नीतिगत व प्रशासनिक उद्देश्य

- राष्ट्रीय वन नीति 1988 एवं राज्य वन नीति 2010 के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करना।
- धारणीय वन प्रबन्धन की संविक्षा व अनुश्रमण हेतु निर्धारित कसौटियों व सूचको को जिले के वन प्रबन्धन व्यवस्था में सुदृढ़ करना।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विभिन्न निर्णय आदेशों के अनुरूप वन प्रबन्धन को सुलभ बनाना।
- वनों को प्रभावित करने वाले विभिन्न अधिनियों के प्रावधानों के वैज्ञानिक सिद्वान्त के अनुरूप तथा व्यवहारिक क्रियान्वयन को मूर्त बनाना।
- वन सीमाओं को सुदृढ़ और प्रभावी बनाना।
- वन प्रबन्धन में अधतन औधौगिकी व तकनीकी ज्ञान के उपयोग को प्रोत्साहित कर प्रमुख प्रजातियों की गुणवत्ता को सुधार करना।

वन संवर्द्धन के विभिन्न विषयो पर, वन पर जैविक व अन्य दबाव, वनों से प्राप्त लाभ, वन प्रबन्धन के प्रभाव आदि विषयों पर वैज्ञानिक शोध, अनुसंधान व परीक्षण करना।

समुचित उद्दश्यों की प्राप्ति हेतु प्रबन्धकीय व प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी बनाना।

9.10. उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अंगीकृत व्यूह रचना :

समस्त उद्दश्यों की आयोजना की निर्धारित अवधि में अपेक्षा अनुरूप प्राप्ति हेतु कार्य आयोजना क्षेत्र की व्यवहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए अल्पकालिक व दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किये जाने आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि सही

समय पर निर्धारित कदम उठाये जावें। इस गतिशील प्रणाली पर निरन्तर दृष्टि रखना तथा इसका मूल्यांकन व अनुश्रवण करना, इसमें अपेक्षित सुधार तथा अपेक्षित अल्पकालिक व दीर्घकालिक उद्देश्यों की समयबद्ध प्राप्ति हेतु आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि उपाय व उपचार व्यवहारिक क्रियान्वयन योग्य तथा सरल हो।

9.11. यथार्थ स्थिति :

बूंदी कार्य आयोजना क्षेत्र की कुछ व्यवहारिक वास्तविकताएं है, जिनका सामना क्रियान्वयन के समय करना होगा, ये वास्तविकताएं ऐसी हैं, जिन्हें समन्वित, संगठित व सुनियोजित प्रयास से इनको पक्ष में करना होगा,

1. अतिचारण – अत्याधिक मवेशी दबाव।
2. खुली चराई
3. अपालित मवेशी छोड़ने की प्रथा।
4. पश्चिमी राजस्थान से प्रतिवर्ष आने वाली मवेशी, विशेषकर भेड़ निष्क्रमण।
5. सरबौझा प्रणाली – जलाऊ लकड़ी कर निरन्तर, अनियंत्रित, अवैज्ञानिक निकासी।
6. जलाऊ लकड़ी व चारे की मांग में वृद्धि।
7. मृदा का अनोत्पादन होना।
8. विकास कार्यो हेतु अपर्याप्त राशी की उपलब्धता।
9. तकनीकी व प्रोद्योगिकी का अभाव।
10. आधुनिक, तकनीक, व प्रोद्योगिकी के अनुप्रयोग के संबंध में अप्रशिक्षित वन कर्मी।
11. मूलभूत सुविधाओं का अभाव।
12. गैर आवश्यक प्रशासनिक व अन्य कार्यो का बोझ।
13. लम्बे समय से अधीनस्थ सेवाओं में भर्ती का न होना। जिससें बहुत कम फील्ड वन कर्मियों की उपलब्धता।
14. विभागीय नियमों व निर्देशों की परिधि।

9.12 उपचार की विधियां

कार्य आयोजना के उद्देश्यों की सफल प्राप्ति हेतु निम्न उपचार विधियों को क्षेत्र में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाना अपेक्षित हैः

- संरचना, दशा एवं अन्य विशिष्ट कारकों के आधार पर क्षेत्र का विभक्तिकरण।
- सुरक्षा क समस्त उपायों का प्रभावशाली क्रियान्वयन।
- जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर विस्तृत मृदा व जल संरक्षण कार्य ।

- नियंत्रित व विनियमित चराई।
- स्थानीय मांग की प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति।
- परिभ्राषित भण्डार व मूलस्कंध का सुधार।
- रिक्त व विरल क्षेत्रों का पुर्नभरण।
- लघु वन उपज व औषधीय पादपों का वैज्ञानिक ढंग से संरक्षण विकास व संधारण।
- जैव विविधता का परिरक्षण व संरक्षण।
- वन क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय पर्यटन का विकास।
- वन प्रबन्धन के सभी कार्यो में जन सहभागिता को प्रोत्साहन।
- सहभागिता प्रवर्द्धन हेतु व्यापक संचार, प्रसार व प्रशिक्षण कार्य।
- वन प्रबन्धन मं तकनीक व प्रोद्योगिकी की व्यापक अनुप्रयोग।
- गैर वानिकी क्षेत्रों में वानिकी कार्य।
- समाज के सभी वर्गो को वन सुरक्षा व विकास वर्गो से जोड़ना।
- स्वयं सेवी संस्थाओं व निजी क्षेत्र को वन प्रबन्धन में सम्मिलित करना।
- निरन्तर अनुश्रमण व मूल्यांकन।
- वन प्रबंधन से संबधित विभिन्न सामाजिक, वैज्ञानिक, आर्थिक व अन्य विषयों पर व्यापक अनुसंधान व शोध।
- पर्यावरण, पारिस्थितिकीय व वन विकास से संबंधित तकनीक ज्ञान को आम समाज में व्यापक प्रसार की व्यवस्था का निर्माण।
- उपरोक्त कार्यो के सफल क्रियान्वयन के अनुरूप प्रशासनिक व प्रबन्धकीय व्यवस्था का निर्माण।

उपरोक्त उपचार विधियों का इस ही कार्य आयोजना अवधि में स्थापित कर दिया जावे यह आवश्यक नहीं है परन्तु इनको जिले में सुदृढ़ करने की दिशा में गंभीर व समन्वित प्रयास अनिवार्य है जिससें कार्य आयोजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकें।

9.13 कार्यवृत्तों का गठन

बूंदी जिले में, भौगोलिक विविधता, शैल व मुदा संरचना, ऊंचाई व वर्षा आदि कारकों की भिन्नता के कारण यह आवश्यक हो जात है कि स्थिति अनुसार प्रत्येक प्रकार के लिये क्षेत्र को अलग अलग कार्यवृत्तों में विभाजित कर उपचार लिखें जावें। अतः कार्य आयोजना में सम्मिलित वन क्षेत्रों को निम्नानुसार विभक्त किया गया है।

9.13.1 वनों के प्रकार

सघन वन : इस श्रेणी मे 0.4 वृक्ष वितान घनत्व से अधिक के सघन सन्निधियुक्त वन क्षेत्र सम्मिलित है, इन क्षेत्रों में जैव विविधता अभी तक समृद्व है। ऐसे वन बूंदी वन मण्डल में रामगढ़ विषधारी क्षेत्र में है। जैव विविधता की समृद्धता बनी रहे बल्कि न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप कर इसकी प्राकृतिक वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सके। स्थानीय क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति को पूर्णतया सुरक्षित रख संरक्षित किया जाता है। इन क्षेत्रों को वैज्ञानिक अन्वेंषण, शोध व अन्य कार्य हेतु उपयोग में लिया जा सकता है।

खुले वन : इस श्रेणी में उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है जिनका वृक्ष विस्तार 0.1 से 0.4 तक का है। इस श्रेणी के वनों को इस प्रकार प्रबन्धित किया जाना है कि इन क्षेत्रों में सस्य भविष्य में वैज्ञानिक प्रबन्धन के अंतर्गत लाने योग्य हो जावें। इस प्रकार के वन अधिकाशंत कन्दराओं व पहाड़ियों पर स्थित है। सस्य अपेक्षाकृत युवा है। परिपक्व वृक्षों की संख्या कम है। क्षेत्र में अधिकांश वृक्ष विकृत, स्कधंन, प्ररोह वक्र तथा विशाखित है। जिसें अच्छे गुणवत्ता की लकड़ी का विदोहन संभव नहीं है। समुचित प्रबन्धन से इन क्षेत्रों से सीमित मात्रा में स्थानीय मांग की आपूर्ति की जा सकती है। इन क्षेत्रो में सुधार की आवश्यकता है। ऐसे क्षेत्र बूंदी वन मण्डल की रेंज हिण्डोली, डाबी, नैनवा में अधिक हैं बूंदी रेंज का वन खण्ड नग्न पहाड़ी ऐसे क्षेत्रों में आती है। इन वन क्षेत्रों में निम्न उपचार प्रस्तावित किये जाने हैः

1. विकृत पौध और स्कन्ध प्ररोह को काटकर स्थूण प्ररोह प्राप्त करना।
2. प्राकृतिक पुर्नजनन को प्रोत्साहित करना।
3. युवा व स्वस्थ वृक्षों, खाद्य फलों के वृक्षों, और आर्थिक रूप से उपयोगी वृक्षों को प्रतिरक्षित करना।
4. व्यापक मृदा व जल संरक्षण कार्य करना।

परिभ्राषिंत व वृक्षविहीन वन क्षेत्र

इस श्रेणी में रिक्त वन क्षेत्र तथा वृक्ष विहीन वन क्षेत्र सम्मिलित है तथा भविष्य में बढ़ते हुए जैविक प्रभाव को देखते हुए स्थिति और अधिक बिगड़ने की संभावना है। निरन्तर कटान, अतिक्रमण, अतिचारण से वन भूमि की यह स्थिति हो गई है। बूंदी वन मण्डल की रेंज नैनवा के वनखण्ड बाछोला, नंदगांव व लाम्बाबरड़ा इस श्रेणी में आते है। जलाऊ लकड़ी हेतु कटान व चराई का अत्याधिक भार है। मृदा की गहराई व

उपजाऊपन निम्न है तथा अवक्षरण अधिक है। इस प्रकार के क्षेत्रों के प्रबन्धन में आवश्यकता क्षेत्र. रक्षण कर वनीकरण है जिससे भू क्षरण, अवैध चराई, कटान, अतिक्रमण आदि को रोका जा सके, तथा क्षेत्र में चारे के उत्पादन में वृद्धि हो।

ऐसे वन क्षेत्रों हेतु निम्न उपचार प्रस्तावित है

1. उपलब्ध प्राकृतिक पुर्नजनन को प्रोत्साहित करना।
2. व्यापक मृदा व जल संरक्षण कार्य कराना।
3. क्षेत्र में उपलब्ध समस्त विकृत पौधों, पोलार्डा इत्यादि को काटकर स्वस्थ स्थूण रोह प्राप्त किये जावेंगे।
4. जलाऊ लकड़ी व चारा योग्य प्रजातियों को प्राथमिकता दी जावेगी।
5. भू क्षरण नियोजन बनाकर ग्रामवासियों की सक्रिय सहभागिता से समस्त कार्य कियें जावेंगे।
6. साझा वन प्रबंधन के माध्यम से क्षेत्र की चराई व कटान से सुरक्षा की जावेंगी।
7. क्षेत्र में वनोपज की सही एवं वैज्ञानिक विदोहन हेतु ग्रामवासियों को आवश्यक प्रशिक्षण व ज्ञान दिया जावेगा।
8. लघु वन उपज को प्राथमिकता दी जावेगी।
9. सिल्वी प्रेस्टोरल मॉडल के अनुसार प्रजातियों को रोपित किया जावें।

वन्य प्राणी क्षेत्र

बूंदी जिले में वर्तमान में चार रक्षित क्षेत्र है।

1. रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य।
2. रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति मघ्यवर्ती क्षेत्र
3. राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य
4. जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य।

9.13.2 कार्य वृत्तों का गठन :–

प्रबन्धन की दृष्टि से कार्यवृत्तों को दो भागों में विभक्त किया गया है।

1. प्रधान कार्यवृत्त
2. अतिच्छादी कार्यवृत्त

प्रधान कार्यवृत्त

(1) भू–संरक्षण एवं पुर्नवास प्रबन्धन वृत्त

(2a) वृक्षारोपण प्रबन्धन वृत्त

(2b) शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण कार्यवृत

(3) चारा प्रबन्धन कार्यवृत्त

अतिच्छादी कार्यवृत्त

(1) वन सुरक्षा (अतिच्छादी) प्रबन्धन वृत्त

(2) वन्य जीव (अतिच्छादी) प्रबन्धन वृत्त

(3) पारिस्थितिकीय पर्यटन अध्याय

(4) साझा वन (अतिच्छादी) प्रबन्धन वृत्त

(5) अकाष्ठिय वन उपज (अतिच्छादी) प्रबन्धन वृत्त

(1) भू–संरक्षण एवं पुर्नवास कार्यवृत

इस प्रधान कार्यवृत में उन परिभ्रांषित वन क्षेत्रों तथा उन सभी पहाड़ियो तथा मैदानी क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है जो निरन्तर कटाई, छंगाई व चराई के फलस्वरूप परिभ्रांषित हो गये है एवं जिनका घनत्व 0.4 से कम है, परन्तु उनमें पर्याप्त संख्या में मूल स्तम्भ (रूट स्टॉक) विद्यमान है। इस कार्य वृत्त में बांधों व जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्र में आने वाले परिभ्रांषित वन क्षेत्रों को, इस कार्यवृत्त में अपनाई जाने वाली उपचार विधि के अन्तर्गत चराई निषेध कर भू–संरक्षण कार्य कराये जायेगे। इसके अतिरिक्त प्रतिकर्तन संर्काय (कट बैक ऑपरेशन), मृदा कार्य, बीज बुवाई तथा उन स्थानो पर जहां मृदा अनुकूल होगी, वहां वृक्षारोपण किया जावेगा। इस कार्यवृत का क्षेत्रफल 52825.21 हैक्टेयर है।

(2) वृक्षारोपण कार्यवृत

इस प्रधान (Principal) कार्यवृत में वे सभी वन क्षेत्र आते है, जो वृक्षविहीन या परिभ्रांषित हो चुके है, तथा जिनमें वृक्षारोपण हेतु आवश्यक गहराई युक्त मृदा उपलब्ध है। इस कार्यवृत का क्षेत्रफल 30122.23 हैक्टेयर है।

(2)–ब शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण कार्यवृत –

जिले में पड़ने वाले वे क्षेत्र जिनमें सड़के किनारे, रेलवे ट्रेक व नहर किनारे परिपक्व सफेदे के वृक्षों का चयन कर इन वृक्षों का पातन "Clear Felling System" द्वारा किया जायेगा एवं इनके स्थान पर नवीन कॉपिस को सुरक्षित कर स्थाई कर दिया जायेगा।

(3) चारा प्रबन्धन कार्यवृत्त

इस प्रधान प्रबंधन कार्यवृत में वनों के समस्त घास बीड़, नग्न पहाड़ियों व गांवो के आस–पास के क्षेत्रो जो अत्यधिक चराई दबाव से अनउपजाऊ हो गए है व जिसमें वृक्षारोपण या प्राकृतिक रूप से सघन वन उत्पन्न नही हो सकते है तथा जो स्थानीय चारा की मांग की पूर्ति करने में सक्षम हो सकते है, को सम्मिलित किया गया है। इस कार्यवृत का क्षेत्रफल 38333.75 हैक्टैयर है।

(4) वन सुरक्षा (अतिच्छादी) वृत्त

इस कार्यवृत में सम्पूर्ण वन मण्डल क्षेत्र सम्मिलित किये गये है।

वनभूमि के सीमांकन के साथ–साथ पूर्व में स्थापित परन्तु हटा दिये गये या खण्डित हो गये सीमा स्तम्भों की पुनः स्थापना, जिन वनखण्डों में आरम्भ से ही सीमा–स्तम्भ नही लगे है, उन्हे स्थापित करना, जिन वनखण्डों की आरम्भिक या अंतिम विज्ञप्ति जारी नही हुई है, उसको जारी करवाना व शेष रहे अमल–दरामद के कार्य को पूर्ण करना, इस कार्यवृत के गठन के मूल उद्देश्य है।

(5) वन्य जीव प्रबन्धन (अतिच्छादी) कार्यवृत्त

इस कार्यवृत में रामगढ़ अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य के वन क्षेत्रों के अतिरिक्त, जिले के शेष वन क्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र में पाये जाने वाले वन्य प्राणियों की सुरक्षा व संरक्षण के लिये विधियां प्रस्तावित की गई है।

(6) पारिस्थितिकीय पर्यटन अध्याय

बूंदी जिले के वन प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण है तथा इनमें अनेक दर्शनीय स्थान भी स्थित है। आमजन में प्रकृति की ओर रूझान में वृद्धि करने के लिए इस अतिच्छादी कार्यवृत्त का गठन किया गया है। इस कार्य वृत्त में बूंदी जिले के ऐसे वन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है, जिनकी प्राकृति सुन्दरता की ओर पर्यटन आकर्षित हो। ऐसे क्षेत्रों में पर्यटन वृद्धि के उपचार प्रस्तावित किये गये है।

(7) साझा वन प्रबन्धन (अतिच्छादी) कार्यवृत्त

यह कार्यवृत समस्त जिले में अतिच्छादी है। इसमें जिले के वनक्षेत्र अथवा गैर वनक्षेत्र में प्रस्तावित समस्त कार्यो में साझा वन प्रबन्धन को स्थापित व सुदृढ़ करने की विधि प्रस्तावित की गई है।

(8) अकाष्ठिय वन उपज (अतिच्छादी) कार्यवृत्त

यह कार्यवृत्त समस्त जिले के वन क्षेत्र व गैर वनक्षेत्रों पर विकसित की जा सकने वाली वनोपज के वैज्ञानिक प्रबन्धन, विकास एवं धारणीय विदोहन के उपचार प्रस्तावित किये गये है। वन औषधियों वाले पेड़–पौधो की सुरक्षा, संरक्षण व वृद्धि हेतु उपचार सुझाये जावे व इस कार्य से स्थानीय नागरिकों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। साथ ही हानिकारक विदोहन पर नियंत्रण लगाये जा सके।

9.14 क्षेत्र आवंटन (Allotment of Areas)

रेंजवार, वनखण्डवार एवं संविभागवार कार्य वृत्तो का आंवटन परिशिष्ठ संख्या 1 में दर्शाया गया है।

रेंजवार कार्य वृत्तों में आवंटित क्षेत्र								
रेंज	कुल		भू–संरक्षण एवं पुनर्वास		चारा प्रबन्धन		वृक्षारोपण	
	संवि.	क्षेत्रफल (है.)	संवि.	क्षेत्रफल (है.)	संवि.	क्षेत्रफल (है.)	संवि.	क्षेत्रफल (है.)
हिण्डोली	162	30489.04	79	13951.84	55	11251.66	28	5285.54
नैनवा	92	14919.68	36	5701.96	12	1606.11	44	7611.61
इन्द्रगढ़	111	17069.81	69	10945.18	9	1443.76	33	4680.87
डाबी	197	41283.15	81	13720.08	82	21296.14	34	6266.93
बून्दी	75	13608.64	39	6725.75	12	2266.68	24	4616.21
के0पाटन	22	3910.87	9	1780.4	5	469.4	8	1661.07
	659	**121281.19**	**313**	**52825.21**	**175**	**38333.75**	**171**	**30122.23**

गत तीन कार्य आयोजना में समस्त कार्यवृतों में प्रस्तावित वनक्षेत्र, योजना अवधि में उपचारित नही किये जा सके थे जिसका मुख्य कारण प्रस्तावित सामान्य वित्तीय अनुमानों के अनुरूप बजट राशि का आवंटन न होता रहा। इस कार्य आयोजना में सम्पूर्ण वन क्षेत्रों को विभिन्न कार्यवृतो में विभाजित किया गया है, परन्तु योजना अवधि (2013–14 से वर्ष 2022–23) में उपचारित करने के लिये उपलब्ध हो सकने वाले वित्तीय संसाधनो के अनुरूप वन क्षेत्रों को प्रस्तावित किया गया है। प्रत्येक कार्यवृत में उपचारित किये जाने वाले क्षेत्रों को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है कि अधिकतर रेंजों में योजना अवधि में प्रत्येक वर्ष अधिकतर वनखण्डों का क्षेत्र उपचारित हो पावे। उपचार हेतु प्रस्ताव निम्न प्रकार है :–

क्र.स.	कार्यवृत्त / कार्य	प्रबन्धन कार्यवृत्त अधीन क्षेत्रफल, (हे. में.)	योजना अवधि में उपचारित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में.)
1	भू संरक्षण एवं पुर्नवास	52825.21	10000
2	वृक्षारोपण	30122.23	8000
3	चारा प्रबन्धन	38333.75	7000
	योग*	121281.19	25000
4	शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण	बून्दी वन मण्डल में राज्य मार्ग किनारे, रेल मार्ग किनारे व नहर किनारे पर 1985–87 में वृक्षारोपण किया गया था, जिनमें अधिकतर वृक्ष सफेदे (Euclyptus) प्रजाति के है। इन वृक्षों का पातन कर शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण किया जायेगा।	
इस कार्य आयोजना में सम्मिलित			
वन क्षेत्र		**क्षेत्रफल (हे.में.)**	**विवरण**
1.	राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य	3461.48	अभी प्रबन्धन योजना स्वीकृत नहीं है। इसलिए कार्यआयोजना मे सम्मिलित
2.	रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति मध्यवर्ती क्षेत्र जो 06/07/2012 की अधिसुचना के पश्चात संरक्षित क्षेत्र घोषित	18632.62	अभी **TCP** का पार्ट नही है, इसलिए कार्य आयोजना मे सम्मिलित
इस कार्य आयोजना में नहीं सम्मिलित			
3.	रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति मध्यवर्ती क्षेत्र– पूर्व में घोषित क्षेत्र	979.35	Tiger Conservation Plan(TCP) का भाग हैं। पोलघटा, डोबरली व बलवन (Part) वनखण्ड सम्मिलित
4.	रामगढ़–वन्यजीव अभ्यारण्य	22222.12	प्रबन्धन योजना स्वीकृत
5.	जवाहर सागर –वन्यजीव अभ्यारण्य	9760.448	प्रबन्धन योजना स्वीकृत
			(वनखण्डों की सूची अनुसार क्षेत्रफल)
	अतिच्छादीत कार्यवृत्त /गतिविधियां		
1	वन सुरक्षा (अतिच्छादी)	अतिच्छादित प्रबन्धन वृत्त होने के कारण वन संरक्षण आरक्षिति क्षेत्रों (प्रोटेक्टेड क्षेत्र) के **सहित** वनमण्डल के सम्पूर्ण भाग के लिये	
2	वन्य जीव प्रबन्धन (अतिच्छादी)	अतिच्छादित प्रबन्धन वृत्त होने के कारण वन संरक्षण आरक्षिति क्षेत्रों (प्रोटेक्टेड क्षेत्र) के **अतिरिक्त** वनमण्डल के सम्पूर्ण भाग के लिये	
3.	साझा वन प्रबन्धन (अतिच्छादी)	अतिच्छादित प्रबन्धन वृत्त होने के कारण वन संरक्षण आरक्षिति क्षेत्रों (प्रोटेक्टेड क्षेत्र) के **अतिरिक्त** वनमण्डल के सम्पूर्ण भाग के लिये	
4	अकाष्ठिय वन उपज (अतिच्छादी)	अतिच्छादित प्रबन्धन वृत्त होने के कारण वन संरक्षण आरक्षिति क्षेत्रों (प्रोटेक्टेड क्षेत्र) के **अतिरिक्त** वनमण्डल के सम्पूर्ण भाग के लिये	
5.	पारिस्थितिक पर्यटन	वनमण्डल के सम्पूर्ण भाग के लिये	

क्र.स.	कार्यवृत्त / कार्य	प्रबन्धन कार्यवृत्त अधीन क्षेत्रफल, (हे. में.)	योजना अवधि में उपचारित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में.)
6	सामाजिक वानिकी	वनमण्डल के अतिरिक्त जिले के अन्य भूमि के लिए। **वन विभाग की भूमिका केवल प्रेरक की रहेगी**	
7	विविध विनियम/अन्य	वन मण्डल के सम्पूर्ण भाग के लिये	

9.15 वन खण्ड एवं संविभाग

वन खण्डों एवं कक्षों के नाम एवं उनकी सीमाऐं गत कार्य आयोजना के अनुरुप ही रखे गए हैं। वन खण्डों एवम संविभागो के बारे मे द्वितीयक सूचनाएं इस वन मण्डल मे उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर अभिलिखित की गई है। जो वनखण्ड गत कार्य आयोजना के बाद इस कार्य आयोजना मे सम्मिलित हुए है । वे अधिकाशंतया एकल सविंभागीय वन खंड होने से प्रत्येक मे एक सविंभाग निर्धारित किया गया है । वनमण्डल बूंदी में कुल 6 रेंज, 151 वनखण्ड एवं 659 संविभाग है।

9.16 वन निधि मानचित्र

वनखण्डों को प्राकृतिक चिन्ह् (Features) जैसे नदी, नाले, जिला सीमा, रिज, सड़क, नहर आदि के आधार पर, उपयुक्त संविभाग कक्षों में पूर्व की कार्य आयोजनाओं के अनुसार ही विभाजित कर समस्त सीमाओं को 1:50000 की SRSAC द्वारा उपलब्ध कराई गई डिजिटाइज्ड शीट्स पर केवल वन प्रबन्धन के उद्देश्यों के लिये ही अंकित किया गया है। विधिक समस्याओं के लिए वन भूमि की सीमाएँ राजस्थान वन बन्दोबस्त अधिनियम, 1958 व वनों की वैधानिक स्थिति राजस्थान वन अधिनियम 1953 एवं उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार होगी। वन खण्ड की सीमाएं नक्शों पर सही–सही बनाने हेतु राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन **"राज्य दूर संवेदी अनुप्रयोग केन्द्र State Remote Sensing Application Centre (SRSAC), जोधपुर"** की सेवाएं प्राप्त की गई हैं। जी टी शीट पर इस अस्थाई अंकन को पुनः चैक कर, जी टी शीट पर सर्वे ऑफ इन्डिया द्वारा अंकित ग्रीन वॉश क्षेत्र तथा अन्य वनक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए यथा संभव सही वनसीमा को स्थाई अंकित किया गया।

9.17 कार्य आयोजना की कार्य अवधि

इस कार्य आयोजना की अवधि 10 वर्ष के लिए नियत की गई है जो वर्ष 2013–14 से वर्ष 2022–23 तक प्रभावी रहेगी।

9.18 कार्य आयोजना का पुनरावलोकन

कार्य आयोजना अवधि में बदली हुई परिस्थितियों के मध्यनजर 5 वर्ष की अवधि के पश्चात् अन्तरिम पुनरीक्षण किया जाना चाहिए ।

Chapter X

क्र.स.	अध्याय 10	CHAPTER X
	भू–संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	**Soil Conservation and Rehabilitation Working Circle**
10.1	सामान्य संरचना	General Composition
10.2	वनस्पति का सामान्य स्वरूप	General condition of Vegetation
10.3	प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य :	Special Objectives of Management
10.4	सस्य का विश्लेषण	Analysis of vegetation
10.5	क्षेत्रफल व आवटंन	Area & Allotment
10.6	उपचार विधि	Treatment Methods
10.7	अभियांत्रिकी विधियां	Engineering Methods
10.8	विकास कार्यो का संधारण	Maintainance of Development work
10.9	वृक्षारोपण जरनलस	Plantation Journals
10.10	विविध विनियमन	Miscellaneous Regulations
10.11	संभावित व्यय	Financial Forecast

अध्याय 10

भू–संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत

CHAPTER - X

Soil Conservation and Rehabilitation Working Circle

10.1 सामान्य संरचना

इस कार्य वृत्त में बूंदी वन मण्डल के उन वनक्षेत्रों को लिया गया है, जहां मृदा पर्याप्त गहरी है व घनत्व 0 से 0.4 है। पूर्व में जिन क्षेत्रों में अच्छे घने वन थे परन्तु भारी जैविक दबाव के कारण परिभ्रांषित हो गये अतः इन क्षेत्रों का पुनरोद्वार कड़ें सुरक्षा प्रबन्धन व प्रतिकर्तन (कट–बेक) कार्यो द्वारा ही सम्भव है,अत; ऐसे क्षेत्रो को इस कार्य वृत मे सम्मिलित किया गया है। इस वृत मे नदी नालो के जल ग्रहण क्षेत्र, कन्दरा क्षेत्र व, वे क्षेत्र जहां भू–सरक्षण अधिक हो रहा है, सम्मिलित किए गये है।

जल ग्रहण क्षेत्र – किसी भी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र वह क्षेत्र है, जिसका वर्षा जल उस नदी में पहुँचता है। विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं मध्यम व लघु सिंचाई परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्रों में समग्र विकास की दृष्टि से भू संरक्षण कार्य अति आवश्यक होते है, ताकि भू क्षरण न हो, व बांध साद से न भर जावें।

बूंदी जिले की सबसे बड़ी एवं पूरे वर्ष बहने वाली नदी चम्बल है, जो कि इसकी पूर्वी व दक्षिण पूर्व की सीमा भी बनाती है, परन्तु यह जिले में प्रवेश नहीं करती। इस पर चार मुख्य बांध बने हुए है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बराज मुख्य बॉध हैं। इन में से जवाहर सागर एवं कोटा बराज बांधों का थोड़ा सा जल ग्रहण क्षेत्र ही बूंदी जिले में पड़ता है। इन दो बड़े बांधों के अतिरिक्त भी बूंदी जिले में कुल तालाबों की संख्या 89 है जिनमें से 35 उपयोगी व 54 अनुपयोगी हैं।

बूंदी जिले में यह आंकलन किया गया है कि कुल 86,000 हैक्टेयर्स क्षेत्र में कन्दराएं है जिनमें से 58,778 हैक्टेयर क्षेत्र का 327 गांवों का सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है उनका नदी वार जल ग्रहण क्षेत्रफल नीचे दर्शाये अनुसार है। इस क्षेत्रफल में सम्मिलित हैं – काश्तकारों की भूमि, सरकारी अनुपयोगी भूमि व पंचायत भूमि (कन्दराओं को भी तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है, उनकी गहराई अनुसार i.e. जी–1, जी–2 एवं जी–3

जिनका प्रतिशत है, क्रमशः 33%, 45% एवं 22% बूंदी जिले की मुख्य नदियां व उनके जल ग्रहण क्षेत्रों की सारणी :

क्र.स.	नदी	जल ग्रहण का क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चम्बल	16291
2	मेज	34527
3	तालेड़ा	2176
4	मांगली	14370
5	घोड़ा पछाड़	1614

जिले मे कई तालाब व बांध सिंचाई के काम आते है जैसे फुल सागर,जैत सागर,कनक सागर, बरधा बांध, गुढा बांध, रूणीजा बांध, गोठडाबाध, इन्द्रराणी बांध, मोतीपुरा बांध आदि। सिंचाई परियोजनाओं के अतिरिक्त भी इन तालाबों के पानी को स्थानीय ग्रामीण पीने हेतु एवं अन्य दैनिक कार्यो में उपयोग में लेते है, अतः ऐसे तालाबों की पहचान की गई है और उनके जल ग्रहण क्षेत्रों में भी सुधार कार्य प्रस्तावित किये गये है। इन तालाबों के नाम हैं बनजारों की मराड़ी, तलवास, छावनी, बांध पैबालपुरा, देई खेड़ा, निमोधा, गणेश तालाब, राम सागर, हिंडोली, जखमुंड, गुड़ा बांध, बकेहा बांध, बरधाबावड़ी, गोटड़ा बांध, बलदेवपुरा की तलही, खेडली, हालीहेड़ा, छीदी तलाई, नैनवा तालाब, अरनेठा, अड़ीला, हिंगोनिया, फूल सागर, उनिया, लेसरढा, देई गंगा सागर, केशोरायपाटन घाट का बरना आदिं।

10.2 वनस्पति का सामान्य स्वरूप

इस कार्य वृत में सम्मिलित किये गये क्षेत्र परिभ्रांषित हैं, वृक्ष विहीन वन क्षेत्र भी सम्मलित किये गये हैं, जहाँ पर्याप्त मूल निधि (रूट स्टॉक) उपलब्ध है। इस वृत्ताधीन क्षेत्र के प्रमुख वृक्ष इन प्रजातियों के हैं – रोंझ, बेर, काकोन, ककेड़ा, छीला, हिंगोट एवं गोया खैर, बहुत ही कम संख्या में खैर, धावड़ा, तेन्दू, गुर्जन, चुरैल आदि। मुख्य झाड़िया व क्षुप है :– अडूसा, आंकड़ा, आधाशीशी, दुधी, जंगली चौलाई, अश्वगंधा, भू आंवला, पंवार, गंगरेन, सत्यानाशी, घास– लापला, सूरवाला, रातर्डा, पोलार्ड, सीन, डाब करड़ व दूब आदिं।

10.3 प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य :

1. जलाशयों को सादावरण से बचाना, बांधो व इससे सम्बन्धित योजनाओं को दीर्घकालीन तक चलने के अवसर प्रदान करना।
2. भू एवं जल संरक्षण।
3. कृत्रिम वृक्षारोपण कर वनावरण में वृद्धि करना।
4. कड़े सुरक्षा प्रबन्धन द्वारा वन क्षेत्र की सस्य में सुधार करना।
5. स्थानीय नागरिको हेतु जलाऊ लकड़ी, छोटी इमारती लकड़ी, घास व चारे की आपूर्ति करना।
6. स्थानिय प्रजातियों का रिक्त स्थानों में रोपण करके वन क्षेत्रों को समृद्ध बनाना, वन क्षेत्रों की गुणवता व जैव विविधता में वृद्धि करना।
7. वन विकास कार्यो द्वारा स्थानीय नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना।

10.4 सस्य का विश्लेषण

1. **वन निधि मान चित्र** – वन निधि मानचित्र 1:50,000 पैमाने पर एस.आर.सैक. (SRSAC) जोधपुर द्वारा उपलब्ध कराये गए वनखण्ड सीमाओं के डिजिटाइज्ड मानचित्रो पर केवल वन प्रबन्धन के उद्देश्य से बनाये गये है। यह आंकलन फारेस्ट कवर मेपस्, फारेस्ट डेन्सिटी, निशुल्क उपलब्ध उपग्रह फारेस्ट कवर मेपस् व उसके पश्चात फील्ड सर्वे एवम् ग्राउंड ट्रूथिगं ऑक्युलर एस्टीमेशन, पर आधारित है। वन निधि के नक्शों को देखने पर धौक वन के क्षेत्र व लगभग रिक्त क्षेत्रों को पृथक पृथक स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। जिले की वनभूमि की सीमाऐं राजस्थान वन बन्दोबस्त अधिनियम एवं वनों की वैधानिक स्थिति राजस्थान वन अधिनियम एवं उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार रहेंगी।
2. **गुणवत्ता व आयुवर्ग** – स्पष्ट आयुवर्ग नहीं होने के कारण, इसका उल्लेख नहीं किया गया है।
3. **घनत्व** – घनत्व का आंकलन चाक्षुक आधार पर किया गया है। पूर्णतः घने वन क्षेत्र का घनत्व एक माना गया है व रिक्त स्थान का शून्य, शेष क्षेत्रों का घनत्व 0 और 1 के मध्य दर्शाया गया है।
4. **पातन** – वन क्षेत्रों में योजना काल में पातन प्रतिबन्धित रहेगा।
5. **पुर्नजनन** – कम महत्वपूर्ण प्रजातियां जैसे हिंगोट, गोया खैर, व पलास (छीला) का पर्याप्त पुर्नजनन पाया गया। धौंक का पुर्नजनन बहुत कम है और जो धौकं स्थूण

हैं उनको भी बार–बार काटे जाने से वे उनकी शाखाएं भूमि के समानान्तर हो गयी हैं व धौंक झाडीनुमा हो गया है।

10.5 क्षेत्र आवटंन

इस कार्यवृत्त का कुल क्षेत्रफल **52825.21**हैक्टेयर्स है।

रेंज	भू–संरक्षण एवं पुनर्वास प्रबंधन	
	संविभाग	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
हिण्डोली	79	13951.84
नैनवा	36	5701.96
इन्द्रगढ़	69	10945.18
डाबी	81	13720.08
बून्दी	39	6725.75
के0पाटन	9	1780.4
	313	**52825.21**

रेंज, वनखण्ड व संविभाग अनुसार क्षेत्रफल निम्नानुसार हैः

रेंज	वनखण्ड	संविभाग न॰	क्षेत्रफल (है॰)
हिण्डोली	पीपलझर	1	88.89
हिण्डोली	उमरमाता	4	106.25
हिण्डोली	उमरमाता	5	255.00
हिण्डोली	उमरमाता	6	113.75
हिण्डोली	उमरमाता	7	146.25
हिण्डोली	उमरमाता	8	241.97
हिण्डोली	दीवानजी का बाग	1	5.40
हिण्डोली	अकलोर पानीढाल	6	166.25
हिण्डोली	अकलोर पानीढाल	7	168.75
हिण्डोली	फालेण्डा	1	142.50
हिण्डोली	फालेण्डा	2	133.75
हिण्डोली	फालेण्डा	3	159.31
हिण्डोली	फालेण्डा	4	166.25
हिण्डोली	फालेण्डा	5	80.00
हिण्डोली	फालेण्डा	6	93.75
हिण्डोली	उमर पगारा	8	315.00

हिण्डोली	विजयगढ़ बी0	1	310.00
हिण्डोली	विजयगढ़ बी0	2	160.31
हिण्डोली	विजयगढ़ बी0	3	250.00
हिण्डोली	विजयगढ़ बी0	4	130.00
हिण्डोली	विजयगढ़ बी0	5	275.00
हिण्डोली	विजयगढ़ बी0	6	222.50
हिण्डोली	विजयगढ़ बी0	7	162.50
हिण्डोली	हिण्डोली काछोला	10	300.00
हिण्डोली	हिण्डोली काछोला	11	256.25
हिण्डोली	हिण्डोली काछोला	12	231.25
हिण्डोली	मराडी बांडी का खेडा	1	221.00
हिण्डोली	मराडी बांडी का खेडा	2	242.25
हिण्डोली	मराडी बांडी का खेडा	3	201.85
हिण्डोली	मराडी बांडी का खेडा	4	178.00
हिण्डोली	मराडी बांडी का खेडा	5	165.50
हिण्डोली	मराडी बांडी का खेडा	6	141.00
हिण्डोली	मराडी बांडी का खेडा	7	250.00
हिण्डोली	मराडी बांडी का खेडा	8	228.00
हिण्डोली	मराडी बांडी का खेडा	9	210.25
हिण्डोली	मराडी बांडी का खेडा	10	147.50
हिण्डोली	ओवन	11	175.00
हिण्डोली	ओवन	12	207.50
हिण्डोली	विजयगढ़ ए0	1	241.25
हिण्डोली	विजयगढ़ ए0	2	112.25
हिण्डोली	रूणिजा बाग	1	1.45
हिण्डोली	थाना	1	131.25
हिण्डोली	डाटून्दा	1	193.75
हिण्डोली	डाटून्दा	2	175.00
हिण्डोली	डाटून्दा	3	186.61
हिण्डोली	डाटून्दा	4	175.50
हिण्डोली	डाटून्दा	5	170.00
हिण्डोली	डाटून्दा	6	222.50
हिण्डोली	डाटून्दा	7	188.75
हिण्डोली	डाटून्दा	8	161.25

हिण्डोली	डाटून्दा	9	118.75
हिण्डोली	डाटून्दा	10	140.00
हिण्डोली	डाटून्दा	11	155.00
हिण्डोली	डाटून्दा	12	181.25
हिण्डोली	डाटून्दा	13	166.25
हिण्डोली	डाटून्दा	14	193.75
हिण्डोली	डाटून्दा	15	243.75
हिण्डोली	डाटून्दा	16	195.00
हिण्डोली	खीण्या	1	141.25
हिण्डोली	खीण्या	2	160.00
हिण्डोली	खीण्या	3	145.00
हिण्डोली	खीण्या	4	188.75
हिण्डोली	खीण्या	5	140.00
हिण्डोली	खीण्या	6	88.60
हिण्डोली	खीण्या	7	142.50
हिण्डोली	खीण्या	8	146.25
हिण्डोली	खीण्या	9	78.75
हिण्डोली	खीण्या	10	171.25
हिण्डोली	खीण्या	11	205.50
हिण्डोली	खीण्या	12	163.75
हिण्डोली	खीण्या	13	155.00
हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़	1	288.00
हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़	2	176.70
हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़	3	192.00
हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़	14	257.50
हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़	15	201.50
हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़	16	177.75
हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़	17	193.50
हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़	18	136.25
	रेंज योग	79	13951.84
नैनवा	लाम्बाबरडा	1	21.61
नैनवा	जजावर ए	1	151.25
नैनवा	जजावर ए	2	117.5
नैनवा	जजावर ए	3	117.75

नैनवा	जजावर ए	4	347.5
नैनवा	जजावर ए	5	125
नैनवा	जजावर ए	6	161.25
नैनवा	जजावर ए	7	171.25
नैनवा	जजावर ए	8	205
नैनवा	जजावर ए	9	202.5
नैनवा	जजावर ए	10	164.54
नैनवा	जजावर ए	11	83.75
नैनवा	जजावर ए	12	175
नैनवा	जजावर ए	13	255.5
नैनवा	जजावर ए	14	203.75
नैनवा	जजावर ए	15	102.5
नैनवा	जजावर ए	16	172.5
नैनवा	जजावर ए	17	96.25
नैनवा	जजावर ए	18	190
नैनवा	जजावर ए	19	177.5
नैनवा	जजावर ए	20	256.25
नैनवा	जजावर बी	1	88.91
नैनवा	जजावर सी	1	149.04
नैनवा	मीनों का झोपडिया	1	245.12
नैनवा	नन्दगांव	1	272.34
नैनवा	पौधशाला नैनवा	1	2.36
नैनवा	मरा फतेहपुरा ई	1	150
नैनवा	मरा फतेहपुरा ई	2	156.25
नैनवा	मरा फतेहपुरा ई	3	153.39
नैनवा	मरा फतेहपुरा ई	4	174.53
नैनवा	मरा फतेहपुरा ई	5	209.61
नैनवा	मरा फतेहपुरा ई	6	102.5
नैनवा	मरा फतेहपुरा ई	7	140
नैनवा	मरा फतेहपुरा ई	8	262.5
नैनवा	मरा फतेहपुरा ई	9	60
नैनवा	गुढ़ा गोपालजी	1	37.26

	रेंज योग	36	5701.96
इन्द्रगढ़	कांकरा	1	131.25
इन्द्रगढ़	कांकरा	2	202.5
इन्द्रगढ़	कांकरा	3	115
इन्द्रगढ़	कांकरा	4	229.83
इन्द्रगढ़	कांकरा	5	143.75
इन्द्रगढ़	कांकरा	6	181.25
इन्द्रगढ़	कांकरा	7	126.25
इन्द्रगढ़	कांकरा	8	125
इन्द्रगढ़	कांकरा	9	118
इन्द्रगढ़	लाखेरी	1	178.75
इन्द्रगढ़	लाखेरी	2	240
इन्द्रगढ़	लाखेरी	3	265
इन्द्रगढ़	लाखेरी	4	227
इन्द्रगढ़	लाखेरी	5	198.75
इन्द्रगढ़	लाखेरी	6	203.75
इन्द्रगढ़	लाखेरी	7	287.5
इन्द्रगढ़	लाखेरी	8	171.25
इन्द्रगढ़	लाखेरी	9	227.5
इन्द्रगढ़	लाखेरी	10	116.25
इन्द्रगढ़	लाखेरी	11	118.18
इन्द्रगढ़	लाखेरी	12	201.25
इन्द्रगढ़	बांकलिया महादेव	1	199.6
इन्द्रगढ़	बांकलिया महादेव	2	238.4
इन्द्रगढ़	रामनगर	1	38.02
इन्द्रगढ़	अणघौरा	1	10.89
इन्द्रगढ़	फोलाई(P)	2	175
इन्द्रगढ़	फोलाई(P)	3	148.75
इन्द्रगढ़	फोलाई(P)	4	257.5
इन्द्रगढ़	फोलाई(P)	5	142.5
इन्द्रगढ़	फोलाई(P)	6	92.64
इन्द्रगढ़	फोलाई(P)	7	218.75

इन्द्रगढ़	फोलाई(P)	8	285
इन्द्रगढ़	फोलाई(P)	9	178.75
इन्द्रगढ़	फोलाई(P)	10	178.75
इन्द्रगढ़	फोलाई(P)	11	143.75
इन्द्रगढ़	फोलाई(P)	12	98.75
इन्द्रगढ़	फोलाई(P)	13	223
इन्द्रगढ़	फोलाई(P)	14	122.5
इन्द्रगढ़	गढवाला	1	111.48
इन्द्रगढ़	गढवाला	2	167.5
इन्द्रगढ़	गढवाला	3	208.11
इन्द्रगढ़	गढवाला	4	193.1
इन्द्रगढ़	गढवाला	5	93.22
इन्द्रगढ़	गढवाला	6	176
इन्द्रगढ़	गैंण्डोली	1	132.5
इन्द्रगढ़	गैंण्डोली	2	32.5
इन्द्रगढ़	गैंण्डोली	3	58.75
इन्द्रगढ़	गैंण्डोली	4	116.25
इन्द्रगढ़	गैंण्डोली	5	165.64
इन्द्रगढ़	गैंण्डोली	6	162.5
इन्द्रगढ़	गैंण्डोली	7	152.5
इन्द्रगढ़	गैंण्डोली	8	94.75
इन्द्रगढ़	गैंण्डोली	9	139.75
इन्द्रगढ़	गैंण्डोली	10	230
इन्द्रगढ़	गैंण्डोली	11	183.25
इन्द्रगढ़	गैंण्डोली	12	263.75
इन्द्रगढ़	माखीदा	1	58.22
इन्द्रगढ़	पाली–बसवाडा	1	370.2
इन्द्रगढ़	गोहाटा	1	251.63
इन्द्रगढ़	कोटाखुर्द	1	237.96
इन्द्रगढ़	बहडावली	1	109.46
इन्द्रगढ़	करवाला की झोपडिया	1	57.56
इन्द्रगढ़	कोटाखुर्द बी0	1	108.61

इन्द्रगढ़	बलवन	1	84.2
इन्द्रगढ़	बलवन	2	86.8
इन्द्रगढ़	बलवन	3	87.43
इन्द्रगढ़	बलवन	4	107.4
इन्द्रगढ़	बलवन	5	51
इन्द्रगढ़	बलवन	6	92.6
	रेंज योग	69	10945.81
डाबी	डाबी पलकां	3	200
डाबी	डाबी पलकां	4	218.75
डाबी	डाबी पलकां	5	183.37
डाबी	डाबी पलकां	7	262.5
डाबी	डाबी पलकां	8	315
डाबी	डाबी पलकां	9	172.5
डाबी	डाबी पलकां	10	250
डाबी	डाबी पलकां	11	186.25
डाबी	डाबी पलकां	12	335
डाबी	डाबी पलकां	13	173.75
डाबी	डाबी पलकां	14	206.25
डाबी	डाबी पलकां	15	162.75
डाबी	धोरेला गरडदा	1	106.25
डाबी	धोरेला गरडदा	2	232.5
डाबी	धोरेला गरडदा	3	286.25
डाबी	धोरेला गरडदा	4	211.38
डाबी	धोरेला गरडदा	5	202.25
डाबी	धोरेला गरडदा	6	196.25
डाबी	धोरेला गरडदा	7	316.25
डाबी	धोरेला गरडदा	8	177.5
डाबी	धोरेला गरडदा	9	166.25
डाबी	धोरेला गरडदा	10	181.25
डाबी	धोरेला गरडदा	11	196.25
डाबी	धोरेला गरडदा	12	235
डाबी	खडीपुर	1	98.75

डाबी	खडीपुर	2	222.5
डाबी	खडीपुर	3	168.75
डाबी	खडीपुर	4	159.32
डाबी	खडीपुर	7	88.75
डाबी	खडीपुर	8	138.75
डाबी	लाम्बाखोह	1	116.25
डाबी	लाम्बाखोह	4	188.75
डाबी	लाम्बाखोह	5	232.5
डाबी	लाम्बाखोह	6	116
डाबी	धनेश्वर	1	130
डाबी	धनेश्वर	2	129.19
डाबी	धनेश्वर	3	172.5
डाबी	धनेश्वर	4	140
डाबी	धनेश्वर	5	195
डाबी	धनेश्वर	6	106.25
डाबी	धनेश्वर	7	155
डाबी	धनेश्वर	8	116.25
डाबी	धनेश्वर	9	87.5
डाबी	धनेश्वर	10	238.75
डाबी	धनेश्वर	11	168.75
डाबी	करोन्दी	1	183.75
डाबी	करोन्दी	2	216
डाबी	करोन्दी	3	127.43
डाबी	करोन्दी	4	126.25
डाबी	करोन्दी	5	152.5
डाबी	करोन्दी	6	125
डाबी	करोन्दी	7	107.5
डाबी	करोन्दी	8	175
डाबी	करोन्दी	9	118.75
डाबी	करोन्दी	10	137.58
डाबी	करोन्दी	11	145
डाबी	करोन्दी	12	141.25

डाबी	करोन्दी	13	147.5
डाबी	करोन्दी	14	115
डाबी	करोन्दी	15	122.5
डाबी	करोन्दी	16	137.5
डाबी	करोन्दी	17	117.5
डाबी	करोन्दी	18	62.5
डाबी	करोन्दी	19	120
डाबी	करोन्दी	20	168.75
डाबी	रामपुरिया	1	251.25
डाबी	रामपुरिया	2	216.45
डाबी	रामपुरिया	3	210
डाबी	रामपुरिया	4	197.5
डाबी	रामपुरिया	8	63.75
डाबी	रामपुरिया	9	227
डाबी	रामपुरिया	12	142.5
डाबी	रामपुरिया	13	251.25
डाबी	बांकी	1	79
डाबी	बांकी	2	121.25
डाबी	गरडदा	1	102.5
डाबी	गरडदा	5	147.5
डाबी	गरडदा	6	292.5
डाबी	गरडदा	7	91.25
डाबी	गरडदा	8	233.75
डाबी	डोरा	1	2.36
	रेंज योग	81	13720.08
बून्दी	सथूर	1	158.5
बून्दी	सथूर	2	179
बून्दी	सथूर	3	226.5
बून्दी	सथूर	4	187.5
बून्दी	सथूर	5	243.5
बून्दी	सथूर	6	177.75
बून्दी	सथूर	7	152.55

बून्दी	सथूर	8	133.5
बून्दी	सथूर	9	125
बून्दी	सथूर	10	116.5
बून्दी	सथूर	11	177.5
बून्दी	सथूर	12	248.75
बून्दी	भीमलत	1	300.67
बून्दी	भीमलत	2	262.5
बून्दी	भीमलत	3	225
बून्दी	भीमलत	4	205
बून्दी	भीमलत	5	232.5
बून्दी	भीमलत	6	162.5
बून्दी	फूलसागर	1	111.32
बून्दी	बोरखण्डी	1	192.16
बून्दी	बून्दी की नंगी पहाडिया	**1**	82.9
बून्दी	कांटी अस्तोली	1	133.75
बून्दी	कांटी अस्तोली	2	116.25
बून्दी	कांटी अस्तोली	3	270
बून्दी	कांटी अस्तोली	4	209.3
बून्दी	कांटी अस्तोली	5	133.75
बून्दी	कांटी अस्तोली	6	122.5
बून्दी	कांटी अस्तोली	7	191.25
बून्दी	कांटी अस्तोली	8	102.5
बून्दी	कांटी अस्तोली	9	182.5
बून्दी	कांटी अस्तोली	10	153.75
बून्दी	कांटी अस्तोली	11	100
बून्दी	कांटी अस्तोली	12	118.75
बून्दी	कांटी अस्तोली	13	98.75
बून्दी	कांटी अस्तोली	14	211.25
बून्दी	कांटी अस्तोली	15	222.5
बून्दी	मुन्देड	9	188.75
बून्दी	मुन्देड	10	267.5
बून्दी	पौधशाला बून्दी	1	1.6

	रेंज योग	39	6725.75
के0पाटन	ख्यावदा	1	1144
के0पाटन	जरखोदा	1	41.45
के0पाटन	रामगंज	1	72.95
के0पाटन	रोटेदा सी0	1	107.96
के0पाटन	पौधशाला, के0पाटन	1	3.75
के0पाटन	बालोद	1	328.71
के0पाटन	गोपालपुरा	1	39.8
के0पाटन	ढीकोली	1	14.37
के0पाटन	छावछ	1	27.41
	रेंज योग	9	1780.4
	महा योग	313	**52825.21**

10.6 उपचार विधि

कुल **52825.21**हैक्टेयर क्षेत्रफल इस कार्यवृत्त में आवंटित किया गया है, जिसमें से लगभग 15% भाग पूर्व में बन्द किया गया था परन्तु बन्द प्रभावशाली नहीं होने से विशेषतः बन्द क्षेत्र की दीवार के गिर जाने व समय पर ठीक नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति बनी की सुधार कार्यो के परिणाम दृष्टिगोचर नहीं हुए क्योंकि किसी भी क्लोजर के संधारण हेतु बजट प्रावधान नहीं रहा था। भविष्य में ऐसे कार्यो का संधारण अकाल राहत कार्यो व मनरेगा के अन्तर्गत बजट मांग कर कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति के लिए दूसरा प्रमुख कारण है, प्रतिकर्तन व संवर्द्धनिक संकार्य नहीं करवाया जाना।

इस प्रकार के क्षेत्रों में प्रत्येक 200 हैक्टेयर क्षेत्र पर एक पशु रक्षक रखने का प्रावधान रखा जावे व बाड़बन्दी का संधारण किया जावे। प्रतिकर्तन व संवर्द्धनिक कार्य करवाये जावें। शेष गैर बाड़बन्दी वाले क्षेत्रों के लगभग 600 हैक्टेयर क्षेत्र का प्रतिवर्ष उपचारित किया जावे, ताकि कार्य आयोजना की समाप्ती तक लगभग 10 प्रतिशत क्षेत्र उपचारित हो सके। यह कार्य लगभग 20 से 50 हैक्टेयर की इकाई बना कर कियें जावे यह भी ध्यान रखा जावे की जहां तक हो सके समस्त रेंजों में कार्य का वितरण हो। साईट्स का चयन सम्बन्धित उप वन संरक्षक स्वविवेक से कर सकेंगे और क्षेत्र में कार्यो की प्राथमिकताओं को देखते हुए निर्णय लेंगे। उपरोक्त 600 हैक्टेयर कार्यो मे से 300 हैक्टेयर कार्य प्रतिवर्ष ए.एन.आर. मॉडल के अनुसार करवाये जाने है, जंहा वन क्षैत्र

परिभ्राषिंत हो चुके है। 300 हैक्टेयर कार्य प्रतिवर्ष आर.एफ.बी.पी. के RDF-II माडॅल के अनुसार कन्दरायुक्त क्षेत्रो मे या वे क्षैत्र जहा क्षरण अधिक हो रहा है , वहां करवाये जायेगें ।

1. **प्रतिकर्तन (कट बेक)**

झाडीनुमा, टेढ़े मेढ़े, बेढंगे धौक, खैर व अन्य मिश्रित प्रजातियों के वृक्षों में प्रतिर्कतन किया जावेगा। इन प्रजातियों के वृक्षों को जलाऊ लकड़ी या लघु काष्ठ के रूप में काम में लिया जाता है जैसे डांडा, बंलीडा, बलींडी आदि अतः उनकी गुणवत्ता, विशेष महत्व नहीं रखती। प्रतिर्कतन, भूमि से 15 सेमी. की ऊॅचाई पर किया जावे। इस प्रकार प्रतिकर्तन से प्राप्त वन उपज सामग्री का वितरण, रियायत पाने वाले ग्रामिणों में प्राथमिकता के आधार पर किया जावे और राज्य सरकार द्वारा निर्धारण अधिशुल्क उनसे वसूला जावें।

2. **भू संरक्षण कार्य** – ऊपरी सतह की मृदा वर्षा के कारण बहकर नहीं चली जावें अतः प्रत्येक नदी नाले आदि के जल ग्रहण क्षेत्र में जहां जहां आवश्यकता हो भू संरक्षण कार्य साईट की स्थिति अनुसार करवाये जावें। यथा एनीकट निर्माण, चेकडेम्स, कन्टूर ट्रेंचेज, कन्टूर डाईक्स गली नियंत्रण कार्य, स्परस, बॉक्स ट्रेंचे, वी–डिचेज ,फार्म पोण्ड की खुदाई आदि।

जल ग्रहण क्षेत्रों में क्षरण पर निंयत्रण की दृष्टि से भू संरक्षण कार्यो को तीन भागों में विभक्त कर आसानी से समझा जा सकता हैं।

1. कृषि
2. वानिकी
3. अभियांत्रिक

(i) **कृषि कार्य** – चूंकि जल ग्रहण क्षेत्रों में कृषि कार्य कृषकों द्वारा गैर सरकारी भूमि पर किया जाता है अतः कृषकों को भू संरक्षण की विधि से कृषि करने हेतु मात्र समझाया जा सकता है, जैसे कन्टूर के अनुसार हल चलाना, स्ट्रिप क्रोपिंग तथा बण्डस निर्माण कार्य आदि। कृषकों को कृषि वानिकी का ज्ञान व सुविधाएं कृषि विभाग उपलब्ध करवाता है। ये सब अप्रत्यक्ष विधिया है, प्रत्यक्ष रूप से वन विभाग विशेष नहीं कर पाता अतः इस कार्य आयोजना में कृषि क्षेत्र हेतु विशेष उपचार प्रस्तावित नहीं किये गये है।

(ii) **वानिकी कार्य** – वानिकी कार्यो हेतु निर्णय लेने से पूर्व विभिन्न कारकों पर ध्यान देना आवश्य होगाः

(i) वर्षा की मात्रा

(ii) मृदा का प्रकार

(iii) क्षरण का रूप

(iv) जैविक कारक

(v) जल ग्रहण क्षेत्र का ढ़ाल

जिले में वर्षा समान रूप से नहीं होती, अधिकतम वर्षा माह जुलाई व अगस्त दो माहों में होती है। एक साथ तेज वर्षा होने से मृदा क्षरण अधिक होता है जबकि धीमे–धीमे लम्बे समय तक वर्षा होने से मृदा क्षरण कम होता है व जल भरण अधिक होता है। मृदा का क्षरण किसी स्थान की भौमिकी, चट्टान व मृदा पर बहुत निर्भर करता है। इस ही प्रकार क्षरण वाले क्षेत्र में वनस्पति की उपलब्धता की भी प्रमुख भूमिका होती है। वनस्पति का भी अच्छा विकास तभी होता है जब हम इसको प्रभावित करने वाले कारकों को अच्छी तरह समझें जैसे अवैध कटाई व छंगाई, चराई, खनन, अतिक्रमण आदि तथा इन समस्त कारकों को ध्यान में रखते हुए निम्न वानिकी कार्य करवानें होंगे।

1. **क्लोजर्स का निर्माण :**

क्षेत्र को मवेशियों द्वारा की जाने वाली चराई से रोकने के लिए सर्वप्रथम क्षेत्र को बन्द करना होगा। पत्थर उपलब्ध नहीं होने पर खाई द्वारा बाड़बन्दी,या एंगल आईरन व तार की बाड़बन्दी की जा सकती है। जिस भी प्रकार की बाड़बन्दी करवाई जाए वह पूर्णतः प्रभावशाली होनी चाहिये अन्यथा समस्त प्रयास निरर्थक हो जावेंगे। बाड़बन्दी वर्षा आरम्भ होने से पूर्व पूर्ण हो जानी चाहिये।

2. **उपचार मानचित्र :**

बाड़बन्दी आरम्भ करने से पूर्व या साथ–साथ क्षेत्र हेतु उपचार योजना तैयार कर लेनी चाहिये जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि किस–किस स्थान पर क्या–क्या भू संरक्षण कार्य करवायें जाने है।

3. **मृदा कार्य :**

जहां गहरी मृदा उपलब्ध हो वहां पौधे लगाने हेतु गडढ़े, कन्टूर या बाक्स ट्रेंच खुदवाई जावें मगर जहां मृदा अधिक गहरी नहीं हो वहां सघन मृदा कार्य न करवाये जावें जैसे चट्टानी क्षेत्र आदि। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों में प्रतिकर्तन (कट बेक) आवश्यक है, क्योंकि आने वाले वर्षाकाल में इनमें से, अनेक नई कोपले फूट आवेंगी।

4. **बीजारोपण व वृक्षारोपण :**

जहां मृदा गहरी नहीं हो वहां पौधारोपण के बजाय घास का बीज बोया जावे । घास के बीज को चिकनी मिट्टी में मिला कर गोलियां बनाकर सुखा ली जावें व वर्षा आरम्भ होते ही इन्हें क्षेत्रों में रोपित कर दिया जावें। घास लगाने हेतु पौधशाला में छोटी थैलियों में भी वर्षाकाल से पूर्व घास का बीज उगा कर, घास गुच्छे तैयार किये जावे। इन घास गुच्छों (ग्राफ टफ्ट्स) को वर्षा काल में रोपित किया जा सकता है।

वृक्षारोपण करते समय स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिये। छायादार वृक्षों को ही प्राथमिकता दी जावे। ट्रेंचो के बाहर निकाली गई मृदा वर्षा आरम्भ होते ही बबूल, खैर, चुरैल एवं करंज जैसी प्रजातियो के उपचारित बीजों की बीजारोपण किया जाना चाहिये। सबसे निकृष्ट मृदा में यदि विलायती बबूल का पौधारोपण करना भी पड़े तो सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक की लिखित अनुमति के बगैर नहीं किया जाता। बीजारोपण में यह ध्यान रखा जावें कि थोड़ी मृदा हटा कर ही बीज रोपित किये जावें अन्यथा प्रथम वर्षा के साथ ही बीज बह कर चला जावेगा। वर्षा आरम्भ होते ही पौधशाला में फरवरी–मार्च में तैयार किये गये पौधों का रोपण किया जावे। वृक्षारोपण विधि वृक्षारोपण कार्यवृत्त एवं परिशिष्ट में उल्लेखित हैं।

10.7 **अभियांत्रिकी विधियां** – भू संरक्षण हेतु यह अतिआवश्यक है कि वानिकी कार्यो के साथ–साथ अभियांत्रिकी कार्यो को भी साथ–साथ करवाया जावे तब वे अधिक प्रभावशाली होंगे, इनमें से प्रमुख अभियांत्रिकी संरचना निम्नानुसार हैः

1. **चेकडेम्स** – क्षेत्र में उपस्थित समस्त नालों के स्त्रोतों में वानस्पतिक अथवा पत्थर (Loose rubble) के चेकडेम्स इस प्रकार बनवाये जाने चाहिये कि ऊपर वाले चेकडेम्स का आधार व नीचे वाले चेकडेम का ऊपर भाग समान उॅचाई पर हो। चेकडेम्स के अंदर वाले भाग में मृत पौधे बिछा देने चाहिये ताकि मृदा चेकडेम में ही रूकी रहे। चेकडेम्स के पास बांस का रोपण भी किया जा सकता हैं जहां से नाला बनना आरम्भ होता है, वहां ऊपरी भाग पर अर्द्धचद्रांकार खाई ट्रेंच 60 × 45 से.मी. क्रोस सेक्शन की बनाई जावें।
2. **कन्टूर डाईक्स** – पूरे क्षेत्र में कन्टूर डाईक्स बनायी जावें ताकि ये वर्षा जल की गति को धीमा कर सके व इनमें ऊपरी के भाग में मृदा जमा हों। कन्टूर डाईक्स के पास बीजारोपण या पौधारोपण करना लाभदायी सिद्ध होगा।
3. **गली प्लंगिग** – भू क्षरण को रोकने के लिये गली प्लगिंग भी अतिआवश्यक है सर्वप्रथम गली के ऊपरी भाग सें प्लगिंग की जावे, प्लगिंग वनस्पति द्वारा की जावें। जहां गली

बहुत बड़ी हो उसे पत्थरों से सबसे कम चौड़ाई वाले स्थान पर रोक लगाई जावे। वानस्पतिक प्लगिंग के लिए आईपोमिया की कटिंग्स बहुत उपयुक्त रहती है। बांस व अरण्ड का उपयोग भी किया जा सकता है।

स्परस – नालों के मार्गो में मोड पर जहां बहुत अधिक क्षरण की सम्भावना हो वानस्पतिक या सूखे पत्थरों के स्परस भी बनाये जा सकते है, ताकि पानी की धारा का मार्ग बदला जा सकें।

4. **समृद्धि वृक्षारोंपण (Enrichment Plantations)** – कम आर्थिक महत्व की झाड़ी प्रजातियों की सफाई करके जहाँ–जहाँ पर्याप्त नमी उपलब्ध हो अधिक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों के पौधों का पौधारोपण किया जावे। स्थानीय देशी वृक्षों का ही पौधारोपण हेतु चयन किया जावे।

वृक्षारोपण की पूर्ण प्रणाली का विवरण परिशिष्ट में पर दर्शाया गया है।

10.8 विकास कार्यो का संधारण

प्रत्येक कार्य को एक पशु रक्षक की निगरानी में रखा जावे जो कि उस क्षेत्र पर हर समय सुरक्षा हेतु निगरानी रखें। विकास कार्य में निराई, गुडाई, पौधों को पानी पिलाई व अगली वर्षा ऋतु में मृत पौधों के स्थान पर नये पौधे लगाने की कार्यवाही की जावे। प्रथम दो वर्षो में घास कटाई पर रोक हो व अगले दस वर्ष तक क्षेत्र में चराई पर रोक हो। घास तब ही काटी जावें जब वर्षा समाप्त होने के बाद बीज गिर जावें। घास एकत्रीकरण वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से ही किया जावें।

10.9 वृक्षारोपण जरनल

प्रत्येक विकास कार्य का एक वृक्षारोपण जरनल संधारित हो और वह रेंज कार्यालय में उपलब्ध हो। इस जर्नल में उस साईट पर हुई समस्त गतिविधियों का विस्तृत उल्लेख हो तथा जब–जब उच्च अधिकारी उस साईट के निरीक्षण हेतु आवें उनकी टिप्पणी अंकित करवायी जावें।

10.10 विविध विनियमन

1. **अग्नि सुरक्षा :** अग्नि सुरक्षा का इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान रखा जावे। अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी उपचारों का विस्तृत विवरण अध्याय 20 में लिखा गया हैं।

2. **अधिकार व रियायतें :** विकास कार्यो से अधिकार व रियायतों के अन्तर्गत मात्र घास कटाई की अनुमति दूसरे वर्ष से होगी और वह भी वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से। प्रतिकर्तन की सामग्री को अधिशुल्क राशि प्राप्त कर स्थानीय विनासियों को वितरत की जा सकेगी। इस कार्य आयोजना काल में विकास कार्यो से अन्य कोई अधिकार या रियायतें उपयोग की अनुमति नही होगी।
3. **वृक्षारोपण व क्लोजर प्रंजिकाओं का संधारण** – इनको निर्धारित फार्मस में वन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार संधारित किया जावेगा।
4. **साईन बोर्ड** – प्रत्येक साईट पर उपयुक्त स्थान पर 'साईन बोर्ड' लगाया जायेगा जिसमें साईट का क्षेत्रफल, वर्ष, योजना, व्यय की जाने वाली राशि तथा प्रतिबंधि कार्यो के विषय में लिखा होना चाहिये।
5. **पानी के लिये लघु तालाबों का निर्माण** – पौधों को सिंचाई हेतु विकास कार्य (वृक्षारोपण या क्लोजर) के अन्दर उपयुक्त स्थानों पर कच्ची, पक्की, जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण किया जावें, जिन्हें वर्षा जल एवं टेंकर से पानी लाकर भरा जा सके, इनसे वन्य जीवों को पीने योग्य जल भी प्राप्त होगा।

10.11 संभावित व्यय

कार्यवृत्त के क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य पर व्यय चयनित क्षेत्र की स्थिति कार्य की मात्रा, प्रकृति और अन्य अनेक तात्कालिक कारकों पर निर्भर है। इस वजह से कार्य वृत्ताधीन क्षेत्र के पूर्ण उपचार पर होने वाले व्यय को सही सही आंकलन संभव नहीं है, परन्तु आयोजना की दृष्टि से कार्यवृत्त के क्षेत्र के उपचार पर वर्तमान श्रमिक व सामग्री दरों पर 50 हैक्टेयर की चयनित इकाई में निम्नानुसार न्यूनतम व्यय अपेक्षित है :

(I)

1. आर.एफ.बी.पी.,के आर.डी.एफ–II मॉडल के अनुसार (वर्तमान श्रमिक दर रू 147/प्रतिदिन) 40233.00 रूपये प्रति हैक्टेयर है।
2. 50 हैक्टेयर की इकाई के लिये व्यय 40233 × 50 = 20,11,650 रूपये या 20 लाख।
3. प्रतिवर्ष 500 हैक्टेयर कार्यो के लियें = 201.2 लाख रूपये
4. कार्य आयोजना काल के लिये कुल व्यय

   प्रतिवर्ष व्यय 10 × 201.2 लाख रूपये या 20.12 करोड़ रूपये कार्यवृत्त अधीन क्षेत्र के प्रस्तावित 5000 हैक्टेयर के उपचार हेतु कार्य आयोजना अवधि में लगभग 20 करोड रूपये का अनुमानित व्यय अपेक्षित है।

(II)

1. आर.एफ.बी.पी. के ए.एन.आर. मॉडल के अनुसार (वर्तमान श्रमिक दर रू 147/ प्रतिदिन) 24879.00 रूपये प्रति हैक्टेयर है।

2. 50 हैक्टेयर की इकाई के लिये व्यय 24879 × 50 = 12,43,950 रूपये।

3. प्रतिवर्ष 500 हैक्टेयर कार्यो के लियें = 124395 × 6 = 12.44 लाख रूपये

4. पूरे कार्य आयोजना काल (10 वर्ष) के लिये कुल व्यय रूपये = 1244 लाख
5. कार्य आयोजना काल के लिये कुल व्यय I + II = 20.12 + 12.44 = 32.56 करोड़ रूपये = 3256 लाख रूपये।

कुल 52825.21 है0 क्षेत्र में से 10000 है0 क्षेत्र में भू संरक्षण एवं पुनर्वास कार्य करवाए जाऐगें। जिसमें उपचार हेतु लगभग 3256 लाख रूपये का व्यय होंगे।

कार्यवृत्त अधीन क्षेत्र के कुल क्षेत्र	कार्यवृत्त अधीन क्षेत्र के प्रस्तावित	उपचार हेतु इस कार्य आयोजना अवधिकाल का व्यय (लाखों में)
52825.21 हैक्टेयर	**10000**	**3256**

यह गणना अनुमान लगाने हेतु की गई है, वास्तविक व्यय उस समय के मापदण्डों, मॉडल व दरों के अनुसार होगा तथा इन व्ययों का पुनःनिर्धारण हर दो वर्षों बाद प्रचलित दरों पर किया जाये।

CHAPTER – XI

वृक्षारोपण कार्यवृत

	अध्याय 11	Chapter XI
	वृक्षारोपण कार्यवृत	Plantation Working Circle
11.1	सामान्य संरचना	General composition
11.2	वनस्पति का सामान्य रूप	General condition of vegetation
11.3	प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य	Special objectives of management
11.4	सम्मिलित क्षेत्र	Combined Area
11.5	आवंटित वनखण्ड एवं संविभाग कक्ष	Alloted Forest. Blocks and compartment
11.6	सस्य का विश्लेषण व मूल्यांकन	Analysis and evaluation of the crop
11.7	उपचार विधि	Treatment Method
11.8	वृक्षारोपण कार्यक्रम	Plantation Programme
11.9	विविध विनियमन	Miscellaneous Regulations
11.10	राडियों का पुनर्रोद्धार	Restroration of radi
11.11	वित्तीय पूर्वानुमान	Financial Forecast

अध्याय – 11

वृक्षारोपण कार्यवृत

CHAPTER - XI

Plantation Working Circle

11.1 सामान्य संरचना

इस वृत्त के अधीन वे वन क्षेत्र हैं, जहां पर्याप्त नमीयुक्त मृदा तो हैं परन्तु वृक्ष विहीन हैं इनमें मुख्यतः समतल क्षेत्र कन्दरायुक्त क्षेत्र एवं मृदा युक्त पहाड़ी क्षेत्र है इस प्रबंधन वृत्त में मुख्यतः चारा, ईंधन एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों का रोपण प्रस्तावित किया जाना है जिससे स्थानीय ग्रामीणों को चारा व ईंधन गांव के पास ही उपलब्ध हो सके। इस वृत्त में रिक्त स्थलों के अतिरिक्त वे क्षेत्र भी लिये जावेंगे जहां पूर्व के वृक्षारोपण असफल रहे हैं, परन्तु ऐसे क्षेत्रों को असफल वृक्षारोपण राजकीय प्रक्रिया द्वारा असफल घोषित कर मुख्य वनसंरक्षक, कोटा से अनुमति उपरान्त ही विकसित किया जा सकेगा।

11.2 वनस्पति का सामान्य स्वरूप

इस कार्य वृत्त में सम्मिलित क्षेत्र लगभग वृक्ष विहीन एवं रिक्त हैं, पूर्व में इन क्षेत्रों में धोंक के वन रहे थे परन्तु बस्तियों के समीप होने के कारण अत्यधिक जैविक दबाव रहा (या भू क्षरण के कारण) जिससे धीरे–धीरे क्षेत्र वृक्ष विहीन होते गये और वर्तमान में ऐसे क्षेत्रों ने परिभ्रांषित रूप ले लिया है। अब ऐसे क्षेत्रों में विलायती बबूल, थोर,अडुसा, आक एवं लांपला घास आदि ही देखने को मिलते हैं।

11.3 प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य

- परिभ्रांषित क्षेत्रों को और अधिक परिभ्रांषित होने से बचाना।
- परिभ्रंषित क्षेत्रों को वृक्षारोपण व बीजारोपण कर सस्य में सुधार करना।
- मृदा को वृक्षों से ढक कर, नमी की मात्रा को बढाना ताकि भूमिगत जल में वृद्वि हो।

- वन उपज की पैदावार बढ़ाकर, स्थानीय लोगों की जलाऊ व छोटी इमारती लकड़ी की मांग की पूर्ति करना।
- चारे की आपूर्ति कर सूखे की स्थिति से निपटना।
- स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना।
- उपलब्ध मूल स्कंधों को वन संवर्द्धनिक क्रियाओं की सहायता से उपचारित कर रिक्त स्थानों को पुनः भण्डारित करना।
- सस्य की दशा व संरचना में सुधार।
- खनन क्षेत्रों में सुधार कार्य।

11.3.1 वनीकरण योजनाऐं

भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान, देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान राज्य में 9.32 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र के बराबर भू–भाग वन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जिसमें भी वास्तविक वन 3.83 प्रतिशत भू–भाग पर ही खड़े है । यह सम्पूर्ण देश में न्यूनतम प्रतिशत है। इतने कम वनाच्छादान का कारण, भूमितल का कठोरपन एवं वर्षा की अत्यधिक कमी है, जो वनस्पति के लिए अनुपयुक्त है। राजस्थान का 2/3 से भी अधिक क्षेत्र, थार मरूस्थल के अन्तर्गत आता है। यहॉ तापमान का न्यूनतम व अधिकतम सीमा का विशाल अन्तर यथा 3^0 – 47^0 तक घटता–बढ़ता है। वार्षिक औसत वर्षा 150 मि.मी. से भी कम होती है। और शेष 1/3 भाग में अरावली पर्वत श्रृंखला, कन्दरा क्षेत्र एवं छिछली मृदा वाले कटे–फटे भू–भाग सम्मिलित हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या एवं पशु संख्या भी वन क्षेत्रों के विनाश का प्रमुख कारक हैं। प्रदेश में ईधन , चारा एवं इमारती लकड़ी की मांग एवं उनकी आपूर्ति में भारी अन्तराल है, जिसे निम्न तालिका से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता हैः–

11.3.2 जलाऊ लकड़ी की मांग एवं आपूर्ति

क्र. सं.	वर्ष	मांग (मिलियन टन में)	आपूर्ति (मिलियन टन में)	अन्तराल (कमी/बेशी)(–)(+)
1.	1980	5.12	0.96	(–) 4.16
2.	1990	5.60	0.82	(–) 4.78
3.	1995	6.16	0.72	(–) 5.44
4.	2001	6.73	1.18	(–) 5.55

5.	2006	7.45	2.21	(–) 5.24
6.	2016	9.01	6.93	(–)2.08

स्त्रोत :– जिला सांख्यिकी रूपरेखा बूंदी 2009 के अनुसार

11.3.3 चारे की मांग एवं आपूर्ति

क्र. सं.	वर्ष	मांग (मिलियन टन में)	आपूर्ति (मिलियन टन में)	अन्तराल (कमी / बेशी)(–)(+)
1.	1980	61.20	28.50	(–)32.70
2.	1990	58.80	31.50	(–)27.28
3.	1995	67.47	44.70	(–)22.77
4.	2001	72.18	50.08	(–)22.10
5.	2006	76.51	56.08	(–)20.43
6	2016	84.16	61.60	(–)22.56

स्त्रोत :– जिला सांख्यिकी रूपरेखा बूंदी 2009 के अनुसार

11.3.4 ईमारती लकड़ी की मांग एवं आपूर्ति

क्र.सं.	वर्ष	मांग (मिलियन टन में)	आपूर्ति (मिलियन टन में)	अन्तराल (कमी / बेशी)(–)(+)
1.	1980	1.36	0.30	(–)1.06
2.	1990	1.76	0.20	(–)1.56
3.	1995	2.00	0.16	(–)1.84
4.	2001	2.17	0.56	(–)1.61
5.	2006	2.54	2.16	(–)0.38
6	2016	3.40	2.99	(–)0.59

स्त्रोत :– जिला सांख्यिकी रूपरेखा बूंदी 2009 के अनुसार

"राजस्थान स्टेट फोरेस्ट्री एक्शन प्लान" से लिए गए आंकड़ो पर उक्त सूचना से स्पष्ट होता है कि वन क्षेत्रों से चारा ईधन एवं इमारती लकड़ी की मांग एवं आपूर्ति में भारी अन्तराल है जिसे पाटने के लिए न केवल वन क्षेत्रों में ही उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जायें अपितु सामूहिक पड़त भूमि / गोचर भूमि एवं चारागाह भूमि पर भी वनीकरण को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इतना ही नहीं कृषि भूमि पर भी कृषि वानिकी एवं लघु इमारती लकड़ी एवं रोजमर्रा की ईधन

आपूर्ति हेतु मेढ़ों पर चारा/ईधन देने वाली प्रजातियों का रोपण करने की आवश्यकता महसूस की गई है।

- बूंदी जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 5776 वर्ग कि.मी. एवं वन क्षेत्र 1542.42 वर्ग किलोमीटर है इस के अतिरिक्त जिले में 425 वर्ग किलोमीटर पडत भूमि भी (Waste land) उपलब्ध है।

- बूंदी जिले में उपलब्ध वन क्षेत्रों का पुनर्जनन कर उन्हें सघन बनाने की तथा वृक्षारोपण द्वारा वृक्षों की वृद्धि करने की विपुल सम्भावना है। वर्ष 1985–86 से विश्व बैंक की सहायता से राज्य में क्रियान्वित की गई राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत जिले में सामाजिक वानिकी एवं कृषि कार्यो को क्रियान्वित किया जाकर कार्यो को और गतिशील बनाया गया।
- इसके उपरांत 'समुद्र पारीय आर्थिक सहयोग निधि', (ओ.इ.सी.एफ) जापान के सहयोग से राज्य में क्रियान्वित की गई वानिकी विकास परियोजना के अन्तर्गत बूंदी जिले में वानिकी कार्यो का क्रियान्वयन किया गया।
- जिले में वन विकास उपरोक्त प्रयास हुये हैं किन्तु जिले में अच्छी उपजाऊ किस्म की भूमि एवं अच्छी वर्षा को देखते हुऐ सफल वृक्षारोपण किये जाकर जिले में वृक्षाच्छिादित क्षेत्र में अभिवृद्धि करने की विपुल सम्भावना है जिसे आयोजना प्रस्तावों में विस्तार से प्रस्तावित किया जा रहा है।
- इस वन मण्डल में किसी भी कार्यवृत्त में वृक्षारोपण कार्य होने पर इस कार्यवृत्त के उपचार प्रभावी रहेंगे।

11.4 सम्मिलित क्षेत्र

इस वृत में सम्मिलित कुल 30122.23 हैक्टेयर क्षेत्र का रेंजवार विवरण निम्न प्रकार है:

रेंज	वृक्षारोपण	
	संविभाग	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
हिण्डोली	28	5285.54
नैनवा	44	7611.61
इन्द्रगढ़	33	4680.87
डाबी	34	6266.93

बून्दी	24	4616.21
के0पाटन	8	1661.07
	171	**30122.23**

11.5 आंवटित वनखण्ड व संविभाग कक्ष

इस कार्य वृत्त में निम्न संविभागों को सम्मिलित किया गया है।

रेंज	वनखण्ड	संविभाग न॰	क्षेत्रफल (है॰)
हिण्डोली	रेण बी0	1	196.39
हिण्डोली	रेण बी0	2	205.46
हिण्डोली	अकलोर पानीढाल	1	301.25
हिण्डोली	अकलोर पानीढाल	2	235.00
हिण्डोली	अकलोर पानीढाल	3	202.50
हिण्डोली	अकलोर पानीढाल	4	178.75
हिण्डोली	अकलोर पानीढाल	5	192.86
हिण्डोली	गोकुलपुरा	1	137.40
हिण्डोली	गोकुलपुरा	2	83.75
हिण्डोली	रेण ए0	1	244.14
हिण्डोली	रेण ए0	2	259.00
हिण्डोली	रेण ए0	3	220.75
हिण्डोली	बन्धा का खेडा	1	175.00
हिण्डोली	बन्धा का खेडा	2	180.00
हिण्डोली	बन्धा का खेडा	3	164.46
हिण्डोली	बन्धा का खेडा	4	183.75
हिण्डोली	नेगढ़	1	112.63
हिण्डोली	मराडी ए	1	7.2
हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़	4	197.00
हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़	5	230.00
हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़	6	251.50
हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़	7	222.50
हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़	8	247.25
हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़	9	137.50
हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़	10	112.50
हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़	11	281.50

हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़	12	186.00
हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़	13	139.50
नैनवा	नैनवा–देई	1	160.66
नैनवा	मरा फतेहपुरा सी	1	63.96
नैनवा	मरा फतेहपुरा डी	1	100.54
नैनवा	मरा फतेहपुरा बी	1	48.29
नैनवा	लक्ष्मीपुरा चैनपुरा ए	1	97.9
नैनवा	लक्ष्मीपुरा चैनपुरा बी	1	226.25
नैनवा	लक्ष्मीपुरा चैनपुरा बी	2	223.75
नैनवा	लक्ष्मीपुरा चैनपुरा बी	3	146.62
नैनवा	लक्ष्मीपुरा चैनपुरा बी	4	171.76
नैनवा	लक्ष्मीपुरा चैनपुरा सी	1	271.43
नैनवा	लक्ष्मीपुरा चैनपुरा डी	1	163.75
नैनवा	लक्ष्मीपुरा चैनपुरा डी	2	150.55
नैनवा	तलवास	1	201.25
नैनवा	तलवास	2	240
नैनवा	तलवास	3	271.25
नैनवा	तलवास	4	92.5
नैनवा	तलवास	5	93.75
नैनवा	तलवास	6	158.75
नैनवा	तलवास	7	176.25
नैनवा	तलवास	8	216.25
नैनवा	तलवास	9	171.25
नैनवा	तलवास	10	227.5
नैनवा	तलवास	11	181.01
नैनवा	तलवास	12	178.75
नैनवा	तलवास	13	206.25
नैनवा	तलवास	14	146.25
नैनवा	तलवास	15	144.5
नैनवा	तलवास	16	205
नैनवा	तलवास	17	143.75
नैनवा	तलवास	18	37.5

नैनवा	तलवास	19	273.75
नैनवा	तलवास	20	242.5
नैनवा	तलवास	21	188.75
नैनवा	तलवास	22	265
नैनवा	तलवास	23	116.25
नैनवा	तलवास	24	100
नैनवा	नैनवा–देई ए	1	240.39
नैनवा	नैनवा–देई ए	2	118.75
नैनवा	नैनवा–देई ए	3	156.25
नैनवा	नैनवा–देई ए	4	225
नैनवा	नैनवा–देई ए	5	213.75
नैनवा	नैनवा–देई ए	6	250
नैनवा	पीपल्या माणक चौंक(P)	21	237.75
नैनवा	पीपल्या माणक चौंक(P)	22	66.25
इन्द्रगढ़	मोहनपुरा	1	77.8
इन्द्रगढ़	मोहनपुरा	2	93.98
इन्द्रगढ़	मोहनपुरा	3	76.2
इन्द्रगढ़	मोहनपुरा	4	110.2
इन्द्रगढ़	मोहनपुरा	5	126.4
इन्द्रगढ़	मोहनपुरा	6	162
इन्द्रगढ़	मोहनपुरा	7	173.4
इन्द्रगढ़	मोहनपुरा	8	172.6
इन्द्रगढ़	मोहनपुरा	9	95.2
इन्द्रगढ़	मोहनपुरा	10	128
इन्द्रगढ़	मोहनपुरा	11	194.4
इन्द्रगढ़	मोहनपुरा	12	113.4
इन्द्रगढ़	मोहनपुरा	13	152.3
इन्द्रगढ़	मोहनपुरा	14	101.7
इन्द्रगढ़	सालमदरा ए0	1	89.7
इन्द्रगढ़	सालमदरा बी0	1	139.19
इन्द्रगढ़	सालमदरा सी0	1	163.75
इन्द्रगढ़	सालमदरा सी0	2	92.79

इन्द्रगढ़	सालमदरा डी0	1	177.72
इन्द्रगढ़	कौलाशपुरा	1	240.16
इन्द्रगढ़	माताजीवाला	1	135.7
इन्द्रगढ़	माताजीवाला	2	99.64
इन्द्रगढ़	माताजीवाला	3	119.82
इन्द्रगढ़	माताजीवाला	4	84.9
इन्द्रगढ़	अरियाली बुडकरवर	1	270
इन्द्रगढ़	अरियाली बुडकरवर	2	268.75
इन्द्रगढ़	अरियाली बुडकरवर	3	161.25
इन्द्रगढ़	अरियाली बुडकरवर	4	208.75
इन्द्रगढ़	अरियाली बुडकरवर	5	91.25
इन्द्रगढ़	अरियाली बुडकरवर	6	122.5
इन्द्रगढ़	अरियाली बुडकरवर	7	117.42
इन्द्रगढ़	अरियाली बुडकरवर	8	75
इन्द्रगढ़	अरियाली बुडकरवर	9	245
डाबी	डाबी पलकां	1	253.75
डाबी	डाबी पलकां	2	278.75
डाबी	डाबी पलकां	6	243.75
डाबी	गुवांर	1	241.98
डाबी	गुवांर	2	273.75
डाबी	गरडदा बी0	1	100.00
डाबी	धोरेला गरडदा	13	186.25
डाबी	धोरेला गरडदा	14	202.75
डाबी	धोरेला गरडदा	15	168.75
डाबी	खडीपुर	5	170
डाबी	खडीपुर	6	180
डाबी	लाम्बाखोह	2	182.9
डाबी	लाम्बाखोह	3	216.25
डाबी	देव डूगंरी	1	134.3
डाबी	गोलपुर	1	208.75
डाबी	गोलपुर	2	247.16
डाबी	पराना	1	132.81

डाबी	जाखमुण्ड	7	297.5
डाबी	जाखमुण्ड	8	251.25
डाबी	मराडी	10	260
डाबी	मराडी	11	147.5
डाबी	गरडदा	2	287.4
डाबी	गरडदा	3	172.5
डाबी	गरडदा	4	107.5
डाबी	भरता बावडी	1	136.25
डाबी	भरता बावडी	2	111.25
डाबी	भरता बावडी	3	119.38
डाबी	भरता बावडी	4	160
डाबी	भरता बावडी	5	182
डाबी	भरता बावडी	6	82.5
डाबी	भरता बावडी	7	148.75
डाबी	भरता बावडी	8	210
डाबी	भरता बावडी	9	111.25
डाबी	भरता बावडी	10	60
बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा	1	157
बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा	2	151.5
बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा	3	220.75
बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा	4	281.5
बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा	5	332.5
बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा	6	182.5
बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा	7	226.5
बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा	8	247
बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा	9	182.25
बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा	10	152.75
बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा	11	280
बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा	12	271
बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा	13	214.44
बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा	14	230
बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा	15	188

बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा	16	303.5
बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा	17	274.5
बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा	18	270
बून्दी	नयाबाग	1	126.92
बून्दी	माटून्दा	1	30.14
बून्दी	चम्पाबाग	**1**	3.36
बून्दी	गोबरिया राडी	1	47.59
बून्दी	केसरपुरा	**1**	242
बून्दी	तलाबगांव	**1**	0.51
के0पाटन	रोटेदा ए0	1	309.47
के0पाटन	रोटेदा बी0	1	293.56
के0पाटन	रोटेदा डी0	1	204.02
के0पाटन	रोटेदा ई0	1	132.73
के0पाटन	रोटेदा एफ	1	47.39
के0पाटन	जगदरी	1	219.23
के0पाटन	डोलर	1	401.91
के0पाटन	बरानी	1	52.76
	महायोग		**30122.23**

11.6 सस्य का विश्लेषण व मूल्यांकन

11.6.1 मानचित्र

वन निधि मानचित्र 1:50,000 पैमाने पर एस.आर.सैक. (SRSAC) जोधपुर द्वारा उपलब्ध कराये गए वनखण्ड सीमाओं के डिजिटाइज्ड मानचित्रो पर केवल वन प्रबन्धन के उद्देश्य से बनाये गये है। यह आंकलन फारेस्ट कवर मेपस्, फारेस्ट डेन्सिटी, निशुल्क उपलब्ध उपग्रह फारेस्ट कवर मेपस् व उसके पश्चात फील्ड सर्वे एवम् ग्राउंड ट्रूथिगं ऑक्युलर एस्टीमेशन, पर आधारित है। वन निधि के नक्शों को देखने पर धौंक वन के क्षेत्र व लगभग रिक्त क्षेत्रों को पृथक पृथक स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। जिले की वनभूमि की सीमाऐं राजस्थान वन बन्दोबस्त अधिनियम एवं वनों की वैधानिक स्थिति राजस्थान वन अधिनियम एवं उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार रहेंगी।

11.6.2 गुणता श्रेणी

इस कार्यवृत्त के अन्तर्गत आने वाले वन क्षेत्र वृक्ष विहीन है अतः गुणता श्रेणी दर्शाना आवश्यक नहीं समझा गया है। ''सड़क किनारे वृक्षारोपण'' के वृक्षों की गुणता श्रेणी के अनुसार वृक्ष श्रेष्ठ गुणता के हैं और उनमें सफेदे के वृक्ष परिपक्व हो चुके हैं।

11.6.3 घनत्व

इस कार्यवृत्त के अधीन आने वाले क्षेत्रों में वृक्षों का घनत्व 0 से 0.3 तक है। क्षेत्र में क्लोजर निर्माण कर प्रभावी सुरक्षा में सुधार किये जायेंगे। वृक्षारोपण प्रणाली अनुसार प्रबन्धन किया जायेगा। इस वृत के अधीन कार्य क्षेत्रों में भू एवं जल संरक्षण कार्य तथा बीजारोपण कर सस्य में सुधार व वानस्पतिक आवरण में वृद्धि की जायेगी। अस्वस्थ, टेढ़े–मेढ़े (विकृत) खोखले वृक्षों को विधि अनुसार काट कर कॉपिस किया जायेगा।

11.6.4 कार्य–कारी अभिकरण

सभी काम विभागीय निर्देशन में ही सम्पन्न होंगे।

11.6.5 वार्षिक कियान्वयन योजना

पूर्व की कार्य आयोजना अवधि में निर्धारित वन प्रबन्धन एवं विकास कार्य प्रस्तावानुसार वर्ष वार सम्पादित नहीं करवाये गये यही कारण है कि इस कार्य आयोजना में इस कार्य वृत्त के अधीन क्षेत्र के उपचार का वार्षिक प्रचालन प्रस्तावित नहीं किया गया है परन्तु यह निर्धारित किया जाता है कि प्रतिवर्ष 800 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित किये जाये व कार्य सम्पूर्ण जिले के क्षेत्र में फैला हुआ हो इस प्रकार कार्य आयोजना अवधि में लगभग 8000 हेक्टेयर वन क्षेत्र उपचारित किया जाये।

11.7 उपचार विधि

11.7.1 मानचित्र

प्रत्येक गांव को एक इकाई मानकर किये गये वृक्षारोपण का इकाई माइक्रो-प्लान बनाया जाता है तथा इस प्लान को उपयुक्त पैमाने के मानचित्र में तैयार किया जाये।

11.7.2 मृदा जल प्रवाह मानचित्र

प्रत्येक कार्य आरम्भ करने से पूर्व पास की प्रयोगशाला या स्टेट सिल्वी कल्चरिस्ट, जयपुर की प्रयोगशाला में उस वनक्षेत्र के मृदा व जल का विश्लेषण करा लिया जाये तदनुसार लगाये जाने वाले वृक्षों का चयन किया जाये। यदि कहीं पौधशाला स्थापित करनी है तो उसके लिये भी यही विधि अपनायी जानी है। इस हेतु मानचित्र भी तैयार किये जायें जिसमें मृदा का प्रकार, बनावट आदि को अंकित किया जाये। मुख्यतः इस मानचित्र में उपचार हेतु वृक्षारोपण व बीजारोपण कार्य, भू जल संरक्षण कार्य के स्थान व प्रकृति निरिक्षण पथ आदि अंकित (जी.पी.एस. रिडीगं) किये जायेंगे।इस वृत मे सम्मिलित सविभांगो की सूची मे प्रतिवर्ष किस सविभांग मे कार्य किया जाना है। इसका चयन उप वन संरक्षक स्वविवेकानुसार वन मण्डल की प्राथमिकताआ को ध्यान मे रखते हुए करेगे।

11.7.3 क्षेत्र का चयन

- इस वन मण्डल के अनेक वनखण्डों के बडे–बडे भाग वृक्ष विहीन है अतः ऐसे क्षेत्रों की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए अधिकाधिक क्षेत्र को इस कार्य आयोजना अवधि में उपचारार्थ लिया गया है। उपचार के लिये प्रत्येक इकाई 20 से 50 हेक्टेयर क्षेत्र की बनायी जानी है तथा वृक्षारोपण कलस्टर के रूप में लिया जाना है ताकि उसकी सुचारू रूप से सुरक्षा हो सके। ऐसे क्षेत्रों की सर्वे अथवा वृक्षारोपण के दौरान जी.पी.एस रिडीगं ली जाये तथा सम्बन्धित कार्य पंजिका में दर्ज किया जाये।

11.7.4 पौध तैयारी :

जिले में विभागीय पौधशालाओं की सूची निम्नानुसार है :

क्र सं.	रेंज	पौधाशाला का स्थान
1	बूंदी	बूंदी
2	बूंदी	हनुमन्त वाटिका
3	हिण्डोली	चतरगंज
4	के.पाटन	मांगली

5	के.पाटन	के.पाटन
6	इन्द्रगढ़	इन्द्रगढ़
7	नैनवां	नैनवां
8	नैनवां	तलवास

''हरित राजस्थान'' राज्य सरकार का प्रमुख संकल्प है अतः वृक्षारोपण के पुनीत कार्य में वन विभाग के साथ–साथ सभी ग्राम पंचायतों, राजकीय विभागों, उपक्रमों, शिक्षण संस्थाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। आमजन की इस योजना में भागीदारी सुनिश्चित् करने हेतु विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु वृक्षारोपण के लिये बड़े पौधों की माँग लगातार बढ़ती जा रही है। बाजार में उपलब्ध बड़े पौधों की दरें काफी ज्यादा होने के साथ–साथ उनकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं देखी गई है। अतः विभाग का दायित्व बनता है कि विभागीय स्थाई पौधशालाओं में विभिन्न प्रजातियों के बड़े पौधे तैयार कर वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराया जायें। बूंदी संभाग में बड़े पौधे तैयार करने की नई तकनीक अपनाकर पौध तैयारी हेतु मॉडल तैयार किये गये हैं। जिले की आवश्यकता का पूर्वकालिक निर्धारण कर समुचित मॉडल के अनुसार राशि का प्रावधान महानरेगा योजनान्तर्गत किया जाकर कार्य कराना अपेक्षित है।

स्थाई अथवा अस्थाई पौधशाला में वृक्षारोपण हेतु पौध तैयारी के सम्बन्ध में जारी विभागीय निर्देशों व विभिन्न प्रजातियों के संबध में उपलब्ध तकनीकी जानकारी की पालना के साथ निम्न बिन्दुओं पर भी विशेष ध्यान रखा जाये।

पौधशाला प्रबन्धन

- पौधशाला ऐसी जगह तैयार की जाये जहां मीठा पानी आसानी से उपलबध हो व सामग्री परिवहन आसान हो व चार–दीवारी जंतुरोधक हो। वर्तमान में जल संकट को मध्य नजर रखते हुए पौधशाला के अन्दर अथवा पौधशाला के आसपास वन क्षेत्र में जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाये कि आगामी वर्षा ऋतु तक वर्षा का जल पर्याप्त रुप से पौधशाला हेतु उपलब्ध होता रहे।

- पौध तैयारी हेतु बीज अथवा अन्य पुनर्जनन सामग्री मातृ वृक्ष से प्राप्त हो अथवा प्रामाणिक हो।

- बीजों को उनकी अधिकतम जीवितता (survival) काल में उपयुक्त वैज्ञानिक उपचारोपरान्त ही उपयोग लिया जाये। अजीवक्षम व पुराने बीजों का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाये। बीज विक्रेताओं से बीज क्रय करने में अजीवक्षम व पुराने बीजों के होने की संभावना अधिक होती है। अतः यथासंभव, स्थानिय क्षेत्र से बीज एकत्रित कर उपयोग में लिया जाना लाभकारी है। बीजों को उपयोग से पूर्व कम से कम उनकी अंकुरण क्षमता की जाँच पौधशाला में ही कर ली जाये।

- बीज बुवाई के बाद पॉलिथीन थैलियों में अंकुरित पौधों की सिंगलिंग (सामान्यतः अंकुरण के एक सप्ताह के अन्दर), खरपतवार की निराई (आवश्यकतानुसार, कम से कम माह में एक बार), थैलियों की पलटाई, बाहर निकली हुई जडों का कटान मय क्रमस्थापन (पौधों के 30 सेमी, 45 सेमी व बडा होने पर) सही समय पर किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

- पौधशाला में बहाव पद्धति से सिंचाई नहीं की जाये। झारे से पानी देना है। 20 मई के बाद की अवधि में पौघों में पानी दिये जाने की आवृत्ति धीरे धीरे कम कर दी जाये। प्रथम सप्ताह में दो दिन में एक बार पानी दिया जाये जिसे दस दिन बाद में तीन दिन में एक बार कर दिया जाये।

- पौध तैयारी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से इस प्रकार किया जाये कि रोपण के वक्त पौधों के कॉलर की मोटाई मध्यमा अंगुली से अधिक हो तथा पौधों की ऊँचाई कम से कम 45 सेमी हो। हाल के वर्षों में क्लस्टर योजना से कार्य करने तथा अनेक वर्षों की योजना एक साथ ही निर्धारित होने के कारण, अनेक वर्षों की पौध तैयारी की योजना बनाना आसान है। अग्रिम क्लोजर क्रिया विधि के कारण इसमें और अधिक सुविधा हो जाती है।

- वृक्षारोपण से अनुकूलन के लिये पौधों को वृक्षारोपण स्थल पर उपयुक्त छाया व पानी की व्यवस्था के साथ स्थानान्तरित किया जाये। इस स्थान पर पौधों को धीरे–धीरे छाया व पानी की उपलब्धता को कम करते हुए परिस्थिति के अनुकूल पनपने के लिये कठोर बनाया जाये।

- पौधशाला में अत्यधिक गर्मी से बचाव हेतु आवश्यक छाया–पानी का प्रबन्ध अनिवार्यतः होना चाहिये।

- पौधशाला से वृक्षारोपण स्थल तक और फिर वृक्षारोपण क्षेत्र में संग्रहण स्थल से खड्डे तक पौधों के परिवहन को गंभीरता से लेते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि इस प्रक्रिया में पौधों का पिंड टूटने व बिखरने न पाये और पौधों की जड़ को क्षति नहीं हो।

- मातृ क्यारी में तैयार किये जा रहे स्कंधों में अंकुरण के बाद सप्ताह भर में अंतरालीकरण का ध्यान रखा जाये। इस क्यारी से रुट–शूट कटिंग निकालने में तथा पौधों को थैलियों में स्थानान्तरित करने की प्रक्रिया में पूर्ण एवं पर्याप्त सावधानी बरती जाये।

- वृक्षारोपण हेतु पौधों के परिवहन के साथ ही आगामी पौध तैयारी हेतु कार्य प्रारम्भ कर दिया जाये।

11.7.5 बाडबन्दी :

सर्वप्रथम चयनित क्षेत्र को निर्धारित माप की पत्थर की दीवार अथवा खाई फेन्सिंग बनाकर सुरक्षित किया जायेगा। बाडबन्दी पर दीवार के अंदर की ओर अथवा खाई के टीले पर कांटेदार प्रजातियों का बीजारोपण कर उसे सुदृढ किया जायेगा।

- प्रमुख प्रजातियां के समस्त मृतप्रायः, रोगी, विकृत वृक्षों का प्रतिकर्तन किया जायेगा।

- अवैध कटान से प्रभावित समस्त ठूंठों व स्कन्धों को विधिवत् कॉपिस किया जायेगा। समस्त काटे हुए ठूंठों को तराश कर प्रतिसाधित किया जायेगा।

- कॉपिस एवं प्रतिकर्तन कार्य करने के एक वर्ष बाद माह अक्टूबर से मार्च की अवधि में, स्थूण स्कंध से उपजे अनेक प्ररोहों में से सबसे सीधे व स्वस्थ दो प्ररोहों को प्रतिधारित करते हुए शेष को हटाया जायेगा।

- दो वर्ष बाद माह अक्टूबर से मार्च की अवधि में, प्रतिधारित दो स्थूल प्ररोहों मे ंसे सबसे बड़े, स्वस्थ व सीधें प्ररोह को प्रतिधारित कर अन्य को हटाया जायेगा।

- पुनर्जनन को प्रोत्त्साहित व स्थापित करने हेतु उनकी वृद्धि में बाधक, हारसिंगार, लेन्टाना, जूलीफ्लोरा आदि झाडियों को समूल हटाया जायेगा।

- उपरोक्त के अलावा किसी प्रकार का विदोहन का कार्य नहीं किया जायेगा।

- समस्त क्षेत्र में सतही भू–स्थलाकृति व जलप्रवाह के अनुसार समूचित मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य किये जायेंगे। संरचनाओं के निर्माण से संबंधित आवश्यक विनियम भू जल संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त के अध्याय में वर्णित है।

- प्राकृतिक पुनर्जनन बहुलता वाले क्षेत्र को पूर्ण प्रभावी सुरक्षा प्रदान की जायेगी।

- रिक्त स्थानों में आर्थिक महत्त्व के स्थानीय वनस्पति में उपलब्ध प्रजातियों को रोपित किया जायेगा।

- पत्थर की सीमित उपलब्धता के कारण सामान्यतः वृक्षविहीन क्षेत्रों में खाई फेन्सिंग ही अधिकांशतः की जाती है। अतिक्रमित क्षेत्र को विभागीय संरक्षण में लेकर वृक्षारोपण करने तथा सुरक्षित करने हेतु भी इस प्रकार यांत्रिक उपकरणों के सहयोग से बाडबन्दी की जा सकती है।

- पत्थर की दीवार के बाहर की ओर नियमित अंतराल में तथा खाई के टीले पर अन्दर और बाहर की ओर की पंक्ति में नियमित अंतराल में स्थानीय कांटेदार प्रजातियों के बीज रोपित किये जाये।

- खाई पर रोपित स्थानीय प्रजातियों की कतार के मध्य में द्वितीय वर्ष में नीम, बेर, देशी बबूल, कूमठा जैसे प्रजातियों के बीज रोपित किये जाये। पुरानी बाडबन्दी को भी मरम्मत कर स्थानीय प्रजातियों के और बीज रोपित कर मजबूती प्रदान की जाये। सीमान्त क्षेत्र तथा आबादी के निकट के क्षेत्र में बाड़बन्दी पर यदि आवश्यकता हो तो विलायती बबूल के बीज का रोपण भी किया जाये।

- उपरोक्त वर्णित बाडबन्दी के अन्दर की ओर बाडबन्दी के समानान्तर कम से कम दो पंक्तियों में 45 सेमी 45 सेमी की सतत् ट्रेंच, 1 मी. के अंतराल पर खोदकर इनके टीले पर भी उपरोक्तानुसार कांटेदार प्रजातियों के बीज प्रचुरता से लगाये जाये।

- इससे क्षेत्र को लम्बे अंतराल तक सुरक्षित रखना संभव हो सकेगा।

11.7.6 अग्रिम मृदा कार्य

इस संबंध में व्यापक तौर पर विभागीय निर्देश जारी किये गये है। निर्देशों की प्रभावी पालना की जाये। इस हेतु निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जाये :

- तीव्र व खड़ी ढलान वाले किसी भी पहाड़ी अथवा नाला या जलप्रवाह मार्ग के किनारे वाले क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य नहीं किया जाये।

- प्रतिवर्ष वर्षा प्रारम्भ होने से पूर्व 15 मई तक समस्त प्रकार के अग्रिम मृदा कार्य अनिवार्यतः पूर्ण कर लिये जाये ताकि मिट्टी के कीटाणु व अन्य हानिकारक जीवाणु भी धूप से नष्ट हो जाते हैं जिससे वृक्षारोपण कार्यों में सफलता अधिक मिलती है।

- 30 सेमी से कम गहराई वाली मृदायुक्त स्थानों पर समोच्च ट्रेंच व वृक्षारोपण हेतु खड्डे नहीं खोदे जाये। ऐसे स्थानों में 15 सेमी गहरी समोच्च खतिका बनाकर घास के बीज छिड़के जाये अथवा नोचिंग पद्धति से ढाक, बेर, नीम, कुमठा आदि प्रजातियों का बीजारोपण किया जाये। घास के गुच्छे भी रोपित किये जा सकते है। यह कार्य मानसून की पहली फुहार के बाद शुरु करवाया जाये।

- 45 सेमी से अधिक गहराई वाली मृदायुक्त स्थानों में समोच्च ट्रेंच व वृक्षारोपण हेतु खडडें खुदवाये जाये। ढलान के अनुसार समोच्च ट्रेंच की आपसी दूरी तथा खडडों के अभिन्यास निश्चित किया जाये।

- समतल व कम ढलान वाली भूमि सतह पर समोच्च वी डिच का निर्माण किया जाये।

- अधिकाधिक जल संचय हेतु खड्डों को सांतर (Staggered) खोदा जाये जिससे उपर के थाँवलों से बचा जल निचले थाँवलो में एकत्रित हो जाये।

- वर्षा ऋतु मे रोपित किये जाने वाले पौधो हेतु गड्डे स्टेर्गड पैर्टन मे माह फरवरी से मार्च तक खुदवा लिए जाने चाहिए। प्रत्येक गड्डे की माप व गड्डे से गड्डे की दूरी वृक्षारोपण हेतु काम मे लिए जा रहे मॉडल के अनुसार होगी।

11.7.7 मृदा का उपचार

रोपित पौधों की उपयुक्त वृद्धि हेतु समोच्च ट्रेंच व वी डिच के टीले की मृदा को तथा खड्डों की मृदा को पौधारोपण व बीजारोपण से पूर्व आवश्यकता अनुसार रासायनिक

उर्वरक जैसे डी.ए.पी., एस.एस.पी. अथवा कम्पोस्ट को समुचित मात्रा में मिश्रित कर उपचारित अवश्य किया जाये। मृदा में दीमक या अन्य कीट पाये जाने पर उनके निवारण हेतु दवाई का उपयोग किया जाये। पौधारोपण के बाद, वर्षा के समय, थोड़ी मात्रा में यूरिया देकर पौधे को वृद्वि में सहायता प्रदान की जाये।

11.7.8 मृदा एवं जल संरक्षण कार्य

इस संबंध में विस्तार से विवेचन भू–संरक्षण तथा पुनर्वास कार्य वृत्त में किया गया है। व्यापक तौर पर विभागीय निर्देश भी उपलब्ध हैं। तदानुसार कार्य किया जाये। जहां पत्थरों की उपलब्धता सीमित हो वहां मृदा से निर्मित व वानस्पतिक संरचनाओं को प्राथमिकता दी जाये।

11.7.9 वृक्षारोपण कार्य

इस संबंध में व्यापक तौर पर विभागीय निर्देश जारी किये गये है। निर्देशों की प्रभावी पालना की जाये। इस हेतु निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जाये :

- स्थाई अथवा अस्थाई पौधशाला में तैयार पौधों को प्राकृतिक वातावरण से अनुकूलित करने के लिये पौधों को वृक्षारोपण स्थल पर उपयुक्त छाया व पानी की व्यवस्था के साथ स्थानान्तरित किया जाये। इस स्थान पर पौधों को धीरे धीरे छाया व पानी की उपलब्धता को कम करते हुए परिस्थिति के अनुकूल पनपने के लिये कठोर बनाया जाये।

प्रथम वर्षा के साथ ही अभियान स्वरुप कार्य कर समस्त पौधे निर्धारित उपयुक्त स्थान पर रोपित कर दिये जाये, यह सुनिश्चित करने के लिये यथासंभव वृक्षारोपण से एक दिन पूर्व पौधों को उनके नियत खड्डे पर रखा जाये, जिसे स्वयं क्षेत्रीय वन अधिकारी अथवा वनपाल स्तर के अधिकारी चैक करे। इससे पौधों के अनुपयुक्त स्थान पर रोपित किये जाने की संभावना कम होगी।

पौधारोपण हेतु सर्वप्रथम खड्डे के बाहर पड़ी मृदा में से कंकर–पत्थर अलग कर लिये जावें व खड्डे में बी.एच.सी. पाउडर छिड़क दिया जावे। तद्पोरान्त जिस पौलिथीन बेग में पौधा है उसको इस प्रकार पकड़े कि पौधे के मृदा का पिण्ड न टूटे इसके लिये उचित यह होगा कि उसे थैली को पहले क्लोरोपायरी–फोस उचित मात्रा के पानी मे मिले हुए घोल मे डुबा लिया जावे, तदुउपरान्त पौलिथीन थैली मे एक खड्डा कटान लगा कर पौलिथीन थैली को हटा लिया जावे। पोधे को फिर खड्डे में इस प्रकार

खडा रखा जावे कि पौधे का कॉलर भूमि के सतह के लगभग 10 से.मी. नीचे रहे। फिर खड्डा को मृदा से भरकर मृदा को अच्छी तरह दबाया जावें , पौधे का थांवला बना कर 30 लीटर पानी पौधें को पिलाया जावें।

11.7.10 बीजारोपण हेतु प्रजातियों का चयन

जिले में वनक्षेत्र की परिस्थिति विशेष के अनुसार निर्धारित उपचार विधि व उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बीजारोपण हेतु विभागीय निर्देशों की पालना के साथ निम्न बिन्दुओं पर भी विशेष ध्यान रखा जाये :

- चयनित क्षेत्र की बाडबन्दी पर दीवार के अन्दर एवं खाई के टीले पर दोनों किनारो पर तथा समानान्तर ट्रेंचों पर पंक्तिबद्ध नियमित अंतराल में कुमठा, रतनजोत व अरण्डी के बीज लगाये जाये। एक वर्ष उपरान्त बीच के स्थान में एवं खाई के टीले के ऊपर नीम, बेर, कूमठा, देशी बबूल जैसी प्रजातियों के बीज रोपित किये जाये।

- कम मृदायुक्त पहाडी के समान्य ढलान पर 15 सेमी गहरी समोच्च खतिका बनाकर घास के बीज छिडके जाये अथवा नोचिंग पद्धति से ढाक, बेर, नीम, कुमठा आदि प्रजातियों का बीजारोपण किया जाये। घास के गुच्छे भी रोपित किये जा सकते है।

- पत्थरीले क्षेत्र में जहां अग्रिम कार्य व वृक्षारोपण संभव नही है, वहां कम मृदा में पनपने वाली प्रजाति जैसे बड, पीपल, गूलर, खिरनी, बेलपत्र, नीम, आदि के बीजो की मिट्टी व खाद से बनी गोलियों का व्यापक छिड़काव वर्षा प्रारम्भ होने से पूर्व के काल में सामान्यतः माह जुलाई के प्रथम व द्वितीय सप्ताह में कम से कम तीन वर्ष तक किया जाये।

- वृक्षारोपण कार्यवृत्त के क्षेत्रों में समोच्च ट्रेन्च व वी डिच के टीले पर अरण्डी, खैर, बेर, नीम, ढाक तथा समोच्च ट्रेन्च व वी–डिच के अन्दर ढाक के बीज रोपित किये जाये। मृदा की स्थिति व स्थानीय मांग के अनुसार धामण, सेवण, स्टाईलो हमाटा व करड़ घास के बीज समोच्च खतिका बनाकर लगाये जाये अथवा गुच्छों में घास पूर्ण क्षेत्र में लगाई जाये।

- सीमान्त व आबादी के निकट के क्षेत्र में समोच्च ट्रेन्च व वी डिच के टीले पर रतनजोत, अरण्डी, खैर, बेर, नीम, कुमठा, रोंझ, देशी बबूल, अरडू, तथा समोच्च ट्रेन्च व वी–डिच के अन्दर ढाक, अन्य छायादार वृक्षों के बीज रोपित किये जाये। मृदा की स्थिति व

स्थानीय मांग के अनुसार धामण, सेवण, स्टाईलो हमाटा व करड घास के बीज समोच्च खतिका बनाकर छिडकाव किया जाये अथवा गुच्छों में घास पूर्ण क्षेत्र में लगाई जाये।

11.7.11 कृत्रिम पुनर्जनन की अन्य विधियां

जिले के वनों में पाये जाने वाली कुछ प्रजातियों का पौधारोपण व बीजारोपण के अलावा निम्न विधियों से भी कृत्रिम पुनर्जनन का प्रयास किये जा सकते है :

I. **स्थूण रोपण विधि**

इस विधि में चुनिन्दा प्रजाति के स्थूण काटकर उनके मोटे सिरे पर मूल विकास हेतु हारमोन लगाकर वर्षा के प्रारम्भ के साथ ही सीधे ही क्षेत्र में ट्रेंच के टीले पर नियमित अंतराल पर लगाया जाता है। विशेषकर कडाया तथा सालर को इस विधि से लगाया जा सकता है।

II. **रुट–शूट कटिंग विधि**

इस विधि में पौधशाला में मातृक्यारी में तैयार पौधों को पेन्सिल की मोटाई अर्जित करने पर उसके उपरी भाग तथा जड़ों को काटकर रुट–शूट कटिंग तैयार की जाती है जिसे पोलीथीन थैलियों में और विकसित कर अथवा सीधे ही क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। विशेषकर सालर, शीशम, पीपल आदि को इस विधि से रोपित किया जा सकता है।

III. **बीजोत्पत्ति प्राकृतिक पुनर्जनन को स्थानान्तरित कर**

इस विधि में चयनित क्षेत्र अथवा उसके आस पास ही बहुतायत में उपलब्ध बीजोत्पत्तित प्राकृतिक पुनर्जनन को मृदा सहित जड़ों को सुरक्षित रखते हुए, क्षेत्र में सीधे ही रोपित किया जाता है। परन्तु यह कार्य प्राकृतिक पुनर्जनन की प्रारम्भिक अवस्था में ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है। प्राकृतिक पुनर्जनन के अधिक बढ़ जाने पर इस विधि का प्रयोग करना वर्जित है।

11.7.12 रोपित व बीजोत्पत्तित पौधों का संधारण

रोपित पौधों व बीजारोपण से उत्पन्न पौधों के संबंध में जारी विभागीय निर्देशों की पालना के साथ निम्न बिन्दुओं पर भी विशेष ध्यान रखा जाये :

- रोपण के तत्काल बाद, रोपित पौधों के आस पास निर्देशानुसार वर्षा जल संचित करने हेतु अर्धचन्द्राकार थाँवला ढलान के लम्बवत् बनाया जाये। पौधारोपण के साथ साथ ही थाँवला निर्माण भी प्रारम्भ कर दिया जाये।

- थांवले पर स्थान विशेष के अनुसार ही बीज लगाये जाये।

- जिले में वर्षा अधिक व लम्बे अंतराल तक होने के कारण पौधारोपण के पन्द्रह से बीस दिन के अंतराल के बाद प्रथम निराई की जाये। इसके बाद एक–एक माह के अंतराल में निराई की जाये। सर्दियों में वर्षा होने पर माह फरवरी में एक निराई और की जाये। द्वितीय वर्ष में कम से कम तीन, तृतीय व चतुर्थ वर्ष में दो तथा पंचम वर्ष में कम से कम एक बार निराई की जाये।

- प्रथम व द्वितीय निराई के समय यदि कोई रोपित पौधा मृत पाया जाता है तो उसे अविलम्ब नवीन पौधे से बदला जाये।

- वर्षा का दौर थमने पर भूमि सतह की नमी जमीन में दो इंच तक नीचे उतरने की दशा में नमी संरक्षण हेतु पौधो के आसपास गुड़ाई का कार्य आवश्यकता अनुसार किया जाये। सामान्यतः जिले के क्षेत्र में द्वितीय व तृतीय निराई व माह फरवरी में की गई निराई के साथ ही गुड़ाई का कार्य किया जाये।

- अकाल पड़ने पर अथवा समय पर वर्षा नही होने पर अथवा अल्पवृष्टि होने पर पौधों के मृदापिण्डों को पूर्ण भिगोकर खड्डों में गहरा रोपित किया जाये। सामान्य परिस्थितियों में भी इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इससे समस्त वर्षा का लाभ पौधे को मिलेगा। वर्षा का दौर थमने पर भूमि सतह की नमी जमीन में दो इंच तक नीचे उतरने की दशा में नमी संरक्षण हेतु पौधो के आस पास गुडाई का कार्य आवश्यकता अनुसार किया जाये। पौधों की सिंचाई करने पर भी गुड़ाई का कार्य समय पर ही किया जाये।

- प्रथम निराई व द्वितीय निराई व प्रथम गुड़ाई के बाद रोपित पौधों को यूरिया उवर्रक की थोड़ी मात्रा दिया जाना पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। द्वितीय वर्ष में तथा तृतीय वर्ष में भी प्रथम निराई के बाद यूरिया की थोडी मात्रा दी जाये।

- निराई गुड़ाई की क्रिया के दौरान अथवा अन्यथा भी, पौधों में कीडे लगने अथवा किसी रोग आदि के लक्षण दिखाई दे, तो निवारण के आवश्यक कदम उठाये जाये।

- बाड़बन्दी तथा समोच्च ट्रेंच, वी डिच व समोच्च खतिका पर बीजोत्पत्ति अरण्डी, नीम, ढाक, बेर, देशी बबूल आदि अन्य प्रजातियों के पौधों में एक वर्ष उपरान्त माह अक्टूबर से माह फरवरी की अवधि में अति नजदीक छोटे पौधों को हटाकर, पौधों में आपसी अंतराल बढ़ाया जाये जिससे कि पौधे सही प्रकार विकास कर सके।

- प्रथम वर्ष में माह जनवरी–फरवरी में क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण कर मृत पौधों को चिन्हित किया जाये तथा मृत पौधों के स्थानानुसार उपयुक्त प्रजाति के पौधों की तैयारी प्रारम्भ की जाये। आगामी वर्षा के आगमन के साथ ही मृत पौधों का बदलाव किया जाये।

- एक वर्ष उपरान्त द्वितीय व तृतीय वर्ष में माह अक्टूबर से माह फरवरी की अवधि में पौधों पर विधि व आवश्यकता अनुसार विशाखन अथवा शाखकर्तन का कार्य किया जाये। इसमें यह ध्यान रखा जाये की नीचे की ओर की एक तिहाई भाग में ही शाखाएं कर्तन की जाये।

- फलदार प्रजाति के पौधों पर उन्नत किस्म की पौध सामग्री की ग्राफ्टिंग अथवा बडिंग का कार्य तकनीकी दक्षता उपलब्ध होने पर किया जा सकता है। ऐसे पौधों का संधारण उनके लिये स्थापित तकनीकी विधि की जानकारी कर तदानुसार किया जाये।

11.8 वृक्षारोपण कार्यक्रम

प्रत्येक चयनित क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम कम से कम दस वर्ष की अवधि का यथासम्भव निम्नानुसार कार्यों को समाविष्ठ करते हुए तैयार किया जाये :

शुन्य वर्ष	आयोजना वर्ष	क्षेत्र का चयन, सूक्ष्म नियोजन, साझा वन प्रबन्धन हेतु समिति का गठन, उपचार योजना हेतु सर्वेक्षण, आंकड़ों का संग्रहण, उपचार योजना की तैयारी, तकनीकी अनुमान की तैयारी आदि
प्रथम वर्ष	अग्रिम क्लोजर वर्ष	बाडबन्दी, समस्त क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य (वर्षा से पूर्व), उपलब्ध वनस्पति का प्रतिकर्तन कटबैक आदि, सहायक वन संवर्द्धनिक कार्य, तेन्दू व सालर पर कर्षण कार्य, मृदा उपचार कार्य, समस्त बीजारोपण कार्य, उपलब्ध प्राकृतिक पुनर्जनन के

		विकास हेतु संधारण कार्य, आंशिक अग्रिम खड्डा खुदाई कार्य (वर्षा के उपरान्त) आदि।
द्वितीय वर्ष	वृक्षारोपण वर्ष	मृदा उपचार कार्य, बकाया समस्त खड्डा खुदाई कार्य (वर्षा से पूर्व), पौधारोपण कार्य, क्षेत्र की सुरक्षा व मृदा जल संरक्षण कार्य के कारण प्रस्फुटित मूल स्कंधों पर उपचार व सहायक वन संवर्द्धनिक कार्य, प्राकृतिक पुनर्जनन के विकास हेतु संधारण कार्य, सालर पर कर्षण कार्य, बाढ़बन्दी पर नीम, देशी बबूल, कुमठा, ढाक आदि का बीजारोपण कार्य, अल्प अंकुरित बीजारोपण क्षेत्र में पुनः बीजारोपण कार्य सालर पर कर्षण कार्य आदि।
तृतीय वर्ष	प्रथम वर्ष संधारण	मृत पौधों का बदलाव, पौधों का संधारण कार्य, बाडबन्दी संधारण कार्य, बीजोत्पत्ति पौधों में अंतरालीकरण का कार्य, मूल स्कंधों पर उपचार व सहायक वन संवर्द्धनिक कार्य, सालर पर कर्षण कार्य आदि।
चतुर्थ वर्ष	द्वितीय वर्ष संधारण	पौधों का संधारण कार्य, बाडबन्दी संधारण कार्य, बीजोत्पत्ति पौधों में अंतरालीकरण का कार्य, मूल स्कंधों पर उपचार व सहायक वन संवर्द्धनिक कार्य, सालर पर कर्षण कार्य आदि
पंचम वर्ष	तृतीय वर्ष संधारण	पौधों का संधारण कार्य, बाडबन्दी संधारण कार्य, मूल स्कंधों पर उपचार व सहायक वन संवर्द्धनिक कार्य, सालर पर कर्षण कार्य आदि

11.9 विविध विनियमन

11.9.1 पूर्व के वृक्षारोपण व क्लोजर्स के संबंध में

कार्य वृत्त में सम्मिलित अधिकांश क्षेत्र में विगत वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत वृक्षारोपण कार्य, क्लोजर निर्माण कार्य, अकाल राहत आदि के अंतर्गत बाडबन्दी कार्य

कराये गये हैं। इन क्षेत्रों का उपरोक्त वर्णित उपचार विनियमों व विधि के अनुसार ही क्षेत्र में कार्य कराया जायेगा। वृक्षारोपण पंजिका में इस बात का अनिवार्य रुप से उल्लेख होना चाहिए कि वृक्षारोपण किस कक्ष (संविभाग) और उसके कौन से भाग में स्थित है। इसके अलावा पुराने वृक्षारोपण को 15 वर्ष के बाद पुनः वृक्षारोपण हेतु लिया जाता है तब असफल वृक्षारोपण क्षेत्रों को भी उप वन संरक्षक की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राजस्थान, जयपुर की अनुमति से पुनः वृक्षारोपण हेतु लिया जा सकता है ।

11.9.2 वृक्षारोपण पंजिका का संधारण

प्रत्येक चयनित क्षेत्र हेतु विभागीय निर्देशों के अनुरुप पृथक वृक्षारोपण पंजिका का नियमित संधारण अनिवार्यतः किया जाये। इस पंजिका में आगे वर्णित क्षेत्र के विभिन्न प्राचलों के आंकलन व मूल्यांकन से प्राप्त आंकडे व विवेचना को भी अंकित किया जाये। वृक्षारोपण पंजिका में इस बात का भी अनिवार्य रुप से उल्लेख होना चाहिए कि वृक्षारोपण किस कक्ष में (संविभाग) और उसके कौन से भाग में स्थित है। वर्तमान में वृक्षारोपण पंजिका में ऐसी प्रविष्टियों का अभाव देखा गया है।

11.9.3 अतिक्रमित क्षेत्र

कार्य वृत्त में सम्मिलित क्षेत्र में अनेक स्थानों में वन सीमा पर पट्टी के रुप में नदी, नालों व जलप्रवाह मार्गों के आस पास तथा वन क्षेत्र में छितरे व बिखरे हुए रुप में कृषि योग्य भूमि पर छोटी छोटी जोत के आकार में वन क्षेत्र अतिक्रमित है। इन अतिक्रमणों को नियमानुसार बेदखल किया जाकर क्षेत्र को उसके वर्गीकरण के अनुसार उपचारित किया जायेगा। बेदखल करने से पूर्व अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी – वनाधिकार मान्यता – अधिनियम 2006 व नियम 2008 के प्रावधनों की पूर्ण पालना की जायेगी।

11.9.4 चराई

उपचारित क्षेत्र में चराई पूर्ण वर्ष निषिद्ध रखी जायेगी। अवैध कटान व अन्य जैविक दबाव पर पूर्ण अंकुश रखा जायेगा।

11.9.5 घास कटाई व निकासी

क्षेत्र में स्थानीय उपयोग हेतु घास कटाई व निकासी का कार्य घास के बीज विसर्जन एवं बीज एकत्रीकरण के बाद ही किया जायेगा। घास चराई पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। क्लोजर के एक वर्ष बाद ही घास काटने व निकासी की स्वीकृति दी जायेगी। वह भी घास का बीज भूमि पर गिर जाने के उपरान्त (माह अक्टूबर के बाद)।

11.9.6 अग्नि सुरक्षा

समस्त कार्यवृत्त को अग्नि से सुरक्षित रखा जायेगा। इस हेतु अग्नि रेखा पट्टी का निर्माण तथा रख रखाव किया जायेगा। अग्नि की घटनाओं पर निगरानी हेतु ग्रीष्म काल में विशेष व्यवस्था की जायेगी। पुनर्जनन क्षेत्र की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

11.9.7 अधिकार व रियायतें

उपचारित क्षेत्र में व्याप्त समस्त अधिकार व रियायतों के अनुप्रयोग कार्य आयोजना में किये गये प्रावधानों के अधिनस्थ रहते हुए किये जायेंगे।

11.9.8 सूचना पट्ट

विभागीय निर्देशों के अनुसार प्रत्येक क्लोजर में प्रमुख सुलभ स्थानों पर सुलभ दृश्य पटल लगाये जायेगे। अन्य के अतिरिक्त इन सूचना पट्टों पर वनखण्ड व संविभाग कक्ष का विवरण, क्षेत्र में उपचार के लिये किये गये प्रावधान, संक्षेप में क्षेत्र में प्रतिबंधित कार्य, स्थानीय जनता से अपेक्षित सहयोग की अपील को भी विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

11.9.9 निरीक्षण पथ

क्षेत्र में क्लोजर बनने व बाड़बन्दी के साथ ही निगरानी, सुरक्षा व निरीक्षण हेतु निरीक्षण पथ का निर्माण इस प्रकार किया जायेगा कि समस्त क्षेत्र को अच्छी तरह देखा जा सके। यह निरीक्षण पथ अग्नि सुरक्षा पट्टी का भी कार्य करेगा। अतः इसे वनस्पति रहित रखा जायेगा।

11.9.10 कार्य आयोजना क्षेत्र में विभाग के वन चौकी, नाके, रेंज मुख्यालय, नर्सरी परिसरों में भी अधिक से अधिक छायादार, फूलदार व फलदार पौधें लगाए जाकर वृक्षकुंज बनाए

जाने चाहिए ताकि न केवल परिसर हरा–भरा रहे बल्कि आमजन को भी इससे प्रेरणा मिलती रहे।

सम्मिलित क्षेत्र व क्षेत्र आवंटन

'राजस्थान स्टेट फोरेस्ट्री एक्शन प्लान' से लिये गये आंकड़ों पर उक्त सूचना से स्पष्ट होता है कि वन क्षेत्रों में चारा ईधन एवं ईमारती लकड़ी की मांग एवं आपूर्ति में अन्तर हैं, जिसे पाटने के लिए न केवल वन क्षेत्रों में ही उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किये जाये अपितु सामूहिक पड़त भूमि/गोचर भूमि एवं चारागाह भूमि पर भी वनीकरण को प्रोत्साहित करना आवश्यक हैं इतना ही नहीं कृषि भूमि पर भी कृषि वानिकी एवं लघु ईमारती लकड़ी एवं रोजमर्रा की ईधन आपूर्ति हेतु मेढ़ों पर चारा/ईधन देने वाली प्रजातियों का रोपण करने की आवश्यकता महसूस की गई है। बूंदी जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 5776 वर्ग कि.मी है एवं वन क्षेत्र 1435 वर्ग कि.मी. है जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.84 प्रतिशत है। जिले में चम्बल के खाल–दड्डों (Ravinous Land) की पड़त भूमि (Waste Land) काफी उपलब्ध हैं बूंदी जिलें में उपलब्ध वन क्षेत्रों का पुनर्जनन कर उन्हें सघन बनानें की तथा वृक्षारोपण तथा वृक्षों की वृद्धि करने की विपुल सम्भावना है। इसके अतिरिक्त केशवराय पाटन तथा इन्द्रगढ़ रेंज के कुछ वनखण्डों का क्षेत्र चम्बल नदी का जल ग्रहण क्षेत्र बनाता है। जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा एवं भू संरक्षण कार्य तथा नालों में डेन लाईन उपचार तथा अभियांत्रिकी गतिविधियां जैसे चेकडेम्स, गली प्लगिंग, कन्टूर डायक्स, कन्टूर स्ट्रेगर्ड ट्रेन्चेस, वी–डिचेज आदि कार्य कराये जावेंगे। वर्ष 1985–86 से विश्व बैंक की सहायता से राज्य में क्रियान्वित की गई राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत जिलें में सामाजिक वानिकी एवं कृषि कार्यो को क्रियान्वित किया जाकर कार्यो को और गतिशील बनाया गया। इसके उपरान्त 'समुद्र पारीय आर्थिक सहयोग विधि' (ओ,ई.सी.एफ.) जापान के सहयोग से राज्य में क्रियान्वित की गई "वानिकी विकास परियोजना" के अन्तर्गत बूंदी जिलें में वानिकी कार्यो का क्रियान्वयन किया गया। जिलें में यह प्रयास हुए हैं कि किन्तु जिलें में भूमि की अच्छी उपजाऊ किस्म एवं अच्छी वर्षा को देखते हुए जिले में सफल वृक्षारोपण किये जाकर जिलें में वृक्षाच्छादित क्षेत्र में अभिवृद्धि करने में विपुल सम्भावना हैं जिसे आयोजना प्रस्तावों में विस्तार से प्रस्तावित किया जा रहा हैं। इस कार्य आयोजना काल में 8000 हैक्टेयर क्षेत्र में कार्य करवाया जाना है, और प्रतिवर्ष अगले 10 वर्षो तक 800 है. क्षेत्र की साईटों का चयन मण्डल वन अधिकारी स्वविवेक से करेंगे। किस वित्तीय वर्ष में

किस साईट का चयन किया जाना हैं यह निर्णय उप वन संरक्षक, बून्दी के विवेकानुसार होगा।

11.10 राडियों का पुनर्रोद्धार

बून्दी में वन एवं राजस्व भूमि पर काली मृदा के क्षेत्र है, जहां प्राकृतिक रूप से देशी बबूल के सघन वन हुआ करते थे। इन क्षेत्रों को स्थानीय भाषा में राडी कहा जाता है। वन मण्डल बून्दी के वन क्षेत्रों में राड़ियाँ के 5 क्षेत्र है जिसमें कुल 124 हेक्टेयर है। इनके अलावा राजस्व क्षेत्र में भी राड़ियाँ है। इन राड़ियों में देशी बबूल के सघन वन होते थे, जिनसें स्थानीय ग्रामीणों को जलाऊ लकड़ी, ईमारती लकड़ी पशुओं को चारा प्राप्त होता था, इसलिए ग्रामीण इनकी सुरक्षा भी करते थे। समय परिवर्तन के साथ व्यक्तिगत स्वार्थों ने इन राड़ियों को क्षति पहुँचाई।

क्र. सं.	रेंज का नाम	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड में राडी का क्षेत्रफल (है0 में)
1.	डाबी	लाम्बाखोह	5.00
		घनेश्वर	2.00
		गंवार	15.00
2.	बूंदी	गोबरिया राडी	2.00
3.	इन्द्रगढ	गढवाला	100.00
		कुल	124.00

वर्तमान में इन क्षेत्रों में पेड़ो का घनत्व कम हो गया है अतः इनका पुनः विकास किया जाना आवश्यक है। इन राड़ियों का विकास निम्ननानुसार किया जाना है।

- **राड़ियों के परिभ्रांषित होने के कारण :**

राड़ियों से जलाऊ लकड़ी काटना, मवेशी को चारे के लिए छँगाई करना, दाह संस्कार हेतु वृक्ष काटना, मृत पौधों के स्थान पर पुनः पौधे नहीं लगाना तथा राड़ियों की भूमि कठोर होने के कारण प्राकृतिक रूप से बीजों का अंकुरण होकर विकसित न होने से राड़ियों में वृक्ष घनत्व कम हुआ है।

राड़ियों के विकास की प्रणाली :

राड़ियों के विकास के लिए इन क्षेत्रो में भू–संरक्षण, पुर्नवासन के कार्य तथा देशी बबूल का सघन बीजारोपण किया जायें। राड़ी की सुरक्षा हेतु क्षेत्र की बाड़बंदी की जावें। यदि

राड़ी क्षेत्र में वृक्ष कम हो तो राड़ी की कठोर मिट्टी को ट्रेक्टर से जोत कर ढ़ीला किया जावें। अन्यथा राड़ी क्षेत्र में ट्रेंच, फरोज, खड्डे आदि खोदे जावें और वृक्षारोपण विकास की तरह राड़ी को भी विकसित किया जावे। राड़ियों में देशी बबूल के अलावा ग्रामीणों के उपयोग के पौधे लगाये आदि ताकि उनकी सुरक्षा ग्रामीणों द्वारा की जाती रहै। ये कार्य वन सुरक्षा समिति के माध्यम से करवाये जावें।

ग्रामीणों/वन सुरक्षा समितियों को वन भूमि के साथ–साथ राजस्व भूमि पर स्थित राड़ियों के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जावे।

11.11 वित्तीय पूर्वानुमान :

- योजना अवधि में कार्य वृत्त में सम्मिलित कुल 30122.23 हैक्टर वन क्षेत्र में से 8000 हैक्टर क्षेत्र को उपचारार्थ लिया जाना प्रस्तावित किया गया है । उपवन संरक्षक द्वारा क्षेत्र का चिन्हीकरण (site selection) किया जायेगा। जिसमें प्राथमिकता उन क्षेत्रों को दी जावेगी जहां खनन प्रभावित है।
- कार्यवृत्त के क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य पर व्यय चयनित क्षेत्र की स्थिति, कार्य की मात्रा, प्रकृति और अनेक तात्कालिक कारकों पर निर्भर है। अतः कार्यवृत्त के अधीन क्षेत्र के पूर्ण उपचार पर होने वाले व्यय का सही सही आंकलन करना संभव नहीं है। परंतु आयोजना की दृष्टि से क्षेत्र के उपचार पर वर्तमान श्रमिक व सामग्री दरों पर 50 हैक्टर की चयनित इकाई में निम्नानुसार न्यूनतम व्यय प्रस्तावित है।
- कार्यवृत्त अधीन क्षेत्र के कुल 8000 हेक्टेयर क्षेत्र के उपचार हेतु लगभग 3418 लाख रूपये का व्यय होना है। यह गणना अनुमान लगाने हेतु की गई है, वास्तविक व्यय उस समय के प्रचलित मापदण्डों, मॉडल व दरों के अनुसार होगा।
- वृक्षारोपण प्रबंधन वृत में 2000 हैक्टर क्षेत्र के उपचार के लिए औसतन रुप से आरडीएफ–I मॉडल के अनुसार कार्य कराना प्रस्तावित है जिस पर प्रति हैक्टर राशि रुपये 50198 का व्यय किया जाना सम्भावित है। प्रतिवर्ष RDF-II मॉडल अन्तर्गत 6000 हैक्टर क्षेत्र को उपचारित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार दस वर्ष के कार्य आयोजना काल में 8000 हैक्टेयर क्षेत्र में कार्य होना है।

- कार्यवृत्त अधीन क्षेत्र हेतु लगभग 3418 लाख रूपये का व्यय होना है।

क.म. संख्या	प्रस्तावित प्रचलित मॉडल	कार्यवृत्त अधीन प्रस्तावित क्षेत्र	प्रस्तावित प्रचलित मॉडल के अनुसार व्यय	उपचार हेतु इस कार्य आयोजना अवधिकाल का व्यय
1	RDF-I	2000	50198	1004
2	RDF-II/ANR	6000	40233	2414
	कुल	**8000 हेक्टेयर**		**3418 लाख रूपये**

यह गणना वृहत तौर पर की गई है। वास्तविक व्यय उस समय के प्रचलित मानदंडों, मॉडल, दरों के अनुसार होगा।

CHAPTER - XIII

क्र.स.	अध्याय 13		CHAPTER XIII
	वन सुरक्षा (अतिच्छादी) कार्यवृत्त		**Forest Protection (Overlapping) Working Circle**
13.1	प्रस्तावना		Preface
13.2	सामान्य संरचना		General Composition
13.3	वनस्पति का सामान्य स्वरुप		General Condition of Vegetation
13.4	प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य		Special Objectives of Management
13.5	क्षेत्र का आवंटन		Area Allotment
13.6	वन निधि मानचित्र		Analysis and Evaluation of Crop
13.7	घनत्व		Density
13.8	प्रगणना		Enumeration
13.9	वनवर्धन पद्धतियां		Silvicultural System
13.10	गुणता श्रेणी		Site Quality
13.11	पुर्नजनन		Regeneration
13.12	आयुवर्ग		Age Class
13.13	वार्षिक प्राप्ति		Annual Yield
13.14	पातन विधि		Felling Method
13.15	पातन चक्र का आर्वतन		Felling Cycle
13.16	वनस्पति का आर्वतन काल		Rotation Period
13.17	प्राप्ति पर नियंत्रण		Control of Yield
13.18	पुर्नजनन अवधि		Regeneration Period
13.19	कार्यकारी अभिकरण		Executive Agency
13.20	प्रस्तावित उपचार		Regulations of Treatment
	13.20.1	वन बन्दोबस्त एवं सीमांकन	Forest settlement and Demarcation
	13.20.2	प्रशासनिक सुधार प्रस्ताव	Proposals for Administrative Reforms
	13.20.3	अवैध खनन क्षेत्र	Illegal Minning
13.21	अन्य विविध उपाय		Other Miscellaneous Regulation
13.22	सफल क्रियान्वयन व प्रबन्धन के सूचक		Indicative Parameters of a Successful Implementation
13.23	वित्तीय पूर्वानुमान		Financial Forecast

अध्याय – 13

वन सुरक्षा (अतिच्छादी) कार्यवृत्त

CHAPTER - XIII

Forest Protection (Overlapping) Working Circle

13.1 प्रस्तावना

बूंदी जिले में मानव व पशु संख्या में द्रुतगति से हुई वृद्धि के कारण वन क्षेत्रों पर जैविक दबाव में वृद्धि हुई है, जिसके कारण वनों की गुणवत्ता में भी लगातार गिरावट हो रही है, वनों पर जैविक दबाव उनकी धारण क्षमता से कई गुना अधिक है। पश्चिमी राजस्थान के चरवाहे अपनी भेड़ों एवं ऊँटों सहित बूंदी जिले में होकर गुजरते है जिससे पुनर्जनन प्ररोह भेड़ों द्वारा या तो चर लिये जाते हैं अथवा कुचल दिये जाते है। जिसका परिणाम यह होता है कि वन वृक्षों की नई पौध विकसित नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा बूंदी जिला खनन गतिविधियों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। इन कारकों के कारण बूंदी जिले हेतु वन सुरक्षा कार्यवृत्त द्वारा प्रबन्धन करने की विशेष महत्वता है। इस अध्याय को दो भागों में विभक्त किया गया है,सामान्य वन सुरक्षा तथा वन बन्दोबस्त एवं सीमांकन

13.2 सामान्य संरचना

यह कार्य वृत्त सम्पूर्ण जिले के वन क्षेत्र में अतिच्छादी (Overlapping) रहेगा। इस कार्य वृत्त में आने वाले सभी वन क्षेत्र मे रुट स्टॉक मौजूद है तथा क्षेत्र वृक्षाच्छादित है अथवा कराये गये वृक्षारोपण क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को प्रभावी सुरक्षा कवच दिया जाकर उन्हें सघन वन में परिवर्तित होने की स्थिति बनाई जायेगी। साथ ही कार्यवृत्त में सम्मिलित वन क्षेत्रों में अवैध खनन, अतिक्रमण, अवैध कटान आदि का दबाब समाप्त करने के उद्देश्य से नगरों, कस्बों व सड़कों के समीप के वन क्षेत्रों के संरक्षण के विशिष्ट उपाय किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त पूर्व में खनन से प्रभावित क्षेत्रों के सुधार हेतु विधियाँ प्रस्तावित की जायेंगी। अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में त्वरित कार्यवाही हेतु मण्डल स्तर पर वन रिर्जव जाप्ता (Forest Reserve Line) की स्थापना का प्रस्ताव किया जायेगा।

आधुनिक युग में वन सुरक्षा एवं संरक्षण को प्रभावी बनाने हेतु वन अपराध, अवैध खनन, शिकार आदि को रोकने के लिये संचार व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा तथा आधुनिक

हथियार युक्त संगठित अपराधियों का सामना करने के लिये मोबाईल गश्ती दल/रैस्क्यू दल मय हथियार, पुलिस प्रणाली के अनुरुप प्रस्तावित किये जायेंगे। महिला अपराधियों से निपटने हेतु महिलाकर्मी, अपराधियों को रखने हेतु बन्दीगृह, मवेशी बन्द करने के लिये कांजी हाऊस, वायरलैस व मोबाईल दूरसंचार के साधन एवं रेंजों में जीप/जिप्सी तथा नाकों पर मोटर साईकिल के प्रस्ताव दिये जायेंगे। ऐसे क्षेत्र जो गत वर्षों में स्वीकृत खनन, अवैध खनन के कारण प्रभावित हुए हैं तथा जिनमें अब कोई खनन लीज स्वीकृत नहीं है, को उपचार हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

13.3 वनस्पति का सामान्य स्वरुप

चूंकि यह कार्यवृत्त अतिच्छादी है अतः यह सम्पूर्ण वन मण्डल व जिले पर लागू होगा। वन क्षेत्रों की प्रमुख प्रजाति धोक व उसकी सहायक प्रजातियां हैं। क्षेत्र की वनस्पति का विस्तृत विवरण **भाग–I के अध्याय 2 (अ)** में दिया जा चुका है।

13.4 प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य

1. सघन वनों को परिभ्रांषित होने से बचाना।
2. समस्त वन क्षेत्रों को अतिक्रमण, अवैध खनन, अवैध चराई एवं अवैध कटान से सुरक्षा प्रदान करना।
3. परिभ्रांषित वन क्षेत्र जिनमें वर्तमान में मूल प्ररोह उपस्थित है उनको सघन वन विकसित करना।
4. वृक्षारोपणों को सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करना।
5. वनों की सुरक्षा व्यवस्था में सामयिक परिवर्तन के प्रस्ताव प्रेषित कर सुरक्षा व्यवस्था को वर्तमान समय के अनुकूल बनाना।
6. जिन वनखण्डों का बन्दोबस्त कार्य अभी तक करवाया जाना शेष है, उसे पूर्ण कराना।
7. जिन वनखण्डों की प्रारम्भिक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, वह जारी करवाना।
8. जिन वनखण्डों की अंतिम विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं हुई है उसका प्रकाशन करवाना।
9. जिन क्षेत्रों का अमल दरामद होना शेष है उन क्षेत्रों का शीघ्र अमल दरामद कार्य पूर्ण करवाना।
10. जिन वनखण्डों की अन्तिम विज्ञप्ति प्रकाशित हो चुकी है उनमे पूरे स्तम्भ लगाना ।इसके अलावा पूर्व में लगाये स्तम्भों मे से टुटे एवं नष्ट किये स्तम्भों की पुनः स्थानपना कर वन भूमि की सीमाबंदी करना ।
11. वन मानचित्रों का राजस्व बन्दोबस्त के अनुसार अद्येतन (अपडेट) करना,

13.5 क्षेत्र का आवंटन

यह कार्यवृत्त अतिच्छादी है अतः वनमण्डल के समस्त क्षेत्र पर लागू होगा। इस कार्य योजना में, इस वृत्त में कार्यों का आवंटन निम्नानुसार रहेगा :

(I) विज्ञप्ति :

क्षेत्रफल वर्ग किमी. में

कुल क्षेत्रफल जिसकी प्राथमिक विज्ञप्ति जारी होनी थी	क्षेत्रफल जिसकी प्राथमिक विज्ञप्ति जारी हो चुकी है।	क्षेत्रफल जिसकी प्राथमिक विज्ञप्ति जारी होना शेष है।	वर्षवार कार्य आंवटन	
			2013–14	2014–15
			I	II
1212.81	**1177.65**	35.16	20.00	15.16

(II) अमल–दरामद की स्थिति :

क्षेत्रफल वर्ग हे. में

कुल क्षेत्रफल जिसका अमल–दरामद होना था।	क्षेत्रफल जिसका अमल दरामद हो चुका है।	क्षेत्रफल जिसका अमल दरामद होना शेष है।	वर्षवार कार्य आंवटन	
			2013–14	2014–15
			I	II
121281.2	**117994.02**	**3287.18**	2000	1287.28

(III) सीमा स्तम्भ :

वनमण्डल में कुल लगाये जाने वाले सीमा स्तम्भ	कुल सीमा स्तम्भं जो 31.3.2012 तक लग चुके + चालू वित्तीय वर्ष (2012–13) में लगाये जाने वाले हैं	शेष मीनारों की संख्या जो लगवाया जाना शेष रहेगा।	लगवाये जाने वाले मीनारों का वर्षवार आंवटन		
			2013–14	2014–15	2015–16
8195	971	7224	2500	2500	2224

सीमा स्तम्भों की यह स्थिति 98 वन खण्डों (रामगढ रेंज सहित) के सर्वेक्षण के बाद की है। कुल 44 वनखण्डों का सर्वे नहीं हुआ है एवम 17 वनखण्ड अवर्गीकृत है। इन वनखण्डों के सर्वे के पश्चात, इन सीमा स्तम्भों की संख्या में बढोतरी होना स्वभाविक है जो अनुमानतय 11000 तक हो जायेगी। इसके अलावा 1983 मोनोलिथ भी मौजूद है, परन्तु इन्हें नष्ट किये जाने की सम्भावना बनी रहती है। अतः इन मोनोलिथस् के स्थान पर आर.सी.सी के सीमा स्तम्भ बनाना उचित होगा ।

13.6 वन निधि मानचित्र

वन निधि मानचित्र 1:50,000 पैमाने पर एस.आर.सैक. (SRSAC) जोधपुर द्वारा उपलब्ध कराये गए हैं जो वनखण्ड सीमाओं के डिजिटाइज्ड मानचित्रों पर केवल वन प्रबन्धन के उद्देश्य से बनाये गये है। यह आंकलन ऑक्युलर एस्टीमेशन पर आधारित है। जिले की वनभूमि की सीमाएँ राजस्थान वन बंदोबस्त अधिनियम एवं वनों की वैधानिक स्थिति राजस्थान वन अधिनियम एवं उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार रहेंगी।

13.7 घनत्व

चूँकि यह कार्य वृत अतिच्छादित है अतः इसमें सभी घनत्व के वन सम्मिलित है।

13.8 प्रगणना

सभी वृक्षारोपण क्षेत्रों में जीवित पौधों का पता लगाने के उद्देश्य से गणना वर्ष में एक बार जून में कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी। वृक्षारोपणों में हुई क्षति का रिकार्ड किया जाकर यथा सम्भव उसके कारणों को दर्शाया जायेगा। वर्तमान में फील्ड कार्य के दौरान वनखण्ड वार सेम्पल प्लॉट का चयन कर उसमें प्रगणना कार्य कराया गया हैं जो कि परिशिष्ट 2 में संलग्न है।

13.9 वन वर्धन पद्धतियां

इस कार्यवृत्त में कोई पातन प्रस्तावित नहीं है अतः कोई आर्वतन काल निर्धारित नही किया जा रहा है।

13.10 गुणता श्रेणी

एक ही संविभाग में सस्य संरचना असमान होने के कारण तथा सनिधि सभी प्रकार की होने के कारण गुणता श्रेणी का सही आंकलन संभव नहीं है।

13.11 पुर्नजनन

इस वृत्त के क्षेत्रों में प्राकृतिक पुर्नजनन बिखरे रुप में कहीं–कहीं पाया जाता है। प्राकृतिक पुर्नजनन जूलीफ्लोरा को छोड़कर शेष प्रजातियों का न्यून से औसत है।

13.12 आयु वर्ग

सस्य को मुख्यतयाः युवा, मध्यम, परिपक्व श्रेणी में विभक्त किया गया है। आयु वर्गीकरण संविभाग विवरण प्रपत्रों में प्रविष्ठ किया गया है।

13.13 वार्षिक प्राप्ति

इस कार्यवृत्त में पातन कार्य प्रस्तावित नहीं होने से वार्षिक प्राप्ति दर्शाया जाना आवश्यक नहीं है।

13.14 पातन विधि

कोई पातन कार्य प्रस्तावित, नहीं है।

13.15 पातन चक्र का आर्वतन

पातन प्रस्तावित नहीं होने के कारण पातन चक्र की आवश्यकता नहीं है।

13.16 वनस्पति का आर्वतन काल

पातन कार्य प्रस्तावित नहीं होने के कारण आर्वतन काल नहीं दिया जा रहा है।

13.17 प्राप्ति का नियंत्रण

पातन प्रस्तावित नहीं है अतः प्राप्ति पर नियंत्रण के लिये नियम अपेक्षित नहीं है।

13.18 पुर्नजनन अवधि

उपचारार्थ लिये गये क्लोजर्स में पुर्नजनन अवधि 10 वर्ष रहेगी।

13.19 कार्यकारी अभिकरण

विभागीय निर्देशन में ही समस्त कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

13.20 प्रस्तावित उपचार

1. ग्रामों व कस्बों के समीप जहां–जहां अतिक्रमण की बहुत अधिक सम्भावना है वहां नरेगा आदि योजनाओं के माध्यम से पक्की दीवार का निर्माण करवाना।
2. वन क्षेत्र को बीटों में विभक्त कर प्रत्येक बीट को वनरक्षक के अधीन रखना। यह वनरक्षक कार्यभार लेन–देन करते समय अपनी कार्यभार प्रतिवेदन में प्रत्येक सीमा स्तम्भ के देशान्तर व अक्षांश अनुसार सम्भालने व प्रतिवेदन में वन क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का उल्लेख करे। प्रतिवेदन को अच्छी तरह पढ़ कर क्षेत्रीय वन अधिकारी टिप्पणी देगा।
3. बड़े संविभागों में एक अथवा दो संविभागों की एक बीट प्रस्तावित है।
4. बूंदी वन मण्डल में रेंजों के पुर्नगठन की आवश्यकता है। के.पाटन का राष्ट्रीय घडियाल अभयारय को वनक्षेत्र हंस्तातरण के पश्चात बचा हुआ भाग बून्दी व इन्द्रगढ रेंजों में सम्मलित किया जाये।
5. नैनवा व हिण्डौली जिसका मिलाकर कुल 47558.88 हैक्टैयर क्षेत्र है उनकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए तीन रेंजों में विभक्त कर जजावर में एक नई रेंज की स्थापना की जायें।
6. वनरक्षकों की सहायता हेतु आवश्यकतानुसार कार्यप्रभारी कर्मचारी रखे जायें और उन्हें 200–300 हेक्टयेर वृक्षारोपणों या वन क्षेत्रों का प्रभार सौंपा जाये तथा प्रत्येक माह उनसे वन क्षेत्रों की स्थिति का प्रतिवेदन चाहा जाये।
7. नाकों की संख्या का पुनरीक्षण कर आवश्यकता अनुसार सामरिक महत्व के स्थानों पर वन नाका/वन चौकी निर्मित की जाये।
8. अवैध चराई करने वाले पशुओं का पकड़ने उपरान्त छुड़वाने तक विभाग के नियंत्रण में रखने हेतु रेंज स्तर पर कांजी हाऊस की स्थापना व व्यवस्था की जानी है।
9. सभी नाकों, रेंज व वन मण्डल को वायरलेस प्रणाली से जोड़ा जाये।
10. वन अपराधों के संवेदनशील स्थलों पर गश्तीदल की तैनाती की जाये जो कि समस्त वांछित साधनों से सुसज्जित हो जैसे – वर्दी, हथियार एवं वाहन आदि।
11. वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से गठित ग्राम स्तरित वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समितियों तथा पारिस्थितिकी विकास समितियों को सक्रिय करना।
12. जैव विविधता का संरक्षण करना।

वन प्रबन्धन एवं सुरक्षा की दृष्टि से यह कार्यवृत्त सबसे प्रमुख है ।जिसके लिए वन सीमाओं ,सीमा स्तम्भोंका ज्ञान होना आनश्यक है। अतः अन्य समस्त कार्य वृत्तों के कार्यो का प्रबन्धन हेतु किये जाने वाले कार्यो को 10 वर्षों हेतु आंवटन किया गया है परन्तु इस

वृत्त में आंवटन अगले तीन वित्तीय वर्षों में उपरोक्त सारणियों में दर्शाये अनुसार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

(1) जिन वनखण्डों की प्राथमिक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है उनकी प्राथमिक विज्ञप्ति अगले दो वर्षों में जारी करवाना।

(2) जिन क्षेत्रों की अन्तिम विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं हुई है वह अगले दो वर्षों में जारी करवाना।

(3) जिन क्षेत्रों में अब तक अमल–दरामद होना शेष है उसे अगले दो वर्षों में पूर्ण कराना।

(4) जहां–जहां सीमा स्तम्भ लगना शेष है उसे अगले पांचवर्षों में लगवाना का प्रयास किया जाये।

13.20.1 बूंदी वन मण्डल में वन बन्दोबस्त एवं सीमांकन

बूंदी प्रादेशिक वन क्षेत्र के अधिकांश वनखण्डों का सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्य पूर्ण हो चुका है, परन्तु अतिक्रमणकारियों, अपर्याप्त सुरक्षा उपायों, राजस्व विभाग के असहयोगात्मक रुख के कारण कभी सुरक्षित नहीं रह पायी है। बूंदी जिले में 97.2% प्रादेशिक वन भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद हो चुका है। जो कि उत्साहवर्धक प्रगति का सूचक है। अब जो 2.8 % भूमि अमल दरामाद से शेष रहा है, वह अधिकांशतः विवादित भूमि है। वन खण्डों की पत्रावलियों की एक प्रति वन बन्दोबस्त के प्रस्ताव अनुसार संबंधित रेंज कार्यालय एवं नाके पर उपलब्ध कराने के निर्देश प्रचलित किए गए हैं। अतः वन सीमाओं की पूर्ण जानकारी के लिये यह अति आवश्यक है अन्यथा बिना सीमाओं की ज्ञान के सुरक्षा कार्य असम्भव हो जाता है। इस कार्यवाही से ही वन अपराधों की रोकथाम, न्यायालय में चालान करने आदि में सहायता मिलती है। वन सीमा पर मीनारों के रख–रखाव की स्थिति में विगत एक दशक में काफी प्रगति हुई है।

प्रत्येक सीमा स्तम्भों के देशान्तर व अंक्षाश की जानकारी एकत्रित की जायें, जिससे अतिक्रमियों द्वारा सीमा स्तम्भों परिवर्तन की स्थिति में वनकर्मियों को तुरन्त पता चल जायेगा। इस हेतु विभाग द्वारा प्रत्येक वन मण्डल व रेंज में जी.पी.एस. उपकरण उपलब्ध करवाया हुआ है, जो कि नाका स्तर तक उपलब्ध होना चाहिये। उपरोक्त सारणी अनुसार अनुसार लगभग 88 प्रतिशत मीनारें लगाना वन मण्डल बूंदी में शेष हैं जिसे अगले दो–तीन वर्षों में पूर्ण किया जाना अतिआवश्यक है। अतः वन क्षेत्रों का कार्यभार हस्तान्तरण भी वन खण्ड, संविभाग एवं वन सीमा के सीमा स्तम्भों की संख्या

व स्थिति के अनुरुप किया जाना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये। वन सीमा का निर्धारण एवं संधारण, वन बन्दोबस्त अधिनियम की धारा 6 के अनुरुप हो। वन सीमा पर पक्की दीवार के निर्माण का प्रावधान भी इस कार्य आयोजना में प्रस्तावित है। वन सीमा स्तम्भों का आकार हर स्थिति में प्रधान मुख्य संरक्षक, राजस्थान द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार ही होना चाहिये।

वन बन्दोबस्त एवं सीमांकन से संबंधित निम्न बिन्दुओं पर विभागीय स्तर से कारवाई अपेक्षित है :

1. विभिन्न राजकीय निर्देशानुसार व नियमानुसार नियमित की गई। वन भूमि को चिन्हित कर उक्त क्षेत्र को नियमानुसार अनअधिसूचित कर वनक्षेत्र से बाहर करना तथा बचे हुए वनक्षेत्र की परिवर्तित सीमाओं को अधिसूचित करना ।
2. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानांतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वन भूमि को अविलम्ब नियमानुसार अधिसूचित करना।
3. राजस्व अभिलेखों में वनभूमि के रूप में दर्ज अथवा वन विभाग के नाम दर्ज भूमि को अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित वनभूमि को चिन्हित कर, उपयुक्त पाये जाने पर, नियमानुसार अधिसूचित कर वनमण्डल के वनक्षेत्र में सम्मिलित करना।
4. पुराने वनखण्डों की विज्ञप्तियों में पुराने खसरा नम्बर उपलब्ध है अतः नये खसरा नम्बर प्राप्त कर वनखण्डों की समस्त सूची नये खसरा सहित विभागीय वैब साइट हेतु उपलब्ध कराकर पब्लिक पोर्टल पर रखी जावें।
5. यदि कोई भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है परन्तु वनखण्ड के रकबे में शामिल नहीं है तो विज्ञप्ति जारी करवाकर उसे वैधिक रुप से वन भूमि के नाम घोषित कराई जाये, ताकि जिले के वनावरण एवं वनक्षेत्र में वृद्धि हो सके।
6. सूचना अनुसार जिले के वनखण्डों के कुल सीमा स्तम्भों में से अभी भी काफी मौके पर उपलब्ध नहीं है। इन सीमास्तम्भों को अविलम्ब यथास्थान पुनः लगाना।
7. अद्यतन प्रौद्यौगिकी का उपयोग कर समस्त सीमास्तम्भों के अक्षांश व देशान्तर पठन ज्ञात (जी.पी.एस पठन) कर वनखण्ड पत्रावली में अंकित व संधारित करना।

8. अद्यतन प्रौद्यौगिकी का उपयोग कर समस्त वनक्षेत्र का सही, परिशुद्ध व प्रामाणिक मानचित्र तैयार करना। तथा वनखण्डों के क्षेत्रफल में जहां आवश्यक हो संशोधन करना।

9. समस्त अधिसूचित वनक्षेत्र को राजस्व अभिलेख में वनभूमि के रूप में वन विभाग के नाम से वनभूमि के रूप में अमल दरामद कराया जावे।

13.20.1.2 वन सीमाओं की देख रेख

इस जिले के वनों की सीमा की स्थिति संतोषजनक नहीं है। कुछ स्थानों पर सीमा स्तम्भ नष्ट हो गये हैं एवं अधिकांश स्थानों पर सीमा स्तम्भों पर क्रमांक अंकित नहीं हैं। वनखण्डों की बाहरी सीमा का रख–रखाव संतोषजनक नहीं है। वन सीमाओं की नियमित देख–रेख की जानी चाहिए एवं इसमें निम्न निर्देशित कार्य करने चाहिए :

(1) सभी रेंजों में आरक्षित एवं रक्षित वनों की सीमा पंजिका रखी जानी चाहिए। आरक्षित वनों की सीमाओं की जांच, भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 की विज्ञप्तियों के अनुसार की जानी चाहिए और प्रतिवर्ष प्रत्येक रेंज में एक तिहाई भाग की जांच, की जानी चाहिए।

(2) जिन क्षेत्रों में वन बन्दोबस्त की कार्यवाही पूरी हो चुकी है, वहां नम्बरयुक्त सीमा स्तम्भ लगाये जाने चाहिए ।

(3) जिन वन क्षेत्रों का राजस्व के भू–अभिलेख में अमल दरामद नहीं किया गया है, उनका राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करवाया जाये।

(4) वन रक्षकों को उनके अधीन वन क्षेत्रों की सीमाओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए एवं समय–समय पर उन्हें भ्रमण के दौरान वन सीमा में हुए अनाधिकृत कब्जों इत्यादि के बारे में उच्च कार्यालय को अवगत कराना चाहिए। सहायक वन संरक्षक द्वारा अतिक्रमण से बेदखल की कार्यवाही तुरन्त की जानी चाहिए।

(5) सभी वनरक्षकों के पास उनके क्षेत्र का नक्शा, बीट मैप अवश्य होना चाहिए।

13.20.2 प्रशासनिक सुधार प्रस्ताव

(I) वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समितियों/पारिस्थितिकी विकास समितियों को सक्रिय करना होगा।

(II) वन प्रबन्धन में सहभागी समस्त संस्थाओं में समुचित दक्षता का निर्माण किया जायें।

(III) सहभागी समस्त पक्षों में तकनीकी वन संवर्द्धनिक, वैज्ञानिक प्रोद्योगिकी दक्षता का निर्माण।

(IV) पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं वन विकास आदि से संबंधित तकनीकी ज्ञान को आम जनता में व्यापक प्रसार करना एवं समाज के सभर वर्गो को वानिकी विकास से जोड़ना।

(V) अन्य संबंधित राजकीय विभागों से परस्पर समन्वय स्थापित करना।

(VI) ग्रामवार वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समितियों की बैठकों के नियमित आयोजना एवं उनकी कार्यवाही के संचालन हेतु प्रत्येक बैठक के लिये मानदेय नियत किये जाने चाहिये, ताकि वन कर्मियों एवं स्थानीय नागरिकों के मध्य नियमित बैठकों से सामंजस्य स्थापित हो सके।

(VII) वनरक्षकों की सहायतार्थ आवश्यकतानुसार कार्य प्रभारी कर्मचारियों को महत्वपूर्ण स्थानों पर पदस्थापन किया जायेगा।

(VIII) विद्यमान नाकों का पुर्नगठन आवश्यकतानुसार किया जायेगा,एवं आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण वन क्षेत्रो में नवीन नाको का गठन किया जावे।

(IX) अवैध चराई करने वाले पशुओं का पकड़ने पर छुड़वाने तक विभाग की तहसील में रखने के लिये नाका स्तर पर कांजी हाऊस का निर्माण अतिआवश्यक है तथा ऐसे पशुओं को चारे की व्यवस्था विभागीय स्तर पर हो।

(X) संवेदनशील नाकों का उच्च कार्यालय से वायरलेस प्रणाली से जोड़ना।

(XI) बीट नाका व रेंज प्रभारियों को मोबाइल फोन से जोड़ना।

(XII) वन मण्डल रेंज एवं नाको को सूचना संकलन हेतु कम्प्यूटर सुविधा से जोड़ना।

(XIII) गश्तीदल द्वारा वैध खनन क्षेत्रों की सीमाओं का निरीक्षण एवं नियंत्रण किया जावेगा।

(XIV) फील्ड स्टॉफ की कमी की पूर्ति करना व युवा वर्ग के कर्मचारियों की अभिवृद्धि।

वन मण्डल बूंदी में वन सुरक्षा समितियों की सूचना (31-3 -2012 की स्थिति)

क्र. सं.	रेंज का नाम	समितियों की संख्या	अनुसूचित जाति के सदस्य	अनुसूचित जनजाति के सदस्य	अन्य	योग	महिला सदस्य
1	बूंदी	13	207	223	837	1267	8
2.	नैनवा	33	598	581	1744	2923	439
3.	हिण्डोली	37	649	1074	1740	3463	320
4.	इन्द्रगढ़	24	357	252	1132	1641	110
5.	डाबी	29	402	580	1106	2088	96
6.	के. पाटन	12	219	109	212	540	67
कुल		148	2432	2819	1318	11922	1040

(xv) अपंजीकृत आरा मशीनों पर तुरन्त कार्यवाही कर उनके संचालन को बन्द किया जाये।

क्र.सं.	रेंज	11.10.2011 को पंजीकृत एवं कार्यरत आरा मशीनों की संख्या
1	बूंदी	15
2	नैनवा	28
3	हिण्डोली	27
4	इन्द्रगढ़	13
5	डाबी	3
6	के. पाटन	25
कुल		111

नोट : वन मण्डल में अपंजीकृत आरा मशीनें अभी बन्द हैं।

(xvi) अतिक्रमण क्षेत्र

स्थानिय ग्रामीणों द्वारा छोटी–छोटी जोत के आकार में वन क्षेत्र अतिक्रमित किया जाता है। इन अतिक्रमणों को नियमानुसार बेदखल किया जाकर क्षेत्र का उसके वर्गीकरण के अनुसार उपचारित किया जायेगा। सितम्बर 2011 तक वन मण्डल बूंदी में हुए अतिक्रमणों की सूचना निम्नानुसार है :

वन मण्डल	कुल अतिक्रमियों की संख्या
बूंदी	2489

(XVII) पक्की दीवार निर्माण

जो वन क्षेत्र कस्बों एवं ग्राम सीमाओं से लगते हुए हैं जिसमें अतिक्रमण अत्यधिक होने लगे हैं और उन पर नियंत्रण किया जाना बहुत कठिन है ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां वन भूमि पर अतिक्रमण की बहुत अधिक संभावना है वन खण्ड की सीमा पर स्थायी पक्की दीवार का निर्माण किया जाये। इस हेतु मनरेगा के तहत पर्याप्त बजट आवंटन हो जाता है। बूंदी वन मण्डल में अनेक स्थानों पर ऐसी दीवार का निर्माण किया जाना आवश्यक है। सम्पूर्ण वन मण्डल में लगभग 500 कि मी पक्की दीवार की आवश्यकता है, जिसमें से इस कार्यआयोजना के तहत 200 कि.मी. दीवार प्रस्तावित है।

(XVIII) स्टाफ का आवासीय व्यवस्था बच्चों को शिक्षा व्यवस्था, हार्ड ड्यूटी अलाउंस वर्दी एवं वर्दी भत्तें दिये जायें।

(XIX) राजस्थान वन अधिनियम 1953 के आवश्यक प्रावधानों को प्रभावी बनाया जाकर संशोधित करवाया जायेगा।

(XIX) आदतन एवं कुख्यात वन अपराधियों का ट्रेक रिकार्ड संधारित कर उनके विरूद्व कठोर कार्यवाही पुलिस की मदद से करवाने का प्रयास किया जाये।

13.20.3 अवैध खनन क्षेत्र

वन मण्डल बूंदी में अवैध खनन के प्रकरण वर्ष 2000 से 2010 तक की सूचना निम्न सारणी में दर्शायी गई है। यह संख्या मात्र उन प्रकरणों की है जिनमें वनकर्मियों ने प्रकरण दर्ज किये हैं। इनके अतिरिक्त चोरी छुपे अवैध खनन चलने की संम्भावना रहती है। बूंदी वन मण्डल में खनन प्रकरणों की सूचना निम्नानुसार हैः–

क्र सं.	वर्ष	दर्ज प्रकरणों की संख्या
1	2000	100
2	2001	138
3	2002	87

4	2003	86
5	2004	71
6	2005	94
7	2006	83
8	2007	62
9	2008	74
10	2009	101
11	2010	72
	योग	**968**

इन संवेदनशील क्षेत्रों में वन सुरक्षा जाप्ता की आवश्यकता है जिसमें मण्डल के स्वीकृत पदों के अतिरिक्त लगभग 30 प्रतिशत पद वन सुरक्षा जाप्ता हेतु स्वीकृत किये जायेगें। जो मण्डल स्तर पर त्वरित कार्यवाही हेतु उपलब्ध रहेंगें। संसाधन व मोबीलाईजेशन हेतु ट्रक–1, केटंर–2 के क्रय व बैरकस् आदि के निर्माण हेतु आवश्यक राशि का प्रावधान वित्तिय पुर्वानुमान में दिया जा रहा है। इसमें एक क्षेत्रीय निवास, एक वनपाल निवास एवं एक बैरेक मण्डल स्तर पर लाईन में बनाया जायेगा एवं 1 बैरेक नैनवा में निर्मित किया जायेगा।

खनन प्रभावित क्षेत्रों के उपचार :

1. प्रत्येक खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिये उसकी विद्यामान स्थिति का विस्तृत आंकलन कर इन्हें श्रेणीबद्ध कर क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप क्षेत्र के विकास का सूक्ष्म योजना (माईक्रोप्लान) तैयार करना होगा।
2. क्षेत्र को विकसित करने हेतु उपलब्ध स्थानीय तकनीक का उपयोग करना जिससे इसी प्रकार के क्षेत्रों को सुधार करने की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों में किये गये प्रयासों की जानकारी प्राप्त कर सुधार का श्रेणीवार मॉडल तैयार करना।
3. खनन प्रभावित वन क्षेत्र सुधार कार्य में स्थानीय नागरिकों की सहभागिता प्राप्त करना ।

4- एक्सकवेटर आदि मशीनों से अवैध खनन/अतिक्रमित क्षेत्रों की खुदाई करवा कर उन्हें विलग करना।

5- खनन प्रभावित क्षेत्रों को दीवार बनाकर पूर्ण रूप से बन्द करना (Effective Closer of area/ fencing)

6. खनन वाले भू–भाग तक पहुंच मार्गों को सख्ती से बन्द करना, तथा नष्ट कर उन पर भू–संरक्षण के कार्य करना।
7. अवैध खनन के गड्ढों को भरवाकर कांटेदार झाडियों का सघन बीजारोपण किया जाए।
8. खनन प्रभावित क्षेत्रों में नोचेंज में बीजारोपण अथवा बीज फैलाना। इस बात का ध्यान रखा जाये कि बीज इन क्षेत्रों में दुगुनी मात्रा में रोपित किया जाये या फैलाया जाये । यह बीज रौझ, कुमठा, खैर, बेर, की प्रजातियों के हो।
9. ऐसे खनन प्रभावित भू–भाग में उपयुक्त उपयोगी स्थानीय प्रजाति के वृक्षों व घास के बीज को लगातार तीन वर्ष तक बीजारोपण किया जावें।
10. प्रत्येक खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिये उसकी विद्यमान स्थिति का विस्तृत आंकलन (Satellite Imageries) कर उन्हें श्रेणीबद्ध कर क्षेत्र के अनुरूप विकास की समयबद्ध सूक्ष्म योजना तैयार करना।
11. खानों की सर्वे के दौरान जी.पी.एस रिडीगं ली जाये तथा सम्बन्धित कार्य पंजिका में दर्ज किया जाये।जहां–जहां पर्याप्त गहराई की मृदा उपलब्ध है वहां छायादार वृक्ष की बड़ी पौध (Tall Plants) रोपित किये जावे व खान क्षेत्र में वर्षा काल में भरे जल का उपयोग पौधों की सिंचाई हेतु किया जावे।
12. वृक्षारोपण कार्य पूर्व में दर्शायी गयी विधि अनुसार किया जावें।
13. वृक्षारोपण कार्यों के कार्य स्थलों का चयन करते समय पुराने खनन क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की जावें।,

13.20.4 वनाग्नि सुरक्षा प्रणाली

बूंदी वनमण्डल में वनों को क्षति पहुचानें वाले प्राकृतिक कारको से कोई विशेष हानि नहीं हुई है। अप्रेल से जून के महीने में यहां का तापमान 45° सेन्टीग्रेड तक पहुंच जाता है। गर्मी के मौसम में शुष्क पर्णपाती वन होने की वजह से वनखण्डों की पहाड़ियों में अधिकांश पादप व घास सूख जाने पर आग लगने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। कभी कभी लोगों की लापरवाही की वजह से भी आग लगकर फैल जाती है या फिर कभी लोगों द्वारा जान–बूझकर भी आग लगा देते हैं। अग्नि सुरक्षा पट्टी (फायर–लाइन्स) की नियमित सफाई होने से इस क्षति से वनों को बचाया जा सकता है।अग्नि सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक नहीं हैं। इस जिले में फायर लाइन्स केवल नाम के लिए ही है क्योंकि निरन्तर उपेक्षा के कारण उनकी हालत अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण है। इस जिले के वनों में अग्नि का खतरा हर समय बना रहता है एवं प्रतिवर्ष उनमें आग भी लगती रहती हैं।

वनक्षेत्रों को अग्नि से सुरक्षित रखने बहुत आवश्यक है कि अग्नि लगाने की सूचना समय पर तुरन्त मिले सुरक्षाकर्मी आग बुझानें मे अविलम्ब मौके पर पहुंचा जावे। अग्नि शमन हेतु प्रशिक्षित होना भी आवश्यक है। इस हेतु निम्न कदम उठाये जावे :

1. वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों को अग्नि घटनाओं के स्त्रोत , उनकी विशेषताओं, उनसे होने वाले स्थाई व अस्थाई क्षति तथा उनका रोकथाम के संबंध आवश्यक ज्ञान व प्रशिक्षण दिया जावे।
2. विशेषकर गर्मी के महिनों में समिति के सदस्यों को अग्नि की घटना पर निगरानी हेतु पाबन्द किया जावे।
3. अग्नि की घटना होने पर सम्पर्क अधिकारी का नाम, पदनाम, व सम्पर्क नम्बर आदि की जानकारी प्रमुखता से वनक्षेत्रों में, आबादी क्षेत्रों में तथा वनक्षेत्र से गुजरते मार्गों पर प्रदर्शित किये जावे।
4. वनक्षेत्र में अग्नि की घटना की सूचना देने वाले को तथा अग्नि की रोकथाम में सहयोग देने वालो को यथोचित पुरस्कार या पारितोषक देकर प्रोत्साहित किया जावे।
5. वनक्षेत्र में अग्नि की प्रत्येक घटना को गंभीरता से लिया जावे। छोटी से छोटी घटना को अभिलिखित किया जावे। क्षेत्रीय वन अधिकारी स्वयं उसकी छानबीन करे तथा उससे सबक लें। क्षेत्र में अग्नि की घटना की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाया जावे।
6. नाका, रेंज व वनमडल स्तर पर अग्नि घटनाओं की पंजिका, फायर लाईन्स की पंजिका तथा अग्नि घटनाओं का मानचित्र संधारित किया जावे ।
7. फायर लाईन्स का संधारण एवं सफाई प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए।
8. ग्रीष्म ऋतु में अग्नि रक्षक भी लगाये जाने चाहिए।
9. उपरोक्त की पालना हेतु वार्षिक बजट में धन का प्रावधान होना चाहिए।
10. फायर वॉच टावर्स का आवश्यक स्थानों पर निर्माण किया जाना चाहिए।

13.20.5 अनियंत्रित एवं अविनियमित कटान पर नियंत्रण

स्थानीय जनता की जलाऊ लकड़ी व छोटी इमारती लकड़ी की अत्यधिक मांग के कारण वनों का अनियंत्रित एवं अविनियमित कटान बढ़ता जा रहा है। इसके अतिरिक्त सिरबोझ द्वारा जंगल से काफी मात्रा में लकड़ी लाई जाती है। इस लकड़ी में से कुछ लकड़ी बाजार में भी बेच दी जाती है। यह सिलसिला सर्दी के समय ज्यादा हो जाता

है। अतः इस समय विशेष गश्त की जानी चाहिए तथा इस प्रवृति पर अंकुश लगाया जाये। अनियंत्रित एवं अविनियमित कटान के रोकने के लिए निम्न सुझाव दिये जाते हैः

(1) वन अपराध के कैसेज को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 67 के अन्तर्गत संक्षेपतः अन्वीक्षा (समरी ट्रायल) द्वारा निपटाना चाहिए।

(2) वन मण्डल उड़न दस्ता पार्टी द्वारा अधिक जिम्मेदारी से अनियंत्रित एवं अविनियमित कटान को और प्रभावी रूप से रोकने का कार्य किया जाये।

(i) वन भूमि के अनुपातिक कार्मिकों की उपलब्धता

बूंदी वन मण्डल में वर्तमान में उपलब्ध वन सुरक्षा स्टाफ की स्थिति का विवरण भाग – I के अध्याय–6 में विस्तार से दिया गया है। वर्तमान में वन सुरक्षा स्टाफ की औसत आयु 50 वर्ष है। इस आयु पर वनकर्मी आधुनिक हथियारों से लैस अपराधियों पर नियंत्रण के लिये उपयुक्त नहीं है। 31.08.2012 की स्थिति अनुसार बूंदी जैसे विस्तृत वन मण्डल में केवल 77 वन रक्षक कार्यरत है, जोकि अत्यन्त ही अल्प है। अतः वनों की सुरक्षा हेतु नये नार्म्स बनाना नितान्त आवश्यक है।

(ii) वन क्षेत्रों की गश्त हेतु वाहनों की व्यवस्था

वर्तमान में फील्ड में स्टाफ को गश्त के लिए वाहनों की समुचित व्यवस्था नहीं है। मात्र रेंज स्तर पर विभिन्न योजनाओं में कुछ मोटर साइकिलों की व्यवस्था की हुई है जो पर्याप्त नहीं है। लेकिन मोटर साइकिलों में पेट्रोल की समुचित व्यवस्था नहीं है। वन सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए बूंदी वन मण्डल में निम्नानुसार वाहनों की व्यवस्था होनी चाहिए एवं वाहनों के संचालन हेतु ईंधन की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

क्र.सं.	वाहनों का प्रकार	कुल आवश्यकता
1	वाहन MUV(Camper)/जीप (जो पीछे से खुली हो)	8
2	केन्टर	2
3	ट्रक	1
4	वाहन मोटर साईकिल	20
5	रैस्क्यू वाहन	1

(iii) फील्ड में सुरक्षा व स्टाफ के आवास हेतु आवश्यक भवनों की व्यवस्था

फील्ड में सुरक्षा व स्टाफ के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं युक्त भवनों की काफी कमी है। जिसके कारण भी वन सुरक्षा कार्य प्रभावित होता है। अतः बूंदी वन मण्डल में इस कार्य आयोजना अवधि मे निम्न भवनों की आवश्यकता है।

क्र. सं.	नाम भवन	स्थान जहां आवश्यकता है	मात्रा
1	स.व.स.निवास,	नैनवा डाबी	2
2	क्षेत्रिय निवास	रेंज स्तर पर	5
3	नाके व निवास	वनमण्डल स्तर पर	36
4	बीट गार्ड हेतु निवास	वनमण्डल स्तर पर	77
5	गश्ती दल हेतु भवन निर्माण	वनमण्डल स्तर पर	2
6	बैरेक निर्माण	बून्दी, नैनवा	2
7	वनपाल कार्यालय व निवास	वनमण्डल स्तर पर	10
8	बन्दीगृह	रेंज स्तर पर	4
9	कांजी हाउस	रेंज स्तर पर	6
10	वॉच टॉवर	रेंज स्तर पर	8

वन विभाग के स्टाफ के बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बूंदी शहर में भी परिवारों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये ताकि स्टाफ वन सुरक्षा में अधिक से अधिक ध्यान दे सके।

(iv) संचार सुविधाएँ

वर्तमान में फील्ड में रेंज कार्यलय स्तर पर कोई संचार सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिससे वन अपराधों की रोकथाम में सूचनाओं का यथाशीघ्र आदान प्रदान नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक रेंज कार्यालय में बेसिक टेलीफोन होना आवश्यक है एवं समस्त नाकों पर वायरलैस नेटवर्क पूर्णरुप से विकसित होना चाहिए। प्रत्येक वनकर्मी को मोबाइल फोन की सुविधा होनी चाहिए एवं इन सुविधाओं की स्थापना कार्य आयोजना अवधि में प्रथम दो वर्ष में होनी चाहिए एवं शेष 8 वर्ष के लिए संधारण सुविधा होनी चाहिए। इसके लिए कार्य आयोजना राशि 30.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।

(v) स्टाफ प्रशिक्षण

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर वन सुरक्षा संबन्धी कई प्रकार के आदेश प्रसारित किये गये है। साथ ही वन एवं वन्य जीव अधिनियमों में भी काफी संशोधन हुए है। उक्त समस्त जानकारी स्टाफ को भी होनी चाहिए। अतः समय–समय पर स्टाफ को प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

(vi) स्टाफ द्वारा की नियमित गश्त

स्टाफ को अपने अधीनस्थ वन क्षेत्र की नियमित गश्त करनी चाहिए। वन सीमाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सीमा चिन्हो को हटाता है या नष्ट करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरुप कार्यवाही की जानी चाहिए। नियमित गश्त वन क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु होनी चाहिए। अपराधियों के विरुद्ध नियमान्तर्गत कार्यवाही होनी चाहिए।

(vii) अवैध चराई की रोकथाम

वर्तमान में वन क्षेत्रों पर मवेशी चराई का अत्यधिक दबाव रहता है। यह दबाव वर्षाकाल में और बढ़ जाता है। चराई दबाव की रोकथाम हेतु निम्न उपाय अपनानें होगें :–

1. वर्षाकाल में बूंदी जिले की अन्य तहसीलों के मवेशी पालक अपनी मवेशीयों का अस्थायी रुप से वन क्षेत्रों में केम्प कराते है। इस प्रवृति पर रोक लगाई जानी चाहिए। ग्रामीणें को उन्नत किस्म के मवेशी पालन करने एवं स्टाल फीडिंग कराने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।

2. पश्चिमी राजस्थान की भेड़ों के निष्क्रमण रुट वन क्षेत्रों में होकर नहीं होने चाहिए ताकि भेड़ो का पड़ाव वन क्षेत्रों में न हो एवं पुनरोत्पादन को कोई क्षति नहीं पहुँच सके।

3. वन क्षेत्रों में विशेष कर वर्षाकाल में सघन गश्त होनी चाहिए ताकि वन क्षेत्रो को अवैध चराई से बचाया जा सके।

(viii) गुप्त सूचना तंत्र

वन एवं वन्य जीवों की प्रभावी सुरक्षा हेतु गुप्त सूचना तंत्र विकसित करना आज की परिस्थितियों में नितान्त आवश्यक है। वन क्षेत्रों के अन्दर व आस–पास के प्रत्येक गाँव में गुप्त रुप से विश्वसनीय ग्रामवासी का वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित अपराधों की शीघ्र सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए चयनित करना चाहिए। ऐसे

व्यक्ति को गुप्त सूचनात्मक के दिशा निर्देशों के अनुरुप पारिश्रमिक/पारितोषक के रुप मे नियमान्तर्गत कुछ धनराशि का भुगतान होना चाहिए।

13.21 अन्य विविध उपाय
Other Miscellaneous Regulation

13.21.1 पूर्व के वृक्षारोपण व क्लोजर्स के संबंध में :

कार्य वृत्त में सम्मिलित अधिकांश क्षेत्र में विगत वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत वृक्षारोपण कार्य, क्लोजर निर्माण कार्य कराये गये हैं। उपरोक्त पूर्व उपचार विनियमों व विधि के अनुसार से ही इन क्षेत्रों में कार्य कराया जाये।

13.21.2 कार्य पंजिका

प्रत्येक चयनित क्षेत्र हेतु पृथक कार्य पंजिका का नियमित संधारण किया जावेगा। इससे क्षेत्र में प्रस्तावित समस्त प्रकार के कार्य की पूर्ण जानकारी, उनकी समयबद्ध प्रगति तथा क्षेत्र से प्राप्त वनोपज की पूर्ण जानकारी के साथ–साथ, क्षेत्र के सस्य में आये परिवर्तन की भी जानकारी एकत्रित कर सम्मिलित की जावेगी। इससे आगामी प्रबन्धन में मदद मिलेगी।

13.21.3 वन सुरक्षा हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास

वन सुरक्षा के लिए स्टॉफ एवं अधिकारियों हेतु आधार भूत सुविधाओं का विकास किया जाना आवश्यक है जिसकी विस्तृत चर्चा अध्याय 6 में की जा चुकी है। स्टॉफ हेतु कार्यालय भवन, आवास, वाहन, संचार सुविधाएँ उपलब्ध कराना इस कार्यवृत में शामिल किया गया है।

1. वनरक्षकों की सहायता हेतु आवश्यकतानुसार कार्य प्रभारित कर्मियों (Work Charge) को महत्वपूर्ण स्थलों पर लगाया जाये।
2. नाकों की सँख्या का पुनरीक्षण कर आवश्यकतानुसार सामरिक महत्व के स्थान जहाँ नाके नहीं हैं, वहाँ नवीन नाकों का गठन करना तथा विद्यमान नाकों की व्यवस्था में सुधार कर, अपराध प्रशमन हेतु शक्तियाँ प्रदान करना ।
3. अवैध चराई करने वाले पशुओं को पकड़ने से छुड़वाने तक विभाग की तहसील में रखने में रखने हेतु रेंज/नाका स्तर पर कांजी हाऊस बनाये जायें। पशुओं को चारे की व्यवस्था विभागीय स्तर पर की जायेगी ।
4. वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित् करने की दृष्टि से गठित ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों को सक्रिय करना ।

5. प्रयोग के तौर पर कहीं–कहीं सोश्यल फैन्सिंग का परीक्षण करना ।

6. संवेदनशील नाकों को रेंज/सब डिवीजन/डिवीजन को वायरलैस सिस्टम से जोड़ना।

7. वन अपराधों हेतु संवेदनशील होने से सामुहिक गश्त मय वाहन एवं हथियार से जाप्ते को लैस करना ।

8. रेंज, नाका एवं बीट स्तर तक दूरभाष/मोबाईल सुविधा से जोड़ना ।

9. वन मण्डल,रेंज एवं नाका को रिकॉर्ड व सूचना संकलन हेतु कम्प्यूटर से जोड़ना ।

10. प्रत्येक खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए उसकी विद्यमान स्थिति का विस्तृत आंकलन कर, उन्हें श्रेणीबद्ध कर, क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरुप क्षेत्र के विकास का माइक्रोप्लान तैयार करना ।

11. क्षेत्र को विकसित करने हेतु उपलब्ध स्थानीय तकनीक का उपयोग करना तथा इसी प्रकार के क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों/राज्यों में किये गये प्रयासों की जानकारी प्राप्त कर रिक्लेमेशन का श्रेणीवार मॉडल तैयार करना तथा विभाग में प्रचलित मॉडल के अनुसार कार्य सम्पादित कराना ।

12. रिक्लेम किये जाने वाले क्षेत्रों की समयबद्ध कार्य योजना तैयार करना ।

13. खनन प्रभावित वन क्षेत्र रिक्लेमेशन कार्य में स्थानीय लोगों, खनन ऐजेन्सी की सहभागिता प्राप्त करना ।

14. इस कार्यवृत्त में वन बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्य यथा अन्तिम विज्ञप्ति, प्रारम्भिक विज्ञप्ति, वन क्षेत्र जिसका अमलदरामद राजस्व अभिलेखों में नहीं हुआ है, उसका अमलदरामद कराया जाना तथा मौके पर बाड़न्ड्री पिलर्स लगाना एवं उनके भौगोलिक निर्देशांक (Geographical coordinates) अंकन करना तथा राजस्व नक्शों पर वन सीमा लाल लाईन से मार्क कराये जाने के कार्य लक्ष्यों का निर्धारण कर कार्य वर्ष 2014–15 तक पूर्ण कराना प्रस्तावित किया जायेगा।

13.22 सफल क्रियान्वयन व प्रबन्धन के सूचक
Indicative Parameters of a Successful Implementation

कार्य वृत्त में सम्मिलित क्षेत्र में उपरोक्त प्रस्तावित उपचार के सही व सफल क्रियान्वयन व प्रबन्धन की सार्थकता का आंकलन करने हेतु निम्न प्राचलों का कम से कम वर्ष में एक बार उपयुक्त समय पर मापन किया जाना तथा इसका पूर्ण अभिलेख संधारण किया जाना प्रस्तावित है।

1. घास प्रजाति व सतही वनस्पति की संरचना में आया परिवर्तन

2. प्रजाति विविधता में आय परिवर्तन।

3. वृक्ष वितान घनत्व की स्थिति में आय परिवर्तन।

4. वनस्पति संवृद्धि भण्डार में आय परिवर्तन।

5. प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति में आय परिवर्तन।

6. जैविक दबाव की स्थिति में आय परिवर्तन।

7. भूमिगत जलस्तर में वृद्धि।

8. स्थानीय ग्रामवासियों को प्राप्त लाभ की स्थिति में आय परिवर्तन।

13.23 वित्तीय पूर्वानुमान

कार्यवृत्त के अधीन सुधार कार्य के क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य पर व्यय चयनित क्षेत्र की स्थिति, कार्य की मात्रा, प्रकृति और अन्य अनेक तात्कालिक कारकों पर निर्भर है। इस कारण से कार्यवृत्त के अधीन सुधार कार्य के क्षेत्र के पूर्ण उपचार पर होने वाले व्यय को सही सही बताना संभव नहीं है।

उपरोक्त वित्तीय अनुमान की गणना करते समय सामग्री/श्रम दरों में वृद्धि के कारण प्रत्येक दो वर्षो के अंतराल पर प्रति यूनिट लागत पर 20 प्रतिशत वृद्धि करने का बजट तैयार करते समय ध्यान में रखा जायें। इस प्रकार की गणना से इस कार्यवृत्त को उपचारित करने के लिए वर्तमान दरों पर योजना अवधि में रूपय 5087 लाख (लगभग) व्यय होने निम्नानुसार है :

वित्तिय पुर्वामान की सारणी

क्र. सं.	आइटम	योग	
		भौतिक (संख्यां)	वित्तीय (लाख रु. में)
1	स.व.स.निवास, डाबी, नैनवा	2	20.00
2	नाका/चौकी एवं वहां पर पक्की दीवार निर्माण कार्य	14	70.00
3	गश्ती दल हेतु भवन निर्माण	2	12.00

क्र. सं.	आइटम	योग	
		भौतिक (संख्यां)	वित्तीय (लाख रु. में)
4	बन्दीगृह (i) रेंज स्तर पर	6	18.00
5	रेंज एवं नाका स्तर पर कांजी हाउस निर्माण	6	12.00
6	संयुक्त पैट्रोलिंग / रैस्क्यू वाहन /ट्रैंक्यूलाईजर गन + औषधि + पिंजरे आदि	1	20.00
7	वाहन MUV(Camper)/जीप (पीछे से खुला वाहन)	8	80.00
	केन्टर–2	2	30.00
	ट्रक–1	1	30.00
8	वाहन मोटर साईकिल	15	7.50
9	वायरलैस सैट्स/स्टेटिक सैट्स	10	3.25
	मोबाईल सैट्स (9 सैट्स)	9	2.25
	हैंड सैट्स (22 नाकों पर)	22	2.00
10	मोबाईल फोन	125	10.00
	अगले 10 वर्षों में संचार व्यवस्था संधारण का व्यय		30.00
11	सीमा स्तम्भ (7224+1983)	9207	140.00
12	पत्थर की सीमेन्ट चिनाई युक्त दीवार	200 km	4000.00
13	बैरेक निर्माण–2	2	100.00
14	वन रिर्जव लाईन के संचालन व संधारण हेतु व्यय	50 लाख प्रति वर्ष	500.00
	योग		**5087.00**

CHAPTER - XIV

क्र.स.	अध्याय 14		CHAPTER XIV
	वन्यजीव प्रबन्धन (अतिच्छादी) कार्यवृत्त		**Wild Life Managment (Overlapping) Working Circle**
14	वन्य जीव संरक्षण		Wild Life Conservation
14.1	सामान्य संरचना		General composition of vegetation
14.2	वन्य जीवों का सामान्य स्वरूप		General Condition of Wild Life
14.3	वन्य प्राणियों की प्रबन्ध योजना		Management Plan for Wildlife
14.4	प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य		Special Objectives of Management
14.5	वन्यजीवों की उपलब्धता		Availability of Wild Life
14.6	क्षेत्रफल का विवरण		Area Statement
14.7	क्षेत्र की वनस्पति		Vegetation of the Area
14.8	वन्य जीव		Wild Life found in the Area
14.9	उपचार		Treatment
14.10	संरक्षण क्षेत्र एवं उनका प्रबन्धन		Protected Areas and their management
	14.10.1	रामगढ़–वन्यजीव अभ्यारण्य	Ramgarh –Wild Life Sanctury
	14.10.2	रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति मध्यवर्ती क्षेत्र	Ranthambhore Tiger Reserve (Buffer Area)
	14.10.3	राष्ट्रीय घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य	National Ghariyal Wild Life Sanctuary
	14.10.4	जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य	Jawahar Sagar Wild Life Sanctuary
14.11	वन्यजीव क्षेत्रों के सुधार हेतु प्रस्ताव		Proposals for Improvement of Wild Life area
14.12	अन्य क्षेत्रों में पाये जाने वाले वन्य – प्राणियों हेतु प्रस्ताव		Wild Life Plan for Other Areas
14.13	वन्य प्राणियों की सुरक्षा की समस्याएँ		Safety Problems of Wildlife

14.14	वन्य जीव संरक्षण के उपाय		Wild life Conservation Measures
14.15	पक्षी वर्गीय वन्यजीवों का प्रबन्धन		Management Plan for Avifauna
	14.15.1	पक्षियों की गणना	Counting of Birds
	14.15.2	पक्षियों के आश्रय स्थलों का चिन्हिकरण	Identification of Birds Habitat
	14.15.3	पक्षीजात के संरक्षण हेतु प्रस्ताव	Proposals for Conservation of Avifauna
14.16	वन्य प्राणी संरक्षण में स्थानीय जनता की सहभागिता		Participiption of Local People in Conservation of Wild life
14.17	वन्य जीव गणना का विवरण		Statement of Wild life Census
14.18	वित्तीय पूर्वानुमान		Financial Forecast

अध्याय – 14

वन्यजीव प्रबन्धन (अतिच्छादी) कार्यवृत्त

CHAPTER - XIV

Wild Life Managment (Overlapping) Working Circle

14 वन्यजीव संरक्षण

14.1 सामान्य संरचना

यह कार्यवृत्त सम्पूर्ण वनमण्डल क्षेत्र में अतिच्छादी है जिन वन्यजीव एवं गैर वन्यजीव की प्रबन्धन योजनाऐं वन्यजीव प्रभाग द्वारा तैयार नहीं की गई है उनमें फील्ड कार्य के अध्ययन के आधार पर सम्पूर्ण विवरण दिया जाकर, इन वन्य जीव क्षेत्रों में सुधार हेतु उपचार सुझाना है। जिले में वन्य जीवों की स्थिति के बारे में विस्तार से भाग 1 के अध्याय 2 ब में विवेचन किया गया है।

पूर्व में राज्य में बन रही कार्य आयोजना में ही संबंधित जिले/वनमंडल के अन्तर्गत आने वाले अभ्यारण्यों एवं वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्रों के विकास, नियंत्रण एवं प्रबंधन के दिशा निर्देश दिए जाते थे। यहाँ वन्य–जीव प्रंबधन को अपनाया जाकर विशिष्ट एवं प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है, साथ ही वन्य–जीवों के संरक्षण एवं विकास को अधिक प्रभावी बनाने के लिये विभिन्न कार्य संपादित कराये जा रहे हैं, क्योंकि वन्य–जीव प्रबंधन, वन्य–जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संचालित गतिविधि है, अतः उसके अनुरूप कार्य करने के उद्धेश्य से वन्य–प्राणी बहुल इन क्षेत्रों को वन्य–जीव अभयारण्य घोषित कर वन्य–प्राणी के आवास भोजन–पानी एवं संरक्षण को अधिक प्रभावी बनाया गया है। वर्ष 2003 से अभ्यारण्यों के विकास, नियंत्रण एवं प्रबंधन को और विस्तृत एवं प्रभावी बनाने की दृष्टि से वन्य–जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत, पृथक से प्रबंधन योजना तैयार कर, सरकार से स्वीकृती प्राप्त करना आवश्यक बनाया गया है तथा स्वीकृत प्रबंधन योजना के तहत ही इन अभयारण्यों में कोई कार्य कराया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी अभ्यारण्यों के लिये उनकी पारिस्थितिकी के अनुरूप ही 10 वर्षो हेतु पृथक–पृथक प्रबंधन योजना बनाने के निर्देशों की अनुपालना में समस्त अभयारण्यों की पृथक–पृथक प्रबंधन योजना तैयार

किये जाने के लिए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान के कार्यालय में उप वन संरक्षक (प्लान), वन्य जीव, पदस्थापित हैं।

भारत सरकार के कार्य आयोजना कोड के अनुसार प्रत्येक कार्य आयोजना में वन्य प्राणी प्रबन्धन कार्य वृत्त को अधिदेशात्मक बनाया गया हैं। अतः संहिता के अनुरुप बूंदी जिले में भी इस कार्य वृत्त को पूरे जिले हेतु बनाया जाकर अतिच्छादी कार्यवृत्त बनाया गया हैं।

स्वतंत्रता से पूर्व वन्य जीव बहुतायात से पाये जाते थे, लेकिन ब्रिटिश राज के समाप्त होते ही वन्य जीवों का शिकार, एक खेल बन गया। वन्य जीवों का शिकार, स्टेटस सिम्बल माना जाता था और राजा महाराजा अपने–अपने मेहमान नवाजी में शिकार का आयोजन किया करते थे। धीरे–धीरे यह खेल राजा महाराजाओं और शाही परिवार तक ही सीमित हो गया और यह खेल स्वतंत्रता प्राप्ति तक चलता रहा। लेकिन समय के साथ–साथ वन्य जीवों में काफी कमी आ गई है। इनमें से कुछ तो बिल्कुल दुर्लभ हो गये हैं, और कुछ समाप्त होने के कगार पर हैं। इन वन्य जीवों की कमी अथवा समाप्त होने के कई कारण रहे हैं। सबसे बडा कारण तो यह रहा है कि वनों को, बढती जनसंख्या की आवश्यकताओं के कारण साफ कर खेती, उद्योग व अन्य काम में ले लिया गया। वन्य जीवों के आश्रय स्थल उजड़ गये और वे बेघर हो गये, जिससे या तो वे मर गये अथवा छोटे से क्षेत्र में सिकुड़ कर रह गये।

14.2 वन्यजीवों का सामान्य स्वरूप

इस वन मण्डल में स्तनधारी पशुओं में सबसे महत्वपूर्ण बघेरा व रीछ (भालू) हैं, जिनकी संख्या का सही–सही ज्ञान नहीं है अतः इन प्रजातियों के पशु बस्ती में या बस्ती के पास आ जाते हैं तब ही इनका आभास होता है। जिले में अनेक ताल–तलैयाऐं होने के कारण मात्र जलीय पक्षी ही प्रचुर संख्या में नहीं है वरन् अप्रवासी व भूमि पक्षी (Terrestrial Birds) भी प्रचुर संख्या में दिखाई देते हैं। यह जिला जैव विविधता के विषय में समृद्ध है।

14.3 वन्य प्राणियों की प्रबन्ध योजना

बूंदी जिले के वन क्षेत्र व राजस्व क्षेत्र (प्रादेशिक वन मण्डल व राजस्व) में भी काफी मात्रा में विभिन्न प्रजातियों के वन्य–जीव जून 2011 की वन्य–जीव गणना के दौरान पाये गये हैं। इन क्षेत्रों में वन्यजीव प्रबंधन हेतु कोई विशिष्ठता नहीं है। सामान्य

प्रादेशिक वन प्रबंध के साथ–साथ ही वन्यजीव की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। अतः जिले में वन्य जीवों के पुख्ता ठोस एवं वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु सर्वप्रथम यह अत्यन्त आवश्यक है, कि जिले में वन्य जीवों की वास्तविक संख्या, पूर्ण प्रशिक्षित एवं दक्ष वन्यजीव विशेषज्ञों को नियोजित कर ज्ञात की जावे। इस दौरान सभी वर्गों के वन्य जीवों की अनुमानित संख्या, उनके प्राकृतिक आश्रय स्थलों का चिन्हीकरण, उनका बहुल क्षेत्र, उनके विचरण व स्थानीय प्रजनन के क्षेत्र, उनके भोजन उपलब्धता के पारंपरिक व वर्तमान क्षेत्र इत्यादि संबंधी आंकड़े एकत्रित किए जाकर, इनके आधार पर वन्यजीव मानचित्र तैयार किया जावे। इसके आधार पर ही वन्यजीव प्रबंधन की कोई ठोस योजना तैयार कर, अमल में लाई जा सकती है। इन स्थलों की विशेष निगरानी व सुरक्षा की जावे। क्षेत्र से संबंधित वन रक्षक व वनपाल को वन्यजीव संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण भी दिलाया जावे। इन क्षेत्रों में पाये जाने वाले वन्य–जीव अत्यंत महत्वपूर्ण होने से इनकी भी सुरक्षा एवं प्रंबधन की योजना बनायी जाना आवश्यक हो गया हैं, अतः इनके प्रबंधन के लिये निम्नानुसार कार्य आयोजना प्रस्तावित है।

(1) वन क्षेत्रों में पाये जाने वाले वन्य–प्राणियों के लिये।

(2) अन्य क्षेत्रों (राजस्व) में पाये जाने वाले वन्य–प्राणियों के लिये।

14.4 प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य

इस जिले के वन्यजीव प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य निम्न हैं :–

(1) समस्त वन्यजीवों को सुरक्षा व संरक्षण प्रदान कर जैव विविधता में वृद्धि करना।

(2) वन्यजीवों के आश्रय स्थलों को चिन्हित कर उन्हें संरक्षण प्रदान करना।

(3) वन्य जीवों के सुरक्षा एवं संरक्षण से स्थानीय जन–मानस से जोड़ना।

(4) पक्षी वर्ग का संरक्षण एवं विकास करना।

(5) पर्यटकों को आकर्षित कर विदेशी मुद्रा कमाना।

14.5 वन्यजीवों की उपलब्धता

बूंदी रियासत के शासकों ने अपने शासन काल में वन्य जीवों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया था इसलिये इन क्षेत्रों को राजस्थान में वन्यजीवों की उपलब्धता एवं वितरण की दृष्टि से उत्तम समझे गये। रियासतों के राजस्थान राज्य में विलयीकरण उपरान्त वन्य जीवों की संख्या में ह्रास हुआ जिसका मुख्य कारण रहा है वन्यजीवों के आश्रय स्थलों

में कमी व आधुनिक हथियारों के लाईसेंस दिया जाना। परिणाम यह हुआ कि वन्य जीव कुछ ही स्थानों पर केन्द्रित होकर रह गये।

14.6 क्षेत्रफल का विवरण

यह कार्यवृत्त अतिच्छादी है पर इस कार्यवृत्त की उपचार विधियां निम्न वन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र (Protected area) के अतिरिक्त बूंदी वन मण्डल के शेष क्षेत्रों पर प्रभावित रहेगी :–

Protected Areas उपरोक्त कार्यवृत्तों में सम्मिलित

	रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति मध्यवर्ती क्षेत्र जो 06/07/2012 की अधिसुचना के पश्चात संरक्षित क्षेत्र घोषित		राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य		कुल क्षेत्रफल (हे.में.)	
	संवि.	क्षेत्रफल (है.)	संवि.	क्षेत्रफल (है.)	संवि.	क्षेत्रफल
नैनवा	24	4277.48	0	0	24	4277.48
इन्द्रगढ़	93	14354.61	7	1268.11	100	15622.72
के0पाटन	0	0	10	2193.37	10	2193.37
कुल	**118**	**18632.09**	**17**	**3461.48**	**134**	**22093.57**

फोलाई वनखण्ड का 2–14 नं के संविभाग इन्द्रगढ रेन्ज में आंशिक (part) रूप से सम्मिलित है, (शेष संविभाग नं 1 रामगढ वनखण्ड रेजं में है।)

उपरोक्त कार्यवृत्तों में सम्मिलित नहीं

वन क्षेत्र	क्षेत्रफल (हे.में)	सम्मिलित रेंज/वनखण्ड
रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति मध्यवर्ती क्षेत्र– पूर्व में घोषित क्षेत्र	**979.35**	इन्द्रगढ़
रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य	**22222.12**	रामगढ
जवाहर सागर. वन्यजीव अभ्यारण्य	**9760.448**	अम्बारानी, गुढाराजपुरा
	32961.92	

बूंदी वन मण्डल में वन्यजीव की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्रों की सूची

क्र. स.	स्थल का प्रचलित नाम	नाम वनखण्ड	नाम रेंज	समीपपस्थ ग्राम	प्रमुख प्रजातियां
1	माणक चौक	पीपल्या माणक चौक	वन्यजीव रामगढ़	लुहारपुरा	नीलगाय, सियार, लोमड़ी, नेवला, सेही
2	मोतीपुरा	पीपल्या माणक चौक	वन्यजीव रामगढ़	लुहारपुरा	पेंन्थर, नीलगाय सियार, लोमड़ी, नेवला, सेही
3	भीमगंज	पीपल्या माणक चौक	वन्यजीव रामगढ़	जावरा	नीलगाय, सियार, लोमड़ी, नेवला, सेही
4	बोर कुई, गराडीया महादेव	अम्बा रानी	वन्यजीव जवाहर सागर	खडीपुर, करौंदी	बघेरा, रीछ, नीलगाय, सियार, लोमड़ी, नेवला, सेही
5	नासीरा घाटा	गुढा राजपुरा	वन्यजीव जवाहर सागर	नासीरा, गुढा, राजपुरा	बघेरा, रीछ, नीलगाय, सियार, लोमड़ी, नेवला, सेही

14.7 क्षेत्र की वनस्पति –

इस वनक्षेत्र मे पायी जाने वाली निम्न मुख्य प्रजातियां हैं :– धोक, खैर, तेन्दु, अमलतास, गुरजन, छीला, सेंता, कदम्ब, हिंस, चुरैल, नीम, बैर, पंवार, धमासा एवं लापला घास आदि।

14.8 वन्य जीव

वनमण्डल बूंदी में विभिन्न प्रजातियों के स्तनधारी, रेंगने वाले जीव मछलियां व पक्षी पाये जाते हैं।

- **स्तनधारी** – बघेरा, भालू, जंगली सूअर, भेड़िया, जरख, नीलगाय, चीतल, सांभर आदि पाये जाते हैं। इन्हें ग्रीष्म ऋतु में जल स्रोत के पास आसानी से देखा जा सकता है परन्तु इनकी संख्या वर्तमान में बहुत सीमित रह गयी है। स्तनधारी लघु वन्य जीव जैसे लोमड़ी, सियार, खरगोश, लंगूर, बंदर, जंगली बिल्ली, सेही, गिलहरी अभी भी अनेक क्षेत्रों में दिखायी दे जाते हैं। कस्बो के आस–पास अभी भी सियारों

की आवाज संध्या के समय व रात्रि में सुनी जा सकती है यहां लोमड़ियां भी मौजूद हैं।

- **पक्षी – भौतिक पक्षी –** इस क्षेत्र में सामान्यतः पाये जाने वाले पक्षी निम्न हैः– बुलबुल, ब्लू रॉक कबूतर, हरियल, कमेड़ी, रेड वेन्टेड, बुलबुल, सारस, मोर, कमेड़ी, मैना, तीतर, बटेर, तोता, कौआ, चील, बाज, बगुले, बया, जंगली मुर्गा, इंडियन रॉबिन, सनवर्ड, बी–इटर, फ्लॉवर पेकर, चील, कठफोड़वा आदि।
- **जलीय पक्षी –** कोरमोरेन्ट, डॉटर, सारस, कूट्स, टीलस, बतख (चम्बल नदी में)। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण अध्याय–2 में दर्शाया गय है। सर्दी में प्रवासी पक्षी भी बड़ी संख्या में इस जिले में निवास करते हैं।
- **सरीसर्प** – मगरमच्छ, घड़ियाल मुख्यतः चम्बल नदी में पाये जाते हैं परन्तु इनकी संख्या में भारी गिरावट आयी है। यह दोनों प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। छिपकली प्रजातियों के प्राणी वनमण्डल के सभी क्षेत्रों में पाये जाते हैं। सर्पों में कोबरा तथा वाईपर प्रमुख हैं, क्रेत है परन्तु इनकी संख्या कम है। तालाबों में कछुऐं व जल सर्प पर्याप्त संख्या में है। वनमण्डल में अनेक प्रजातियों की मछलियां प्रायः देखी जा सकती है, जिनमें मुख्य हैंः रोहू, सिगाडा, कटला, मूगाल व बडादा आदि सामान्य है।

14.9 उपचार :–

(i) जून 2011 की वन्य–प्राणी की गणना प्रतिवेदन का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि प्रत्येक रेन्ज क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में विभिन्न प्रकार के वन्य–प्राणी पाये गये हैं। अतः प्रत्येक रेन्ज मे ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर वहाँ पर वन्य–प्राणी प्रबन्धन के अनुरूप विभिन्न कार्य करवाए जाने चाहिये। प्रत्येक चिन्हित क्षेत्र, कम से कम 500 हैक्टर का होना चाहिये। वन्य प्राणियों की उपलब्धता के आधार पर इन क्षेत्रों का वन्य–प्राणी प्राकृतवास क्षेत्रफल इससे भी अधिक बढ़ाया जा सकता है, किसी किसी रेन्ज में यह क्षेत्र एक से अधिक जगह हो सकते है, जिसका निर्धारण वन्य–प्राणी विशेषज्ञ/वन्य–प्राणी प्रभाग द्वारा किया जाए।

(ii) ऐसे क्षेत्र चिन्हित करने के उपरान्त, इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिये कच्ची–पक्की फैंसिग करायी जानी चाहिए तत्पश्चात् **प्राकृतवास सुरक्षा व विकास** के तहत कार्य करवाये जाने चाहियें, ताकि पाये जाने वाले वन्य–प्राणियों को न केवल संरक्षण प्राप्त हो सके, वरन् उनके आवास, भोजन, पानी सुविधायें विकसित हो सकें, फलस्वरूप ये क्षेत्र, वन्य–प्राणी

के लिये भविष्य में ''कोर क्षेत्र'' का कार्य भी करेंगे तथा वन्य–प्राणियों पर्याप्त संख्या में स्थापित होने के उपरान्त, अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित हो सकेंगे। इन कार्यो में अग्नि पट्टी का निर्माण एवं संधारण, आवागमन के लिये मार्गों का निर्माण एवं संधारण, पानी के लिये वाटर होल का निर्माण एवं संधारण (इसमे एनीकट निर्माण, हैण्ड पम्प खुदाई कार्य भी करवाये जावें) तथा चारे के लिये चारा प्रजातियों के पौधों का रोपण व घास के बीजों का रोपण कार्य कराये जावें तथा फलों के पौधों को भी पर्याप्त संख्या में रोपित किया जाय तथा बाँसो का कल्चरर ऑपरेशन एवम् रोपण कार्य मय अन्य कल्चरल आपरेशन के कराये जावें। कच्ची पक्की फैंसिग होने के कारण चराई, कटान, अतिक्रमण तथा अन्य अवैध कार्यो पर अंकुश लगने में भारी सहायता व सफलता मिलेगी।

(iii) इन संरक्षित क्षेत्रों का उपयोग, **ट्रांसलोकेशन सेन्टर** के बतौर भी किया जा सकेगा। इनमें वन्य प्राणी के क्षेत्रों में पकड़े गये या घायल वन्य प्राणी को भी छोड़ा जा सकेगा तथा उनपर पर्याप्त ध्यान दिया जा सकेगा, इस प्रकार उसी क्षेत्र के वन्य प्राणी, उन्हीं परिस्थितियों के संरक्षित क्षेत्र में भली प्रकार से रह सकेंगे तथा विकसित हो सकेंगे।

(iv) इस प्रकार के ट्रांसलोकेशन कार्य के लिये प्रत्येक वन मण्डल में कम से कम एक **ट्रांक्यूलाईजर गन,** मय सहायक उपकरणों के तथा दवाओं के भी होना अनिवार्य है ताकि यह वन मण्डल इस कार्य के लिये किसी अन्य वन मण्डल पर आश्रित नहीं रहे। फलस्वरूप त्वरित गति से वन्य–प्राणी को वांछित सुरक्षा प्रदान की जा सके। सहायक उपकरणों में **ट्रैंक्यूलाईजर दवाओं** के सुरक्षित भण्डारण व परिवहन के लिये एक रेफ्रीजरेटर तथा कम से कम दो आईस बॉक्स होने चाहिये, अन्यथा मंहगी तथा स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाऐं प्रभावहीन हो जायेगी तथा समय पर इनको दूर दराज स्थान से प्राप्त करना भी कठिन हो जायेगा। पकड़े गये वन्य–प्राणी के परिवहन के लिये कम से कम एक बड़ा तथा एक छोटा लोहे का मजबूत पिंजरा भी होना आवश्यक है, साथ ही परिवहन के लिये उपयुक्त वाहन भी होना जरूरी है। इस कार्य को अंजाम देने के लिये एक प्रशिक्षित दल भी होना जरूरी है जिसमें कम से कम 5 कर्मचारी होने चाहिये, जिन्हे ट्रांक्यूलाईजर गन का संचालन एवं संधारण कार्य भली भाँति आता हो, यह प्रशिक्षण कार्य वन्य–प्राणी प्रभाग द्वारा करवाया जा कर, प्रतिवर्ष एक रिफ्रेशर कोर्स भी चलाया जाये ताकि दल हमेशा इस कार्य के लिये पारंगत रह सके।

(v) इन वन्य क्षेत्रों में इस प्रकार के क्षेत्र हैं जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होता है, अतः यहाँ पर सर्दियों में भी जलचर (पक्षी) आदि आकर प्रवास करते है, अतः संरक्षित क्षेत्र का चयन करते समय ऐसे क्षेत्रों को भी चिन्हित कर, इनका अलग से विकास इस

प्रकार किया जावे कि, यहाँ पर वर्ष भर पानी उपलबध रह सके तथा इन प्रवासी पक्षियों के रूप में आवास, भोजन एवं प्रजनन के लिये आदर्श तरीकों से क्षेत्र का विकास हो, ताकि अधिकाधिक देशी व प्रवासी पक्षी नजर आ सकें। इनके संरक्षण हेतु वनों में उचित स्थानों पर नाडियाँ, एनीकट, वाटरहॉल्स आदि बनाना प्रस्तावित किया जाए।

(vi) निम्न बिन्दुओं पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक हैं।

वन्य प्राणियों के संरक्षण के उपाय में इनके महत्व को आमजन को समझना तथा उनकी मानसिकता में परिवर्तन लाने के लिये उपाय जरूरी है। क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण के संबंध में विशेषकर उनके स्वभाव के संबंध में समुदाय में व्याप्त भ्रम को दूर करने से संबंधित जानकारी, वन्य जीवों संबंधी कानूनी प्रावधान, वन्यजीवों से नुक्सान होने पर मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि आदि के बारें में जनसामान्य में जाग्रति फैलाकर, जनसहभागिता को बढ़ाया जाना अति आवश्यक है। शैक्षिक पाठ्यक्रम में जैविक संपदा के संरक्षण–संवर्धन को स्थान दिया जाना उचित होगा जिससे कि आने वाली पीढ़ी शुरू से ही इनके महत्व से परिचित हो जाये तथा उनकी मानसिकता इनके संरक्षण के लिये अनुकूल हों। छात्र–छात्राओं को वन भ्रमण, पक्षी अवलोकन अभियान, ईको–ट्रेंकिग, वन महोत्सव, वन महोत्सव, वन्यजीव सप्ताह, विश्व नमभूमि दिवस, विश्व वानिकी दिवस, ओजोन दिवस आदि–आदि कार्यक्रमों से जोड़ा जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त स्वंय सेवी संस्थाओं को भी प्रचार–प्रसार के लिये आगे लाया जावें। संचार माध्यमों का भी पूर्ण सहयोग लिया जावें। प्रिन्ट मीडिया एवं दृश्य मीडिया बहुत शक्तिशाली एवं प्रभावी माध्यम है।

होर्डिंग एवं साईनेज ऐसे स्थान पर लगाये जावे कि आमजन उसको देख सकें। वाहन चालकों को जागरूक बनाना भी जरूरी है ताकि सड़क पर वन्य–प्राणियों के कुचलने की घटनाओं में कमी आ सके। सड़कों के नीचे भी जगह–जगह "अन्डर पास" रखे जाने चाहिये। वन्य–प्राणी सप्ताह पर संचार माध्यमों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाना जरूरी है। ये कार्यक्रम शहर से ग्राम स्तर पर उचित होगा। इस प्रकार प्रचार एवं प्रसार से आमजन में वन्य प्राणियों के संरक्षण की भावना बलवती होगी।

वाटर होल्स – जहां वन्य प्राणियों की अधिकता है, तथा वाटर होल्स कम है वहां वाटर होल्स की संख्या में वृद्धि करनी चाहिये क्योंकि गर्मियों में वन्य जीवों के लिये पीने के पानी वाले स्थलों की बहुत कमी हो जाती है अतः पर्याप्त संख्या में वाटर होल्स बनाये जावें तथा वाटर होल के प्रवेश वाली दिशा में रपट वाली जगह ऐसी बनायी जावें कि

खुर वाले पशु फिसले नहीं। गर्मी में यदि वाटर होल्स में जल बहुत कम रह जाता है जो समय–समय पर टेंकर से पानी भरवाना चाहिये।

छायादार वृक्षारोपण – प्रत्येक वाटर होल के पास फल व छाया वाले वृक्ष रोपित किये जावें जैसे – जामुन, बेर, करंज आदि।

लवण लेह – वन्य पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य हेतु वन क्षेत्रों में अनेक सुरक्षित व उपयुक्त स्थानों पर सेंधें नमक के बडे भाग, वन्य पशुओं के चाटने हेतु लवण लेह समय–समय पर रखे जाने चाहिये एवं उनका संधारण किया जाना चाहिये।

अवैध कटान पर नियंत्रण – वन क्षेत्रों में जहां वृक्षों का घनत्व अधिक होता है वहां गर्मियों में वन्य प्राणी निवास करते हैं अतः वहां से वृक्षों को नहीं काटा जाना चाहिये, वहां मानवीय गतिविधियां कम से कम हो ताकि वन्य प्राणी र्निविध्न रह सके। **व्यापक प्रचार–प्रसार द्वारा पारिस्थितिकीय विकास को बढ़ावा देना** – वन्य प्राणियों को उनके वातावरण में खुले देखने का आनन्द अविस्मरणीय होता है अतः जहां–जहां वाच टॉवर्स है उनका सही रख–रखाव हो और आवश्यकता होने पर ऐसे नये निर्माण भी किये जा सकते हैं। वन विहार एवं राम सागर क्षेत्रों में देशी व विदेशी पर्यटकों को कारगर उपाय एवं सुविधाओं का विकास कर आकर्षित किया जा सकता है ताकि राज्य के राजस्व में अभी वृद्धि हो। इस हेतु आरामदायक विश्रामगृहों का व मार्गों का सुधार किया जाना आवश्यक है। इस हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार की भी आवश्यकता है।

शिकार की रोकथाम :

(i) वन्यजीवों का मांस अनेक बार आस–पास के होटलों में परोसा जाता है अतः समय–समय पर छापे मार कर या खोजबीन के जरिये अवैध कार्यवाहियों का पता लगाकर निम्नानुसार सजा दिलवाने की कार्यवाही की जानी चाहिये।

(ii) शिकार सम्बन्धी सूचनाऐं देने वाले लोगो को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये तथा उन्हें पारितोषिक भी दिया जावे और उनके नाम समाचार पत्र एवं टी.वी. पर भी दिखाये जाने आवश्यक है।

(iii) वनक्षेत्र में आस–पास के निवासियों को हथियारों के लाईसेंस नहीं दिये जाने चाहिये।

(iv) कुछ शिकार से सम्बन्धित जातियों जैसे – मोगिया, बावरी आदि के व्यक्तियों पर विशेष निगरानी की आवश्यकता होती है क्योंकि ये लोग मांसाहारी ही नहीं होते अपितु कुशल शिकारी भी होते हैं जो अवैध हथियारों से वन्य पशुओं की निर्ममता से हत्या करते हैं।

(v) बूंदी वनक्षेत्रों में जन्तु हंतकों का बाहुल्य नहीं है तथापि वनक्षेत्रों में जंगली कुत्ते, जरख आदि पशुओं की आबादी अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिये।

14.10 संरक्षण क्षेत्र (Protected Areas) एवं उनका प्रबन्धन

Name of Division	Name of Unit, Status and Notification number	forest Area of Bundi (In Sq. Km.)
DCF, Wild Life Kota	Ramgarh Wild Life Sanctuary Notification DF1/A/Raj/8/75 dated 20.5.1982	**222.12**
DCF, Wild Life Kota	Jawahar sagar sanctuary Notification [F.3(5)(13)Rev/8/73] Dated 9 Oct. 1975	**97.60**
DCF, RTR S Madhopur	Ranthambhore Tiger reserve(Buffer Area) notification F3(34)/Forest/2007 dated 06.07.2012 earlier notification 23.12.2007	**196.20**
DCF, Wild Life S Madhopur	National Ghariyal Sanctuary Notification [F.11(12)Rev/Gr-8/78] Dated 16-07-1983	**34.61**

इस जिले में वन्य जीव अभ्यारण्यों का प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य उपवन संरक्षक, वन्य जीव कोटा, आर.टी.आर, सवाई माधोपुर तथा वन्यजीव, सवाई माधोपुर कार्यालय द्वारा देखा जा रहा है।। इन वन्यजीव अभ्यारण्यों की प्रबन्धन योजना सम्बन्धित वन्य जीव प्रभागों, द्वारा निर्धारित की गई है और उसके अनुसार ही भविष्य में प्रबन्धन किया जाना प्रस्तावित है। अतः इनके प्रबन्धन हेतु संक्षेप में ही प्रमुख बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया है। राष्ट्रिय चम्बल घड़ियाल अभ्यारण्य का मात्र कुछ भाग ही इस जिले में पड़ता है। वन्य जीवों के विकास हेतु एक बड़ा 'बॉयोस्फीयर' बनाये जाने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन अन्तिम चरण में है। जब यह योजना आरम्भ हो जावेगी तब कोटा से बूंदी तक का वन्यजीव क्षेत्र इस बॉयोस्फीयर के अंतर्गत होगा। बून्दी वन

मण्डल में निम्न वनक्षेत्र विभिन्न अधिसुचना अनुसार संरक्षित क्षेत्र (Protected Areas) माने गये है। इन वनक्षेत्रों के लिए उपचार प्रासंगिक प्रबन्धन योजनाओं में निर्दिष्ट है।

रेंज	संरक्षित क्षेत्र	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
नैनवा	RTR	4277.48
इन्द्रगढ़	RTR	15333.96
	राष्ट्रीय घडियाल अभयारण्य	1268.11
रामगढ	रामगढ वन्य जीव अभयारण्य	22222.12
डाबी	जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य	9760.448
के. पाटन	राष्ट्रीय घडियाल अभयारण्य	2193.37
योग		**55055.488**

14.10.1 रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य

रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान सरकार ने अधिसूचना क्रमांक DF 1/A/Raj/875 dt. 20.5.1982 द्वारा उद्घोषित किया था। इस उद्घोषणा की प्रति परिशिष्ट में संलग्न हैं। इस अभयारण्य के प्रबन्धन हेतु वन्यजीव प्रभाग द्वारा पृथक से प्रबन्धन योजना तैयार की गई है और इस प्रबन्धन योजना के अनुसार ही इस अभयारण्य का प्रबन्धन किया जा रहा है। रामगढ़ अभयारण्य का वन एवम् राजस्व क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 307 वर्ग कि.मी है। इसकी सीमाएं पूर्व में जैतपुरा नैनवाँ रोड, पश्चिम में बूंदी, दलेलपुरा, ईसरदा, बोरखेड़ा, उत्तर आकोदा, सबलपुरा, नयागांव, डपटा, विषधारी, काला नाला, पलाशथूनी, गुढ़ासदावर्तिया, नन्दगांव बस्सी एवं दक्षिण में बून्दी में नैनवाँ रोड जैतपुर तक तथा बूंदी में जयपुर रोड (फूलसागर मोड़) तक है। यह अभयारण्य 10 कि.मी. चौड़ा तथा 50 कि.मी. लम्बा है। रामगढ़ अभयारण्य के क्षेत्रफल में वन मण्डल के 9 वनखण्डों के 131 संविभाग सम्मिलित है, जिनका क्षेत्रफल 22222.12 हैक्टयर है। पूर्व में यह अभयारण्य बूंदी रियासत की शिकारगाह थी। इस अभयारण्य के प्रबन्धन हेतु एक सहायक वन संरक्षक, एक क्षेत्रीय वन अधिकारी, तीन वनपाल, 7 सहायक वनपाल एवं 14 वन रक्षक पद स्थापित हैं। सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी मुख्यालय बूंदी शहर में है। इस अभयारण्य में घाटियों के अतिरिक्त क्षेत्रों में निम्न गुणवत्ता का धौक पाया जाता है जिसकी मुख्य सहायक प्रजाति खैर है। घाटी क्षेत्र में सेंता, गूलर, बरदवान, तेन्दू, छीला, गोयाखैर, गुरजन, कड़ाया एवं अमलतास भी

पाये जाते है। झाड़ियों में झड़बेर व जाल मुख्य है, क्षुप में मुख्य है गंगेरन एवं कोलीकांदा। घासों में प्रमुख हैं चिंकारी, भंजुरा, लापला, सीन, सेदंवा, लोथ, दादा–मूंसी। लताएं – सतावरी, चिरमी, सफेद मूसली। वर्षा के उपरान्त भेड़िया, बघेरा ,सांभर, चिंकारा, नीलगाय खरगोश, लोमड़ी, गीदड़ एवं जरख आदि भी इस क्षेत्र में दिखाई देते है।

14.10.2 रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति मध्यवर्ती क्षेत्र_(Buffer Area)

राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रिय अधिनियम संख्या 53) के अर्न्तगत दिंनाकः 23.12.2007 को अधिसूचित रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति (Tiger Reserve) के क्रान्तिक व्याघ्र निवासी क्षेत्र (Critical Tiger Habitat) के चारों ओर बून्दी मे वर्णित वन क्षेत्र जिनकी सीमाएं निम्न में वर्णित है, दिः 06.07.2012 को रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति मध्यवर्ती क्षेत्र(Buffer Area) घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में क्रान्तिक व्याघ्र निवास की समग्रता और व्याघ्र प्रजातियों के लिए पर्याप्त विचरण को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मात्रा मे निवास सरंक्षण अपेक्षित है। इसका उद्देश्य वन्य जीव और मानव क्रियाकलाप के बीच स्थानीय व्यक्तियों के जिविकोपार्जन, विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारो की सम्यक मान्यता के साथ सह अस्तित्व का संर्वधन करना है।

इस वन क्षेत्र का विकास प्रबन्धन रणथम्भौर व्याघ्र निवासी क्षेत्र (Critical Tiger Habitat) के लिए पूर्व में घोषित प्रबन्ध योजना व्याघ्र संरक्षण योजना (Tiger Conservation Plan) में सम्मिलित किया जावेगा।

क्र. स.	वनमण्डल	रेन्ज	वनखण्ड का नाम	वन का प्रकार	क्षेत्रफल(है.)
1	बून्दी	इन्द्रगढ	मोहनपुरा	आरक्षित वन	1777.58
2	बून्दी	इन्द्रगढ	कांकरा	संरक्षित वन	1372.83
3	बून्दी	इन्द्रगढ	लाखेरी	संरक्षित वन	2435.18
4	बून्दी	इन्द्रगढ	सालमदरा ए0	संरक्षित वन	98.70
5	बून्दी	इन्द्रगढ	सालमदरा बी0	संरक्षित वन	139.19
6	बून्दी	इन्द्रगढ	सालमदरा सी0	संरक्षित वन	250.55
7	बून्दी	इन्द्रगढ	डोबरली	संरक्षित वन	85.95
8	बून्दी	इन्द्रगढ	सालमदरा डी0	संरक्षित वन	177.72

9	बून्दी	इन्द्रगढ	बांकलिया महादेव	संरक्षित वन	438.00
10	बून्दी	इन्द्रगढ	रामनगर	संरक्षित वन	38.02
11	बून्दी	इन्द्रगढ	फोलाई	संरक्षित वन	2438.89
12	बून्दी	इन्द्रगढ	माताजी वाला	आरक्षित वन	440.06
13	बून्दी	इन्द्रगढ	अरियाली बुड करवर	संरक्षित वन	1559.92
14	बून्दी	इन्द्रगढ	बलवन***	आरक्षित वन	967.83
15	बून्दी	इन्द्रगढ	गडवाला	आरक्षित वन	949.11
16	बून्दी	इन्द्रगढ	गैण्डोली	संरक्षित वन	1732.72
17	बून्दी	नैनवा	तलवास	आरक्षित वन	4277.48
18	उ.व.सं. कोर बाघ परि.	स. माधोपुर	पोलघटा***	संरक्षित वन	435.00
योग					**19620.41**

*** बलवन वनखण्ड के 3 संविभाग, पोलघटा वनखण्ड पूर्व में ही कोर बाघ परि. को हस्तांतरित किये जा चुके है।

14.10.3 राष्ट्रीय घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य

राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य वर्ष 1979 में बना था। इसका कुल क्षेत्रफल 5400 वर्ग किमी. है, जो कि तीन राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई चम्बल नदी के दोनों ओर 1–1 किमी. दूरी तक है। राजस्थान में इसका विस्तार कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर एवं धौलपुर में है। इस अभ्यारण्य में कई बार गेंगेटिक डोलफिन्स भी देखने को मिलती है व सर्द ऋतु में बाह्मणी बर्ड (सुरखाव) भी इस क्षेत्र में देखे जा सकते है। चम्बल नदी कोटा व बूंदी जिले की सीमा बनाती है और घडियाल इस नदी के जल में ही पाये जाते है। अब यह क्षेत्र विस्तृत बायोस्पीयर का एक भाग होगा। बून्दी जिले में राष्ट्रीय घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य के वन क्षेत्र के प्रबन्धन सम्पूर्ण राष्ट्रीय घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य की विस्तृत प्रबन्धन योजना का भाग होगें जो अभी प्रक्रियाधीन है। वनमण्डल बूंदी के राष्ट्रीय घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य में हस्तान्तरित क्षेत्र निम्न हैः–?

क्र.स.	रेन्ज	नाम वनखण्ड	वैधानिक स्थिति	क्षेत्रफल (है. में)
1	के. पाटन	रोटेदा–ए	रक्षित	309.47
2	के. पाटन	रोटेदा–बी	रक्षित	298.56
3	के. पाटन	रोटेदा–सी	रक्षित	107.96
4	के. पाटन	रोटेदा–डी	रक्षित	204.02
5	के. पाटन	रोटेदा–ई	रक्षित	132.73
6	के. पाटन	बालापुरा	रक्षित	104.49
7	के. पाटन	पाली–बांसवाड़ा	रक्षित	370.20
8	के. पाटन	जगदरी	रक्षित	219.23
9	के. पाटन	गोहाटा	रक्षित	251.63
10	के. पाटन	बलदेवपुरा	रक्षित	86.28
11	के. पाटन	डोलर	रक्षित	401.92
12	के. पाटन	बालोद	रक्षित	328.71
13	इन्द्रगढ	पीपल्दा	रक्षित	142.26
14	इन्द्रगढ	कोटा खुर्द	रक्षित	237.96
15	इन्द्रगढ	माखीदा	रक्षित	58.22
16	इन्द्रगढ	कोटा खुर्द–बी	अवर्गीकृत	108.61
17	इन्द्रगढ	बहडावली	अवर्गीकृत	99.23
				3461.48

14.10.4 जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य

जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण उत्तर में कोटा बैराज एवं कोटा बांध से बोराबास, पूर्व में बोराबास से रावतभाटा, दक्षिण में रावतभाटा से धुंदेसरा व लोटियाना तथा पश्चिम में अधिसूचित वनखण्डों की सीमा है। यह कुल 153.41 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैला हुआ है। बून्दी जिले में इस का वनखण्डों में क्षेत्रफल 97.60 वर्ग कि.मी. है।

इस अभ्यारण की विज्ञप्ति राज्य सरकार द्वारा 1975 में की गई। यह अभ्यारण कोटा से 35 किलोमीटर दूर है। जो कि शुष्क उष्णनीय वन क्षेत्र है। यह अभ्यारण घडियाल, चीतल, भालू, बघेरा आदि कई प्रजातियों एवं प्रवासी पक्षियों का आवास स्थल हैं। यह स्थल पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस अभयारण में पर्याप्त मात्रा में

वन्यप्राणी एवं पादप हैं जो प्राकृतिक व नैसर्गिक सुंदरता से परिपूर्ण है। इस अभयारण की प्रबन्धन योजना स्वीकृत है।

14.11 वन्यजीव क्षेत्रों के सुधार हेतु प्रस्ताव

वन्य जीवों की सुरक्षा व संरक्षण हेतु निम्न सुझाव है।

- किसी प्रकार के वन्यजीवों के शिकार की अनुमति नहीं दी जावे।
- अभ्यारण्य क्षेत्र में जो भी अवैध खनन वर्तमान में चल रहे हैं उन्हें शीघ्र रोकने के प्रयास किये जाये। यहां से ईमारती पत्थर व पट्टियां निकाल कर जिले में ही नहीं, जिले के बाहर भी भेजी जाती हैं।
- अभ्यारण्य क्षेत्र में अवैध चराई पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगे ताकि वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास में किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप न हो। पालतू पशुओं से किसी प्रकार का वन्य पशुओं को संक्रमण न हो।
- क्षेत्रीय वन अधिकारी को लाईसेंसधारी बंदूक, जीप, मोटर बोट व पर्याप्त स्टाफ से सुसज्जित हो। नाकेदारों के पास एक–एक मोटर साईकिल होनी चाहिये।
- गश्त – इस अभ्यारण्य क्षेत्र में अवैध खनन, अवैध चराई व कटान की रोकथाम हेतु वांछित समस्त सुविधाओं से सुसज्जित एक गश्तीदल का गठन हो।
- वन्य जीव गणना – प्रतिवर्ष जून माह की पूर्णिमा को विश्वसनीय वन्य प्राणी गणना वैज्ञानिक विधि से करवायी जानी चाहिए।
- भवन निर्माण – वर्तमान में अभ्यारण्य में भवनों की स्थिति संतोषपद नहीं है और जो भवन है भी उनमें सुविधाओं का अभाव है। उचित प्रबन्धन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु यहां पद स्थापित कर्मचारियों के कार्यालय, निवास व विश्राम गृह की आवश्यकता है।
- फलदार प्रजातियों के वृक्षारोपण – बेर, आंवला, जामुन, गूलर, बेहड़ा, खजूर, लिसोड़ा, शहतूत, बांस, पीपल आदि वृक्षों को रिक्त एवं उपयुक्त स्थलों में सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए पौधे रोपित किये जावें।
- चारा उत्पादन – रजका, नेपियर घास, मक्का, चना, गाजर का उपयुक्त स्थान पर उगाया जाना चाहिये।
- लवण लेह (साल्ट लीक) :– पर्याप्त संख्या में साल्ट लेक्स का विकास किया जाना चाहिये।

- प्रचार – वन्य जीवों की सुरक्षा के लिये व्यापक प्रचार किया जाना चाहिये।

14.12 अन्य क्षेत्रों में पाये जाने वाले वन्य–प्राणियों के लिये प्रस्ताव।

- वन क्षेत्रों के अतिरिक्त भी कई ऐसे स्थान पाये जाते है, जहाँ अच्छी संख्या में वन्य–प्राणी प्रवास तथा विचरण करते हैं। कई प्रकार के पक्षी गाँवों/शहरों में अपने घोंसले बना कर रहते हैं, खास कर समूह में घौंसला बनाने वाले पक्षी बरबस ध्यान आकृष्ट करते हैं। अतः इस प्रकार के क्षेत्रों/वृक्षों को चिन्हित कर इन पर विशेष ध्यान रखा जावे ताकि आमजन वृक्षों अथवा इनके घोसलों को क्षति ग्रस्त नहीं करे अथवा इन्हें भगाने का कार्य न करें।

- वन्य–प्राणी जल स्थानों के समीप समय–समय पर अकसर आते जाते हैं, अतः इस प्रकार के क्षेत्र चिन्हित कर, इनके आसपास के क्षेत्रों का भी विकास, वन्य–प्राणी प्रबंधन के अनुरूप किया जाना चाहिये ताकि इन्हें भी पर्याप्त संरक्षण एवं उचित वातावरण मिल सके तथा कालांतर में विकसित हो सके।

- इन क्षेत्रों के अतिरिक्त कई तालाब/बड़े एनीकट/नदियों/स्त्रोतों आदि में भी वन्य–प्राणी पाये जाते हैं इसमें विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, प्रवासी जलचर (पक्षी) तथा अन्य उभयचर शामिल हैं। कुछ प्रजातियाँ तो अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं अतः इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये इस क्षेत्र का संरक्षण व विकास किया जावे, एवं इसके वन्य–प्राणी ऐसी प्रजातियों के वृक्षों का रोपण किया जावे जो उनके आवास अथवा भोजन के लिये अनुकूल हों तथा इन वन्य प्राणियों के अतिरिक्त अन्य प्रजातियाँ भी कालांतर में इन्हें अपने आवास/प्रजनन केन्द्र के रूप में प्रयोग में ले सके।

- ऐसे क्षेत्रों में सुविधा जनक स्थान पर, इन वन्य प्राणियों के संबंध में आवश्यक जानकारी तथा इनके चित्र लगाये जाने चाहिये ताकि, आमजन को भी इनकी जानकारी मिल सके तथा वे भी इनके संरक्षण व विकास में अपना वांछित योगदान दे सके। वन्य–प्राणियों के बारे में स्कूल के छात्रों को भी समय समय पर इसकी जानकारी उपलब्ध करायी जावे ताकि, उन्हें भी वन्य–प्राणियों के बारे में समुचित जानकारी मिल सके। इनका विवरण मीडिया को भी नियमानुसार समय समय पर उपलबध कराया जावे ताकि इनका व्यापक प्रचार एवं प्रसार हो सके।

- इस जिले के उपरोक्त वर्णित काफी संख्या में अलग अलग स्थानों पर ऐसे क्षेत्र है, जो संरक्षण एवं विकास की प्रतीक्षा कर रहे हैं अतः वन्य–प्राणी प्रभाग स्थानीय व्यक्तियों/प्रशासन की मदद से इस प्रकार के क्षेत्रों को चिन्हित कर इनके योजनाबद्ध विकास के लिये एक कार्य आयोजना तैयार कर उस पर आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारंभ करे ताकि इस जिले के इन अल्प ज्ञात आवासों में पाये जाने वाले वन्य–प्राणियों को संरक्षण मिल सके तथा वे अपनी क्रांतिक आबादी बनाये रख कर कर पुनः इस जिले को वन्यप्राणियों से परिपूर्ण कर सके।

14.13 वन्य प्राणियों की सुरक्षा की समस्याएँ

वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संरक्षण में भिन्न–भिन्न प्रकार की कठिनाईयां भी हैं, जो निम्नानुसार हैं :

(i) शिकार

वन्य प्राणियों का कभी कभी आबादी के क्षेत्रों में आना, उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा कर देता है। कुछ व्यक्ति अपनी शिकार करने की इच्छा पूर्ति किसी न किसी बहाने या चोरी छुपे कर लेते हैं। पक्षियों का भी शिकार कर लिया जाता है, जो कि प्रवासी होते है।

(ii) सड़क दुर्घटनाएँ

वन क्षेत्रों के मध्य अथवा समीप स्थित सड़क मार्गो पर यदा–कदा वन्य–प्राणी आ जाते हैं। जो सड़क पार करने अथवा विचरण के दौरान तीव्र गति से आने वाले वाहनों की चपेट मे कई बार प्राणी आकर घायल हो जाते है या मारे जाते हैं। घायल वन्य–प्राणी, भोजन व पानी पाने के लिये कमजोर हो जाता है तथा कांलातर में कई बार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। गोह, नेवला, साँप, नीलगाय ऐसी दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं।

(iii) असुरक्षित जल स्त्रोत

राजस्व क्षेत्र में जगह जगह कुएँ, पानी के टैंक एवं गड्डे विविध कार्यो हेतु बनाये जाते हैं, जिन्हें किन्हीं कारण वश खुला छोड़ दिया जाता है और इनकी मुंडेर आदि भी नहीं बनायी जाती है। इनमें वन्य प्राणियों के गिरने की पूर्ण संभावना होती है। वन्य–प्राणी विचरण के दौरान अथवा शिकार का पीछा करने के दौरान या अन्य कारण से असावधानीवश इनमें गिर जाते है तथा घायल हो जाते हैं। समय पर उचित सहायता

प्राप्त होने पर इनका बचाव कर लिया जाता है अन्यथा वन्य–प्राणी मारे जाते हैं। आजकल इस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है तथा काफी संख्या में वन्य–प्राणी मारे जा रहे है।

(iv) **प्रदूषण**

वायु, जल एवं भूमि के बढ़ते हुये प्रदूषण के कारण वन्य–प्राणी भी भारी संख्या में इससे प्रभावित हो रहे है तथा कालांतर में इसके फलस्वरूप वे रोग ग्रस्त हो जाते हैं तथा उनका प्राणांत हो जाता है। खास कर खाद्य सामग्री लाने–ले जाने में उपयोग कर फेंकी गई प्लास्टिक थैलीयाँ वन्य–प्राणी खा लेते हैं। पक्षी रबड़बैण्ड निगल जाते हैं। डाइक्लोफैनिक सोडियम के इंजेक्शन लगे जानवरों के मरने पर इनका माँस, गिद्धों हेतु घातक साबित होता है।

(v) **आवास स्थलों का विनाश**

वन्य प्राणियों के सूक्ष्म प्राकृतिक आवास स्थल जैसे वृक्ष, झाड़ियाँ, बिल, गुफा, छोटी पानी की धाराऐं, नाले आदि मानव की विकास गतिविधियों के चलते नष्ट होते जा रहे हैं। बाँधो, एनीकट्स सड़क व मार्ग निर्माण, खनन, भवन निर्माण तथा अन्य कार्यों के लिये सूक्ष्म आवास स्थलों को नष्ट करने कि प्रक्रिया लगातार होने के कारण वन्य प्राणियों को भारी नुकसान पहुँच रहा है। इसके अतिरिक्त कृषि विस्तार, प्राकृतवासो को नष्ट करने में भूमिका निभा रहा है। चारागाहों में भी गिरावट जारी है। विलायती बबूल, गाजर घास, जैन्थियम आदि प्रजातियां चारागाहों व अन्य आवासों में घुसपैठ कर रहे है जिससे ''आवास परिवर्तन'' एवं ''आवास विनाश'' हो रहा है। आवासों की मूल प्रकृति को बचाना आवश्यक है।

(vi) **विद्युत वितरण प्रणाली एवं प्रकाश व्यवस्था**

विकास के बढ़ते कदमों के कारण विधुत उत्पादन बढ़ा है, तथा इसका वितरण प्रत्येक गाँव व ढाणी तक पहुँचने की प्रक्रिया के दौरान, विद्युत के खम्बे एवं तारों का जाल फैलता जा रहा है। इसके कारण वन्य–प्राणी के स्वछंद विचरण में कई बार रूकावट आ जाती हैं तथा विधुत तारों तथा खम्बों से यदा कदा वन्य–प्राणी टकरा कर घायल हो जाते है अथवा मर जाते है। कई बार तारों से करन्ट लग कर भी प्राणी मारे जाते हैं। गॉवों/शहरों में रात्री प्रकाश की व्यवस्था होने के कारण अनेकों कीट रोशनी की

तरफ जमा हो जाते है जिससे बाहरी क्षेत्रों में कीटों की कमी हो जाती है एवं अनेकों कीटाहारी प्राणियों के सामने भोजन की विपरीत परिस्थितियाँ प्रकट हो जाती है।

(vi) **फसल सुरक्षा के उपाय**

अच्छी फसल लेने के लिये कृषकों द्वारा रासायनिक दवाएँ, कीटनाशक एवं खाद के प्रयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त दुधारू पशुओं को भी रासायनिक दवायें खिलायी जाती हैं, जिसके फलस्वरूप इनके शरीर में रसायन जमा होते रहते है, जिसके भक्षण पर अन्य प्राणी भी प्रभावित होते है, जिसमें वन्य–प्राणी भी शामिल है। कृषि में रासायनिक दवाओं के छिड़काव से कीट पंतगे जैसे तितलियाँ, मधुमक्खियाँ आदि मारे जाते है, जिससे परागण जैसी क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

(vii) **मानव को वन्य–प्राणियों का भय**

मानव में सदियों से वन्य–प्राणियों के प्रति भ्रांतियाँ प्रचलित हैं, तथा अकारण ही वन्य प्राणियों से भयभीत होते हैं। फलस्वरूप उपजे डर, भ्रम व अंधविश्वासों के चलते अनेकों निरीह वन्य–प्राणी मारे जाते हैं, जैसे कि कई विषहीन साँप, छिपकलियाँ आदि। इसके अतिरिक्त कई हिंसक जीव किन्ही कारणवश कहीं पर छुप कर रह रहे हो तो भी, मानव अपने भय को कम करने के लिये इनको अकारण मार देते हैं। जन जागरण व जन शिक्षा से इस प्रवृति को रोका जा सकता है।

(viii) **प्रजनन एवं भोजन स्थलों का नष्ट होना**

वन्य–प्राणी के प्रजनन स्थल तथा भोजन करने के स्थान आदि भी मानव द्वारा शनैः शनैः नष्ट किये जा रहे हैं। ये स्थान मानव स्वयं के विविध उपयोग के लिये प्रयुक्त करने लगे हैं, फलस्वरूप इन स्थलों की प्रकृति नष्ट हो गयी तथा ये स्थल वन्य–प्राणी के प्रयोग लायक नहीं रह गये। इसके अलावा मानव के अवांछित प्रवेश एवं छेड़ छाड़ के कारण वन्य–प्राणी भी इन स्थलों के प्रयोग करने में कतराने लगे तथा इसके कारण वन्य–प्राणियों की संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हैं।

(ix) **धार्मिक एवं सह–अस्तिव की भावनाओं का ह्रास**

विकास के पथ पर अग्रसर मानव समाज में सह–अस्तिव की भावनाओं में निरंतर कमी आ रही है, तथा यह उसके काम करने के तौर तरीको से परिलक्षित हो रहा है।

वर्तमान में मानव समाज में आपसी सहयोग, दया एवं भला करने की भावना दिनों दिन कम होती जा रही है तथा वह स्वार्थी होता जा रहा है। उसके सोच में वन्य प्राणियों का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि इनसे उसको कोई भी प्रत्यक्ष आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त नही हो रहे हैं वरन् उसकी दृष्टि में वन्य–प्राणियों द्वारा उसके पशुओं के शिकार व फसल नष्ट करके आर्थिक नुकसान पहुँचाया जा रहा है, यद्यपि विभाग द्वारा ऐसी स्थितियों में नियमानुसार मुआवजा दिया जाता है।

अतः आम जनता एवं विशेषकर वन्य जीव क्षेत्रों की सीमा पर एवं समीप रहने वाले निवासियों से निरन्तर सम्पर्क बनाये रख कर वन्य–प्राणियों के महत्व के बारे समझाने की नितान्त आवश्यकता है। पूर्व में मानव वन्य प्राणियों के साथ रहना जानता था तथा सदियों तक उनके साथ जिया है परन्तु अब इस बदलते परिप्रेक्ष में मानवों के रहन सहन में भारी बदलाव आया है, जिसके कारण अब उसका वन्य प्राणियों के साथ रहना मुश्किल हो रहा है। वे इनको अपने जीवन से दूर रखना चाहते है तथा इसके लिये प्रयासरत रहते है कि उनके समीप वन्य प्राणियों की कोई शरण स्थली नहीं हो। अतः वन्य–प्राणियों का परिस्थितिकी तन्त्र में क्या योगदान है एवं हमारे अस्त्तिव में उनकी क्या भूमिका है यह आमजन को बताने की जरूरत है।

(x) **अन्य विविध कारण**

उपरोक्त वर्णित मुख्य कारणो के अलावा भी बहुत सारे लघु कारण हैं, जो वन्य प्राणियों के लिये खतरा पैदा करते रहते हैं।

(i) विकास के इस युग में ऐसे कई निर्माण हो गये है जो कि वन्य प्राणियों के लिये अहितकर है। कृषि के विकास के लिये बनाये जा रहे बाँध आदि, एक ओर विस्थापन की समस्या पैदा करते है, वहीं दूसरी ओर उस नदी के पर्यावरण में भी बदलाव ला देते है। इसके अलावा नहरों के जाल बिछने के कारण वन्य–प्राणी इसमें गिरकर घायल हो जाते हैं अथवा मारे जाते है। सिंचाई सुविधाओं से इसकी पारिस्थितिकी में परिवर्तन आ जाता है। अतः प्राकृतवास परिवर्तित होने लगता है।

(ii) मछलियों के व्यावसायिक उत्पादन की नयी तकनीक व कैचमैन्ट क्षेत्र में वन विनाश से भी जलाशयों की परिस्थितिकी में परिवर्तन हो जाता है। भूगर्भीय जल के अतिरिक्त दोहन से ''वाटर रेजीम'' की स्थितियाँ बदल रही हैं। समुचित भू–जल संरक्षण विधियाँ अपना कर ''वाटर रेजीम'' की स्थितियाँ यथावत रखने के प्रयास जरूरी हैं।

(iii) आवागमन के आधुनिक साधन संचार माध्यम तथा हथियारों ने भी वन्य–प्राणी के संरक्षण को प्रभावित किया है। सड़कों पर अनेकों वन्य–प्राणी कुचले जाते हैं। वाहन व सड़कों के जाल से शिकारियों को शिकार तक पहुँचने व भागने में सुविधा की स्थितियाँ सृजित हुई हैं। आधुनिक हथियारों ने शिकार कार्य को आसान कर दिया। संचार व्यवस्था के विस्तार का शिकारी दुरूपयोग करने से नहीं चूकते।

14.14 वन्य जीव संरक्षण के उपाय

उपरोक्त वर्णित वन्य–प्राणियों को नुकसान पहुँचाने वाले कारकों के लिये इस प्रबंधन कार्य वृत्त द्वारा उपाय सुझाये जा रहे हैं जिस पर व्यापक स्तर पर मनन कर अमल में लायी जाने की आवश्यकता है, जो निम्नानुसार हैं:

(i) खुफिया सूचना एकत्रण Intelligence Gathering

शिकार आदि की घटनाओं की रोकथाम हेतु विशेष प्रयास किये जाने चाहिएँ अधिक से अधिक गश्त वनक्षेत्रों के अतिरिक्त ऐसे क्षेत्रों में भी की जाए जहाँ पर वन्य–प्राणी अकसर विचरण करते हैं अथवा उनका आवास स्थल या भोजन स्थल हो। जहाँ परंपरागत शिकारी जातियाँ निवास करती हों, उन क्षेत्रों पर भी नजर रखी जावे।
शिकार से जुडी जातियों में निरन्तर जन–जागरण अभियान की जरूरत हैं। साथ ही वन्य जीवों के स्थल एवं विचरण क्षेत्र में एवं आसपास पड़ने वाले गावों के बारे में निम्न बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी नियमित तौर पर एकत्र की जावे :

- लाईसैंसधारी एवं अन्यथा बंदूकधारियों का विवरण प्राप्त करना।
- शिकार करने वाले समुदायों की उपस्थिति तथा उनका पूर्ण विवरण प्राप्त करना।
- किसी अजनबी व्यक्ति या समूह की क्षेत्र में विशेष रूचि का विवरण प्राप्त करना।
- मवेशियों की संख्या तथा उनके विचरण आदि की जानकारी एवं उनका।
- मवेशी हांकने वाले व्यक्तियों का पूर्ण विवरण। इनसे नियमित संपर्क रखकर वन्य जीवों की उपस्थिति, विचरण, शिकार करने आदि की जानकारी के साथ–साथ उनके अवैध शिकार की संभावनाओं का भी पता चल सकता है।

इसके अतिरिक्त एक खुफिया तन्त्र भी विकसित किया जावे ताकि इस संबंध में समय पर सूचना मिलती रहे और शिकारियों, बहेलियों इत्यादि को समय पर पकड़ा जा सके।

(ii) **सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण**

सड़को के किनारे चेतावनी वाले बोर्ड लगाये जावें तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग को भी इस संबंध में आगाह किया जावे कि वन्य–प्राणी बहुल आवासों के समीप, सड़क निर्माण नहीं करें या विशेष तकनीक अपनाने की जरूरत हैं। वन्य–प्राणी बहुल सड़कों पर जगह–जगह ''अन्डर पास'' बनाने की जरूरत है। सडक के दोनो ओर पक्का दीवार बनाकर वन्यजीवों को अन्डर पास की ओर ले जोने के प्रयास किये जाये। वन्यजीवों की सुरक्षा संबंधित बोर्ड लगाये जावे जिसमें लिखा जाये कि वन्य जीव विचरण क्षेत्र है धीमें चले। गति सीमा निर्धारित की जावे तथा स्पीड़ ब्रेकर्स्, स्थान–स्थान पर बनवाये जावें। इन क्षेत्रों पर नजर रखी जावे तथा प्रभावी गश्त पुलिस द्वारा भी करवायी जावे ताकि गति सीमा से तेज वाहन नहीं चल पावें। जिस वाहन द्वारा दुर्घटना की जावे, उसके चालक की गलती होने पर उस पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ड्राईविंग लाइसेंस रदद् कर, वन्य–प्राणी अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जावे।

(iii) **सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना**

सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जावे कि ऐसे कुएँ, पानी के टैंक अथवा गढ्ढों को प्रतिवर्ष चिन्हित कर या तो उन्हे भरवा दिये जाये अथवा उन पर मुण्डेर आदि बनवाये जावें ताकि इनमें वन्य–प्राणी के गिरने की संभावना नगण्य हो सके। मुण्डेर भूमि के बाहर 0.60 मी0 से कम न हो । कुओं के पास झाडियों को साफ रखा जावें ताकि वन्य–प्राणी कुओं के पास घूमने हेतु नहीं आवें। खतरनाक कुओं को लोहे के जाल से ढका जावे, ताकि वन्य– प्राणी अन्दर नहीं गिरें।

(iv) **प्रदूषण नियंत्रण के उपाय**

प्रदूषण नियंत्रण के लिये विशेष प्रयास किये जावें। ऐसे क्षेत्र जिनमें में प्रदूषण फैला हो उसे चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही की जावें। प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिये पंचायत के माध्यम से विशेष प्रयास किये जावें ताकि, इनका प्रभाव नगण्य हो सके। प्लास्टिक की थैलियों को इधर–उधर नहीं फैंका जावें। वाटर होलों में विषैले पदार्थो की पहुँच रोकने के हर संभव प्रयास किये जावें। गडढों में बहते कोलतार को मिट्टी की मोटी पर्त से ढकना जरूरी हैं। कई बार गर्मी से सड़कों के किनारे पडे/बहते कोलतार में वन्य–प्राणी फंस जाते है।

(v) **आवास स्थलों की सुरक्षा**

राजस्व क्षेत्र में स्थित प्राकृतवासों को चिन्हित कर उनका डेटा बेस तैयार किया जावे तथा समय–समय पर उन स्थलों पर गश्त करायी जावें। ग्राम पंचायत/पंचायत समिति को भी इस डेटा बेस से अवगत कराया जावें ताकि, इन स्थलों के संरक्षण को गति दी जा सके। स्थानीय प्रशासन व पुलिस विभाग का राजस्व क्षेत्र के वन्य–प्राणी बहुल क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु पूर्ण सहयोग लेने की जरूरत है।

(vi) **विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार**

विद्युत वितरण को इस प्रकार से प्रबंधित किया जावे कि तारों के न्यूनतम जाल फैलें। वन क्षेत्रों के जलाशयों व वन्य–प्राणी बहुल क्षेत्रों में भूमिगत केबिलें डाल कर करंट की घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। इस कार्य हेतु उच्च स्तर पर पॉलिसी निर्धारण की जरूरत है।

(vii) **फसल सुरक्षा के उपायों में परिवर्तन**

वन्य–प्राणी बहुल क्षेत्रों के कृषकों को उनकी फसल की सुरक्षा एवं उत्पादन वृद्धि के लिये पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के प्रयोग करने के लिये, एक अभियान चलाया जाकर इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। यह कार्य एक योजना के तहत किया जाना चाहिये। इसके लिये उन्हें ''इको–फ्रेन्डली'' पदार्थो की जानकारी देकर प्रयोग तथा क्रय करने के लिये, आवश्यक ऋण, बिना ब्याज पर उपलब्ध कराये जाने चाहिये। इन उत्पादो पर भारी अनुदान भी दिया जाना चाहिये। इसके अलावा ऋण एवं अनुदान उन्हीं कृषको को दिया जाना चाहिये, जो ऐसे उत्पादों का प्रयोग करे जिसमें कोई हानिकारक तत्व न हों।

(viii) **प्रजनन एवं भोजन स्थलों का संरक्षण**

राजस्व क्षेत्र में वन्य–प्राणी बहुल स्थलों को चिन्हित कर इनकी सुरक्षा हेतु स्थानीय पंचायत, स्थानीय प्रशासन व पुलिस विभाग का सकारात्मक रूख जरूरी है। स्मरण रहे वन क्षेत्रों के बाहर वन्य–प्राणियों की बहुत बडी संख्या निवास करती है, जहाँ वन विभाग का नियन्त्रण नहीं हैं। इन क्षेत्रों हेतु अन्य राजकीय विभाग, स्वंय सेवी संस्थायें, आम जन सभी मिल कर कार्य करें, तभी वन्य–प्राणी बच सकते हैं। वन्य जीवों को वनों से बाहर आने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि जंगलों में सुरक्षित स्थानों पर पानी संग्रहण स्थलों या जल स्त्रोतों का निर्माण किया जाये ताकि उनके लिए पीने के

पानी की व्यवस्था हो सके। इन स्थलों में नियमित रूप से पानी भरा जाये व इस कार्य हेतु समुचित बजट का आवंटन वनमण्डलों को किया जाये।

(ix) **संरक्षण के अन्य उपाय**

स्थानीय जिले के मानव वन्य जीव व प्रतिपालक का सक्रिय सहयोग लिया जाना चाहिये। **राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 4(1) बी.बी. के तहत जिले में मानव वन्यजीव प्रतिपालकों की नियुक्ति की जाती है।** जिले भर की ईको डवलपमेंट कमेटियों व वन सुरक्षा एवं प्रबंध कमेटियों को भी वन संरक्षण के कार्य से और प्रभावी ढंग से जोड़ने की जरूरत हैं। वन्य–प्राणी आवासों के पास रहने वाले पालतू मवेशियों के 5 कि0मी0 तक परिधि में हर साल टीकाकरण, अग्नि सुरक्षा के उपायों पर पर्याप्त ध्यान देने की जरूरत हैं। कुओं मे गिरे या आबादी मे घुसे वन्य–प्राणियों के ''रेस्क्यू'' हेतु टीम, हर वक्त तैयारी की स्थिति मे रहनी चाहिये। इसके लिए क्षेत्रीय वन अधिकारियों को वाहन का इंतजाम करने, उन्हें पकड़ने, उनकी चिकित्सा करने हेतु व्यय करने का अधिकार दिया जाये तथा किये गये व्यय का पुनर्भरण, उप वन संरक्षक को आवंटित बजट से करने का प्रावधान रखा जाना चाहिये। उप वन संरक्षक स्तर पर कंटीन्जैंसी के तहत पृथक से बजट आवंटन किया जाये ताकि, विशेष परिस्थितियों में उसका उपयोग किया जा सके। बजट के आवंटन के अभाव में समय पर कार्यवाही नहीं होने के कारण वन्यजीवों को बचाये जाने हेतु कठिनाई उत्पन्न होती है। साथ ही वन्य जीव वाले संभावित वनक्षेत्र कार्यालय पर पिंजरा, जाल, टॉर्च, वाहन इत्यादि अतिरिक्त रूप से उपलब्ध होने चाहिये। एक टीम मण्डल वन कार्यालय में तैनात रहनी चाहिये। समस्त फील्ड स्टॉफ के पास उच्च अधिकारियों से संवाद हेतु उनके दूरभाष नम्बर उपलब्ध रहने चाहिए। फील्ड स्टॉफ को मोबाइल फोन की सुविधा देनी चाहिये। वन्य–जीव (संरक्षण) अधिनियम के पर्याप्त प्रचार– प्रसार की जरूरत हैं।

14.15. पक्षी वर्गीय वन्यजीवों का प्रबन्धन

जैसा कि कार्य आयोजना के भाग 1 के अध्याय 2 ब में वर्णित है जिले में पक्षीवर्गीय वन्य जीवों की संख्या अच्छी है। सम्पूर्ण जिले के विस्तार में नदियों, अनेको–अनेक जलाशयों , तथा नहरों के कारण जिले में पक्षियों के लिये बेहतर स्थान उपलब्ध है। सर्दी के मौसम में जलाशयों में जल उपलब्धता कम हो जाने पर बने दलदल के

कारण तथा मानवीय हस्तक्षेप कम होने के कारण विगत वर्षों में विशेषकर सर्दियों के महीनों में अनेक प्रकार के अप्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में जिले में आते है।

14.15.1 पक्षियों की गणना

पक्षियों की उपस्थिति की अवधि, स्थान, आगमन व प्रस्थान का समय व दिशा, वृक्ष प्रजातियों जिनका उपयोग पक्षियों द्वारा किया जाता है आदि की ठोस तथ्यात्मक जानकारी के अभाव में इनके संरक्षण एवं विकास की योजना बनाया जाना संभव नहीं है। अतः देश की अनुभवी पक्षी संरक्षण व वन्यजीव संरक्षण संस्थाओं जैसे बोम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वन्यजीव संस्थान, देहरादून आदि के मार्गदर्शन व सहयोग से जिले में व्यापक गणना का कार्य किये जाने की आवश्यकता है। इस कार्य को प्राथमिकता पर लिया जावे।

14.15.2 पक्षियों के आश्रय स्थलों का चिन्हिकरण

गणना के आधार पर प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न ऋतुओं में तथा विभिन्न प्रकार के पक्षियों के आश्रय स्थल आसानी से चिन्हित किए जा सकते हैं, इससे इनके संरक्षण के प्रयासों को एकाग्र करने में सुलभता होगी। इस कार्य को भी उपरोक्तानुसार विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में वैज्ञानिक विधि से कराया जाने की आवश्यकता है, इसे भी प्राथमिकता से लिया जावे।

14.15.3 पक्षीजात के संरक्षण हेतु प्रस्ताव

जिले में पक्षियों के अधिकांश आश्रय स्थल वनक्षेत्र से बाहर, आबादी व गांवों के आस–पास ही है। अतः ग्रामवासियों को साथ लेकर, ग्राम पंचायतों व अन्य राजकीय संस्थाओं व विभागों से प्राप्त कर ही पक्षियों के संरक्षण व विकास के कारगर कदम उठाये जा सकते हैं। जिले में पक्षीवर्गीय प्राणियों विशेषकर अप्रवासी पक्षियों की उत्साहजनक उपस्थिति को संरक्षित और सुरक्षित रखने हेतु निम्न उपाय किये जावे :

(i) जिले में तालाबों व बांधों की पाल पर एवं उसके आस पास बड़, पीपल, बबूल, नीम, गूलर, उपयुक्त झाड़ियों, आदि प्रजाति के वृक्षों को प्रोत्साहित किया जावे। इन वृक्षों का पक्षियों के खाने, रहने तथा नीड़ बनाने की दृष्टि से बड़ा महत्व है।

(ii) बड़े तालाबों में छोटे–छोटे द्वीपों पर भी इसी प्रकार के वृक्ष लगाये जावें।

(iii) तालाबों के किनारों पर तथा द्वीपों पर दलदली स्थान व सरकंडे से भरे स्थानों का विकास किया जावे। अनेक प्रवासी व अप्रवासी पक्षी इस प्रकार के स्थानों को अधिकतर पसंद करते है। निम्न प्रजातियों *Typha angustata, Ipomea elephantina,Phramites karka, Arundo donex, Phramites australis, Polygonum glabrum, Polygonum barbatum, Scirpus articulatus, Scirpus littoralis, Cyperus rotundus, Cyperus alopecuroides* को लगाया जाकर दलदल या सरकंडों का विकास किया जाना उचित रहेगा।

(iv) खरपतवार पर नियंत्रण रखा जावे, विशेषकर विलायती बबूल, गाजर घास। जलकुम्भी जलाशयों की सुन्दरता, उपयोगिता व गुणवत्ता को प्रतिकूल प्रभावित करती है। जलीय खरपतवार को नियंत्रण में रखा जाना आवश्यक है। स्थलीय खरपतवार को सावधानीपूर्वक हटाया जावे। बीज उत्सर्जन से पूर्व ही उन्हें समूल निकाल दिया जाना श्रेयस्कर रहता है।

(v) मछलियों के शिकार पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाना आवश्यक है ताकि पक्षियों को उनका पसंदीदा भोजन उपलब्ध हो सके और जलाशय की गुणवत्ता बनी रह सके।

(vi) महत्वपूर्ण जलाशयों के आस–पास उचित स्थान पर पक्षी दर्शन हेतु मचान, मंच अथवा मीनार आदि बनाये जावें, जिससे पक्षियों का दर्शन सुलभ हो सके और पर्यटन व्यवस्थित हो सके। मुख्य सड़क मार्ग के साथ वाले तालाब, शहर के आस पास के तालाब तथा वन क्षेत्र के अन्दर व आस पास के प्रमुख तालाबों पर इन्हें बनाया जावे।

(vii) प्रचुर पक्षियों वाले जलाशयों व स्थानों पर इनके संबंध में पूर्ण सूचना युक्त सुलभ बोर्ड लगाया जावे।

(viii) सर्दी के महीनों में जलाशयों पर 'पक्षी दर्शन' कार्यक्रम आयोजित कर पक्षी प्रेमियों को आकर्षित किया जा सकता है।

(ix) जिले में पक्षियों की बहुलता को देखते हुए मण्डल वन अधिकारी, बूंदी के संरक्षण में एक पक्षी दर्शन क्लब का गठन होना चाहिये जिसमें जिले के पक्षी प्रेमियों को सम्मिलित कर पक्षियों के संरक्षण को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

14.16 वन्य प्राणी संरक्षण में स्थानीय जनता की सहभागिता

वन्य प्राणी संरक्षण बिना स्थानीय जनता की सहभागिता के संभव नहीं हैं। मानव समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिये भी विशेष प्रयास करने चाहिये। यह भी उस योजना का एक अंग होना चाहिये, जिसमें हानिकारक रासायनिक उत्पादों के प्रयोग को हतोत्साहित करने का प्रयास किया जावें। जब तक आम जन में यह भ्रांतियाँ दूर नहीं होंगी, तब तक वन्य–प्राणी अकारण ही मारे जाते रहेंगे, अतः इस संबंध में समस्त जानकारी, प्रसार एवं प्रचार योजना का भाग होना चाहिये। समाज में बिल्ली, साँप, जरख, उल्लू, चमगादड़ के सम्बन्ध में मिथ्या धारणाएँ व अंधविश्वास प्रचलित हैं। लोग जादू–टोनों में भी प्राणियों का उपयोग होता है। अतः पहल कर लोगों में जागृति लाने की व्यापक जरूरत हैं। इनको ऐसा सुलभ साहित्य स्थानीय भाषा में उपलब्ध करवाया जाना चाहिये जिसमें वन्य–प्राणी के संरक्षण को धर्म तथा जीव दया के साथ जोड़ा गया हो। इससे आमजन मे धार्मिक भावना के साथ साथ वन्य–प्राणी के प्रति दया का भाव उतपन्न होगा तथा सह अस्त्तिव की भावना का कालांतर में शनैःशनैः विकास होगा, यह प्रत्येक धर्म में एक विशिष्ट स्थान बना पायेगा तथा वन्य जीव संरक्षण में भारी योगदान दे पायेगा।

वन्य प्राणियों के संरक्षण के उपाय में इनके महत्व को आमजन को समझाना तथा उनकी मानसिकता में परिवर्तन लाने के लिये उपाय जरूरी हैं। क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण के संबंध में विशेषकर उनके स्वभाव के संबंध में समुदाय में व्याप्त भ्रम को दूर करने से संबंधित जानकारी, वन्यजीवों संबंधी कानूनी प्रावधान, वन्यजीवों से नुकसान होने पर मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि आदि के बारे में जनसामान्य में जागृति फैलाकर, जनसहभागिता को बढ़ाया जाना अति आवश्यक है।

शैक्षिक पाठ्यक्रम में जैविक संपदा के संरक्षण–संवर्धन को स्थान दिया जाना उचित होगा, जिससे कि, आने वाली पीढ़ी शुरू, से ही इनके महत्व से परिचित हो जाये तथा उनकी मानसिकता इनके संरक्षण के लिये अनुकूल हों।

छात्र–छात्राओं को वन भ्रमण, पक्षी अवलोकन अभियान, ईको –ट्रेकिंग, वन महोत्सव, वन्यजीव सप्ताह, विश्व नम भूमि दिवस, विश्व वानिकी दिवस, ओजोन दिवस आदि–आदि कार्यक्रमों से जोड़ा जाना जरूरी है। आम जन को भी इन गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त स्वयं सेवी संस्थाओं को भी प्रचार–प्रसार के लिये

आगे लाया जावे। संचार माध्यमों का भी पूर्ण सहयोग लिया जावे। प्रिन्ट मीड़िया एवं दृश्य मीडिया बहुत शक्तिशाली एवं प्रभावी माध्यम है।

होर्डिंग एवं साइनबोर्ड ऐसे स्थान पर लगाये जावें कि आमजन उसको देख सकें। वाहन चालकों को जागरूक बनाना भी जरूरी है ताकि सडक पर वन्य–प्राणियों के कुचलने की घटनाओं में कमी आ सके। सडकों के नीचे भी जगह ''अंड़र पास'' रखे जाने चाहिये ताकि वन्य–प्राणी सड़को के नीचे से आवागमन करें।

वन्य–प्राणी सप्ताह पर संचार माध्यमों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाना जरूरी है। ये कार्यक्रम शहर से ग्राम स्तर पर करना उचित होगा। इस प्रकार प्रचार एवं प्रसार से आमजन में वन्य प्राणियों के संरक्षण कि भावना बलवती होगी, तथा उनका संरक्षण हो सकेगा।

14.17 वन्य जीव गणना का विवरण

वन्य जीव गणना के पिछले चार वर्षो के आंकड़े निम्नानुसार है :

Wild life census

Species code	Local Name	English Name (Scientific Name)	2007	2008	2010	2011	IUCN Red List Cat. & Criteria
1139	बाघ	Tiger (*Panthera tigris*)	0	0	0	0	EN
116B	बघेरा	Panther (*Panthera pardus*)	0	4	1	1	NT
1131C	भालू	Sloth Bear (*Melursus ursinus*)	3	2	0	0	LC
1115	भेडिया	Indian wolf (*Canis lupus*)	53	10	29	18	LC
305	चीतल	Chital (*Axix axis*)	7	5	41	10	Unknown
115B	चिंकारा	Indian Gazelle(*Gazella gazella*)	6	49	50	57	
222C	जंगली बिल्ली	Jungle cat (*Felis chaus*)	60	19	33	29	Not Assessed
3019	जंगली सूअर	Wild pig (*Sus scrofa*)	215	170	192	159	LC

112	काला हिरण	Black Buck (*Antelope cervicapra*)	0	16	—	49	NT
214A	लंगूर	Common langur (*Presbytis entellus*)	42	1280	—	0	Not Assessed
116C	लोमडी	Fox /Desert fox (*Vulpes bucapus*)	67	55	33	35	LC
3014	रोजडा	Nilgai (*Boselaphus tragocamelus*)	2960	1209	1644	1106	LC
3,016	सांभर	Sambar (*Cervus unicolor*)	0	12	10	1	
222B	सियार	Jackal (*Canis aureus*)	303	148	166	157	LC

IUCN (International Union for Convertation of Nature) का वर्गीकरण

Extinct:EX, Extinct in the wild:EW, Critically Endangered:CR, Endangered:EN, Vulnerable:VU, Near Threatened:NT, Least Concern:LC.

Decreasing, Not Assessed, Unknown are statements and not classifcations

*** 2008, 2012 में वन्य जीव गणना गणना का विवरण उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त आकडों से यह स्पष्ट है कि यह क्षेत्र वन जीव बाहुल्य है, तथा यहां विभिन्न प्रजातियों के अनेक वन्य जीव मौजुद है। इन प्रजातियों के संरक्षण के उपाय अति आवश्यक है। इन के प्रजनन क्षेत्रों को चिह्मित कर उनकी सुरक्षा के उपाय करें जायें तथा इन प्रजातियों के लिए संरक्षण योजना (Conservation Plan) बनाई जाये।

वन कर्मियों को वन्य जीवों की गणना का प्रशिक्षण दिलाया जाना जरुरी हैं। वन्य जीवों की उपस्थिति व उनकी अनुमानित संख्या का आंकलन वन कर्मियों द्वारा ग्राम वार पूरे वर्षवार निरन्तर वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के सहयोग से किया जाना चाहिए।

14.18 वित्तीय पूर्वानुमान :

विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिए वित्तीय अनुमान का विवरण निम्नानुसार है –

अभयारण्यों क्षेत्रों हेतु कोई वितीय प्रावधान इस कार्य आयोजना में प्रस्तावित नहीं किये गये है। क्योंकि इन क्षेत्रों का अभयारण्य क्षेत्र का पृथक से प्रबन्धन वन्यजीव वनमण्डलों द्वारा किया जा रहा हैं। अभयारण्य क्षेत्रों के अतिरिक्त वन्य जीव बाहुल्य वनखण्डों में तथा वन क्षेत्रों के बाहर जिलें में अवस्थित वन्य जीवों के लिए इस अतिच्छादी कार्यवृत में निम्नानुसार वित्तिय विनियमन प्रस्तावित है :–

क्र.सं.	कार्य का विवरण	राशि रूपये (लाखों में)
1	वन क्षेत्रों में प्राकृतवास सुधार कार्य (वन्यजीव बाहुल्य वनखण्डों में एनीकट, नाडी, तालाब निर्माण हेतु)	120.00
2	रेस्क्यु सेन्टर/प्राणी ट्रांसलोकेशन केन्द्र का निर्माण व विकास (वृक्षारोपण, फेन्सिंग व अन्य कार्य)	40.00
3	निर्माण कार्य (दीवार, गेट, बैरियर, चौकी, वाच टॉवर आदि)	40.00
4	वाटर होल्स एवम् साल्ट लिक्स	30.00
5.	बाइनोक्युलर, शैल्टर निर्माण, कैम्प साइट विकास, बैंच सुविधाएं, पीने का पानी, साईन बोर्ड।	90.00
6	वन क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में सुधार, संरक्षण एवं जन जागृति कार्य	55.00
	कुल योग	**375.00**

यह गणना अनुमान लगाने हेतु की गई है, वास्तविक व्यय उस समय के मापदण्डों, मॉडल व दरों के अनुसार होगा तथा इन व्ययों का पुनःनिर्धारण हर दो वर्षों बाद प्रचलित दरों पर किया जाये।

CHAPTER - XV

	अध्याय 15	CHAPTER XV
	साझा वन प्रबन्धन (अतिच्छादी) कार्य वृत्त	Joint Forest Management (Overlapping) Working Circle
15.1	सामान्य संरचना	General composition
15.2	सम्मिलित क्षेत्र	Alloted Areas
15.3	वनस्पति का सामान्य स्वरूप	General Condition of vegetation
15.4	साझा वन प्रबन्धन	Joint Forest Management
15.4.1	प्रबन्धन वृत्त के विशेष उद्देश्य	Special Objectives of Management
15.4.2	साझा वन प्रबन्धन की कार्यप्रणाली	Working procedure of Joint Forest Management Committe
15.4.3	समिति की बैठक	Meetings of Committe (JFMC)
15.4.4	क्षेत्र की सुरक्षा में समिति की भागीदारी	Role of Committe (JFMC) in Protection of the Area
15.5	सदस्य सचिव	Member Secretary
15.6	साझा वन प्रबन्धन की विधि	Procedure of Joint Forest Management
15.7	सूक्ष्म–नियोजन	Micro-Plan
15.8	अभिलेखों का संधारण	Maintenance of Records
15.9	अनुरक्षण कोष	Maintenance of Fund
15.10	प्रवेश बिन्दु गतिविधियां	Entry Point Activities
15.11	विवाद–समाधान	Conflict Resolution
15.12	समितियों की दक्षता का आंकलन	Assessment of the expertise of the Committies
15.13	साझा वन प्रबन्धन सुदृढीकरण	Joint Forest Management Consolidation
15.13.1	प्रगतिशील क्षेत्र	Progressive Areas
15.13.2	पिछडे क्षेत्र	Backward Aeas
15.14	विविध विनियम	Miscellaneous Regulation
15.14.1	वर्तमान में समितियों के माध्यम से प्रबन्धित क्षेत्र	Areas Presently being Managed by Committies
15.14.2	सामुदायिक प्रेरक	Community Motivator
15.14.3	साझा वन प्रबन्धन प्रकोष्ट की स्थापना	Establishment of Joint Forest Management Cell

15.14.4	वन प्रशिक्षण केन्द्र	Forest Training Centre
15.14.5	क्षेत्रीय कार्यालय में प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं	Facilities for Training at the Range HeadQuarter
15.14.6	संभावित व्यय	Estimated Expenditure
15.14.7	अधिकार व रियायते	Rights and Concessions
15.15	साझा वन प्रबन्धन प्रणाली के अंतर्गत वन मण्डल बूंदी में करवाये गये कार्य	Work done under Joint Forest Management activities at Bundi division

अध्याय – 15

साझा वन प्रबन्धन (अतिच्छादी) प्रबन्धन वृत्त

CHAPTER - XV

Joint Forest Management (Overlapping) Working Circle

15.1 सामान्य संरचना

यह कार्यवृत्त प्रथम बार राष्ट्रीय कार्य आयोजना संहिता 2004 की अनुपालना में बूंदी वन मण्डल की कार्य आयोजना में सम्मिलित किया जा रहा है। यह कार्य वृत्त समस्त वनमण्डल में अतिच्छादी रहेगा। इसमें कार्य आयोजना क्षेत्र के वन क्षेत्र अथवा गैर वन क्षेत्रों में समस्त कार्यों में साझा वन प्रबन्धन को स्थापित व सुदृढ़ करने की विधि का वर्णन है। इस प्रबन्धन वृत्त में समस्त वृक्षारोपण/क्लोजर्स रखे जावेंगे जो साझा वन प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत वन सुरक्षा समितियों से अनुबन्ध कराकर करवाये जावेंगे।

15.2 सम्मिलित क्षेत्र

इस कार्य वृत्त के अंतर्गत बूंदी वनमण्डल के समस्त वन क्षेत्र व गैर वन क्षेत्र रहेंगे।

15.3 वनस्पति का सामान्य स्वरूप

क्षेत्र की वनस्पति का सामान्य स्वरूप इस कार्य आयोजना के प्रथम भाग के द्वितीय अध्याय में विस्तृत में वर्णित है। जिले में सामान्यतः प्राकृतिक रूप में – कलधी, खैर, सालर, तेन्दू, ढाक, गूलर, गुर्जन, धावड़ा, सिरस, रोंझ, खेजड़ी, कुमठा, चुरैल आदि के वृक्ष मुख्य रूप से पाये जाते हैं, झाड़ियों में बेर, हारसिंगार, पीलू, गोयाखेर, जाल, कैर, आकड़ा, आईपोमिया मिलते हैं। घास में लापला से धामन तक सभी प्रमुख प्रजातियां उपलब्ध हैं। विभाग द्वारा करवाये गये वृक्षारोपणों में अरडू, नीम, आंवला, बेर, बबूल, शीशम, सिरस, चुरैल, नीम आदि मुख्य हैं। प्राकृतिक एवं रोपित समस्त वनस्पति के उपयोग व लाभ है जिन्हें साझा वन प्रबन्धन के नियमों के तहत स्थानीय नागरिकों को लाभान्वित किया जाता है। वनस्पति एव वन्य जीवों का विस्तृत वर्णन इस कार्य आयोजना के प्रथम भाग के प्रारम्भ में दिया गया है।

15.4 साझा वन प्रबन्धन :

राष्ट्रीय कृषि आयोग के प्रस्तावों को मानते हुए भारत सरकार द्वारा 7 दिसम्बर 1988 को वर्तमान में प्रचलित नवीन वन नीति, 1988 प्रतिस्थापित की गई जिसके मूल उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है :

"वर्तमान वनों पर दबाव को न्यूनतम करने तथा उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु महिलाओं को सम्मिलित करते हुए व्यापक जन आन्दोलन का निर्माण करना।

इसके फलस्वरूप वर्ष 1990 में साझा वन प्रबन्धन प्रणाली का वनों के प्रबन्धन में उपयोग करने के संकल्प के साथ ही वनों के प्रबन्धन में स्थानीय, ग्रामवासियों के अधिकार व रियायतों में एकदम नवीन युग का सूत्रपात हुआ है। बूंदी अंचल में इन संकल्पों को बेहद उत्साहजनक परिणाम विगत दो दशकों में दिखाई देते हैं। परिभ्रांषित एवं वृक्षविहीन वनक्षेत्रों को पुनः हरा–भरा करने में ग्रामवासियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्यादेश क्रमांक एफ 7(39)75/90 जयपुर, दिनांक 15 मार्च 1991 जारी किया गया। जिसके अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र में कार्यरत संघ ट्री ग्रोवर्स को–ऑपरेटिव/वन श्रमिक सहकारी समिति/ग्राम्य वानिकी सुरक्षा एवं विकास समिति एवं अन्य ऐसी सहकारी समितियां को परिभ्रांषित वन भूमि के टुकडे को विकास, सुरक्षा एवं प्रबन्धन का दायित्व सौंपा जा सकता था और इस प्रकार की जनभागीदारी की ऐवज में संबंधित संस्था/समिति के सदस्यों को क्षेत्र की सुरक्षा एवं विकास से उत्पन्न होने वाली लघु वन उपज (बांस के अलावा) जैसे घास, पत्ते, फल–फूल, टूटी हुई टहनियां इत्यादि सुविधानुसार प्राप्त कर सकते थें। घास व चारा निःशुल्क उपलब्ध था। इसके अलावा क्षेत्र में लगाये गये वृक्ष के विदोहन पर उनसे प्राप्त होने वाली कुल आय में से वृक्षारोपण एवं वन विकास पर हुए सरकारी व्यय को कम करते हुए बची शुद्ध आय का 60 प्रतिशत भाग समिति के सदस्यों को दिये जाने का प्रावधान था। इसमें यह भी व्यवस्था थी कि समिति को इस प्रकार प्राप्त हिस्से में से कम से कम आधा भाग पुनः वृक्षारोपण हेतु लगाना होगा। तन्दुपरान्त राज्य सरकार द्वारा राज्यादेश क्रमांक एफ 7 (23) वन/80 जयपुर, दिनांक 26 अप्रैल 1991 जारी किया गया जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भूमि, गोचर एवं सरकारी पडत भूमि पर किये गये वृक्षारोपण में स्थानीय वासियों से सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। इसमें ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समिति के गठन, कार्यप्रणाली, दायित्व आदि निर्धारित किये गये तथा वन उपज के वितरण की भी व्यवस्था कायम की गई। इस राज्यादेश में परिवर्तन राज्य सरकार के पास विचारधीन

है। 1991 के पश्चात् साझा वन प्रबन्धन के क्रियान्वयन में आ रही विभिन्न बाधाओं के उन्मूलन तथा केन्द्र सरकार द्वारा सुझाये गये उपायों को सम्मिलित करते हुए दिनांक 10.05.1999, 20.11.1999 तथा 20.06.2000 को भी वन भूमि एवं अन्य राजकीय भूमि के लिये राज्यादेश प्रसारित किये गये। अन्ततोगत्वा राज्यादेश क्रमांक एफ 7(39) वन/90 जयपुर, दिनांक 17.10.2000 से उपर्युक्त सभी राज्यादेशों का सम्मिलित व संशोधित स्वरूप प्रसारित हुआ। वर्तमान में साझा वन प्रबन्धन इस राज्यादेश के अंतर्गत संचालित है। इस राज्यादेश में वृक्षविहीन/परिभ्रांषित क्षेत्र के अलावा वृक्षविहीन अथवा परिभ्रांषित होने की कगार पर खड़े वन/वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा/विकास/प्रबन्धन में संक्रिय समितियों को अनेक अधिकार व रियासतें प्रदान किये गये हैं जिनका वर्णन भाग 1 के अध्याय 1 में विस्तार से किया गया है। वर्तमान में इसी राज्यादेश के अनुरूप जिले में गठित वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समितियों की विनियमित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय वन आयोग 2004 ने केन्द्र सरकार को 2006 में प्रस्तुत सिफारिशों में जन सहभागिता से संबंधित निम्न सिफारिशें की हैं :

- वन क्षेत्र के अन्दर व आस–पास रहने वालों, विशेषकर आदिवासियों के जीवन–यापन में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिये ।
- ऐसी नीति होनी चाहिये कि प्रत्येक भूमिहर व्यक्ति अपनी भूमि पर स्वंय के उपयोग लायक जलाऊ लकडी की पूर्ति हेतु वृक्ष लगाये। निजी, सामुदायिक व बंजर भूमि का उपयोग जलाऊ लकडी की आपूर्ति हेतु किया जाना चाहिये।
- व्यक्तिगत स्तर पर जलाऊ लकडी का विक्रय बन्द होना चाहिये। वन विभाग वन क्षेत्र से लकडी की निकासी कर वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समितियों के माध्यम से यह कार्य कर सकती है।
- सभी को यह स्पष्ट होना चाहिये कि साझा वन प्रबन्धन एक करार है तथा इसमें लाभ और अधिकार तभी संचित होंगे जब व्यक्ति या समुदाय अपने कर्तव्य और दायित्व का भली–भांति निर्वहन करेगा।
- वृक्षारोपण कार्य में स्वंयसेवी संस्थाओं और पंचायत राज संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिये।
- कृषि वानिकी विस्तार में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और गैर सरकारी संस्थाओं का सक्रिय सहयोग व सहभागिता प्राप्त किया जाना चाहिये।

15.4.1 प्रबन्धन वृत्त के विशेष उद्देश्य

- वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समितियों का साझा वन प्रबन्धन के तहत वन उपज उपलब्ध कराकर, उनकी सतत् साझेदारी कायम रखते हुए, वनों का विकास करना।
- जनसहयोग से परिभ्रांषित वनों का विकास करना तथा अच्छे वनों को सुरक्षित रखना।
- स्थानीय समुदायों की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजनों के परिपेक्ष्य में वनों को सामुदायिक कल्याण से जोड़ना एवं सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना।
- बूंदी वनमण्डल से प्रचलित साझा वन प्रबन्धन प्रणाली का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना।
- साझा वन प्रबन्धन के उत्तरोत्तर विकास व सुदृढीकरण हेतु उपाय सुझाना।
- स्वंय सहायता समूह में संचय की आदत डालना तथा
- ग्रामीणों को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आर्थिक सहायता एवं सुविधा उपलब्ध करवाना।

15.4.2 साझा वन प्रबन्धन की कार्यप्रणाली

- राज्यादेश के अनुसार कार्य आयोजना क्षेत्र में, विभाग द्वारा साझा वन प्रबन्धन को विधिवत् गठित कार्यालय उप वन संरक्षक बूंदी में पंजीकृत, वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समितियों (जिन्हें आगे "समिति" कहा जावेगा) के माध्यम से ही फलीभूत किया जा रहा है।
- संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारियों द्वारा राज्यादेश अनुसार समिति का विधिवत् गठन कर पत्रादि मंडल कार्यालय में प्रस्तुत किये जाते हैं जहां इनका औपचारिक पंजीयन किया जाकर इनको पंजीयन क्रमांक आवंटित किया जाता है। अधिकांशतः किसी क्षेत्र विशेष में विभागीय विकास कार्य प्रस्तावित होने के कारण पास के गांव के व्यक्तियों को एकत्रित कर समिति का गठन किया जाता है।
- वन मण्डल में पंजीकृत समितियों को वन विकास अभिकरण में भी पंजीकृत करवाया जावे।

15.4.3 समिति की बैठक :

समितियों द्वारा कार्यसमिति की अथवा पूर्ण समिति की नियमित बैठक आयोजित कर समिति के कार्य के संबंध में निर्णय लिया जाता है। अधिकांश समितियों द्वारा सदस्यों की बैठक आयोजित कर इस कार्य को किया जा रहा है हालांकि राज्यादेश में यह कार्य निर्वाचित कार्यसमिति से अपेक्षित किया गया है। यह भी उत्साहवर्धक है कि अनेक समितियों द्वारा बैठक हेतु स्थान एवं दिवस पूर्व से ही निर्धारित कर दिये गये हैं जिससे बार–बार बैठक हेतु नोटिस जारी नहीं करना पड़ता है। बैठक में सम्पादित कार्यवाही को पृथक बैठक पंजिका में संधारित भी किया जा रहा है। बैठक में महिलाओं की उपस्थिति व भागीदारी कम है परन्तु आमतौर पर इसे संतोषजनक कहा जा सकता है।

15.4.4 क्षेत्र की सुरक्षा में समिति की भागीदारी :

अधिकांश समितियों द्वारा अपने क्षेत्र का प्रबन्धन वर्षाकाल में एवं उसके बाद घास निस्तारण तक बडी सक्रियता से किया जाता है। परन्तु घास कटाई के बाद इस सक्रियता में कमी आ जाती है। मूलतः वर्तमान में भी मात्र घास प्राप्त करने के लिये अधिकांश ही समितियों द्वारा क्षेत्र की सुरक्षा की जा रही है। जिन क्षेत्रों में विकास कार्य प्रचलित है और विभागीय वित्त पोषण हो रहा है वहां अवश्य ही समितियों द्वारा घास कटाई के बाद भी क्षेत्र की सुरक्षा के प्रति अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इसका एक बहुत बडा कारण विकास कार्य के कारण अधिकारियों का नियमित निरीक्षण तथा विभागीय वित्त की उपलब्धता है। आमतौर पर समिति द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को क्षेत्र की सुरक्षा का दायित्व दिया जाता है जिसको समिति द्वारा नकद राशि से अथवा अन्न, धान व अन्य उपयोगी सामग्री देकर प्रतिपूरित किया जाता है। एक प्रकार से समितियों द्वारा सुरक्षा हेतु व्यक्ति नियोजित किया जा रहा है। इसमें वहां के स्थानीय स्टॉफ का भी काफी योगदान होता है तथा समिति की सफलता या असफलता में स्थानीय स्टॉफ की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अतः स्थानीय स्टॉफ की भी प्रशिक्षिण एवं मानसिक रुप से इस हेतु तैयार करने की आवश्यकता है।

15.5 सदस्य सचिव

वर्तमान में भी लगभग समस्त समितियों के सदस्य सचिव, विभाग के कर्मचारी तथा वनपाल अथवा सहायक वनपाल ही हैं। वे ही समिति की बैठक आयोजित करने, संचालित करने तथा समिति के समस्त अभिलेखों यथा सभी रोकड़ पंजिका, बैक पासबुक, खाता संचालन, कार्य के पेटे भुगतान की रसीद आदि का संधारण करते हैं।

राज्यादेश में अपेक्षित है कि यथा संभव समिति के ही किसी सदस्य को समिति का सदस्य सचिव बनाया जावे।

15.6 साझा वन प्रबन्धन की विधि

साझा वन प्रबन्धन प्रणाली से वन प्रबन्धन हेतु निम्नानुसार विधि अपनाई जावेगी :

- सर्वप्रथम साझा प्रबन्धन हेतु क्षेत्र का चयन, तकनीकी आवश्यकता व स्थानीय मांग एवं लोगों की अपेक्षा के अनुरूप किया जावेगा। यथा संभव चयनित क्षेत्र एक प्रकार के कार्य वृत्त में हो तो श्रेयस्कर रहेगा। दो या अधिक कार्यवृत्तत को क्षेत्र होने पर संबंधित भाग को उसके कार्यवृत्तत के प्रबन्धन में उसके कार्य वृत्तत के विनियमों का ध्यान रखा जावेगा। क्षेत्र के चयन के संबंध में संबंधित प्रधान कार्य वृत्तत के अध्याय में विस्तार से विवेचन किया गया है।
- यथासंभव, चयनित क्षेत्र में अभिरूचि रखने वाले अथवा क्षेत्र के प्रबन्धन में हित रखने वाले अथवा उस पर निर्भर या प्रभावित समस्त व्यक्तियों की पहचान कर, उनकी वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समिति का विधिवत गठन किया जावेगा।
- समिति के साथ मिलकर, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन प्रक्रिया का उपयोग करते हुए, क्षेत्र के समग्र विकास हेतु तथा लोगों के जुडाव को बनाये रखने के उद्देश्य से, सूक्ष्म नियोजन को कार्य किया जावेगा। सूक्ष्म–नियोजन के संबंध में विस्तार से आगे विवेचन किया गया है।
- तैयार सूक्ष्म–नियोजन का समिति की आम सभा में गहन विचार–विमर्श तथा आवश्यक संशोधन उपरान्त, समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।
- सूक्ष्म–नियोजन में ऐसा कोई कार्य प्रस्तावित नहीं किया जावेगा जोकि क्षेत्र के कार्य आयोजना वृत्तत के प्रावधान के अनुसार एवं सही तकनीकी प्रबन्धन अथवा साझा वन प्रबन्धन हेतु उपयुक्त नहीं हो।
- क्षेत्र के तकनीकी पहलुओं के अनुसार, वैज्ञानिक प्रबन्धन हेतु, कार्य वृत्तत में वर्णित अनुसार, एक विस्तृत प्रबन्धन योजना तैयार की जावेगी। इस योजना की तैयार में भी समिति के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी।
- तैयार प्रबन्धन योजना को समिति से अनुमोदन कराकर विधिवत् सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावेगी।
- स्थानीय मांग होने पर भी, इस प्रकार का कोई कार्य नहीं लिया जावेगा जोकि क्षेत्र के प्रधान कार्य आयोजना वृत्तत के प्रावधान के अनुसार एवं सही तकनीकी प्रबन्धन हेतु उपयुक्त नहीं हो।

- अनुमोदित एवं स्वीकृत सूक्ष्म नियोजन में वर्णित अनुसार ही वर्षवार क्रम से विभिन्न कार्य सम्पादित किये जावेंगे।
- वनक्षेत्र में कार्य आयोजना के अनुसार ही कार्य किये जावेंगे। गैर वन क्षेत्र में सूक्ष्म–नियोजन के अनुसार वानिकी कार्य किये जा सकते हैं।

15.7 सूक्ष्म–नियोजन

इस क्रिया व प्रतिवेदन के माध्यम से सभी प्रभावित व संबंधित व्यक्तियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है तथा क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन, क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं, लोगों की आवश्यकताएं व अपेक्षाएं तथा विकास योजना के क्रम को अभिलिखित किया जाता है। क्षेत्र की वास्तविकता ज्ञात करने के उद्देश्य से, यह कार्य सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन पद्धति से किया जाता है जोकि अत्यंत परिष्कृत व सफल है। साझा वन प्रबन्धन के सुदृढीकरण हेतु सूक्ष्म नियोजन के संबंध में विभाग द्वारा अनेक निर्देश, पुस्तिकाएं व आदेश जारी किये गये हैं। इन निर्देशों के अनुरूप सूक्ष्म नियोजन कार्य, समिति गठन तथा सूक्ष्म नियोजन एवं उसके उपरांत भी, साझा वन प्रबन्धन को सफलतापूर्वक बढाने के लिये प्रत्येक ग्राम स्तर पर कम से कम एक ग्राम स्तरीय प्रेरक की पहचान कर उसको आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर, उससे आपसी तालमेल का कार्य लिया जाना चाहिये। हालांकि वर्तमान में मात्र 32 समितियों के संबंध में सूक्ष्म नियोजन किया गया है परन्तु इस कार्यवृत्तत के प्रावधानों के क्रम में इनका पुनः परीक्षण कर आवश्यक संशोधन किया जावें। समस्त समितियों के सूक्ष्म नियोजन, कार्य आयोजना अवधि के प्रथम दो वर्ष में तैयार किये जावे।

15.8 अभिलेखों का संधारण

साझा वन प्रबन्धन प्रणाली में अनेक प्रकार के अभिलेखों का संधारण, इस प्रणाली में पारदर्शिता, अनुशासन व इसके मूल्यांकन व प्रबोधन हेतु अति आवश्यक हैं। विभाग द्वारा इस संबंध में विगत वर्षों में समय की आवयकता के अनुसार अनेक निर्देश जारी किये गये हैं। विभागीय निदेर्शों के अनुसार समस्त अभिलेखों का नियमित संधारण सुनिश्चित किया जावेगा। निम्न अभिलेखों के संधारण पर विशेष ध्यान दिया जावें :

- संचालक मण्डल एवं साधारण सभा की नियमित बैठक पंजिका ।
- समिति के द्वारा संचालित समस्त वित्तीय खातों की पासबुक ।
- समस्त वित्तीय लेन–देन को दर्शाती सभी रोकड पंजिकाएं ।
- वन उपज संग्रहण व निस्तारण पंजिका ।

- सूक्ष्म नियोजन प्रतिवेदन।
- प्रबन्धन योजना प्रतिवेदन।

15.9 अनुरक्षण कोष

यह पाया जाता है कि विभागीय वित्त उपलब्ध होने तक समितियों द्वारा सक्रियता से क्षेत्र में सभी प्रकार के कार्य कराये जाते हैं तथा क्षेत्र का प्रबन्धन भी किया जाता है, परन्तु विभागीय सहायता के समाप्त होने के साथ ही, समितियां स्वंय के स्तर पर अपेक्षित कार्य करने में सक्षम नहीं रहती है और समय के साथ मंद पड़ जाती है। इस कठिनाई से निपटने हेतु विभाग द्वारा सभी समितियों में पृथक से "अनुरक्षण कोष" की स्थापना का निर्देश जारी किया गया है। इस कोष का उद्देश्य, विभागीय सहायता की समाप्ति के बाद भी समिति स्तर पर क्षेत्र के संधारण हेतु वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। विभागीय निर्देशों के अनुसार समितियों से यह अपेक्षित है कि सदस्यों द्वारा स्वेच्छा से नियमित योगदान कर कोष में पर्याप्त धन संग्रहित किया जावेगा जिसका उपयोग विभागीय सहायता की समाप्ति के बाद के काल में ही किया जावेगा। वर्तमान में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अंतर्गत समितियों को अनुरक्षण कोष हेतु कुछ रेंजो में पृथक से राशि उपलब्ध कराई जा रही है। समितियों को स्वयं के स्तर से भी अनुरक्षण कोष में योगदान करने हेतु प्रेरित किया जावे। समस्त समितियों में अनुरक्षण कोष की स्थापना करने का प्रयास किया जावे।

15.10 प्रवेश बिन्दु गतिविधियां

स्थानीय समुदाय का विश्वास हासिल करने तथा उनसे सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम करने हेतु किये जाने वाले सामुदायिक व व्यक्तिगत लाभ के कार्य "**प्रवेश बिन्दु गतिविधियां**" कहलाते हैं। साझा वन प्रबन्धन के पुनःस्थापित करने हेतु विभाग द्वारा विगत वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनेक प्रकार की प्रवेश बिन्दु गतिविधियां ली गई हैं जैसे :

- जल संरक्षण संरचनाएं, सिंचाई अथवा पीने हेतु
- मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाएं,
- पेयजल हेतु कुएं व हेण्डपम्प निर्माण अथवा मरम्मत आदि
- सम्पक्र सड़क, पुलिया निर्माण
- सामुदायिक उपयोग हेतु भवन, चबूतरा, यात्री प्रतिक्षालय, विद्यालय में कमरे शौचालय आदि
- पशु चिकित्सा शिविर

- जन चिकित्सा शिविर
- बालवाड़ी
- सिलाई, बुनाई, रेडियो रिपेयर जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्य
- अनाज बैंक, मसाला बैंक, घासबैंक आदि
- पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम
- ईंधन बचत के उपकरण व यंत्र
- स्वंय सहायता समूह द्वारा रोजगार व आय सृजन आदि

इन गतिविधियों ने निश्चित ही साझा वन प्रबन्धन को जिले में पुर्नस्थापित करने में काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

15.11 विवाद–समाधान

समिति के गठन एवं कार्य क्रियान्वयन में समय–समय पर अनेक प्रकार के विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इससे संगठन में सदस्यों की रूचि व गतिशीलता का आभास होता है परन्तु अनसुलझे विवाद समिति की संगठनात्मक एकता व विश्वास को प्रतिकूल प्रभावित करते हैं। अतः सभी प्रकार के विवाद, चाहे कितने भी गौण या मामूली क्यों न हो, पर त्वरित कार्यवायी कर समाधान किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

विवाद समाधान हेतु साझा वन प्रबन्धन के राज्यादेश में समिति की साधारण सभा की भूमिका को महत्त्वपूर्ण बताया गया है। विभाग के कार्य प्रभारी कर्मचारी, वनरक्षक, वनपाल द्वारा इसमें अत्यंत ही महती भूमिका निभाई जा सकती है।

15.12 समितियों की दक्षता का आंकलन

वर्तमान में समितियों को अत्यंत ही अनुभूतिपरक प्रक्रिया से निम्न तीन दक्षता श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा रहा है :

- श्रेणी ए : हिण्डोली व डाबी
- श्रेणी बी : इन्द्रगढ़
- श्रेणी सी : नैनवा

समितियों को उपरोक्त श्रेणीयों में समिति से अन्तःक्रिया के कारण वनकर्मियों के आंकलन के अनुसार वर्गीकृत किया जा रहा है जबकि विभाग द्वारा जारी साझा वन प्रबन्धन मार्गदर्शिका में दक्षता सूचकांक व मापदण्ड विकसित किये जा चुके हैं। विभाग द्वारा निम्न मापदण्डों पर समिति की दक्षता को परखने के निर्देश हैं :

1	**समिति गठन (अधिकतम देय अंक 20)**
	1. ग्राम के कुल घरों में से कितने प्रतिशत सदस्य बने 2. महिला सदस्यों की संख्या और कुल सदस्यों की तुलना में प्रतिशत 3. अनुसूचित जाति/जनजाति/भूमिहीनों की भागीदारी 4. महिला उपसमिति का गठन तथा सदस्यों की संख्या
2	**सक्रियता (अधिकतम देय अंक 20)**
	1. समिति के गठन को कितने वर्ष हुए हैं 2. वर्ष में कितनी बैठकें आयोजित हुईं 3. बैठक को कोरम के अभाव में कितनी बार स्थगित किया गया 4. अध्यक्ष ने कितनी बार कार्यकारिणी की बैठक में भाग लिया 5. महिला उपसमिति द्वारा परित प्रस्तावों के नतीजे क्या रहे 6. उपनियम तैयार हुए या नहीं 7. प्रबन्धन योजना बनी या नहीं
3	**परिणाम (अधिकतम देय अंक 20)**
	1. किस वन उपज का लाभ जनता को दिया गया 2. क्या वन उपज की वितरण पंजिका संधारित है 3. लाभान्वित परिवारों की संख्या 4. सःशुल्क या निःशुल्क 5. समिति के गठन से पूर्व वन अपराधों की संख्या 6. गठन के बाद वर्षवार वन अपराध की स्थिति
4	**सुरक्षा प्रबन्धन (अधिकतम देय अंक 20)**
	1. सुरक्षा विभाग द्वारा की जा रही है या समिति द्वारा 2. सुरक्षा समिति द्वारा कितने वन अपराध की सूचना विभाग को दी गई 3. वन अपराधों के निस्तारण की क्या प्रक्रिया है 4. कुल शास्ति वसूली कितनी हुई
5	**सतत् विकास की ओर (अधिकतम देय अंक 20)**
	1. अनुरक्षण कोष या ग्रामीण विकास कोष में रखी गई राशि कितनी है 2. समिति द्वारा वनों के व लघु वन उपज के विकास के बारे में उठाये गये कदम और उसके परिणाम क्या रहे 3. समिति द्वारा राज्य सरकार के अन्य विभागों के कार्य में रूचि

	4. अनुरक्षण कोष या ग्रामीण विकास कोष से प्राप्त राशि के उपयोग से हुए विकास कार्यों का ब्यौरा 5. विवादों का निपटारा

विभाग के निर्देशनुसार उपरोक्त दक्षता सूचकांक के आधार पर ही किसी समिति की सफलता का स्तर निर्धारित किया जावेगा। उपरोक्त प्रत्येक मापदण्ड पर समिति को शून्य से 20 तक के विस्तार में अंक दिये जावेंगे। यदि समिति उपर्युक्त दक्षता सूचकांक में से 75 प्रतिशत या उससे अधिक सूचकांकों की उपलब्धि 60 प्रतिशत या उससे अधिक अर्जित करती है तो वही समिति अतिसक्रिय की श्रेणी में रखी जावेगी। समिति को अतिसक्रिय, सक्रिय अथ्वा कम सक्रिय श्रेणी में रखने के लिये उपरोक्त मापदण्डों की न्यूनतम उपलब्ध स्तर निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया है :

- अति सक्रिय समिति – 60 प्रतिशत या उससे अधिक
- सक्रिय समिति – 35 से 60 प्रतिशत तक
- कम सक्रिय समिति – 35 प्रतिशत या उससे कम

उपरोक्त विभागीय निर्देश समिति की दक्षता के वस्तुपरक आंकलन हेतु उठाया गया सही कदम है जिसकी गंभीरता से पालना किये जाने की आवश्यकता है। उपरोक्तानुसार वस्तुपरक आंकलन से प्रत्येक समिति के मजबूत तथा कमजोर पहलु उजागर होंगे जिससे समिति को अधिक प्रभावी व सक्रिय बनाने हेतु उपयोग में लिया जा सकता है।

कार्य आयोजना अवधि में प्रतिवर्ष विगत वित्तीय वर्ष में समिति की दक्षता का आंकलन उपरोक्त विभागीय निर्देशानुसार किया जावेगा तथा तदानुसार ही समिति का दक्षता वर्गीकरण किया जावेगा।

15.13 साझा वन प्रबन्धन सुदृढीकरण

जैसा कि पूर्व में वर्णित है जिले के लगभग आधे भाग में साझा वन प्रबन्धन अच्छी तरह से स्थापित है और प्रगतिशील है। जबकि जिले के कुछ भागों में यह अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। इस अंतर को देखते हुए साझा वन प्रबन्धन के समस्त कार्य भी इस भिन्नता के अनुसार ही लिये जाने चाहिये। जिले के रेंज हिण्डोली, डाबी के प्रगतिशील क्षेत्र में समितियों के गठन व साझा वनप्रबन्धन अंतर्गत प्रवेश बिन्दु गतिविधियां व अन्य कार्य, वानिकी विकास कार्यों के समानान्तर प्रारम्भ किये जा सकते हैं परन्तु रेंज नैनवा के क्षेत्र में वानिकी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थानीय ग्रामवासियों का विश्वास हासिल

करना, समिति का सही गठन करना तथा उसे प्रारम्भिक सक्रियता की अवस्था में लाना नितान्त आवश्यक है। ग्रामवासियों की वन प्रबन्धन में सहभागिता की मनोवृत्ति में भिन्नता को देखते हुए जिले में साझा वन प्रबन्धन कार्य के क्रियान्वयन निम्नानुसार किया जावे :

15.13.1 प्रगतिशील क्षेत्र

वन मण्डल की रेंज नैनवा में साझा वन प्रबन्धन प्रणाली मजबूत और प्रगतिशील है ।

साझा वन प्रबन्धन कार्य क्रियान्वयन क्रम

वानिकी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व के एक वर्ष में	सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन क्रिया, समिति का गठन, सूक्ष्म नियोजन एवं कुछ प्रवेश बिन्दु गतिविधियां
वानिकी कार्य प्रारम्भ करने के वर्ष में	प्रबन्धन योजना तैयारी, वानिकी कार्य प्रारम्भ, प्रवेश बिन्दु गतिविधियां, संचार, प्रसार व प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुरक्षण कोष की स्थापना, ग्राम विकास कोष की स्थापना
वानिकी कार्य प्रारम्भ करने के बाद के दो वर्ष में	प्रवेश बिन्दु गतिविधियां, संचार, प्रसार व प्रशिक्षण कार्यक्रम, वानिकी कार्य, अनुरक्षण कोष में योगदान, ग्राम विकास कोष में योगदान
वानिकी कार्य प्रारम्भ करने के दो वर्ष बाद की अवधि में	प्रबन्धन योजना के अनुसार क्षेत्र में वानिकी कार्य से लाभ प्रदान करना, अनुरक्षण कोष में योगदान, ग्राम विकास कोष में योगदान व उपयोग, अभिनव कार्य, समिति को बाजार से जोडना तथा उनके उत्पादों को विपणन आदि कार्य।

15.13.2 पिछडे क्षेत्र

वन मण्डल बूंदी की इन्द्रगढ़ व नैनवा रेंजों के क्षेत्रों में साझा वन प्रबन्धन अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही है। इन क्षेत्रों में साझा वन प्रबन्धन को अन्य क्षेत्रों की भांति स्थापित करने में कार्य करने की आवश्कयता है। इन क्षेत्रों में साझा वन प्रबन्धन प्रणाली की स्थापना के प्रति आश्वस्त नहीं होने पर वानिकी कार्य नहीं लिये जावें।

15.14 विविध विनियम

15.14.1 वर्तमान में समितियों के माध्यम से प्रबन्धित क्षेत्र

विगत वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत एवं विभागीय निर्देशों की अनुपालना में जिले में वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समितियों के माध्यम से बहुत वन क्षेत्र को साझा वन प्रबन्धन के दायरे में लाया गया है। इन क्षेत्रों में समिति की सक्रियता, प्रचलित विभागीय योजनाओं व उपलब्ध वित्तीय संसाधन के अनुसार वानिकी विकास, वन सुरक्षा, वन

उपज संग्रहण जैसे अनेक प्रकार के कार्य कराये गये हैं। परन्तु अधिकांशतः स्वीकृत प्रबन्धन योजना व सूक्ष्म नियोजन को अभाव रहा है। अब इन क्षेत्रों में तथा इनसे संबंधित गैर वन क्षेत्रों में उपरोक्त वर्णित उपचार विनियमों व विधि के अनुसार कार्य कराया जावेगा।

15.14.2 सामुदायिक प्रेरक

वनमण्डल अधीन साझा वन प्रबन्धन की व्यापकता, विस्तार तथा इसमें हर स्तर पर भिन्नताओं को देखते हुए तथा विभागीय स्तर पर सामुदायिक संगठन निर्माण के प्रति आवश्यक दक्षता, प्रशिक्षण की व सम्पक्र की निरन्तरता की कमी को पूरा करने हेतु विभाग को कम से कम एक पूर्णकालिक सामुदायिक प्रेरक की सेवाएं लेनी चाहिये। यथा संभव, यह प्रेरक कोई चयनित स्थानीय समूह, संस्था अथवा महिला हो, समूह अथवा, संस्था होने की स्थिति में इनमें महिलाएं भी हो यह ध्यान रखा जावे। इस प्रकार नियोजित सामुदायिक प्रेरक से निम्न कार्य लिये जा सकते हैं :

1. कुशल सामुदायिक संगठन
2. सम्पक्र में समानता व निरन्तरता
3. उचित सम्पक्र व सामुदायिक विकास के प्रति उचित दृष्टिकोण
4. विवाद समाधान

15.14.3 साझा वन प्रबन्धन प्रकोष्ट की स्थापना

वर्तमान कार्य व्यवस्था, कार्य बोझ तथा वनकर्मियों में अनुभव, मनोवृत्ति तथा स्वप्रेरणा में असमानता के कारण जिले में वन प्रबन्धन को कार्य आयोजना के प्रस्ताव अनुसार करने के लिये आवश्यक है कि वनमण्डल स्तर पर इन कार्य हेतु कम से कम क्षेत्रीय वन अधिकारी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में पृथक से स्थाई कार्यदल हो। यह कार्यदल वन प्रसार व प्रशिक्षण कार्यक्रम को नियमित रूप से आयोजित करने के अतिरिक्त कार्य आयोजना में निर्धारित अनुसार वानिकी कार्य व उपचार हेतु अतिआवश्यक जिले में सूक्ष्म–नियोजन कार्य, प्रबन्धन योजना तैयार कार्य तथा साझा वन प्रबन्धन सुदृढीकरण के समस्त कार्य भी करेगा। इसके अतिरिक्त यह प्रकोष्ठ वन प्रबन्धन कार्य में उत्पन्न या उत्पादित वनोपज का उत्पादन, प्रसंस्करण, भण्डारण तथा विपणन आदि कार्य हेतु संस्थागत सुविधा भी प्रदान कर सकता है।

15.14.4 वन प्रशिक्षण केन्द्र

जिले में अब तक सफल साझा वन प्रबन्धन गतिविधियों को नया सोपान प्रदान करने तथा वन सरुक्षा एवं प्रबन्धन समितियों को उनके कार्य में दक्ष तथा प्रशिक्षित करने हेतु

निरन्तर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है। वनकर्मियों के लिये भी इसी प्रकार के निरन्तर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त साझा वन प्रबन्धन से जुडे सदस्यों को वन उपज प्रसंस्करण के कार्य में प्रशिक्षित करने का कार्य भी स्थानीय स्तर पर किया जाना नितान्त आवश्यक है। इन कार्यों के लिये जिले में ही विभाग के पास उपलब्ध स्थित परिसर में एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जा सकता है। इस केन्द्र में बूंदी वन मण्डल तथा करौली वन मण्डल के स्टॉफ को भी प्रशिक्षण का लाभ आसानी से प्रदान किया जा सकता है।

15.14.5 क्षेत्रीय कार्यालय में प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं

जिले में विगत एक दशक में साझा वन प्रबन्धन के पुनःस्थापना व सुदृढीकरण कार्य में क्षेत्रीय वन अधिकारी का कार्यालय एक केन्द्र बिन्दु रहा है। ग्रामवासियों और विभाग के बीच सेतु निर्माण का अधिकांश कार्य इस कार्यालय के परिसर में ही हुआ है। वर्तमान में भी विभाग से सम्पक्र हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी का कार्यालय ही सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान है। अतः साझा वन प्रबन्धन की दृष्टि से क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय को और अधिक सुविधा सम्पन्न करने की आवश्यकता है। प्रत्येक क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय परिसर में समितियों व सदस्यों की बैठक, प्रशिक्षण आदि हेतु सभाकक्ष तथा ग्रामवासियों के एक या दो दिवस के रात्रि विश्राम के लायक बडे कमरे, उपयुक्त मात्रा में शौचालय व स्नानागार आदि बनवाये जावें।

15.14.6 संभावित व्यय

संयुक्त वन प्रबन्धन हेतु कार्य योजना अवधि में निम्न प्रकार व्यय संभावित हैं :

(i)	साझावन प्रबन्ध हेतु प्रशिक्षण कक्ष निर्माण 5 रेंजों व एक वनमण्डल स्तर पर शौचालय सुविधाओं सहित। 5 रेंजों व एक वनमण्डल स्तर पर शौचालय सुविधाओं सहित।	10,00,000 x 6 =	60 लाख रू
(ii)	भवन संधारण पर व्यय	350,000 / वर्ष x 10 =	35 लाख रू
(iii)	**वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों का प्रशिक्षण कार्य**		
(अ)	भ्रमण कार्यशाला आयोजन – प्रतिवर्ष 1	1 लाख x 10 =	10 लाख रू
(ब)	प्रशिक्षण कार्यक्रम – प्रतिवर्ष 10	1 लाख x 10 =	10 लाख रू
(स)	साझा वन प्रबन्धन सदृढ़ीकरण कार्य (विविध कार्य)	6 लाख x 10 =	60 लाख रू
	योग		**175 लाख रू**

15.14.7 अधिकार व रियायतें

क्षेत्र में व्याप्त समस्त अधिकार व रियायतों के अनुप्रयोग, साझा वन प्रबन्धन के तहत तैयार व स्वीकृत प्रबन्धन योजना के अनुसार, कार्य आयोजना में किये गये प्रावधानों के अधीनस्थ रहते हुए किये जावेंगे।

जिले में वनसुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों सम्बन्धी रेन्जवार आंकड़े

क्र0 सं0	विवरण	रेंन्ज							योग
		बूंदी	नैनवा	हिण्डोली	इन्द्रगढ़	डाबी	के. पाटन	रामगढ़	
1	कुल पंजीकृत समितियां	13	33	37	24	29	12	16	164
2	सदस्य संख्या								
	1 अनुसूचित जाति	207	598	649	357	402	219	136	2568
	2 अनु जनजाति	223	581	1074	252	580	109	110	2929
	3 अन्य	837	1744	1740	1132	1106	212	431	7202
	4 योग	1267	2923	3463	1641	2088	540	677	12599
	5 महिलाए	8	439	320	110	96	67	99	1139
	6 महिलाऐं उप समिति सदस्य संख्या	3	18	16	10	8	5	11	71
3	जमा राशि लाखों में	—	—	—	—	—	—	—	0
	1 सदस्यता शुल्क	—	—	—	—	—	—	—	0
	2 वन अपराध जुर्माना	—	—	—	—	—	—	—	0
	3 वन उपज विक्रय	—	—	—	—	—	—	—	0
	4 अन्य	3.74	9.67	22.69	7.28	7.26	3.03	6.13	59.80
	5 योग	3.74	9.67	22.69	7.28	7.26	3.03	6.13	59.80
4	लाभान्वितों की संख्या	—	—	—	—	—	—	—	0
5	समिति की दक्षता श्रेणी	—	—	—	—	—	—	—	0
	1 सक्रिय समिति	6	8	9	7	8	3	4	45
	2 विकासशील समिति	3	10	17	7	11	8	9	65
	3 निष्क्रिय समिति	4	15	11	10	10	1	3	54
6	सूक्ष्म नियोजन उपलब्ध	—	—	—	—	—	—	—	0
7	प्रबन्ध योजना उपलब्ध	—	—	—	—	—	—	—	0

8	स्वयं सेवी संस्था से सम्बन्ध	—	—	—	—	—	—	—	0
9	अनुरक्षण कोष	—	—	—	—	—	—	—	0
10	जमा राशि स्वयं सहायक समूह (लाखों में)	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2
11	पुरूष (स्वयं सहायता समूह)	—	—	—	—	—	—	—	0
12	महिला (स्वयं सहायता समूह)	—	—	—	4	—	—	—	4

15.15 साझा वन प्रबन्धन प्रणाली के अंतर्गत वन मण्डल बूंदी में करवाये गये कार्य

विभाग द्वारा विगत वर्षों में निम्न वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समितियों से विधिवत अनुबन्ध स्थापित कर साझा वन प्रबन्धन प्रणाली से कार्य कराया गया है बूंदी वनमण्डल में सुरक्षा एवं प्रबन्धन समितियों के माध्यम से गत 10 वर्षों में घास एवं चारा प्राप्त करने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

क्र. स.	वर्ष	कार्यरत वन सुरक्षा समितियों की संख्या	समिति सदस्यों की संख्या			समिति के खाते में जमा राशि	समितियों को प्राप्त घास की मात्रा (क्विटल में)
			पुरूष	महिला	योग		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	1999-2000	-	-	-	-	-	-
2	2000-01	-	-	-	-	-	-
3	2001-02	-	-	-	-	-	-
4	2002-03	-	-	-	-	-	-
5	2003-04	-	-	-	-	-	-
6	2004-05	-	-	-	-	-	-
7	2005-06	31	2379	202	2581	4070882.00	1645
8	2006-07	31	2379	202	2581	4070882.00	2680
9	2007-08	31	2379	202	2581	4070882.00	1684
10	2008-09	31	2379	202	2581	4070882.00	1495

CHAPTER - XVI

	अध्याय 16		**CHAPTER XVI**	
	अकाष्ठीय वन उपज (अतिच्छादी) कार्य वृत्त		Non Wood Produce Working Circle (Overlapping)	
16.1	सामान्य संरचना		General composition	
16.2	वनस्पति का सामान्य स्वरूप		General composition of vegetation	
16.3	प्रबन्ध के विशेष उद्देश्य		Objectives of management	
16.4	क्षेत्रफल का नियतन		Area Allotment	
16.5	प्रबन्धन की ईकाई		Unit of Management	
16.6	तेन्दू पत्ता		Tendu Leaves	
	16.6.1	तेन्दू पत्ता व्यापार	16.6.1	Trade of Tendu Leaves
	16.6.2	कर्षण कार्य विधि	16.6.2	Cultural Operations
	16.6.3	प्रस्तावित उपचार	16.6.3	Proposed Methods of Treatments of Tendu Trees
	16.6.4	कृत्रिम पुर्नजनन	16.6.4	Artificial Regeneration
	16.6.5	तेन्दू पत्ते का एकत्रीकरण	16.6.5	Collection of Tendu Leaves
	16.6.6	तेन्दू वृक्षों में करवाये जाने वाले उपचारों के भावी पूर्वानुमान	16.6.6	Proposals of Future Treatments of Tendu Trees
16.7	गोंद		Gum & Resins	
16.8	अन्य उपयोगी वनोपज		Other Useful Forest	
16.9	वन औषधियॉ		Forest Medicinal Plants	
16.10	विविध विनियमन		Miscelleneous Regulations	
16.11	वित्तीय पूर्वानुमान		Financial Forecast	

अध्याय 16

अकाष्ठीय वन उपज (अतिच्छादी) कार्यवृत्त

CHAPTER - XVI

Non Wood Forest Produce (Overlapping) Working Circle

16.1 सामान्य संरचना :

बूंदी वन मण्डल की महत्वपूर्ण अकाष्ठीय वन उपज है, पत्ता तेन्दू, गोंद, शहद, मोम, घास, चारा, बबूल व खेजड़ी की फलियां, खजूर, के पत्ते आयुर्वेदिक दवाईयों के पौधे आदि। ये अकाष्ठीय वन उपज वनमण्डल के समस्त वन क्षेत्र में पायी जाती है। यह कार्यवृत्त समस्त अन्य कार्य वृत्तों पर अतिच्छादी रहेगा।

16.2 वनस्पति का सामान्य स्वरूप

यह कार्यवृत्त चूँकि अतिच्छादी है अतः इसका क्षेत्र पूरा वन मण्डल क्षेत्र रहेगा और पूरे वनमण्डल की वनस्पति की विस्तृत विवरण कार्य आयोजना के प्रथम भाग में उल्लेखित है।

सर्वाधिक पाये जाने वाले वृक्ष	:	धौंक
अन्य सामान्यतः मिश्रित वृक्ष	:	गुर्जन, सालर, तेन्दू, रोंझ, चुरेल, खिरनी, कड़ाया, सफेद धौंक, नदीं नालों के किनारे कोहड़ा, जामुन व कलम
सामान्य झाड़िया व क्षुप	:	लेन्टाना, काली स्याली, ग्प्रगरेन, झड़बेर, अडूसा, दूधी, जंगली चौलाई, पंवार आदि।
सामान्य घास	:	लापला, रातर्डा, पोलार्डा, सीन, डाब, करड़, सूरवाला, सिम्बोपोगोन एवं मूंज

16.3 प्रबन्ध के विशेष उद्देश्य :

1. अकाष्ठीय वन उपज के संरक्षण एवं विकास के प्रयास।
2. स्थानीय निवासियों विशेषकर आदिवासियों द्वारा अकाष्ठीय वन उपज का वैज्ञानिक विदोहन करना।

3. स्थानीय निवासियों को वन उपज विदोहन जनित रोजगार उपलब्ध कराना।
4. तेन्दू की अच्छी प्रकार की पत्तियों का अधिकाधिक एवं सतत् विदोहन करना।
5. अकाष्ठीय वन उपज के उत्पादन को बढ़ाने हेतु उपयुक्त स्थलों पर अकाष्ठीय वन उपज देने वाले वृक्षों, झाड़ियों, शाक आदि का वृक्षारोपण।

16.4 क्षेत्रफल का नियतन

इस प्रबन्धन वृत में वन मण्डल का समस्त क्षेत्र सम्मिलित किया गया है।

16.5 प्रबन्धन की इकाई

प्रबन्धन की दृष्टि से प्रत्येक रेन्ज को एक पृथक इकाई माना जाएगा।

लघु वन उपज जैसे पत्ते, फलियां, छाल, बीज आदि का विदोहन उप वन संरक्षक कार्यालय द्वारा ठेका प्रणाली से किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अपने आदेश क्रमांक प.6(4)वन/90 जयपुर, दिनांक 21 मई 2012 से सालर एवं अन्य सभी प्रकार के गोंद के विदोहन एवं संग्रहण पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाता हैं। अतः इसकी प्रभावी पालना की जाये।

सालर का पुनरुत्पादन

सालर के वृक्षों को रूट सकर्स के माध्यम से निम्नानुसार पुनरुत्पादन प्रोत्साहित किया जा सकता हैः

1. सालर के चयनित वृक्षों के आस पास, वृक्ष की छत्र के अनुरूप, ढलान को बाधित करते हुए नीचे की ओर तीन से पांच मीटर की त्रिज्या का गोलाकर 45 सेमी चौडी और 45 सेमी गहरी उचित लम्बाई की ट्रेंच खोदी जावे।
2. ट्रेंच निर्माण से उत्पन्न मृदा को नीचे की ओर टीले के आकार में जमाया जावे ।
3. ट्रेंच निर्माण क्षेत्र में आई सालर की जडों को ट्रेंच के दोनो किनारो पर तीखे धारधार औजार से काटी जावे । इन कटी हुई जड़ों से ही सालर के मूलप्ररोह उत्पन्न होंगे।
4. सालर की पार्श्विक जड़ों की छाल को छीलकर उसमें एक सेमी. का घाव बनकर भी मूल प्ररोहों को विकसित करने का प्रयास किया जा सकता है।
5. ट्रेंच के निचले किनारे पर उत्पन्न मूल प्ररोह, मातृ वृक्ष की जडों से पहिले से ही अलग होते हैं। अतः वे स्वयं को प्राकृतिक रूप में स्थापित करने के प्रयास में जडें फैलाते है और अधिकांश मूल प्ररोह स्थापित हो जाते हैं।

6. ट्रेंच के ऊपरी, वृक्ष के पास वाले किनारे पर, उत्पन्न मूल प्ररोह, मातृ वृक्ष की जडों से ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे में उनमें स्वयं जड फैलाने की प्रवृत्ति कम होती है और इस कारण इस भाग के अधिकांश मूल प्ररोह सफलतापूर्वक स्थापित नहीं होते। इस भाग के मूल प्ररोहों को स्थापित करने हेतु, प्रथम वर्षा उपरान्त, माह सितम्बर अक्टूबर के माह में, इन मूल प्ररोहो को मातृ वृक्ष की जडों से काट कर अलग किया जावे ।

7. मूल प्ररोहों को संधारित कर वृक्ष तैयार किये जावे। सालर में रूट सकर्स के माध्यम से पुनरुत्पादन का कार्य इस प्रकार किया जावे कि चयनित क्षेत्र में उपलब्ध समस्त वृक्षों को पाँच–छह साल में उपचारित किया जावे। इससे इन वृक्षों के अलग अलग आयुवर्ग के वृक्ष भविष्य में प्राप्त हो सकेगे।

शेष लघु वन उपज, पत्ता तेन्दू, औषधीय पौध एवं घास का विदोहन निम्न प्रकार प्रस्तावित है।

(1) पत्ता तेन्दू– विभागीय व्यवस्था द्वारा
(2) औषधीय पौध–स्थानीय नागरिकों द्वारा
(3) घास एकत्रीकरण – ग्रामीण वन प्रबन्धन समितियों द्वारा

जिनका विस्तृत उपचार हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार है।

16.6 तेन्दू पत्ता :– बीड़ी बनाने के लिये तेन्दू पत्ता सबसे अच्छा पत्ता माना जाता है जबकि बीड़ी अन्य वृक्षों के पत्तों से भी बनायी जाती है जैसे झींझा, पलाश, एट्रोकार्पस आदि। बीड़ी बनाने के अतिरिक्त तेन्दू वृक्ष के निम्न उपयोग भी हैं

1. तेन्दू की अन्तः काष्ठ, नक्काशी हेतु काम में ली जाती है।
2. तेन्दू के फल खाने के काम आते है।
3. फल, छाल व पत्तों में औषधीय गुण होते हैं। सूखें फलों से मूत्र व चर्म रोगों में काम में लिया जाता हैं।
4. इसकी लकड़ी भवन निर्माण में अल्लियों के रूप में बैलगाड़ी निर्माण में व कृषि उपकरण बनाने में काम आती है।

तेन्दू को आर्थिक प्रजाति भी कहा जाता है क्योंकि इसके पत्ते से राज्य को राजस्व प्राप्त भी होती है। यह ही एक ऐसी अकाष्ठीय उपज है जिसका एकत्रिकरण विभागीय तौर पर होता है अन्यथा अन्य अकाष्ठीय उपज के ठेके या साझा वन प्रबन्धन समितियों द्वारा एकत्रिकरण होता है।

पत्ता तेन्दू के व्यापार हेतु पूरे बून्दी वन मण्डल को पांच इकाईयों व तेरह फडो में विभक्त किया हुआ है जिसकी सूची निम्नानुसार है।

रेंज	इकाई सं.	इकाई नाम	अनुमानित पैदावार (मानक बोरा)	फडो के नाम जो इकाई में शामिल हैं	गाँवों के नाम जो फडो में शामिल है
डाबी	3	डाबी	1000	1 डाबी 2 वुरूपुरा 3 गणेशपुरा 4 राजपुरा 5 खड़ी 6 फतेहपुरा	1 डाबी 2 वुरूपुरा 3 गणेशपुरा 4 राजपुरा 5 खड़ी 6 फतेहपुरा
	4	गरड़दा	750	1 गरड़दा 2 गोलपुरा 3 पलकान 4 मेघारावत की झोंपड़ियां	1 गरड़दा 2 गोलपुरा 3 पलकान 4 मेघारावत की झोंपड़ियां
	5	धनेश्वर	900	1 धनेश्वर 2 सूतड़ा 3 कंवरपुरा 4 करोंदी 5 खड़ीपुर 6 डोंरा	1 धनेश्वर 2 सूतड़ा 3 कंवरपुरा 4 करोंदी 5 खड़ीपुर 6 डोंरा
नैनवा / के.पाटन	7	नैनवां	100	1 हीरापुरा 2 वन्थली 3 तलवास	1 हीरापुरा 2 वन्थली 3 तलवास

पत्ता तेन्दू व्यापार में मानक बोरा से तात्पर्य है, गड्डियों को एक बोरा जिसमें एक हजार गड्डीयां होती है। प्रत्येक गड्डी में 50 पत्ते होते है। इन पत्तों का एकत्रिकरण मई–जून माह में करवाया जाता है।

16.6.1 तेन्दू पत्ता व्यापार

तेन्दू पत्ता की इकाई के लिये निविदा आमंत्रित की जाती है, चाहे उस इकाई में पत्ते का उत्पादन कम हो या अधिक। क्रेता को ही पत्ता एकत्र करने के लिये सग्रंहक माना जाता है। अब नई पत्ता एकत्रिकरण पद्वति में क्रेता को कर्षण कार्य करने के लिये प्रेरित करने का प्रावधान रखा गया है, जिसमें तीन वर्ष तक प्रति वर्ष 10% राशि बढ़ाते हुए पत्ता तेन्दू की लीज की नवीनीकरण किया जा सकता है। कर्षण कार्य से 10% पत्ते की वृद्धि होगी। बूंदी के अधिकांश क्षेत्र में क्रेता द्वारा कर्षण कार्य नहीं कराये गये हैं एवं पत्ते की कमी वाले वर्ष में लीज का न तो नवीनीकरण करवाया गया है न ही अनुरूप दरों पर निविदायें प्रस्तुत की गई हैं। जिन इकाईयों में क्रेता कर्षण कार्य कराने के लिए आगे नहीं आते तो ऐसी इकाईयों में विभाग द्वारा कर्षण कार्य कराने जाने चाहिये।

हरेक वर्ष दिसम्बर तक तेन्दू पत्ते की इकाईयों की निविदाओं को अन्तिम रूप दे दिया जाना चाहियें ताकि ठेकेदार के पास लीज पर दी गई इकाईयों में (एवं टेरिटोरियल उप वन संरक्षको को ऐसी इकाईयों में जिन्हें लीज पर नहीं दिया जा सकता) कर्षण कार्य कराने का पर्याप्त समय मिल सके। नवम्बर माह उपरान्त निविदा में आंमत्रित की जानी चाहिये क्योंकि इस समय तक क्रेताओं को तेन्दू पत्ते के बाजार भाव का ज्ञान हो जाता है। यदि उक्त इन्सेंटिव देने पर भी क्रेता द्वारा कर्षण कार्य नहीं कराये जावें तो आने वाले वर्षो में उस क्रेता को इकाई लीज पर नहीं दी जावे।

16.6.2 कर्षण कार्य विधि :

तेन्दू के पत्ते की संख्या व गुणवत्ता वृद्धि के लिये मुख्यतया तीन विधियां काम में ली जाती हैं :

1. अधि कृन्तन (प्रूनिंग)।
2. तेन्दू वृक्षों का स्थूणन करना।
3. तेन्दू वृक्षों के चारों और खाई बनाना।

16.6.3 प्रस्तावित उपचार

1. कर्षण कार्य तीन वर्ष के अन्तराल पर 15 फरवरी से 15 मार्च के मध्य किया जावे।
2. 15 से. मी. से कम गोलाई की समस्त शाखाओं का तेज धारदार वाले औजार से शाखा कर्तन किया जावें।
3. सूखे, खोखले, अधिपरिपक्व तेन्दू वृक्षों का स्थूणन किया जावें।

4. तेन्दू वृक्ष की सतही जड़ों (लेटरल रूट्स) की छाल को छील कर मूल प्ररोहों को विकसित करने का प्रयास किया जावें।
5. वृक्षों के छत्र के अनुरूप चारों ओर समोच्य रेखा पर चन्द्राकार एक मीटर अर्द्धव्यास वाली, 0.3 मीटर चौड़ी खाई बनाने से जल एवं भू संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा व मूल प्ररोंहों की फुटान अधिक होगी।
6. जहां पक्व एवं अधिपरिपक्व वृक्षों का काटना सम्भव नहीं हो वहां उनकी पार्श्व शाखाओं को काट दिया जावें।

वन मण्डल बूंदी में तेन्दू के वृक्ष मुख्यतः रेंज डाबी में ही पाये जाते हैं, जिसका क्षेत्रफल 41,290.35 हैक्टेयर्स है। इस कार्य आयोजना में 20,000 हैक्टेयर्स क्षेत्र में कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित समस्त कार्य 15 फरवरी से 15 मार्च के मध्य के काल में ही करवाये जाने हैं। तेंदू वृक्षों से आर्थिक रूप से अच्छे व अधिक पत्ते तेन्दू प्राप्त करने के लिये निम्न अतिरिक्त उपचार प्रस्तावित है :

1. प्रति हैक्टेयर 400 बक्सा खाईयों का निर्माण (बाक्स ट्रेचेंज)।
2. प्रति हेक्टेयर 200 बाल वृक्षों (सेपलिंग्स) के थांवला निर्माण कार्य।
3. तेन्दू वृक्षों के मूल–सकर्स (रूट सकर्स) में तीव्र वृद्धि उत्पन्न करने हेतु अर्द्धचंद्राकार खाईयों का निर्माण। खाई की माप होगी 30 से.मी. × 30 से.मी. यह कार्य प्रति हैक्टेयर 200 वृक्षों में करवाया जाना है।
4. गड्ढ़ो में तेंन्दू का बीज बुवाई कार्य। प्रति हैक्टेयर 200 गड्ढ़े माप 30 × 30 × 30 से.मी.। इन गड्ढ़ों में वर्षा काल में उपचारित बीज की बुवाई की जानी है।
5. संकर्षण कार्य 200 तेन्दू वृक्ष प्रति हैक्टेयर में, सकंर्षण कार्य 15 फरवरी से 15 मार्च के मध्य करवाये जायें।

16.6.4 कृत्रिम पुर्नजनन

तेन्दू बीज को माह अप्रेल मई में एकत्रण के उपरान्त पोलीथीन की थैलियों में बो दिया जाना चाहिये। वर्षा काल में 3 × 3 मीटर के अन्तराल पर 453 से.मी. के गड़डों में रोपित किया जावे। इन वृक्षारोपणों में 5 वर्ष उपरान्त बीड़ी बनाने हेतु पत्ते उपलब्ध होने लगते हैं।

16.6.5 तेन्दू पत्ते का एकत्रीकरण

बूंदी जिले में तेन्दू पत्ता एकत्रीकरण का कार्य अप्रेल के अन्त में अथवा मई में आरम्भ किया जाता है। जब तेन्दू का रंग लाल से चमकीला हरा हो जाता है। तेन्दू पत्ता

एकत्रीकरण मई एवं जून के पहले सप्ताह तक चालू रखा जाता है। पत्ता बाद में भी उपलब्ध होता है किन्तु पत्ता सुखाने के समय को ध्यान में रखते हुए एकत्रीकरण बन्द कर दिया जाता है। पत्ता तोड़ने के बाद छटांई की जाती है।

गड्डी में 50 पत्ते रखे जाते है। पत्तों की गड्डी बांधने के लिये छीले की जड़ो की छाल काम में ली जाती है। फंड पर पत्ता प्राप्त होने के उपरान्त गड्डियों का खुले आसमान में नीचे सुखाने के लिए फैला दिया जाता है। तीन दिन बाद गड्डियों को पलटा जाता है। पत्ता 6 से 10 दिन में पूरा सूख जाता है। सूखने के उपरान्त गड्डियों को जूट के बोरो में भर दिया जाता है। पत्तों को सुखने से बचाने एवं उसकी आनम्यता (Plybility) कायम रखने के लिये पत्तों पर संध्याकाल में पानी छिड़का जाता है और सूर्योदय के पूर्व बोरों में भर दिया जाता है। राजस्थान में 1000 गड्डियों के बोरे को एक मानक बोरा कहते है, जिसका वजन लगभग 40 किलो होता है।

16.6.6 तेन्दू वृक्षों में करवाये जाने वाले उपचारों के भावी पूर्वानुमान

बून्दी वनमण्डल में अकाष्ठीय वनउपज मुख्य रूप से तेन्दू पत्ता है जिसकी उत्पादकता वृद्धि हेतु वनमण्डल के डाब रेंज में कार्य आयोजना अवधि में 10,000 हैक्टेयर क्षेत्र को उपचारित किया जाना प्रस्तावित है। यह कार्य तेन्दू पत्ता वृक्षों के बाहुल्य क्षेत्रों में पूर्व के बने क्लोजर्स में किया जावेगा। कार्य पर व्यय अनुमोदित मॉडल से फेसिंग पर होने वाले व्यय को कम करते हुए दर अंकित की गई है यथा निम्नानुसार होना प्रस्तावित हैः

क्र. सं.	कार्य का नाम	मात्रा	दर	राशि (लाख रूपये में)
1	उत्पादकता वृद्धि हेतु कार्य मॉडल अनुसार	10,000 है.	12657/– रू. प्रति हैक्टेयर	126.57
2	गोदाम निर्माण (रेन्ज डाबी)	1	20 लाख प्रति	20.00
3	अन्य			3.43
	कुल राशि			**150.00**

16.7 गोंद

बूंदी जिले में गोंद निम्न प्रजातियों से प्राप्त होता है – धौंक, सफेद धौंक, खैर, कड़ाया, सालर, बबूल,एवं विलायती बबूल आदि। अभी राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अपने आदेश क्रमांक प.6(4)वन/90 जयपुर, दिनांक 21 मई 2012 से सालर एवं अन्य सभी

प्रकार के गोंद के विदोहन एवं संग्रहण पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाता हैं। अतः इसकी प्रभावी पालना की जाये। अगर आगामी किसी आदेश से राजस्थान में गोंद एकत्रीकरण पर रोक हटाई जाती है, तो इस हेतु निम्न आवश्यक बातों को ध्यान में रखना होगा–

1. किसी भी प्रजाति के वृक्षों पर गोंद निकालने के लिये टांचा नहीं लगाया जावें।
2. किसी भी गोंद उत्पादक वृक्ष से गोंद नहीं निकाला जावे क्योंकि इससे वृक्ष के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पडता है।
3. गोंद उत्पादक वृक्ष में कर्षण कार्य करके उसके पूर्नजनन में वृद्धि की जावें।
4. वनों में इनकी संख्या में वृद्धि करने के लिये गोंद उत्पादक वृक्षों को वृक्षारोपण में रोपित भी किया जावें, ।

16.8 अन्य उपयोगी वनोपज

चिरोंजी, महुवा, बहेडा, आंवला, बील, इमली, जामुन, लिसोडा, इमली, गूलर, खजूर।

II. वन औषधियॉ :

16.9.1 प्रस्तावना

औषधीय पौधे व इनके उत्पादों का प्रचलन तीव्र गति से विश्व भर में हो रहा है। एक अनुमान अनुसार औषधीय पौधों पर आधारित उद्योगो की दर में वृद्धि 17 प्रतिशत प्रतिवर्ष आंकि गई है। विश्व में इनका व्यापार 6200 करोड डॉलर्स को होता है, जबकि भारत में इनका व्यापार 5000 करोड रुपये का है। 2050 तक इस व्यापार में 10 गुणा वृद्धि होने की संभावना है। वर्तमान में भारत मात्र 500 करोड रुपये का हर्बल (औषधीय) उत्पादों का निर्यात कर रहा है। जैव विविधता एवं वानस्पतिक रुप से समृद्ध भारत की विश्व बाजार में उपस्थिति उत्साह वर्धक नहीं है, किन्तु भारत में औषधीय व्यापार घरेलु बाजार की अपेक्षा विदेशी व्यापार तीव्र गति से बढ़ रहा है।

हर्बल दवाओं की बढ़ती हुई मांगों के कारण बहुत से औषधीय प्रजातियों का अविवेकपूर्ण विदोहन हुआ है, परिणाम स्वरुप अनेक प्रजातियाँ विलुप्तता के कगार पर पहुचँ गई है। हमारे देश में अभी भी 90 प्रतिशत औषधियाँ वनों से एकत्रित की जाती है, जिनमें से तीन चौथाई का विदोहन बहुत ही अवैज्ञानिक तरीको से किया जाता है, और इस विदोहन के अन्य दोष भी जैसे अस्थाई आपूर्ति, अविश्वसनीय वानस्पतिक पहचान, कटाई के बाद गलत प्रकार का रख–रखाव तथा मिलावट की सम्भावना रहती है। इसलिये इन पेड़–पौधों की नवीन तकनीक की कृषि पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें जैव–खाद् व जैव कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है।

16.9.2 सामान्य संरचना

स्थानीय समुदाय के लिये वन क्षेत्र आधारित वैकल्पिक आय के साधनों के सर्जन एवं साझा वन प्रबन्धन में जन भागीदारी बढ़ाने की दृष्टि से वनौषधि विकास एक महत्वपूर्ण अवयव है। वर्तमान में वन औषधि की निकासी अनियंत्रित है। अतः वनौषधि विकास एवं वनौषधि के विनाशकारी विदोहन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इस प्रबन्धन वृत का गठन किया गया है। यह प्रबन्धन वृत अन्य कार्यवृतों पर अतिच्छादी रहेगा अर्थात समस्त वन मण्डल का क्षेत्र इस कार्यवृत के अधीन होगा। सभी महाद्वीपों में मानव द्वारा हजारों देशी पौधों को, विभिन्न रोगों के उपचार हेतु काम में लिया जा रहा है। अग्रेंजी दवाओं के अत्यधिक विकास के उपरान्त भी देशी दवाओं का महत्व कम नहीं हुआ है। भारत में लगभग 7,300 वानस्पतिक प्रजातियाँ पारम्परिक स्वास्थ्य उपचार हेतु काम में ली जा रही है, उनमें से 90 प्रतिशत दवाई के पौधे प्राकृतिक आवास (Habitats)से प्राप्त होती है। विशाल घरेलु व वैश्विक मांग के कारण दवा वाले पौधों के क्षुप उत्पादों हेतु, इन पर भारी दबाव है।

मुख्य वन औषधि वृक्ष : गुगल, सालर, कड़ाया, जामुन, सेंजना, नीम, आंवला, बहेड़ा, एंव गुर्जन।

वन औषधि झाड़ियां व क्षुप : बापची, तुलसी, ग्वारपाठा (घृत कुमारी), बेल आर्टीमीजिया, सफेद मूसली, शतावर, अश्वगंधा, शंखपुष्पी, पुर्ननवा, अडूसा, गंगरेन, गोखरु, आंकड़ा या ऑक, धतूरा, कोंच, वजृदन्ती, इसबगोल, बच (एकोरस कैलेकस)।

वन औषधि घास : खस, रोशा घास, लेमन घास आदि।

16.9.3 प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य

- वनौषधि विदोहन को नियंत्रित करना एवं हानिकारक विदोहन प्रणालियों को प्रतिबन्धित करना।
- वनौषधि विकास में जन भागीदारी प्रेरित कर स्थानीय समुदाय के वैकल्पिक आय के स्त्रोत सृजित करना।
- वनौषधि 'जीन पूल' संरक्षण सुनिश्चित करना।

16.9.4 उपचार :

- वृक्षारोपणों में वन औषधीय वाले वृक्षो का रोपण मृदा एवं जलवायु अनुसार किया जावे।
- वन औषधि से सम्बन्धित झाड़ी, क्षुप या घास से बीज गिर जाने के उपरान्त ही एकत्रीकरण की अनुमति प्रदान की जावे।
- औषधि एकत्रिकरण करने वाले ग्रामीणों का स्पष्ट निर्देश दिये जावें कि वे वन औषधि सम्बन्धित भाग का ही एकत्रीकरण करे एवम् पूरे पौधे या शाखा को न उखाड़ देंवे।
- प्रत्येक वन औषधि एकत्रीकरण करता को समझाना होगा कि विदोहन इस प्रकार करे कि आने वाले वर्षो में वह औषधि समाप्त नहीं हो जावे जैसे जिन पौधों की जड़ें काम मे आती है, (राईजोम) उस जड़ का एक भाग मृदा में रहने दें, समस्त जड़ नही निकाली जावें।
- जितनी वन औषधि एकत्रित की जाती है, उसका नाके व रेंज कार्यालय में रिकार्ड संधारित किया जावें।
- वन औषधीय में अनुसंधान हेतु केन्द्र की स्थापना हेतु प्रस्ताव भेंजे जावें।
- वन मण्डल में जो औषधीय पौधे विलुप्त होने की स्थिति में है उनके विदोहन पर पूर्णतः रोक लगाई जावे जैसे शंखपुष्पी एवं प्लेंटेगो आदि।
- वन औषधि वाली घास का एकत्रीकरण अक्टूबर के पश्चात् ही किया जावे।
- वन औषधि वाली घास का एकत्रीकरण ग्राम्य वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से ही करवाया जावें।
- प्रत्येक रेंज कार्यालय मे वन औषधि उत्पादन से सम्बन्धी साहित्य व जानकारी उपलब्ध हो ताकि कोई कृषक अपने खेत पर आर्थिक लाभ कमाने हेतु कोई उपयुक्त वन औषधि लगा कर विक्रय करना चाहे तो उनको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। ऐसे कृषकों को वन औषधि उत्पादन, आसवन, प्रसंस्करण विपणन की समस्त जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जावें।
- पौधशालाओं में भी वितरण हेतु वन औषधि वाले वृक्षों के पौधे तैयार कर स्थानीय ग्रामीणों को बेचे जावें व उनके लाभ व विपणन की जानकारी दी जावे।

11. औषधीय एवं सगंध पौधो के उत्पादन, आसवान तथा प्रसंस्करण आदि चरणों के उपरान्त विपणन में कृषकों की गुणवत्ता आधारित उद्योग लगाने के लिए कई लघु व मध्यम वर्ग के उद्योगों को लगाने की निम्न प्रकार सम्भावना है :

(i) सगंध पौधो में, खस, तुसली आदि के प्रसंस्करण पश्चात् तेलों का उपयोग खुशबू आधारित अगरबत्ती उद्यागों मे लिया जा सकता है, और बाजार में संश्लेषित उत्पादों के आधार पर प्राकृतिक उत्पाद को बेचा जा सकता है।

(ii) सगंध पौधों के आसवन पश्चात्, सगंध तेलो के माध्यम एवं उच्च वर्ग के कृषक, इकाईयाँ स्थापित कर विपणन कर सकते है, मुख्यतः गैर तारपीन सगंध तेल।

(iii) औषधीय एवं सगंध पौधों के अवशेषों जैव खाद्य, वर्मी कम्पोस्ट व अन्य महत्वपूर्ण उत्पाद बनाने में किया जा सकता है। भारत में प्रतिवर्ष 3 करोड़ क्विंटल आसवित अवशेष का उत्पादन होता है, जिसका उपयोग उपरोक्त उद्योग मे किया जा सकता है।

(iv) औषधीय सगंध पौधों के उपयोग को बढ़ाने के लिए अनेक हर्बल उत्पाद जैसे – मच्छरो को भगाने के स्प्रे, वेपोराइजर, क्रीम, बाडी–लोशन, बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए उत्पाद, फर्श को कीटाणु मुक्त रखने के लिए स्वावी, फ्लोमांप, एंटी–फंगल क्रीम, दर्द निवारण हर्बल क्रीम एवं एलोवेरा से बनने वाली क्रीम आदि।

बून्दी वन मण्डल में पाई जाने वाली वनौषधियां की सारणी

वनस्पति	वनस्पति का भाग	रोग
देशी बबूल *Acacia nilotica*	छाल फूल गोंद पत्तियॉ	मसूडों में सूजन कान में दर्द खांसी पेशाब आने में कठिनाई
ग्वार पाठा *Aloe barbadensis* Alliaceae	गुदा	जल जाने पर कान में दर्द
नीम *Azadirachta indica*	पत्तियॉ	फोडे–फुंसी बालों का झड़ना
नीम	तेल	कान का दर्द
हिंगोट *Balanites aegyptiaca*	जड़	कान में दर्द कब्ज
आंकडा *Calotropis porcera*	फूल दूध	दमा कमर का दर्द
कैर *Capparis deciduas*	जड़	यकृत की बीमारी
दूब *Cynodon dactylon*	पूरा पौधा	दाग
धतुरा *Datura alba*	पत्तियॉ	सीने में दर्द
आंवला *Embilica officinalis*	फल	उच्च रक्त चाप, ह्दय रोग एवं रक्त विकार
शंखपुष्पी	पत्तियॉ	बुद्धि में कमी

Evolvulvus alsinoides		
गूलर *Ficus glomerta*	दूध	निमोनियॉ
छोटा गोखरू *Grewia tenax*	फल	हड्डियों का टूटना एवं सूजन
मरोड फल *Helicteres isora*	जड	आंव
अडूसा *Justicia adhatoda*	सूखी हुई पत्तियॉ	खासी व दमा
मैदा लकड़ी *Litsea glutinosa*	छाल	हड्डी का टूटना व सूजन
कमल *Nelumbo nucifera*	बीज	उल्टी
हार श्रृंगार *Nyctanthes arbor – tristis*	पत्तियॉ	मधुमेह
वनतुलसी *Ocimum basilicum*	बीज	पेशाब का रोग
तुलसी *Ocimum sanctum*	फूल	खासी
खजूर *Phoenix dactylifera*	फल	खासी व पेशाब की बीमारी
अरंड *Ricinus communis*	पत्तियॉ	छाती में दर्द
जामुन *Syzygium cumini*	बीज	मधुमेह
अश्वगंधा *Withania somnifera*	जड़ें	घुटने में दर्द एवं बालों का झड़ना
बेर *Ziziphus maritiana*	जड़	दॉतों में तकलीफ, घाव एवं पेट में दर्द

16.9.5 बूंदी जिले में पायी जाने वाली प्रमुख वन औषधीय पौधों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी

1. अश्वगंधा

साधारण नाम	असगंध
वानस्पतिक नाम	विथानिया सोम्नीफेरा
उन्नत किस्म	पोषिता
उपयोग	उपयोगी भाग – जड़ पत्तियाँ। सूखी जड़ों का प्रयोग बलवर्धक के रुप में गठिया रोग, त्वचा की बीमारियों, सूजन, पेट के अल्सर तथा मंदाग्नि के उपचार में किया जाता है।
पौध परिचय	इसका झाड़ीवत पौधा 60–120 सेमी. ऊँचा होता है। पत्तियाँ साधारण, पर्णवृन्तयुक्त, चौड़ी तथा 10 सेमी. तक लम्बी पुष्प हर, पीलापन लिये, फल (बेरी) पकने से पूर्व हरे रंग के,

	परिपक्व होने पर लाल अथवा पीले रंग के हो जाते है।
जलवायु	इसके लिये शुष्क जलवायु तथा मिट्टी से नमी होनी चाहिए। शुष्क भागों, समशीतोष्ण एवं मध्य शीत वाले क्षेत्रों में जहाँ 660–750 मिमी. वर्षा होती है, कृषि हेतु उपयुक्त रबी के मौसम में 1–2 वर्षा से उपज में गुणात्मक सुधार होता है।
भूमि	इसकी खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, परन्तु भुरभुरी, हल्की, बलुई दोमट या लाल मिट्टी जिसका पी. एच. 7–8 और जल निकास का उचित प्रबन्ध हो, उपयुक्त है।
प्रवर्धन	बीज द्वारा छिटकियाँ व रोपण विधि द्वारा करते है। 1 है0 क्षेत्र के लिए 10 कि.ग्रा. बीज प्रर्याप्त होता है।
बीजोपचार	बीज को बोनें से पहले 3 ग्रा. थिरम प्रति कि.ग्रा. की दर से उपचारित करना चाहिए।
खेत की तैयारी	साधारणतयाः इसकी खेती असिंचित क्षेत्रो में की जाती है, जहाँ धान्य फसलों का उगाना लाभप्रद न हो।
उर्वरक एवं खाद	सामान्यतयाः किसी प्रकार की खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन कम उर्वरा शक्ति वाली मृदाओं में यदी 25 कि.ग्रा. नत्रजन, 25 कि.ग्रा., फास्फोरस तथा 20 कि.ग्रा. पोटाश प्रति है0 का प्रयोग किया जाये तो लाभकारी रहता है।
सिंचाई	अधिक वर्षा असगंध के लिये हानिकारक है। बारिश न होने पर 30–40 दिन बाद सिंचाई करना चाहिए।
निराई–गुड़ाई	बुआई के 20–25 दिन बाद यदि आवश्यक है तो दूसरी निराई–गुड़ाई दो महीने बाद करते है।
जड़ों की खुदाई सुखाई	जब पौधों में पत्तियाँ पीली पड़ने लगे तथा फल बनने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाये तब फसल खुदाई के लिये तैयार हो जाती है। खुदाई जनवरी से मार्च के मध्य करते है।
भण्डारण	सूखी जड़ों के टुकड़ों को टीन के शुष्क डिब्बो में भण्डारित करना चाहिए, जिससे फफूँदी आदि न लगे।
उपज	सूखी जड़ों की औसत उपज 8.0 कु. प्रति है0, व्यापारिक रुप से 6–15 मिमी. व्यास के 7–10 सेमी. लम्बाई की जड़ों के टुकड़े अच्छे रहते है।

2. सतावर

साधारण नाम	सतावर
वानस्पतिक नाम	एसपैरागस रेसिमोसस
उन्नत किस्म	सिम–शक्ति
उपयोग	कन्दीय जड़े बलवर्धक, दुग्धवर्द्धक, मूलवर्धक, अतिसार रोधक, पौष्टिक एवं पुंसत्वर्धक।
पौध परिचय	बहुवर्षीय, झाड़ी, समुन्द्र तट से 7000 फुट की ऊँचाई तक पाया जाता है।
जलवायु एवं भूमि	उष्णीय एवं उपोष्णीय जलवायु एवं 50 से 100 सेमी. वार्षिक वर्षा तथा 10^0 से 40^0 से. का तापमान उपयुक्त है। इसके लिये बलुई दोमट एवं भुरभुरी उपयुक्त होती है।
प्रवर्धन एंव बीज की मात्रा	बीज द्वारा, बीज की मात्रा 2.5–3.0 किग्रा. प्रति है।
पौध रोपण एवं लगाने का समय	मई में नर्सरी बुवाई करना, 80 दिन बाद रोपाई जुलाई में करना। रोपाई से 80 दिन पूर्व नर्सरी में बुवाई करके पौधे तैयार करते है। वर्षा ऋतु में 60x60 सेमी. की दूरी पर लगाते है।
खाद एवं उर्वरक	अन्तिम जुताई के समय 20–25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में मिला देते है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 80:100:250 किग्रा. नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश का प्रयोग करते है।
सिंचाई	जाड़ों में एक माह के अन्तराल पर तथा गर्मियों में 20–25 दिन के अन्तराल आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते है।
खुदाई एवं जड़ों का प्रसंस्करण	लगाने के 24 महीने बाद जाड़े के दिनों में जड़ों की खुदाई करते है। खुदाई के पश्चात् जड़ों को 45–60 मिनट उबालकर छिलका उतारते है। छीलने के पश्चात् 3–4 तक खुली धूप में सुखाते है।
उपज	एक हैक्टेयर क्षेत्रफल से लगभग 4–5 टन सूखी जड़े प्राप्त होती है।

3. तुलसी

साधारण नाम	बबुई तुलसी, तुलसा
वानस्पतिक नाम	ऑसिमम बेसिलिकम
उन्नत किस्म	सिम–सौम्या, विकार सुधा
उपयोग	तेल का उपयोग साबुन, प्रसाधन, फार्मास्युटिकल्स, सुगन्ध उद्योग एवं एरोमाथिरैपी में होता है।
प्रमुख रासायनिक घटक	मिथाइल चेवीकल, लिनालूल
जलवायु	गर्म जलवायु, ऊँची भूमि हेतु उपयुक्त, पाला, के प्रति संवेदनशील
भूमि	समुचित जल निकास वाली, भुरभुरी एवं समतल भूमि उचित

	होती है।
प्रवर्धन	नर्सरी में बीज उगाकर
पौध रोपण एवं भूमि की तैयारी	पौधों की रोपाई या मार्च महीने में 45x30 सेमी की दूरी पर रोपण करना चाहिए।
खाद एवं उर्वरक	10–15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या 5 टन वर्मीकम्पोस्ट पर्याप्त होता है। 40:40 किग्रा. फास्फोरस एवं पोटाश आखिरी जुताई के समय देना चाहिये। 80 किग्रा. नत्रजन को 3 भाग में बाँट कर बराबर मात्रा में देनी चाहिये।
सिंचाई	पहली सिंचाई पौधों के रोपण के तुरन्त बाद और फिर आवश्यकतानुसार करना चाहिए।
कटाई	फसल की पहली कटाई रोपण के 3 माह बाद करनी चाहिए। पौध के 25–30 सेमी ऊपरी शाकीय भाग की कटाई करनी चाहिए।
उपज	हरा शाकीय भाग 200 कु./है0।

4. **रोशाघास**

साधारण नाम	रोशाघास (पामारोजा)
वानस्पतिक नाम	सिम्बोपोगान मार्टिनाई, प्रजाति मोतिया
उन्नत किस्म	पी.आर.सी. 1. तृष्णा, तृप्ता, वैष्णवी एवं सिमैप–हर्ष
उपयोग	पामारोजा के तेल में गुलाब के तेल जैसी महक होती है, इसलिए इसका प्रयोग उच्च कोटि की प्रसाधन सामग्री और स्वादगंध उद्योग में होता है।
पौध परिचय	पामारोज का पौधा 100–150 सेमी. लम्बा होता है तथा इस पर हल्के पीले रंग के फुल आते है। तेल फूल एवं पत्तियों दोनो में पाया जाता है। यह बहुवर्षीय घास है तथा वर्ष में 3–4 बार काटी जा सकती है।
जलवायु	गर्म एवं शुष्क जलवायु अत्यन्त अनुकूल रहती है। उत्तर भारत के उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में भी आर्थिक रुप से उपयोगी है।
भूमि	स्वच्छ जल निकास वाली सामान्य से 8.5 पी.एच. वाली मृदाये उपयुक्त मानी जाती है। जल भराव हानिकारक होता है। असिंचित एवं ऊसर मृदायें भी खेती के लिए उपयुक्त है।
प्रवर्धन	बीज द्वारा एक हैक्टेयर के लिये 5–6 किग्रा. बीज की आवश्यकता होती है।
पौध रोपण एवं भूमि की तैयारी	2–3 जुलाई करके भूमि को भुरभुरा बना लेना चाहिये। उसके बाद सामान्य दशाओं में 60x30 सेमी. की दूरी पर 30–40 दिन पुराने पौधो रोपण कर दी जाती है।
खाद एवं उर्वरक	सिंचित अवस्था में पामारोजा में 150:50:50 किग्रा. नत्रजन, फास्फोरस व पोटाश की आवश्यकता प्रति है0/वर्ष पड़ती है। नत्रजन प्रत्येक कटाई के बाद 3–4 बार में देना चाहिये तथा

	फास्फोरस एवं पोटाश में एक बार गुड़ाई करके मिला देना चाहिए।
सिंचाई	पहली सिंचाई रोपण के तुरन्त बाद पामारोज कम पानी चाहने वाली फसल है। शरद ऋतु में दो तथा ग्रीष्म ऋतु में 3–4 सिंचाई पर्याप्त रहती है।
कटाई	पामारोजा की कटाई जमीन से 25–30 सेमी. भाग छोड़कर पुष्प आने की अवस्था में दराँती द्वारा की जाती है।
भण्डारण	आसवन के पश्चात् सामान्य तापक्रम पर पामारोज के तेल को एल्यूमिनियम की बोतलों में भण्डारित किया जा सकता है।
उपज	सिंचित क्षेत्रों में 150 किग्रा. तेल/है0/वर्ष तथा असिंचित क्षेत्रो में 75–100 किग्रा. तेल प्रति हे0/वर्ष मिल जाता है।
प्रमुख रासायनिक घटक	जिरेनियाल, जिरेलाइल एसीटेट

5. **घृतकुमारी**

साधारण नाम	घृतकुमारी ग्वारपाठा
वानस्पतिक नाम	एलो बार्बाडेन्सिस (एलोवेरा)
उन्नत किस्म	सिम–शीतल
उपयोग	औषधीय एवं सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रियों में।
भूमि	इसकी खेती प्रायः किसी भी प्रकार की भूमि में, जिसका जल निकास अच्छा हो की जा सकती है। 6.5–8.5 पी.एच. वाली बलुई दोमट मृदा घृतकुमारी की कृषि के लिए अच्छी समझी जाती है।
जलवायु	उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र उपयुक्त
प्रवर्धन	मुख्य पौधे के बगल से निकलने वाले 4–5 पत्ती युक्त छोटे–छोटे पौधे (प्लान्टलेट्स) द्वारा
पौध रोपण एवं भूमि की तैयारी	भूमि की एक दो जुताई के बाद पाटा द्वारा समतल कर, सतह से उभरी हुई क्यारियाँ बनाकर पौधों की रोपाई लाभकारी होती है। रोपाई 50 सेमी. x 40 सेमी. पर वर्षा समाप्त होने के बाद की जाती है।
खाद एवं उर्वरक	अच्छी पैदावार हेतु 5–10 टन गोबर या कम्पोस्ट की सड़ी खाद अथवा वर्मी खाद का उपयोग ठीक रहता है। उर्वरकों में 25 किग्रा. नत्रजन, 50 किग्रा. फास्फोरस तथा 50 किग्रा. पोटाश की प्रति हे0 प्रतिवर्ष की आवश्यकता पड़ती है।
सिंचाई	रोपाई के तुरन्त बाद तत्पश्चात् आवश्यकतानुसार पौध बढ़वार हेतु अच्छी रहती है।
कटाई	10 से 12 महीनों में पत्तियाँ काटने योग्य हो जाती है। नीचे वाली 3–4 पत्तियों को काटना चाहिए तथा इसके बाद 45 दिन के अन्तराल पर 3–4 बार पत्तियों की तुड़ाई करनी चाहिए।

भण्डारण	ताजी पत्तियों से तैयार किए गए रौप को निम्न तापमान पर कुछ समय तक रखा जा सकता है।
उपज	ताजी प्राप्त पत्तियों की पैदावार लगभग 50–60 टन प्रति हे0 जिनसे 35–40 प्रतिशत तक बार्बेलोइन रहित रस प्राप्त किया जा सकता है।

III. **घास**

पत्ता तेन्दू के बाद सबसे महत्वपूर्ण वन उपज घास है, जो कि मुख्यतः वर्षाकाल में वनों से लगते हुये ग्रामीण क्षेत्रों में अपने घरेलु पशुओं हेतु ग्रामीण एकत्रित करते हैं। अब यह कार्य ग्रामीण वन प्रबन्धन समितियों के माध्यम से हो रहा है, जिससे प्रबन्धन नियमित व वैज्ञानिक तरीके से हो रहा हैं। घास एकत्रीकरण वर्षा उपरान्त घास का बीज गिरने पश्चात करने दिया जाता है। इस विधि से घास एकत्र करने के अभिलेख भी संधारित किये जा सकते हैं। वन सुरक्षा समितियॉ वनों की सुरक्षा में भी वन कर्मियों को सहयोग करती हैं। वन क्षेत्रों में वृक्षारोपणों में जहां–जहां घास का बीजारोपण किया जाता है प्रोटीन युक्त अच्छी किस्म के घास जैसे – सेवण आदि को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिये । घास बीड प्लांटेशन

16.10 विविध विनियमन :–

16.10.1 अग्नि सुरक्षा :–

इन क्षेत्रों में जहां तेन्दू के वृक्षों का उपचार किया गया है अग्नि से सुरक्षित रखने हेतु सख्ती से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

16.10.2 चराई :–

इन क्षेत्रों में चराई को नियंत्रित किया जावें।

16.10.3 अधिकार एव रियायतें सुरक्षा :–

स्थानीय जनता विशेषतः आदिवासी जंगलों से अकाष्ठीय वन उपज एकत्रित कर उपयोग में लेते है। निजी आवश्यकता से अधिक एकत्रित को अन्य लोगो में बेच देते है।

16.10.4 सांख्यिकी अभिलेख :–

वन क्षेत्रों से जो अकाष्ठीय वनउपज प्रतिवर्ष एकत्रित की जाती है उसकी प्रविष्ठी सम्बन्धित पंजिका में करते हुए पंजिका को वन मण्डल कार्यालय संधारित किया जाना चाहिए।

16.10.5 सामान्य :–

राज्य अनुसंधान केन्द्र जयपुर वन वर्धन अधिकारी कृषि विभाग एवं आर्युवेद विभाग के सहयोग से अकाष्ठीय वन उपज के उपयोग के बारे में व्यापक अध्ययन कर जानकारी उपलब्ध करवायी जानी चाहिए ताकि राज्य अनुसंधान केन्द्र के मार्ग दर्शन अनुसार ऐसी प्रजातियों के संवर्धन को प्रोत्साहन प्राथमिकता से दिया जा सके।

16.11. वित्तीय पूर्वानुमानः

विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिए वित्तीय अनुमान का विवरण निम्नानुसार हैं।

1.	तेन्दु पत्ता सुधार कार्य (10000 है में)	150 लाख
2.	वनौषधियों पर अनुसंधान व विकास कार्य	200
	कुल योग	**350 लाख**

यद्यपि यह एक अतिच्छादी कार्यवृत्त हैं अतः इसमें सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र सम्मिलित हैं। परन्तु उपरोक्त वित्तीय अनुभाग की गणना करते समय केवल डाबी रेन्ज में तेन्दु पत्ता को ध्यान में रखते हुए योजना अवधि में अनुमानित व्यय की गणना की गई है। इस प्रकार की गणना से इस कार्यवृत्त को उपचारित करने के लिए योजना अवधि में रूपये 350.00 लाख (लगभग) व्यय होंगे।

CHAPTER - XVII

ECO-TOURISM

क्र.स.	अध्याय 17	Chapter XVII
	पारिस्थितिकीय पर्यटन	**Eco-Tourism**
17.1	सामान्य संरचना	General Composition
17.2	वनस्पति व वन्य जीवों की सामान्य संरचना	General Composition of Vegetation and Wild Life
17.3	प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य	Objectives of Eco-Tourism
17.4	पारिस्थितिकीय पर्यटन की अभिवृद्धि के मार्गदर्शक सिद्धान्त	Directive Principles of Increase in Eco Tourisim
17.5	व्यूहरचना	Strategies
17.6	राजस्थान पारिस्थितिकीय पर्यटन की रूपरेखा	Outlines of Rajasthan Eco-tourism
17.7	बूंदी जिलें में पारिस्थितिकीय पर्यटन	Eco-tourism in District Bundi
17.8	सर्वेक्षण की प्रक्रिया	Directive Principles
17.9	उपचारों हेतु प्रस्ताव	Proposal of Treatment
17.10	पारिस्थितिकीय पर्यटन में क्रिया कलापों की अनुमति	Do’s in Eco Tourism
17.11	पारिस्थितिकीय पर्यटन स्थल पर क्रिया कलापों की अनुमति नहीं	Don’ts in Eco tourism
17.12	वित्तीय पूर्वानुमान	Financial Forecast

अध्याय – 17

पारिस्थितिकीय पर्यटन

Chapter-XVII

Eco-Tourism

17.1 सामान्य संरचना :

'पारिस्थितिकीय पर्यटन प्रथम बार बूंदी की कार्य आयोजना में प्रबन्धन की दृष्टि से सम्मिलित किया गया है। इस अध्याय का क्षेत्र समस्त बूंदी वन मंडल का वन क्षेत्र रहेगा। समस्त वन मण्डल के क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों का चयन किया गया है, जोकि पारिस्थितिकीय पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझे गये है।

बून्दी जिले के वनों की प्राकृतिक छटा बहुत ही मन लुभावनी है और इन वन क्षेत्रों में अनेक दर्शनीय स्थान हैं। मानव के प्रकृति की ओर बढते हुए प्रेम को ध्यान में रखते हुए एवं लोगों का प्रकृति की तरफ रूझान बढाने के उद्देश्य से इस प्रबन्धन वृत का गठन किया गया है।

17.2 वनस्पति व वन्य जीवों की सामान्य संरचना

इस वृत्ताधीन समस्त वन मण्डल का क्षेत्र हैं, अतः वनस्पति एवं वन्य जीवों का जो विस्तृत विवरण कार्य आयोजना के प्रथम भाग में दर्शाया गया है वही रहेगा।

17.3 प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य

1 वन क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्थलों की पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता की सुरक्षा व संरक्षण।

2 पारिस्थितिकीय पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के प्राकृतिक सौन्दर्य का विकास व प्रदूषण से संरक्षण।

3 वन व गैर वन क्षेत्रों के पारिस्थितिक पर्यटन हेतु उपयुक्त स्थानों का चिन्हिकरण एवं विकास।

4 पारिस्थितिकीय पर्यटन को बढावा देने के लिये आधारभूत सुविधाओं का विकास।

5 पारिस्थितिकीय पर्यटन को इस प्रकार बढावा देना कि राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य एवं वन क्षेत्रों के संरक्षण एवं शैक्षणिक उद्देश्य से लोग आकर्षित हों।

6 जन सामान्य में प्राकृतिक संरक्षण के प्रति जन जागृति उत्पन्न हो।

7 वर्तमान में स्थित किले, महल व धरोहर के भवनों का संरक्षण होगा यदि पारिस्थितिकीय पर्यटन, शिक्षा या मनोरंजन हेतु ऐसे स्थ्लों पर लोग पहुंचेंगे।

8 स्थानीय संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण होगा और उनके जीवनयापन हेतु एक नवीन साधन तैयार होगा, स्थानीय जन–मानस के लिये रोजगार के साधनों में अभिवृद्धि होगी।

17.4 पारिस्थितिकीय पर्यटन की अभिवृद्धि के मार्गदर्शक सिद्धान्त :

निम्न अधिनियमों एवं मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार राजकीय पारिस्थितिकीय पर्यटन का प्रबन्धन व विकास होगा :

i. राजस्थान वन अधिनियम 1953
ii. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972
iii. वन संरक्षण अधिनियम 1980
iv. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986
v. जैव विविधता अधिनियम 2002
vi. समय–समय पर इन अधिनियमों के तहत चाटी किये गये निर्देश व मार्गदर्शन प्रावधानों के अनुसार।
vii. राज्य पारिस्थितिकीय सुविधाओं व कार्यक्रमों का विकास व प्रचालन अंतर्राष्ट्रीय गुणवता मापदण्डों के अनुसार करेगा।
viii. पर्यटकों की संख्या के बजाय गुणवता को प्राथमिकता दी जावेगी।
ix. पारिस्थितिकीय क्रिया–कलाप इस प्रकार चलाये जावेंगे जिससे पर्यावरण में किसी प्रकार की गिरावट न आवे।

17.5 व्यूहरचना (Strategies)

1 इस बात पर जोर दिया जावेगा कि अधिकतम संभावित लाभ स्थानिय समुदायों को प्राप्त हो, जैसे ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियां, पारिस्थितिकीय विकास समितियां, जो कि वन्यजीव विकास के क्षेत्र में कार्य कर रही हों।

2 सरकारी कर्मियों, स्थानिय समुदायों, पर्यटन संस्थाओं एवं अन्य भूस्वामियों की क्षमताओं में वृद्धि करना, नियमित प्रशिक्षण, सेमीनार एवं वर्कशॉप द्वारा इस कार्य को प्राथमिकता दी जावेगी।

3 स्थानीय भू–स्वामियों के साथ भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। विकास के कार्यों का क्रियान्वयन या तो पूर्णतः राज्य सरकार स्वंय करावे या स्थानिय समुदायों या निजी संस्थाओं के सहयोग से करावे।

17.6 राजस्थान पारिस्थितिकीय पर्यटन की रूपरेखा :

राजस्थान भारत का सबसे बडा प्रदेश है, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग कि.मी. है, जिसमें 32,550 वर्ग कि.मी. वनक्षेत्र है। राजस्थान में दो राष्टीय उधान व 25 वन अभ्यारण्य हैं, जो 9160 वर्ग कि.मी. भू भाग में फैले हुए हैं। इन वन क्षेत्रों के अतिरिक्त राज्य में अनेक किले, महल व धरोहर स्थल हैं जो कि वन क्षेत्रों के आस–पास या वन क्षेत्र में स्थित हैं, इन दिनों इन संसाधनों का महत्व शिक्षा व मनोरंजन हेतु अनुभव किया जा रहा है। लोग घूमने के लिये ऐसी ऐतिहासिक शान के स्थान व प्राकृतिक स्थानों की खोज कर रहे हैं, इस खोज को ही संक्षिप्त रूप में 'पारिस्थितिकी पर्यटन' का नाम दिया गया है। दिन प्रतिदिन पारिस्थितिकीय पर्यटन का महत्व बढता जा रहा है। दिन प्रतिदिन पारिस्थितिकीय पर्यटन का महत्व बढता जा रहा है, इस लिये इस हेतु एक रूपरेखा तैयार करना आवश्यक है, जिसके तहत इस पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा सके व नियम बनाये जा सके। पिछले चार वर्षों में स्थानिय व विदेशी पर्यटकों की संख्या दो गुनी हो गई है, परन्तु पारिस्थितिकीय पर्यटकों की संख्या में प्रशंसनिय वृद्धि नहीं हुई है। इस लिये अब एक ऐसी रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिससे राज्य के पारिस्थितिकीय पर्यटन में अभिवृद्धि हो ताकि जन सामान्य में जागृति उत्पन्न हो।

17.7 बूंदी जिलें में पारिस्थितिकीय पर्यटन

बूंदी जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5776 वर्ग कि.मी. है, जिसमें 1542.42 वर्ग कि. मी. वन क्षेत्र हैं, जिले में पर्याप्त संख्या में कुण्ड व तालाब हैं, महल, किले व धरोहर स्थल हैं। बूंदी जिला होडौती के चार जिलों में से एक है। यह जिला दिल्ली–मुम्बई रेल मार्ग कोटा जक्शन से 37 कि.मी. दूर स्थित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस जिले में पारिस्थितिकीय पर्यटन की संभावनाएं भी अधिक हैं। प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से बूंदी जिला समृद्ध हैं, यहां प्राणियों की जैव विविधता के साथ–साथ अनेक धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातत्व सम्बन्धी स्थान पर्याप्त संख्या में हैं। अतः कार्य आयोजना का फील्ड कार्य करते समय पूरे क्षेत्र का एक व्यापक सर्वेक्षण पारिस्थितिकीय विकास की दृष्टि से किया गया, जिसके मुख्य उदेश्य निम्नानुसार है :–

1 बूंदी जिले में पारिस्थितिकीय पर्यटन हेतु सम्भवनाओं की खोज।

2 अन्य प्रकार के पर्यटन का बोझ कम करना।

3 उन सुविधाओं की पहचान करना जिनकी ओर पर्यटक आकर्षित होते हैं।

4 इस माध्यम से स्थानिय लोगों के एक अतिरिक्त आय के स्त्रोत को उत्पन्न करना।

5 राज्य के राजस्व में अभिवृद्धि करना।

17.8 सर्वेक्षण की प्रकिया

स्थानिक अनेक लोगो के साक्षात्कार दर्ज किये गये, पर्यटन विभाग के कर्मियों, पर्यटन गाईड्स, वन्य जीव कर्मियों, पर्यावरणविद्यों एवं इस व्यवसाय के लोगों से विस्तृत चर्चा की गई, इस प्रकार प्रारम्भिक आंकडे प्राप्त करने के उपरान्त इस सम्बन्ध में छपे हुए साहित्य व जनर्लस का विस्तृत अध्ययन किया गया।

बूंदी जिले में राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य का एक भाग पड़ता है, इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाने की विज्ञप्ति वर्ष 1979 में जारी हुई तथा दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है 'रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य' जिसकी विज्ञप्ति वर्ष 1982 में जारी हुई यह 252.79 वर्ग कि.मी. में फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त बूंदी के वन्यजीव क्षेत्र एक विस्तृत बायो स्फीयर का भी भाग है। रामगढ़ अभ्यारण्य के मुख्य वन्यजीव हैं – बघेरा, रीछ (भालू), नीलगाय, जरख, हिरण, तेंदुआ, गीदड़ एवं चिंकारा व जंगल मुख्यतः धौंक व खैर का है। घड़ियाल राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य वन्यजीव हैं, मगर (*Crocodylus palustriS*), घड़ियाल (*Gravialis gangeticus*), कछुए, जल मानुष व गंगेटिक डोलफिन्स भी चम्बल में पायी जाती है। वनस्पति में बांस, अर्जुन, जामुन, गूलर, सालर, धौंक व कड़ाया मुख्य है।

बूंदी जिले के पारिस्थितिकीय पर्यटन स्थल

1. **जैतसागर :** जैत सागर एक दृशर्नीय झील है जिसके मध्य में फव्वारे है, यह बूंदी शहर की उत्तर दिशा में तीन कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इस झील को देखने का आनन्द वर्षा काल में या सर्दियों में शिखर पर होता है। जब झील में कमल खिले हुए होते है व प्रवासी पक्षीयहां आए हुए होते है। इसके आस पास पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य स्थान भी है। जैसे शरबाग जहां राज परिवार की शाही छतरिंया हैं जहां अनेक सुंदर मूर्तियां भी है। शिकार बुर्ज शाही शिकार भवन, स्मृति कुंज, सीढ़ीनुमा बाग, एवं सुख महल आदि अन्य स्थान है।
2. **डूंगरी** – डूंगरी जो कि बूंदी से 35 कि.मी. की दूरी पर एक शानदार झील है जिसे कनक–सागर भी कहते है, यहाँ शरद ऋतु में अनेक प्रवासी पक्षी आते है। सोलंकी राजाओं ने दसंवी सताब्दी में बनवाया था। बूंदी शैली का एक महल इस झील के किनारे पर स्थित है, जो कि दीवार पर बने हुए चित्रों के लिए प्रसिद्व है, जिनमें कृष्ण की रासलीलाओं के चित्र हैं।
3. **तारागढ़ का किला :–** बूंदी को नागिन के आकार के तारागढ़ दुर्ग पर गर्व है, जिसमें अनेक महल भी हैं। पहाड़ी पर, घोड़े की नाल की प्रकृति वाला यह दुर्ग वर्ष 1354 में बनवाया गया था। जिसकें नीचे पानी की झील स्थित है। महल के महत्वपूर्ण भाग है,

छत्र महल, बादल महल, रतन दीवान–ए–आम, जनाना महल एवं फूल महल। छत्र महल में बूंदी की विशेष शैली की प्रसिद्व चित्रकारी है।

4. **नवलसागर** – नवल सागर मानव निर्मित एवं शानदार झील है, इसको पूर्व में नवलखा सागर भी बोलते थे जिसे महराव राजा उम्मेद सिंह जी ने वर्ष 1748–1775 के मध्य बनवाया था। इस झील के मध्य में वरूण देवता का एक मन्दिर है। इस झील के किनारे नहाने हेतु घाट बने हुए है। इस झील में महलों की व बूंदी शहर की छवि देखने का विशेष आनन्द है।
5. **गढ़ महल** – इस महल का 17 वीं शताब्दी के पूर्वाध में बूंदी के शासको ने बनवाया था। इसमें रहने हेतु भवन हैं जिनके नाम हैं – रतन, दौलत, रतन महल, छत्र महल, बादल महल, फूल महल एवं मोती महल। इस महल के मुख्य द्धार का नाम हाथी पोल है। इस महल की दीवारों पर बनी चित्रकारी विश्व में प्रसिद्व है।
6. **रानी की बावड़ी** – यह बावड़ी (Step well) बूंदी कस्बे के मध्य में स्थित है, यह 46 मीटर गहरी है, जिसे रानी नाथावत जी ने वर्ष 1699 में बनवाया था।
7. **फूल सागर महल** – यह आधुनिक महल बूंदी शहर के पश्चिम में है जिसमें स्थित बाग के मध्य एक तालाब है, यहां से पक्षियों का अवलोकन किया जा सकता है, विशेषतः शरद ऋतु में (नवम्बर से फरवरी)।
8. **तलवास** – सुन्दर रतन सागर झील एवं शानदार किले महाराजा अजीत सिंह द्वारा बनवाया गया था या बघेरा, भालू, हिरण आदि वन्य प्राणी आसानी से देखे जा सकते हैं, क्योंकि रामगढ़ अभ्यारण्य तलवास के पास ही हैं।
9. **केदारेश्वर धाम (बाण गंगा) :–** यह बूंदी शहर से 5 कि.मी दूरी पर घाटी में स्थित, बहुत अधिक धार्मिक महत्व का स्थान है। केदारेश्वर महादेव का मन्दिर बाण–गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, पहाड़ियों से बहकर आया यह झरना एक जल कुंड बना देता है। सब और से प्रकृति का सौन्दर्य निहारने इस पवित्र स्थान पर लोग आते है। हाड़ावंश से पूर्व बमबावड़ा के राव राजा कल्हन ने इस मंदिर को बनवाया था।
10. **रामेश्वरम** – बूंदी से 20 कि.मी. दूर यह एक गुफा में स्थित मन्दिर है जिसकें चारों और अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियां है। यह मन लुभावना सुन्दर पिकनिक मनाने का स्थान है। यहां घना जंगल है व रेंगने वाले जीवों की अनेक प्रजातियां पायी जाती है। वर्षाकाल में यहां एक झरना भी कलकल करता बहता है। यहां पलाश व धौंक के वृक्ष सर्वाधिक है।
11. **इन्द्रगढ़** – इन्द्र सालसिंह राव जो कि उस समय बूंदी के राजा थे ने इस आकर्षक कस्बे को बसाया था। जो कि घाटी में स्थित है और जिसके चारों और चार दीवारी है।

इन्द्रगढ़ के तालाब को बूंदी जिले में सबसे आकर्षक समझा जाता है विशेषतः वर्षाकाल में। इन्द्रगढ का किला भी स्थापत्य के लिए प्रसिद्व है। बूंदी जिले में पिछले दशक में आये पर्यटकों की संख्या निम्न सारणी में दर्शाये अनुसार है:

वर्ष	स्थानीय पर्यटक	विदेशी पर्यटक
2001	20911	4334
2002	11811	4000
2003	17041	6916
2004	14296	5516
2005	21582	7866
2006	24332	9072
2007	34781	10665
2008	50406	13244
2009	55150	13695

स्त्रोत : राजस्थान पर्यटन विभाग

उपरोक्त सारणी का विश्लेषण करने पर हम पाते है कि पिछले दशक में पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। बूंदी में यह वृद्धि दर स्थानीय पर्यटकों की संख्या में 18% रही है जबकि विदेशी सैलानियों की संख्या में वृद्धि 24% रही है।

17.9 उपचारों हेतु प्रस्ताव :

प्राकृतिक सौन्दर्य एवं समृद्ध ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं धार्मिक पृष्ठ भूमि के कारण बूंदी जिलें में एक अच्छा पारिस्थितिकीय पर्यटन स्थल बनने की पर्याप्त क्षमताएं हैं, यही कारण है कि उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि दृष्टीगोचर हुई है। देश में समृद्वि के कारण मध्यमवर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है जिससे वे अपनी बढ़ी हुई आय का एक भाग पारिस्थितिकीय पर्यटन जैसे मनोरंजन के साधनों पर व्यय करने लगे है। यदि आवश्यकता है तो सुनियोजित योजना तैयार करने की जिसके लिए निम्न अतिआवश्यक बातों का ध्यान रखना होगा :

- आधारभूत सुविधाएं जैसे विश्राम स्थलों, मार्गो, एयरपोर्ट, एवं आधार भूत सुविधाओं का विकास करना होगा।
- वन विभाग, वन्यजीव प्रभाग, पुलिस विभाग, स्थानीय प्रशासन यातायात विभाग, पर्यटन विभाग के मध्य समन्वय स्थापित करना होगा।
- इन पारिस्थितिकीय पर्यटन स्थलों की क्षमता से अधिक पर्यटको पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि ये क्षेत्र पारिस्थितिकीय दृष्टि से बहुत संवेदनशील होते है।

- पर्यटको को पारिस्थितिकीय–मैत्रिय (Eco-Friendly) सामग्री की जानकारी देनी होगी।
- पारिस्थितिकीय पर्यटन को उत्साहित करने हेतु प्रशिक्षित पर्यटन गाईड्स जो कि अनेक भाषाओं के ज्ञाता हों कि आवश्यकता होगी, उनके लिये पाठ्यक्रम आरम्भ करने होंगे।
- लोंगों में पारिस्थितिकीय पर्यटन हेतु जन–जागृति उत्पन्न करने हेतु कदम उठाने होगें, जैसे डोक्यूमेंट्री फिल्मस के रूप में या समाचार पत्रों द्वारा प्रचार या सम्बन्धित साहित्य का वितरण ।
- बालकों के पाठ्यक्रम में पारिस्थितिकीय पर्यटन एवं पर्यावरण सम्बन्धी पाठ सम्मिलित करने के प्रयास करने होंगे।
- विस्तृत मार्ग मानचित्र, पारिस्थितिकीय क्षेत्रों को तैयार करने होंगे ताकि उनसे मार्गो की, दूरियों की, वनस्पति व वन्यजीवों की व क्षेत्र के भौतिक बातों (Physical features) की जानकारी मिल सके।
- पारिस्थितिकीय पर्यटकों को उस स्थान के सांस्कृतिक पर्यावरण की भी जानकारी मिलनी चाहिये जिसमें भाषा की पहचान, भोजन सम्बन्धी आदतें व पोशाक आदि की जानकारी हो।
- उक्त स्थल पर बूंदी क्षेत्र की हस्तशिल्प की वस्तुओं की प्रदर्शनी लगायी जानी चाहिये।

17.10 पारिस्थितिकीय पर्यटन में निम्न क्रिया कलापों की अनुमति होगीः

1. पशुओं, जैसे हाथी, घोड़ा, ऊँट की पीठ पर बैठकर या वाहनों द्वारा सवारी किया जाना।
2. ट्रेंकिंग/निश्चित किये गये मार्गो पर पैदल चलना।
3. नाव में बैठकर प्रकृति व वन्यजीवों का अवलोकन।
4. निश्चित किये गये प्राकृतिक स्थानों पर रात्रि विश्राम जैसे किला, महल या अन्य प्राकृतिक स्थानं।
5. पक्षियों को निहारना तथा वनस्पति व वन्य जीवों का अध्ययन।
6. विद्यार्थियों में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु नेचर केम्पस लगाना।
7. अन्य कोई गतिविधि जिसकी विशेषरूप से सम्बन्धित राजकीय अधिकारी से अनुमति प्राप्त की हुई हो।

17.11 पारिस्थितिकीय पर्यटन स्थल पर निम्न क्रिया कलापों की अनुमति नहीं होगी।

1. वह कोई भी कार्यवाही जिससे पर्यावरण को हानि पहुँचे।
2. किस ही भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन।
3. धुम्रपान वर्जित।
4. जहां तक हो सके पर्यटन गहरे रंग की पोशाकों से परहेज रखें।
5. ऐसे वाहनों का सेवन न करें जो पर्यावरण को अधिक दूषित करते हो।
6. पोलिथीन की साम्रगी के फैलाव पर पूर्ण नियंत्रण।
7. कचरा, कचरापात्र के बाहर न फैलाया जावे।
8. ध्वनी प्रसारित करने वाले साधनो पर रोक।

17.12 वित्तीय पूर्वानुमानः

वन्य जीव प्रबन्धन तथा पारिस्थितिकीय पर्यटन हेतु विभिन्न कार्यक्षेत्रों का निर्धारण इस अध्याय के पैरा 17(A) & 17(B) में किया गया हैं। अतः विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिए वित्तीय अनुमान का विवरण निम्नानुसार हैं :

	इको टयूरिज्म सुविधाओं का विकास शैल्टर निर्माण, कैम्प साइट विकास, बैंच सुविधाएँ, शौचालय, पीने का पानी, बोर्ड, चिन्हीकरण कार्य साईन बोर्ड, ट्रेल, वाच टावर, बाईनोक्यूलर व अन्य	50 लाख
	ईको ट्रेल का विकास	50 लाख
	Interpretation centre	30 लाख
	प्रचार, प्रसार, प्रशिक्षण कार्य,	20 लाख
	इको टयूरिज्म सुविधाओं योजना (प्लान) निर्धारण बनाने का व्यय	25 लाख
महायोग		**175 लाख**

- इसमें अध्याय में वनमण्डल का सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।

CHAPTER XVIII

	अध्याय 18	Chapter XVIII
	सामाजिक वानिकी प्रबन्धन	Social Forestry
18.1	सामान्य संरचना	General composition
18.2	प्रबन्धन के उद्देश्य	Objectives of Management
18.3	सामाजिक वानिकी हेतु चिह्नित क्षेत्र व वर्गीकरण	Identification & Classification of Areas for Social Forestry
18.4 18.4.1 18.4.2	राजस्व भूमि पर सामाजिक वानिकी सामान्य विवरण प्रबन्धन का विशिष्ट उद्देश्य	Social Forestry in Revenue land General Description
18.4.3	उपचार प्रणाली	Treatment System
18.4.4	उपचार विधि	Treatment Method
18.5	अन्य राजकीय भूमि पर सामाजिक वानिकी	Social Forestry on the other Govt. land
18.6	निजी भूमि पर सामाजिक वानिकी	Social Forestry in Private Land
18.7	विविध विनियम	Miscellaneous Regulations
18.8	हरित राजस्थान	Green Rajasthan
18.9	वित्तीय पूर्वानुमान	(Financial Forecasting)

अध्याय 18

सामाजिक वानिकी प्रबन्धन

Chapter - XVIII

Social Forestry

18.1 सामान्य विवरण

सामाजिक वानिकी का कोई कार्यवृत्त गठित नही किया गया है परन्तु यह अध्याय वृक्षारोपण के ऐसे क्रिया कलापों से सम्बन्धित है जों वन क्षेत्र से बाहर राजस्व, निजी, सामुदायिक, रेल्वे लाईन, सड़क किनारे, नहर किनारे, विद्यालय, महाविद्यालय, चिकित्सालय, पुलिस थाने, जेल एवं अन्य सरकारी विभागों के परिसर जिनमें पर्याप्त रिक्त भूमि उपलब्ध है, को आम जन सहयोग से या सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बहु प्रजातिय एवं बहु उपयोगी वृक्ष प्रजातियों के पौधों का वृक्षारोपण कर विकसित करना, क्षेत्र में जैव–विविधता को संरक्षण प्रदान करना, स्थानीय लोगों की ईधन एवं छोटी ईमारती लकड़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर वन क्षेत्रों से मानव दबाव को कम करना है। राजस्थान राज्य वन नीति 2010 के तहत प्रदेश का कुल 20 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

18.2 प्रबन्धन के उद्देश्य

वर्तमान ईंधन, ईमारती लकडी एवं पर्यावरण शुद्विकरण की आवश्यकताओं को देखते हुए वनक्षेत्र से बाहर राजस्व एवं अन्य संस्थानिक परिसरों में बहुउद्देशीय, बहुप्रजातीय पौधों का वृक्षारोपण कर वनक्षेत्रों से उक्त आवश्यकताओं में कमी करने के लिये इस कार्य प्रबन्धन वृत में निम्न उद्देश्य नियत किये जाते हैः

1. स्थानिय जैव–विविधता को संरक्षण प्रदान करना।
2. व्यापक प्रचार–प्रसार कर आमजन में वृक्षारोपण के लिये जन जागृति पैदा करना।
3. जन सामान्य की जलाऊ लकड़ी एवं चारे की आवश्यकताओं की पूर्ति करना एवं शहरी क्षेत्रों में वातावरणीय शुद्धता प्रदान करना।

18.3 सामाजिक वानिकी हेतु चिह्नित क्षेत्र व वर्गीकरण

18.3.1 जिले में सामाजिक वानिकी के कार्य हेतु उपलब्ध विभिन्न प्रकार की भूमियों को निम्न वर्ग में निम्न अनुसार रखा जा सकता है।

क्र.सं.	वर्ग	भूमि का प्रकार
1	राजस्व भूमि	राजस्व भूमि व चारागाह भूमि
2	अन्य राजकीय भूमि	रेल, सड़क व नहर के किनारे की भूमि, राजकीय विभागों की रिक्त भूमि
3	निजी भूमि	रिक्त पड़ी निजी भूमि, निजी खेतों के मेड़ एवं औद्योगिक परिसरों की रिक्त भूमि

सामाजिक वानिकी के कार्य वन भूमि पर सक्षम सहमति व सहयोग से किये जाऐं।

18.4 राजस्व भूमि पर सामाजिक वानिकी

18.4.1 सामान्य विवरण

जिले के भू अभिलेख कार्यालय के अनुसार जिले में विभिन्न राजस्व भूमियों की मात्रा निम्नानुसार हैः

1	कृषि अयोग्य भूमि	प्रतिशत में	15.25
2	उसर तथा कृषि अयोग्य भूमि	प्रतिशत में	6.95
3	चारागाह व अन्य गोचर भूमि	प्रतिशत में	4.20
4	पड़त भूमि	प्रतिशत में	7.31

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी रूपरेखा 2008, बून्दी

इस प्रकार की भूमि पर विगत वर्षों में अनेक योजनाओं के अन्तर्गत पंचायत भूमि वृक्षारोपण मॉडल, ईंधन वृक्षारोपण मॉडल अथवा ईंधन चारा वृक्षारोपण मॉडल के अनुसार वृक्षारोपण कराये गये हैं वर्तमान में भी इस प्रकृति की पर्याप्त भूमि वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध है। चूंकि इस प्रकार की भूमि विभाग के अधीनस्थ नहीं है, अतः कार्य आयोजना अवधि में उपचार हेतु इनकी मात्रा प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। परन्तु यह अपेक्षित है कि विभाग द्वारा वन क्षेत्र में किये गये वानिकी कार्य से संबंधित गांव अथवा समिति के क्षेत्र में उपलब्ध उपरोक्त प्रकार की भूमियों को चिह्नित कर इन पर सामाजिक वानिकी का कार्य किया जावे। सामाजिक वानिकी का यह कार्य एक प्रकार

से वन क्षेत्र में किये जा रहे प्रबन्धन की सफलता हेतु पूरक कार्य है, जो वन क्षेत्र के समस्त प्रबन्धन प्रयासों को और अधिक कारगर बनाएगा।

18.4.2 प्रबन्धन का विशिष्ट उद्देश्य

राजस्व भूमि पर सामाजिक वानिकी कार्य करने के निम्न विशिष्ट उद्देश्य हैं :–

1. रिक्त पड़ी सार्वजनिक अथवा पंचायत भूमि में उपयुक्त प्रजातियों का वृक्षारोपण व बीजारोपण कर ग्रामीण समुदाय की जलाऊ लकड़ी, चारा व छोटी लकड़ी की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
2. जलाऊ लकड़ी, चारा व छोटी लकड़ी की वैकल्पिक उपलब्ध सुनिश्चित कर वन क्षेत्र पर दबाव को कम करना और बफर क्षेत्र कायम करना।
3. उपलब्ध भूमि को वानिकी कार्य में उपयोग में लिया जाकर भूमि की उत्पादकता को बढ़ाना।

कार्यकारी अभिकरण

भू–स्वामी विभाग के प्रस्तावानुसार, विभाग के मार्गदर्शन में कार्य कराया जावे।

18.4.3 उपचार प्रणाली

इस कार्य प्रबन्धन वृत में जिले में वनक्षेत्र से बाहर विद्यमान खाली भूमि का चयन कर क्षेत्र की भोगोलिक स्थिति तथा स्थानीय मांग के अनुसार स्थानीय वृक्ष प्रजातियों (नीम, आम, आवंला, जामुन, सिरस, शीशम, सुबबूल, कचनार, करंज, देशी बबूल, बरगद, पीपल, खैर, रौंझ आदि) के बडे पौधों का पर्याप्त सुरक्षा एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए जिले की वार्षिक कार्य योजना अनुसार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पौषण द्वारा वृक्षारोपण कराया जायेगा।

18.4.4 उपचार विधि

(i) क्षेत्र का चयन

सामाजिक वानिकी कार्य हेतु भूमि का चयन उसी गांव अथवा समिति के क्षेत्र में किया जावे जहां वन क्षेत्र पर वानिकी कार्य किये जा रहे हों अथवा आने वाले वर्ष में प्रस्तावित हों। इस प्रकार चयन करने से वन क्षेत्र के साथ–साथ गैर वन क्षेत्र का भी समग्र उपचार हो सकेगा और इन कार्यों का एक दूसरे पर सहक्रियात्मक प्रभाव पड़ेगा।

(ii) उपचार योजना

क्षेत्र का उपचार कार्य वनस्पति के घनत्व व प्रकृति के अनुसार किया जावे। सामान्यतः वृक्षारोपण कार्यवृत्त में वर्णित विधि उपयुक्त रहेगी। ग्राम के सूक्ष्म नियोजन के अनुसार वृक्षारोपण एवं बीजारोपण हेतु स्थानीय प्रजातियों का चयन किया जावे। वृक्षारोपण में ईंधन, चारा व छोटी लकड़ी की पूर्ति करने वाली प्रजातियों को प्राथमिकता दी जावे।

(iii) सूक्ष्म नियोजन

सामाजिक वानिकी कार्य हेतु साझा वन प्रबन्ध कार्यवृत्त में वर्णित अनुसार सूक्ष्म नियोजन प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा। इस हेतु ग्राम वासियों के साथ सहभागिता के लिए ग्रामीण मूल्याकंन (PRA) अभ्यास किया जावेगा।

18.5 अन्य राजकीय भूमि पर सामाजिक वानिकी

18.5.1 सामान्य संरचना

इस वर्ग में जिले में सड़क के किनारे की पट्टीकार तथा छोटे आकार की सुरक्षित रिक्त भूमि को रखा गया है। इस वृत के अन्तर्गत जिले के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग एवं अन्य प्रमुख मार्गो के दोनों ओर वृक्षारोपण प्रस्तावित किये जाते है। मार्गो की सूची अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मण्डल बून्दी से विचार विमर्श कर तैयार की गई है। इस कार्य योजना अवधि दौरान 500 कि.मी. लम्बे सडक मार्गो पर प्रस्तावित किये जाने वाले वृक्षारोपणों के कार्यस्थलों की सूची निम्नानुसार हैः

कार्यालय उप वन संरक्षक, बून्दी					
राजस्थान सामाजिक वानिकी योजना के तहत करवाये गये रोड साईड, रेल्वे रोड साईड एवं केनाल साइड वृक्षारोपण कार्यो की सूची					
क्रं0सं0	वृक्षारोपण का स्थान	क्षेत्रफल आर के एम	पौधों की संख्या	वर्ष	अन्य विवरण
1	केनाल साईड के0पाटन से घाट का बराना	10000	49000.00	1985-86	-
2	रेल्वे रोड साईड वृक्षारोपण काप्रेन से बाझडली	7500	20000.00	1985-86	-
3	बून्दी से बाईपास रोड	2500	5000.00	1985-86	-

	साईड				
4	बून्दी नीम का खेड़ा	3	3000.00	1986-87	-
5	बून्दी मांगली	3	3000.00	1986-87	-
6	बाईपास रोड साईड	2	1000.00	1986-87	-
7	कापरेन से बाझडली	4	6000.00	1986-87	-
8	के0पाटन से कापरेन	6	7000.00	1986-87	-
9	के0पाटन से अडीला	7	8000.00	1986-87	-
10	के0पाटन से तालेड़ा	7	6200.00	1986-87	-
11	सिलोर से खटकड	18	6500.00	1986-87	-
12	चित्तौड बून्दी रोड साईड	5	5500.00	1986-87	-
13	बून्दी से गुढ़ा रोड साईड	5	7000.00	1987-88	-
14	बून्दी से मांगली	2	3000.00	1987-88	-
15	के0पाटन से अरनेठा	7	6200.00	1987-88	-
16	बून्दी से बिजौलिया	3	4860.00	1987-88	-
17	इन्द्रगढ़ माताजी	1	1700.00	1987-88	-
18	के0पाटन से मायजा	7	6200.00	1988-89	-
19	के0पाटन से अरनेठा	7	4000.00	1988-89	-
		20087	153160		

18.5.2 भूमि का विवरण

जिले में सामाजिक वानिकी कार्य अन्तर्गत वृक्षावरण वृद्धि हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कें भी उपलब्ध है।

रोड़ साईट वृक्षारोपण के मॉडल–शैल्टर बैल्ट प्लांटेशन–रिगं पिट में 10 मी. की दूरी पर सिगंल रो वृक्षारोपण किया जाता है व एक युनिट 1 RKM (100 plants) की है तथा 147/– रू श्रमिक दर अनुसार है। व्यय दर 1.45 रू लाख प्रति 1 RKM अनुमानित है।

ब्लॉक वृक्षारोपण :

बून्दी जिले में प्रतिवर्ष गैर वानिकी क्षेत्रों में ब्लॉक वृक्षारोपण प्रस्तावित किये जा रहे हैं। ये वृक्षारोपण ब्लॉक वृक्षारोपण मॉडल के अनुरूप, भूमि की उपलब्धता एवं स्थानीय ग्रामीणों की चाहत अनुसार करवाये जाएंगे। ऐसे वृक्षारोपणों का संधारण 5 वर्ष तक वन विभाग करेगा। विकास कार्य सम्बन्धित भूमि के स्वामी को सोंप दिया जाएगा।

वन विभाग की भूमिका मार्गदर्शक व प्रेरक की रहेगी। ब्लॉक वृक्षारोपण मॉडल अनुसार कुल 1.07 लाख रू प्रति हैक्टेयर है। 15 है की युनिट है।

18.5.3 वर्तमान वनस्पति का विवरण

विगत वर्षों में उपरोक्त सड़क मार्गों के किनारे की भूमि पर विभाग द्वारा वृक्षारोपण के कार्य कराये गये थे। आज भी कुछ मार्गो पर उक्त वृक्षारोपण में लगाये गये नीम, करंज, बबूल, देशी बबूल, गुलर, बड, पीपल, सिरस, शीशम के बड़े–बड़े वृक्ष तथा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध विलायती बबूल, खेजड़ी आदि के वृक्ष विद्यमान हैं। अनेक स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में विशेषकर सफेदा व बबूल के वृक्षों को अवैध रूप से हटाया जाने का आभास होता है।

वर्षा काल में आंधी, तूफान आदि से भी अनेक वृक्षों की क्षति हुई है। यह भी देखा जा सकता है कि अनेक वृक्ष अथवा उनकी बड़ी शाखाएँ वर्तमान में सड़क मार्ग पर घातक रूप से झुकी हुई हैं, जिन्हें हटाया जाना नितान्त आवश्यक है। इन मार्गों पर कुछ स्थानों पर वृक्षावरण सघन है परन्तु काफी बड़ा भाग वर्तमान में वृक्षरहित है।

प्रबन्धन का विशिष्ट उद्देश्य

इस वर्ग की भूमि पर सामाजिक वानिकी कार्य करने के निम्न विशिष्ट उद्देश्य हैं:–

1. रिक्त पड़ी भूमि में उपयुक्त प्रजातियों का वृक्षारोपण व बीजारोपण कर ग्रामीण समुदाय की जलाऊ लकड़ी, चारा व लघु इमारती की वास्तविक आजीविका आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
2. सड़क मार्ग को मृदा क्षरण व अन्य दबावों से सुरक्षित करना। वायु, ध्वनि प्रदूषण कम करना।
3. उपलब्ध भूमि को वानिकी कार्य में उपयोग में लिया जाकर भूमि के सामाजिक उपयोग को बढ़ाना।
4. मार्ग को सुन्दर बनाकर यात्रा को आनन्दायक बनाना।
5. सड़क मार्ग को अधिक धूप व तेज हवाओं से सुरक्षित करना।

18.5.4 कार्यकारी अभिकरण

इस वर्ग की भूमि पर भू–स्वामी विभाग की स्वीकृति एवं उनकी सहमति से विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्य कराया जायेगा अथवा भू–स्वामी विभागों को ऐसा कार्य करने को प्रेरित किया जावेगा।

18.5.5 उपचार विधि

(i). वृक्षारोपण

सड़क किनारे की भूमि पर वृक्षारोपण हेतु विभाग द्वारा जारी विस्तृत निर्देशों व मार्गदर्शन के अनुसार किया जावे।

(ii). उपचार योजना

वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का विस्तृत निरीक्षण कर मृदा की किस्म, संबंधित विभाग की सुविधा अनुसार तथा आस–पास के ग्रामीणों की मांग एवं राय को ध्यान में रखते हुए उपचार योजना बनाई जायेगी।

(iii). बाड़बन्दी

वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को लोहे के अथवा सीमेन्ट कंक्रीट के पिलर पर लगे कांटेदार तार से कम से कम पांच पंक्तियों की बाड़ से सुरक्षित किया जावे। बाड़बन्दी पर विलायती बबूल की झाड़ियों को फंसाकर अथवा बाहर की ओर कटकरंज के बीज

की बुआई कर बाड़बन्दी को और मजबूत किया जायेगा। बाड़बन्दी के समय ग्रामवासियों के आने जाने की सुविधा का ध्यान रखा जायेगा।

(iv). अग्रिम मृदा कार्य

चयनित क्षेत्र में झाड़ियों इत्यादि की सफाई कर अन्य वृक्षों से कम से कम तीन मीटर की दूरी रखते हुए 3X3 मी. के अंतराल पर कम से कम 50X50X50 सेमी के खड्डे तीन पंक्तियों में माह मई–जून में तैयार किये जायेगें।

(v) प्रजाति का चयन

स्थानीय मृदा की किस्म को ध्यान में रखते हुए प्रजातियों का चयन किया जायेगा। सामान्य क्षेत्र में बाहरी व मध्यम पंक्ति में जामुन, बरगद, पीपल, गूलर, आम, नीम, सिरस, अमलतास, चुरैल, शीशम, जेकेरेन्डा, गुलमोहर आदि योजना बनाकर सुनियोजित ढंग से लगाया जायेगा जिससे सड़क की सुन्दरता भी बढ़ सके। वृक्षरोपण दौरान 10 प्रतिशत फल प्रजातियों का समावेश किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। जलप्लावित स्थानों पर सुबबूल, बबूल, जामुन, करंज, बकायन आदि प्रजाति को लगाया जा सकता है। अन्दर की पंक्ति में कम ऊंचाई की प्रजाति जैसे कनेर, चांदनी, करंज आदि को लगाया जायेगा। बाड़बन्दी पर कटकरंज, रतनजोत आदि का बीजारोपण भी किया जा सकता है।

(vi). पौधारोपण

पौधारोपण का कार्य वर्षाकाल के प्रारम्भ के साथ ही किया जायेगा। जलप्लावित स्थानों पर प्रजाति की जलप्लावन सहन करने की क्षमता का ध्यान रखा जावे अन्यथा टीला बनाकर पौधा लगाया जावे। सामान्यतः पौधारोपण हेतु कम से कम 4 फीट का पौधा उपयोग में लिया जावे।

(vii) संधारण

पौधों के आस पास थाँवले बनाकर, जल संरक्षण किया जावे। रोपण उपरान्त प्रतिमाह कम से कम एक बार निराई का कार्य तीन माह तक किया जावे। रोपित प्रथम दो निराई उपरान्त पौधों को यूरिया की थोड़ी मात्रा दी जावे। वर्षा रूकने पर उपयुक्त समय पर गुड़ाई का कार्य किया जावे। कम वर्षा होने पर जलपरिवहन कर पौधों को सिंचित किया जावे। कीटों के प्रकोप से अथवा अन्य बीमारी से पौधों को सुरक्षित रखा जावे। पौधारोपण के बाद के वर्ष में मृत पौधों को बदला जावे।

18.6 निजी भूमि पर सामाजिक वानिकी

18.6.1 सामान्य संरचना

इस वर्ग में रिक्त पड़ी निजी भूमि, खेतों के मेड़ व औद्योगिक परिसरों की रिक्त भूमि को रखा गया है। भूमि के संबंध में आंकड़े संकलित नहीं किये जाने के कारण जिले में इनकी उपलब्धता की सही स्थिति बताया जाना संभव नहीं है। परन्तु इस वर्ग की पर्याप्त भूमि उपलब्ध है जिसे सामाजिक वानिकी कार्य अन्तर्गत लिया जा सकता है।

18.6.2 वनस्पति का विवरण

रिक्त पड़ी निजी भूमि वर्तमान में अधिकांशतः कृषि अयोग्य भूमि है जिस पर चुरैल, शीशम, रौंझ, बेर, देशी बबूल, खेजड़ी, कुमठा आदि प्रजातिं के वृक्ष देखे जा सकते हैं। खेतों की मेड़ पर अधिकांशतः बबूल, नीम, सफेदा, सिरस, चुरैल, अरडू, ढाक, आम, सागवान रौंझ, बेर आदि के वृक्ष विद्यमान हैं।

18..6.3 कार्यकारी अभिकरण

चूंकि इस वर्ग की भूमि निजी स्वामित्व की है, अतः भूस्वामी को प्रोत्साहित कर उससे ही समस्त कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। वन विभाग प्रेरक अभिकरण का कार्य करेगी।

18.6.4 उपचार विधि

भूमि के आकार, प्रकार आदि की भिन्नता के अनुरूप आवश्यकताओं के अनुसार उपचार किया जाना प्रस्तावित है। इस वर्ग की भूमि पर वनावरण वृद्धि हेतु निम्न प्रकार के कार्य किये जाने के लिये भूस्वामी को प्रोत्साहित किया जावेगाः

1. निजी बीड़ों में उपयुक्त मृदा एवं जल संरक्षण कार्य कर भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना।
2. प्रजातियों में उपयुक्त कर्षण कार्य तथा प्राकृतिक पुनरुत्पादन को प्रोत्साहन देने का कार्य करना।
3. नम एवं जलप्लावित स्थानों पर जामुन, सफेदा, बबूल, बकायन, करंज आदि प्रजातियों के वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना।
4. खेत की मेड़ पर जलाऊ लकड़ी व चारे की आपूर्ति हेतु नीम, बबूल, खेजड़ी, बेर आदि प्रजातियों के वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना।

5. मकान व अन्य स्थानों पर बाड़बन्दी में झाड़ियों को प्रतिवर्ष लगाने की बजाय कटकरंज व रतनजोत के रोपण को प्रोत्साहित करना।

6. रिक्त कृषि योग्य भूमि पर औषधीय प्रजाति के पौधों को प्रोत्साहित करना।

7. कन्ज़र्वेशन इज़मेंट राईट (Conservation Easement Right) द्वारा निजी भूमि पर सरकारी वित्तीय सहयोग से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना।

18.7 विविध विनियम

18.7.1 पौध तैयारी एवं वितरण कार्य

वर्तमान में विभाग द्वारा कृषि वानिकी मद में विभाग की स्थाई एवं अस्थाई पौधाशालाओं में आम जन की मांग व आवश्यकता अनुसार अनेक प्रजाति के पौधे तैयार कर वर्षाकाल में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से विक्रय किये जाते हैं। जिले में जलाउ लकड़ी, छोटी लकड़ी व चारे की बढ़ती मांग को देखते हुए तथा ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शीशम, देशी बबूल, नीम, अरडू, बेर, आम, बांस, आंवला, जामुन, अमलतास, सैंजना आदि को अधिकाधिक वितरित किया जाना चाहिये। जहां तक संभव हो संगठित समूह को पौधे दिये जाना अधिक उचित रहेगा। पौध तैयारी व वितरण के अभियान में स्वयं सेवी संस्थाओं, राजकीय विभागों तथा वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों को अधिकाधिक जोड़ा जायेगा। पौध तैयारी हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के पंत्राक एफ (11) 2012–13/विकास/836 दिनांक 11.07.2012 द्वारा 1 लाख पौधो की पौधशाला स्थापित करने एवं पौध तैयारी तथा संधारण हेतु जारी मॉडल का उपयोग किया जायेगा।

18.7.2 औषधीय पौधों को प्रोत्साहन

जिले की जलवायु अनेक प्रकार के औषधीय पौधों के लिये उपयुक्त है। जिले में अनेक प्रगतिशील उद्यमियों द्वारा स्वयं के स्तर पर औषधीय पौधों की पौध तैयार की जा रही है। जिले में औषधीय पौधों की खेती की प्रचुर संभावना का लाभ उठाते हुए विभाग को गैर वन क्षेत्र में औषधीय मूल्य के पौधों की कृषि को प्रोत्साहित करना चाहिये। इस हेतु बीज उपलब्ध कराने से लेकर तकनीकी मार्गदर्शन, नियमित परामर्श तथा विपणन में सहयोग तक किया जाना चाहिये।

18.7.3 प्रचार–प्रसार व प्रशिक्षण

जिले में गैर वन क्षेत्र भी कई स्थानों पर प्रचुर मात्रा में वनस्पति से आच्छादित है। बेर, चुरैल, करंज, शीशम, देशी बबूल, लसोड़ा, आम, आँवला, करौंदा, नींबू, अरण्डी आदि

अनेक प्रकार की बहुमूल्य प्रजातियां वनक्षेत्र के बाहर विद्यमान है। सही तकनीकी देखरेख व विदोहन के अभाव में इनका लगातार ह्रास होता जा रहा है। औषधीय पौधों के उपयोग एवं भविष्य के विकास की संभावनाओं के मध्य नजर ग्रामीण समुदाय को इन वृक्षों से निरन्तर लाभ प्राप्त करने के तौर तरीके से अवगत कराते हुए इनकी संख्या में वृद्धि का प्रयास किया जावे।

18.7.4 वन उपज के गैरवानिकी विकल्प को प्रोत्साहित करना

ग्रामीण समाज में वन आधारित अनेक आजीविका आवश्यकताएं हैं जिनका वर्णन भाग I के अध्याय 4 में किया गया है। इनमें से अनेक आवश्यकताओं को उनके गैर वन आधारित विकल्प से भी पूर्ण किया जा सकता है। ग्रामीण घर व मवेशी के बाड़े की बाड़बन्दी में लोहे के एंगल व कांटेदार तार का उपयोग, मकान निर्माण में टीन अथवा सीमेन्ट की चद्दर, लोहे के पाईप अथवा सरिये आदि का उपयोग, सौर ऊर्जा चलित उपकरणों का प्रयोग, जलाऊ लकड़ी के स्थान पर बायोगैस, तरलकृत पेट्रोलियम गैस, आदि कुछ ऐसे विकल्प हैं जिनका उपयोग करने से वनक्षेत्र से मांग को कम किया जा सकता है। इन विकल्पों के उपयोग के प्रति जनमानस में जागृति लाना, इनको आसानी से उपलब्ध कराना तथा इनके उपयोग को प्रोत्साहित करना विभाग का दायित्व है जिससे कि वनक्षेत्र पर दबाव कम हो सके।

18.8 हरित राजस्थान

"हरित राजस्थान" अभियान के अन्तर्गत जिले में वार्षिक वृक्षारोपण कार्य आयोजना के तहत प्रतिवर्ष जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों को हरित राजस्थान अभियान के लिए पौधारोपण के वृक्ष आंवटित किये जाते है।

हरित राजस्थान अभियान के अन्तर्गत जिले में वृक्षारोपण कार्य योजना

18.8.1 वर्ष 2010–11,से 2013–14 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वार्शिक योजना में प्रस्तावित कार्य के उपयोग हेतु वार्षिक योजना में नियमानुसार मद वाईज कार्य 4 वर्षो में प्रस्तावित किया गया है, जो निम्नानुसार है–

क्र0सं0	प्रस्तावित कार्य का नाम	वर्षवार अनुमानित व्यय				कुल योग
		10–11	11–12	12–13	13-14	
1.	प्रस्तावित उपकरण कार्य	66.55	66.55	66.55	66.55	266.20
2.	वन सुरक्षा	155.25	155.25	155.25	155.25	621.00
3.	रिकार्ड संधारण एवं सरक्षण	18.55	18.55	18.55	18.55	74.20

4.	पर्यावरण संरक्षण कार्य	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00
5.	वन्यजीव सुविधा एंव विकास	250.00	250.00	250.00	250.00	1000.00
	योग :–	**2011.40**	**2011.40**	**2011.40**	**2011.40**	**2011.40**

18.8.2 हरित राजस्थान परियोजना के अर्न्तगत पंचवर्षीय वृक्षारोपण कार्यक्रमो का लक्ष्य निम्नानुसार है : –

क. सं.	वर्ष	बीजारोपण/वृक्षारोपण कार्य है0 में			रोपित कियें जाने वाले पौधो/बीजो की संख्या (लाखों में)		
		विभागीय	अन्य विभाग/संस्था	योग	विभागीय	अन्य विभाग/संस्था	योग
1	2010–11	616	470.8	1086.8	4.00	3.06	7.06
2	2011–12	विस्तृत कार्य योजना जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा में तैयार किया जावेगी।					
3	2012–13						
4	2013–14						

18.8.3 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में स्वीकृत पौधशालावार उपलब्धता की स्थिति निम्नानुसार है :

क्र.सं.	पौध ाला का नाम	अनुमानित पौध तैयार (लाखों में)	उपलब्धि
1	खटकड़	1.50	0
2	तलवास	2.00	0
3	करोन्दी	3.00	0
4	फुलेता	1.50	0
5	बांसी	1.50	0
6	चतरगंज नर्सरी विकास	5.00	3.00
7	मांगली निर्माण	5.00	0
8	मांगली विकास	5.00	2.00
9	इन्द्रगढ़ विकास	1.5	1.50
10	भवानीपुरा	2.00	0
	योग	**28.00**	**6.50**

18.8.1 विभागीय पौधशाला

सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत हरित राजस्थान कार्यक्रम में मनरेगा योजनान्तर्गत तथा अन्य विभागीय योजनाओं में पौधारोपण हेतु कार्यस्थल से तहसीलवार समीपवर्ती पौधशाला से स्थानीय मांग के अनुसार पौधें तैयार कर उपलब्ध करायें जाते है। हरित राजस्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नानुसार है :

क्र सं.	रेंज	पौधाशाला का स्थान
1	बूंदी	बूंदी
2	बूंदी	हनुमन्त वाटिका
3	हिण्डोली	चतरगंज
4	के.पाटन	मांगली
5	के.पाटन	के.पाटन
6	इन्द्रगढ़	इन्द्रगढ़
7	नैनवां	नैनवां
8.	नैनवां	तलवास

18.8.2 विभागीय पौधशाला में वितरण हेतु पौध प्रजातियां

हरित राजस्थान/सामाजिक वानिकी योजना में वितरण हेतु अधिकांश पौधे स्थानीय लोगों की अभिरूचि एवं उपयोग को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती हैं जो कि निम्न प्रकार से है :

शहरी क्षेत्रः फूलदार वृक्ष, फूलदार झाड़ियां, फलदार प्रजातियां एवं सजावटी पौधे जैसे चांदनी, गुलाब, मोगरा, चम्पा, हारसिंगार, जैकराण्डा, क्रोटन, बोगनवेल, कनेर, स्नोबुश, एक्लीफा, रात की रानी, गुड़हल, अशोक तथा विभिन्न प्रकार की बेल प्रजातियां।

ग्रामीण क्षेत्रः टिम्बर, ईधन, चारा, फल व चारा देने वाली प्रजातियां जैसे शीशम, अरडू, नीम, अशोक, बेर, आंवला, लिसोड़ा, नींबू, करोंदा, पपीता, जामुन, सिरस, सफेदा, पीपल इत्यादि।

18.8.3 भावी व्यय का अनुमान

उपरोक्त सड़क मार्गो के दोनो ओर वृक्षारोपण हेतु योजना अवधि में 1450 रुपये प्रति पौधा व्यय होने का अनुमान है जिसमें पौध संधारण तक सभी व्यय शामिल है। नियमानुसार सड़क के दोनो ओर 10-10 मीटर की दूरी पर पौधे रोपित करने पर 200 पौधे प्रति कि.मी. का व्यय 2.90 लाख रुपये होता है।

18.9 वित्तीय पूर्वानुमान

सामाजिक वानिकी कार्य मॉडल अनुसार वित्तीय अनुमान

क्र.सं.	विवरण	व्यय लाखों में
1	सड़क मार्गो के दोनो ओर वृक्षारोपण हेतु	162927 रू प्रति रो.कि.मी.
2	ब्लॉक प्लांटेशन के लिए	1,06,786 रूपये प्रति हैक्टयेर की दर से
3	नहर किनारे ओर वृक्षारोपण हेतु	162927 रू प्रति रो.कि.मी.
4	पौध वितरण कार्य (3 लाख पौधे प्रतिवर्ष 5 रूपये प्रति पौधे की दर से)	150
	कुल	150

व्यय वन विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागो से प्राप्त राशि से किया जावेगा। इस अध्याय के समस्त कार्य स्थानीय पंचायतों/ निकायों/ विभागों के माध्यम से कराये जायेगें। वन मण्डल की भूमिका केवल प्रेरक एवं मार्गदर्शक की रहेगी।

CHAPTER XIX

	अध्याय 19	CHAPTER XIX
	विविध विनियमन	**Miscellaneous Regulations**
19.1	लघु पातन	Petty felling
19.2	विचलन	Deviations
19.3	खनन कार्य	Mining
19.4	अतिक्रमण	Encroachment
19.5	वन भूमि का हस्तांतरण	Transfer of Forest Land
19.6	डीनोटिफिकेशन एवं अधिसूचना	Denotification and Notification
19.7	संचार व्यवस्था	Communication
19.8	जल प्रदाय	Water resources
19.9	अग्नि सुरक्षा	Fire Protection
19.10	अधिकार व रियायतें	Rights and Concessions
19.11	सीमाओं का संधारण	Maintenance of Forest Boundaries
19.12	प्रशिक्षण	Training
19.13	वन अपराध	Forest Offences
19.14	जन सम्पर्क	Public Relations
19.15	सरबोझा	Head Load Problem
19.16	निष्क्रमित आवर्जक भेड़े	Immigration of Sheep
19.17	शोध एवं प्रौद्यौगिकी का अनुप्रयोग	Application of Research and Technology
19.18	हरित राजस्थान कार्यक्रम एवं मनरेगा	Harit Rajasthan Program and MNREGS
19.19	आधारभूत सुविधाओं के विकास सुझाव	Proposals for Infrastructure Development
19.20	वित्तीय पूर्वानुमान	Financial Forecast

अध्याय – 19

विविध विनियमन

CHAPTER - XIX

MISCELLANEOUS REGULATIONS

19.1 लघु पातनः

लघु पातन से तात्पर्य है, उन वृक्षों का पातन जिनका, वर्तमान बाजार भाव से मूल्य रू 1000 से अधिक न हो। इस प्रकार का पातन निम्न परिस्थितियों में किया जा सकेगा–

(i) वानिकी कार्यों पर लगे श्रमिकों, वन ग्रामों में बसे हुए लोगों की झाड़ियॉ बनाने तथा उनकी लघु आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सूखे या हरे वृक्ष।

(ii) प्राकृतिक रूप से सूखे वृक्ष।

(iii) विभागीय कार्यों के सूखे या हरे वृक्ष।

(iv) विशेष निःशुल्क अनुदान की पूर्ति के लिये सूखे या हरे वृक्ष की दृष्टि से उपलब्ध होंगे तथा उनके कटान से भू–संरक्षण की संभावना न हो। लघु पातल के रूप में काटे जाने वाले वृक्षों की प्रविष्टि सम्बन्धित संविभाग इतिहास में उल्लेखित की लघु पातन हेतु स्वीकृति प्रदान करने की सक्रिय निम्नानुसार हैः

i. मण्डल वन अधिकारी – जिन वृक्षों का बाजार मूल्य रूपये 50 से अधिक न हो।

ii. वन संरक्षक– जिन वृक्षों का बाजार मूल्य 50 रूपये से अधिक व 250 रूपये से कम हो।

iii. मुख्य वन संरक्षक– वन उपज जिसका मूल्य 250 रूपये से अधिक एवं रूपये 100 से कम हो।

रूपये 1000 से अधिक राशि के पातन को लघुपातन की श्रेणी में नहीं माना जावेगा।

19.2 विचलन :

कार्य आयोजना में निर्देशित कार्यों के अतिरिक्त बडे पैमाने के कार्यों को विचलन माना जावेगा। इस प्रकार के विचलन निम्न प्रकार के हो सकते है :

(i) अग्नि से क्षति, किसी भी प्रकार का संक्रमण– कीट, फफूंद रोग आदि से सूखे वृक्षें का वृहद स्तर पर पातन

(ii) विशेष विभागिय कार्यो के लिये वृहद स्तर पर वृक्षों का असामान्य पातन।

(iii) बजट के अभाव में, कार्य आयोजना में निर्देशित किसी भी कार्य को रोकना, कम मात्रा में करना या विलम्ब से करना।

विचलनों की स्वीकृति के लिये प्रभागिय मण्डल वन अधिकारी का उप वन संरक्षक को क्षेत्रिय मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना राजस्थान को विचलन होने से पूर्व आवेदन करना होगा ताकि अग्रिम स्वीकृति प्राप्त हो सके यदि अपरिहार्य कारणों से स्वीकृति प्राप्त करना संभव न हो और विचलन का पूर्वाभास भी न हो तो यथा शिध्र उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भिजवाये जायेंगे।

19.3 खनन कार्य :

जो वैद्य खनन है उसके लीज काल को आगे नहीं बढ़ाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करनी होगी व अवैध खनन को तुरन्त रोकना होगा।

19.4 अतिक्रमण :

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1856 की धारा 91 के अन्तर्गत, मण्डल के सहायक वन संरक्षक को अतिक्रर्मियों को दण्ड देने के लिये प्राधिकृत किया गया है, अतः सहायक वन संरक्षक के पास विचाराधीन प्रकरणों का शीघ्र निपटारा करें तथा मण्डल स्तर पर एक दल का गठन कर, अभियान चलाकर अतिक्रमियों के विरूद्व शीघ्र कार्यवाही की जावें। अधिकतर वन भूमि अतिक्रमण वन सीमा के पास ही हुए है, अतः सीमांकन व वन बंदोबस्त कार्य वृत्त में दर्शाये गये समस्त वन बन्दोबस्त कार्यो को अगले तीन वर्ष में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जावे क्योंकि जब मौके पर वन सीमा का सही–सही निर्धारण नहीं होगा, यह पता करना दुष्कर होगा की अतिक्रमण हुआ है, या नहीं।

19.5 वन भूमि का हस्तांतरण :

गत कुछ वर्षो में विभिन्न उद्देश्यों हेतु जो वन भूमि अन्य विभागों या अन्य लोगों को स्थानान्तरित की गई है उसके स्थान पर अन्य क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन विभाग को अन्यत्र भूमि आंवटन हो गई है या नहीं और हो गई है तो उसे राजस्व मानचित्रों में दर्शाया गया है या नहीं।इन सभी कार्यो का उचित संधारण आवश्यक है।

19.6 डीनोटिफिकेशन एवं अधिसूचना :

राज्य सरकार द्वारा 1.1.1971 से पूर्व के अतिक्रमण, जिला स्तरीय समिति द्वारा नियमित किये गये थे और अब वे वन क्षेत्र नहीं है। ऐसे समस्त क्षेत्रों को डीनोटिफाई करवाया जाना शेष हो उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावें।

जिन वनखण्डों को राजस्थान राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया है, उनकी अधिसूचना जारी कराने की कार्यवाही कर राजस्थान राजपत्र में अधिसूचित कराया जाना चाहिये।

19.7 संचार व्यवस्था :

समस्त वन मार्गो को अच्छी प्रकार संधारित किया जाना है। दूरभाष सुविधा रेंज कार्यालय स्तर तक हो तथा प्रत्येक स्थायी फील्ड में कार्यरत वनकर्मी को मोबाईल फोन की सुविधा हो और इस हेतु मासिक भत्ता दिये जाने से प्रबन्धन और अधिक सुचारू हो सकेगा।

19.8 जल प्रदाय :

स्थायी पौधशालाओं मे जहाँ–जहाँ पानी अधिक गहराई में चले जाने से जलापूर्ति में जो व्ययधान उत्पन्न हो जाता है उसे दुरस्त करने हेतु पौधशालाओं के कुंओं को अधिक गहरा करवाया जाना है। कार्य आयोजना अवधि में कराये जाने वाले वृक्षारोपणों को देखते हुए नयी पौधशालाओं व उनके कुँए स्थापित करने की आवश्यकता होगी, अतः हाईड्रोलोजिकल अध्ययन कराने के उपरान्त कुऐं बनवाये जावें।

19.9 अग्नि सुरक्षा

वन मण्डल में अग्नि सुरक्षा प्रबंध संतोषप्रद नहीं कहे जा सकते। अग्नि रेखाओं (Fire Lines) का समय पर सही संधारण नहीं होने से उनकी उपयोगिता समाप्त हो चूकी है, कई स्थानों पर तो ये विलुप्त हो चुकी है। इन अग्नि रेखाओं हेतु बजट में प्र्याप्त प्रावधान भी नहीं रखा जाता, वनाग्नि की घटनाएं गर्मी की ऋतु में वन क्षेत्रों में आम बात है, हांलाकि पिछले कुछ वर्षो से कोई बड़ी अग्नि लगने की घटना नहीं हुई है। अग्नि सुरक्षा हेतु निम्न प्रावधान प्रस्तावित है :

अग्नि रेखाएं – अग्नि रेखाएँ अग्नि सुरक्षा के उपायों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। अतः यह आवश्यक है कि अग्नि रेखाओं को प्रत्येक वर्ष साफ किया जाए, अग्नि रेखाओं की सफाई एवं जलाने का कार्य शीत ऋतु में माह फरवरी के पूर्व में किया जाना चाहिये। अग्नि रेखाओं की चौड़ाई 15 मीटर एवं फायर ट्रेक्स की चौड़ाई 3 से 6 मीटर रखी जाए।

19.10 अधिकार व रियायतें

प्रत्येक रेंज कार्यालय में एक ऐसी पंजिका संधारित की जानी चाहिये जिसमें, जिन व्यक्तियों को वन उपज निःशुल्क या कम दर पर दी जावे उसका विस्तृत विवरण उल्लेखित हो।

19.11 सीमाओं का संधारण

(i) प्रभावशाली सुरक्षा एवं नियंत्रण के लिए सीमाओं का ठीक ठीक संधारण अतिआवश्यक होता है। समस्त वन अधिकारियों को चाहिये कि वे निर्धारित मापदंडो अनुसार उनके निरीक्षण के समय सीमाओं का भी निरीक्षण करें। जिन स्थानों पर सीमा–स्तम्भ हटाये हुए या टूटे हुए पाये जावें। उन स्थानों पर शीघ्र सही जगह सीमा स्तम्भ पुनः रोपित किये जावें। मण्डल कार्यालय व रेंज कार्यालय में सीमा निरीक्षण की दिनांक व विवरण दर्ज किया जावें।

(ii) **रेंज सीमा रेखा का संधारण** – 10 मीटर चौड़ई की रेंज सीमा रेखा की प्रतिवर्ष सफाई कराई जावें व इसको अग्नि सीमा रेखा के रूप में सधारित की जावें।

(iii) **सीमांकन** – वन खण्डों की वर्तमान में सीमांकन की स्थिति सीमांकन कार्यवृत्त में दर्शायी गयी है।

(iv) **संविभाग रेखाएं** – प्रत्येक संविभाग रेखा की सफाई प्रति पांच वर्ष में की जानी चाहिये।

19.12 प्रशिक्षण

वर्तमान में स्टाफ की कमी व लम्बे समय से भर्ती नहीं होने से अधिकतर स्टाफ पद के अनुरूप प्रशिक्षित नहीं है जिससे वन मण्डल के प्रबन्धन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है अतः प्रत्येक तकनीकी स्टाफ को उसके पद के अनुरूप प्रशिक्षण दिलाया जावे। कार्य प्रभारी कर्मचारीयों

को भी आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाना अतिआवश्यक है, क्योंकि फील्ड में ये विकास कार्यो से सीधे सम्पर्क में रहते हैं।

19.13 वन अपराध

बूंदी जिले में जलाऊ लकड़ी, छोटी लकड़ी तथा चारे की बढ़ती मांग की पूर्ति जैविक दबाव का मुख्य कारण है। अवैध कटान मुख्य रूप से घरेलु उपयोग के लिये किया जाता है और कुछ मात्रा बाजार में विक्रय भी की जाती हैं वन अपराधों के प्रभावशाली नियंत्रण हेतु निम्न प्रस्ताव, प्रस्तावित है :

1. वर्तमान में वन सुरक्षा हेतु स्थापित पृथक गश्तीदल मय वाहन की व्यवस्था को प्रतिधारित किया जावें
2. गश्ती दल व स्थानीय वन कर्मियों द्वारा नियमित गश्त की जावें तथा राजस्थान वन अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों का शीघ्र निपटारा किया जावे।
3. खनन वाले क्षेत्रों विशेष निगरानी की आवश्यकता है।

4. वन अपराधों की सूचना देने वाले को तथा सहयोग करने वाले को यथोचित पुरस्कार अथवा पारितोषिक देकर सम्पादित व प्रोत्साहित किया जावें।
5. वन सुरक्षा में दक्ष वनकर्मियों को आवश्यक संरक्षण प्रदान किया जावें तथा उनके कार्य की सार्वजनिक रूप से प्रशसां की जावे।
6. पुलिस व जिला प्रशासन के साथ हर स्तर पर अच्छे संबंध रखे जावें व बड़े वन अपराधों में उनका सहयोग प्राप्त किया जावें।
7. वन क्षेत्रों में विकास कार्य आरम्भ कर सकारात्मक प्रयास आरम्भ कियें जावें।

19.14 जन सम्पर्क

महत्वपूर्ण अवसरों जैसे वानिकी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, वन महोत्सव, वन्यजीव सप्ताह (प्रथम सप्ताह अक्टूबर) आदि पर पौधारोपण किया जाकर जन चेतना जागृत की जा सकती है।

समाचार पत्र, स्थानीय पत्रिका, मेगजीन, दूरदर्शन के माध्यम से जनता के मन में वनों के प्रति जागृति लायी जा सकी है।

वन अधिकारियों को भी चाहिये अपने दौरे के समय जन सम्पर्क कर बैठकों आदि में वनों की उपयोगिता व महत्व के विषय में आम आदमी को जानकारी देवें।

19.15 सिरबोझा

यह इस वन मण्डल एक विशिष्ट समस्या है, जो कि लम्बे समय से चली आ रही है। बूंदी के आस पास के वन क्षेत्रों के लिये यह पारिस्थितिकीय आपदा है। प्रारम्भ में रियायतों के तौर पर वन क्षेत्रों के पास रहनें वाले ग्रामीण गिरी पड़ी जलाऊ लकड़ी लाते थे परन्तु इतनी गिरी पड़ी लकड़ी उनके निवास के पास उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ग्रामीणों ने अवैध कटान कर गिरी पड़ी लकड़ी उत्पन्न करना आरम्भ कर दिया जिससें बूंदी के आस पास का समस्त क्षेत्र परिभ्रांषित धौक का क्षेत्र बनकर रह गया। इस समस्या से निपटने का एक मात्र तरीका यही है कि इन सरबोझा से लकड़ी निकासी करने वाले लोगों को मनरेगा योजना के तहत स्थानिय प्रशासन से सम्पर्क कर प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध करवाया जावे जद्‌पोरान्त वन अपराधियों से सख्ती से निपटा जावें।

19.16 निष्क्रमित आव्रजक भेड़

निष्क्रमित भेड़ जो कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों मुख्यतः अजमेर व पाली से इस क्षेत्र में हजारों की तादाद में प्रतिवर्ष आती है, जिससें मात्र बालवृक्ष ही नहीं चर लिये

जाते इन भेड़ों के रखवाले छांगण भी करते हैं पेड़ पौधों का पुर्नजनन नहीं आ पाता क्योंकि छोटे पौधों को या तो चर लिया जाता है या भेड़ों के खुर्रो के नीचे आकर समाप्त हो जाता है, इतले मवेशी एक साथ क्षेत्र में घूमते है जिससें मृदा कठोर हो जाती है तथा मृदा का क्षरण भी आसान हो जाता है। इस समस्या का एक मात्र निदान है कि जिन क्षेत्रों से ये भेड़ व ऊँट लाये जाते है उनके क्षेत्र मेंही अच्छे चरागाह तैयार किये जावें ताकि भेड़ आवर्जित ही नहीं हो इस हेतु वन अधिकारी अपने सुझावों से उच्च अधिकारियों व प्रशासन को अवगत करावें। इन भेड़ों के झुंडो के साथ ऊँट भी आते है जो कि ऊँचाई के वृक्षों के पत्तों को चर जाते है ये दोनों प्रजातिं समस्त प्रकार की वनस्पति को हानि पहुँचाती है। इन भेड़ों के आवर्जन से कई बार कानून व व्यवस्था की भी समस्या खड़ी हो जाती है क्योंकि इनके आगमन से स्थानिय निवासियों के हितों पर सीधा प्रहार होता है जिससें दोनों पक्षो में लड़ाई–झगड़े होते है।

1. **पत्ता तेन्दू**

यह वन मण्डल पत्ता तेन्दू बाहुल्य क्षेत्रों में से एक हैं विशेष रूप से रेंज डाबी और पत्ता तेन्दू का उत्पादन तब ही अधिक और अच्छा होता है जब समय पर इनके वृक्षो में सवंर्द्धनिक संकार्य करवाये जाए अतः गुणवत्ता व मात्रा में अधिक पत्ता प्राप्त करने के लिए उक्त कार्य समय पर पूर्ण हो, इसकी व्यवस्था की जावें ताकि राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त हो।

2. **गोंद**

चूंकि पिछले कुछ वर्षो में गोंद एकत्रीकरण पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगायी गई है तथा बूंदी वन मण्डल में गोंद उत्पादन वाले वृक्षों जैसे धोक, धावड़ा, खैर, बबूल, कुमठा, सालर व छीला आदि की कोई कमी नहीं है। अतः गोंद के अवैध विदोहन एव विपणन को रोकने की और वन सुरक्षाकर्मियों को विशेष ध्यान देना होगा।

3. **घास बीड्स**

बूंदी वन मप्रडल में अनेक घास बीड्स हैं, जिनमें काफी मात्रा में घास का उत्पादन व निकासी होती है अतः इस कार्य में वन सुरक्षा समितियों का सहयोग सराहनीय रहा है। अतः समस्त घास निकासी व घास क्षेत्रों की सुरक्षा का कार्य पूर्णतः वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से हो, इस हेतु वनकर्मि उनके साथ सहयोग करें व घास निकासी इस कार्य आयोजना में लिखें गये नियमों के अनुसार हो तथा घास निकासी का अभिलेखों में इन्द्राज हों।

4. महुआ

बूंदी वन मण्डल में महुआ के वृक्ष भी पाये जाते है, जब इन वृक्षों में फूल लगते है तो ग्रामीण आदिवासी इनको खाने के उद्देश्य से एकत्रित कर लेते है, चूंकि इन फूलों से देशी शराब भी बनाई जाती है अतः इनका एकत्रीकरण वनकर्मियों की देखरेख में ही किया जाना चाहिये। आदिवासी इन वृक्षों के नीचे आग भी लगा देते है जिस पर वन कर्मियों को नियंत्रण रखना होगा तथा जहां तक संभव हो सके वनकर्मी अपनी निगरानी में ही महुआ वृक्ष के नीचे एकत्रित पत्तों को जलवायें।

19.17 शोध एवं प्रौद्यौगिकी का अनुप्रयोग

बूंदी जिला वानिकी विषयों पर शोध करने तथा प्रांसगिक प्रौद्यौगिकी के अनुप्रयोंगो के परीक्षण हेतु उपयुक्त है। भारतीय वन सर्वेक्षण, वानिकी अनुसंधान संस्थान, शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर जैसे मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा पूर्व में भी अनेकों शोध किये गये हैं। वर्तमान में शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा अनेक के विषयों पर तथा विभिन्न प्रकार के मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं की उपयोगिता के विषय पर वनक्षेत्र में शोध किया जा रहा है। **AFRI द्वारा गूगल के पौधो पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा हैं। उनके द्वारा गूगल के नर मादा पौधों के अनुपात पर शोध कार्य प्रगतिरत है।** वानिकी क्षेत्र में आ रहे अत्यंत गतिशील बदलाव व वानिकी प्रौद्यौगिकी के तीव्र विकास को देखते हुए जिले में निम्न प्रौद्यौगिकी के अनुप्रयोंगो के विभागीय कार्य प्रणाली में समाहित करने पर कार्य किया जा सकता हैं।

1. उपग्रह से प्राप्त सूदूर संवेदी छायाचित्रों व जी आई एस साफ्टवेयर व प्रौद्यौगिकी की सहायता से वनों की संरचना, दशा आदि की पूर्ण जानकारी व वनप्रबन्धन में अनुप्रयोग। अद्यतन प्रौद्यौगिकी का उपयोग कर वनप्रबन्धन संबंधी समस्त जानकारियों से युक्त उपयुक्त अन्तःक्रियाशील प्रोग्राम तैयार करना।
2. जी. पी. एस प्रौद्यौगिकी का वानिकी कार्यो में उपयोग ।
3. जी. पी. एस प्रौद्यौगिकी व जी आई एस साफ्टवेयर व प्रौद्यौगिकी की सहायता से वनक्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण व विभिन्न मानचित्रों की तैयारी ।
4. रूट ट्रेनर विधि का वृक्षारोपण व पौध तैयारी में व्यापक अनुप्रयोग ।
5. क्लोनल पौध तैयारी तकनीक, टिशुं कल्चर, तथा बायो तकनीकी प्रौद्यौगिकी का पौध तैयारी में अनुप्रयोग ।
6. वानिकी प्रजातियों के वृक्षों के उत्तम गुणवत्ता व किस्म को वनक्षेत्र में पुरःस्थापित करने के संबंध में परीक्षण ।

7. सिंचित वृक्षारोपण के संबंध में परीक्षण व शोध ।
8. प्रमुख वानिकी प्रजातियों का क्लोनल बीज क्षेत्र तथा बीज उत्पादन क्षेत्र की स्थापना
9. विभिन्न वानिकी प्रजातियों के जिले में उत्पन्न बीजों का भौतिक, रासायनिक व जननिक परीक्षण, उनकी अंकुरण क्षमता व जीवक्षम काल की जानकारी तथा उनके उपचार की विधि स्थापित की जावे ।
10. वनक्षेत्र में विभिन्न औषधीय पौधों का उपलब्धता तथा उनको वनक्षेत्र में कृत्रिम ढंग से प्रोत्साहित करने के संबंध में अध्ययन किया जावे।

19.18 हरित राजस्थान कार्यक्रम एवं महानरेगा

माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, श्री अशोक गहलोत द्वारा माह जून–जुलाई 2009 में "हरित राजस्थान योजना" का शुभारम्भ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वन क्षेत्र में वृद्धि करना है, ताकि वैश्विक जलवायु परिवर्तन की विश्व व्यापी चिन्ता को कम किया जा सके। भूगर्भीय जल स्तर भी लगातार गिरता जा रहा है। हरित राजस्थान अभियान में ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियों, स्वयं सेवा संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, स्वयं सहायता समूहों, स्काउट गाइड्स, राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., सेना, अर्द्ध सैनिक बल, राजकीय विभागों एवं शिक्षण संस्थाओं, सीमा सुरक्षा बलों इत्यादि को सक्रिय रूप से निरंतर जोड़े रखा जाना अति आवश्यक है, तभी वृहद् स्तर अधिकाधिक वृक्षारोपण से हरियाली बढ़ सकेगी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (महानरेगा) के अन्तर्गत एक बहुत बड़ी राशि राज्य का प्राप्त हो रही है, इसके पूर्ण सदुपयोग के लिए ही "हरित राजस्थान योजना" की संकल्पना को साकार किया जाना है जिससे राज्य की वन नीति के अनुसार वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हो सके। अतः अधिकाधिक रोड़ साइड, ग्राम्य वन, वन संरक्षक कार्य करवाए जाने चाहिए।

19.19 आधारभूत सुविधाओं के विकास सुझाव

विभागीय भवन काफी पुराने होने के कारण इनकी मरम्मत एवं रखरखाव की समुचित व्यवस्था की जानी आवश्यक है। इन भवनों में जल संरक्षण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जाती है।

19.20 वित्तीय पूर्वानुमान

कार्य योजना अवधि में वित्तीय व्यय का पूर्वानुमान निम्न प्रकार हैं :

क्र.सं.	कार्य का विवरण	राशि
1	वनाग्नि सुरक्षा प्रणाली, प्रशिक्षण, फायर लाइन निर्माण व संधारण, वनाग्नि रक्षक, वाच टावर निर्माण, उपकरण खरीद एवं वार्षिक आकस्मिक व्यय	50 लाख
4	आंकड़ो के संग्रहण	3 लाख
5	कार्यालय भवन व आवासीय सुविधाएँ	65 लाख
6	पौधशालाओं का उन्नयन	20 लाख
7	अन्य व्यय	12 लाख
	योग	**150 लाख**

CHAPTER - XX

CONTROL AND RECORDS

क्र.स.	अध्याय 20	CHAPTER XX
20.	नियंत्रण एवं अभिलेख	Control and Records
20.1	विचलन प्रपत्र	Deviation forms
20.2	नियंत्रण के अन्य अभिलेख	Other Records for Control
20.3	वित्तीय पूर्वानुमान	Financial Forecast

अध्याय – 20

नियंत्रण एवं अभिलेख

CHAPTER - XX

CONTROL AND RECORDS

20. नियंत्रण एवं अभिलेख

बूंदी जिले में एक ही वन मण्डल है, जिसके अधीन समस्त वन भूमि है। इस कार्यालय द्वारा वन भूमि व इसके बाहर के क्षेत्र में अनेक प्रकार के विकास कार्य सम्पादित किया जाते हैं। वन विदोहन एवं विपणन कार्य, विभागीय कार्य मण्डल जयपुर द्वारा किये जाते थे। इस जिले के अनुसंधान व परीक्षण कार्य राज्य वनवर्द्धन अधिकारी, जयपुर द्वारा सम्पादित किये जाने का प्रावधान है।

20.1 विचलन प्रपत्र

इस कार्य आयोजना में निर्धारित उपचारों अनुसार निर्धारित कार्यों में विचलन को विधिवत विचलन प्रपत्र में अभिलिखित कर आवश्यक स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी के माध्यम से (वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना, प्रधान मुख्य संरक्षक) से प्राप्त की जावेगी। यह प्रपत्र प्रतिवर्ष तैयार किये जाने चाहिए। विचलन व उसकी प्राप्त स्वीकृति का विवरण संबंधित संविभाग कक्ष विवरण व इतिहास प्रपत्र में अंकित किया जावेगा। राष्ट्रीय कार्य आयोजना के अध्याय 11 में दर्शाई प्रक्रिया अनुसार उप वन संरक्षक द्वारा अपने प्रादेशिक वन संरक्षक के माध्यम से प्रतिवर्ष संधारित विचलन प्रपत्र की तीन प्रतियां, नियंत्रण प्रपत्रों के साथ अग्रेषित की जावेगी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक से स्वीकृति उपरान्त स्वीकृति विचलन प्रपत्र की एक प्रति वन संरक्षक को तथा एक प्रति उप वन संरक्षक कार्यालय को लौटा दी जावेगी। विचलन प्रपत्र में उक्त स्वीकृति का वर्णन किया जावेगा। विचलन जो कार्य आयोजना द्वारा निर्धारित वन प्रबन्धन उसके आधार को स्थाई तौर पर परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, प्रधान मुख्य वन संरक्षक की पूर्व अनुमति के उपरान्त की सम्पादित किये जावेंगे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर किया जावेगा। वन संवर्द्धनिक प्रणाली में बदलाव, प्राकृतिक वनों का पूर्ण पातन, नवीन पातन श्रेणी का गठन। प्राकृतिक आपदाओं के कारण बडे पैमाने पर पातन जिसे भावी पैदावार के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है।

विचलन प्रपत्र का प्रारूप निम्नानुसार है :

विचलन प्रपत्र

वर्ष ..... वनमण्डल

बूंदी

विचलन का क्रमांक	नियंत्रण पुस्तिका का नाम, प्रपत्र सं. एवं पृष्ठ सं.	कार्य आयोजना का संदर्भ		प्र.मु.व.सं. की स्वीकृति चाहने हेतु विचलन की प्रकृति
		पैरा	निर्धारिति की प्रकृति	

20.2 नियंत्रण के अन्य अभिलेख

नियंत्रण के अन्य अभिलेख संधारित किये जावेंगेः–

- वृक्षारोपण व प्राकृतिक पुर्नजनन (Regeneration) फार्म संख्या 21-22
- वार्षिक विचलन : जिसके लिये प्रधान मुख्य वन संरक्षक की स्वीकृति की आवश्यकता हो, फार्म संख्या 23
- संविभाग इतिहास : यह वन मण्डल के समस्त वन खण्डों के समस्त संविभागों के लिये विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लिखे जावेंगे एवं संधारित किये जावेंगे।
- डिविजनल नोट बुकः वर्ष भर में वन मण्डल अधीन सम्पादित सभी कार्य विकास कार्य, गैर वानिकी कार्य, अनुसंधान व परीक्षण कार्य, बीज संग्रहण कार्य, साझा वन प्रबन्धन कार्य, कर्षण कार्य, भवन, मार्ग, मृदा व जल संरक्षण कार्य जिले में वनों से सम्बन्धी कोई विशेष घटना हुई हो, वन्यजीव सम्बन्धी कार्य, वन अपराध सम्बन्धी जानकारी आदि सभी प्रकार की जानकारियों का संक्षेप में वर्णन लिखा जावेगा। विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार इस पंजिका का अनिवार्यतः संधारण किया जावेगा।
- वन अग्नि अभिलेख : विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रानुसार व निर्देशानुसार वन अग्नि का अभिलेख संधारित किया जावेगा, साथ ही अग्नि क्षेत्रों के मानचित्र भी बनाये जाने चाहिए।
- पाले का अभिलेख : वृक्षारोपणों में पाले का अभिलेख आवश्यक रूप से संधारित किया जावें।

20.3 वित्तीय पूर्वानुमान

अभिलेख संग्रहण हेतु कार्य योजना अवधि में निम्न प्रकार व्यय संभावित हैं :

1.	अभिलेख संग्रहण हेतु कक्ष निर्माण	2,00,000 रू
2.	रिकार्ड रूम के लिए अल्मारिया आदि	150000 रू
3.	संधारण पर व्यय	10,000 प्रतिवर्ष X 10 = 1 लाख
4.	अन्य	50000 रू
	योग	**5 लाख रू**

CHAPTER - XXI

ESTABLISHMENT AND LABOUR

	अध्याय 21	**CHAPTER XXI**
	अधिष्ठान व श्रमिक वर्ग	Establishment and Labour
21.1	अधिष्ठान	Establishment
21.2	संस्थापन की स्थिति में सुधार हेतु सुझाव	Suggestions for Improvement in Establishment
21.3	श्रमिक वर्ग	Labour Class
21.4	श्रमिक वर्ग की स्थिति में सुधार हेतु सुझाव	Suggestions for Improvement in Condition of Labour Class
21.5	वित्तीय पूर्वानुमान	Financial Forecast

अध्याय – 21
अधिष्ठान व श्रमिक वर्ग

CHAPTER - XXI

ESTABLISHMENT AND LABOUR

21.1 अधिष्ठानः

बूंदी वन मण्डल की वर्तमान में कार्मिकों की संख्या व स्थिति का विस्तृत वर्णन कार्य आयोजना के भाग प्रथम के अध्याय 6 में दिया गया है। कुशल वन प्रबन्धन के लिए सुरक्षा कर्मचारियों की बहुत कमी है, और जो वन कर्मी वर्तमान में कार्यरत हैं उनकी भी अधिकतर की आयु 45 वर्ष से अधिक है। सेवानिवृत्त हो जाने पर सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पद पर नवीन नियुक्तियां लम्बे समय से नहीं हो पाई हैं, अब स्थिति यह है कि उपवन संरक्षक के पद पर लम्बे समय तक कार्यभार सहायक वन संरक्षक के पास रहता है व क्षेत्रिय वन अधिकारियों का कार्यभार वनपालों को दिया हुआ है। प्रशिक्षित क्षेत्रियों के बहुत कर्मी है। जबकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्व पद है। विभाग द्वारा वनरक्षक व पशुरक्षक के अधीन विभाग द्वारा निश्चित किये गये नोर्मस अनुसार ही किया जाना कुशल क्षेत्र के निरीक्षण हेतु आवश्यक है। नोर्मस अनुसार नवीन पदों का सृजन किया जाना व रिक्त पदों पर प्रशिक्षित वनकर्मियों का पदस्थापन अति आवश्यक है। अधिष्ठान की कार्यक्षमता बढाने के लिए आधुनिकीकरण किया जाना अतिआवश्यक है। जैसे कम्प्यूटरीकरण एवं मोबाईल दूरभाष की सुविधा और वायरलेस प्रणाली की आवश्यकता आदि।

चूंकि यह जिला खनन बहुल क्षेत्र है तथा अभ्यारण्यों में अब भी काफी वन्यजीव हैं। अतः वन मण्डल में गश्तीदल के पास जीप व आवश्यक आग्नेयशास्त्रों की भी आवश्यकता है। प्रत्येक रेंज स्तर पर जीप होना भी जरूरी है। नाकों व बीटों पर भवनों की स्थिति दयनीय है अतः शीघ्र उनके उचित संधारण की व्यवस्था वांछनीय है।

21.2 संस्थापन की स्थिति में सुधार हेतु सुझाव

कार्य की जटिलताओं व कम्प्यूटीकरण व संचार क्रांति के वर्तमान दौर में कम से कम रेंज कार्यालय तक कम्प्यूटरीकृत करने तथा टेलीफोन द्वारा जोड़े जाने की आवश्यकता है। अधीनस्थ वर्ग में वन रक्षक स्तर तक मोबाइल टेलीफोन आवश्यक है। क्षेत्र में भ्रमण व सुरक्षा हेतु प्रत्येक रेज स्तर पर जीप जैसे चार पहिया वाहन का होना भी आवश्यक

है। उड़न दस्ते के फील्ड स्टॉफ को आग्नेयास्त्रों के उपयोग का सघन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अधीनस्थ फील्ड स्टॉफ के परिवारों को तहसील मुख्यालय पर विभागीय आवास सुविधाऐं उपलब्ध करवाई जानी आवश्यक है ताकि उनके बच्चों को अच्छी स्कूल शिक्षा के साधन उपलब्ध हो सके।

प्रत्येक वन मंडल में सहायक वन संरक्षक के पद सृजित हो चुके हैं लेकिन उन्हें कर्त्तव्यों हेतु अधिकार, स्टॉफ, भवन, वाहन, टेलिफोन आदि उपलब्ध नहीं हो पाए। उक्त संसाधनों के बारे में यथा शीघ्र निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

साथ विभागीय पुराने कार्यालय भवनों एवं फील्ड में गार्ड चौकियों के मरम्मत की अत्यन्त आवश्यक है, जिनकी समय रहते मरम्मत करवाया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यो से विभागीय मानव संसाधन के बारे में निम्न जानकारियां दृष्टिगोचर होती हैं

1. बूंदी वन मण्डल में कार्य के सफल संचालन हेतु आवश्यकता से कम संख्या में कार्मिक हैं।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी और उससे निम्न पदों पर पदस्थापित कर्मचरियों में अधिकांश 45 से 50 की उम्र के हैं।
3. 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्ति के प्रावधान के कारण व नवीन नियुक्ति के अभाव में, कार्य आयोजना अवधि में प्रादेशिक वन मण्डल में , 20 वनपाल व सहायक वनपाल, 25 वन रक्षक और 75 कार्य प्रभारित कर्मचारी सेवानिवृत्तत हो जावेगें। इससे वनक्षेत्र की सुरक्षा एवं विकास पर पडने वाले प्रभाव का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। हाल ही वन मण्डल में 14 वन रक्षको की भर्ती से स्थिति में कुछ सुधार हुआ हैं, परन्तु कुछ वन रक्षक वन सेवा को छोड़कर जाने की तैयारी में हैं।
4. वनकर्मियो द्वारा पूर्ण सेवाकाल में मात्र एक बार , सेवाकाल के प्रारम्भ में ही तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है और इसके बाद दक्षता में वृद्धि तथा ज्ञान संर्वद्धन हेतु उनके लिये किसी प्रकार के पुनश्चर्या प्रशिक्षण का प्रावधान नहीं है। नियमित अंतराल में पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी संवर्गों के लिये अनिवार्य होना चाहिये।

5. नियमित अंतराल में पदोन्नति का लाभ भी वनकर्मियों को उपलब्ध नही है। अधिकांश वनकर्मी अपने वर्तमान पद पर औसतन 25 से 35 साल से कार्यरत हैं। पदोन्नति का अभाव इनके अभिप्रेरणा के स्तर को प्रतिकूल प्रभावित करता है।
6. क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय में आवश्यक मंत्रालयिक सुविधा व दूरभाष सुविधा का अभाव है।
7. क्षेत्रीय वन अधिकारी स्तर पर चौपहिया वाहन तथा नाकेदार स्तर पर दुपहियां वाहन की उपलब्धता का अभाव हैं।
8. वनकर्मियों के परिवार के रहन सहन को विभागीय व्यवस्थाओं के माध्यम से सहज और सुविधाजनक बनाये जाने की आवश्यकता है।

21.3 श्रमिक वर्ग

बूंदी जिले में पर्याप्त अकार्यशील जनसंख्या है। वानिकी कार्यों हेतु पर्याप्त संख्या में श्रमिक उपलब्ध रहते हैं। वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से कार्य कराने की दशा में कृषि कार्य की अवधि में सदस्य श्रमिकों की उपलब्धता सीमित हो जाती है। परन्तु सही नियोजन से इस समस्या का हल किया जा सकता है। महानरेगा के कारण श्रमिकों की उपलब्धता में कमी आ रही हैं।

21.4 श्रमिक वर्ग की स्थिति में सुधार हेतु सुझाव

21.4.1 वन संबंधी कार्यो की विशेषकर रोपण कार्य तथा पौधशालाओं के कार्यो हेतु श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ताकि वृक्षारोपण कार्य में एकरूपता एवं तकनीकी सुधार लाया जा सके और वृक्षों की सफलता सुनिश्चित की जा सके।

21.4.2 श्रमिकों की सुविधा के लिए गर्मियों में छाया पानी का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। तथा कार्यस्थल पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वन विभाग में ही विशेषकर इस जिले में कार्यरत वनकर्मियों की औसत उम्र 47 वर्ष से भी उपर है तथा अधिकतर क्षेत्रीय वन अधिकारी व अन्य वनकर्मियों की गत 20 से 25 वर्षों की अवधि से एक बार भी नहीं हो पाई है जिससे स्वतः ही स्थिति की गम्भीरता का आभास होता हैं। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच चुके कर्मियों के भरोसे इतने अधिक वनों की पुख्ता सुरक्षा की उम्मीद करना बेमानी होगा। अतः पिछले नवीन पदों के सृजन एवं भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रयास किऐ जाने चाहिए अन्यथा वनों पर अत्यधिक जैविक दबाव को देखते हुए इनको सुरक्षित रखकर इनकी दशा में सकारात्मक सुधार करना संभव नहीं हो पाएगा।

21.5 वित्तीय पूर्वानुमान

कार्य योजना अवधि में वित्तीय व्यय का पूर्वानुमान निम्न प्रकार हैं :

क्र.सं.	कार्य का विवरण	राशि
1	श्रमिकों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं सभी रेन्जों पर	25 लाख
	योग	**25 लाख**

अध्याय–22

सामान्य वित्तीय पूर्वानुमान और वित्तीय नियोजन

क्र.स.	अध्याय 22	Chapter 22
22.1	सामान्य वित्तीय पूर्वानुमान	General Financial Forecast
22.2	प्रचालन का वित्तीय नियोजन	Financial Plan of Operation
22.3	निधि प्रदाय का संभावित स्त्रोत	Possible Sources of Funding

अध्याय–22

सामान्य वित्तीय पूर्वानुमान और वित्तीय नियोजन

22.1 सामान्य वित्तीय पूर्वानुमान

सामान्य वित्तीय पूर्वानुमान कार्य आयोजना अवधि में किसी प्रकार का पातन कार्य प्रस्तावित नहीं हैं वनों का धारणिय विकास करते हुए स्थानीय ग्रामवासियों को अधिक से अधिक लाभान्वित लाभ, साझा वन प्रबन्धन के माध्यम से पहुंचाया जावे यह ही इस वैधानिक प्रबन्धन का मुख्य उद्देश्य है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव सुझाये गये है। इन प्रस्तावों की पालना हेतु किस–किस कार्य पर अनुमानित कितना व्यय होना है यह अनुमान ही इस अध्याय में उल्लेखित किया गया है। आने वाले समय में होने वाले अनेक परिवर्तनों को देखते हुए सही–सही पूर्वानुमान लगाया जाना संभव नही है, परन्तु कार्य आयोजना हेतु वर्तमान दरों पर संभावित वित्तीय पूर्वानुमान विभिन्न कार्यो हेतु निम्न तालिका अनुसार है :–

व्यय

क. स.	प्रबन्धन कार्य वृत्त/कार्य	व्यय अनुमान लाख रूपयों में	कार्यआयोजना में उपचार प्रस्तावित क्षेत्रफल
	I प्रधान कार्यवृत्त **Principal Working Circles**		
1	भूसंरक्षण एवं पुर्नवास कार्यवृत्त Soil Conservation & Rehabilitation Working Circle	3256	10000
2	चारा प्रबन्धन वृत्त Fodder Management Working Circle	3270	7000
3	वृक्षारोपण Plantation	3956	8000
4	शैल्टर बेल्ट कार्यवृत Shelter Belt Working Circle	538	+ रोड साईड़+केनाल साईड
	II अतिच्छादी कार्यवृत्त **Overlapping Working Circles**	0	
1	वन सुरक्षा प्रबन्धन वृत्त Forest Protection Working Circle	5087	
2	वन्य जीव (अतिच्छादी) प्रबन्धन वृत्त Wild Life (Overlapping) Management Working	375	

	Circle		
3	साझा वन (अतिच्छादी) प्रबन्धन वृत्त Joint Forest (Overlapping) Management Working Circle	175	
4	अकाष्ठिय वन उपज (अतिच्छादी) कार्य वृत्त Non timber Forest Produce (Overlapping) Working Circle	350	
5	पारिस्थितिक पर्यटन Eco-Tourism (Overlapping)	175	
7	सामाजिक वानीकी Social Forestry	150	
8	विविध विनियमन Miscellaneous Equations	150	
9	Records / अभिलेख	5.00	
10	अधिष्ठान व श्रमिक वर्ग Establishment and Labour	25.00	
11	Contingency Fund (15 प्रतिशत)	1750	
	योग	**19262**	**25000**

अगले 10 वर्षो में भूसंरक्षण एवं पुर्नवास कार्यवृत्त एवं घास व चराई, लघु वन उपज (पत्ता तेन्दू) प्रबन्धन वृत्तो के अधीन 25000 हैक्टेयर वन भूमि में उपचार किया जाना प्रस्तावित है।

आय

क.स.	कार्य वृत्त/कार्य	
1	सफेदे के वृक्षों के पातन के कारण	विभागीय रेट अनुसार

22.2 प्रचालन का वित्तीय नियोजन

योजना अवधि में उपरोक्त व्यय अनुमान का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :–

क.स.	वर्ष	अनुमानित व्यय राशि (लाख रूपयों में)	महंगाई दर (15%) हर दो वर्ष में बढोतरी अनुसार
1	2013 – 2014	193	192.0
2	2014 – 2015	193	192.0
3	2015 – 2016	193	220.8
4	2016 – 2017	193	220.8
5	2017 – 2018	193	253.9
6	2018 – 2019	193	253.9
7	2019 – 2020	193	292.0

8	2020 – 2021	193	292.0
9	2021 – 2022	193	335.8
10	2022 – 2023	193	335.8
योग		**19300**	

इस वित्तीय पूर्वानुमानों की गणना के अनुसार बजट की मांग करते समय तत्समय प्रचलित मॉडल्स एवं बी.एस.आर. को ध्यान में रखते हुए की जानी है, क्योंकि ये अनुमान निम्नतम श्रमिक दर रू. 147/प्रतिदिन के अनुसार तैयार किये गये है।

22.3 निधि प्रदाय के संभावित स्त्रोत

उपरोक्त वित्तीय अनुमानों हेतु वित्त – भारत सरकार, राजस्थान सरकार द्वारा निम्न विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत उपलब्ध हो पावेगा।

(1) राज्य सरकार का गैर योजना मद।

(2) राज्य सरकार का आयोजना मद।

(3) पंचवर्षीय योजनाओं के अर्न्तगत उपलब्ध राशि।

(4) भारत सरकार की वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से प्राप्त राशि।

(5) बाह्य सहायता ऐजेन्सी (जापान बैंक ऑफ अंतराष्ट्रीय सहयोग)

(6) ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत प्राप्त राशि।

(7) केन्द्र सरकार के केम्पा मद से प्राप्त राशि।

(8) महानरेगा के तहत प्राप्त राशि।

(9) नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजनाऐं।

CHAPTER – XXIII

CRITERIA & INDICATOR APPROACH

FOR SFM IN INDIA

FOREST DIVISION: BUNDI

Criterion 1: Maintenance increase in the extent of forest and tree cover

Indicator 1:1 Area of forest under different forest acts/Management plans

Reporting Format 1.1

Year	Notified Forest Area					Remarks
	Area in ha					
	Reserved forest	Protected Forest	Un-classed	Other (Specify)	Total	
2011-12	**58898.48**	**61184.19**	1198.52		**121281.19**	Territorial forest area
				32960.91	**32960.91**	Protected areas

Indicator 1.2 Percentage of Forest with secured boundaries

Reporting format 1.2

Year	Total Length of Boundary (km)		Total No. of boundary pillars		% of secured boundary	Remarks
	Natural	Manmade	Estimate	Constructed / Maintained	-	-
2011-12	NA	31.54	8195	971	12%	

Indicator 1.3 Area of forest cover – dense, open, scrub, forest, pastures, deserts etc.

Reporting format 1.3

Year	Area of Forest Cover (ha)					Total (ha)
	Very Dense forest	Moderately Dense forest	Open forest	scrub	Other Plant+ Encr	
2012	0	146	307	145	614.81	1212.81

(As per F.S.I. Data 2011)

Indicator 1.4 Change in tree cover outside forest area

Reporting format 1.4

Year	Category of ToF	Number	Remarks (Schemes)
2010-11	Road Side Plantation	7600 Plants	MNREGA (13 works)
2011-12	Road Side Plantation	Nil	MNREGA (13 works)

For conversion of T o F to the equivalent cover, average trees in the forest may be taken as the base.

Criterion 2: Maintenance, conservation and enhancement of biodiversity

Indicator 2.1 Protected Area network

Reporting format 2.1

Year	Category of Protected Area	Number	Area (in Hectare)	Remarks
2011-12	Sanctuary	4	550.53 Sq K.M.	Chapter 14

Indicator 2.2 Species diversity
Reporting format 2.2 (a)

Year	Category	No. of Species	Remarks
2011-12	Tree	57	-
2011- 12	Shrubs	8	-
2011- 12	Climbers	11	-
2011- 12	Grasses	36	-
2011- 12	Herbs	35	-

Reporting format 2.2 (b)

Year	Category	No. of Species	Remarks
2011-12	Mammals	29	-
2011-12	Reptiles	23	-
2011-12	Pisces	8	-
2011-12	Amphibians	4	-
2011-12	Aves	86	-

Indicator 2.3 Genetic diversity

Reporting format 2.3

Animals			Plants	
Year	Particulars	No. of Unique genotypes	Plants	No. of Unique genotypes
2011-12	--	--	--	--
--	--	--	--	--

Note : No record is maintained

Indicator 2.4 Status of biodiversity conservation in forest

Reporting format 2.4

Year	Name and type of working circle	Total Area Covered (ha)	No.	No. and name of species provided conservation
2011-12	(1) Forest Protection overlapping working circle (2) Wild life management(overlapping) working circle	1212.81 1212.81	- 1	Mammals - 29 Reptiles - 23 Aves - 86 Pisces - 08 Amphibians - 04

Indicator 2.5 Status of species prone to over exploitation

Reporting format 2.5: For Plants species

Year	Name of Plants	Locality and its Habitat	Parts used	Time of collection	Method of collection	Current Status/Availability
2011-12	*Sterculia urens*	Hilly	Gums	April to June	Blazing Stems	Due to Ban or Gum collection trees are recuperating
	Boswellia Serrata	Hilly	Gums	April to June	Blazing Stems	Due to Ban or Gum collection trees are recuperating
	Comiphora mukul	Hilly	Gums	April to June	Blazing Stems	Due to Ban or Gum collection trees are recuperating
	Evolvulus alsinodes	Plains	Leaves Roots	Oct to April	Uprooting	-
	Aspargus dumasus	Plains	Roots	Oct to April	By digging roots	Scanty

Reporting format 2.5: For Animal species

Year	Name of Animal	Habitat	Threat	Current Status/Availability	Reasons	Remarks
	Tiger	Satisfactory	(1)Poaching (2) Scarcity of Herbivores	(1) since last 20 years only one or two tigers are seen at a time or visiting from adjoining National Park	Scarcity of Herbivores	-
	Vultures	Satisfactory	Contaminated Caracas	Rarely visible	Diclophene sodium contaminated Caracas	-

Indicator 2.6 (a) Status of non – destructive harvest of wood

Reporting format 2.6 (a)

Year	Number of coupes as per the WP	No. of coupes worked coupes worked	Harvested trees			Harvesting techniques
2011-12	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

Indicator 2.6 (b) status of non – destructive harvest of non – Timber Forest Produce (NTFPs) Reporting format 2.6 b

Year	Name of the NTFP	Type of destruction	Efforts made to reduce the destruction	Impact of non destructive harvesting
2011-12	Tendu – leaves	Insufficient cultural operation over exploitation of Gum	Strict Administrative Control	Less production of Tendu Leaves
	Gums of Salar, Gurjan, Babool, Karaya, Khair Dhok, Safed Dhok (Dhavda)			Health of trees hampered

Criterion 3 : Maintenance and enhancement of forest health and vitality

Indicator 3.1 Status of regeneration

Reporting format 3.1 (a) (JFMC area)				
Reporting format 3.1 (b) (Non-JFMC area)				
Dhok, Khair, Salar, *P.juliflora*, Chila, *Dichrostytaea unaraia*	Scarce Absent Outstanding Satisfactory Good	—	—	—

Indicator 3.2 (a) Area affected by forest fire

Reporting format 3.2 a

Year/season	Frequency of fires (no of fire incidence)	Area burnt more than once	Forest area affected		Fire fighting means
2011-12	No Significant case, reported	Negligible	Nil	Nil	Traditional (Manual)

Indicator 3.2 (b) Area damaged by natural calamities

Reporting format 3.2 b

Year/season	Type of natural calamity occurred	Frequency of natural calamity (incidences)	Forest area affected	% of total forest area	Remarks
2011-12	Drought	After every 3-4 years	1292 Sq. Kms	90%	Seeding and sapling get damaged

Indicator 3.3 Area protected from grazing

Reporting format 3.3

Year	Total Forest area (Hact.)	Livestock	Carrying capacity	Area closed for grazing (In Hact.)	Impact of grazing
2011-12	1212.81	9.54 lakhs	618 cattle Sq.K.M.	48.68	Degradation of crop

(Last ten years plantations & closures)

Indicator 3.4 Area infested by invasive weeds in forest

Reporting format 3.4

Year	Name of species	No. of compartments affected	Total forest area affected (ha)	Treated compartment /area	Remarks
2011-12	*Parthenium histophorum*	79	14300	Nil	-

Indicator 3.5 Incidence of pest and diseases

Reporting format 3.5

Year	No. of affected compartment	Total forest area affected (ha)	Number of damaged trees	Name of insect pest/disease	Epidemics occurred in the past (year & type)	Remarks
Data Not Available						

Criterion 4: Conservation and maintenance of soil and water resources

Indicator 4.1 Area treatment under soil and water conservation measures

Reporting format 4.1

Area under soil and water conservation measures		Annual Budget allotted for SWC	Mechanical intervention made	Vegetative intervention (ha)	Total catchment (ha)
Current Year	Cumulative				
Nil	N.A.	N.A.	Check dams farm ponds Ani-cuts, Spurs	Planting and sowing	8488

Indicator 4.2 (a) Duration of water flow in the selected seasonal streams

Reporting format 4.2 (a)

Year	Name of stream	Duration of water flow (average month/year)	Annual rainfall/rainy days)	Remarks
2011-12	(1) Chambal (2) Maze (3) Talera (4) Bhimlat (5) Ghoda- pachad	Perrinial 15 july to 30 sept. " "	724.1 mm/39	-

Indicator 4.2 (b) Water bodies and Wetlands in forest areas

Reporting format 4.2 (b)

Year	Water body		Area (in ha)	Remarks	
	Seasonal	Perennial		Natural water bodies	Manmade due to intervention
2011 -12	54	35	---	In small pockets in the course of River Chambal	Machli Dam

Indicator 4.2 (c) Water level in the wells in the vicinity, (up to 5 kms) of forest area
Reporting format 4.2 (c)

Year	Name of the village	Water level in the well form the surface (meter)	Depth of Well (m)	Distance form forest area in K.M.	Remarks
2011-12	Basola	20	25	Inside Basola – Block	Water level changes from season to season

Criterion 5: Maintenance and enhancement of forest resource productivity.

Indicator 5.1 Growing stock of wood

Reporting format 5.1

Year	Forest type	Area (ha)	Name of the major tree species	Growing stock (tree/ha)	Remarks
2011-12	Tropical dry deciduous (1) Dhok (2) Mixed forest of Dhok and Khair	–	Dhok and Khair	–	–

Indicator 5.2 Increment in volume of identified species of wood

Reporting format 5.2 (Standing volume in Cmt/ha.)

Name of the Species	Standing Volume (Previous assessment year 1995)	Standing volume (Current assessment year 2009)	Per year increment Cmt/ha/Year	Remarks
All Tree Species	NA	NA	NA	NA

Indicator 5.3 (a) Efforts towards enhancement of forest productivity area through under high – tech plantations

Reporting format 5.3 a

Year	Category	Major forest Species	Area (ha)	Production (No. of seedling and cum/ha)
2011-12	In district Bundi No High tech plantation exists	—	—	—

Indicator 5.3 (b) Extent of seed production area and seed orchards

Reporting format 5.3 b

Year	Category	Species	Area (Ha.)	Production
2011-12	N.A.	Dhok, Khair	NA	_

Criterion 6: Optimization of forest resource utilization
Indicator 6.1 (a) Recorded removal of timber
Reporting format 6.1 a

Year	Wood		Poles		Total Extraction (cmt)
	Type/quality	Extraction (cmt)	Nos.	Extraction	
2011-12	No removal of timber	Nil	Nil	Nil	Nil

Indicator 6.1 (b) Recorded removal of fuel wood

Reporting format 6.1 b

Year	Recorded removal (qt/ton)		Unrecorded (Number of head loads – Average/Yr)		Total Extraction (stack)
	Extraction form plantation	Extraction natural forest i.e. SCI, IWC coupe	Head Load Nag	MT	
2011-12	Nil	Nil	Not Available	Not Available	Not Available

Indicator 6.1 (c) Recorded removal of bamboo

Reporting format 6.1 c

Year	Bamboo area (ha)	Extraction	Utilization	Remarks
2011-12	No extraction of Bamboo in this Division	Nil	Nil	---

Indicator 6.2 Recorded removal of locally important NTFP

Reporting format 6.2

Year	Name of the major NTFP/Spp.	Total Collection (kg. metric. tonnes.std.bags)	Uses	Remarks
2011-12	Tendu Leaves	3000 Std. bags	for Manufacturing Bidies	50,000 leaves = Std. bags

Indicator 6.3 Direct employment in forestry activities

Reporting format 6.3

Year	Personal Employment in the forest department	Personnel hired for various forestry activities	Employment in forest Based Industries	Remarks (season or average/year)
2011-12	(i) Working charged Employees & (ii) Daily wages Labour	(i) Plantations & Closures (ii) Collection of Patta Tendu (iii) Nurseries	Nil	180 days/year July to Sept & January to March

Indicator 6.4 demand and supply of timber and important Non-Timber forest Produce

Reporting format 6.4

Year	Timber (Cubic Meter)		Non-Timber Produce (Lac Tons)		
	Supply (production)	Demand	Supply	Demand	Demand met by other sources
2011-12	Nil	Nil	Grasses & Tendu Patta		Demand met by purchase from other states

6.5 (a) Import and export of wood and wood products

Reporting format 6.5 a

Year	Total export of wood and wood based products	Monitory value	Total import of wood and wood based products	Monitory value
2011-12	Nil	Nil	Nil	Nil

6.5 (b) Import and export of NTFPs

Reporting format 6.5 b

Year	Total export of non-timber forest products	Monitory value	Total import of non-timber forest based products	Monitory value
2011-12	Nil	Nil	Nil	Nil

CC6.6 Value and percentage contribution of forestry sector to Gross Domestic Products (GDP)

Reporting format 6.6

Year	Revenue Generated from Timber and Timber based value added products	Revenue Generated from Non-Timber Forest Products and their value added products	Revenue Generated from aesthetical and eco-tourism (intangible source)	Total Revenue generated	% contribute on to GDP
2011-12	No timbers Production	Revenue from Contracts	Nil		Negligible

Criterion 7: Maintenance and enhancement of social cultural and spiritual benefits

7.1 (a) Number of JFM committees and protected by them

Reporting format 7.1 (a)

Year	Type of JFMC	Total Number	Total forest area allotted	Total numbers of members	Remarks
2011-12	V.F.MC.	164	-	12599	

7.1 (b) Status of people's participation in management and benefit sharing reporting format 7.1(b)

Year	Total No of Members in JFM committee		Total members in JFM executive committee		No. of meeting in a year		Average attendance in meeting s (%)	Saving (found) with the commun ities in lacs
	Male	Female	Male	Female	Executive	General body		
2011-12	11460	1139	1148	656	3	1	50%	59.80

Year	Type of benefit	Sharing%	No. of SC/ST beneficiaries	Conflict & management
2011-12	Grass Collection	50%	2568/2929	Nil

7.2 Use of indigenous knowledge

Reporting format 7.2

Year	Prevalent indigenous knowledge	Incorporation in micro plan/management plan	Knowledge base in collection & utilization	Remarks
2011-12	Medicinal plants and M.F.P. collection	yes	working plan prescription	-

Year	Presence of religious sites, nature Camps		Average number of visitors/ year	No. of sacred grooves/ Cluster	Total area (ha)	No. of species traditionally protected	Remarks
	Category	Area/Place					
2011-12	(1) कजली तीज (धार्मिक) भादवा कृष्ण पक्ष तृतीया (2) कार्तिक पूर्णिमा (धार्मिक) (3) तेजाजी (धार्मिक) (4) गणगौर (धार्मिक)	बूंदी केशोराय पाटन कापरेन लाखेरी बूंदी	80,000 100,000 20,000 20,000 40,000	outside and nearby of all Hindu temples & outside	- - - - -	Banyan – Pipal – Aonla – Beal – Putranjiva	Bad Pujni amavshya Pipal purnima Aonla Navmi offering of

	(5) दशहरा (धार्मिक) **पारिस्थिकीय पर्यटन** (6) जैतसागर (7) तारागढ़ का किला (8) रानी की बावड़ी (9) फूल सागर (10) केदारेश्वर धाम (11) रामेश्वरम (12) इन्द्रगढ़	जैतसागर डूंगरी गढ़ महल महल तलवास	- - - - - - - - - -	village - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	roxburghii - - - - - - - - - -	leaves to lord shiva in the month of Sawan (july) - - - - -

Criterion 8: Adequacy of policy, legal and institutional framework

8.1 (a) Existence of Policy and legal Framework

Year	Act/Law	Date of enactment	% of Implementation	Remarks
2011-12	Rajasthan Forest Act	1953	Efforts of Implementation of all acts and Rules done	--
"	Forest Conservation Rules	1957		--
"	Rajasthan Forest Produce Transit Rules	1957	"	--
"	Protected Forest Rules	1957	"	--
	Rajasthan Forest Settlement Rules	1958	"	--
"	Rajasthan Forest Contract Rules	1958	"	--
"	Rajasthan Protected Forest (Concession) Rules	1960	"	--
"	Rajasthan Protected Forest (Rights) Rules	1960	"	--
"	Rajasthan Forest Produce (Patta Tendu) Rules	1974	"	--
"	Rajasthan Forest Produce (Establishment & Control of Saw Mills) Rules	1983	"	--

8.1 (b) Status of approved Working Plan

Working Plan period		Whether under extension/revision Give period	Mid-term monitoring evaluation mechanism (Give years)	Effective implement ation		Remarks
From	To			Devi ation	As per	
1981-82	1990-91	Revision	No Mid-term evaluation and Monitoring	Yes there are	As per Working Plan Prescription	Execution of coupes fellings Not as per prescriptions by Departmental Operation Circle (Rajasthan)

8.2 Number of forest related offences

Year	Type of offences/Number				Settlement status (case)	Type of loss to forest	Remarks
	Illicit Felling	Grazing	Encroachment	Wild life			
2000	263	141	197	77	Cases which are not settled are challaned in court of Law or under investigation	Bio-diversity Hampered and Degradation of Forests along with soil-erosion	Measures prescribed in present Working Plan Report
2001	309	538	226	100			
2002	342	578	342	139			
2003	287	449	232	110			
2004	367	410	634	97			
2005	384	534	741	114			
2006	438	499	1180	170			
2007	222	516	614	89			
2008	197	499	737	69			
2009	214	470	362	79			
2010	214	442	43	91			

Reporting format 8.2

Reporting year	Type of offences	Number of case registered	----	Case Settlement status (%)	% of offences by JFMC members	Remarks
2010	(i) Illicit felling	214		Not Available	Nil	--
	(ii)Grazing	442		Not Available	--	--
	(iii) Illegal mining	72		Not Available	--	--
	(iv) others	134 (W.L & L.R)		Not Available	--	--

8.3 Status of research and development

Reporting format 8.3

Year	R&D by the forest department-budget (Rs.)	R&D by others for forestry development budget (Rs.)	No of R&D requested by the forest department	Technology transferred to field	Remarks
2011-12	---	---	---	---	---

8.4 Human resource capacity building efforts

Reporting Year:

Category (indicate separately for trainers and trainees	Annual (No.)	Total number of trainees (No.)	Training rendered by %		Annual Expenditure (Rs)	Effectiveness of the training (activity relevant to the training) (%)
			Go	NGO		
V.F.M.C. Members and staff	2	----	2	Nil	Trained by FTI, Staff Jaipur	60

8.5 (a) Forest Resource Accounting

(b) Budgetary allocations to the forestry sector

(1) Forest Land

Reporting Format 8.5 (a) Performa account						
Particular	**Opening stock**		**Changes in the year**		**Closing stock**	
	Area (Ha)	**Value (Rs)**	**Area (Ha)**	**Value (Rs)**	**Area (Ha)**	**Value (Rs)**
Reserve forest	58898.48	NA	Nil	Nil	58898.48	NA
Protected forest	61184.19	NA	Nil	Nil	61184.19	NA
Un-classed forest	1198.52	NA	Nil	Nil	1198.52	NA
Total	121281.19	NA	Nil	Nil	121281.19	NA

(II) Standing or growing stock of timber

Reporting Format 8.5 (b) Performa account for standing or growing stock						
Forest	**Opening stock**		**Changes in the year**		**Closing stock**	
	Area (Ha)	**Value (Rs)**	**Area (Ha)**	**Value (Rs)**	**Area (Ha)**	**Value (Rs)**
2011 – 12	121281.19	NA	NA	Nil	121281.19	NA

(III) Flow accounts

(a) Direct consumptive benefit

Reporting Format 8.5 (b) Performa account for direct consumptive benefit								
Forest product	**Recorded by forest department**				**Unrecorded***			
	Quantity cmt.	**Value* (Rs.)**	**Operational cost (Rs.)**	**Net value (Rs.)**	**Quantity**	**Value (Rs.)**	**Operational cost (Rs.)**	**Value (Rs.)**
Grass (2005-06)	1645	164500	Through V.F.M.C.	-	Not known	Not known	Not known	Not known

Grass (2006-07)	2680	26800	"	-	"	"	"	"
Grass (2007-08)	1684	168400	"	-	"	"	"	"
MFP (2007-08)	27	3500	"	-	"	"	"	"
Grass (2008-09)	1495	149500	"	-	"	"	"	"
MFP (2008-09)	35	15300	"	-	"	"	"	"
Grass (2009-10)	-	-	-	-	-	-	-	-

*** Valuation of marketable goods can be done on the basis of their current market prices.**

(b) Direct Non-consumptive benefits

Reporting format 8.5 (d) Performa account for direct Non-consumptive benefit		
Particular	Estimated value	Remarks
Eco-Tourism	N.A.	-
Bio diversity and	N.A.	-
Habitat preservation	N.A.	-
Soil- conservation	N.A.	-

For valuation of ecotourism, travel cost method is used and for valuation of other direct non-Consumptive benefits (IIED, 2003)

(IV) Carbon sequestration

Reporting format 8.5 (e) Performa for Carbon sequestration account									
Forest Type	**Opening stock**			**Changes in the year**			**Closing stock**		
	Area (Ha)	**Carbon sequestration**	**Value (Rs)**	**Area (Ha)**	**Carbon sequestration**	**Value (Rs)**	**Area (Ha)**	**Carbon sequestration**	**Value (Rs)**
Tropical dry deciduous forest	121281.19	-	-	-	-	-	121281.19	-	-

(V) Costs of eco-system restoration and maintenance

Reporting format 8.5 (f) Performa account eco-system restoration and maintenance		
Measure of eco-system Forest oration/Maintenance	**Area covered (ha/annum)**	**Annual cost (Rs.)**

Periodicity of Measurement: five year

Reporting Year	Budgetary allocation (Rs. In Lakh)		Total	Budget received	Remarks
	Plan	Non-plan			
2007-2008	NA	NA	-	-	No Budget was allocated for Eco-system restoration
2008-2009	NA	NA	-	-	
2009-10	NA	NA	-	-	
2010-11	NA	NA	-	-	
2011-12	NA	NA	-	-	

8.6 Monitoring and evaluation mechanism of forestry development activities

Evaluated by	No. of evaluation/visits	Mid. tern	End tern	Remarks
By rangers officers Inter – range	All division works of the year	-	-	-
DCF (evaluation) in CCF Office Bundi	2	-	-	2 Sides selected by random method

Note: Report made by the external agency may be enclosed.

8.7 Status of data collection, information dissemination and utilization

Reporting format 8.7

Type of information and its dissemination	No. of publication/ volumes/editions	For whom	No. of copies		Remarks
			Printed	Distributed	
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

8.8 Adequate manpower in FMU

Year	No. of regular employees of the FMU	No. of ad-hoc work man days generated		
		No. of Hired works	No. of days employed	Total No. of work man days generated
2011-12	Permanent Employee – 172	-	-	-
-	Work charge employee – 154	-	-	-
-	Daily wages - Nil	-	-	-

1. (i) Forest area officially diverted

Reporting format 1.i				
	Type of Diversion	Area Diverted (ha)	Compensatory a Forestation	Remarks
1	सिचांई	886.37	-	-
2	ट्रांसमिशन लाईन	148.33	-	-
3	सडक	906.11	-	-
4	बांध परियोजना	212.5	-	
5	माईन्स	108.32	-	-
योग		**2261.63**	-	-

1.(ii) Forest area under encroachment

Reporting format 1.II Forest Area Encroachment			
Year	Range	Total (ha)	Remarks
1980-2006	Hindoli	1731	—
	Ramgarh	165	—
	Bundi	390	—

	Dabi	162	—
	Indergarh	226	—
	K. Patan	48	—
	Nainwa	721	—
Total		3443	

2.(i) Forest and status of threatened species

(i) Animals

(ii) Plants

Reporting format 2.i				
Particular	**No. of threatened species**	**Category under IUCN**	**Major Threat**	**Remarks**
Mammals	Panther	NT	—	—
Reporting format 2.i				
Particular	**No. of threatened species**	**Category under IUCN**	**Major Threat**	**Remarks**
—	—	—	—	—

2.(ii) Status of locally significant species

(i) Animals

(ii) Plants

Reporting format 2.ii				
Year	**Number of Animal Species**	**Remarks**	**Number of Plants species**	**Remarks**
2011-12	-	-	-	

4.(i) Area prone to soil erosion

Reporting format 4.i			
Year	**Total area (ha)**	**Area prone to erosion in Hect.**	**Remarks**
2011-12	121281.19	68978	--

4. (ii) Area under ravine, saline, alkaline soil and deserts

Reporting format 4.ii				
Year	**Type of Problematic Soil**	**Total Area (ha)**	**Area reclaimed (ha)**	**Remarks**
2011-12	Saline	N.A.	N.A.	Salinity there but not in forest area

4. (iii) Soil Fertility/site quality

Reporting format 4.i			
Year	**Site quality**	**Area covered (ha)**	**%**
2011-12	N.A.	N.A.	N.A.

6.(i) Efforts towards reduction of wastages

Data reporting format 6.i

Year	Techniques and efforts made in reducing the wastage during				Re-use and recycling
	Harvesting	Transportation	Processing	Marketing	
2011-12	Not applicable since no exploitation and extraction	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

6.(ii) Aggregate and per capita consumption of wood and non-wood Forest Product

Reporting Format 6.ii			
Year	**Wood (cu m)**	**Non-wood forest products (Qtl.Or tones**	**Remarks**

	Collected/ extracted	Self consumption/uses	Sold in the market	Collected/ extracted	Self consumption/use	Sold in the market	
2011-12	Fuel Wood 10 Kg per day/ Per gm. For 180 days	7 K – 9	3 Kg/Day	Tendu Patta 3000/St bags each bag of 50,000 leaves	Nil	100%	Nil

Note : No such record is maintained in Division Office

6.(iii) Contribution of forest to the income of forest depend people

Reporting format 6.iii						
Year	**Type of livelihood generation activity by forest**	**Number of man-day**	**Per house hold livelihood**	**Average wage rate (Rs.)**	**SC/ST beneficiaries**	**All livelihood sources per household**
2010-11	Forestry Activity	180	One person from each rural family	147 days	25%	--

7.(i) Level of participation of women

Reporting format 7.i					
Year	**Total Number of member in JFM committee**	**Total no of women in JFM executive committee**	**No. of meetings in a year**	**Average women attendance in meeting (%)**	**No. of Agenda set by the women members**
2011-12	12599	1139	Not Available	50%	No Significant role

7. (ii) Quality and extent to which concessions and privileges are provided

Year	Name and type of concession	No. of beneficiaries	Awareness means	Year of intimation	Period/ duration of the program
2011-12	Fuel wood & Grasses	75% rural population	1. T.V. 2. Radio 3. News papers 4. Interaction with Forest employee	--	--

अध्याय 24

निर्धारिति सार

Chapter - XXIV

Summary of Prescription

24.1. परिचय :–

बूंदी वन मण्डल के आरक्षित, रक्षित व अवर्गीकृत वन क्षेत्र है, जो कि समस्त जिले में फैले हुए हैं।

	In sq. Km	
जिले का कुल क्षेत्रफल	5776.00	
वैधानिक वन क्षेत्र	**1542.42**	
• प्रादेशिक वन क्षेत्र	0991.87	कार्यआयोजना में सम्मिलित
• रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति मध्यवर्ती क्षेत्र	**0186.33**	
• राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य	0034.61	
कुल योग	1212.81	
रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति मध्यवर्ती क्षेत्र–डोबरली, पोलघटा, व बलबन(part)	0009.79	यह क्षेत्र पूर्व में रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति को सौंपा गया व TCP का भाग हैं।
रामगढ (संरक्षित क्षेत्र)	0222.22	अलग से प्रबन्ध योजना
जवाहर सागर (संरक्षित क्षेत्र)	0097.60	--do--
कुल योग	329.61	

बून्दी जिले में (1212.81+329.61)= 1542.01 sq km वन क्षेत्र है

24.1.1 पूर्व की कार्य आयोजनाएं :–

1. श्री पी.एस. श्रीवास्तव की कार्य आयोजना (1962–63 से 1971–72)
2. श्री अभिजीत घोष की कार्य आयोजना (1981–82 से 1990–1991)

24.1.2 क्षेत्र का विवरण :–

बूंदी जिले के समस्त वन क्षेत्र वन मण्डल बूंदी के अधीन आते हैं जो कि मुख्य वन संरक्षक कार्यालय बूंदी के प्रशासनिक नियंत्रण में हैः–

बून्दी जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल **5776** वर्ग कि.मी।

1. वन क्षेत्रफल **1542.42** वर्ग कि.मी है।
2. जनसंख्या 11.33 लाख वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार है।
3. अरावली एवं विंध्ययन सिस्टम की चट्टाने।
4. मृदा : बालुई दुमट व अलुवियल है।
5. तापमान 5 डिग्री से 48.8 डिग्री सेल्सियस
6. औसत वार्षिक वर्षा 724.1 मि.मि. (गत दस वर्ष का औसत)
7. मुख्य नदियां बजुन, मांगली, तालेड़ा, मेज एवं चम्बल।
8. प्रशासनिक व्यवस्थाः– वन मण्डल के अधीन वर्तमान में 6 रेंज हैं जिनमें कुल 151 वनखण्ड हैं।
9. अभ्यारण्य – रामगढ, रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति मध्यवर्ती क्षेत्र, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य ।
10. मुख्य बांध – माछली बांध

24.1.3 वनक्षेत्र का विवरण

1. जिले का समस्त वनक्षेत्र मुख्यतः बूंदी, डाबी, हिंडोली, इन्द्रगढ़, नैनवा, एवं केशवरायपाटन में स्थित है।

2. जिले में मुख्यतः ट्रोपीकल पतझड़ी धोक, शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन एवं धोंक के झाड–झडूले।

24.1.4 सस्य की संरचना :–

धोंक, सालर, पीलू, रोंझ, इमली, कदम आदि।

शाक झाड़ियां – जूलीफ्लोरा, करील, गोया खैर (बिरबिड़ा), आंधाशीशी

क्षुप व घास – आधाशीशी, जंगली चौंलाई, पंवार, धमासा, लापला, करड़, धामन, डाब, आदि।

24.1.5 वन क्षेत्रों की स्थिति :–

क.स.	प्रकार	क्षेत्रफल (हैक्टयर में)	कुल क्षेत्र का प्रतिशत
1	धोंक	21999.17	18.14
2	परिभ्रांषित धोंक	8211.5	6.77

3	घास एवं प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा	15557.42	12.83
4	मिश्रित वन	30705.47	25.32
5	रिक्त	44807.63	36.95
	योग	121281.19	100

24.1.6 पुर्नजननः–

धोंक, सालर आदि अधिकतर प्रजातियों का प्राकृतिक पुर्नजनन असंतोषप्रद है, जूलीफ्लोरा का पुर्नजनन अत्यधिक तथा छीला का बहुत कम है।

वनों को हानि पहुंचाने वाले तत्वः– जैविक दबाव (खनन, अवैध कटान, छंगाई, चराई एवं मवेशी द्वारा छोटे पौधों को कुचला जाना)

24.1.7 वन्यजीवः–

1. स्तनपायी – बघेरा, लोमडी, चिंकारा, सांभर, चीतल, नीलगाय सामान्यतः दिखाई देती हैं।
2. पेंथर – उपस्थित
3. अन्य छोटे वन्य जीव – उपस्थित (हिरण, जरख, जंगली सुअर, गीदड़, लोमड़ी जंगली बिल्ली, नेवला, पाटागोह, सेही आदि।)
4. पक्षी – जैव विविधता एवं संख्या अनुसार समृद्ध, प्रवासी पक्षी भी आते हैं। मुख्य प्रवासी बगुले, फ्लेमिंगो एवं बाज है।

24.1.8 वन उपज

वनों से 90 प्रतिशत मांग जलाऊ लकडी की है। यह मांग वनों की क्षमता से तीन गुना अधिक है।

24.1.9 मवेशी संख्या

गाय व बैल 273659, भैंस 281233, भेडे 58915, बकरी 368823

कुल वन क्षेत्र 1212.81 वर्ग कि.मी पर निर्भर है 9.54 लाख मवेशी ईकाई और प्रति वर्ग कि. मी. पर मवेशी भार है 618 मवेशी ईकाई।

24.2. वन प्रबंधन का इतिहास :–

स्वतंत्रता पूर्व का इतिहासः राजशाही द्वारा मुख्यतः आखेट या रियासत के जानवरों के लिए घास हेतु प्रबंधन किया जाता था।

24.2.1 श्री पी.एस. श्रीवास्तव की कार्य आयोजना (1962–63 से 1971–72)

बूंदी वनमण्डलों के लिए प्रथम बार लिखी गयी व वन क्षेत्रों को वन खण्डों एवं संविभागों में विभाजित किया गया। इस कार्य आयोजना में 8 कार्यवृत बनाये गये।

(i) कोपिस विद स्टैन्डर्ड कार्यवृतः

(ii) **अधिकार व रियायतों का प्रबन्धन वृत्त**

(iii) **खैर प्रबन्धन वृत्त–**

(iv) बांस (अतिच्छादी) प्रबन्धन वृत्त–

बांस अतिच्छादी कार्यवृतः बांस बहुलता वाले वनक्षेत्र,

(v) सालर (अतिच्छादी) प्रबन्धन वत्तः

(vi) चारा प्रबन्धन वृत्तः

(vii) वन्य जीव प्रबन्धन वृतः

(viii) अकाष्ठिय वन उपज कार्यवृतः

विविध नियमन–

अग्नि सुरक्षा, सीमाओं का संधारण, वनमार्ग व भवनों का निर्माण कार्य आयोजना में प्रस्तावित किया गया

24.2.2 श्री अभिजीत घोष की कार्य आयोजना अवधि 1981–82 से 1990–91

इस कार्य आयोजना में निम्नांकित आठ कार्यवृत बनाये गयेः

1. **कॉपिस विद स्टेण्डर्डः**, कुल वनक्षेत्र 16226.50 हेक्टेयर इस वृत में धौंक के उत्कृष्ट वन सम्मिलित किये गये, पातन चक्र 60 वर्ष रखा गया।
2. **परिभ्रांषित वन वर्किग सर्किलः**, कुल क्षेत्रफल 55886.50 है वन मण्डल में 200 हे0 प्रतिवर्ष उपचार हेतु क्षेत्र प्रस्तावित किया गया।
3. **चारा प्रबन्धन कार्यवृतः**, कुल क्षेत्रफल 30413.50 हेक्टेयर, इस वृत में 0 से 0.3 घनत्व वाले वन,रिक्त स्थान नग्न व परिभ्रांषित क्षेत्र प्रस्तावित किये गये और इनके अतिरिक्त घास बीड भी इस वृत में रखे गये।
4. **वृक्षारोपण कार्यवृतः**, कुल क्षेत्रफल 22653 हैक्टेयर क्षेत्र इस कार्यवृत में नंगे परिभ्रांषित व रिक्त वन क्षेत्र रखे गये, इस वृत में पूर्व के वृक्षारोपण क्षेत्र, रेतीली मृदा वाले क्षेत्र व कन्दराओं वाले क्षेत्र रखे गये हैं।
5. **जल ग्रहण विकास वर्किग सर्किल–** ऐस क्षेत्र जो कोटा बैराज, जवाहर सागर, गुढ़ा, बरधा, मोतीपुरा, भीमलत और अभयपुरा डेम के जलग्रहण क्षेत्र में रखा गया। इस वृत्त के अधीन 18511.50 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया था।

2.6. **वर्ष 1990–91 से 2012 तक का कालः–** वन मण्डल बूंदी में 2002–2003 के उपरान्त अनेक योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न वृक्षारोपण कार्य करवाये गये

पिछली कार्य योजना उपरान्त करवाये गये कार्यः–

- वृक्षारोपण वर्ष 2003 से 2007 तक 4082 हेक्टेयर
- रोपित पौधों की संख्या 17.65.लाख
- विशेष योजना अंतर्गत स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना : रोजगार उत्पन्न करने वाली गतिविधियां, उत्पादकता विकास गतिविधियां, आय बढाने वाली गतिविधियां।
- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (N.A.P): वन विकास अभिकरण का गठन, समस्त कार्य V.F.P.M.C द्वारा, श्रम विकास योजना (s.v.y), विस्तृत सांस्कृतिक क्रिया–कलाप (s.m.c) कार्य।
- राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण योजना(R.F.B.P): अधिक से अधिक ग्रामीण प्रबंधन समितियों को बढावा देना, रोजगार उत्पन्न करने वाली गतिविधियां, उत्पादकता विकास गतिविधियां, आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियां, स्वंय सहायता समूह, वृक्षारोपण कार्यों का विस्तार।

24.3 भविष्य के प्रबंधन के आधार

वर्ष 2013–14 से वर्ष 2022–23 तक कार्यकाल के लिए कार्य आयोजना बनाने का कार्य वन मण्डल बूंदी की कार्य आयोजना श्री आर.एस. नाथावत, उप वन संरक्षक द्वारा तैयार कर प्रेषित की जा रही है।

24.3.1 वन प्रबंधन के उद्देश्यः

- **वैश्विक उद्देश्य**
  1. नवीनकरणीय एवं गैर जीवाश्मी ईंधन के उपयोग में कमी
  2. भू–मंडलीय तापमान में कमी करना
  3. कार्बन निक्षेप
  4. पारिस्थितिकीय सुधार
- **वातावरणीय एवं पारिस्थितिकीय उद्देश्य**
  1. जैव विविधता संरक्षण
  2. वन्यजीव व उनके आश्रय स्थलों का बढाना

3. नमी संरक्षण
4. खाद्य चैन का संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन

- **वन संवर्द्धनिक उद्देश्य**

1. वनों का आयु वर्ग वार बनाना
2. प्राकृतिक पुर्नजनन में वुद्धि
3. परिभ्रांषित सस्य का पुर्नवास

- **सामाजिक उद्देश्य**

1. राष्ट्रीय वन नीति 1988 के प्रावधानों की पालना
2. विभिन्न नियम, विनियम एवं वैधानिक प्रावधानों को लागू करना
3. नवीन तकनीकी ज्ञान का वन प्रबंधन में उपयोग

24.3.2 तथ्य

1. अत्यधिक जैविक दबाव विशेषतः मवेशी का
2. मुक्त चारण
3. सूनी गायों को छोडना
4. जलाऊ व छोटी लकडी के वैद्य या अवैद्य निकासी
5. वानिकी क्षेत्र को कम बजट आवंटन
6. अपर्याप्त मानव संसाधन
7. नियम, कानूनों का दबाव
8. वन मृदा का कम उपजाऊ होता

24.3.3 उपचार

1. गैर वानिकी क्षेत्रों में वानिकी कार्यक्रम लागू करना
2. लोगों को वानिकी कार्यक्रमों से जोडना
3. वन विकास में नवीन तकनीकी व ज्ञान का उपयोग
4. पारिस्थितिकीय पर्यटन को बढाना
5. लघु वन उपज का संरक्षण व विकास
6. जैव विविधता को बढाना

7. वृक्षारोपण व क्लोजर्स

8. परिभ्रांषित वनों का पुर्नरोद्धार

9. आवश्यक वन आधारित मांग की पूर्ति

10. नियंत्रित व नियमानुसार चराई

11. कडी सुरक्षा

12. वन सस्य की स्थिति व बनावट व मृदा की प्रकार अनुरूप वर्गीकरण

13. संगठनात्मक सुधार

24.3.4 रणनीति

1. निर्धारित किये गये उद्देष्यों अनुसार वनक्षेत्रों का विकास

2. नियमित मूल्याकंन एवं प्रबोधन

3. गैर वानिकी क्षेत्रों का वन विकास हेतु अधिकतम उपयोग

4. वैकल्पिक संसाधनों के उपयोग पर बल

24.4. कार्यवृत्तों का गठन

इस कार्य आयोजना में निम्न कार्यवृत्त प्रस्तावित किये जा रहे है :–

प्रधान कार्यवृत्त (Principle working Circle)

(1) भू–संरक्षण एवं पुर्नवास प्रबन्धन वृत्त

(2) वृक्षारोपण प्रबन्धन एवं शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण कार्यवृत

(3) चारा प्रबन्धन कार्यवृत्त

अनिवार्य कार्यवृत्त (Mandatory working Circle)

(1) वन संरक्षण एवं वन बंदोबस्त/सीमांकन (अतिच्छादी) प्रबन्धन कार्य वृत्त

(2) वन्य जीव (अतिच्छादी) प्रबन्धन वृत्त

(3) साझा वन (अतिच्छादी) प्रबन्धन वृत्त

(4) अकाष्टिय वन उपज (अतिच्छादी) प्रबन्धन वृत्त

(5) पारिस्थितिकीय पर्यटन अध्याय

(6) सामाजिक वानिकी प्रबन्धन

24.4.1 प्रधान कार्यवृत्त

1. भू–संरक्षण एवं पुर्नवास प्रबन्धन वृत्त

सामान्य संरचना

इस प्रबन्धन वृत्त में बूंदी वन मण्डल के उन वनक्षेत्रों को लिया गया है, जहां मृदा पर्याप्त गहरी है व घनत्व 0 से 0.4 है। पूर्व में जिन क्षेत्रों में अच्छे घने वन थे परन्तु भारी जैविक दबाव के कारण परिभ्रांषित हो गये अतः इन क्षेत्रों का पुनरोद्वार कड़ें सुरक्षा प्रबन्धन व प्रतिकर्तन (कट–बेक) कार्यो द्वारा ही सम्भव है,अत; ऐसे क्षेत्रो को इस कार्य वृत मे सम्मिलित किया गया है। इस वृत मे नदी नालो के जल ग्रहण क्षेत्र, कन्दरा क्षेत्र व, वे क्षेत्र जहां भू–सरक्षण अधिक हो रहा है, सम्मिलित किए गये है।

1. **क्षेत्र एवं क्षेत्र का आंवटन**

इस कार्यवृत्त में कुल **52825.21** हैक्टेयर क्षेत्र व **313** सविंभाग सम्मिलित किये गये हैं।

2. प्रबन्धन वृत के विशेष उद्देश्य

1. जलाशयों को सादावरण से बचाना, बांधो व इससे सम्बन्धित योजनाओं को दीर्घकालीन तक चलने के अवसर प्रदान करना।
2. भू एवं जल संरक्षण।
3. कृत्रिम वृक्षारोपण कर वनावरण में वृद्धि करना।
4. कड़े सुरक्षा प्रबन्धन द्वारा वन क्षेत्र की सस्य में सुधार करना।
5. स्थानीय नागरिको हेतु जलाऊ लकड़ी, छोटी इमारती लकड़ी, घास व चारे की आपूर्ति करना।
6. स्थानिय प्रजातियों का रिक्त स्थानों में रोपण करके वन क्षेत्रों को समृद्ध बनाना, वन क्षेत्रों की गुणवता व जैव विविधता में वृद्धि करना।
7. वन विकास कार्यो द्वारा स्थानीय नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना।

उपचार

इस प्रकार के क्षेत्रों में प्रत्येक 200 हैक्टेयर क्षेत्र पर एक पशु रक्षक रखने का प्रावधान रखा जावे व बाड़बन्दी का संधारण किया जावे। प्रतिकर्तन व संवर्द्धनिक कार्य करवाये जावें। शेष गैर बाड़बन्दी वाले क्षेत्रों के लगभग 600 हैक्टेयर क्षेत्र का प्रतिवर्ष उपचारित किया जावे, ताकि कार्य आयोजना की समाप्ती तक लगभग 10 प्रतिशत क्षेत्र उपचारित हो सके।

1.प्रतिर्कतन (कट बेक)

2. **भू संरक्षण कार्य**
   1. कृषि
   2. वानिकी

1. अभियांत्रिक
   1 **चेकडेम्स**
   2 **कन्टूर डाईक्स**
   3 **गली प्लंगिग**
   4 **स्परस**

2. **समृद्धि वृक्षारोंपण**

वित्तीय पुर्वानुमान

कार्यवृत्त अधीन क्षेत्र के कुल क्षेत्र	कार्यवृत्त अधीन क्षेत्र के प्रस्तावित	उपचार हेतु इस कार्य आयोजना अवधिकाल का व्यय (रू.लाखों में)
52825.21 हैक्टेयर	**10000**	**3256**

2. वृक्षारोपण प्रबन्धन कार्यवृत

सामान्य संरचना

इस वृत्त के अधीन वे वन क्षेत्र हैं, जहां पर्याप्त नमीयुक्त मृदा तो हैं परन्तु वृक्ष विहीन हैं इनमें मुख्यतः समतल क्षेत्र कन्दरायुक्त क्षेत्र एवं मृदा युक्त पहाड़ी क्षेत्र है इस प्रबंधन वृत्त में मुख्यतः चारा, ईंधन एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों का रोपण प्रस्तावित किया जाना है जिससे स्थानीय ग्रामीणों को चारा व ईंधन गांव के पास ही उपलब्ध हो सके। इस वृत्त में रिक्त स्थलों के अतिरिक्त वे क्षेत्र भी लिये जावेंगे जहां पूर्व के वृक्षारोपण असफल रहे हैं, परन्तु ऐसे क्षेत्रों को असफल वृक्षारोपण राजकीय प्रक्रिया द्वारा असफल घोषित कर मुख्य वनसंरक्षक, कोटा से अनुमति उपरान्त ही किया जा सकेगा।

क्षेत्र एवं क्षेत्र का आंवटन

इस वृत में सम्मिलित कुल **30122.23** हैक्टेयर क्षेत्र 171 सविंभाग सम्मिलित है।

प्रबन्धन वृत के विशेष उद्देश्य

- परिभ्रांषित क्षेत्रों को और अधिक परिभ्रांषित होने से बचाना।
- परिभ्रंषित क्षेत्रों को वृक्षारोपण व बीजारोपण कर सस्य में सुधार करना।

- मृदा को वृक्षों से ढक कर, नमी की मात्रा को बढाना ताकि भूमिगत जल में वृद्वि हो।
- वन उपज की पैदावार बढ़ाकर, स्थानीय लोगों की जलाऊ व छोटी इमारती लकड़ी की मांग की पूर्ति करना।
- चारे की आपूर्ति कर सूखे की स्थिति से निपटना।
- स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना।
- उपलब्ध मूल स्कंधों को वन संवर्द्वनिक क्रियाओं की सहायता से उपचारित कर रिक्त स्थानों को पुनः भण्डारित करना।
- सस्य की दशा व संरचना में सुधार।
- खनन क्षेत्रों में सुधार कार्य।

उपचार

- मृदा जल प्रवाह मानचित्र
- क्षेत्र का चयन
- पौध तैयारी
- पौधशाला प्रबन्धन
- बाडबन्दी
- मृदा का उपचार
- मृदा एवं जल संरक्षण कार्य
- वृक्षारोपण कार्य
- बीजारोपण हेतु प्रजातियों का चयन
- कृत्रिम पुनर्जनन
- स्थूण रोपण विधि
- रुट–शूट कटिंग विधि
- बीजोत्पत्ति प्राकृतिक पुनर्जनन को स्थानान्तरित कर
- रोपित व बीजोत्पत्तित पौधों का संधारण
- वृक्षारोपण कार्यक्रम

वित्तीय पूर्वानुमान

योजना अवधि में प्रबन्धन कार्य वृत्त में सम्मिलित कुल **30122.23** हैक्टर वन क्षेत्र में से 8000 हैक्टर क्षेत्र को उपचारार्थ लिया जाना प्रस्तावित किया गया है । उपवन संरक्षक

द्वारा क्षेत्र का चिन्हीकरण (site selection) किया जायेगा। जिसमें प्राथमिकता उन क्षेत्रों को दी जावेगी जहां खनन प्रभावित है।

	कार्यवृत्त अधीन क्षेत्र के कुल क्षेत्र	कार्यवृत्त अधीन क्षेत्र के प्रस्तावित	उपचार हेतु इस कार्य आयोजना अवधिकाल का व्यय
1	**30122.23 हेक्टेयर**	**8000 हेक्टेयर**	**3956 लाख रूपये**

2b. **शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण** – बूंदी जिले में पडने वाले क्षेत्र जैसे सड़क किनारे रेल्वे ट्रैक व नाले के किनारे जिनमें वर्ष 1985–87 तक सफेदे के वृक्षो का वृक्षारोपण हुआ एवं परिपक्व हुए सफेदे के वृक्षों को चयनित कराकर पातन किया जाएगा।

पातन विधि : वृक्षों का पातन "Clear felling system" द्वारा किया जाएगा।

वित्तीय पूर्वानुमान –

पातन किए गये सफेदे के वृक्षो के एवज मे उनकी कापिस के पुनरोत्थान तथा उसकी सिगंलिग द्वारा नवीन वृक्षो मे विकसित किया जायेगा । पातन किए गये वृक्षो के चारो और ईटों का जालींनुमा ट्री गार्ड बनाने मे सम्भावित लागत

इसके अतिरिक्त गैप प्लांटेशन में संभावित लागत = 16000 × 2500 = 400 लाख रूपये

इस प्रकार कुल व्यय 138.32 लाख + 400 लाख = 538.32 लाख रूपये व्यय होगा।

यह गणना वृहद तौर पर की गई है। वास्तविक व्यय उस समय के प्रचलित मानदंडों, मॉडल, दरों के अनुसार होगा।

4.) **चारा प्रबन्धन कार्यवृत्त**

सामान्य संरचना

इस प्रबन्धन वृत में वनमण्डल की समस्त घास बीड्स एवं वे क्षेत्र जो रिक्त है अर्थात जिन वन क्षेत्रों का घनत्व 0 या 0.1 हैं, मृदा की गहराई कम है, तथा पुराने चारागाह विकास कार्य सम्मिलित किये गयें हैं। पुराने चारागाह विकास कार्य एवं व मृदा की कम गहरी है।

कम गहराई की मृदा वाले वृक्षारोपण भी इस कार्य वृत्त में सम्मिलित होंगे। इस प्रबन्धन वृत्त में उन संविभागो को प्राथमिकता प्रदान की जावेंगी जो वन खण्डों के बाहरी क्षेत्र हैं, व आबादी के पास हैं, ताकि ग्रामीणों को घास पास के क्षेत्र से ही मिल सके और वे अन्दर के घने वन क्षेत्रों को हानिं नहीं पहुँचाएं।

1 क्षेत्र एवं क्षेत्र का आंवटन

इस कार्यवृत्त में कुल **38333.75** हैक्टेयर्स क्षेत्रफल सम्मिलित किया गया है।

2 कार्य वृत के विशेष उद्देश्य

1. स्थानीय ग्रामीणों की चारा, घास व चराई की मांग की पूर्ति करना।
2. वनस्पति आच्छादन कर मृदा संरक्षण, क्योंकि घास मृदा संरक्षक की प्रमुख प्रजाति है।
3. अच्छी (प्रोटीनयुक्त) गुणवत्ता वाली घास की मात्रा में वृद्धि करना व चारे वाले वृक्षों का वृक्षारोपण करना।
4. उपयुक्त समय के लिये चराई वाले क्षेत्रों को, चराई हेतु बन्द कर घास की गुणवत्ता व मात्रा में वृद्धि करना।

आरक्षित चारा क्षेत्र बनाना, जिससे अकाल में इसका सदउपयोग किया जा सके।

प्रस्तावित उपचार

1. घास बीड़ों की उपचार विधि।

- **बाहरी पशुओं (भेड़ो) का आवर्तन**
- **अकाल की स्थिति**
- **चक्रात्मक चराई :**
- **घास एकत्रीकरण**
- **घास बीड़ों के उपचार**

2. परिभ्राषित वनों के लिये उपचार विधिं।

- **मानसून क्लोजर पद्वति :**
- **चराई आपात**
- **वृक्षों का शखकर्तन**

वित्तीय पूर्वानुमान

कार्यवृत्त अधीन क्षेत्र के कुल क्षेत्र	कार्यवृत्त अधीन क्षेत्र के प्रस्तावित	उपचार हेतु इस कार्य आयोजना अवधिकाल का व्यय (लाखों में)
38333.75 हैक्टेयर	7000	3270

24.4.2 अतिच्छादी कार्यवृत्त

1 **वन सुरक्षा (अतिच्छादी) प्रबन्धन वृत्त**

सामान्य संरचना :

इस अध्याय को दो भागों में विभक्त किया गया है : (अ) सामान्य वन सुरक्षा (ब) वन बन्दोबस्त एवं सीमांकन

(अ) इस प्रबन्धन वृत्त में 0.4 से अधिक घनत्व वाले क्षेंत्रों को प्राथमिकता प्रदान की गई है। यह प्रबन्धन वृत्त सम्पूर्ण जिले में अतिच्छादी रहेगा। इस प्रबन्धन वृत्त में आने वाले ऐसे वन क्षेत्र जिनमें मूल प्ररोह उपस्थित है, अथवा क्षेत्र वृक्षाच्छादित है तथा कराये गये वृक्षारोपणों के क्षेत्र हैं।

इस प्रबन्धन वृत्त में ऐसे वन क्षेत्र सम्मिलित होंगे जिनका बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्य जैसे –प्रारम्भिक एवं अन्तिम विज्ञप्ति जारी करवाया जाना है, अमल दरामद करवाया जाना है। वनखण्ड सीमाओं पर सीमांकन हेतु सीमा स्तम्भं लगवाया जाना है, वन सीमा का राजस्व मानचित्रों पर वन सीमा रेखा (लाईन) दिखाया जाना जहां अवशेष है।

क्षेत्र एवं क्षेत्र का आंवटन

इस कार्य वृत्त के अंतर्गत बूंदी वनमण्डल के समस्त वन क्षेत्र व गैर वन क्षेत्र रहेंगे।

विशेष उद्देश्य :

(1) जिन वनखण्डों की प्रारम्भिक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, वह जारी करवाना।

(2) जिन वनखण्डों की अंतिम विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं हुई है उसका प्रकाशन करवाना।

(3) जिन वनखण्डों का बन्दोबस्त कार्य अभी तक करवाया जाना बाकी है, उसे पूर्ण कराना।

(4) जिन वनखण्डों की अन्तिम विज्ञप्ति प्रकाशित हो चुकी है तथा जिनमें सीमा स्तम्भ पूरे नहीं लगे हैं उनको लगवाना, टूटे–उखड़े एवं हट चुके सीमा स्तम्भों की स्थापना कर वनभूमि की सीमाबंदी करना।

(5) वन मानचित्रों का राजस्व बन्दोबस्त के अनुसार अद्येतन (अपडेट) करना, रामगढ़ अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य की सीमाओं पर गजट नोटिफिकेशन के अनुसार सीमा स्तम्भों की स्थापना।

(6) वन औषधि (अतिच्छादी) प्रबन्धन वृत्त

प्रस्तावित उपचार

(1) जिन वनखण्डों की प्राथमिक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है उनकी प्राथमिक विज्ञप्ति अगले दो वर्षों में जारी करवाना।

(2) जिन क्षेत्रों की अन्तिम विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं हुई है वह अगले दो वर्षों में जारी करवाना।

(3) जिन क्षेत्रों में अब तक अमल–दरामद होना शेष है उसे अगले दो वर्षों में पूर्ण कराना।

(4) जहां–जहां सीमा स्तम्भ लगना शेष है उसे अगले तीन वर्षों में लगवाना।

वित्तीय पूर्वानुमान

कार्यवृत्त के अधीन सुधार कार्य के क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य पर व्यय चयनित क्षेत्र की स्थिति, कार्य की मात्रा, प्रकृति और अन्य अनेक तात्कालिक कारकों पर निर्भर है। इस कारण से कार्यवृत्त के अधीन सुधार कार्य के क्षेत्र के पूर्ण उपचार पर होने वाले व्यय को सही सही बताना संभव नहीं है।

उपरोक्त वित्तीय अनुमान की गणना करते समय सामग्री/श्रम दरों में वृद्धि के कारण प्रत्येक दो वर्षो के अंतराल पर प्रति यूनिट लागत पर 20 प्रतिशत वृद्धि करने का बजट तैयार करते समय ध्यान में रखा जावें। इस प्रकार की गणना से इस कार्यवृत्त को उपचारित करने के लिए वर्तमान दरों पर योजना अवधि में रूपय 5087 लाख (लगभग) व्यय होने प्रस्तावित है।

2 वन्य जीव (अतिच्छादी) कार्यवृत

सामान्य संरचना

इस प्रबन्धन वृत्त में बूंदी जिले कि समस्त वानिकी एवं गैर वानिकी वन क्षेत्र सम्मिलित है तथा यह कार्य वृत्त समस्त कार्यवृत्तों पर अतिच्छादी है।

क्षेत्र एवं क्षेत्र का आंवटन

यह प्रबन्धन वृत अतिच्छादी होने के कारण इस प्रबन्धन वृत में सम्पूर्ण वनक्षेत्र सम्मिलित किया गया है।

प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य

इस जिले के वन्यजीव प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य निम्न हैं :–

(1) समस्त वन्यजीवों को सुरक्षा व संरक्षण प्रदान कर जैव विविधता में वृद्धि करना।

(2) वन्यजीवों के आश्रय स्थलों को चिन्हित कर उन्हें संरक्षण प्रदान करना।

(3) वन्य जीवों के सुरक्षा एवं संरक्षण से स्थानीय जन–मानस से जोड़ना।

(4) पक्षी वर्ग का संरक्षण एवं विकास करना।

(5) पर्यटकों को आकर्षित कर विदेशी मुद्रा कमाना।

प्रस्तावित उपचार

प्रत्येक रेन्ज मे ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर (कम से कम 500) हैक्टर वहाँ पर वन्य–प्राणी प्रबन्धन के अनुरूप विभिन्न कार्य करवाए जाने चाहिये। ऐसे क्षेत्र चिन्हित करने के उपरान्त, इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिये कच्ची–पक्की फैंसिग करायी जाकर वन्य–प्राणी के लिये भविष्य में ''कोर क्षेत्र'' का कार्य भी करेंगे तथा वन्य–प्राणियों पर्याप्त संख्या में स्थापित होने के उपरान्त, अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित हो सकेंगे। इन संरक्षित क्षेत्रों का उपयोग, ट्रांसलोकेशन सेन्टर के बतौर भी किया जा सकेगा। इनमें वन्य प्राणी के क्षेत्रों में पकड़े गये या घायल वन्य प्राणी को भी छोड़ा जा सकेगा। इस प्रकार के ट्रांसलोकेशन कार्य के लिये प्रत्येक वन मण्डल में कम से कम एक ट्रांक्यूलाईजर गन, मय सहायक उपकरणों के तथा दवाओं के भी होना अनिवार्य है। निम्न बिन्दुओं पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक हैं।

छायादार वृक्षारोपण, लवण लेह, अवैध कटान पर नियंत्रण, पारिस्थितिकीय विकास को बढ़ावा देना, शिकार की रोकथाम ।

(2) साझा वन (अतिच्छादी) प्रबन्धन वृत्त

सामान्य संरचना

यह कार्यवृत्त प्रथम बार राष्ट्रीय कार्य आयोजना संहिता 2004 की अनुपालना में बूंदी वन मण्डल की कार्य आयोजना में सम्मिलित किया जा रहा है। यह कार्य वृत्त समस्त वनमण्डल में अतिच्छादी रहेगा।

क्षेत्र एवं क्षेत्र का आंवटन

इस कार्य वृत्त के अंतर्गत बूंदी वनमण्डल के समस्त वन क्षेत्र व गैर वन क्षेत्र रहेंगे।

प्रबन्धन वृत्त के विशेष उद्देश्य

- वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समितियों का साझा वन प्रबन्धन के तहत वन उपज उपलब्ध कराकर, उनकी सतत् साझेदारी कायम रखते हुए, वनों का विकास करना।
- जनसहयोग से परिभ्रांषित वनों का विकास करना तथा अच्छे वनों को सुरक्षित रखना।

- स्थानीय समुदायों की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजनों के परिपेक्ष्य में वनों को सामुदायिक कल्याण से जोड़ना एवं सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना।
- बूंदी वनमण्डल से प्रचलित साझा वन प्रबन्धन प्रणाली का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना।
- साझा वन प्रबन्धन के उत्तरोत्तर विकास व सुदृढीकरण हेतु उपाय सुझाना।
- स्वंय सहायता समूह में संचय की आदत डालना तथा
- ग्रामीणों को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आर्थिक सहायता एवं सुविधा उपलब्ध करवाना।

प्रस्तावित उपचार

- जल संरक्षण संरचनाएं, सिंचाई अथवा पीने हेतु
- मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाएं ,
- पेयजल हेतु कुएं व हेण्डपम्प निर्माण अथवा मरम्मत आदि
- सम्पक्र सड़क, पुलिया निर्माण
- सामुदायिक उपयोग हेतु भवन, चबूतरा, यात्री प्रतिक्षालय, विद्यालय में कमरे शौचालय आदि
- पशु चिकित्सा शिविर
- जन चिकित्सा शिविर
- बालवाड़ी
- सिलाई, बुनाई, रेडियो रिपेयर जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्य
- अनाज बैंक, मसाला बैंक, घासबैंक आदि
- पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम
- ईंधन बचत के उपकरण व यंत्र
- स्वंय सहायता समूह द्वारा रोजगार व आय सृजन आदि

इन गतिविधियों ने निश्चित ही साझा वन प्रबन्धन को जिले में पुर्नस्थापित करने में काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।

वित्तीय पूर्वानुमान

संयुक्त वन प्रबन्धन हेतु कार्य योजना अवधि में 175 लाख रूपये व्यय संभावित हैं ।

3 अकाष्ठिय वन उपज (अतिच्छादी) प्रबन्धन वृत्त।

सामान्य संरचना :

बूंदी वन मण्डल की महत्वपूर्ण लघु वन उपज है, पत्ता तेन्दू, गोंद, शहद, मोम, घास, चारा, बबूल व खेजड़ी की फलियां, खजूर, के पत्ते आयुर्वेदिक दवाईयों के पौधे आदि। यह कार्यवृत्त समस्त अन्य कार्य वृत्तों पर अतिच्छादी रहेगा।

प्रबन्ध के विशेष उद्देश्य :

1. गौण वन उपज के संरक्षण एवं विकास के प्रयास।
2. स्थानिय निवासियों विशेषकर आदिवासियों द्वारा गौण वन उपज के वैज्ञानिक विदोहन को प्रेषित करना।
3. स्थानिय निवासियों को वन उपज विदोहन जनित रोजगार उपलब्ध कराना।
4. तेन्दू की अच्छी प्रकार की पत्तियों का अधिकाधिक एवं सतत् विदोहन करना।

गौण वन उपज के उत्पादन को बढ़ाने हेतु उपयुक्त स्थलों पर गौण वन उपज देने वाले वृक्षों, झाड़ियों, शाक आदि का वृक्षारोपण।

प्रस्तावित उपचार

1. कर्षण कार्य तीन वर्ष के अन्तराल पर 15 फरवरी से 15 मार्च के मध्य किया जावे।
2. 15 से. मी. से कम गोलाई की समस्त शाखाओं का तेजधारदार वाले औजार से शाखा कर्तन किया जावें।
3. सूखे, खोखले, अधिपरिपक्व तेन्दू वृक्षों का स्थूणन किया जावें।
4. तेन्दू वृक्ष की सतही जड़ों (लेटरल रूट्स) की छाल को छील कर मूल प्ररोहों को विकसित करने का प्रयास किया जावें।
5. वृक्षों के छत्र के अनुरूप चारों और 20.3 मीटर चौड़ी रिंग ट्रेंच अथवा ढ़ालों पर नीचे की तरफ समोच्य रेखा पर चन्द्राकार एक मीटर अर्द्धव्यास वाली, 00.3 मीटर चौड़ी खाई बनाने से जल एवं भू संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा व मूल प्ररोंहों की फुटान अधिक होगी।
6. जहां पक्व एवं अधिपरिपक्व वृक्षों का काटना सम्भव नहीं हो वहां उनकी पार्श्व शाखाओं को काट दिया जावें।

वन मण्डल बूंदी में तेन्दू के वृक्ष मुख्यतः रेंज डाबी में ही पाये जाते हैं, जिसका क्षेत्रफल 41,290.35 हैक्टेयर्स है। इस कार्य आयोजना में 20,000 हैक्टेयर्स क्षेत्र में निकाय कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। तेंदू वृक्षों से आर्थिक रूप से अच्छे व अधिक पत्ते तेन्दू प्राप्त करने के लिये निम्न अतिरिक्त उपचार प्रस्तावित है :

1. प्रति हैक्टेयर 400 बक्शा खाईयों का निर्माण (बाक्स ट्रेचेंज)।
2. प्रति हेक्टेयर 200 बाल वृक्षों (सेपलिंग्स) के थांवला निर्माण कार्य।
3. तेन्दू वृक्षों के मूल–सकर्स (रूट सकर्स) में तीव्र वृद्धि उत्पन्न करने हेतु अर्द्धचंद्राकार खाईयों का निर्माण। खाई की माप होगी 30 से.मी. × 30 से.मी. यह कार्य प्रति हैक्टेयर 200 वृक्षों में करवाया जाना है।
4. गड्ढो में तेंन्दू का बीज बुवाई कार्य। प्रति हैक्टेयर 200 गड्ढे माप 30 × 30 × 30 से.मी.। इन गड्ढ़ों में वर्षा काल में उपचारित बीज की बुवाई की जानी है।
5. संकर्षण कार्य 200 तेन्दू वृक्ष प्रति हैक्टेयर में।

5 पारिस्थितिकीय पर्यटन अध्याय

सामान्य संरचना

'पारिस्थितिकीय पर्यटन प्रथम बार बूंदी की कार्य आयोजना में प्रबन्धन की दृष्टि से सम्मिलित किया गया है। यह कार्यवृत इस कार्य योजना मे अन्य कार्यवृत्तों अतिच्छादी है, अर्थात इस कार्यवृत का क्षेत्र समस्त बूंदी वन मंडल का वन क्षेत्र रहेगा।

क्षेत्र एवं क्षेत्र का आंवटन

इस कार्य वृत्त के अंतर्गत बूंदी वनमण्डल के समस्त वन क्षेत्र व गैर वन क्षेत्र रहेंगे।

प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य

1 वन क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्थलों की पारिस्थिकी एवं जैव विविधता की सुरक्षा व संरक्षण।

2 पारिस्थिीकीय पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के प्राकृतिक सौन्दर्य का विकास व प्रदूषण से संरक्षण।

3 वन व गैरवन क्षेत्रों के पारिस्थितिक पर्यटन हेतु उपयुक्त स्थानों का चिन्हिकरण एवं विकास।

4 पारिस्थितिकीय पर्यटन को बढावा देने के लिये आधारभूत सुविधाओं का विकास।

5 पारिस्थितिकीय पर्यटन को इस प्रकार बढावा देना कि राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य एवं वन क्षेत्रों के संरक्षण एवं शैक्षणिक उद्देश्य से लोग आकर्षित हों।

6 जन सामान्य में प्राकृतिक संरक्षण के प्रति जन जागृति उत्पन्न हो।

7 वर्तमान में स्थित किले, महल व धरोहर के भवनों का संरक्षण होगा यदि पारिस्थितिकीय पर्यटन, शिक्षा या मनोरंजन हेतु ऐसे स्थ्लों पर लोग पहुंचेंगे।

8 स्थानीय संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण होगा और उनके जीवनयापन हेतु एक नवीन साधन तैयार होगा, स्थानीय जन–मानस के लिये रोजगार के साधनों में अभिवृद्धि होगी।

प्रस्तावित उपचार

- आधारभूत सुविधाएं जैसे विश्राम स्थलों, मार्गो, एयरपोर्ट, एवं आधार भूत सुविधाओं का विकास करना होगा।
- वन विभाग, वन्यजीव प्रभाग, पुलिस विभाग, स्थानीय प्रशासन यातायात विभाग, पर्यटन विभाग के मध्य समन्वय स्थापित करना होगा।
- इन पारिस्थितिकीय पर्यटन स्थलों की क्षमता से अधिक पर्यटको पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि ये क्षेत्र पारिस्थितिकीय दृष्टि से बहुत संवेदनशील होते है।
- पर्यटको को पारिस्थितिकीय–मैत्रिय (Eco Friendly) सामग्री की जानकारी देनी होगी।
- पारिस्थितिकीय पर्यटन को उत्साहित करने हेतु प्रशिक्षित पर्यटन गाईड्स जो कि अनेक भाषाओं के ज्ञाता हों कि आवश्यकता होगी, उनके लिये पाठ्यक्रम आरम्भ करने होंगे।
- लोंगों में पारिस्थितिकीय पर्यटन हेतु जन–जागृति उत्पन्न करने हेतु कदम उठाने होगें, जैसे डोक्यूमेंट्री फिल्मस के रूप में या समाचार पत्रों द्वारा प्रचार या सम्बन्धित साहित्य का वितरण ।
- बालकों के पाठ्यक्रम में पारिस्थितिकीय पर्यटन एवं पर्यावरण सम्बन्धी पाठ सम्मिलित करने के प्रयास करने होंगे।
- विस्तृत मार्ग मानचित्र, पारिस्थितिकीय क्षेत्रों को तैयार करने होंगे ताकि उनसे मार्गो की, दूरियों की, वनस्पति व वन्यजीवों की व क्षेत्र के भौतिक बातों (Physical features) की जानकारी मिल सके।

- पारिस्थितिकीय पर्यटकों को उस स्थान के सांस्कृतिक पर्यावरण की भी जानकारी मिलनी चाहिये जिसमें भाषा की पहचान, भोजन सम्बन्धी आदतें व पोशाक आदि की जानकारी हो।
- उक्त स्थल पर बूंदी क्षेत्र की हस्तशिल्प की वस्तुओं की प्रदर्शनी लगायी जानी चाहिये।

वित्तीय पूर्वानुमानः

विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिए वित्तीय अनुमान का विवरण निम्नानुसार हैं :

	इको टयूरिज्म सुविधाओं का विकास शैल्टर निर्माण, कैम्प साइट विकास, बैंच सुविधाएँ, शौचालय, पीने का पानी, बोर्ड, चिन्हीकरण कार्य साईन बोर्ड, ट्रेल, वाच टावर, बाईनोक्यूलर व अन्य	50 लाख
	ईको ट्रेल का विकास	50 लाख
	Interpretation centre	30 लाख
	प्रचार, प्रसार, प्रशिक्षण कार्य,	20 लाख
	इको टयूरिज्म सुविधाओं योजना (प्लान) निर्धारण बनाने का व्यय	25 लाख
महायोग		**175 लाख**

6. सामाजिक वानिकी प्रबन्धन

सामान्य सरंचना

सामाजिक वानिकी का कोई कार्यवृत्त गठित नही किया गया है परन्तु यह अध्याय वृक्षारोपण के ऐसे क्रिया कलापों से सम्बन्धित है जों वन क्षेत्र से बाहर आम जन सहयोग से या सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बहु उपयोगी वृक्ष प्रजातियों के पौधों का वृक्षारोपण कर विकसित करना, क्षेत्र में जैव–विविधता को संरक्षण प्रदान करना, स्थानीय लोगों की ईधन एवं छोटी ईमारती लकड़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर वन क्षेत्रों से मानव दबाव को कम करना है।

प्रबन्धन के उद्देश्य

1. स्थानिय जैव–विविधता को संरक्षण प्रदान करना।

2. व्यापक प्रचार–प्रसार कर आमजन में वृक्षारोपण के लिये जन जागृति पैदा करना।
3. जन सामान्य की जलाऊ लकड़ी एवं चारे की आवश्यकताओं की पूर्ति करना एवं शहरी क्षेत्रों में वातावरणीय शुद्धता प्रदान करना।

प्रबन्धन का विशिष्ट उद्देश्य

4. राजस्व भूमि पर सामाजिक वानिकी कार्य करने के निम्न विशिष्ट उद्देश्य हैं :–
5. रिक्त पड़ी सार्वजनिक अथवा पंचायत भूमि में उपयुक्त प्रजातियों का वृक्षारोपण व बीजारोपण कर ग्रामीण समुदाय की जलाऊ लकड़ी, चारा व छोटी लकड़ी की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
6. जलाऊ लकड़ी, चारा व छोटी लकड़ी की वैकल्पिक उपलब्ध सुनिश्चित कर वन क्षेत्र पर दबाव को कम करना और बफर क्षेत्र कायम करना।
7. उपलब्ध भूमि को वानिकी कार्य में उपयोग में लिया जाकर भूमि की उत्पादकता को बढ़ाना।

7 वन औषधि (अतिच्छादी) प्रबन्धन वृत्त

सामान्य संरचना

वनोषधि विकास एवं वनोषधि के विनाशकारी विदोहन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इस प्रबन्धन वृत का गठन किया गया है। यह प्रबन्धन वृत अन्य कार्यवृतों पर अतिच्छादी रहेगा अर्थात समस्त वन मण्डल का क्षेत्र इस कार्यवृत के अधीन होगा।

क्षेत्र एवं क्षेत्र का आंवटन

इस कार्य वृत्त के अंतर्गत बूंदी वनमण्डल के समस्त वन क्षेत्र व गैर वन क्षेत्र रहेंगे।

प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य

- वनोषधि विदोहन को नियंत्रित करना एवं हानिकारक विदोहन प्रणालियों को प्रतिबन्धित करना।
- वनोषधि विकास में जन भागीदारी प्रेरित कर स्थानीय समुदाय के वैकल्पिक आय के स्त्रोत सृजित करना।
- वनोषधि 'जीन पून' संरक्षण सुनिश्चित करना।

उपचार

- वृक्षारोपणों में वन औषधीय वाले वृक्षो का रोपण मृदा एवं जलवायु अनुसार किया जावे।
- वन औषधि से सम्बन्धित झाड़ी, क्षुप या घास से बीज गिर जाने के उपरान्त ही एकत्रीकरण की अनुमति प्रदान की जावे।
- औषधि एकत्रिकरण करने वाले ग्रामीणों का स्पष्ट निर्देश दिये जावें कि वे वन औषधि सम्बन्धित भाग का ही एकत्रीकरण करे न कि पूरे पौधे या डाल को उखाड़ देंवे।
- प्रत्येक वन औषधि एकत्रीकरण करता को समझाना होगा कि विदोहन इस प्रकार करे कि आने वाले वर्षो में वह औषधि समाप्त नहीं हो जावे जैसे जिन पौधों की जड़ें काम मे आती है, (राईजोम) उस जड़ का एक भाग मृदा में रहेन दे, समस्त जड़ नही निकाली जावें।
- जितनी वन औषधि एकत्रित की जाती है, उसका नाके व रेंज कार्यालय में रिकार्ड संधारित किया जावें।
- वन मण्डल में जो औषधिय पौधे विलुप्त होने की स्थिति में है उनके विदोहन पर पूर्णतः रोक लगाई जावे जैसे शंखपुष्पी एवं प्लेंटेगो आदि।
- वन औषधी वाली घास का एकत्रीकरण अक्टूबर के पश्चात् ही किया जावे।
- वन औषधि वाली घास का एकत्रीकरण ग्राम्य वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से ही करवाया जावे।
- प्रत्येक रेंज कार्यालय मे वन औषधी उत्पादन से सम्बन्धी साहित्य व जानकारी उपलब्ध हो ताकि कोई कृषक अपने खेत पर आर्थिक लाभ कमाने हेतु कोई उपयुक्त वन औषधी लगा कर विक्रय करना चाहे तो उनको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
- पौधशालाओं में भी वितरण हेतु वन औषधी वाले वृक्षों के पौधे तैयार कर स्थानीय ग्रामीणों को बेचे जावे व उनके लाभ व विपणन की जानकारी दी जावे।

8 विविध विनियमन

वन मण्डल मे वनाग्नि सुरक्षा प्रणाली, प्रशिक्षण, फायर लाइन निर्माण व संधारण, वनाग्नि रक्षक, वाच टावर निर्माण, उपकरण खरीद, कार्यालय भवन व आवासीय सुविधाएँ पौधशालाओं का उन्नयन आदि विविध कार्या मे योजना काल मे 150 लाख रूपये का व्यय प्रस्तावित है।

सामान्य वित्तीय पूर्वानुमान

क. स.	प्रबन्धन कार्य वृत्त/कार्य	व्यय अनुमान लाख रूपयों में	कार्यआयोजना में उपचार प्रस्तावित क्षेत्रफल
	I प्रधान कार्यवृत्त **Principal Working Circles**		
1	भूसंरक्षण एवं पुर्नवास कार्यवृत्त Soil Conservation & Rehabilitation Working Circle	3256	10000
2	चारा प्रबन्धन वृत्त Fodder Management Working Circle	3270	7000
3	वृक्षारोपण Plantation	3956	8000
4	शैल्टर बेल्ट कार्यवृत Shelter Belt Working Circle	538	+ रोड साईड+केनाल साईड
	II अतिच्छादी कार्यवृत्त **Overlapping Working Circles**	0	
1	वन सुरक्षा प्रबन्धन वृत्त Forest Protection Working Circle	5087	
2	वन्य जीव (अतिच्छादी) प्रबन्धन वृत्त Wild Life (Overlapping) Management Working Circle	375	
3	साझा वन (अतिच्छादी) प्रबन्धन वृत्त Joint Forest (Overlapping) Management Working Circle	175	
4	अकाष्ठिय वन उपज (अतिच्छादी) कार्य वृत्त Non timber Forest Produce (Overlapping) Working Circle	350	
5	पारिस्थितिक पर्यटन Eco-Tourism (Overlapping)	175	
7	सामाजिक वानीकी Social Forestry	150	
8	विविध विनियमन Miscellaneous Equations	150	
9	Records / अभिलेख	5.00	
10	अधिष्ठान व श्रमिक वर्ग Establishment and Labour	25.00	
11	Contingency Fund (15 प्रतिशत)	1750	
	योग	**19262**	**25000**

कार्य आयोजना काल – 10 वर्ष (2013-14 से 2022-23)

परीशिष्ट– I

बूंदी वनमण्डल का क्षेत्रफल विवरण

	रेंज	वनखण्ड	कुल सविभागं	संविभाग संख्या	धोंक	परिभ्रांषित धोंक	घास एवं प्रोसोपिस जलीफ्लोरा	मिश्रित वन	रिक्त	संविभाग क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल	कार्यवृत्त		घनत्व
1	हिण्डोली	रेण बी0	2	1			75	31	90.39	196.39	401.85	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	रेण बी0		2			75	10	120.46	205.46		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
2	हिण्डोली	टोकडा ए0	2	1	40		60	20	127.94	247.94	429.19	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	टोकडा ए0		2			25	0	156.25	181.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
3	हिण्डोली	टोकडा बी0	1	1	10	2		25	529.82	566.82	566.82	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
4	हिण्डोली	पीपलझर	1	1			30	58.89		88.89	88.89	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
5	हिण्डोली	बडगांव	1	1			10	104.63	25	139.63	139.63	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
6	हिण्डोली	पेंच की बावडी	1	1	0.5				0.14	0.64	0.64	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
7	हिण्डोली	चतरगंज ए0	1	1	1			0.53	1	2.53	2.53	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
8	हिण्डोली	उमरमाता	12	1			40	0	56.25	96.25	1869.72	घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	उमरमाता		2			110	0	22.5	132.50		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	उमरमाता		3			30	0	208.75	238.75		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	उमरमाता		4			30	0	76.25	106.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	उमरमाता		5	19	110		31	95	255.00		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	उमरमाता		6	35	5	5	20	48.75	113.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	हिण्डोली	उमरमाता		7	11	70		20	45.25	146.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	उमरमाता		8	21	57		43	120.97	241.97		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	उमरमाता		9	7	13		23	130.5	173.50		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	उमरमाता		10				10	140	150.00		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	उमरमाता		11			15	7	75.5	97.50		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	उमरमाता		12			38	0	80	118.00		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
9	हिण्डोली	चतरगंज बी0	1	1			7	9.97		16.97	16.97	घास एवं चराई कार्य वृत्त	अवर्गिकृत	0.1 से 0.4
10	हिण्डोली	दीवानजी का बाग	1	1				4	1.4	5.40	5.40	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	अवर्गिकृत	0.1 से 0.4
11	हिण्डोली	अकलोर पानीढाल	7	1	30		15	95	161.25	301.25	1445.36	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	अकलोर पानीढाल		2	23		11	63	138	235.00		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	अकलोर पानीढाल		3	16		14	10	162.5	202.50		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	अकलोर पानीढाल		4	14		8	12	144.75	178.75		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	अकलोर पानीढाल		5	10		5	5	172.86	192.86		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	अकलोर पानीढाल		6	16		8	8	134.25	166.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	अकलोर पानीढाल		7	16		16	8	128.75	168.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
12	हिण्डोली	गोकुलपुरा	2	1			32	0	105.4	137.40	221.15	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	गोकुलपुरा		2			22	0	61.75	83.75		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
13	हिण्डोली	औधन्धा	12	1			10	70	54	134.00	2854.22	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1

बूंदी वनमण्डल का क्षेत्रफल विवरण

	रेंज	वनखण्ड	कुल सविभागं	संविभाग संख्या	धोंक	परिभ्रांषित धोंक	वास एवं प्रोसोपिस जलीफ्लोरा	मिश्रित वन	रिक्त	संविभाग क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल	कार्यवृत्त		घनत्व
	हिण्डोली	औधन्धा		2			22	70	214	306.00		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	औधन्धा		3			40	60	116.5	216.50		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	औधन्धा		4		23		118	67.72	208.72		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	हिण्डोली	औधन्धा		5			5	96	125	226.00		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	औधन्धा		6			16	15	180.03	211.03		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	औधन्धा		7			215	0	79	294.00		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	औधन्धा		8			62	0	163	225.00		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	औधन्धा		9		29	64	0	186	279.00		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	औधन्धा		10		30	30	23	170.5	253.50		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	औधन्धा		11			26	143	122.25	291.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	औधन्धा		12			43	98	68.22	209.22		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
14	हिण्डोली	रेण ए0	3	1			75	0	169.14	244.14	723.89	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	रेण ए0		2			65	0	194	259.00		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	रेण ए0		3			70	0	150.75	220.75		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
15	हिण्डोली	बन्धा का खेडा	4	1			75	0	100	175.00	703.21	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	बन्धा का खेडा		2			70	0	110	180.00		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	बन्धा का खेडा		3			106	0	58.46	164.46		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	बन्धा का खेडा		4			80	0	103.75	183.75		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
16	हिण्डोली	फालेण्डा	6	1			14	14	114.5	142.50	775.56	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	फालेण्डा		2			13	13	107.75	133.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	फालेण्डा		3			21	21	117.31	159.31		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	फालेण्डा		4			29	43	94.25	166.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	फालेण्डा		5			9	6	65	80.00		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	फालेण्डा		6			4	4	85.75	93.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
17	हिण्डोली	उमर पगारा	9	1			50	0	102.5	152.50	2324.29	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	उमर पगारा		2			42	0	170.5	212.50		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	उमर पगारा		3			66	0	200.25	266.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	उमर पगारा		4			25	0	240	265.00		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	उमर पगारा		5			105	0	170	275.00		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	उमर पगारा		6			32	0	240.5	272.50		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	उमर पगारा		7			60	0	206.25	266.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	उमर पगारा		8			80	40	195	315.00		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	उमर पगारा		9			102	89	108.29	299.29		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
18	हिण्डोली	विजयगढ़ बी0	7	1	31	10	15	86	168	310.00	1510.31	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	विजयगढ़ बी0		2	13		12	58	77.31	160.31		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	विजयगढ़ बी0		3	25	8	25	49	143	250.00		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	विजयगढ़ बी0		4	16	3	6	43	62	130.00		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1

बूंदी वनमण्डल का क्षेत्रफल विवरण

	रेंज	वनखण्ड	कुल सविभागं	संविभाग संख्या	धोंक	परिभ्रांषित धोंक	वास एवं प्रोसोपिस जलीफ्लोरा	मिश्रित वन	रिक्त	संविभाग क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल	कार्यवृत्त		घनत्व
	हिण्डोली	विजयगढ़ बी0		5	30	10	13	47	175	275.00		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	विजयगढ़ बी0		6	22	7	11	26	156.5	222.50		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	विजयगढ़ बी0		7	18	3	11	16	114.5	162.50		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
19	हिण्डोली	नेगढ़	1	1			40	0	72.63	112.63	112.63	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
20	हिण्डोली	हिण्डोली काछोला	12	1	10.00		10.00	21	171.75	212.75	3171.04	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	हिण्डोली काछोला		2	14.00		14.00	28	231.50	287.50		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	हिण्डोली काछोला		3	27.00		14.00	13	223.50	277.50		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	हिण्डोली काछोला		4	22.00		19.00	28	212.25	281.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	हिण्डोली काछोला		5	15.00		15.00	31	254.00	315.00		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	हिण्डोली काछोला		6	26.00		13.00	26	200.00	265.00		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	हिण्डोली काछोला		7	21.00		18.00	13	218.00	270.00		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	हिण्डोली काछोला		8	10.00		14.00	12	196.50	232.50		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	हिण्डोली काछोला		9	13.00		20.00	23	186.04	242.04		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	हिण्डोली काछोला		10	30.00		18.00	42	210.00	300.00		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	हिण्डोली काछोला		11	12.00		10.00	124	110.25	256.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	हिण्डोली	हिण्डोली काछोला		12	14.00		9.00	23	185.25	231.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
21	हिण्डोली	मराडी बांडी का खेडा	10	1			21	30	170	221.00	1985.35	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	मराडी बांडी का खेडा		2			19	26	197.25	242.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	मराडी बांडी का खेडा		3			24	48	129.85	201.85		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	मराडी बांडी का खेडा		4			10	24	144	178.00		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	मराडी बांडी का खेडा		5			13	36	116.5	165.50		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	मराडी बांडी का खेडा		6	7.00		14	21	99	141.00		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	मराडी बांडी का खेडा		7	25		12	37	176	250.00		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	मराडी बांडी का खेडा		8	7		11	4	206	228.00		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	मराडी बांडी का खेडा		9			21	31	158.25	210.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	मराडी बांडी का खेडा		10			14	29	104.5	147.50		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
22	हिण्डोली	ओवन	13	1			75	0	82.5	157.50	2180.50	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	ओवन		2			101	0	54	155.00		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	ओवन		3			35	0	159.75	194.75		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	ओवन		4			92	32	92.25	216.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	ओवन		5			73	0	62	135.00		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	ओवन		6			90	0	63.75	153.75		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	ओवन		7			129	0	56	185.00		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	ओवन		8			41	37	72	150.00		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	ओवन		9			55	0	112.5	167.50		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	ओवन		10			87	0	39.25	126.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	ओवन		11			96	0	79	175.00		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1

बूंदी वनमण्डल का क्षेत्रफल विवरण

	रेंज	वनखण्ड	कुल सविभागं	संविभाग संख्या	धोंक	परिभ्रांषित धोंक	वास एवं प्रोसोपिस जलीफ्लोरा	मिश्रित वन	रिक्त	संविभाग क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल	कार्यवृत्त		घनत्व
	हिण्डोली	ओवन		12	56	12	82	0	57.5	207.50		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	ओवन		13	72	17	39	0	29	157.00		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
23	हिण्डोली	विजयगढ़ ए0	2	1			40	86	115.25	241.25	353.50	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	विजयगढ़ ए0		2			20	30	62.25	112.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
24	हिण्डोली	हिण्डोली (uc)	1	1				10	34.33	44.33	44.33	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
25	हिण्डोली	रूणिजा बाग	1	1				0.75	0.7	1.45	1.45	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	अवर्गिकृत	0.0 से 0.1
26	हिण्डोली	मराडी ए	1	1	2	1	2	0.6	1.6	7.2	7.2	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	अवर्गिकृत	0.0 से 0.1
27	हिण्डोली	थाना	1	1			35	20	76.25	131.25	131.25	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	अवर्गिकृत	0.0 से 0.1
28	हिण्डोली	डाटून्दा	16	1	19		9	29	136.75	193.75	2867.11	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	डाटून्दा		2	17		17	24	117	175.00		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	डाटून्दा		3	18		9	28	131.61	186.61		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	डाटून्दा		4	8		8	35	124.5	175.50		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	डाटून्दा		5	17		8	25	120	170.00		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	डाटून्दा		6	22		22	22	156.5	222.50		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	डाटून्दा		7	15		13	28	132.75	188.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	डाटून्दा		8	59		6	32	64.25	161.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	हिण्डोली	डाटून्दा		9	9		14	11	84.75	118.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	डाटून्दा		10	7		14	21	98	140.00		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	डाटून्दा		11	15		7	23	110	155.00		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	डाटून्दा		12	18		14	21	128.25	181.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	डाटून्दा		13	9		23	16	118.25	166.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	डाटून्दा		14	19		9	29	136.75	193.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	डाटून्दा		15	74		24	95	50.75	243.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	हिण्डोली	डाटून्दा		16	15		15	27	138	195.00		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
29	हिण्डोली	खीण्या	13	1	56	44	2	7	32.25	141.25	1926.60	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	खीण्या		2	46	55	6	11	42	160.00		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	खीण्या		3	26	59	0	24	36	145.00		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	खीण्या		4	42	112	0	12	22.75	188.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	खीण्या		5	82	15	0	17	26	140.00		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	हिण्डोली	खीण्या		6	25	23	0	25	15.6	88.60		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	हिण्डोली	खीण्या		7	86	6	0	33	17.5	142.50		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	हिण्डोली	खीण्या		8	72	13		40	21.25	146.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	हिण्डोली	खीण्या		9	32	6	0	28.75	12	78.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	हिण्डोली	खीण्या		10	73	23	0	39	36.25	171.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	हिण्डोली	खीण्या		11	140	12.5	0	28	25	205.50		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	हिण्डोली	खीण्या		12	54	21	0	30.75	58	163.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	हिण्डोली	खीण्या		13	72	30	0	28	25	155.00		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
30	हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़	18	1	53	125	0	25	85	288.00	3628.45	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1

बूंदी वनमण्डल का क्षेत्रफल विवरण

	रेंज	वनखण्ड	कुल सविभागं	संविभाग संख्या	धोंक	परिभ्रांषित धोंक	वास ऐप प्रोसोपिस जलीफ्लोरा	मिश्रित वन	रिक्त	संविभाग क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल	कार्यवृत्त		घनत्व
	हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़		2	15	72	0	8	81.7	176.70		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़		3	30	85	0	12	65	192.00		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़		4	20	78	0	0	99	197.00		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़		5	98	50	0	32	50	230.00		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़		6	152	32	0	0	67.5	251.50		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़		7	164	24	0	0	34.5	222.50		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़		8	169	23	0	0	55.25	247.25		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़		9	76	22	0	0	39.5	137.50		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़		10	52	20	0	0	40.5	112.50		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़		11	161	62	0	0	58.5	281.50		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़		12	78	52	0	0	56	186.00		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़		13	68	35	0	0	36.5	139.50		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़		14	94	113	0	0	50.5	257.50		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़		15	105	52	0	0	44.5	201.50		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़		16	85	34	0	0	58.75	177.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़		17	94	41	0	0	58.5	193.50		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	हिण्डोली	नाहरगढ़ भोजगढ़		18	35	78	0	0	23.25	136.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	हिण्डोली	**30**	**162**		**3503.5**	**1827.5**	**4185**	**3619.9**	**17353.17**	**30489.04**	**30489.04**			
								#REF!						
1	नैनवा	नैनवा–देई	1	1	0	0	8	128	24.66	160.66	160.66	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
2	नैनवा	लाम्बाबरडा	1	1	9.61	0	0	12		21.61	21.61	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
3	नैनवा	जजावर ए	20	1	0	38	76	19	18.25	151.25	3476.54	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	जजावर ए		2	0	23	47	12	35.5	117.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	जजावर ए		3	0	33	67	7.75	10	117.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	जजावर ए		4	0	69	139	34	105.5	347.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	जजावर ए		5	0	24	48	17	36	125		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	जजावर ए		6	0	53	50	26	32.25	161.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	जजावर ए		7	0	34	68	17	52.25	171.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	जजावर ए		8	0	42	82	6	75	205		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	जजावर ए		9	0	52	50	26	74.5	202.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	जजावर ए		10	0	46	25.54	23	70	164.54		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	जजावर ए		11	0	17	33	9	24.75	83.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	जजावर ए		12	0	35	72	18	50	175		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	जजावर ए		13	0	62	71	32	90.5	255.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1

बूंदी वनमण्डल का क्षेत्रफल विवरण

	रेंज	वनखण्ड	कुल सविभागं	संविभाग संख्या	धोंक	परिभ्रांषित धोंक	वास एवं प्रोसोपिस जलीफ्लोरा	मिश्रित वन	रिक्त	संविभाग क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल	कार्यवृत्त		घनत्व
	नैनवा	जजावर ए		14	0	42	82	22	57.75	203.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	जजावर ए		15	0	22	41	12	27.5	102.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	जजावर ए		16	0	34	69	17	52.5	172.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	जजावर ए		17	0	19	38	9	30.25	96.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	जजावर ए		18	0	38	76	19	57	190		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	जजावर ए		19	0	36	72	18	51.5	177.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	जजावर ए		20	0	52	104	26	74.25	256.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
4	नैनवा	जजावर बी	1	1	54		14	3	17.91	88.91	88.91	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
5	नैनवा	जजावर सी	1	1		14	84	24.04	27	149.04	149.04	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
6	नैनवा	मीनों का झोपडिया	1	1	123	98	19	5.12		245.12	245.12	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	अवर्गिकृत	0.1 से 0.4
7	नैनवा	नन्दगांव	1	1	0	0	0	0	272.34	272.34	272.34	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	अवर्गिकृत	0.0 से 0.1
8	नैनवा	पौधशाला नैनवा	1	1				2.36		2.36	2.36	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
9	नैनवा	बाछोला	1	1	0	0	13	0	116.88	129.88	129.88	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
10	नैनवा	कोरमा	1	1	0	0	22	4	22.86	48.86	48.86	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
11	नैनवा	मरा फतेहपुरा सी	1	1				49	14.96	63.96	63.96	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
12	नैनवा	मरा फतेहपुरा डी	1	1				70	30.54	100.54	100.54	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
13	नैनवा	मरा फतेहपुरा बी	1	1				29.54	18.75	48.29	48.29	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
14	नैनवा	नैनवा–देई बी	1	1	0	0	74	9	25.8	108.8	108.80	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
15	नैनवा	नैनवा–देई सी	1	1	0	0	48	10	15.99	73.99	73.99	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
16	नैनवा	नैनवा–देई डी	2	1				89	75.95	164.95	311.80	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	नैनवा–देई डी		2				95	51.85	146.85		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
27	नैनवा	लक्ष्मीपुरा चैनपुरा ए	1	1	0	0	0	75	22.9	97.9	97.90	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
18	नैनवा	लक्ष्मीपुरा चैनपुरा बी	4	1	0	0	79	32	115.25	226.25	768.38	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	लक्ष्मीपुरा चैनपुरा बी		2	0	0	78	34	111.75	223.75		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	लक्ष्मीपुरा चैनपुरा बी		3	0	0	46	19	81.62	146.62		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	लक्ष्मीपुरा चैनपुरा बी		4	0	0	72	32	67.76	171.76		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
19	नैनवा	लक्ष्मीपुरा चैनपुरा सी	1	1	0	0	79	102.43	90	271.43	271.43	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
20	नैनवा	लक्ष्मीपुरा चैनपुरा डी	2	1	0	0	42	32	89.75	163.75	314.3	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	लक्ष्मीपुरा चैनपुरा डी		2	0	0	44	19	87.55	150.55		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
21	नैनवा	तलवास	24	1	152	0	21	13	15.25	201.25	4278.01	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	तलवास		2	142	0	19	19	60	240		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	तलवास		3	118	0	26	28	99.25	271.25		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	तलवास		4	47	0	6	6	33.5	92.5		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	तलवास		5	56	0	7	7	23.75	93.75		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4

बूंदी वनमण्डल का क्षेत्रफल विवरण

	रेंज	वनखण्ड	कुल सविभागं	संविभाग संख्या	धोंक	परिभ्रांषित धोंक	वास एवं प्रोसोपिस जलीफ्लोरा	मिश्रित वन	रिक्त	संविभाग क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल	कार्यवृत्त		घनत्व
	नैनवा	तलवास		6	119	0	15	16	8.75	158.75		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	तलवास		7	132	0	17	17	10.25	176.25		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	तलवास		8	162	0	22	22	10.25	216.25		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	तलवास		9	128	0	17	17	9.25	171.25		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	तलवास		10	172	0	22	22	11.5	227.5		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	तलवास		11	122	0	16	16	27.01	181.01		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	तलवास		12	134	0	18	18	8.75	178.75		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	तलवास		13	154	0	21	21	10.25	206.25		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	तलवास		14	109	0	14	14	9.25	146.25		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	तलवास		15	92	0	12	12	28.5	144.5		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	तलवास		16	123	0	62	11	9	205		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	तलवास		17	107	0	14	14	8.75	143.75		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	तलवास		18	28	0	4	4	1.5	37.5		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	तलवास		19	164	0	82	14	13.75	273.75		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	तलवास		20	182	0	24	24	12.5	242.5		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	तलवास		21	89	0	12	82	5.75	188.75		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	तलवास		22	198	0	26	26	15	265		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	तलवास		23	87	0	12	12	5.25	116.25		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	तलवास		24	76	0	8	9	7	100		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
22	नैनवा	बांसी दूगारी	5	1	0	26	67	24	138	255	926.68	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	बांसी दूगारी		2	0	19	59	21	97.25	196.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	बांसी दूगारी		3	0	21	57	19	96.25	193.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	बांसी दूगारी		4	0	24	72	23	84.61	203.61		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	बांसी दूगारी		5	0	6	18	6	48.57	78.57		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
23	नैनवा	नैनवा–देई ए	6	1	0	0	162	54	24.39	240.39	1204.14	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	नैनवा–देई ए		2	0	0	72	24	22.75	118.75		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	नैनवा–देई ए		3	0	0	94	32	30.25	156.25		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	नैनवा–देई ए		4	0	0	135	46	44	225		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	नैनवा–देई ए		5	0	0	128	43	42.75	213.75		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	नैनवा–देई ए		6	0	0	156	43	51	250		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
24	नैनवा	मरा फतेहपुरा ई	9	1	37			46	67	150	1408.78	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	मरा फतेहपुरा ई		2	25		36	51	44.25	156.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	मरा फतेहपुरा ई		3	61			35	57.39	153.39		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	मरा फतेहपुरा ई		4	61			97.53	16	174.53		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4

बूंदी वनमण्डल का क्षेत्रफल विवरण

	रेंज	वनखण्ड	कुल सविभागं	संविभाग संख्या	धोंक	परिभ्रांषित धोंक	वास एवं प्रोसोपिस जलीफ्लोरा	मिश्रित वन	रिक्त	संविभाग क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल	कार्यवृत्त		घनत्व
	नैनवा	मरा फतेहपुरा ई		5	21		16	94	78.61	209.61		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	मरा फतेहपुरा ई		6	38			26	38.5	102.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	मरा फतेहपुरा ई		7	27		10	56	47	140		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	मरा फतेहपुरा ई		8	12		54	128	68.5	262.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	मरा फतेहपुरा ई		9	16		5	29	10	60		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
25	नैनवा	बाग बासी	1	1			2.1	0	4	6.1	6.10	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
26	नैनवा	पीपल्या माणक चौंक(Part)	2	21	154	11	28	35	9.75	237.75	304	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	नैनवा	पीपल्या माणक चौंक(Part)		22	43	3	7	9	4.25	66.25		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
27	नैनवा	गुढ़ा गोपालजी	1	1			22.26	5	10	37.26	37.26	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	नैनवा	**27**	92		3574.61	993	3729.9	2635.8	3986.4	14919.68	14919.68			
								#REF!						
1	इन्द्रगढ़	मोहनपुरा	14	1	36	8	10	12	11.8	77.8	1777.58	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	इन्द्रगढ़	मोहनपुरा		2				56	37.98	93.98		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	मोहनपुरा		3	33	12	6	15	10.2	76.2		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	इन्द्रगढ़	मोहनपुरा		4	56	13	14	16	11.2	110.2		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	मोहनपुरा		5	68	16	11	17	14.4	126.4		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	इन्द्रगढ़	मोहनपुरा		6	72	3	4	62	21	162		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	इन्द्रगढ़	मोहनपुरा		7	88	10	20	23	32.4	173.4		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	मोहनपुरा		8	83	19	25	22	23.6	172.6		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	मोहनपुरा		9	49	4	7	12	23.2	95.2		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	इन्द्रगढ़	मोहनपुरा		10	42	11	8	57	10	128		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	मोहनपुरा		11	103	26	13	23	29.4	194.4		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	इन्द्रगढ़	मोहनपुरा		12	66	6	9	18	14.4	113.4		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	मोहनपुरा		13	81	17	27	15	12.3	152.3		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	मोहनपुरा		14	58	7	13	10	13.7	101.7		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
2	इन्द्रगढ़	कांकरा	9	1	40	15	10	30	36.25	131.25	1372.83	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	कांकरा		2	125	22	20	15	20.5	202.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	कांकरा		3	60	5	8	22	20	115		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	कांकरा		4	135	16	12	43	23.83	229.83		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	कांकरा		5	120	2	4	16	1.75	143.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	कांकरा		6	85	5	10	27	54.25	181.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	कांकरा		7	60	10	7	22	27.25	126.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	कांकरा		8	64	15	4	10	32	125		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	कांकरा		9	50	5	12	28	23	118		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4

बूंदी वनमण्डल का क्षेत्रफल विवरण

	रेंज	वनखण्ड	कुल सविभागं	संविभाग संख्या	धोंक	परिभ्रांषित धोंक	वास एप प्रोसोपिस जलीफ्लोरा	मिश्रित वन	रिक्त	संविभाग क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल	कार्यवृत्त		घनत्व
3	इन्द्रगढ़	लाखेरी	12	1	47	12	20	24	75.75	178.75	2435.18	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	लाखेरी		2	90	25	18	37	70	240		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	लाखेरी		3	83	10	38	45	89	265		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	लाखेरी		4	10	80		112	25	227		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	लाखेरी		5	65	14		89.75	30	198.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	लाखेरी		6	50	25	8	70	50.75	203.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	लाखेरी		7	68.5	26	36	59	98	287.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	लाखेरी		8	48	10	7	88.25	18	171.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	लाखेरी		9	66	6	3	69	83.5	227.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	लाखेरी		10	36	10	5	50.25	15	116.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	लाखेरी		11	35	5		20	58.18	118.18		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	लाखेरी		12	50	8	2	72.25	69	201.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
4	इन्द्रगढ़	पापडी	2	1	55	15	15	88.75	20	193.75	367.72	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	पापडी		2	60	20	20	47.97	26	173.97		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
5	इन्द्रगढ़	पीपलदा	1	1	35	10	15	30	52.26	142.26	142.26	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
6	इन्द्रगढ़	बनकी डडवाड़ा ए	1	1	35	10	85	50	63.76	243.76	243.76	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
7	इन्द्रगढ़	बनकी डडवाड़ा बी	1	1	55	25	130	40	108.1	358.1	358.10	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
8	इन्द्रगढ़	बनकी डडवाड़ा सी	1	1	50	10	35	35.19	25	155.19	155.19	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
9	इन्द्रगढ़	बनकी डडवाड़ा डी	1	1	50	5		28	37.41	120.41	120.41	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
10	इन्द्रगढ़	सालमदरा ए0	1	1	35	10	5	10	29.7	89.7	89.70	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
11	इन्द्रगढ़	सालमदरा बी0	1	1	55	15	10	20	39.19	139.19	139.19	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
12	इन्द्रगढ़	सालमदरा सी0	2	1	45	15	25	68.75	10	163.75	256.54	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	सालमदरा सी0		2	25	10	5	15	37.79	92.79		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
13	इन्द्रगढ़	सालमदरा डी0	1	1	75	35	10	20	37.72	177.72	177.72	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
14	इन्द्रगढ़	बांकलिया महादेव	2	1	40	16	23.6	64	56	199.6	438.00	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	बांकलिया महादेव		2	37	23	25	112	41.4	238.4		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
15	इन्द्रगढ़	कौलाशपुरा	1	1	35	18	25	126.16	36	240.16	240.16	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
16	इन्द्रगढ़	रामनगर	1	1	15	4	5	9.02	5	38.02	38.02	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
17	इन्द्रगढ़	सखावदा	1	1	5	2	2	4.88	2	15.88	15.88	घास एवं चराई कार्य वृत्त	अवर्गिकृत	0.1 से 0.4
18	इन्द्रगढ़	अणघौरा	1	1	4	1	2	1	2.89	10.89	10.89	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	अवर्गिकृत	0.1 से 0.4
19	इन्द्रगढ़	फोलाई (Part)	13	2	70	15		80	10	175	2265.64	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	फोलाई (Part)		3	60	30	5	23.75	30	148.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	फोलाई (Part)		4	50	40	3	130	34.5	257.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	फोलाई (Part)		5	35	25		69.5	13	142.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4

बूंदी वनमण्डल का क्षेत्रफल विवरण

	रेंज	वनखण्ड	कुल सविभागं	संविभाग संख्या	धोंक	परिभ्रांषित धोंक	वास एवं प्रोसोपिस जलीफ्लोरा	मिश्रित वन	रिक्त	संविभाग क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल	कार्यवृत्त		घनत्व
	इन्द्रगढ़	फोलाई (Part)		6	25	15		37.64	15	92.64		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	फोलाई (Part)		7	95	35		38	50.75	218.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	फोलाई (Part)		8	110	50		37	88	285		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	फोलाई (Part)		9	75	25		17	61.75	178.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	फोलाई (Part)		10	50	25		87.75	16	178.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	फोलाई (Part)		11	45	20		63.75	15	143.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	फोलाई (Part)		12	30	20		20	28.75	98.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	फोलाई (Part)		13	70	30		93	30	223		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	फोलाई (Part)		14	40	25		37.5	20	122.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
20	इन्द्रगढ़	माताजीवाला	4	1		25	3	60	47.7	135.7	440.06	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	इन्द्रगढ़	माताजीवाला		2	40	4	5	15	35.64	99.64		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	माताजीवाला		3	45	15		23	36.82	119.82		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	माताजीवाला		4	40	0	3	13	28.9	84.9		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
21	इन्द्रगढ़	गढवाला	6	1	20	30	6	17	38.48	111.48	949.41	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	इन्द्रगढ़	गढवाला		2	85	16	2	25	39.5	167.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	गढवाला		3	92	25	10	13.01	68.1	208.11		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	गढवाला		4	120	14	5	15	39.1	193.1		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	गढवाला		5	10	0	5	44	34.22	93.22		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	गढवाला		6	90	15	8	21	42	176		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
22	इन्द्रगढ़	गैंण्डोली	12	1	15	4	5	65	43.5	132.5	1732.14	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	गैंण्डोली		2	12	8		4	8.5	32.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	गैंण्डोली		3	25	6	3	12	12.75	58.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	गैंण्डोली		4	54	18		30	14.25	116.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	गैंण्डोली		5	63	48		20	34.64	165.64		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	गैंण्डोली		6	65	36		23	38.5	162.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	गैंण्डोली		7	80			12	60.5	152.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	गैंण्डोली		8	25	14		35	20.75	94.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	गैंण्डोली		9	57			25	57.75	139.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	गैंण्डोली		10	85	40		45	60	230		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	गैंण्डोली		11	70	55		35	23.25	183.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	गैंण्डोली		12	140	65		25	33.75	263.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
23	इन्द्रगढ़	माखीदा	1	1	20	5	15	5	13.22	58.22	58.22	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
24	इन्द्रगढ़	पाली–बसवाडा	1	1	120	80	25	35	110.2	370.2	370.20	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
25	इन्द्रगढ़	गोहाटा	1	1	50	10	30	40	121.63	251.63	251.63	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1

बूंदी वनमण्डल का क्षेत्रफल विवरण

	रेंज	वनखण्ड	कुल सविभागं	संविभाग संख्या	धोंक	परिभ्रांषित धोंक	वास एवं प्रोसोपिस जलीफ्लोरा	मिश्रित वन	रिक्त	संविभाग क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल	कार्यवृत्त		घनत्व
26	इन्द्रगढ़	कोटाखुर्द	1	1			45	75	117.96	237.96	237.96	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
27	इन्द्रगढ़	बहडावली	1	1			30	50	29.46	109.46	109.46	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	अवर्गिकृत	0.0 से 0.1
28	इन्द्रगढ़	करवाला की झोपडिया	1	1			25	13	19.56	57.56	57.56	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
29	इन्द्रगढ़	कोटाखुर्द बी0	1	1			25	45	38.61	108.61	108.61	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	अवर्गिकृत	0.0 से 0.1
30	इन्द्रगढ़	बीड़ बटावती	1	1				0	40.44	40.44	40.44	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
31	इन्द्रगढ़	अरियाली बुडकरवर	9	1	65	16	10	120	59	270	1559.92	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	अरियाली बुडकरवर		2	21	125	5	55	62.75	268.75		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	इन्द्रगढ़	अरियाली बुडकरवर		3	15	80	10	25	31.25	161.25		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	इन्द्रगढ़	अरियाली बुडकरवर		4	16	120	15	16	41.75	208.75		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	इन्द्रगढ़	अरियाली बुडकरवर		5	45	8	7	11	20.25	91.25		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	अरियाली बुडकरवर		6	53	12	15	15	27.5	122.5		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	अरियाली बुडकरवर		7	50	12	10	20	25.42	117.42		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	अरियाली बुडकरवर		8	20	6	4	16	29	75		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	इन्द्रगढ़	अरियाली बुडकरवर		9	115	40	12	32	46	245		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
32	इन्द्रगढ़	बलवन	6	1	15		15	24	30.2	84.2	509.43	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	इन्द्रगढ़	बलवन		2	14		25	15	32.8	86.8		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	इन्द्रगढ़	बलवन		3	9		21	19	38.43	87.43		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	इन्द्रगढ़	बलवन		4	26		23	18	40.4	107.4		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	इन्द्रगढ़	बलवन		5	0	35	4	6	6	51		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	इन्द्रगढ़	बलवन		6	11		35	25	21.6	92.6		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	इन्द्रगढ़	**32**	**111**		**5586.5**	**2064**	**1297.6**	**4070.1**	**4051.59**	**17069.81**	**17069.81**			
								#REF!						
1	डाबी	डाबी पलकां	15	1			12	41	200.75	253.75	3442.37	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	डाबी पलकां		2	45		14	42	177.75	278.75		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	डाबी पलकां		3	43		11	41	105	200		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	डाबी पलकां		4	41		10	32	135.75	218.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	डाबी पलकां		5	38		13	20.37	112	183.37		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	डाबी पलकां		6	39		11	0	193.75	243.75		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	डाबी पलकां		7	34		19	0	209.5	262.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	डाबी पलकां		8	32		18	30	235	315		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	डाबी पलकां		9	28		11	102.5	31	172.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	डाबी पलकां		10	29		9	179	33	250		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	डाबी पलकां		11	36		10	118.25	22	186.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	डाबी पलकां		12	25		12	277	21	335		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4

बूंदी वनमण्डल का क्षेत्रफल विवरण

	रेंज	वनखण्ड	कुल सविभागं	संविभाग संख्या	धोंक	परिभ्रांषित धोंक	वास एवं प्रोसोपिस जलीफ्लोरा	मिश्रित वन	रिक्त	संविभाग क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल	कार्यवृत्त		घनत्व
	डाबी	डाबी पलकां		13	41		13	99.75	20	173.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	डाबी पलकां		14	40		7	132.25	27	206.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	डाबी पलकां		15	32		4	102.75	24	162.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
2	डाबी	गुवांर	22	1	36	12	14	73.98	106	241.98	4672.98	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	गुवांर		2	52		13	74	134.75	273.75		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	गुवांर		3	56	12		35	58.25	161.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	गुवांर		4	46	9		63	132	250		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	गुवांर		5	85	8	5	12	160	270		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	गुवांर		6	52	5	3	34	133.5	227.5		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	गुवांर		7	23		5	56	111	195		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	गुवांर		8	46	8	12.2	35	211.3	312.5		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	गुवांर		9	75	6	26	89	136.5	332.5		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	गुवांर		10	25		26	78	156	285		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	गुवांर		11	41	12	26	47	89	215		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	गुवांर		12	26	21	19	59	111.25	236.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	गुवांर		13	25	21	12	35	47	140		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	गुवांर		14	23	26	12	12	33.25	106.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	गुवांर		15	12	16	14	23	21.25	86.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	गुवांर		16	25	41	19	69	142.25	296.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	गुवांर		17	21	22	16	69	68.25	196.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	गुवांर		18	21	19	12	45	95.5	192.5		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	गुवांर		19	26	58	23	44	72.75	223.75		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	गुवांर		20	23	41	29	19	50.25	162.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	गुवांर		21	21	36	18	35	82.5	192.5		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	गुवांर		22	23	16	9	13	15.25	76.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
3	डाबी	अमलातअनारखों	20	1	12	54	12	30	75.5	183.5	4202.36	घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	अमलातअनारखों		2	39	25	21	45	90.61	220.61		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	अमलातअनारखों		3	74	23	35	31.25	158	321.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	अमलातअनारखों		4	24	58	22	56	43.75	203.75		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	अमलातअनारखों		5	21	54	23	52	60	210		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	अमलातअनारखों		6	21	87	15	57	40	220		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	अमलातअनारखों		7	25	96	45	74	34.75	274.75		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	अमलातअनारखों		8	33	23		37	40.75	133.75		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	अमलातअनारखों		9	42	87	23	48	57.5	257.5		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1

बूंदी वनमण्डल का क्षेत्रफल विवरण

	रेंज	वनखण्ड	कुल सविभागं	संविभाग संख्या	धोंक	परिभ्रांषित धोंक	वास एवं प्रोसोपिस जलीफ्लोरा	मिश्रित वन	रिक्त	संविभाग क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल	कार्यवृत्त		घनत्व
	डाबी	अमलातअनारखों		10	15	65	22	38	31.25	171.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	अमलातअनारखों		11	25	98	14	63	45	245		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	अमलातअनारखों		12	25	21	24	42.5	125	237.5		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	अमलातअनारखों		13	12	35	26	6	39.5	118.5		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	अमलातअनारखों		14	19	58	35	18	48.75	178.75		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	अमलातअनारखों		15	36	54	21	59	36.25	206.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	अमलातअनारखों		16	24	54	21	51	80	230		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	अमलातअनारखों		17	36	78	1	45	58.75	218.75		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	अमलातअनारखों		18	25	36	15	14	47.5	137.5		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	अमलातअनारखों		19	79	36	26	119	62.5	322.5		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	अमलातअनारखों		20	12	23	9	39	28.25	111.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
4	डाबी	गरडदा बी0		1	23	36	12	6	23	100.00	100	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
5	डाबी	धोरेला गरडदा		1	26	15	14	0	51.25	106.25	3065.13	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	धोरेला गरडदा		2	78		25	116.5	13	232.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	धोरेला गरडदा		3	98		22	149.25	17	286.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	धोरेला गरडदा		4	74		29	97.38	11	211.38		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	धोरेला गरडदा		5	32		24	137.25	9	202.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	धोरेला गरडदा		6	74	0	26	82.25	14	196.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	धोरेला गरडदा		7	112		22	171.25	11	316.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	धोरेला गरडदा		8	49		20	98.5	10	177.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	धोरेला गरडदा		9	41		31	83.25	11	166.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	धोरेला गरडदा		10	78		1	79.25	23	181.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	धोरेला गरडदा		11	45		41	99.25	11	196.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	धोरेला गरडदा		12	55		21	151	8	235		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	धोरेला गरडदा		13	48		19	102.25	17	186.25		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	धोरेला गरडदा		14	14		42	131.75	15	202.75		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	धोरेला गरडदा		15	47		15	90.75	16	168.75		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
6	डाबी	खडीपुर	8	1	15	2	21	18	42.75	98.75	1226.82	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	खडीपुर		2	12	9	15	127.5	59	222.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	खडीपुर		3	19	8	17	56.75	68	168.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	खडीपुर		4	25	7	9	93.32	25	159.32		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	खडीपुर		5	26	9	8	104	23	170		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	खडीपुर		6	29	6	3	38	104	180		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	खडीपुर		7	18	7	6	24	33.75	88.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1

बूंदी वनमण्डल का क्षेत्रफल विवरण

	रेंज	वनखण्ड	कुल सविभागं	संविभाग संख्या	धोंक	परिग्रांषित धोंक	वास एवं प्रोसोपिस जलीफ्लोरा	मिश्रित वन	रिक्त	संविभाग क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल	कार्यवृत्त		घनत्व
	डाबी	खडीपुर		8	19		6	45	68.75	138.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
7	डाबी	लाम्बाखोह	6	1			11	23	82.25	116.25	1052.65	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	लाम्बाखोह		2	8.5		17	25	132.4	182.9		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	लाम्बाखोह		3	10		10	43	153.25	216.25		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	लाम्बाखोह		4	9.00		9	49	121.75	188.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	लाम्बाखोह		5	13	9	18	27	165.5	232.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	लाम्बाखोह		6	7	2	6	17	84	116		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
8	डाबी	धनेश्वर	11	1	12		12	94	12	130	1639.19	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	धनेश्वर		2	18		83	8.19	20	129.19		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	धनेश्वर		3	26		15	19	112.5	172.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	धनेश्वर		4	35		26	14	65	140		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	धनेश्वर		5	24		38	45	88	195		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	धनेश्वर		6	19		39	13	35.25	106.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	धनेश्वर		7	19		42	18	76	155		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	धनेश्वर		8	22		41	12	41.25	116.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	धनेश्वर		9	29		29	14	15.5	87.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	धनेश्वर		10	27		36	39	136.75	238.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	धनेश्वर		11	65		24	11	68.75	168.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
9	डाबी	डसालिया बी0	1	1	52	29	85	55.4	98	319.4	319.4	घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
10	डाबी	करोन्दी	20	1	9	27	12	41.75	94	183.75	2747.26	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	करोन्दी		2	12		9	96	99	216		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	करोन्दी		3	14		5	73.43	35	127.43		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	करोन्दी		4	16	29	6	21.25	54	126.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	करोन्दी		5	12		4	28.5	108	152.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	करोन्दी		6	11		5	24	85	125		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	करोन्दी		7	10		12	22.5	63	107.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	करोन्दी		8	19	19	14	33	90	175		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	करोन्दी		9	18		11	26.75	63	118.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	करोन्दी		10	13	23	19	32.58	50	137.58		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	करोन्दी		11	14		18	50	63	145		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	करोन्दी		12	17	19	13	37.25	55	141.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	करोन्दी		13	19		12	29.5	87	147.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	करोन्दी		14	10		11	30	64	115		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	करोन्दी		15	11		10	30.5	71	122.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1

बूंदी वनमण्डल का क्षेत्रफल विवरण

	रेंज	वनखण्ड	कुल सविभागं	संविभाग संख्या	धोंक	परिभ्रांषित धोंक	वास एवं प्रोसोपिस जलीफ्लोरा	मिश्रित वन	रिक्त	संविभाग क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल	कार्यवृत्त		घनत्व
	डाबी	करोन्दी		16	12	29	14	23.5	59	137.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	करोन्दी		17	18	35	7	31.5	26	117.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	करोन्दी		18	17		22	13.5	10	62.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	करोन्दी		19	19		9	28	64	120		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	करोन्दी		20	23	26	14	41.75	64	168.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
11	डाबी	लक्ष्मीपुरा	4	1	28		29	57.12	91	205.12	771.24	घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	लक्ष्मीपुरा		2	39		45	14.37	89	187.37		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	लक्ष्मीपुरा		3	38		38	49.25	56	181.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	लक्ष्मीपुरा		4	37		39	40.5	81	197.5		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
12	डाबी	देव डूगंरी	1	1	25	14	25	43	27.3	134.3	134.3	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
13	डाबी	रामपुरिया	13	1	9		25	149	68.25	251.25	2578.45	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	रामपुरिया		2	5		63	44	104.45	216.45		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	रामपुरिया		3	8		24	53	125	210		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	रामपुरिया		4	3		29	49.5	116	197.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	रामपुरिया		5	12		27	43	148	230		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	रामपुरिया		6	11		85	29.75	108	233.75		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	रामपुरिया		7	4		59	51	72.25	186.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	रामपुरिया		8	7		24	14	18.75	63.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	रामपुरिया		9	9		47	116	55	227		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	रामपुरिया		10	3		49	101	48.25	201.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	रामपुरिया		11	8		39	83	37.5	167.5		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	रामपुरिया		12	6		74	27	35.5	142.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	रामपुरिया		13	2		19	163	67.25	251.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
14	डाबी	बागनमाना	1	1	0	0	0.2	0.81	3.13	4.14	4.14	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
15	डाबी	डसालिया ए0	1	1	9.00		9.00	165	1384.16	1567.16	1567.16	घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
16	डाबी	बांकी	2	1	24		21	12	22	79	200.25	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	बांकी		2	54	35		12	20.25	121.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
17	डाबी	गोलपुर	2	1	23	58	25	64	38.75	208.75	455.91	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	गोलपुर		2	10	59	21	100	57.16	247.16		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
18	डाबी	कछालिया	6	1			129	380.5	289	798.5	4347.44	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	कछालिया		2			45	130	692.9	867.9		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	कछालिया		3			41	137	59.5	237.5		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	कछालिया		4			31	157	300.9	488.9		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	कछालिया		5			21	237.9	740	998.9		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1

बूंदी वनमण्डल का क्षेत्रफल विवरण

	रेंज	वनखण्ड	कुल सविभागं	संविभाग संख्या	धोंक	परिभ्रांषित धोंक	वास एवं प्रोसोपिस जलीफ्लोरा	मिश्रित वन	रिक्त	संविभाग क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल	कार्यवृत्त		घनत्व
	डाबी	कछालिया		6			15	307	633.74	955.74		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
19	डाबी	पराना	6	1		29		71.81	32	132.81	928.94	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	पराना		2		25	1	8	49.63	83.63		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	पराना		3	29			25	38.5	92.5		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	पराना		4	31		5	51	61.75	148.75		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	पराना		5	29	12	5	119	107.5	272.5		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	पराना		6	39	4	23	97.75	35	198.75		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
20	डाबी	जाखमुण्ड	8	1	52			53	73.75	178.75	2276.29	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	जाखमुण्ड		2	24			50	177.25	251.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	जाखमुण्ड		3		21		93	164.75	278.75		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	जाखमुण्ड		4	21	13		104	153.29	291.29		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	जाखमुण्ड		5	21			118	141	280		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	जाखमुण्ड		6	13	29		127	278.5	447.5		घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	जाखमुण्ड		7	29	17	25	118.5	108	297.5		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	जाखमुण्ड		8	36	29	8	71.25	107	251.25		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
21	डाबी	मराडी	15	1		11	5	32	12	60	2792.23	घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	मराडी		2		42	39	36.75	56	173.75		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	मराडी		3		26	38	103.5	45	212.5		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	मराडी		4		23	41	105	41	210		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	मराडी		5		28	14	33.75	43	118.75		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	मराडी		6		29	39	82.23	47	197.23		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	मराडी		7		27	5	45.25	44	121.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	मराडी		8		24	55	24.25	28	131.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	मराडी		9	26		65	84	75	250		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	मराडी		10	25		27	138	70	260		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	मराडी		11	31		74	6.5	36	147.5		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	मराडी		12	31		55	60.5	36	182.5		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	मराडी		13	22		64	114.5	32	232.5		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	डाबी	मराडी		14	19		98	67.75	29	213.75		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	मराडी		15	18		87	148.25	28	281.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
22	डाबी	गरडदा	8	1	12	23	10	34	23.5	102.5	1434.90	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	गरडदा		2		36	19	133	99.4	287.4		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	गरडदा		3	9	33	23	24	83.5	172.5		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	गरडदा		4	6	31	25	26	19.5	107.5		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1

बूंदी वनमण्डल का क्षेत्रफल विवरण

	रेंज	वनखण्ड	कुल सविभागं	संविभाग संख्या	धोंक	परिभ्रांषित धोंक	वास एवं प्रोसोपिस जलीफ्लोरा	मिश्रित वन	रिक्त	संविभाग क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल	कार्यवृत्त		घनत्व
	डाबी	गरडदा		5	9	19	41	52	26.5	147.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	गरडदा		6	8	25	23	24.5	212	292.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	गरडदा		7	12	27	21	18	13.25	91.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	गरडदा		8	16	41	14	40.75	122	233.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
23	डाबी	भरता बावडी	10	1		23	9	64	40.25	136.25	1321.38	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	भरता बावडी		2		19	4	18	70.25	111.25		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	भरता बावडी		3		39	6	31	43.38	119.38		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	भरता बावडी		4		38	3	23	96	160		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	भरता बावडी		5		58	7	77	40	182		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	भरता बावडी		6		25	5	38	14.5	82.5		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	भरता बावडी		7		17	8	24.75	99	148.75		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	भरता बावडी		8		19	9	42	140	210		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	भरता बावडी		9		9	2	16.25	84	111.25		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	डाबी	भरता बावडी		10		3	4	8	45	60		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
24	डाबी	डोरा	1	1	0.36			2		2.36	2.36	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	अवर्गिकृत	0.1 से 0.4
	डाबी	**24**	197		4573.86	2840	4218.4	12223	17427.5	41283.15	41283.15			
								#REF!						
1	बून्दी	सथूर	12	1	70	5	10	40	33.5	158.5	2126.55	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	सथूर		2	65	35	5	30	44	179		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	सथूर		3	85	15	30	35	61.5	226.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	सथूर		4	55	10	25	65	32.5	187.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	सथूर		5	120	15		30	78.5	243.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	सथूर		6	55	14	25	35	48.75	177.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	सथूर		7	15	5		43.55	89	152.55		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	सथूर		8	35	10	5	35	48.5	133.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	सथूर		9	55	5		25	40	125		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	सथूर		10	40	10	10	25	31.5	116.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	सथूर		11	75	20	15	40	27.5	177.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	सथूर		12	90	25	30	50	53.75	248.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
2	बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा	18	1	65	25	0	35	32	157	4165.69	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा		2	55	30		30	36.5	151.5		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा		3	95	20		50	55.75	220.75		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा		4	150	45		55	31.5	281.5		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा		5	200	50		60	22.5	332.5		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4

बूंदी वनमण्डल का क्षेत्रफल विवरण

	रेंज	वनखण्ड	कुल सविभागं	संविभाग संख्या	धोंक	परिभ्रांषित धोंक	वास ऐप प्रोसोपिस जलीफ्लोरा	मिश्रित वन	रिक्त	संविभाग क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल	कार्यवृत्त		घनत्व
	बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा		6	75	25		45	37.5	182.5		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा		7	110	5		65	46.5	226.5		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा		8	70	20		96	61	247		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा		9	85	10		55	32.25	182.25		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा		10	45	5		30	72.75	152.75		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा		11	135	10		60	75	280		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा		12	120	5		60	86	271		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा		13	20	45	5	79	65.44	214.44		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा		14	10	35	10	98	77	230		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा		15	25	55	30	35	43	188		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा		16	30	65	25	30	153.5	303.5		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा		17	20	50	25	35	144.5	274.5		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	बून्दी	गुढ़ा नीम का खेडा		18	15	60	20	45	130	270		वृक्षारोपण कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
3	बून्दी	भीमलत	6	1	110	30	10	120	30.67	300.67	1388.17	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	भीमलत		2	95	25	15	95	32.5	262.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	भीमलत		3	85	15	10	60	55	225		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	भीमलत		4	70	30	40	29	36	205		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	भीमलत		5	65	20	25	50	72.5	232.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	भीमलत		6	55	15	20	40	32.5	162.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
4	बून्दी	फूलसागर	1	1	35	10	25	15	26.32	111.32	111.32	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
5	बून्दी	नयाबाग	1	1	40	15	10	35	26.92	126.92	126.92	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
6	बून्दी	बोरखण्डी	1	1	50	5	25	20	92.16	192.16	192.16	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
7	बून्दी	माटून्दा	1	1	2		15	3	10.14	30.14	30.14	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
8	बून्दी	चम्पाबाग	1	1			0.5	2.5	0.36	3.36	3.36	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
9	बून्दी	बून्दी की नंगी पहाडिया	1	1	5	25	20	5	27.9	82.9	82.90	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
10	बून्दी	कांटी अस्तोली	15	1	55	5	20	23	30.75	133.75	2366.80	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	कांटी अस्तोली		2	45	15	10	25	21.25	116.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	कांटी अस्तोली		3	95	25	35	65	50	270		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	कांटी अस्तोली		4	75	20	10	35	69.3	209.3		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	कांटी अस्तोली		5	33	5	5	30	60.75	133.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	कांटी अस्तोली		6	20	2	3	60	37.5	122.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	कांटी अस्तोली		7	65	20		45	61.25	191.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	कांटी अस्तोली		8	40	10		30	22.5	102.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	कांटी अस्तोली		9	70	15	10	50	37.5	182.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4

बूंदी वनमण्डल का क्षेत्रफल विवरण

	रेंज	वनखण्ड	कुल सविभागं	संविभाग संख्या	धोंक	परिभ्रांषित धोंक	वास एवं प्रोसोपिस जलीफ्लोरा	मिश्रित वन	रिक्त	संविभाग क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल	कार्यवृत्त		घनत्व
	बून्दी	कांटी अस्तोली		10	50	25	15	45	18.75	153.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	कांटी अस्तोली		11	35	5	10	25	25	100		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	कांटी अस्तोली		12	40	10	0	25	43.75	118.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	कांटी अस्तोली		13	25	5		45	23.75	98.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	कांटी अस्तोली		14	90	15		30	76.25	211.25		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	कांटी अस्तोली		15	75	5	25	35	82.5	222.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
11	बून्दी	मुन्देड	13	1	20	50	10	20	202.5	302.5	2580.31	घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	बून्दी	मुन्देड		2	25	20	15	20	87.5	167.5		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	बून्दी	मुन्देड		3	10	10	15	25	70	130		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.1 से 0.4
	बून्दी	मुन्देड		4	15	15	25	5	55	115		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	बून्दी	मुन्देड		5	35	25	5	20	71.25	156.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	बून्दी	मुन्देड		6	55	25	10	58	137.31	285.31		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	बून्दी	मुन्देड		7	40	25	4	20	104.75	193.75		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	बून्दी	मुन्देड		8	30	5	15	20	85	155		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	बून्दी	मुन्देड		9	45	15	25	45	58.75	188.75		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	बून्दी	मुन्देड		10	65	20	30	30	122.5	267.5		भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	बून्दी	मुन्देड		11	45	35	25	25	112.5	242.5		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	बून्दी	मुन्देड		12	15	25	10	20	156.25	226.25		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
	बून्दी	मुन्देड		13	10	20	15	15	90	150		घास एवं चराई कार्य वृत्त	आरक्षित	0.0 से 0.1
12	बून्दी	प्ला0 गुढा	1	1	45	25	30	20	22.62	142.62	142.62	घास एवं चराई कार्य वृत्त	अवर्गिकृत	0.0 से 0.1
13	बून्दी	गोबरिया राडी	1	1	0	2	15	13	17.59	47.59	47.59	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
14	बून्दी	पौधशाला बून्दी	1	1	0			1.1	0.5	1.6	1.60	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
15	बून्दी	केसरपुरा	1	1	85	35	20	30	72	242	242.00	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
16	बून्दी	तलाबगांव	1	1	0.2		0.16	0	0.15	0.51	0.51	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
	बून्दी	**16**	**75**	**13608.64**	**4050.2**	**1453**	**897.66**	**2846.2**	**4361.63**	**13608.64**	**13608.64**			
								#REF!						
1	के0पाटन	ख्यावदा	1	1			211	512	421	1144	1144.00	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
2	के0पाटन	मागंली ए0	1	1				50.53		50.53	50.53	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.1 से 0.4
3	के0पाटन	जरखोदा	1	1					41.45	41.45	41.45	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
4	के0पाटन	रामगंज	1	1			10		62.95	72.95	72.95	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
5	के0पाटन	मागंली बी0	1	1			0		28.24	28.24	28.24	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
6	के0पाटन	रोटेदा ए0	1	1			125		184.47	309.47	309.47	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
7	के0पाटन	रोटेदा बी0	1	1			159	109.56	25	293.56	293.56	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
8	के0पाटन	रोटेदा सी0	1	1			25	50	32.96	107.96	107.96	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1

बूंदी वनमण्डल का क्षेत्रफल विवरण

	रेंज	वनखण्ड	कुल सविभागं	संविभाग संख्या	धोंक	परिभ्रांषित धोंक	वास एप प्रोसोपिस जलीफ्लोरा	मिश्रित वन	रिक्त	संविभाग क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल	कार्यवृत्त		घनत्व
9	के0पाटन	रोटेदा डी0	1	1			0	98	106.02	204.02	204.02	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
10	के0पाटन	रोटेदा ई0	1	1			19	62.73	51	132.73	132.73	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
11	के0पाटन	रोटेदा एफ	1	1			21	15.39	11	47.39	47.39	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	अवर्गिकृत	0.0 से 0.1
12	के0पाटन	पौधशाला, के0पाटन	1	1					3.75	3.75	3.75	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
13	के0पाटन	बालापुरा	1	1	2	4	19	26	53.49	104.49	104.49	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
14	के0पाटन	जगदरी	1	1			31	29	159.23	219.23	219.23	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
15	के0पाटन	बलदेवपुरा	1	1			9	41.28	36	86.28	86.28	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
16	के0पाटन	डोलर	1	1			98	214.91	89	401.91	401.91	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
17	के0पाटन	बालोद	1	1			88	115.71	125	328.71	328.71	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
18	के0पाटन	बरानी	1	1				11	41.76	52.76	52.76	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
19	के0पाटन	डपटा	1	1			85.86	62	52	199.86	199.86	घास एवं चराई कार्य वृत्त	रक्षित	0.0 से 0.1
20	के0पाटन	गोपालपुरा	1	1	5			8	26.8	39.8	39.80	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	अवर्गिकृत	0.0 से 0.1
21	के0पाटन	ढीकोली	1	1			7	7.37		14.37	14.37	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	अवर्गिकृत	0.0 से 0.1
22	के0पाटन	छावछ	1	1			8	10.41	9	27.41	27.41	भू संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त	अवर्गिकृत	0.0 से 0.1
	के0पाटन	**22**	**22**		**7**	**4**	**915.86**	**1423.9**	**1560.12**	**3910.87**	**3910.87**			
	महायोग		**659**		**21295.67**	**9181.5**	**15244.42**	**26819**	**48740.41**	**121281.19**	**121281.19**			

List of Appendices

No.	परिशिष्ट APPENDICES	
1	बूंदी वन मण्डल की कार्य आयोजना का क्षेत्र विवरण (Area Statement)	I
2	गणना परिणाम (Enumeration Results)	II
3	प्राकृतिक पुर्नजनन का सर्वेक्षण	III
4	अनुसंधान भू–खण्ड (Research plots)	IV
5	दरों की सूची (BSR)	V
6	पट्टे एवं अनुबन्ध	VI
7	बूंदी वन मण्डल में रेंजों के अधीन बीट व नाकों की सूचना	VII
8	बूंदी जिले में राजकीय विश्राम गृहों की सूची	VIII
9	बूंदी वन मण्डल में पदस्थापित रहे अधिकारियों की सूची वर्ष (1945 से 2012 तक)	IX
10	बूंदी वनमण्डल सीमा स्तम्भों की स्थिति	X
11	बूंदी वन मण्डल वन भूमि की वैधानिक स्थिति एवं अमल दरामद की स्थिति	XI
12	बूंदी जिले में पंजीकृत उद्योग	XII
13	बूंदी जिले में विद्युत उपभोक्ता	XIII
14	बूंदी जिले में विद्युत उपभोग	XIV
15	वनमंडल में वनसुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों सम्बन्धी रेन्जवार आंकड़े	XV
16	बूंदी जिले के वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति सम्बंधी सूचना	XVI
17	वनमण्डल अधीन भवनों की आवश्यकता/उपलब्धता एवं वर्तमान स्थिति	XVII
18	वनमण्डल बूंदी में सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से गत 10 वर्षो में घास एवं चारा प्राप्त करने सम्बन्धी विवरण	XVIII
19	• ड्यूटी के दौरान मारे गये वन कार्मिकों की सूची। • महा वृक्षों की सूची।	XIX
20	वनखण्डों में वनाग्नि पट्टियों की सूचना	XX

21	वन भूमि स्थानान्तरण प्रकरण (1) वन विभाग को प्राप्त भूमि (2) अनारक्षित भूमि का विवरण	XXI
22	गत 10 वर्षो में एनीकट निर्माण कार्य की सूची	XXII
23	जिले में वन भूमि पर अतिक्रमण की सूचना, सितम्बर 2012 के अनुसार	XXIII
24	रेंज हिण्डोली में दर्ज वन एवं वन्यजीव अपराध प्रकरणों की सूचना (वर्ष 99–2000 से 2010–11)	XXIV
25	दीवार निर्माण सूचना	XXV
26	वन मार्गो की सूची	XXVI
27	गैर काष्ठीय वन उत्पादन द्वारा गत 10 वर्षो में प्राप्त राजस्व	XXVII
28	वन प्रबन्धन के लिए उपयुक्त नीतियाँ व विनियमों की सूची।	XXVIII
29	बूंदी में पत्ता तेन्दू इकाइयों का गठन वर्ष 1981	XXIX
30	रामगढ. अभयारण आदेश विज्ञप्ति	XXX
31	घास बीड़ो की सूची	XXXI
32	राष्ट्रीय घडीयाल अभ्यारण की विज्ञाप्ति	XXXII
33	जवाहर सागर अभ्यारण की विज्ञाप्ति	XXXIII
34	राडियों की सूची	XXXIV
35	वृक्षारोपण की सूची	XXXV
36	पंच वर्षीय योजना के अर्न्तगत वृक्षारोपण की सूची	XXXVI

परिशिष्ट – (II)

गणना विवरण

Enumeration Details

क्र.सं.	वनखण्ड व रेंज	संविभाग	क्षैत्रफल (हैक्टेयर)
1.	हिण्डोली रेंज		
1	रेण बी0	1–2	401.85
2	टोकडा ए0	1–2	429.19
3	टोकडा बी0	1	566.82
4	पीपलझर	1	88.89
5	बडगांव	1	139.63
6	पेंच की बावडी	1	0.64
7	चतरगंज ए0	1	2.53
8	उमरमाता	1–12	1869.72
9	चतरगंज बी0	1	16.97
10	दीवानजी का बाग	1	5.40
11	अकलोर पानीढाल	1–7	1445.35
12	गोकुलपुरा	1–2	221.15
13	औधन्धा	1–12	2854.22
14	रेण ए0	1–3	723.89
15	बन्धा का खेडा	1–4	703.21
16	फालेण्डा	1–6	775.56
17	उमर पगारा	1–9	2324.29
18	विजयगढ़ बी0	1–7	1510.31
19	नेगढ़	1	112.63
20	काछोला	1–12	3171.04
21	मराडी बांडी का खेडा	1–10	1985.35
22	ओवन	1–13	2180.50
23	विजयगढ़ ए0	1–2	353.50
24	हिण्डोली (uc)	1	44.33
25	मराडी ए	1	7.2
26	रूणिजा बाग	1	1.45
27	थाना	1	131.25
28	डाटून्दा	1–16	2867.11

29	खीण्या	1–13	1926.60
30	नाहरगढ़ भोजगढ़	1–18	3628.45
2	**नैनवा रेंज**		
1	देई	1	160.66
2	लाम्बाबरडा	1	21.61
3	जजावर ए	1–20	3476.54
4	जजावर बी	1	88.91
5	जजावर सी	1	149.04
6	मीनों का झोपडिया	1	245.12
7	नन्दगांव	1	272.34
8	पौधशाला नैनवा	1	2.36
9	बाछोला	1	129.88
10	कोरमा	1	48.86
11	मरा फतेहपुरा सी	1	63.96
12	मरा फतेहपुरा डी	1	100.54
13	मरा फतेहपुरा बी	1	48.29
14	देई बी	1	108.80
15	देई सी	1	73.99
16	देई डी	1–2	311.80
17	लक्ष्मीपुरा चैनपुरा ए	1	97.90
18	लक्ष्मीपुरा चैनपुरा बी	1–4	768.38
19	लक्ष्मीपुरा चैनपुरा सी	1	271.43
20	लक्ष्मीपुरा चैनपुरा डी	1–2	314.3
21	तलवास	1–24	4278.01
22	बांसी दूगारी	1–5	926.68
23	देई ए	1–6	1204.14
24	मरा फतेहपुरा ई	1–9	1408.78
25	बाग बासी	1	6.10
26	गुढ़ा गोपालजी	1	37.26
3	**इन्द्रगढ़ रेंज**		
1	मोहनपुरा	1–14	1777.58
2	कांकरा	1–9	1372.83
3	लाखेरी	1–12	2435.18
4	पापडी	1–2	367.72

5	पीपलदा	1	142.26
6	बन की डडवाड़ा ए	1	243.76
7	बन की डडवाड़ा बी	1	358.10
8	बन की डडवाड़ा सी	1	155.19
9	बन की डडवाड़ा डी	1	120.41
10	सालमदरा ए0	1	89.70
11	सालमदरा बी0	1	139.19
12	सालमदरा सी0	1–2	256.54
13	सालमदरा डी0	1	177.72
14	बांकलिया महादेव	1–2	438.00
15	कौलाशपुरा	1	240.16
16	रामनगर	1	38.02
17	सखावदा	1	15.88
18	अणघौरा	1	10.89
19	फोलाई	2–14	2265.64
20	माताजी वाला	1–4	440.06
21	गढवाला	1–6	949.41
22	गैंण्डोली	1–12	1732.14
23	माखीदा	1	58.22
24	पालीबसवाडा	1	370.20
25	गोहाटा	1	251.63
26	कोटाखुर्द ए0	1	237.96
27	बहडावली	1	109.46
28	करवाला की झोपडिया	1	57.56
29	कोटाखुर्द बी0	1	108.61
30	बीड़ बटावती	1	40.44
31	अरियाली बुड करवर	1–9	1559.92
32	बलबन	1–6	509.43
4	**डाबी रेंज**		
1	डाबी पलकान	**1–15**	3442.37
2	गुवांर	1–22	4672.98
3	अमलातअनारखों	1–20	4202.36
4	गरडदा बी0	1	100
5	धोरेला गरडदा	1–15	3065.13
6	खडीपुर	1–8	1226.82

7	लाम्बाखोह	1–6	1052.65
8	धनेश्वर	1–11	1639.19
9	डसालिया बी0	1	319.4
10	करोन्दी	1–20	2747.26
11	लक्ष्मीपुरा	1–4	771.24
12	देव डूगंरी	1	134.3
13	रामपुरिया	1–13	2578.45
14	बागनमाना	1	4.14
15	डसालिया ए0	1	1567.16
16	बांकी	1–2	200.25
17	गोलपुर	1–2	455.91
18	कछालिया	1–6	4347.44
19	पराना	1–6	928.94
20	जाखमुण्ड	1–8	2276.29
21	मराडी	1–15	2792.23
22	गरडदा	1–8	1434.90
23	भरता बावडी	1–10	1321.38
24	डोरा	1	2.36
5	**बून्दी रेंज**		
1	सथूर	**12**	2126.55
2	गुढ़ा नीम का खेडा	18	4165.69
3	भीमलत	6	1388.17
4	फूलसागर	1	111.32
5	नयाबाग	1	126.92
6	बोरखण्डी	1	192.16
7	माटून्दा	1	30.14
8	चम्पाबाग	**1**	3.36
9	बून्दी की नंगी पहाडिया	**1**	82.90
10	कांटी अस्तोली	15	2366.80
11	मुन्देड	13	2580.31
12	प्ला0 गुढा	1	142.62
13	गोबरिया राडी	1	47.59
14	पौधशाला बून्दी	1	1.60
15	केसरपुरा	**1**	242.00

16	तलाबगांव	**1**	0.51
6	**के0पाटन रेंज**		
1	ख्यावदा	1	1144.00
2	मागंली ए0	1	50.53
3	जरखोदा	1	41.45
4	रामगंज	1	72.95
5	मागंली बी0	1	28.24
6	रोटेदा ए0	1	309.47
7	रोटेदा बी0	1	293.56
8	रोटेदा सी0	1	107.96
9	रोटेदा डी0	1	204.02
10	रोटेदा ई0	1	132.73
11	रोटेदा एफ	1	47.39
12	पौधशाला, के0पाटन	1	3.75
13	बालापुरा	1	104.49
14	जगदरी	1	219.23
15	बलदेवपुरा	1	86.28
16	डोलर	1	401.91
17	बालोद	1	328.71
18	बरानी	1	52.76
19	डपटा	1	199.86
20	गोपालपुरा	1	39.80
21	ढीकोली	1	14.37
22	छावछ	1	27.41
7	**रामगढ़ रेंज**		
1	विषधारी	1—22	3878.33
2	भैरूपुरा	1—23	3858.07
3	पीपल्या माणक चौंक	1—20,23—32	4984.43
4	गुढा मकडुका	1	180
5	शिकार बुर्ज	1—8	1107.25
6	रामगढ	1—16	2889.41
7	झरपीर	1—13	2159.22
8	खटकड	1—15	2299.51
9	कठीयाडी रजवास	1—2	692.65
10	फोलाई	1	173.25
योग		**790**	**143503.3**

सेम्पल प्लॉट की साइज = 100 मी. x 100 मी.
कुल सेम्पल प्लॉट = 790
संविभागों का कुल क्षेत्रफल = 143503.3 है0
गणना हेतु लिया गया प्रतिनिधित्व क्षेत्र = 790 है0
चयनित प्रजातियाँ – धौंक, खैर, तेन्दु, छीला, प्रो.जुलीफ्लोरा,अन्य
*गणना परिणामों का विस्तृत विवरण संविभाग विवरण संलग्न है।

क्र. सं.	नाम प्रजाति	औसत व्यास (सेंमी. में)	प्रदर्श में प्रजातियों की प्रतिशतता
1	धौंक	29.301	28.34675
2	खैर	26.522	2.278638
3	तेन्दू	28.762	3.851393
4	छीला	29.437	7.368421
5	प्रो.जुलीफ्लोरा	25.986	6.03096
7	अन्य मिश्रित (सालर,गूर्जन,खिरनी,अर्जन,आम,खजूर, इमली,कडाया,जाल,रौंज आदि।)	31.022	52.12384
8	**योग**	–	**100**

परिशिष्ट – **(III)**

प्राकृतिक पुनरुत्पादन का सर्वेक्षण
Survey of Natural Regeneration

क्र. सं.	वनखण्ड व रेंज	संविभाग	प्राकृतिक पुनरुत्पादन का परिणाम		सर्वेक्षण का दिनांक
			नाम प्रजाति	Wp / Ws / Nw / Ue / Ab	
1.	**हिण्डोली रेंज**		धौंक, ढाक, ज्युलीफ्लोरा, खैर, तेन्दु अन्य		
1	रेण बी0	1–2		WP	1/6/2012
2	टोकडा ए0	1–2		NW	1/6/2012
3	टोकडा बी0	1		WP & NW	1/6/2012
4	पीपलझर	1		WP	1/6/2012
5	बडगांव	1		WP	1/6/2012
6	पेंच की बावडी	1		WP & NW	1/6/2012
7	चतरगंज ए0	1		NW	1/6/2012
8	उमरमाता	1–12		WP & UE & NW	2/6/2012
9	चतरगंज बी0	1		WP & NW	3/6/2012
10	दीवानजी का बाग	1		NW	3/6/2012
11	अकलोर पानीढाल	1–7		WP & NW & UE	4/6/2012
12	गोकुलपुरा	1–2		NW & UE	4/6/2012
13	औधन्धा	1–12		NW & UE	5/6/2012
14	रेण ए0	1–3		NW	6/6/2012
15	बन्धा का खेडा	1–4		NW & UE	7/6/2012
16	फालेण्डा	1–6		NW & UE	8/6/2012
17	उमर पगारा	1–9		WP & NW	9/6/2012
18	विजयगढ़ बी0	1–7		WP & NW & UE	10/6/2012
19	नेगढ़	1		NW	10/6/2012
20	काछोला	1–12		WP & NW & UE	11/6/2012
21	मराडी बांडी का खेडा	1–10		NW & UE	12/6/2012
22	ओवन	1–13		WP & NW & UE	13/6/2012
23	विजयगढ़ ए0	1–2		WP & NW	14/6/2012
24	हिण्डोली (uc)	1		WP & NW	14/6/2012
25	रूणिजा बाग	1		WP	14/6/2012
26	मराडी बी0	1		NW & UE	14/6/2012
27	थाना	1		NW & UE	14/6/2012
28	डाटून्दा	1–16		WP & NW & UE	15-16/6/2012
29	खीण्या	1–13		WP & NW & UE	17/6/2012
30	नाहरगढ़ भोजगढ़	1–18		WP & NW & UE	18/6/2012
2	**नैनवा रेंज**			WP & NW & UE	
1	देई	1		WP & NW	20/6/2012
2	लाम्बाबरडा	1		WP & NW & UE	20/6/2012
3	जजावर ए	1–20		WP & NW & UE	21-22/6/2012
4	जजावर बी	1		WP & NW & UE	24/6/2012

5	जजावर सी	1		WP & NW & UE	24/6/2012
6	मीनों का झोपडिया	1		WP & NW	24/6/2012
7	नन्दगांव	1		WP & NW	24/6/2012
8	पौधशाला नैनवा	1		WP & UE	24/6/2012
9	बाछोला	1		NW	24/6/2012
10	कोरमा	1		NW	24/6/2012
11	मरा फतेहपुरा सी	1		WP & NW	24/6/2012
12	मरा फतेहपुरा डी	1		WP & UE	24/6/2012
13	मरा फतेहपुरा बी	1		WP & UE & NW	25/6/2012
14	देई बी	1		NW & UE	25/6/2012
15	देई सी	1		NW & UE	25/6/2012
16	देई डी	1–2		NW & UE	26/6/2012
17	लक्ष्मीपुरा चैनपुरा ए	1		WP & NW & UE	26/6/2012
18	लक्ष्मीपुरा चैनपुरा बी	1–4		NW	26/6/2012
19	लक्ष्मीपुरा चैनपुरा सी	1		WP & NW	27/6/2012
20	लक्ष्मीपुरा चैनपुरा डी	1–2		WP & NW	27/6/2012
21	तलवास	1–24		WP & NW & UE	28-30/6/2012
	पीपल्या माणक चौंक	21–22		WP & NW & UE	28-30/6/2012
22	बांसी दूगारी	1–5		NW & UE	1/7/2012
23	देई ए	1–6		NW & UE	2/7/2012
24	मरा फतेहपुरा ई	1–9		WP & NW & UE	3/7/2012
25	बाग बासी	1		NW & UE	4/7/2012
26	गुढ़ा गोपालजी	1		NW & UE	4/7/2012
3	**इन्द्रगढ़ रेंज**				
1	मोहनपुरा	1–14		WP & NW & UE	6-7/7/2012
2	कांकरा	1–9		WP & NW & UE	8/7/2012
3	लाखेरी	1–12		WP & NW & UE	9-10/7/2012
4	पापडी	1–2		NW & UE	11/7/2012
5	पीपलदा	1		NW & UE	11/7/2012
6	बन की डडवाड़ा ए	1		NW	11/7/2012
7	बन की डडवाड़ा बी	1		NW & UE	11/7/2012
8	बन की डडवाड़ा सी	1		WP & NW & UE	11/7/2012
9	बन की डडवाड़ा डी	1		NW & UE	11/7/2012
10	सालमदरा ए0	1		NW & UE	11/7/2012
11	सालमदरा बी0	1		WP & NW & UE	11/7/2012
12	सालमदरा सी0	1–2		NW & UE	12/7/2012
13	सालमदरा डी0	1		WP & NW & UE	12/7/2012
14	बांकलिया महादेव	1–2		WP & NW	12/7/2012
15	कौलाशपुरा	1		AB	12/7/2012
16	रामनगर	1		WP & NW	12/7/2012
17	सखावदा	1		NW & UE	12/7/2012
18	अणघौरा	1		WP & NW	12/7/2012
19	फोलाई	2–14		WP & NW & UE	13-14/7/2012

20	माताजी वाला	1–4		WP & NW & UE	15/7/2012
21	गढवाला	1–6		WP & NW & UE	16/7/2012
22	गैंण्डोली	1–12		WP & NW & UE	16-17/7/2012
23	माखीदा	1		NW & UE	18/7/2012
24	पालीबसवाडा	1		NW	18/7/2012
25	गोहाटा	1		NW & UE	18/7/2012
26	कोटाखुर्द ए0	1		NW & UE	18/7/2012
27	बहडावली	1		UE	18/7/2012
28	करवाला की झोपडिया	1		NW & UE	18/7/2012
29	कोटाखुर्द बी0	1		NW	18/7/2012
30	बीड़ बटावती	1		WP & NW & UE	18/7/2012
31	अरियाली बुड करवर	1–9		WP & NW & UE	19/7/2012
32	बलवन	1–6		NW & UE	20/7/2012
4	**डाबी रेंज**				
1	डाबी पलकान	**1–15**		WP & NW & UE	21-22/7/2012
2	गुवांर	1–22		WP & NW & UE	23-25/7/2012
3	अमलातअनारखों	1–20		WP & NW & UE	26/7/2012
4	गरडदा बी0	1		NW & UE	27/7/2012
6	धोरेला गरडदा	1–15		WP & UE	27-28/7/2012
7	धोरेला गरडदा	1–3		WP & UE	29/7/2012
8	खडीपुर	1–8		WP & NW & UE	30/7/2012
9	लाम्बाखोह	1–6		WP & NW	31/7/2012
10	धनेश्वर	1–11		WP & NW & UE	1/8/2012
11	डसालिया बी0	1		UE	2/8/2012
12	करोन्दी	1–20		WP & NW & UE	2-3/8/2012
13	लक्ष्मीपुरा	1–4		WP	3/8/2012
14	देव डूगंरी	1		WP & NW	3/8/2012
15	रामपुरिया	1–13		WP & NW	4/8/2012
16	बागनमाना	1		NW & UE	5/8/2012
17	डसालिया ए0	1		WP & NW	5/8/2012
18	बांकी	1–2		WP & NW & UE	5/8/2012
19	गोलपुर	1–2		WP & NW	5/8/2012
20	कछालिया	1–6		WP & UE	6/8/2012
21	पराना	1–6		NW & UE	7/8/2012
22	जाखमुण्ड	1–8		WP & NW	8/8/2012
23	मराडी	1–15		WP & NW & UE	9-10/8/2012
24	गरडदा	1–8		WP & NW	11/8/2012
25	भरता बावडी	1–10		WP & NW & UE	12/8/2012
26	डोरा	1		UE	11/8/2012
5	**बून्दी रेंज**				
1	सथूर	**12**		WP & NW & UE	13/8/20121

2	गुढ़ा नीम का खेडा	18		WP & NW	14/8/2012
3	भीमलत	6		WP & UE	15/8/2012
4	फूलसागर	1		AB	16/8/2012
5	नयाबाग	1		WP & NW	16/8/2012
6	बोरखण्डी	1		WP & NW	16/8/2012
7	माटून्दा	1		UE	16/8/2012
8	चम्पाबाग	**1**		NW & UE	16/8/2012
9	बून्दी की नंगी पहाडिया	**1**		NW	16/8/2012
10	कांटी अस्तोली	15		WP & NW & UE	17/8/2012
11	मुन्देड	13		NW & UE	18/8/2012
12	प्ला0 गुढा	1		NW	19/8/2012
13	गोबरिया राडी	1		NW	19/8/2012
14	पौधशाला बून्दी	1		AB	19/8/2012
15	केसरपुरा	**1**		WP & UE	19/8/2012
16	तलाबगांव	**1**		WP & UE	19/8/2012
6	**के0पाटन रेंज**				
1	ख्यावदा	1		NW & UE	20/8/2012
2	मागंली ए0	1		NW	20/8/2012
3	जरखोदा	1		NW	20/8/2012
4	रामगंज	1		NW & UE	20/8/2012
5	मागंली बी0	1		NW & UE	20/8/2012
6	रोटेदा ए0	1		NW	20/8/2012
7	रोटेदा बी0	1		NW & UE	20/8/2012
8	रोटेदा सी0	1		NW & UE	20/8/2012
9	रोटेदा डी0	1		NW	20/8/2012
10	रोटेदा ई0	1		NW & UE	20/8/2012
11	रोटेदा एफ	1		NW & UE	20/8/2012
12	पौधशाला, के0पाटन	1		UE	20/8/2012
13	बालापुरा	1		NW & UE	20/8/2012
14	जगदरी	1		NW & UE	21/8/2012
15	बलदेवपुरा	1		NW & UE	21/8/2012
16	डोलर	1		UE	21/8/2012
17	बालोद	1		NW	21/8/2012
18	बरानी	1		NW & UE	21/8/2012
19	डपटा	1		NW	21/8/2012
20	गोपालपुरा	1		NW & UE	21/8/2012
21	ढीकोली	1		UE	21/8/2012
22	छावछ	1		UE	21/8/2012
7	**रामगढ़ रेंज**				
1	विषधारी	1—22		WP & NW	22-23/8/2012
2	भैरूपुरा	1—23		WP & NW & UE	24-25/8/2012
3	पीपल्या माणक चौंक	1—20, 23—32		WP & NW & UE	26-28/8/20121
4	गुढा मकडुका	1		WP & NW	29/8/2012

5	शिकार बुर्ज	1—8		WP & NW	29/8/2012
6	रामगढ	1—16		WP & NW & UE	30/8/2012
7	झरपीर	1—13		WP & UE	31/8/2012
8	खटकड	1—15		WP & NW & UE	1/9/2012
9	फोलाई	1		WP & NW & UE	2/9/2012
10	कठीयाडी रजवास	1—2		WP & NW	2/9/2012

WP - काष्ठीय पौधे स्थापित ऊँचाई तक

NS - काष्ठीय प्ररोह अस्थापित ऊँचाई तक

NW - काष्ठीय प्ररोह

UE - अस्थापित

AB \

परिशिष्ट – **(IV)**

अनुसंधान भू खण्ड

Research Plots

(1) प्रदर्श भू खण्ड **Sample Plots**

– कोई नहीं –

(2) रेखीय वृद्धि भू खण्ड **Linear Increment Plots**

– कोई नहीं –

(3) वृक्ष वृद्धि भू खण्ड **Tree Increment Plots**

– कोई नहीं –

(4) परिरक्षित भू खण्ड **Preservation Plots**

– कोई नहीं –

(5) रक्षित वृक्ष **Protected Trees**

– कोई नहीं –

(6) गुणाढ्य एवं विशिष्ट वृक्ष **Plus and Elit Trees**

– कोई नहीं –

(7) बीज उद्यान **Seed Orchard**

– कोई नहीं –

परिशिष्ट – (V)

दरों की सूची

Shedule of Rates

वनमण्डल बूंदी में विभिन्न विभागीय कार्यो की दरें, विभागीय बी.एस.आर. में वर्णित होती है। जो उस समय लागू श्रमिक दरों पर आधारित होती है। बी.एस.आर. का निर्धारण मुख्य वन संरक्षक, अजमेर, द्वारा किया जाता है। वर्तमान में उपलब्ध बी.एस.आर. अकुशल श्रमिक दर 135 रुपये प्रतिदिन पर आधारित है, परन्तु श्रमिक दरों में वृद्धि हो जाने से (147 रुपये प्रतिदिन) के कारण समस्त गणना 147 रूपये के आधार पर की गई है।

परिशिष्ट – (VI)

पट्टे एवं अनुबन्ध

Lease Contracts

वनमण्डल बूंदी में वर्तमान में कोई भी दीर्घ अवधि/लघु अवधि के अनुबन्ध प्रभावी नहीं है। केवल साझा वन प्रबन्धन समितियों से सम्बन्धित रेंज अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण के अनुबन्ध किये गये है। जो साझा वन प्रबन्धन के नियमों के अधीन हैं।

वन आदिवासी अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी दावे वन विभाग को प्राप्त नहीं हुये है। अतः किसी भी प्रकार का पट्टा प्रदान नहीं किया गया है।

परिशिष्ट–(VII)

प्रस्तावित नाका एवं बीट सूची

नाम रेंज बूंदी वन मण्डल, बूंदी – पूर्वी वृत, कोटा मुख्यालय रेन्ज बून्दी

क. स.	नाम नाका	वनपाल	स0 वनपाल	वन संरक्षक	प्रस्तावित मय बीट		कुल	नाका इमारत है अथवा नही
					नाम ब्लॉक	कम्पा.न.		
1	आकोदो उपनाका बड़ा गांव	1 –	– –	1 1	भैरनपुरा विषधारी	4 से 11 2 से 9	8 8	है नही
2	सथूर उपनाका सथूर गेट	1 –	– 1	1 1	सथूर व फूल सागर कांटी अस्तौली व शिकार बुर्ज व नया बारां क्लोजर	1 से 5, 9 से 11 व 0 6 से 8, 12 व 1 से 4	9 8	है है
3	जैतसागर उपनाका दलेलपुरा	1 –	– 1	1 1	शिकार बुर्ज व झरपीर चैकिंग शिकार बुर्ज व भैरूपुरा व झरपीर	5 से 8 व 2 से 3 व 0 7 से 8 व 1 से 4, 8 4 से 6 व 1, 2, 22 व 25	7 7 7	है है है
4	भैरूपुरा उपनाका हरिपुरा	– –	1 1	1 1 1 1	झरपीर व भैरूपुरा भैरूपुरा व विषधारी, खटकड़ विषधारी	6 से 7 व 2, 17 से 21 12 से 16 व 1 से 19 से 21, 1 से 4, 12 से 15, 10 से 18	9 9 8 10	है नही
5	खटकड़ उपनाका गुलखेड़ी श्यामपुरिया	1 – –	– – 1	1 1 1	खटकड़ खटियाड़ी रजवास व खटकड़ नर्सरी, झरपीर व माटुण्डा प्ला.	5 से 18, 10, 11 1 से 2 व 9 9 से 13 व 0	6 3 5	है. है. है.
6	गुढ़ा नीम का खेड़ा उपनाका अस्तौली	1	–	1 1 1 1	काटी अस्तौली व गुढ़ा नीम का खेड़ा गुढ़ा नीम का खेड़ा गुढ़ा नीम का खेड़ा कांटी अस्तौली	15 व 4 से 6, 17 से 18 2, 3, 7 से 9, 16 1, 10 से 15 9 से 14	6 6 7 6	है है नही
7	वृंदी	1	–	2	नर्सरी बूंदी व चैकिंग	–	–	है
		7	**5**	**21**				

नाम रेंज डाबी वन मण्डल, बूंदी – पूर्वी वृत, कोटा मुख्यालय रेन्ज

क्र. स.	नाम नाका	वनपाल	स0 वनपाल	वन संरक्षक	प्ररिक्षेत्र मय बीट		कुल	नाका इमारत है अथवा नही
					नाम ब्लॉक	कम्पा.न.		
1	रामपुरयिा खेडीपुर उपनाका करोंदी	1 1 –	– – 1	1 1 1 1	जाखमण्ड व रामपुरिया रामपुरिया एवं खड़ीपुर खडीपुर एवं करोंदी करोंदी करोंदी एवं अम्बारानी	1 से 8 एवं 1 से 8 9 से 13 एवं 4 से 5 1 से 3, 6 से 8 एवं 3 से 4, 6 से 9 2, 5, 10 से 17, 1, 18 से 20 एवं 5 से 8	16 7 12 10	है है नही नही
2	धनेश्वर गुढ़ा डाबी उपनाका लाम्बाखोह	– 1 1	1 – –	1 1 1 1 1	धनेश्वर गुढ़ा राजपुरा गुढ़ा राजपुरा डसालिया–ए, डसालिया–बी, शून्य एवं शून्य डाबी पलका लाम्बाखोह	1 से 11 3 से 9 1 से 2 व 10 से 13 5 से 12 1 से 6	11 7 6 2 6	है है है है नही
3	घोरले	–	1	1 1	घोरेला गरडदा एवं डाबी घोरेला गरडदा	6 से 9 एवं 13 से 15 10 से 15	7 6	है
4	गरढ़दा	1	–	1 1	घोरेला गरडदा एवं गरडदा गरडदा व गोलपुर पराना	1 से 5 एवं 5 से 7 1 से 4, 8 एवं 1 से 2 व 2 से 6 व 14 से 15	8 14	है
5	गंवार	1	–	1 1	मराडी गंवार मराड़ी व मुन्डेर व वांकी	1 से 22 1 से 13 व 1 से 13 व 1 से 2	22 28	है है
6	लक्ष्मीपुरा उपनाका नमाना	1 –	– 1	1 1 1	अमलात अनार खोह लक्ष्मीपुरा व देवडूंगरी, कछालिया नमाना बाग व भरता बावड़ी	1 से 20 1 से 4 व 0 व 1 से 6 0 व 1 से 10	20 11 11	है है है
		7	**4**	**20**				

नाम रेंज हिण्डौली वन मण्डल, बूंदी – पूर्वी वृत, कोटा मुख्यालय रेन्ज हिण्डौली

क्र. स.	नाम नाका	वनपाल	स0 वनपाल	वन संरक्षक	प्ररिक्षेत्र मय बीट		कुल	नाका इमारत है अथवा नही
					नाम ब्लॉक	कम्पा.न.		
1	खोण्या उपनाका	1	– –	1 1	खोण्या खोण्या व	1 से 7 तक 8 से 13 व	7 18	है नही

	मेघरावत की पनोकड़िया	–	–	1	उझमाता भीमलत	1, 3 से 13 1 से 6	6	नही
2	रामपुरा	1	–	1	नाहरगढ़, भोजगढ़	1, 10 से 13	10	है
3	कसौली	1	–	1 1	नाहरगढ़, भोजगढ़ मराड़ी बन्दी का खेड़ा ओवन	2 से 9 तक 1 से 19 तक 4, 7 से 11 तक	8 10 6	
4	उपनाका खैरकट्टा डाटन्दा	– 1	1 –	1 1 1	नंगढ व बन्धा का खेड़ा ओवन डाटुण्डा	शून्य व 1 से 4 1 से 3, 5 से 6,12 से 13 1 से 3, 10, 13 से 16	5 7 8	नही है
5	उपनाका नारायणमुरा हिण्डौली	– 1	1 –	1 1 1	डाटन्डा टाकड़ा–बी, हिण्डौली हिण्डौली, काछौला, अकलौर, पानीढ़ाल	4 से 9, 11, 12 निल 1 से 12 व 1 से 7	8 2 19	नही है
6	उपनाका थाना	–	1	1 1	पुनलीन्डा, गोदलपुरा विजयगढ़–बी व विजयगढ़ जी विजयगढ़–ए व विजयगढ–बी	1 से 6 व 1 से 2 व 6 से 8 1 से 2 व 1 से 5	10 7	नही
7	पेज की बावड़ी पगारी वृन्दी का गोठड़ा	– 1 1	1 – –	2 1 1	टोकडाऐं एवं नर्सरी उमर पगारा रेण–ए व रेण–बी व आदन्दा	1 से 2 1 से 9 शून्य व 1 से 12	2 9 14	है है
		7	**4**	**18**				

नाम रेंज लाखेरी वन मण्डल, बूंदी – पूर्वी वृत कोटा – मुख्यालय रेन्ज लाखेरी

क. स.	**नाम नाका**	**वनपाल**	**स0 वनपाल**	**वन संरक्षक**	**प्ररिक्षेत्र मय बीट**		**कुल**	**नाका इमारत है अथवा नही**
					नाम ब्लॉक	**कम्पा.न.**		
1	लुहारपुरा	1	–	1	फौलाई	1 से 5, 7 से 8	7	है
2	उपनाका फौलाई	–	–	1	फौलाई व केसरपुरिया	12 से 14 व	4	है

	(नवनिर्मित) गेन्डोली नया गांव	– –	1 –	1 1	अवर्गीकृत फौलाई व गेन्डोली गेन्डोली व कांकरा	शून्य 9 से 11 व 8 से 10 1 से 7 व 1 से 4	6 11	है नही
3	उपनाका पचिपला (नवनिर्मित) बांसी करवर				कांकरा व गेन्डोली अलियारी बुडकरवर व लाखेरी अलियारी बरकरवर व बटावदी बोड़	6 से 9 व 1 से 12 7 से 9 व 1 से 6 1 से 6 व शून्य	6 9 7	है नही है
4	लाखेरी स्टेशन	1	–	1 1 1 1	वन की डडवाडा–ए ए.बी.सी.डी. पापड़ी व सालबदरा–डी पीपलदा व चैकिग	शून्य 1 से 2 व शून्य शून्य	4 3	है
5	लाखेरी कस्बा	– 1	1 –	1 1	काकंरा व लाखेरी लाखेरी व सालबदरा ए.बी.सी.	5 से 7, 10 से 12 8 से 9 व शून्य	1 5 5	है
6	रोटेदा	1	–	1	राटेदा–ए व बी रोटेदा–सी.डी.ई.	शून्य शून्य	2 3	नही
7	छापरदा (मायजा)	–	1	1	स्यावदा	–	–	है
		6	**4**	**16**				

नाम रेंज नैनवा वन मण्डल, बूंदी – पूर्वी वृत कोटा – मुख्यालय रेन्ज नैनवा

क. स.	**नाम नाका**	**वनपाल**	**स0 वनपाल**	**वन संरक्षक**	**प्ररिक्षेत्र मय बीट**		**कुल**	**नाका इमारत है अथवा नही**
					नाम ब्लॉक	**कम्पा.न.**		
1	फूलेता	1	–	1	नैनवा देई ए. बी.सी.डी	1 से 6 तक , निल, निल–2	10	है
2	जलपुर	1	–	1	पीपल्या मानक चौक	6, 7, 8, 9, 14, 15, 16	7	है
3	उपनाका 1.पीपल्या	–	–	1	पीपल्या	17 से 23, 32 एवं	9	नही

	2. बस्सी 3. मानक चौक 4. गुढ़ा सदावर्तिया	– 1 1	1 – –	1 1 1 1 1	मानक चौक व तलवास पीपल्या मानक चौक पीपल्या मानक चौक पीपल्या मानक चौक मरा फतेहपुरा ई,बी,सी,डी रामगढ़	(तलवास), 18, 1 से 5, 10 से 13 24 से 27 28 से 31 एवं रामगढ़ 10,11 ई.4–4 बी.सी.डी. रामगढ 7, 9, 12, 13, 14	9 4 6 7 5	है नही
4	ए – उपनाका फलासवनी	–	1	1 1	मरां फतेहपुरा ई रामगढ़	6 से 9 एवं 12, 13 1 से 4, 8, 15, 16	6 7	नही
5	बांसी जजावर रूणीजा	– 1 –	1 – 1	1 1 1	बाग बांसी बांसीदगारी चैनपुरिया लक्ष्मीपुरिया जजावर जजावर – ए	बाग बांसी व 1 से 4 एवं मैनपुरिया लक्ष्मीपुरिया गुलाब बाडी प्ला. जजावर–ए 2 से 12 व जजावर बी व सी 1 व 13 से 20	7 13 9	है है है
6	तलवास आतंरदा	1 –	– 1	1 1 1	तलवास तलवास तलवास	1 से 3, 19 से 21, 14 से 17, 4 से 7, 11 से 13 व 22, 8 से 10 व 23, 24	10 8 5	है है है
7	नैनवां	1	–	1	नैनवां नर्सरी चैनपुरिया	नर्सरी नैनवां व कम्पा न.1 व 1 से 4	6	है
		7	**6**	**17**				

परिशिष्ट – (VIII)

बूंदी जिले में राजकीय विश्राम गृहों की सूची

क्र. स.	तहसील	विश्राम ग्रह का नाम	दूरी कि.मी		पहुंचने का साधन	
			जिला मुख्यालय से	तहसील मुख्यालय से	जिला मुख्यालय से	तहसील मुख्यालय से
1	बून्दी	बून्दी	–	–	–	–
		तालेड़ा	18/14	18/14	बस/रेल	–
		कोटा डेम	60	60	बस	बस
		खटियाड़ी	16	33	बस	बस
2	केशोराय पाटन	केशोराय पाटन	45/40	–	बस/रेल	
		कापरेन	63/60	21/20	बस/रेल	
		लाखेरी	67/88	53/47	बस/रेल	
3	हिण्डोली	हिण्डोली	23	–	बस	–
		गुढ़ा डेम	22	10	बस	बस
		सांवतगढ़	16	39	बस	बस
4	नैनवा	नैनवां	67	–	बस	–
		मोतीपुरा	36	31	बस	–

परिशिष्ट – (IX)

बूंदी वन मण्डल में पदस्थापित रहे अधिकारियों की सूची वर्ष (1945 से 2012 तक)

क्र.स.	नाम	अवधि ...1949 से आज... तक
1	श्री एन के गैरोला	02.12.49 – 26.6.53
2	श्री अतर सिंह	7.7.53 – 18.10.53
3	मदन सिंह	19.10.53 – 20.12.53
4	सी. एम. माथुर	21.12.53 – 23.2.55
5	इन्द्र सिंह सिदू	5.3.55 – 13.4.55
6	ओ. पी. माथुर	14.4.55 – 13.3.58
7	डी. पी. नागदेव	13.3.58 – 18.6.61
8	पी. एस. श्रीवास्तव	19.6.61 – 12.8.64
9	डी. डी. आर्य	13.864 – 15.8.65
10	डी. एल. डी माथुर	16.8.65 – 11.10
11	जी. एम. पिल्लई	12.10.65 – 13.5.66
12	डी. एल. डी	14.5.66 – 13.6.66
13	के. के. कोठया	14.6.66 – 27.8.66
14	जी. एम. पिल्लई	28.8.66 – 22.6.67
15	एच. सी. गुप्ता	23.6.67 – 30.8.68
16	डी. डी. आर्य	31.8.68 – 5.9.69
17	पी. एस. चौहान	6.9.69 – 8.9.69
18	आर. सी. शर्मा	9.9.69 – 16.7.70
19	ओ. पी. माथुर	17.7.70 – 30.10.70
20	डी. डी. आर्य	1.11.70 – 28.4.72
21	पी. एस. चौहान	29.4.72 – 3.5.72
22	आर. सी. शर्मा	4.5.72 – 11.3.74
23	पी. एस. भट्टनागर	12.3.74 – 2.7.75
24	आर. एस. भण्डारी	3.7.75 – 29.7.95
25	पी. एस. श्रीवास्तव	31.7.75 – 2.8.79
26	आर. एस. जैन	3.8.79 – 11.2.81
27	अभिजित घोष	12.2.81 – 23.11.81
28	बृजमोहन अग्रवाल	24.11.81 – 27.12.85
29	के. सी. जोशी	27.12.85 – 14.1.86
30	आर. सी. एल मीणा	14.1.86 – 20.9.87
31	महेन्द्र कुमार कुरील	20.9.87 – 3.6.88
32	सुरेन्द्र सिंह चौधरी	3.6.88 – 17.10.90
33	मोती लाल मीणा	17.10.90 – 24.8.91
34	महेन्द्र कुमार कुरील	24.8.91 – 31.6.93
35	राकेश कुमार ग्रोवर	12.7.93 – 4.7.95

36	पी. एस. धोलक	4.7.95 – 26.2.96
37	पी. आर. सियाग	26.2.96 – 13.5.99
38	जेड. ए. खान	13.5.99 – 9.10.02
39	एम. एल. मीणा	10.10.02 – 7.4.03
40	दीपक भट्टनागर	8.04.03 – 15.7.03
41	आनन्द मोहन	16.7.03 – 13.09.04
42	पी. के उपाध्याय	14.9.04 – 17.11.05
43	आनन्द मोहन	18.11.05 – 30.10.06
44	कैलाश चन्द मीणा	31.01.06 – 9.11.06
45	वी. के. सलवान	10.11.06 – 15.8.07
46	विजय एन	16.8.07 – 22.5.08
47	प्रताप सिंह चुडावत	25.5.08 – 22.09.08
48	एल. एस. कुम्पावत	22.9.08 – 31.1.09
49	प्रताप सिंह चुडावत	1.2.09 – 19.3.09
50	शारदा प्रताप सिंह	20.03.09 – 16.10.09
51	प्रताप सिंह चुडावत	17.10.09 – 29.11.09
52	विजय एन	30.11.09 – 16.5.2011
53	हेमचन्द जाट	17.5.11 – 24.5.11
54	राजेन्द्र सिंह नाथावत	30.5.11– .....

परिशिष्ट – **(X)**

बून्दी वनमण्डल सीमा स्तम्भों की स्थिति

वनमण्डल में कुल लगाये जाने वाले सीमा स्तम्भ (सीमा स्तम्भं)	कुल सीमा स्तम्भं जो 31.3.2012 तक लग चुके + चालू वित्तीय वर्ष (2012–13) में लगाये जाने वाले हैं	शेष मीनारों की संख्या जो लगवाया जाना शेष रहेगा।	लगवाये जाने वाले मीनारों का वर्षवार आंवटन		
			2013–14	2014–15	2015–16
10000	721	9279	3093	3093	3093

परिशिष्ट – **(XI)**

बूंदी वन मण्डल वन भूमि की वैधानिक स्थिति एवं अमल दरामद की स्थिति

क्र सं.	रेंज	वनखण्ड	वनों की वैधानिक स्थिति	क्षैत्रफल (है. में)	अमल दरामद क्षैत्रफल (है. में)	अमल दरामद से शेष (है. में)
1	हिण्डोली	30	रक्षित / आरक्षित / अवर्गीकृत	30489.04	29462.45	1157.92
2	नैनवा	26	रक्षित / अवर्गीकृत	14615.7	13960.58	655.12
3	इन्द्रगढ़	32	रक्षित / अवर्गीकृत	17243.1	16939.67	303.44
4	डाबी	24	रक्षित / अवर्गीकृत / आरक्षित	41283.15	40146.03	1144.37
5	बूंदी	16	रक्षित / आरक्षित / अवर्गीकृत	13608.6	13603.7	4.9
6	के. पाटन	22	रक्षित / अवर्गीकृत	3910.87	3881.59	29.28
7	रामगढ़	9	रक्षित / आरक्षित / अवर्गीकृत	22352.9	21939.02	413.88
कुल योग		**159**		**143503.3**	**139934.04**	**3708.91**

परिशिष्ट – **(XII)**

बूंदी जिले में पंजीकृत उद्योग

कोड संख्या	उद्योगो का प्रकार	कारखानों की संख्या			
		वर्ष के प्रारम्भ में	वर्ष के दौरान पंजीकृत	वर्ष में बन्द हुए	वर्ष के अन्त में शेष
1531	राईस मिल्स ग्रेन मिलिंग	26	–	–	26
1542	खाण्डसारी उद्याग	10	–	–	10
1514	खाद्य तेल	26	–	–	26
1554	बर्फ निर्माण	7	–	–	7
1920	जूता निर्माण	1	–	–	1
2010	आरा मशीन विनर शीट प्लाई वुड व इनके उत्पादों का निर्माण	63	–	1	62
2022	ईमारती लकड़ी का कार्य	1	–	–	1
2023	बांस बेत	10	–	–	10
2320	इलेक्ट्रो आटा चक्की	1	–	–	1
2411	रसायन निर्माण	–	–	–	–
2610	कांच उद्योग	1	–	–	1
2693	केनवास निर्माण	2	–	–	2
2694	सीमेन्ट निर्माण	2	–	–	2
2696	पत्थर कटिंग क्रेशर	9	–	–	9
2699	अधात्विक खनिज	1	–	–	1
2710	लोह अयस्क	1	–	–	1
2812	कारबोर्ड निर्माण	1	–	–	1
2893	धात्विक बर्तन	1	–	–	1
2921	कृषि यन्त्र निर्माण	–	–	–	–
4010	जी.एस.एस. (आर.एस.ई.बी)	3	–	–	3
5020	मोटर व्हीकल मरम्मत	1	–	–	1
		167	–	1	166

स्त्रोत :– जिला सांख्यिकी रुपरेखा बूंदी

कार्यालय मण्डल वन अधिकारी, बून्दी

– पंजीकृत आरा मशीनों की सूची नवीनीकरणशुदा –

क्र0सं0	आरा मशीन का नाम व पता	लाइसेन्स न0./ वर्ष	स्वीकृत स्थल	रेंज का नाम
1	2	3	4	5
1	श्रीमती मंजू शर्मा पत्नि राजेन्द्र शर्मा, नि. खोजा गेट बून्दी		खोजागेट बूंदी	बूंदी
2	श्री ओमप्रकाश आ0 बाबू लाल शर्मा.नैनवा रोड बूंदी		नैनवां रोड	बूंदी
3	श्री देवीलाल/गोपाल खाती. नि0 छत्रपुरा		छत्रपुरा	बूंदी
4	श्री ब्रहमानन्द/देवीलाल. लंकागेट बूंदी		लंकागेट	बूंदी
5	श्री बाबूअली/घांसी खॉ. बालापुरा अलोद		बालापुरा(अलोद)	हिण्डोली
6	श्री रामलक्ष्मण/रामकिशन. नि0 गोठड़ा		गोठड़ा	हिण्डोली
7	श्री बिरधी लाल/जगन्नाथ गुर्जर. नि0 धनावा		धनावा	हिण्डोली
8	श्री नन्दलाल/मदन लाल. नि0 दबलाना		दबलाना	हिण्डोली
9	श्री मिठ्ठूलाल/रामप्रताप नि0 पेच की बावड़ी		पेच की बावड़ी	हिण्डोली
10	श्री अलीमोहम्मद/इर्बाहिम. नि0 बडोदिया		बडोदिया	हिण्डोली
11	श्री जहूर मोहम्मद/अब्दुल रहमान नि0 अलोद		अलोद	हिण्डोली
12	श्री अब्दुल हक/इब्राहिम. नि0 बड़ा नया गावॅ		बड़नया गावॅ	हिण्डोली
13	श्री केलाश/छोटू लाल नि0 खेरखटा		खेरखटा	हिण्डोली
14	श्री भोलाशंकर/भवानी आरा मशीन. टोंकडा		टोंकडा	हिण्डोली
15	श्री कलाम खान/अब्दुल रहमान. नि0 गोठडा		गोठड़ा	हिण्डोली
16	श्री रामनारायण/माधोलाल नि0 ठीकरदा		ठीकरदा	हिण्डोली
17	श्री गिरीराज/किशनगोपाल नि0 इन्द्रगढ़		इन्द्रगढ़	इन्द्रगढ़
18	श्री रमेश/कल्याण जांगीड. नि0 करवर		करवर	इन्द्रगढ़
19	श्री कमलकुमार/गजानन्द खाती. नि0 नैनवॉ		नैनवॉ	नैनवॉ
20	किशन गोपाल/गजानन्द. नि0 नैनवॉ		नैनवॉ	नैनवॉ
21	श्री बाबू मोहम्मद/जहूर खॉ. नि0 नैनवॉ		नैनवॉ	नैनवॉ
22	श्री फरियाद अली/बन्ने खॉ. नि0 नैनवॉ		नैनवॉ	नैनवॉ
23	श्री जमील मोहम्मद/कमाल मोहम्मद, नैनवां		नैनवॉ	नैनवॉ
24	श्री देवकीनन्दन/कस्तूरचन्द खाती. नि0 देई		देई	नैनवॉ
25	श्री गोपीचन्द/सुखदेव खाती. नि0 जरखोदा		जरखोदा	नैनवॉ
26	श्री भंवर लाल/किशनगोपाल खाती. नि0 भजनेरी		भजनेरी	नैनवॉ
27	श्री राधेश्याम/लक्ष्मीनारायण. नि0 बाछोला		बाछोला	नैनवॉ
28	श्री धूलीचन्द/देवीराम मीणा. नि0 सीसोला		सीसोला	नैनवॉ
29	श्री लड्डूलाल/रामनिवास खाती. नि0 जजावर		जजावर	नैनवॉ
30	श्री दिलदार अली/सुबराती शाह. नि नमाना		नमाना	डाबी
31	श्री अजीत सिंह/चन्द्रप्रकाश. नि0 के0पाटन		कोटा रोड के0पाटन	के0पाटन
32	श्री घनश्याम/हनुमान खाती. नि0 हरिपुरा कॉलोनी		हरिपुरा कॉलोनी कापरेन	के0पाटन
33	श्री महावीर/हनुमान प्रसाद. नि0 कापरेन		कापरेन	के0पाटन

34	श्री मनोहर लाल/हनुमान प्रसाद. नि कापरेन		कापरेन	के0पाटन
35	श्री लक्ष्मीनारायण/गजानन्द. नि0 कापरेन		कापरेन	के0पाटन
36	श्री रामप्रसाद/कालूलाल. नि0रायथल		रायथल	के0पाटन
37	श्री शहाबुदृदीन अंसारी/अलाउद्दीन. नि0 के0पाटन		के0पाटन	के0पाटन
38	श्री शम्भु लाल/रामकरण. नि0 झुंवासा		झुंवासा	के0पाटन
39	श्री लादूराम नि0 छत्रपुरा		छत्रपुरा	बूंदी
40	श्रीमति अजीजन बानो/अब्दुल हकीम, नि0 डाबला		डाबला	हिण्डोली
41	श्री जगदीश/श्री तेजमल. नि0 कराड खेड़ी		कराड खेडी	हिण्डोली
42	श्री सत्यनारायण/श्री छीतरलाल नि0 पेच की बावड़ी		पेच की बावड़ी	हिण्डोली
43	श्री मनोहर लाल/माधोलाल. नि0 हिण्डोली		हिण्डोली	हिण्डोली
44	श्री मूलचन्द/बजरंग लाल नि0 धनावा		धनावा	हिण्डोली
45	श्रीमति धनकंवर/मोहन लाल. नि0 बड़ा नया गॉव		बडा नयागांव	हिण्डोली
46	श्री सीताराम/चतराजी. नि0 लाखेरी		लाखेरी	इन्द्रगढ़
47	श्री कईमुदृदीन/नुरूदृदीन. नि0 इन्द्रगढ़		इन्द्रगढ़	इन्द्रगढ़
48	श्री प्रभ/बालचन्द जांगीड. नि0 करवर		करवर	इन्द्रगढ़
49	श्री बाबू लाल/श्री जगन्नाथ. नि0 लाखेरी		लाखेरी	इन्द्रगढ़
50	श्री धन्नालाल/कन्हैयालाल खाती. नि0 फोलाई		फोलाई	इन्द्रगढ़
51	श्री दोलत राम/श्री किशन लाल मीणा नि0 लबान		लबान	इन्द्रगढ़
52	श्री गजानन्द खाती/गणपत खाती, नि0 देई		देई	नैनवॉ
53	श्री नूरूद्दिन/श्री बहादुर खॉ नि0 देई		देई	नैनवॉ
54	श्री जायद मियॉ/मियाजान. नि0 बांसी		बांसी	नैनवॉ
55	श्री अमीर अली/सेयद रहमान. नि0 दुगारी		दुगारी	नैनवॉ
56	श्री विष्णु प्रकाश/श्री विजय कृष्ण शर्मा, नि0 अरनेठा		अरनेठा	के0पाटन
57	श्रीमति लाडकंवर/स्व0श्री केसरी लाल नि0 लेसरदा		लेसरदा	के0पाटन
58	श्री दिनेश कुमार/श्री गोपाल नि0 जमीतपुरा		जमीतपुरा	के0पाटन
59	श्री समीर मोहम्मद/अमीर मोहम्मद. नि कापरेन, के0पाटन		के0पाटन	के0पाटन
60	श्री प्रभु लाल/मोहन लाल. नि0 रायथल		रायथल	बूंदी
61	श्री भवर लाल/हीरालाल पांचाल. नि0 जरखोदा		जरखोदा	के0पाटन
62	श्री मेहर सिंह/ठाकुर सिंह नि0 तालेड़ा (अकतासा)		तालेडा	के0पाटन
63	श्री कजोड/चौथमल. नि0 बच्छराज की झोपड़ियॉ (हरिपुरा)		बच्छराज की झो0	बूंदी
64	श्री हीरालाल/छीतर लाल नि0 झा0 जी का बराना		झा0 जी का बराना	इन्द्रगढ़
65	श्री सिराजुद्दिन/अमीर मोहम्मद नि0 के0पाटन		के0पाटन	के0पाटन
66	श्री धन्ना लाल/ग्यारसी लाल नि0 झपायता		झपायता	के0पाटन
67	श्री मोहम्मद इकबाल/ओरगंजेब नि0 गोटडा		गोटडा	हिण्डोली
68	श्री नसरू अली/दूले खां नि0 बालापुरा		बालापुरा(अलोद)	हिण्डोली
69	श्री गफ्फूर मोहम्मद/घासी खां नि0 अलोद		अलोद	हिण्डोली
70	श्री जगदीश/श्री पीरू खाती नि0 देई		देई	नैनवॉ

परिशिष्ट – **(XIII)**

बूंदी जिले में विद्युत उपभोक्ता

क्र. सं.	उद्योगों के प्रकार	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007	2007–2008
1.	घरेलू एवं आवासीय उपभोग	47879	46828	48900	52990	60138
2.	व्यावसायिक उपभोग	6626	6598	6750	7170	7669
3.	औद्योगिक उपभोग	956	974	1009	1062	1121
4.	सार्वजनिक प्रकाश	48	48	45	49	53
5.	सार्वजनिक जल प्रदाय	172	205	228	239	260
6.	सिंचाई	11408	11501	12715	13392	13840
7.	अन्य	140	151	194	210	231
	योग	**67229**	**66305**	**69841**	**75112**	**83312**

स्त्रोत :– कार्यालय अधिशाषी अभि. (परि. एवं संघ) जयपुर डिस्कॉम, बूंदी।

परिशिष्ट – **(XIV)**

बूंदी जिले में विद्युत उपभोग

क्र.सं.	उद्योगों के प्रकार	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007	2007–2008
1.	घरेलु उपभोक्ता	12.141	12.119	15.185	19.275	28.592
2.	व्यावसायिक उपभोक्ता	7.076	7.221	7.629	8.019	8.684
3.	औद्योगिक उपभोक्ता					
1	कम एवं मध्यम वोल्टेज	11.299	11.533	11.931	11.690	12.131
2	उच्च एवं अधिक वोल्टेज	32.966	32.966	33.616	34.152	34.762
4.	सार्वजनिक उपभोक्ता	0.669	0.683	0.663	0.667	0.693
5.	सार्वजनिक जल प्रदाय	1.814	2.040	2.241	2.553	2.712
6.	सिंचाई (कृषि)	46.769	50.812	56.248	59.269	61.939
7.	अन्य	0.705	0.718	0.905	0.959	0.995
योग		**113.439**	**118.092**	**128.418**	**136.584**	**150.508**

स्त्रोत्र :– कार्यालय अधिशाषी अभि. (परि. एवं संघ) जयपुर डिस्कॉम, बूंदी।

परिशिष्ट – **(XV)**

वनमंडल में वनसुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों सम्बन्धी रेन्जवार आंकड़े

क्रम संख्या	विवरण	रेंज							योग
		बून्दी	नैनवां	हिण्डोली	इन्द्रगढ़	डाबी	के0पाटन	रामगढ़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कुल पंजीकृत समितियाँ	13	33	37	24	29	12	16	**164**
2	सदस्य संख्या								**0**
	(i) अनुसूचित जाति	207	598	649	357	402	219	136	**2568**
	(ii) अनुसूचित जनजाति	223	581	1074	252	580	109	110	**2929**
	(iii) अन्य	837	1744	1740	1132	1106	212	431	**7202**
	(iv) योग	1267	2923	3463	1641	2088	540	677	**12599**
	(v) महिलाएँ	8	439	320	110	96	67	99	**1139**
	(i) महिला उप समिति संख्या	3	18	16	10	8	5	11	**71**
3	जमा रा ि ा (लाखों रूपयों में)								**0**
	(i) सदस्यता भ ुल्क								**0**
	(ii) वन अपराध जुर्माना								**0**
	(iii) वन उपज विक्रय								**0**
	(iv) अन्य	3.74	9.67	22.69	7.28	7.26	3.03	6.13	**59.80**
	(v) योग	3.74	9.67	22.69	7.28	7.26	3.03	6.13	**59.80**
4	लाभान्वितों की संख्या								**0**
5	समितियों की दक्षता श्रेणी								**0**

	(i) सक्रिय समिति	3	8	17	5	11	8	9	**61**
	(ii) विका ील समिति	6	10	9	9	8	3	4	**49**
	(iii) निश्क्रिय समिति	4	15	11	10	10	1	3	**54**
6	सूक्ष्म नियोजन उपलब्ध								**0**
7	प्रबन्धन योजना उपलब्ध								**0**
8	स्वयं सेवी संस्था से सम्बन्ध								**0**
9	अनुरक्षण कोश								**0**
10	जमा रा ि ा स्वयं सहायता समूह (लाखों रूपये में)				0.2				**0.2**
11	पुरूष (स्वयं सहायता समूह)								**0**
12	महिला (स्वयं सहायता समूह)				4				**4**

परिशिष्ट– (XVI)

बूंदी जिले के वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति सम्बंधी सूचना

वन प्रबन्ध एवं सुरक्षा/पारिस्थितिकीय विकास समितियों की सूचना का वार्षिक प्रपत्र

नाम वन मण्डल :- बून्दी — 31–01–2012 तक की स्थितिनुसार — नाम वृत :- पूर्वीवृत

क्र० सं०	रेंज का नाम	समिति का नाम	ग्राम	पंजी. सं०	पंजी. दिनांक	सदस्यों का विवरण					महिला उप समिति		प्रबन्धित क्षैत्र		क्षैत्रफल	खाते का विवरण		समिति की दक्षता श्रैणी			सूक्षम नियोजन बनाया नहीं	प्रबंध योजना बनी या नहीं
						अ. जा	अ. ज. जा.	अन्य	योग	महिलायें	हॉ/नहीं	सदस्य सं.	वृक्षा. (है०)	वनखण्ड		बैंक खाता सं.	राशि	A	B	C		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	33			34	35
1	बून्दी	गुढा नीम का खेडा	गुढा	1	7/4/1996	11	14	139	164	0	न्हीं	--	100	गुडानीम खेडा	188.24	1099	644		B		नहीं	नहीं
2	बून्दी	शाहीपुरा	शाहीपुरा	2	10/28/1996	6	35	48	89	0	न्हीं	--	50	गुडानीम खेडा	168.75	--	--		B		नहीं	नहीं
3	बून्दी	माटून्दा	माटून्दा	3	10/30/1996	36	0	9	45	0	न्हीं	--	50	माटून्दा	30.14	2756	2525		B		नहीं	नहीं
4	नैनवॉं	तलवास	तलवास	4	12/21/1996	14	0	68	82	7	हॉं	7	150	तलवास	29.03	4556	204752	A			हॉं	नहीं
5	नैनवॉं	बामनगांव	बामनगांव	5	12/21/1996	6	0	43	49	0	न्हीं	--	50	..	--	6853	165			C	नहीं	नहीं
6	बून्दी	गुढा नाथावतान	गुढा	6	- " -	9	53	44	106	0	न्हीं	--	100	गुडानीम खेडा	378.92	1585	1660		B		नहीं	नहीं
7	नैनवॉं	सोरण	सोरण	7	1/3/1997	10	5	71	86	4	न्हीं	--	--	..	165.99	4311	79839	A			नहीं	नहीं
8	नैनवॉं	लक्ष्मीपुरा	लक्ष्मीपुरा	8	- " -	3	38	17	58	40	हॉं	40	75	लक्ष्मीपुरा	--	6995	547		B		नहीं	नहीं
9	नैनवॉं	नैनवॉं	नैनवॉं	9	- " -	1	1	56	58	4	न्हीं	--	20	नैनवॉ देई	1042.52	6185	242		B		नहीं	नहीं
10	नैनवॉं	जैतपुर	जैतपुर	10	- " -	4	12	46	62	7	हॉं	7	50	पीपलिया माणक चौक	14.50	1784	356			C	नहीं	नहीं
11	हिण्डोली	अकलोर	अकलोर	11	1/13/1997	19	0	47	66	0	न्हीं	--	100	अकलोर पानीढाल	754.72	--	18310	A			हॉं	नहीं
12	हिण्डोली	फालेण्डा	फालेण्डा	12	- " -	9	42	2	53	0	हॉं	--	150	फालेण्डा	202.56	4912	2829	A			हॉं	नहीं

13	हिण्डोली	अबड	खेरखटा	13	- " -	18	42	33	93	0	न्हीं	--	150	फालेण्डा	679.82	1829	230394	A			नहीं	नहीं
14	हिण्डोली	बहादुरपुरिया	डाटून्दा	14	- " -	0	0	32	32	0	न्हीं	--	--	डाटून्दा	6211.16	1964	818			C	नहीं	नहीं
15	हिण्डोली	गुढा गोकुलपुरा	गुढा गोकुलपुरा	15	- " -	27	118	3	148	0	न्हीं	--	50	गोकुलपुरा	186.23	2338	8657	A			हॉ	नहीं
16	हिण्डोली	पायरा	पायरा	16	- " -	3	0	74	77	0	न्हीं	--	150	हिण्डोली काछोला	--	1509	106000	A			हॉ	नहीं
17	नैनवॉ	मूंडली	मरा	17	- " -	11	10	25	46	0	न्हीं	--	--	म्रा	--	--	--			C	नहीं	नहीं
18	नैनवॉ	दुगारी	दुगारी	18	- " -	9	4	42	55	18	न्हीं	--	100	बांसी दूगारी	366.91	--	--			C	नहीं	नहीं
19	इन्द्रगढ	डांगाहेडी	डांगाहेडी	19	1/24/1997	0	0	56	56	0	हॉ	--	--	गेण्डोली	249.48	4581	154744		B		हॉ	नहीं
20	नैनवॉ	जजावर	जजावर	20	2/3/1997	4	0	48	52	6	हॉ	6	150	ज्जावर	198.41	2036	10886			C	नहीं	नहीं
21	नैनवॉ	बंथली	हीरापुर	21	- " -	7	5	45	57	0	नहीं	--	--	त्लवास	149.56	--	--			C	नहीं	नहीं
22	नैनवॉ	मानपुरा	मानपुरा	22	2/3/1997	12	60	29	101	0	नहीं	--	25	नैनवॉ देई	161.30	6906/6064	2792	A			नहीं	नहीं
23	नैनवॉ	पाई मानपुरा	पाई	23	- " -	3	18	79	100	0	नहीं	--	--	नैनवॉ देई	55.88	7180	45855	A			हॉ	नहीं
24	डाबी	धनेश्वर	धनेश्वर	24	- " -	5	26	47	78	0	नहीं	--	100	घनेश्वर	310.81	1909	58145	A			नहीं	नहीं
25	डाबी	पराणा	पराणा	25	- " -	0	18	34	52	0	नहीं	--	--	डसालिया	726.30	3790	9317			C	नहीं	नहीं
26	डाबी	गरडदा	गरडदा	26	- " -	22	10	67	99	0	नहीं	--	150	गरडदा	3009.50	1194	2032		B		नहीं	नहीं
27	नैनवॉ	मेंढकपुरा	मेंढकपुरा	27	2/7/1997	3	0	47	50	6	हॉ	6	15	..	--	3655	6102			C	नहीं	नहीं
28	इन्द्रगढ	मोहनपुरा	मोहनपुरा	28	3/31/1997	20	11	92	123	0	नहीं	--	150	मोहनपुरा	--	4242	28212			C	नहीं	नहीं
29	इन्द्रगढ	झीडा दरा माताजी	झीडा	29	- " -	2	18	53	73	0	नहीं	--	--	माताजी वाला	201.26	2155	969		B		नहीं	नहीं
30	नैनवॉ	गुढा गोपालजी	गुढा गोपालजी	30	- " -	9	39	8	56	10	हॉ	7	50	गुडागोपालजी	37.26	--	--			C	नहीं	नहीं
31	नैनवॉ	सीसोला	सीसोला	31	- " -	25	8	106	136	6	हॉ	6	150	लक्ष्मीपुरा	370.26	2124/2042	123312	A			हॉ	नहीं
32	बून्दी	मोहनपुरा	मोहनपुरा	32	- " -	12	2	105	119	0	नहीं	--	100	गुडानीमकाखेडा	946.12	1096	8212	A			नहीं	नहीं

33	डाबी	खडीपुर	खडीपुर	33	- " -	0	46	36	82	14	हॉ	20	100	खडीपुर	4961.51	2346	41765	A			हॉ	नहीं
34	नैनवॉ	उरांसी	उरांसी	34	- " -	103	104	125	332	151	हॉ	7	50	..	--	2238	769		B		नहीं	नहीं
35	इन्द्रगढ	केमला कोटडी	केमला	35	- " -	9	1	80	90	0	नहीं	--	100	लाखेरी	378.14	3328	81050	A			नहीं	नहीं
36	के०पाटन	बलकासा	बलकासा	36	- " -	4	15	13	32	0	नहीं	--	--	..	532.03	--	--			C	नहीं	नहीं
37	इन्द्रगढ	जयनगर	जयनगर	37	- " -	0	0	48	48	0	नहीं	--	100	मोहनपुरा	201.97	3365	15958		B		नहीं	नहीं
38	इन्द्रगढ	बूढकरवर	करवर	38	- " -	56	12	2	70	37	हॉ	7	100	बूढकरवर	39.58	6204	22435	A			हॉ	नहीं
39	इन्द्रगढ	बलवन	बलवन	39	5/22/1997	26	2	58	86	0	नहीं	--	100	बलवन	1405.33	2113	9930			C	नहीं	नहीं
40	इन्द्रगढ	अरनेठा	अरनेठा	40	7/1/1997	2	0	40	42	0	नहीं	--	--	तलवास	338.26	--	275			C	नहीं	नहीं
41	हिण्डोली	बडगांव	बोरदा	41	- " -	14	8	75	97	0	नहीं	--	50	बडगांव	139.63	2167	157			C	नहीं	नहीं
42	इन्द्रगढ	बिशनपुरा	बिशनपुरा	42	10/4/1997	48	2	42	92	0	नहीं	--	--	सालमदरा	180.79	--	--			C	नहीं	नहीं
43	हिण्डोली	डाटून्दा	डाटून्दा	43	- " -	41	12	53	106	34	हॉ	8	200	डाटून्दा	6211.16	1874	38766	A			हॉ	नहीं
44	इन्द्रगढ	पापडा	पापडा	44	1/24/1997	13	48	89	150	0	नहीं	--	--	पापडा	--	--	--			C	नहीं	नहीं
45	इन्द्रगढ	माण्डपुर	माण्डपुर	45	12/26/1997	24	2	29	55	0	नहीं	--	100	गेण्डोली	--	1957	1058		B		नहीं	नहीं
46	हिण्डोली	बिशनपुरा	बिशनपुरा	46	12/29/1997	8	63	--	71	0	नहीं	--	--	गुडानीमकाखेडा	--	15892	98965			C	नहीं	नहीं
47	हिण्डोली	मोतीपुरा	मोतीपुरा	47	- " -	0	27	16	43	0	नहीं	--	--	विजयगढ	--	--	--			C	नहीं	नहीं
48	हिण्डोली	खेरखटा	खेरखटा	48	- " -	1	1	60	62	0	नहीं	--	--	विजयगढ	--	--	--			C	नहीं	नहीं
49	डाबी	लक्ष्मीपुरा (गोपालपुरा)	लक्ष्मीपुरा	49	- " -	6	0	50	56	0	नहीं	--	--	लाम्बाखोह	--	3894	5373		B		नहीं	नहीं
50	डाबी	गुंवार	गुंवार	50	- " -	1	17	41	59	0	नहीं	--	100	गुवॉर	--	1107	161108	A			नहीं	नहीं
51	डाबी	लक्ष्मीपुरा (बरूंधन)	लक्ष्मीपुरा	51	- " -	27	1	66	94	0	नहीं	--	--	लक्ष्मीपुरा	--	--	--			C	नहीं	नहीं
52	डाबी	केवडिया	केवडिया	52	- " -	0	60	0	60	0	नहीं	--	100	गुवॉर	--	1106	7466		B		हॉ	नहीं

53	हिण्डोली	उमर	उमर	53	- " -	5	77	12	84	0	नहीं	--	50	उमर पगारा	--	2839	10600		B		हॉ	नहीं
54	डाबी	लोइचा	लोइचा	54	- " -	13	89	107	209	0	नहीं	--	50	मराडी	--	1104	5224	A			हॉ	नहीं
55	हिण्डोली	बसोली	बसोली	55	- " -	41	60	161	262	0	नहीं	--	100	बाण्डी का खेडा	--	1969	62369		B		हॉ	नहीं
56	डाबी	पागलपुरिया	नमाना	56	- " -	0	60	2	62	0	नहीं	--	--	..	--	2460	29915			C	नहीं	नहीं
57	डाबी	नमाना	नमाना	57	1/31/1998	10	6	40	56	0	नहीं	--	50	भरता बावडी	--	2460	2700		B		हॉ	नहीं
58	हिण्डोली	पगारां	पगारां	58	3/9/1998	21	10	69	100	0	नहीं	--	50	उमर पगारा	--	1824	1859	A			नहीं	नहीं
59	नैनवॉं	मरा	मरा	59	- " -	0	22	14	36	0	नहीं	--	100	मंरा	--	--	--			C	नहीं	नहीं
60	हिण्डोली	हुवांलिया	हुवांलिया	60	- " -	10	51	39	100	0	नहीं	--	50	उमर पगारा	--	1823	6425			C	नहीं	नहीं
61	हिण्डोली	तलोदा	तलोदा	61	5/12/1998	6	8	41	55	0	नहीं	--	--	मराडी	--	--	--			C	नहीं	नहीं
62	हिण्डोली	रघुनाथपुरा	रघुनाथपुरा	62	- " -	2	67	0	69	0	नहीं	--	60	विजयगढ	--	5033	1545		B		नहीं	नहीं
63	बून्दी	हरिपुरा	हरिपुरा	63	- " -	10	10	72	92	0	नहीं	--	50	कांटी अस्तोली	--	2198	198807		B		हॉ	नहीं
64	डाबी	हरिपुरा (नमाना)	नमाना	64	5/18/1998	1	64	14	79	0	नहीं	--	--	..	--	--	--			C	नहीं	नहीं
65	इन्द्रगढ	आमलीखेडा	बलवन	65	5/23/1998	31	22	13	66	0	नहीं	--	--	बलवन	--	--	--			C	नहीं	नहीं
66	डाबी	फतेहपुर	फतेहपुर	66	- " -	0	26	24	50	0	नहीं	--	--	धोरला गरडदा.	--	3927	20620		B		नहीं	नहीं
67	डाबी	गोपालपुरा	गोपालपुरा	67	- " -	4	0	36	40	0	नहीं	--	50	लाम्बाखेह	--	3894	9758		B		नहीं	नहीं
68	डाबी	बुधपुरा	बुधपुरा	68	- " -	10	18	33	61	0	नहीं	--	--	डसालिया	--	3888	73866	A			नहीं	नहीं
69	डाबी	धारेला	धोरेला	69	- " -	0	8	48	56	0	नहीं	--	--	धोरला गरडदा.	--	3889	32936	A			नहीं	नहीं
70	डाबी	गागोस	गागोस	70	- " -	41	6	14	61	0	नहीं	--	--	भरता बावडी	--	--	--			C	नहीं	नहीं
71	डाबी	देई	देई	71	8/18/1998	3	6	40	49	0	नहीं	--	--	देई	--	--	--			C	नहीं	नहीं
72	डाबी	फलासूनी	फलासूनी	72	- " -	0	0	55	55	0	नहीं	--	100	विषधारी	--	6468	5550		B		हॉ	नहीं
73	डाबी	लुहारिया	लुहारिया	73	- " -	9	0	64	73	0	नहीं	--	100	रेण	--	1494	18500		B		हॉ	नहीं

74	नैनवॉ	नैनवॉ	पाई	74	12/14/1998	40	8	12	60	10	हॉ	--	--	नैनवॉ देई	--	7180	700			C	नहीं	नहीं
75	हिण्डोली	हिण्डोली	काछोला	75	- " -	25	8	62	95	0	नहीं	--	--	हिण्डोली काछोला	--	--	--	A			नहीं	नहीं
76	नैनवॉ	नैनवॉ	हीरापुर	76	- " -	0	1	30	31	2	नहीं	--	--	तलवास	--	--	--			C	नहीं	नहीं
77	डाबी	डाबी	डाबी	77	1999	10	2	40	52	2	नहीं	--	--	डाबी पलका	--	3978	61651	A			हॉ	नहीं
78	हिण्डोली	अलोद	अलोद	78	- " -	5	10	44	59	0	नहीं	--	--	अकलोर पानीढाल	--	--	--			C	नहीं	नहीं
79	बून्दी	छापरदा	छापरदा	79	- " -	4	14	25	43	0	नहीं	--	--	ख्यावदा	--	2138	430			C	नहीं	नहीं
80	नैनवॉ	सहनपुर	सहनपुर	80	- " -	21	11	11	43	0	नहीं	--	--	..	--	--	--			C	नहीं	नहीं
81	इन्द्रगढ	सांगोदा	सांगोदा	81	- " -	0	3	47	50	0	नहीं	--	--	हिण्डोली	--	2508	10000			C	हॉ	नहीं
82	इन्द्रगढ	दरा माताजी	दरा माताजी	82	- " -	0	0	30	30	0	नहीं	--	--	माताजी वाला	--	20126	500			C	नहीं	नहीं
83	हिण्डोली	गोठडा	गोठडा	83	- " -	2	35	19	56	1	नहीं	--	--	रेण	--	5033	1545			C	नहीं	नहीं
84	नैनवॉ	फुलेता	फुलेता	84	- " -	15	31	31	81	7	हॉ	--	--	नैनवॉ देई	--	10024	35684		B		नहीं	नहीं
85	बून्दी	मेघारावत की झोप.	मेघारावत की झोप.	85	- " -	17	4	83	104	0	नहीं	--	--	मुण्डेर	--	1166	9628		B		नहीं	नहीं
86	डाबी	श्यामू	श्यामू	86	- " -	89	0	11	100	0	नहीं	--	--	मराडी	--	--	--			C	नहीं	नहीं
87	नैनवॉ	बीजन्ता	बीजन्ता	87	- " -	12	6	32	50	0	नहीं	--	--	--	--	--	--			C	नहीं	नहीं
88	बून्दी	अनारजी की झोप.	अनारजी की झोप.	88	- " -	25	32	7	64	1	नहीं	--	--	मुण्डेर	--	1228	1210			C	नहीं	नहीं
89	नैनवॉ	बठवादी देवरिया	खानपुरा	89	- " -	36	23	0	59	7	हॉ	7	--	--	--	--	--			C	नहीं	नहीं
90	डाबी	किशनपुरा	नमाना	90	- " -	33	4	27	64	2	नहीं	--	--	भरता बावडी	--	--	--			C	नहीं	नहीं
91	नैनवॉ	बाछोला	बाछोला	91	- " -	2	4	94	100	10	हॉ	7	--	बाछोला	--	2186	200			C	नहीं	नहीं
92	के०पाटन	डोलर	डोलर	92	- " -	26	55	0	81	0	नहीं	--	--	रोटेदा	--	--	--	A			नहीं	नहीं
93	हिण्डोली	सहसपुरिया	सहसपुरिया	93	- " -	0	12	32	44	7	हॉ	7	--	टोंकडा बी	--	--	--			C	नहीं	नहीं

94	बून्दी	झर महादेव	झरबालापुरा	94	- " -	0	0	50	50	0	नहीं	--	--	झरपीर	--	2138	500			C	हॉ	नहीं
95	रामगढ	आकोदा	आकोदा	95	- " -	1	12	87	100	0	नहीं	--	--	भैरूपुरा	--	--	--			C	नहीं	नहीं
96	इन्द्रगढ	गेण्डोली	गेण्डोली	96	- " -	0	17	15	32	7	हॉ	7	--	गेण्डोली	--	2508	16141	A			हॉ	नहीं
97	हिण्डोली	गोरधनपुरा	गोरधनपुरा	97	4/23/2003	122	0	34	156	73	हॉ	7	--	विजयगढ	--	6550	36886		B		हॉ	नहीं
98	नैनवॉ	गुरजानिया	गुरजानिया	98	- " -	26	51	0	77	31	हॉ	7	--	नैनवॉ देई	--	--	--		B		नहीं	नहीं
99	नैनवॉ	धानुगांव	सुवमैन्या	99	- " -	65	64	38	167	15	हॉ	7	--	..	--	--	--		B		नहीं	नहीं
100	हिण्डोली	नेत	नेत	100	7/5/2003	55	6	3	64	21	हॉ	7	--	..	--	--	--		B		नहीं	नहीं
101	रामगढ	खटकड	खटकड	101	- " -	1	2	8	11	2	नहीं	--	--	खटकड	--	--	--	A			हॉ	नहीं
102	रामगढ	गुलाखेडी	गुलाखेडी	102	- " -	3	0	8	11	2	नहीं	--	--	खटकड	--	--	--		B		नहीं	नहीं
103	रामगढ	गुढा सदावर्तिया	गुढा सदावर्तिया	103	- " -	12	16	45	73	23	हॉ	7	--	रामगढ	--	60173	142449		B		नहीं	नहीं
104	रामगढ	भीमगंज	भीमगंज	104	- " -	11	0	1	12	2	नहीं	--	--	खटकड	--	--	--		B		नहीं	नहीं
105	रामगढ	लुहारपुरा	लुहारपुरा	105	- " -	19	1	1	21	2	नहीं	--	--	पीपलिया माणक चौक	--	--	--		B		नहीं	नहीं
106	नैनवॉ	गूंता	गूंता	106	- " -	6	8	23	37	2	नहीं	--	--	गेण्डोली	--	--	--		B		नहीं	नहीं
107	इन्द्रगढ	फोलाई	फोलाई	107	- " -	3	2	30	35	0	नहीं	--	--	फोलाई	--	2507	37682	A			नहीं	नहीं
108	इन्द्रगढ	कुआगांव	कुआगांव	108	- " -	13	10	35	52	2	नहीं	--	--	फोलाई	--	--	--		B		नहीं	नहीं
109	के०पाटन	समदपुरिया	समदपुरिया	109	- " -	3	3	5	11	3	नहीं	--	--	..	--	--	--		B		नहीं	नहीं
110	के०पाटन	बालोद	बालोद	110	- " -	3	3	5	11	3	नहीं	--	--	रोटेदा	--	5.1E+10	2196	A			हॉ	नहीं

111	के०पाटन	रामगंज	रामगंज	111	- " -	1	3	8	12	10	हॉ	7	--	रामगंज	--	5.1E+09	19998	A			हॉ	नहीं
112	के०पाटन	गादेगाल	मांगली	112	- " -	0	5	13	18	10	हॉ	7	--	..	--	--	--		B		नहीं	नहीं
113	के०पाटन	बलदेवपुरा	बलदेवपुरा	113	- " -	0	0	11	11	3	नहीं	--	--	बलदेवपुरा	--	5.1E+09	99855	A			हॉ	नहीं
114	के०पाटन	डोलर	डोलर	114	- " -	0	6	5	11	3	नहीं	--	--	रोटेदा	--	10099	--	A			हॉ	नहीं
115	के०पाटन	रोटेदा	रोटेदा	115	- " -	0	0	11	11	3	नहीं	--	--	रोटेदा	--	--	15000	A			हॉ	नहीं
116	के०पाटन	सारसला	सारसला	116	1/19/2004	8	19	63	90	32	हॉ	7	--	..	--	--	--		B		नहीं	नहीं
117	नैनवॉ	सादेडा	सादेडा	117	- " -	16	19	91	126	26	हॉ	7	--	मंरा	--	--	--		B		नहीं	नहीं
118	इन्द्रगढ	अणघोरा	अणघोरा	118	2/10/2004	0	13	29	42	2	नहीं	--	--	गढवाला	--	3638	47655	A			हॉ	नहीं
119	नैनवॉ	खोडी	खोडी	119	8/11/2004	0	17	140	157	41	हॉ	7	200	जजावर	--	10009	338428	A			हॉ	नहीं
120	के०पाटन	पीप्लदा	पीप्लदा	120	3/31/2005	29	0	31	60	0	हॉ	11	25	..	--	10636	61086	A			हॉ	नहीं
121	रामगढ	ठीकरदा	ठीकरदा	121	3/31/2005	1	1	48	50	0	हॉ	11	50	शिकारबुर्ज	--	3589	126047	A			हॉ	नहीं
122	रामगढ	दलेलपुरा	दलेलपुरा	122	3/31/2005	16	12	11	49	0	हॉ	8	50	भैरूपुरा	--	3588	2337	A			नहीं	नहीं
123	बून्दी	गणपतपुरा	गणपतपुरा	123	3/31/2005	10	34	22	66	0	हॉ	7	50	झरपीर	--	10038	80880	A			हॉ	नहीं
124	बून्दी	चयोपुराया की बावड़ी	चयोपुराया की बावड़ी	124	3/31/2005	55	0	7	62	0	हॉ	11	50	झरपीर	--	10043	68829	A			हॉ	नहीं
125	रामगढ	दरा का नयागांव	दरा का नयागांव	125	3/31/2005	15	11	28	54	0	हॉ	7	100	विषधारी	--	3637	125167	A			हॉ	नहीं
126	रामगढ	डाबेटा	डाबेटा	126	3/31/2005	17	10	19	46	0	हॉ	7	50	विषधारी	--	3636	87364	A			हॉ	नहीं

127	इन्द्रगढ	देवपुरा	देवपुरा	127	6/28/2005	14	0	65	79	0	हॉ	7	--	मोहनपुरा	--	--	--		B		नहीं	नहीं
128	इन्द्रगढ	अरीयाली	अरीयाली	128	6/28/2005	0	42	15	57	0	हॉ	7	50	बूढकरवर	--	4233	213177		B		हॉ	नहीं
129	इन्द्रगढ	भावपुरा नाडी	भावपुरा नाडी	129	6/28/2005	47	0	4	51	0	हॉ	7	50	लाखेरी	--	6011	57629		B		नहीं	नहीं
130	नैनवॉ	कोरमा	कोरमा	130	6/28/2005	33	5	73	111	0	हॉ	7	100	कोरमा	--	10008	116368	A			हॉ	नहीं
131	नैनवॉ	आतरदा	आतरदा	131	6/28/2005	89	7	158	254	0	हॉ	7	--	तलवास	--	--	--		B		हॉ	नहीं
132	डाबी	बालुपरा	बालुपरा	132	6/30/2005	3	18	35	56	0	हॉ	7	50	जाखमुण्ड	--	3929	73587	A			हॉ	नहीं
133	डाबी	केथूदा	केथूदा	133	6/30/2005	20	5	36	61	0	हॉ	7	50	जाखमुण्ड	--	3930	91850	A			हॉ	नहीं
134	के0पाटन	ढीकोली	ढीकोली	134	7/2/2005	3	0	47	50	0	हॉ	7	50	रोटेदा	--	10638	104675	A			हॉ	नहीं
135	रामगढ	फजलपुरिया	आकोदा	135	8/16/2005	0	4	31	35	0	हॉ	7	50	भैरूपुरा	--	3668	51003	A			हॉ	नहीं
136	हिण्डोली	सलावलीया	सहसपुरिया	136	8/16/2005	24	0	128	152	0	हॉ	7	222	टोंकडा बी	--	4442	513564	A			हॉ	नहीं
137	हिण्डोली	ओधन्धा	काछोला	137	8/16/2005	12	6	32	50	0	हॉ	7	200	ओधंधा	--	4441	411952	A			हॉ	नहीं
138	हिण्डोली	गोरस्या का खेड़ा	भवानीपुरा	138	8/16/2005	7	0	61	68	0	हॉ	7	100	रेण	--	4445	140923	A			हॉ	नहीं
139	हिण्डोली	अमरपुरा	मेडी	139	8/16/2005	1	0	62	63	0	हॉ	11	--	रेण	--	4444	369131	A			हॉ	नहीं
140	हिण्डोली	घावड़ की झोपड़ीया	हिण्डोली	140	8/16/2005	0	0	44	44	0	हॉ	11	50	..	--	4448	88758	A			नहीं	नहीं
141	हिण्डोली	पानीढाल	चतरगंज	141	8/16/2005	0	0	185	185	0	हॉ	7	100	अकलोर	--	4447	108126	A			हॉ	नहीं
142	हिण्डोली	खिण्या	खिण्या	142	8/16/2005	40	24	48	112	0	हॉ	11	--	खिण्या	--	--	--	A			नहीं	नहीं

143	डाबी	रामपुरिया	जाखमुण्ड	143	10/19/2005	3	16	42	61	7	हॉ	11	--	रापुरिया	--	4273	7565	A			नहीं	नहीं
144	डाबी	गुजरो की थडी	डाबी	144	10/19/2005	47	1	32	80	22	हॉ	11	--	डाबी पलका	--	6427	4199	A			नहीं	नहीं
145	हिण्डोली	भोजगढ	खीण्या	145	10/19/2005	4	214	46	264	45	हॉ	11	--	खिण्या	--	--	--	A			नहीं	नहीं
146	हिण्डोली	नारायणपुर	डाटून्दा	146	10/19/2005	25	2	28	55	11	हॉ	11	--	डाटून्दा	--	--	--	A			नहीं	नहीं
147	नैनवॉ	बडी बडाप	फुलेता	147	10/19/2005	22	5	45	54	22	हॉ	11	--	नैनवॉ देई	--	--	--	A			नहीं	नहीं
148	डाबी	सूतडा	धनेश्वर	148	11/23/2005	43	35	14	92	22	हॉ	22	--	धनेश्वर	--	6508	4037		B		नहीं	नहीं
149	इन्द्रगढ	जयनिवास	जयनिवास	149	1/3/2006	16	15	20	51	10	हॉ	10	50	भैरूपुरा	--	4567	206368	A			हॉ	नहीं
150	रामगढ	बरवास	बरवास	150	2/14/2006	5	26	0	31	7	हॉ	7	50	खटीयाडी	--	4187	72278	A			हॉ	नहीं
151	रामगढ	केशोपुरा	केशापुरा	151	2/14/2006	4	0	46	50	28	हॉ	28	50	खटकड	--	3911	55945	A			हॉ	नहीं
152	इन्द्रगढ	आमेरपुरा	आमेरपुरा	152	8/22/2006	0	0	80	80	35	हॉ	7	100	बलवन		4842	37559		B		हॉ	नहीं
153	रामगढ	लुहारपुरा	लुहारपुरा	153	3/23/2007	1	18	22	41	11	हॉ	11	--	पीपलिया माणक चौक	--	57622600	500			C	नहीं	नहीं
154	रामगढ	पिपल्या	पीपल्या	154	3/23/2007	22	0	33	55	11	हॉ	11	--	पीपलिया माणक चौक	--	8763	500			C	नहीं	नहीं
155	रामगढ	विषधारी	विषधारी	155	10/9/07	8	18	43	69	11	हॉ	11	--	विषधारी	--	4517	300			C	नहीं	नहीं
156	हिण्डोली	थाना	थाना	156	29/10/07	47	36	73	156	55	हॉ	11	50	थाना	50	26259	2070		B		हॉ	नहीं
157	हिण्डोली	रामपुरिया	रामपुरिया	157	29/1/09	5	0	68	73	13	हॉ	13	--	टोकडा बी	--	1907	1000			C	नहीं	नहीं
158	डाबी	धनातरी	धनातरी	158	29/1/09	4	38	42	85	20	हॉ	20	--	जाखमुण्ड	--	6671101	1000			C	नहीं	नहीं

159	बून्दी	गोपालपुरा	गोपालपुर T	159	16／2／09	24	25	214	263	7	हॉ	7	--	भीमलत	--	3564	500			C	नहीं	नहीं
160	इन्द्रगढ	गुदली	गुदली	160	7／10／09	0	47	46	93	10	हॉ	10	100	तलवास	--					C	नहीं	नहीं
161	इन्द्रगढ	नयागांव	नयागांव	161	7／10／09	33	0	37	70	7	हॉ	7	50	तलवास	--					C	नहीं	नहीं
162	नैनवॉ	बांसी	बांसी	162	7／10／09	5	0	95	100	7	हॉ	7	50	लक्ष्मीपुरा	--					C	नहीं	नहीं
163	डाबी	तुलसी	तुलसी	163	7／10／09	49	0	36	85	7	हॉ	7	50	जाखमुण्ड	--					C	नहीं	नहीं
164	हिण्डोली	विजयगढ़	विजयगढ़	164	9／2／10	50	135	64	249	60	हॉ	60	50	फालेण्डा		6ण11ऱ10	7561					
					योग	**2503**	**2970**	**7148**	**12599**	**1139**	**69/90**	**709**	**6392**		**30887**		**6246238**	**61**	**46**	**56**	55 हॉ／108 नही	163 नही

परिशिष्ट – **(XVII)**

वनमण्डल बून्दी

वनमण्डल अधीन भवनों की आवश्यकता/उपलब्धता एवं वर्तमान स्थिति

क्रम संख्या	पदनाम	आवश्यक भवन (नार्मस के अनुसार)		उपलब्ध भवन		वर्तमान स्थिति	
		कार्यालय	आवास	कार्यालय	आवास	कार्यालय	आवास
1	मण्डल वन अधिकारी	1	1	1	1	1	1
2	सहायक वन संरक्षक	2	2	1	1	1	1
3	क्षैत्रीय वन अधिकारी	6	6	6	6	6	6
4	वनपाल (नाका)	33	33	26	26	26	26
5	वनरक्षक (चौकी)	9	9	9	9	9	9

स्त्रोत :– कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, (सा.नि.वि.) बूंदी।

परिशिष्ट – **(XVIII)**

वनमण्डल बूंदी में सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से गत 10 वर्षो में घास एवं चारा प्राप्त करने सम्बन्धी विवरण

क्रम संख्या	वर्ष	कार्यरत वन सुरक्षा समितियों की संख्या	समिति सदस्यों की संख्या			समिति के खाते में जमा राशि	समितियों को प्राप्त घास की मात्रा (क्विटल में)
			पुरूष	महिला	योग		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	1999-2000	-	-	-	-	-	-
2	2000-01	-	-	-	-	-	-
3	2001-02	-	-	-	-	-	-
4	2002-03	-	-	-	-	-	-
5	2003-04	-	-	-	-	-	-
6	2004-05	-	-	-	-	-	-
7	2005-06	31	2379	202	2581	588499.00	1645
8	2006-07	31	2379	202	2581	1495542.00	2680
9	2007-08	31	2379	202	2581	1602585.00	1684
10	2008-09	31	2379	202	2581	1798597.00	1495
11	2009-10	Nil					-
12	2011-12						-

(1) ड्यूटी के दौरान मारे गये वन कार्मिको की सूची।

–कोई नही–

(2) महा वृक्षों की सूची।

–कोई नही–

परिशिष्ट – **(XX)**

वनखण्डों में वनाग्नि पट्टियों की सूचना

क्र. सं.	रेंज	वनखण्ड	चौडाई मी. में	लम्बाई कि.मी. में
1.	डाबी	धौरेला गरडदा	3	15
		डाबी पलका	3	15
		गरडदा	3	5
		घनेश्वर	3	5
2.	नैंनवा	तलवास	3	15
		आन्तरदा	3	5
3.	हिण्डोली	खिण्या	3	15
		विजयगढ	3	2
		ओवण (बसोली)	3	5
		हिण्डोली काछोला	3	5
4.	बूंदी	भिमलत	3	5
		कांटी अस्तोली	3	5
		भीमगंज	3	7
5.	इन्द्रगढ	गडवाला	3	7
		सालमदरा–ए	3	3
		सालमदरा–बी	3	3
		सालमदरा–सी	3	3
		सालमदरा–डी	3	3

परिशिष्ट – **(XXI)**

(1) वन विभाग को प्राप्त भूमि

वन मण्डल, बून्दी

वर्ष 2010 तक वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत गैरवानिकी कार्यो हेतु विधिवत् अनारक्षित वन क्षैत्रों की एवज में क्षतिपूर्ति हेतु वन विभाग को प्राप्त राजस्व क्षैत्र का विवरण

क्रं0सं0	नाम ग्राम	खसरा नं0	रकबा है0 में (बीघा/बिस्वा)	प्रकरण का नाम व संक्षिप्त विवरण जिसमें उक्त भूमि प्राप्त हुई	नामतरण की संख्या	रक्षित/आरक्षित कराने की प्रगति	
						प्रांरभिक विज्ञप्ति	अंतिम विज्ञप्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	बाछोला, तह0 नैनवां	1846	82.10	चाकन सिंचाई परियोजना में प्राप्त भूमि	-	प–2 (25) वन /06 दिनांक 29.08.06 राजपत्र दिनांक 30.11.06 में प्रकाशित	नहीं।
		1848	88.88				
		1849	123.10				
		1850	86.00				
		1851	141.01				
		1957	84.05				
		1858	94.15				
		1859	67.08				
		1860	49.18				
योग			**815.55**				
2	कोरमा तह0 नैनवां	1364	18.11	ट्रान्समिशन लाईन 400 केवी. कोरमा, तह0 नैनवां विद्युत लाईन धारा भीलवाडा 24.15 है0 वनभूमि प्रत्यावर्तन	-	प–2 (26) वन 06 दिनांक 29.08.06 राजपत्र दिनांक 30.11.06 में प्रकाशित	नहीं।
		1376	39.06				
		1284	22.09				
		1404	54.07				
		1421	15.00				
		1419	7.00	संपर्क सडक विजयगढ़ से नेहडी		प–2 (26) वन 06 दिनांक 29.08.06 राजपत्र दिनांक 28.12.06 में प्रकाशित	नहीं।
		1676	27.10				
		1680	57.06				
				3.375 है0			

		1375	0.18	वनभूमि प्रत्यावर्तन संपर्क सडक नमाना से गुवांर वनभूमि प्रत्यावर्तन 4.73			
		1374	8.13				
		1369	5.00				
		409	20.00				
		402	10.08				
		399	19.00				
योग			**301.88**		-		
3	कोटा खुर्द तह0 इन्द्रगढ़	517 mit.	30.02	संपर्क सडक गोठडा से हिण्डोली 2.048 है0 वनभूमि प्रत्यावर्तन 2.048 है0	-	प्रा0 वि0 प–2 (26) वन 06 दिनांक 29.08.06 राजपत्र दिनांक 28.12.06 में प्रकाशित	प 2 (2)1/2012 दिनांक 21.06.2012
		513 mit.	43.06				
		534 mit.	48.03				
		536 mit.	104.16				
		570	68.17				
		571	72.00				
		572	47.10				
		573	60.00				
		675/3	28.00				
		688	23.11				
		568 mit.	35.08				
		634	102.11				
		569	12.10				
योग			**672.94**		-		
4	रोटेदा तह0 के0पाटन	1195	3.99	जिला कलक्टर बून्दी के आदेश दिनांक 29.06.11 से प्राप्त भूमि सिंचाई परियोजना। सार्वजनिक निर्माण विभाग की परियोजनाओं में दी गई गैर वन भूमि	-	प्रारम्भिक विज्ञप्ति प्रकियाधीन है। (जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक 26 दिनांक 29.06.06 से प्राप्त एवं क्षैत्रीय वन अधिकारी के0पाटन द्वारा	–
		1197	5.97				
		1198	1.50				
		1199	1.79				
		1202	3.40				
		1204	1.45	संपर्क सडक			

		1211 mit.	20.18	हुवालिया 4.50 है0 वनभूमि प्रत्यावर्तन		दिनांक 09.04.08 को चार्ज में ली 47.39 हे0)	
		1212	1.17				
		1240	4.35	संपर्क सडक कालानला 3.75 है0 वनभूमि प्रत्यावर्तन			
		1241	4.59				
योग			**48.39**				
5	गोपालपुरा तह0 के0पाटन	7.04	8.80	जिला कलक्टर बून्दी के आदेश दिनांक 26.06.06 से सिंचाई एवं सडक परियोजना में दी गई गैर वन भूमि	जिला कलक्टर के आदेश 26 दिनांक 29.06.06 से स्थानान्तरित।	प्रारम्भिक विज्ञप्ति प्रकियाधीन है। (चार्ज में ली गई हे0 15.72)	–
		737	15.28				
		746	15.72				
		519	14.37				
योग			**54.17**				
6	ढ़िकोली तह0 के0पाटन	337	4.50	संपर्क सडक नमाना–गरड दा केवड़िया वनभूमि प्रत्यावर्तन 1.705 हे0	जिला कलक्टर के आदेश 26 दिनांक 29.06.06 से स्थानान्तरित नामान्तरण संख्या 39।	प्रारम्भिक विज्ञप्ति प्रकियाधीन है। (चार्ज में ली गई 14.37 हे0)	–
	धावड तह0 के0पाटन	338	5.50	संपर्क सडक नेत में वनभूमि प्रत्यावर्तन 2.50 है0	जिला कलक्टर के आदेश 26 दिनांक 26.06.06 से स्थानान्तरित	प्रारम्भिक विज्ञप्ति प्रकियाधीन है। (चार्ज में ली गई 27.41 हे0)	
		391	1.30				
		392	4.51				
		393	4.36				
		394	4.71				
		395	2.53				
योग			**27.41**				
7	अणघौरा तह0 इन्द्रगढ़	1027/2	10.89	जिला कलक्टर बून्दी के आदेश 564 दिनांक 11.02.08 से प्रोजेक्ट मेनेजर रिडकोर मेगा हाईवे लालसोट कोटा 10.89 है0 हेतु आवंटित वनभूमि प्रत्यावर्तन के एवज में	जिला कलक्टर बून्दी के आदेश प–2(31) राजस्व/13/08/ दिनांक 11.02.08 से स्थानान्तरित	प 2 (9)1/2011 दिनांक 30.03.2012	विज्ञप्ति प्रकाशित होना शेष है।

				प्राप्त।			
योग			**10.89**				
8	डोरा तह0 बून्दी	15	2.38	जिला कलक्टर बून्दी के आदेश 3459–63 दिनांक 30.03.07 से संपर्क सडक डोरा से जलोदी वनभूमि प्रत्यावर्तन में प्राप्त 2.38 है0	3459–63 दिनांक 30.08.11 नामान्तरण संख्या 220/30.03.08	प 2 (9)1/2011 दिनांक 30.03.2012	विज्ञप्ति प्रकाशित होना शेष है।
योग			**2.38**				
9	गरडदा तह0 बून्दी	1268	20.14	गरडदा बांध परियोजना 205 है0 वनभूमि प्रत्यावर्तन	–	प्रा0 वि0 प–2–(24) वन दिनांक 04.08.06 राजपत्र दिनांक 21.09.06 में प्रकाशित की गई।	प 2 (2)1/2012 दिनांक 21.06.2012
		1269	15.98				
		1278	16.60				
		1256	5.12				
		1266	11.52				
		1267	14.72				
		1368	7.20				
		961	8.76				
योग			**100.04**				
10	ग्राम बहडाबली	401	2.07	गरडदा बांध परियोजना 205 है0	–	प्रा0 वि0 प–2–(12) वन दिनांक 19.07.06 राजपत्र दिनांक 21.09.06 में प्रकाशित की गई।	नहीं
		402	2.00				
		405	1.62				
		406	11.75				
		407	2.30				
		410	2.30				
		411	0.70				

		412	1.60				
		413	1.80				
		414	1.50				
		418	0.40				
		420	3.21				
		425	4.54				
		497	1.00				
		498	2.42				
		499	7.10				
		500	2.70				
		501	4.54				
		502	2.20				
		503	2.20				
		504	2.20				
		521	4.85				
		539	14.93				
		675	0.85				
		678	2.33				
		684	4.05				
		702	5.35				
		703	0.92				
		721	0.51				
		725	0.18				
		726	1.72				
		728	6.39				
		385/1	0.87				
		673/2	7.73				
		653	0.40				
		684 mit.	1.23				
योग			**112.46**				

11	ग्राम बरानी तह0 के0पाटन	20	4.01	ए.सी.सी. लाखेरी माईन्स चमावली से उतराना 100 है0	–	प 2 (9)1/2011 दिनांक 30.03.2012	विज्ञप्ति प्रकाशित होना शेष है।
		22	4.94				
		23	5.65				
		24	3.78				
		25	7.85				
		26	6.35				
		28	0.28				
		27	0.62				
		95	2.96				
		115	6.40				
		117	2.50				
		118	1.45				
		121	1.15				
		151	2.82				
योग			**50.76**				
12	करबाला की झोपडियां	1	15.56	ए.सी.सी. लाखेरी माईन्स चमावली से उतराना 100 है0	–	प्रा0वि0 4–2(1) वन दिनांक 09.07.09 राजपत्र में प्रकाशित की।	विज्ञप्ति प्रकाशित होना शेष है।
		12	10.75				
		15	10.00				
		58	7.94				
		59	13.31				
योग			**57.56**				
	ग्राम मराडी तह0 हिण्डोली	314 mit.	7.20	संपर्क सडक एन.एच. 39 से मराडी वनभूमि प्रत्यावर्तन 2.60 है0	जिला कलक्टर के आदेश 567 दिनांक 15.02.07	प 2 (9)1/2011 दिनांक 30.03.2012	विज्ञप्ति प्रकाशित होना शेष है।
	ग्राम मराडी तह0 हिण्डोली	0	0	संपर्क सडक अमरत्यिा से लुहारपुरिया वनभुमि प्रत्यावर्तन 4.60 है0	जिला कलक्टर के आदेश 567 दिनांक 15.02.07 से नामान्तरण सं0 297 दिनांक 03.11.07	प 2 (9)1/2011 दिनांक 30.03.2012	विज्ञप्ति प्रकाशित होना शेष है।
योग			**7.20**				

नाम, पदनाम हस्ताक्षर दिनांक सहित

वन मण्डल, बून्दी

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत अनारक्षण प्रकरणों का विवरण

क्रं0सं0	अनारक्षण प्रकरण का नाम	वर्ष	नाम वनखण्ड	गांव का नाम	अनारक्षित क्षैत्रफल (है0 में)	अनारक्षण प्रयोजन
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	बून्दी दुरदर्शन रिले केन्द्र वनखण्ड शिकार बुर्ज में वनभूमि प्रत्यावर्तन	1989	शिकार बुर्ज	बून्दी	1.12	दुरदर्शन प्रसारण हेतु।
2	सेण्ड स्टोन माईन्स के0 एल0 घाटीवाला धनेश्वर–डसालिया–सूतड़ा	2000	डसालिया बी0	सूतडा, धनेश्वर	104.34	खनन प्रयोजनार्थ।
3	लाईम स्टोन माईन्स ए0सी0सी0 सीमेन्ट फेक्ट्री लि0 लाखेरी	2006	उतराना	लाखेरी, उतराना	108	खनन प्रयोजनार्थ।
4	लाईम स्टोन माईन्स ए0सी0सी0 सीमेन्ट फेक्ट्री लि0 लाखेरी	2006	लाखेरी	लाखेरी, उतराना	100	खनन प्रयोजनार्थ।
5	वन भूमि प्रत्यावर्तन सिलिका सेन्ड के. एल. घाटीवाला बडोदिया	2000	फुल सागर	बडौदिया	41.6	सिलिका सेन्ड स्टोन कार्य
6	पावर ग्रिड कारपोरेशन 132 के. पी. अन्ता ब्यावर ट्रांसमिशन लाईन	2002	कांटी अस्तोली	कांटी अस्तोली सथूर	15.52	ट्रांसमीशन लाईन (इलेक्ट्रीकल पावर सप्लाई)।
7	5 लीज होल्डर गरडदा में स्वीकृत खनन कलस्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन	2001	गरडदा	गरडदा	7.652	खनन सेन्ड स्टोन गरडदा।
8	10 लीज धारक कलस्टर खनन कार्य हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन 5 लीज का नवीनीकरण लम्बित है।	2001	लाम्बाखोह	लाम्बाखोह	11.4506	नवीनीकरण प्रस्ताव लम्बित है। खनन प्रयोजनार्थ
9	132 केवी. ट्रांसमीशन लाईन हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन बून्दी से केकडी लाईन	2001	डाबी पलका	डाबी, पलका	14.85	विद्युत प्रसारण हेतु।
10	5 लीज होल्डर गरडदा में स्वीकृत खनन कलस्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन 5.52 है0	2001	डसालिया ए0	डसालिया	4.8088	खनन प्रयोजनार्थ।

11	2 लीज होल्डर कलस्टर हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन 4.276 है0	2001	डाबी पलका	डाबी, पलका	4.276	खनन प्रयोजनार्थ।
12	5 लीज होल्डर्स हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन	2002	डाबी पलका	डाबी, पलका	4.95	खनन प्रयोजनार्थ।
13	27 लीज होल्डर कलस्टर हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन	2004	धोरेला–गरड दा	धोरेला, गरडदा	38.04	खनन प्रयोजनार्थ।
14	4 लीज होल्डर कलस्टर हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन 5.2992 है0	2004	लाम्बाखोह	लाम्बाखोह	13.0392	खनन प्रयोजनार्थ।
15	भारत पेट्रोलियम बम्बई हेतु ट्रान्समीशन फोर पेट्रोलियम प्रोडक्ट	2005	बलवन	इन्द्रगढ़, बलवन	0.92	पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रान्समीशन पाईप लाईन (अण्डर ग्राउण्ड)
16	नेशनल हाईवे दिल्ली हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन	2006	धनेश्वर – करोन्दी–डाबी –धोरेला–गर डदा	धनेश्वर, करोन्दी, डाबी	88.78	सडक प्रयोजनार्थ।
17	संपर्क सडक नेत हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन	2007	अकलोर–पानी ढाल	अकलोर, पानीढाल	2.5	सडक प्रयोजनार्थ।
18	संपर्क सडक कालानला से रामगंज हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन	2007	मरा फतेहपुर	मरा, फतेहपुर	3.75	सडक प्रयोजनार्थ।
19	400 केवी. ग्रिड R.A.P.P To Kota पावर ग्रिड कोटा मेडता ट्रांसमीशन लाईन हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन	2007	डसालिया बी0–धनेश्वर–खडीपुर–करोन्दी–रामपुरिया – जाखमुण्ड	धनेश्वर, खडीपुर, रामपुरिया, जाखमुण्ड	83.3	विद्युत प्रसारण हेतु।
20	पावर ग्रिड स्टेशन R.A.P.P To Kota to Merta ट्रांसमीशन लाईन हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन 12.466 है0	2007	सथूर, विजयगढ़, जाखमुण्ड	विजयगढ़, जाखमुण्ड, सथूर	12.466	विद्युत प्रसारण हेतु।
21	संपर्क सडक डोरा–जलोदी हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन 2.88 है0	2008	डोरा	डोरा	2.38	सडक प्रयोजनार्थ।
22	संपर्क सडक अमरत्या–लुहारिया हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन 4.60 है0	2008	हिण्डोली–का छोला	काछोला	4.6	सडक प्रयोजनार्थ।
23	संपर्क सडक एन. एच 39 से मराडी तक वन भूमि	2008	वनखण्ड मराडी–बाण्डी खेडा	बाण्डी का खेडा, मराडी	2.6	सडक प्रयोजनार्थ।

	प्रत्यावर्तन 2.60 है0					
24	संपर्क सडक नमाना–गरडदा–केवडिया हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन 1.705 है0	2008	मराडी	मराडी	1.705	सडक प्रयोजनार्थ।
25	मेगा हाइवे लालसोठ–दौसा कोटा हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन 10.89 है0	2009	मोहनपुरा	मोहनपुरा, लाखेरी	10.89	सडक प्रयोजनार्थ।
26	संपर्क सडक विजयगढ़ नेहडी हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन 3.375 है0	2009	फालेण्डा	फालेण्डा	3.375	सडक प्रयोजनार्थ।
27	400 केवी. धारा–भीलवाडा ट्रांसमीशन लाईन हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन 24.15 है0	2009	गुढ़ा नीम का खेडा	गुढ़ा नीम का खेडा	24.15	विद्युत ट्रान्समीशन हेतु।
28	220 केवी कोटा जयपुर एसी. लाईन फ्रोम मेज रिवर से धारधडी हिल्स हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन 5.60 है0	1999	जजावर	जजावर	5.6	विद्युत ट्रान्समीशन हेतु।
29	हुवालिया लिकं रोड हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन 4.5 है0	2009	उमर–पगारा	टीकड, हुवालिया	4.5	सडक प्रयोजनार्थ।
30	संपर्क सडक गोठडा–हिण्डोली हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन 3.44 है0	2010	बालोला	बालोला	2.048	सडक प्रयोजनार्थ।
31	गरडदा सिंचाई परियोजनार्थ 205 है0 वनभूमि प्रत्यावर्तन	1998	मराडी–पराना –केवडिया लतारिया	होलासपुरा, मराडी, केवडिया	205	सिंचाई प्रयोजनार्थ।
32	नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट आगरा गैस बेस्ड परियोजना हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन 24.5 है0	1987	भीमलत, खीण्या	खीण्या	24.5	विद्युत प्रसारण हेतु।
33	कोटा–ब्यावर ट्रान्समीशन लाईन हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन 22 है0	1989	गुढ़ा नीम का खेडा–भीमलत –खीण्या	नीम का खेडा खीण्या	22	विद्युत प्रसारण हेतु।
34	एच.बी.जे. गैस पाईप लाईन हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन 3.48 है0	1986	पापडा	बलवन	1.48	गैस प्रसारण हेतु।
योग					**976.1906**	

परिशिष्ट –

(XXII)

कार्याल उप वन संरक्षक, बून्दी

गत 10 वर्षो में एनीकट निर्माण कार्य की सूची

क0 सं0	मद	लागत (रू. लाखो में)	वर्ष
1	एनीकट गोरस्या का खेडा		2003–04
2	एनीकट डाटून्दा		
3	एनीकट डाटून्दा		
4	एनीकट डाटून्दा		
5	एनीकट तीख्या डूंगरी		
6	एनीकट अरनेठा		
7	एनीकट जयनिवास		
8	एनीकट खानपुरा	3.40	2008–09
9	एनीकट बडी सांगोदा	4.50	2010–11
10	एनीकट अरियाली	5.30	2010–11
11	एनीकट अणघौरा	3.50	2010–11
12	एनीकट गुदली	3.60	2010–11
13	एनीकट हीरापुर	4.21	2010–11
नोट :– क्रम सं0 2 से 7 तक के एनीकट अधिशाषी अभियन्ता वानिकी विकास परियोजना जयपुर द्वारा निर्मित किये गये है।			

परिशिष्ट – (XXIII)

कार्यालय मण्डल वन अधिकारी, बून्दी

जिले में वन भूमि पर अतिक्रमण की सूचना, सितम्बर 2012 के अनुसार

क्रं0सं0	नाम वनखण्ड	राजस्व गांव का नाम	अतिक्रमण की संख्या	अतिक्रमण क्षैत्रफल (है0)	भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत दर्ज प्रकरण	क्षैत्रफल (है0)	प्रभावित क्षैत्रफल (है0)
1	**माटून्दा**	माटून्दा	19	30.08	19	30.08	30.08
2	**राडी गोबरिया**	रायथल	8	20.8	8	20.8	20.8
3	**कांटी अस्तोली**	बून्दी शहर	265	11.75	28	11.75	11.75
4	**गुढ़ा नीम का खेड़ा**	गुढ़ा	16	27.36	16	27.36	27.36
5	**डसालिया ए0**	डाबी	30	70	0	70	70
		बडफु	18	40	0	40	40
		बुधपुरा	20	50	0	50	50
		पराना	5	20	0	20	20
6	**डसालिया बी0**	सुतड़ा	4	10	0	10	10
		गुढ़ा	6	12	0	12	12
		राजपुरा	10	20	0	20	20
		खेड़ा	7	18	0	18	18
7	**लाम्बाखोह**	पीपल्दा	5	10	0	10	10
		लक्ष्मीपुरा	18	50	0	50	50
		बडफु	3	7	0	7	7
		गोपालपुरा	6	10	0	10	10
8	**डाबी पलका**	डाबी	32	70	0	70	70
		थड़ी	6	10	0	10	10
		पलका	3	15	0	15	15
		गरडदा	25	32	0	32	32
9	**धोरेला–गरडदा**	देवगढ़	9	15	0	15	15
		श्रीनगर	14	18	0	18	18
		गरडदा	20	40	0	40	40
10	**मराड़ी**	लोईचा	30	56	0	56	56

11	**गुवांर**	गुवांर	25	64	0	64	64
12	**गोलपुर**	गरडदा	7	11.2	0	11.2	11.2
13	**धनेश्वर**	धनेश्वर	14	25.6	0	25.6	25.6
14	**खडीपुर**	खडीपुर	50	150	0	150	150
		श्योपुरिया	13	50	0	50	50
15	**करोन्दी**	खडीपुर	20	150	0	150	150
16	**भरता बावडी**	धनान्तरी	63	100	63	100	100
		भरता बावडी	8	15	1	15	15
17	**अमलात अनार खो**	दुल्हापुरा	3	50	3	50	50
18	**कछालिया**	कछालिया	8	200	0	200	200
19	**लक्ष्मीपुरा**	लक्ष्मीपुरा	12	150	0	150	150
20	**रामपुरिया**	रामपुरिया	22	149.6	0	149.6	149.6
21	**जाखमुण्ड**	तुलसी	14	9.92	0	9.92	9.92
		जाखमुण्ड	2	3.2	0	3.2	3.2
		कैथूदा	1	1.6	0	1.6	1.6
22	**जरखोदा**	गुमानपुरा	25	41.45	4	41.45	41.45
23	**मांगली ए0**	गाधेगाल	5	4	5	4	4
24	**रामगंज**	रामगंज	2	1.62	2	1.62	1.62
25	**ख्यावदा**	दोताना	5	6.56	5	6.56	6.56
26	**देई–नैनवां ए0**	नैनवां	21	31.74	21	31.74	31.74
27	**देई–नैनवां बी**	मानपुरा	4	7.84	4	7.84	7.84
28	**देई–नैनवां सी**	नाथडी	41	7.20	41	7.20	7.20
29	**देई–नैनवां डी**	देई	22	3.52	22	3.52	3.52
30	**चेनपुरिया–लक्ष्मीपुरा**	कोरमा	13	28.00	13	28.00	28.00
		खानपुरा	10	8.32	10	8.32	8.32
31	**पीपल्या–माणकचौक**	पीपल्या	8	9.92	8	9.92	9.92
32	**तलवास**	भंवरखोल	6	0.96	6	0.96	0.96
		गुलगांव	8	10.56	8	10.56	10.56
		तलवास	10	13.92	10	13.92	13.92
33	**बांसी दुगारी**	बांसी	9	8.96	9	8.96	8.96
		दुगारी	13	20.64	13	20.64	20.64
		रामगंज	11	9.12	11	9.12	9.12

34	**जजावर ए**	खोडी	19	21.92	19	21.92	21.92
		जजावर	15	15.84	15	15.84	15.84
		टोपां	32	44.8	32	44.8	44.8
35	**झरपीर**	बून्दी शहर	385	15	0	15	15
36	**भैरूपुरा**	आकोदा	23	5	0	5	5
37	**खटखड़**	बलदेवपुरा	50	2	0	2	2
38	**रामगढ़**	भीमगंज	5	5	0	5	5
39	**पीपल्या**	गुढा सत्यावर्तिया	4	4.5	0	4.5	4.5
40	**पीपल्या**	फतेहपुरा	1	1.5	0	1.5	1.5
41	**बटावती**	बटावती	4	3	0	3	3
42	**अरियाली–बुढ़करवर**	कनकपुरा	12	50	0	50	50
		करवर	38	15	0	15	15
		छत्रपुरा	3	2.3	0	2.3	2.3
43	**मोहनपुरा**	गुढ़ा	3	3		3	3
44	**गेण्डोली**	मांडपुर	11	10	0	10	10
		बडी सांगोदा	0	2	0	2	2
45	**माताजी वाला**	दरा माताजी	5	9.28	0	9.28	9.28
46	**बन की डडवाडा डी.**	डडवाडा	17	39.52	10	39.52	39.52
		खरायता	3	4.8	0	4.8	4.8
		ठीकरी	3	7.2	0	7.2	7.2
		नयागांव	2	2.4	0	2.4	2.4
47	**सालमदरा**	बालापुरा	3	5.6	0	5.6	5.6
48	**पापडी**	गुवांर	5	36	0	36	36
		पापड़ी	5	7.2	0	7.2	7.2
		लाखेरी	5	1.6	0	1.6	1.6
49	**कांकरा**	सुवाड़िया	2	3.2	2	3.2	3.2
50	**खीण्या**	खीण्या	42	7.24	42	7.24	7.24
51	**नैगढ़**	नैगढ़	2	3.52	2	3.52	3.52
52	**बन्धा का खेड़ा**	बन्धा का खेड़ा	23	46.08	23	46.08	46.08
53	**नहारगढ़ – भोजगढ़**	नहारगढ़–भोजगढ़	10	24.16	10	24.16	24.16
54	**औधन्धा**	औधन्धा	114	367.3	114	367.3	367.3
55	**उमर – माता**	उमर – माता	7	13.12	7	13.12	13.12

56	**बडगांव**	बडगांव	14	27.04	14	27.04	27.04
57	**फालेन्डा**	विजयगढ़	35	48.64	35	48.64	48.64
58	**रेण ए0**	कचनारियां	37	54.72	37	54.72	54.72
59	**रेण बी0**	रेण	42	110.4	42	110.4	110.4
		भवानीपुरा	32	18.72	32	18.72	18.72
60	**अकलोर–पानीढाल**	अकलोर	25	37.44	25	37.44	37.44
		नेत	75	94.24	75	94.24	94.24
		पानीढाल	9	8.8	9	8.8	8.8
61	**हिण्डोली–काछोला**	गणेशगंज	52	78.72	52	78.72	78.72
		पायरा	31	60.8	31	60.8	60.8
62	**टोकडा बी0**	हिण्डोली	18	19.2	18	19.2	19.2
63	**टोकडा ए0**	भीमगंज	6	5.776	6	5.776	5.776
64	**डाटून्दा**	डाटून्दा	40	40.48	40	40.48	40.48
65	**बान्डी मराडी**	जहाजपुर	45	43.2	45	43.2	43.2
		बसोली	50	60.16	50	60.16	60.16
66	**ओवन**	ओवन	56	74.88	56	74.88	74.88
67	**उमर – पगारा**	उमर	15	47.52	15	47.52	47.52
योग :–			**2489**	**3617.256**	**1188**	**3617.256**	**3617.256**

परिशिष्ट – (XXIV)
वन मण्डल, बून्दी

रेंज हिण्डोली में दर्ज वन एवं वन्यजीव अपराध प्रकरणों की सूचना (वर्ष 99–2000 से 2010–11)

क्रं0सं0	वर्ष	गत वर्ष तक के बकाया प्रकरण	इस वर्ष के कुल प्रकरण	योग (3+4)	कम्पाउंडेड प्रकरण	प्राप्त राजस्व लाखों में	दाखिल दफतर	कोर्ट चालान	अन्वेषण में	कोर्ट द्वारा फेसला केस
1	99.2000	0	3	3	1	17000	.	2	.	.
2	2000.01	2	2	4	1	3000	.	1	2	.
3	2001.02	3	4	7	4	15000	.	.	3	.
4	2002.03	3	.	3	.	.	.	.	3	.
5	2003.04	3	.	3	.	.	.	.	3	.
6	2004.05	3	.	3	.	.	.	.	3	.
7	2005.06	3	.	3	.	.	.	.	3	.
8	2006.07	3	.	3	.	.	.	.	3	.
9	2007.08	3	.	3	.	.	.	.	3	.
10	2008.09	3	2	5	1	6000	.	.	4	.
11	2009.10	4	3	7	2	26000	.	.	5	.
12	2010.11	5	1	6	.	.	.	.	6	.
योग :–		**35**	**15**	**50**	**9**	**67000**	**0**	**3**	**38**	**0**

वन मण्डल, बून्दी

रेंज नैनवां में दर्ज वन एवं वन्यजीव अपराध प्रकरणों की सूचना (वर्ष 99–2000 से 2010–11)

क्रं0सं0	वर्ष	गत वर्ष तक के बकाया प्रकरण	इस वर्ष के कुल प्रकरण	योग (3+4)	कम्पाउंडेड प्रकरण	प्राप्त राजस्व लाखों में	दाखिल दफतर	कोर्ट चालान	अन्वेषण में	कोर्ट द्वारा फेसला केस
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	99.2000	3	2	5	1	4000	.	.	4	.
2	2000.01	4	1	5	1	.	.	.	4	.
3	2001.02	4	.	4	.	.	.	.	4	.
4	2002.03	4	1	5	.	.	.	.	5	.
5	2003.04	5	1	6	.	.	.	.	6	.
6	2004.05	6	2	8	2	7000	.	.	6	.
7	2005.06	6	.	6	.	.	.	.	6	.
8	2006.07	6	.	6	.	.	.	.	6	.
9	2007.08	6	.	6	.	.	.	.	6	.
10	2008.09	6	1	7	.	.	.	1	6	.
11	2009.10	7	2	9	.	.	.	2	7	.
12	2010.11	9	1	10	.	.	.	1	9	.
योग :–		**66**	**11**	**77**	**4**	**11000**	**0**	**4**	**69**	**0**

वन मण्डल, बून्दी

रेंज के0पाटन में दर्ज वन एवं वन्यजीव अपराध प्रकरणों की सूचना (वर्ष 99–2000 से 2010–11)

क्रं0सं0	वर्ष	गत वर्ष तक के बकाया प्रकरण	इस वर्ष के कुल प्रकरण	योग (3+4)	कम्पाउंडेड प्रकरण	प्राप्त राजस्व लाखों में	दाखिल दफतर	कोर्ट चालान	अन्वेषण में	कोर्ट द्वारा फेसला केस
1	99.2000	.	.	0	.	.	.	.	.	.
2	2000.01	.	.	0	.	.	.	.	.	.
3	2001.02	.	1	1	.	.	.	.	1	.
4	2002.03	1	.	1	.	.	.	1	.	.
5	2003.04	1	.	1	.	.	.	.	1	.
6	2004.05	1	.	1	.	.	.	.	1	.
7	2005.06	1	2	3	2	4000	.	.	1	.
8	2006.07	1	.	1	.	.	.	.	1	.
9	2007.08	1	.	1	.	.	.	.	1	.
10	2008.09	1	1	2	1	5000	.	.	1	.
11	2009.10	1	2	3	1	2000	.	.	2	.
12	2010.11	2	2	4	2	500	.	.	2	.
योग :–		**10**	**8**	**18**	**6**	**11500**	**0**	**1**	**11**	**0**

वन मण्डल, बून्दी

रेंज डाबी में दर्ज वन एवं वन्यजीव अपराध प्रकरणों की सूचना (वर्ष 99–2000 से 2010–11)

क्रं0सं0	वर्ष	गत वर्ष तक के बकाया प्रकरण	इस वर्ष के कुल प्रकरण	योग (3+4)	कम्पाउंडेड प्रकरण	प्राप्त राजस्व लाखों में	दाखिल दफतर	कोर्ट चालान	अन्वेषण में	कोर्ट द्वारा फेसला केस
1	99.2000	1	.	1	.	.	.	.	1	.
2	2000.01	1	.	1	.	.	.	.	1	.
3	2001.02	1	.	1	.	.	.	.	1	.
4	2002.03	1	.	1	.	.	.	.	1	.
5	2003.04	1	.	1	.	.	.	.	1	.
6	2004.05	1	.	1	.	.	.	.	1	.
7	2005.06	1	.	1	.	.	.	.	1	.
8	2006.07	1	.	1	.	.	.	.	1	.
9	2007.08	1	.	1	.	.	.	.	1	.
10	2008.09	1	1	2	.	.	.	.	2	.
11	2009.10	2	1	3	.	.	.	.	3	.
12	2010.11	3	.	3	.	.	.	.	3	.
योग :–		**15**	**2**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**	**0**

वन मण्डल, बून्दी

रेंज इन्द्रगढ़ में दर्ज वन एवं वन्यजीव अपराध प्रकरणों की सूचना (वर्ष 99–2000 से 2010–11)

क्रं0सं0	वर्ष	गत वर्ष तक के बकाया प्रकरण	इस वर्ष के कुल प्रकरण	योग (3+4)	कम्पाउंडेड प्रकरण	प्राप्त राजस्व लाखों में	दाखिल दफतर	कोर्ट चालान	अन्वेषण में	कोर्ट द्वारा फेसला केस
1	99.2000	.	1	1	.	.	.	.	1	.
2	2000.01	1	2	3	2	21000	.	.	1	.
3	2001.02	1	.	1	.	.	.	.	1	.
4	2002.03	1	3	4	.	.	.	.	4	.
5	2003.04	4	1	5	.	.	.	.	5	.
6	2004.05	5	.	5	.	.	.	.	5	.
7	2005.06	5	.	5	.	.	.	.	5	.
8	2006.07	5	.	5	.	.	.	.	5	.
9	2007.08	5	.	5	.	.	.	.	5	.
10	2008.09	5	2	7	1	15000	.	.	6	.
11	2009.10	6	2	8	4	60000	.	.	4	.
12	2010.11	4	2	6	.	.	.	.	6	.
योग :–		**42**	**13**	**55**	**7**	**96000**	**0**	**0**	**48**	**0**

वन मण्डल, बून्दी

रेंज रामगढ़ में दर्ज वन एवं वन्यजीव अपराध प्रकरणों की सूचना (वर्ष 99–2000 से 2010–11)

क्रं0सं0	वर्ष	गत वर्ष तक के बकाया प्रकरण	इस वर्ष के कुल प्रकरण	योग (3+4)	कम्पाउंडेड प्रकरण	प्राप्त राजस्व लाखों में	दाखिल दफतर	कोर्ट चालान	अन्वेषण में	कोर्ट द्वारा फेसला केस
1	99.2000	.	.	0	.	.	.	.	.	.
2	2000.01	.	1	1	.	.	.	1	.	.
3	2001.02	1	2	3	2	1151	.	.	1	.
4	2002.03	1	2	3	.	.	.	2	1	.
5	2003.04	3	2	5	2	4500	.	.	3	.
6	2004.05	3	1	4	1	201	.	.	3	.
7	2005.06	3	2	5	1	9000	.	.	4	.
8	2006.07	4	2	6	1	21000	.	.	5	.
9	2007.08	5	4	9	1	500	.	.	8	.
10	2008.09	8	2	10	.	.	.	.	10	.
11	2009.10	10	1	11	.	.	.	.	11	.
12	2010.11	11	2	13	.	.	.	.	13	.
योग :–		**49**	**21**	**70**	**8**	**36352**	**0**	**3**	**59**	**0**

वन मण्डल, बून्दी

रेंज बून्दी में दर्ज वन एवं वन्यजीव अपराध प्रकरणों की सूचना (वर्ष 99–2000 से 2010–11)

क्रं0सं0	वर्ष	गत वर्ष तक के बकाया प्रकरण	इस वर्ष के कुल प्रकरण	योग (3+4)	कम्पाउंडेड प्रकरण	प्राप्त राजस्व लाखों में	दाखिल दफतर	कोर्ट चालान	अन्वेषण में	कोर्ट द्वारा फेसला केस
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	99.2000	2	68	70	66	112938	.	2	2	.
2	2000.01	4	93	97	91	128235	.	.	6	.
3	2001.02	6	132	138	128	155108	.	3	7	.
4	2002.03	10	102	112	97	79275	.	3	12	.
5	2003.04	15	94	109	86	146282	.	2	21	.
6	2004.05	23	110	133	107	167010	.	.	26	.
7	2005.06	26	166	192	164	220746	.	.	28	.
8	2006.07	28	84	112	83	50408	.	1	28	.
9	2007.08	29	63	92	63	120103	.	.	29	.
10	2008.09	29	70	99	68	266921	.	.	31	.
11	2009.10	31	81	112	75	197001	.	4	33	.
12	2010.11	37	76	113	71	138600	.	3	39	.
योग :–		**240**	**1139**	**1379**	**1099**	**1782627**	**0**	**18**	**262**	**0**

परिशिष्ट – (XXV)

दीवार निर्माण सूचना

क्रं0सं0	रेंज	वनखण्ड	आवश्यक दीवार की लम्बाई (र.मी. में)	दिनांक 30.09.2011 तक दीवार निर्माण (र.मी. में) का कार्य पूर्ण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	नैनवां	तलवास	.	2600	
2	रामगढ़	खटखड, रामपुरिया, खटीयाडी	.	6800	
3	हिण्डोली	ठीकरदा, टोकडा, भीमगंज, हिण्डोली, काछोला, अकलोर	.	2860	
4	इन्द्रगढ़	मोहनपुरा, लोनाबा	.	5400	
5	के0पाटन	मांगली	.	400	
6	बून्दी	सथूर, कांटी, नयाबाग, गुढ़ा नाथावत	.	4000	
7	डाबी	धनेश्वर, जाखमुण्ड	.	900	
Total			0	22960	0

परिशिष्ट – (XXVI)

बूंदी के वनमार्गो की सूची

Øa0la0	ou[k.M ftlesa ls lM+d xqtj jgh gSA	lM+d dk uke	lM+d dk izdkj	ou[k.M eas lM+d dh yEckbZ ¼fdeh0½	ou[k.M eas lM+d dh pkSM+kbZ ¼eh0½
1	डाबी–पलका	डाबी से गरड़दा	कच्ची	4	3
		पलका से गरड़दा	पक्की	2	4
		मोलाट से पलका	कच्ची	2	3
2	डसालिया ए0	डाबी से लाम्बाखोह	पक्की	3	4
		गणेशपुरा संपर्क सड़क	पक्की	0.5	4
		राजपुरा संपर्क सड़क	पक्की	2	4
		पराना से बडफू	कच्ची	3	3
		बुधपुरा से बडफू	कच्ची	2	3
		पराना से देव जी का खेड़ा	कच्ची	3	3
3	डसालिया बी0	खेडा से गुढ़ा	कच्ची	2	3
		सूतड़ा से गुढ़ा	कच्ची	0.5	3
		सूतड़ा से डसालिया	कच्ची	1	3

		डाबी से डबूसर	कच्ची	1.5	3
4	लाम्बाखोह	लाम्बाखोह से राणा जी का गुढ़ा	पक्की	1	4
		लाम्बाखोह से पीपल्दा	पक्की	1	4
		लाम्बाखोह से भुंजर घाटा	कच्ची	1	3
5	धोरेला–गरड़दा	एन0एच0 सं0 27	पक्की	2	25
		एन0एच0 सं0 27 से देवगढ़	कच्ची	1.5	3
6	धनेश्वर	भवानीपुरा से कंवरपुरा	कच्ची	2	3
		भवानीपुरा से थड़ी	कच्ची	0.5	3
		काला पीपल से धनेश्वर	कच्ची	1.5	3
		संपर्क सड़क सूतडा से डोरा	पक्की	3	4
		एन0एच0 सं0 27	पक्की	2	25
7	गरड़दा	संपर्क सड़क गरड़दा से भोपतपुरा	पक्की	4	4
		गरड़दा से बांसदेह	कच्ची	1.5	3
8	मराड़ी	गुंवार से केवड़िया	पक्की	1.5	4
		गुंवार से लोईचा	पक्की	4	4
		लोईचा से गरड़दा डेम	पक्की	2	4
9	गुवांर	गुंवार से पिंजर माता	कच्ची	2	3
10	गोलपुर	केवड़िया से गोलपुर	कच्ची	5	3
		गोलपुर से भोपतपुरा संपर्क सड़क से जोडने वाला रास्ता	कच्ची	4	3
11	लक्ष्मीपुरा	भरता बावड़ी से लक्ष्मीपुरा	पक्की	3	4

		लक्ष्मीपुरा से बरधा बांध	कच्ची	3	3
		संपर्क सड़क डोरा से सूतड़ा	पक्की	8	4
		संपर्क सड़क डोरा से कछालिया	पक्की	5	4
		संपर्क सड़क डोरा से जलोती	पक्की	1.5	4
		डोरा से कोहनी	कच्ची	3	3
12	अमलात–अनारखोह	लक्ष्मीपुरा से एड़दा	कच्ची	3	3
13	भरता बावड़ी	भरता बावड़ी से किशनपुरा	कच्ची	4	3
		नमाना से किशनपुरा	पक्की	2	4
		भरता बावड़ी से देव डूगंरी	कच्ची	2	3
		लक्ष्मीपुरा से लोधा की झोपड़िया	कच्ची	3	3
14	कछालिया	डोरा से श्योपुरिया	कच्ची	4	3
		नाईयों के तलाब से बिजाड़ी	पक्की	2	4
15	जाखमुण्ड	एन0एच0 सं0 12 का बाईपास (निर्माणाधीन)	पक्की	4	25
		जाखमुण्ड से रामपुरिया	कच्ची	3	3
		कैथूदा से मानपुरिया	कच्ची	3	3
		रामपुरिया से कोटा	कच्ची	5	3
16	रामपुरिया	रामपुरिया से जलोती	कच्ची	3	3
		जलोती से देवड़ा	कच्ची	3	3
17	खड़ीपुर	खडीपुर से श्योपुरिया	कच्ची	3	3
		खडीपुर से एन0एच0 सं0 27	पक्की	4	4
		खडीपुर से कोहनी	कच्ची	1	3

		एन0एच0 सं0 27 से गराड़िया महादेव	पक्की	2	4
18	करोन्दी	एन0एच0 सं0 27	पक्की	14	25
		एन0एच0 सं0 27 से पटियाल	कच्ची	1.5	3
		एन0एच0 सं0 27 से बोरकुई रोड़	पक्की	5	4
		करोन्दी से बिजाड़ी	कच्ची	5	3
19	जरखोदा	जरखोदा से ठीकरिया	पक्की	0.5	3
20	मांगली ए0	कोटखेडा से गाधेगाल	कच्ची	0.5	3
21	ख्यावदा	ख्यावदा से बगली	कच्ची	0.2	3
22	लाखेरी	मेघा हाईवे	पक्की	1.5	7.5
23	बन की डडवाड़ा	पगडण्डी मार्ग	कच्ची	2	2
		पगडण्डी मार्ग	कच्ची	1.5	2
24	सालमदरा सी0	पगडण्डी मार्ग	कच्ची	3	1.5
25	गढ़वाला	मेघा हाईवे	पक्की	2.5	7.5
26	माताजी वाला	मेघा हाईवे	पक्की	1.2	7.5
		स्टेट हाईवे	पक्की	1.7	3
27	मोहनपुरा	पगडण्डी मार्ग	कच्ची	3	2
28	कांकरा	पगडण्डी मार्ग	कच्ची	2	1.7
		पगडण्डी मार्ग	कच्ची	3	1.5
		पगडण्डी मार्ग	कच्ची	3.5	1.5
29	गेण्डोली	पगडण्डी मार्ग	कच्ची	3	4
30	फोलाई	पगडण्डी मार्ग	कच्ची	1	1.5

31	बलवन	पगडण्डी मार्ग	कच्ची	3	1
		रास्ता	कच्ची	0.5	4
32	नया बाग	नयाबाग से फूल सागर	पक्की	1.5	2
33	सथूर	सथूर से देवझर महादेव	कच्ची	3	2
34	राडी–गोबरिया	गोबरिया से बन का खेड़ा	कच्ची	1.5	1.5
35	भीमलत	स्टेट हाईवे से खीण्या	पक्की	2.5	2
		भीमलत महादेव सड़क	पक्की	2	2
36	मूदेड़ एवं भीमलत	बून्दी से बिजौलिया रोड़	पक्की	2	5
37	उमर–पगारा	टीकड़ से हुवालिया	पक्की	3	3
		उमर से पगारा	कच्ची	4	3
		पेच की बावड़ी से पगारा	पक्की	3	3
38	हिण्डोली–काछोला	हिण्डोली से औधन्धा	पक्की	9	3
39		हिण्डोली से मेण्डी	पक्की	9	3
40	औधन्धा	औधन्धा से मेण्डी	कच्ची	3	3
41	अकलोर–पानीढाल	हिण्डोली से धोवड़ा	पक्की	3	3
42	विजयगढ़ ए0	पेच की बावड़ी से थाना	पक्की	2	3
43	विजयगढ़ बी0	ब्राहमणों की झोपड़िया से हिण्डोली	पक्की	3	3
		थाना से हिण्डोली	पक्की	3	3
		विजयगढ़ से नेहडी	पक्की	3	3
44	फालेण्डा	थाना से फालेण्डा	पक्की	1	3
45	डाटून्दा	सथूर से बसोली	पक्की	2	3

		बसोली से सरोदड़ा	कच्ची	4	3
46	मराडी–बाण्डी का खेडा	डाटून्दा से मराडी	कच्ची	3	2
		बसोली से मराडी	पक्की	3	3
47	ओवन	बसोली से ओवन	पक्की	4	3
48	नाहरगढ़–भोजगढ़	बसोली से खिण्या	कच्ची	10	3
		खिण्या से खैरकटा	कच्ची	10	3
49	नैनवां–देई ए0	नैनवां से मानपरा	पक्की	2	6
		मानपुरा से पाई	पक्की	2	5
		पाई से गुरजनियां	कच्ची	2	5
		खाण्डपुरा से देवरिया	कच्ची	3	5
50	नैनवां–देई बी0	नाथडी से गुढ़ा देवजी	कच्ची	2	5
51	नैनवां–देई सी0	बंजारो के झोपडा से डेलपुरा	कच्ची	1	5
52	लक्ष्मीपुरा–चैनपुरिया ए0	कोरमा से चैनपुरिया	कच्ची	4	5
		नैनवां से कोरमा	पक्की	2	5
		कोरमा से दियाली	कच्ची	2	5
53	लक्ष्मीपुरा–चैनपुरिया बी0	दियाली से आम का खेडा	कच्ची	3	5
		खानपुरा से आव का खेडा	कच्ची	3	5
54	देई	देई से लीलदा	पक्की	1	5
		देई से बांसी	पक्की	1	5
		देई से डेलपुरा	पक्की	1	5
		देई से नैनवां	पक्की	1.5	5

		देई से देई	कच्ची	0.8	3
55	लक्ष्मीपुरा–चैनपुरिया डी0	बांसी से आव का खेडा	पक्की	1	6
		मानपुरा से आव का खेडा	कच्ची	1	3
56	बांसी–दुगारी	बांसी से कालबेलियों का झोपड़ा	पक्की	1.5	1
57	पीपल्या–माणकचौक कं0 नं0 21–22	पीपल्या से फूटतलाव	कच्ची	1.5	6
58	तलवास	जैतपुर से तलवास	पक्की	7	4
		तलवास से आंतरदा	पक्की	6	4
		पीपल्या से चिपल्टा महादेव	पक्की	6	4
		चिपल्टा महादेव से देवपुरा	कच्ची	8	3
		देवपुरा से तलवास	पक्की	3	4
		तलवास से नीम खेडा	पक्की	5	4
		नीम खेडा से हिरापुर	कच्ची	8	4
		तलवास से धुधंला महादेव	कच्ची	3	4
		तलवास–जैतपुर रोड़ से बाडलिया महादेव	कच्ची	2	4
		तलवास–जैतपुर रोड़ से डाडून	कच्ची	6	4
		कुल योग		**384.4**	**543.7**

परिशिष्ट – (XXVII)

वन मण्डल बून्दी

गैर काष्ठीय वन उत्पादन द्वारा गत 10 वर्षो में प्राप्त राजस्व

क्रं0 सं0	वन उपज का प्रकार	वर्षवार आय										
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	तेन्दु पत्ता	710924	751869	718782	490555	374675	40000	40000	943762	422000	690000	1115000
2	घास	37436	59091	8651	59881	70359	90328	97520	138797	139000	0	154861
3	आम	680	1785	1872	431	1837	1753	1752	610	682	627	635
4	पीछा खजूर	1785	1743	1899	1884	1889	1909	1954	7650	6120	5545	6520
5	पत्ता छोला	1450	1052	1300	1340	1386	1590	1590	1547	6680	7050	9100
6	पातडा खेजड़ा	260	266	162	267	266	267	267	305	289	300	320
7	पीठ बागली	260	265	270	275	280	285	290	350	400	350	410

परिशिष्ट – (XXVIII)

LIST OF POLICIES & REGULATIONS

S.No	Policies and Acts	Year	Dept
1	Rajasthan State Environment Policy	2010	Dept of Envtt , Govt of Rajasthan
2	Rajasthan State Forest Policy	2010	Forest Deptt , Govt of Rajasthan
3	Policy for promoting generation of Electricity from Biomass,	2010	
4	Policy for providing generation of Electricity from Biomass	2010	

5	Rajasthan Eco-tourism Policy	2010	Forest Deptt , Govt of Rajasthan
6	Guidelines for utilization of 3% plan funds by Government Departments for e-Governance initiatives		
7	State Water Policy		
8	Report of State Empowered Committee on Forest and Wildlife Management.		Forest Deptt , Govt of Rajasthan
9	Wildlife (Protection) Act,	1972	MOEF, Govt of India

These policies which are relevant to the working plan of the forest divisions are available at the following website:-

http://rajasthan.gov.in/rajgovt/actnpolicies/actnpolicies.html

बूंदी में पत्ता तेन्दू इकाइयों

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 8, 2011

संख्या एफ.4(4)प्रावै.–2/2011–2012/मुवस/तेपयो/2359 :– राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राजस्थान में पत्ता तेन्दू इकाई गठन के संबंध में प्रकाशित अधिसूचना जो राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 1 (ख), दिनांक 11.नवम्बर, 2010 में प्रकाशित हुई थी, को निष्प्रभाव करते हुये, मैं. वीरेन्द्र सिंह, मुख्य वन संरक्षक, पत्ता तेन्दू योजना, राजस्थान, जयपुर एतद्द द्वारा राजस्थान राज्य में समाविष्ट पत्ता तेन्दू उत्पादन के क्षेत्रों को नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित इकाईयों में विभाजित करता हूं।

नाम वनमण्डल	नाम रेंज	इकाई कमांक	नाम इकाई	फडो के नाम जो इकाई में शामिल	गांवो के नाम जो फडो में शामिल है।
1	2	3	4	5	6
बूंदी	डाबी	5	डाबी	1. डाबी	डाबी
				2. बुद्धपुरा	बुद्धपुरा,पटियाला,पराणा,गोरधन पुरा
				3. गणेशपुरा	गणेशपुरा, छांटकाखेड़ा, बड़फू।
				4. थड़ी	थड़ी
				5. फतेहपुरा	फतेहपुरा, धोरला, देवगढ़, नाड़ा का गांव
				6. मोलाठ	मोलाठ
बूंदी	डाबी	6	गरडदा	1. गरड़दा	गरड़दा, बेवड़िया, कमलोई
				2. गोलपुर	गोलपुर, ँकेवड़िया
				3. पलंका	पलंका
				4. मेघारावत की झोपड़ियां	मेघारावत की झोपड़ियां
बूंदी	डाबी	7	धनेश्वर	1. धनेश्वर	धनेश्वर, भगवानपुरा, सूतड़ा
				2. कंवरपुरा	कंवरपुरा, भवनीपुरा
बूंदी	हिण्डोली	8	हिण्डोली	1. नाहरगढ़ भोजगढ़	नाहरगढ़ भोजगढ़
				2. खण्डेरिया	खण्डेरिया
				3. रूपपुरा	रूपपुरा
योग बून्दी वन मण्डल	2	4		15	

परीशिष्ट–XXX

सूची घास उत्पादन क्षेत्र

क्र. सं.	घास उत्पादन क्षेत्र
1.	बीड घास मांडु
2.	बीड आवरी मैकपुरा
3.	बीड घास मडुला
4.	प्लान्टेशन बून्दी (पाटूया)
5.	बीड घास गुंवार
6.	गुढ़ा प्लान्टेशन–59
7.	गुढ़ा प्लान्टेशन–60
8.	गुढ़ा प्लान्टेशन–64
9.	गुढ़ा प्लान्टेशन–65
10.	बाग नमाना
11.	क्लोजर रामपुरिया, 72–73
12.	बीड सीप खीया
13.	बीड घास सथुर
14.	घास प्लान्टेशन चतरगंज न. 02
15.	रोटेशनल ग्रेजिंग हिण्डोली 57–58
16.	रोटेशनल ग्रेजिंग टोकडा
17.	क्लोजर हिण्डोली काछोला
18.	रोटेशनल ग्रेजिंग हिण्डोली 58–59
19.	बीड घास बडा बीड नैनवां
20.	बीड घास बांसी प्लान्टेशन 66–67
21.	बीड घास पन्लेता
22.	बीड घास खानपुरा
23.	बीड घास माताजी वाली आंतरी
24.	बीड घास किला अजीतगढ़
25.	बीड घास भेरू जी वाली आंतरी
26.	घास प्लान्टेशन जैतपुर –56
27.	जैतपुर प्लान्टेशन –63
28.	घास प्लान्टेशन नैनवा प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा 76–77
29.	ठेका घास कटाई पन्लेता –77
30.	पीपल्या मानक चौक क्लोजर 75–76
31.	घास क्लोजर कोटडी – 64
32.	क्लोजर सालमदरा–64
33.	घास क्लोजर कोटडी 67–68,68–69
34.	खटकड प्लान्टेशन 74–75
35.	बीड घास नयलका

36.	बीड घास नमाना
37.	बीड घास रामपुरिया
38.	बीड घास लक्ष्मीपुरा
39.	मांगली प्लान्टेंशन
40.	मांगली प्लान्टेंशन–56
41.	मांगली प्लान्टेंशन–57
42.	मांगली प्लान्टेंशन–58
43.	क्लोजर घास जाखमुण्ड,63–64
44.	घास बीड़ हिण्डोली
45.	बीड़ घास नगारा
46.	घास बीड़ बावड़ी पेच
47.	बीड़ घास उमर पगारा
48.	बीड़ घास आंतरी नया गांव विषधारी
49.	बीड़ घास आंतरी डावेटा
50.	क्लोजर कांटी अस्तोली 76–77
51.	क्लोजर कांटी अस्तोली 77–78
52.	बीड़ घास बड़गांव
53.	घास बाग बावड़ी पेच
54.	रोटेशनल ग्रेजिंग हिण्डोली 58–59
55.	क्लोजर विजयगढ़
56.	रोटेशनल ग्रेजिंग हिण्डोली पानीढ़ाल 60–61
57.	क्लोजर विजयगढ़ 63–64
58.	क्लोजर उमर पगारा 63–64
59.	क्लोजर सथूर 63–64
60.	प्लांटेशन डाटूंदा
61.	बीड़ भवानी पुरा
62.	बीड़ घास सांदेड़ा
63.	बीड़ घास
64.	बीड़ घास घूंघलाजी
65.	घास क्लोजर अरियाली वुड करवर
66.	घास भैरो प्लांटेशन–64
67.	घास भैरो प्लांटेशन–66
68.	घास भैरो प्लांटेशन–67
69.	घास भैरो प्लांटेशन–68
70.	जैतपुरा प्लांटेशन–57
71.	जैतपुरा प्लांटेशन–58
72.	जैतपुरा प्लांटेशन–59
73.	जैतपुरा प्लांटेशन–61
74.	जैतपुरा प्लांटेशन–62
75.	जैतपुरा प्लांटेशन–64
76.	क्लोजर बांसी दुगारी 63–64
77.	कटवरल ऑपरेशन पीपल्या माणक चौक 70–71
78.	क्लोजर जैतपुर 66–67
79.	मरा प्लांटेशन 69
80.	बीड़ घास सखावदा प्लांटेशन पापड़ी 64

81.	बीड़ घास भुंगेरा लाखेरी
82.	घास प्लांटेशन लाखेरी
83.	प्लांटेशन मैन खटकड–59
84.	प्लांटेशन मैन खटकड–60
85.	प्लांटेशन मैन खटकड–63
86.	प्लांटेशन मैन खटकड–64
87.	प्लांटेशन मैन पापडी–61
88.	प्लांटेशन मैन पापडी–62
89.	प्लांटेशन मैन पापडी–63
90.	प्लांटेशन मैन बालापुरा–63
91.	प्लांटेशन मैन गोपालपुरा
92.	प्लांटेशन मैन गोपालपुरा–66
93.	प्लांटेशन मैन नयागांव–64
94.	प्लांटेशन मैन नयागांव–67
95.	प्लांटेशन मैन डडवाडा–64
96.	प्लांटेशन मैन ख्यावदा–64
97.	प्लांटेशन मैन ख्यावदा–67
98.	क्लोजर खटकड बलदेवपुरा 58–59
99.	क्लोजर गेण्डोली–64
100.	क्लोजर लाखेरी घुघेरा–64
101.	क्लोजर गेण्डोली–65
102.	क्लोजर खटकड–60
103.	खटकड प्लांटेशन 75–76
104.	कांकरा क्लोजर 76–77,77–78

परिशिष्ट – (XXXI)

Ramgarh Wild Life Sanctuary Notification

Name of Division	**Name of Unit, Status and Notification number**	**Area (In Sq.Km.)**
Forest Division, Bundi	Ramgarh Wild Life Sanctuary Notification DF1/A/Raj/8/75 dated 20.5.1982	307

राजस्थान सरकार
राजस्व ग्रुप-8 विभाग

क्रमांक/एफ.1(17)राज-8/79 जयपुर, दिनांक 20 मई, 1982

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न उपबन्ध में परिनिर्दिष्ट क्षेत्र को उसमें पाये जाने वाले वन्य जीवों के संरक्षण, प्रसारण एवं उनके स्वाभाविक पर्यावरण के प्रयोजनार्थ उसके पारिस्थितिक प्राणिजातीय, वनस्पति, भू-संरचना तथा प्राणी विज्ञान-संबंधी संयोजन और महत्व के कारण वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में गठित करने की आवश्यकता है।

अतः वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के केन्द्रीय अधिनियम 53) की धारा 18(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार उक्त क्षेत्र को एक अभ्यारण्य जिसे "वन्य जीव अभ्यारण्य रामगढ़" के नाम से अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित है के रूप में गठित करने के अपने आशय की इसके द्वारा घोषणा करती है।

उपबन्ध

वन्य जीव अभ्यारण्य रामगढ़ की सीमाओं का विवरण

पूर्व- जेतपुर-नेमड़ा रोड।

पश्चिम- कुंदी, बेलपुरा, ठीकरदा, घोरठेठा।

उत्तर- अमोदा, धमलपुरा, नयागांव, ठोबेटा, बिल्लपुरी, [illegible] कलाखूनी, खुर्द-[illegible], मन्द गांव, [illegible]।

दक्षिण- कुंदी- नेमड़ा रोड (जेतपुरा तक) कुंदी - जयपुर रोड (जम सागर मोड़ तक)।

आदेश से
ह0
(आनन्द मोहन लाल)
राजस्व सचिव

[illegible]

परीशिष्ट– XXXII

जवाहर सागर अभ्यारण की अधिसूचना

376 राजस्थान राजपत्र, अक्तूबर 23, 1975 भाग 4(ग)

REVENUE (GROUP-VIII) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Jaipur, October 9, 1975.

S. O. 526.—As the Population of prohibited Wild Life species of Gharial (Gavialis Gangeticus) and Crocodile (Crocodilus plaustries) has dwindled considerably almost to the point of extinction, the Government considers necessary to take steps to protect, propagate and develop the above species along with other natural fauna. The Kota Dam (Jawaharsagar) reservoir on river Chambal and Surrounding forests have adequate ecological, faunal, flora,

राष्ट्रीय घडियाल वन्यजीव अभ्यारण की अधिसूचना

राजस्थान सरकार
वन (ग्रुप-8) विभाग

क्र.11(12)रेवे.[illegible]-8/78 जयपुर दिनांक 16-7-9[illegible]

अधिसूचना

अतः राज्य सरकार का विचार है कि वह क्षेत्र जिसकी अवस्थिति तथा सीमायें विनिर्दिष्ठ है घड़ियाल (गेवेलिस ग्रेन्गेटिकस, (क्रोकोडाइलस पालस्ट्रीस) की आबादी तथा अन्य वन्यजीव वाहुल्य सुरक्षित करने प्रजनित तथा विकसित करने के प्रयोजन के लिये और पर्यावरण के लिये पर्याप्त पारिस्थितिक तंत्र और जीव जन्तुओं से सम्बन्धि महत्व का है।

अतः वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का केन्द्रीय अधिनियम 53 (की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा राजस्थान राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र को अभ्यारण्य के रूप मे घोषित करती है जो राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य के रूप मे जाना जावेगा।

अवस्थित तथा सीमाओं का विनिर्देश

1- जवाहर सागर बांध से कोटा बैराज तक का चम्बल नदी का वह अनुभाग जिसका प्रवाह दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व दिशा की है इसमे नदी के दोनो ओर के किनारों से 1000 मीटर की दूरी के भीतर स्थित भूमि की पट्टी सम्मिलित है।

2- बैजोराय पाटन से पाली तक का चम्बल नदी का अनुभाग इसमे नदी के दोनो ओर के किनारों से 1000 मीटर की दूरी के भीतर स्थित भूमि की पट्टी सम्मिलित है।

3- पाली से आगे जहाँ चम्बल नदी राजस्थान और मध्यप्रदेश राज्यों के बीच सीमा बनाती है वहाँ नदी की मध्य धारा से आगे किनारे तक तथा नदी के आगे किनारे के साथ साथ राजस्थान उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश राज्यों के त्रिभाजक बिन्दु तक का 1000 मीटर की दूरी से भीतर स्थित भूमि की पट्टी

यह इस विभाग की वन संरक्षण अधिसूचना दिनांक 7-12-79 के अतिक्रमण से जारी किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से
ह0/-
(ए0 एम0 लाल)
शासन सचिव

परीशिष्ट– XXXIV

राडियों की सूची

क्र. सं.	रेंज का नाम	वनखण्ड का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)
1.	डाबी	लाम्बाखोह	5.00
		धनेश्वर	2.00
		गंवार	15.00
2.	बूंदी	गोबरिया राडी	2.00
3.	इन्द्रगढ	गढवाला	100.00

गत दस वर्षो मे वन भूमि में करवाये गये वक्षारोपण कार्यो की सूची

क्र0सं0	वर्ष	रेंज का नाम	योजना का नाम	नाम वृक्षारोपण		लगोय गये पौधे की संख्या
				वृक्षा0 के स्थल का नाम	क्षैत्रफल (है0)	
1	2	3	4	5	6	7
1	2000	हिण्डोली	-	लुहारिया बी0	50	35000
2	2001	हिण्डोली	-	फालेण्डा सी0	50	23000
3	2004	हिण्डोली	RFBP	गोरस्या का खेड़ा ए0	50	25000
4	2004	हिण्डोली	RFBP	पानीढाल ए0	50	25000
5	2004	हिण्डोली	RFBP	काछोला	50	25000
6	2004	हिण्डोली	RFBP	बसोली	50	25000
7	2004	हिण्डोली	RFBP	पायरा ए0	50	25000
8	2004	हिण्डोली	RFBP	पायरा बी0	60	30000
9	2004	हिण्डोली	RFBP	गोवर्धन पुरा	40	20000
10	2004	हिण्डोली	RFBP	थाना	50	10000
11	2004	बून्दी	RFBP	भीमलत ए0	50	8470
12	2004	बून्दी	RFBP	भीमलत बी0	50	15738
13	2004	बून्दी	RFBP	भीमलत सी0	50	17358
14	2004	नैनवां	RFBP	खोडी ए0	50	25000
15	2004	नैनवां	RFBP	खोडी बी0	50	25000
16	2004	नैनवां	RFBP	फुलेता	50	10000
17	2004	इन्द्रगढ़	RFBP	अरियाली ए0	25	20000
18	2004	इन्द्रगढ़	RFBP	अरियाली बी0	25	20000
19	2004	इन्द्रगढ़	FDA Bundi	अरियाली	25	10000
20	2004	इन्द्रगढ़	FDA Bundi	फोलाई	25	5000
21	2004	इन्द्रगढ़	FDA Bundi	गेण्डोली	25	5000
22	2004	के0पाटन	FDA Bundi	डोलर	25	5000
23	2004	के0पाटन	FDA Bundi	बालोद	25	10000
24	2004	के0पाटन	FDA Bundi	रामगंज	25	10000
25	2004	डाबी	FDA Bundi	थडी	25	5000
26	2004	डाबी	FDA Bundi	धनेश्वर	50	20000
27	2004	रामगढ़	FDA Bundi	बलदेवपुरा	25	5000
28	2004	डाबी	CA	खडीपुर	50	20000
29	2004	हिण्डोली	CA	खीण्या ए0	50	35000
30	2004	हिण्डोली	CA	खीण्या बी0	50	23000
31	2004	इन्द्रगढ़	CA	अण्घोरा	50	20000
32	2004	नैनवां	CA	तलवास	50	35000
33	2004	के0पाटन	SC	रोटेदा	50	20000
Total					**1400**	**612566**
34	2005	हिण्डोली	RFBP	ओधन्धा बी0	70	35000
35	2005	हिण्डोली	RFBP	अबड़ ए0	60	26300
36	2005	हिण्डोली	RFBP	सलावलिया बी0	70	35000
37	2005	हिण्डोली	RFBP	गोरस्या का खेड़ा	50	25000

क्रं0सं0	वर्ष	रेंज का नाम	योजना का नाम	नाम वृक्षारोपण		लगोय गये पौधे की संख्या
				वृक्षा0 के स्थल का नाम	क्षैत्रफल (है0)	
38	2005	हिण्डोली	RFBP	पानीढाल	50	25000
39	2005	हिण्डोली	RFBP	सुखपुरा ए0	50	10000
40	2005	बून्दी	CA	सलावलिया ए0	82	57400
41	2005	नैनवां	RFBP	हरिपुरा ए0	50	10000
42	2006	नैनवां	RFBP	खोडी सी0	50	25000
43	2005	नैनवां	RFBP	खोडी डी0	50	25000
44	2005	नैनवां	RFBP	तलवास	50	10000
45	2005	इन्द्रगढ़	RFBP	अरियाली सी0	25	20000
46	2005	नैनवां	RFBP	सीसोला ए0	50	25000
47	2005	नैनवां	CA	कोरमा ए0	50	35000
48	2005	इन्द्रगढ़	RFBP	भावपुरा	50	20000
49	2005	रामगढ़	RFBP	ठीकरदा	50	20000
50	2005	रामगढ़	CA	बडी अन्धेरी	50	20000
51	2005	रामगढ़	RFBP	डाबेटा	50	10000
52	2005	रामगढ़	RFBP	फजलपुरिया	50	10000
53	2005	के0पाटन	RFBP	बलदेवपुरा	50	25000
54	2005	इन्द्रगढ़	CA	गेपुरजी ए0	50	35000
55	2005	के0पाटन	RFBP	ढिकोली	50	25000
56	2005	के0पाटन	RFBP	पीपल्दा गोचर	25	13500
57	2005	के0पाटन	CA	झिरनिया	50	35000
58	2005	के0पाटन	CA	रामगंज	50	35000
59	2005	डाबी	RFBP	केथूदा	50	10000
60	2005	डाबी	RFBP	बालापुरा	50	10000
Total					**1382**	**632200**
61	2006	हिण्डोली	RFBP	अबड़ सी0	50	25000
62	2006	हिण्डोली	RFBP	सलावलिया डी0	50	25000
63	2006	हिण्डोली	RFBP	सुखपुरा ई0	50	25000
64	2006	हिण्डोली	RFBP	गणेशगंज	70	35000
65	2006	हिण्डोली	RFBP	सलावलिया सी0	70	35000
66	2006	हिण्डोली	RFBP	ओधन्धा ए0	70	35000
67	2006	हिण्डोली	RFBP	ओधन्धा सी0	60	30000
68	2006	हिण्डोली	RFBP	अबड बी0	60	30000
69	2006	हिण्डोली	RFBP	सुखपुरा बी0	70	35000
70	2006	हिण्डोली	CA	खेजडा	50	35000
71	2006	रामगढ़	RFBP	दरा का नयागांव	50	10000
72	2006	रामगढ़	RFBP	काला भैरू	50	2000
73	2006	रामगढ़	RFBP	श्योपुरिया की बावडी	50	10500
74	2006	रामगढ़	RFBP	गणपतपुरा	50	10000
75	2006	रामगढ़	RFBP	बारवास	50	20000
76	2006	बून्दी	RFBP	कालामाल	50	10000
77	2006	रामगढ़	RFBP	सुरदांत	50	10000
78	2006	रामगढ़	RFBP	केशोपुरा	50	10000

क्र0सं0	वर्ष	रेंज का नाम	योजना का नाम	नाम वृक्षारोपण		लगोय गये पौधे की संख्या
				वृक्षा0 के स्थल का नाम	क्षैत्रफल (है0)	
79	2006	नैनवां	RFBP	खोडी ई0	50	25000
80	2006	नैनवां	RFBP	सोरण	50	22000
81	2006	नैनवां	RFBP	सिसोला बी0	50	22000
82	2006	नैनवां	RFBP	कोरमा बी0	50	20000
83	2006	इन्द्रगढ़	RFBP	अरियाली डी0	50	25000
84	2006	इन्द्रगढ़	RFBP	गेपुरजी बी0	50	25000
85	2006	इन्द्रगढ़	RFBP	शेरगंज	50	20000
86	2006	इन्द्रगढ़	RFBP	कोटडी	50	20000
87	2006	डाबी	RFBP	गुवांर ए0	50	10000
Total					**1450**	**581500**
88	2006	हिण्डोली	RFBP	सलावलिया ई0	50	20000
89	2006	हिण्डोली	RFBP	ओधन्धा डी0	50	13034
90	2006	हिण्डोली	RFBP	ओधन्धा ई0	50	25000
91	2006	नैनवां	RFBP	तलवास ए0	50	20000
92	2006	नैनवां	RFBP	तलवास बी0	50	9000
93	2006	इन्द्रगढ़	RFBP	जयनिवास	50	11400
94	2006	इन्द्रगढ़	RFBP	डागाहेंडी ए0	50	11900
95	2006	इन्द्रगढ़	RFBP	डागाहेंडी बी0	50	9000
96	2006	बून्दी	RFBP	हरिपुरा ए0	50	18000
97	2006	रामगढ़	RFBP	गुढ़ा सदावर्तिया	50	13700
98	2006	डाबी	RFBP	गुंवार बी0	50	10000
Total					**550**	**161034**
99	2007	हिण्डोली	RFBP	सलावलिया ई0	50	20000
100	2007	हिण्डोली	RFBP	ओधन्धा डी0	50	13034
101	2007	हिण्डोली	RFBP	ओधन्धा ई0	50	25000
102	2007	नैनवां	RFBP	तलवास ए0	50	20000
103	2007	नैनवां	RFBP	तलवास बी0	50	9000
104	2007	इन्द्रगढ़	RFBP	जयनिवास	50	11400
105	2007	इन्द्रगढ़	RFBP	डागाहेंडी ए0	50	11900
106	2007	इन्द्रगढ़	RFBP	डागाहेंडी बी0	50	9000
107	2007	बून्दी	RFBP	हरिपुरा ए0	50	18000
108	2007	रामगढ़	RFBP	गुढ़ा सदावर्तिया	50	13700
109	2007	डाबी	RFBP	गुंवार बी0	50	10000
Total					**550**	**161034**
Grand Total					**5332**	**2148334**

गत दस वर्षों में वन भूमि में करवाये गये वृक्षारोपण कार्यों की सूची

क्र0 स0	वर्ष	रेंज का नाम	योजना का नाम	नाम वृक्षारोपण		लगाये गये पौधे की संख्या	पौधे की जीवितता प्रतिशत
				वृक्षा0 के स्थल का नाम	क्षेत्रफल (है0)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2000	हिण्डोली	–	लुहारिया बी	50	35000	60%
2	2001	हिण्डोली	–	फालेन्ड़ा सी	50	23000	65%
3	2004	हिण्डोली	RFBP	गोरस्या का खेड़ा ए	50	25000	55%
4	2004	हिण्डोली	RFBP	पानीढ़ाल ए	50	25000	48%
5	2004	हिण्डोली	RFBP	काछोला	50	25000	45%
6	2004	हिण्डोली	RFBP	बसोली	50	25000	67%
7	2004	हिण्डोली	RFBP	पायरा ए	50	25000	46%
8	2004	हिण्डोली	RFBP	पायरा बी	60	30000	44%
9	2004	हिण्डोली	RFBP	गोर्वधनपुरा	40	20000	66%
10	2004	हिण्डोली	RFBP	थाना	50	10000	68%
11	2004	बून्दी	RFBP	भीमलत ए	50	8470	10.61%
12	2004	बून्दी	RFBP	भीमलत बी	50	15736	8.48%
13	2004	बून्दी	RFBP	भीमलत सी	50	17358	11.88%
14	2004	नैनवॉ	RFBP	खोड़ी ए	50	25000	76.56%
15	2004	नैनवॉ	RFBP	खोड़ी बी	50	25000	73.01%
16	2004	नैनवां	RFBP	खोड़ी सी	25	20000	62.50
17	2004	इन्द्रगढ़	RFBP	अरियाली ए	25	20000	54.56
18	2004	इन्द्रगढ़	RFBP	अरियाली बी	25	20000	51.93%
19	2004	इन्द्रगढ़	FDA Bundi	अरियाली	25	10000	64.18%
20	2004	इन्द्रगढ़	FDA Bundi	फोलाई	25	5000	66.00%
21	2004	इन्द्रगढ़	FDA Bundi	गेण्डोली	25	5000	69.48%
22	2004	के0 पाटन	FDA Bundi	डोलर	25	5000	49%
23	2004	के0 पाटन	FDA	बालोद	25	10000	58%
24	2004	के0 पाटन	FDA Bundi	रामगंज	25	10000	35%
25	2004	डाबी	FDA Bundi	धड़ी	25	5000	43%
26	2004	डाबी	FDA Bundi	धनेश्वर	50	20000	56%
27	2004	रामगढ़	FDA Bundi	बलदेवपुरा	25	5000	60%
28	2004	डाबी	CA	खड़ीपुर	50	20000	30%
29	2004	हिण्डोली	CA	खीण्या ए	50	35000	62%
30	2004	हिण्डोली	CA	खाण्या बी	50	23000	63%
31	2004	इन्द्रगढ़	CA	अणघोरा	50	20000	72.78%
32	2004	नैनवॉ	CA	तलवास	50	35000	62.86%

33	2004	के0 पाटन	SC	रोटेदा	50	20000	52%
				योग	1300	554568	
34	2005	हिण्डोली	RFBP	ओधन्धा बी	70	35000	48%
35	2005	हिण्डोली	RFBP	अबड़ ए	60	26300	70%
36	2005	हिण्डोली	RFBP	सलावलिया बी	70	35000	45%
37	2005	हिण्डोली	RFBP	गोरस्या का खेड़ा	50	25000	51%
38	2005	हिण्डोली	RFBP	पानीढ़ाल	50	25000	45%
39	2005	हिण्डोली	RFBP	सुखपुरा ए	50	10000	50%
40	2005	हिण्डोली	CA	सलावलिया ए	82	57400	55%
41	2005	बून्दी	RFBP	हरिपुरा ए	50	10000	38%
42	2005	नैनवॉ	RFBP	खोड़ी सी	50	25000	71.48%
43	2005	नैनवॉ	RFBP	खोड़ी डी	50	25000	72.52%
44	2005	नैनवॉ	RFBP	तलवास	50	10000	71.52%
45	2005	इन्द्रगढ़	RFBP	अरियाली सी	25	20000	79.38%
46	2005	नैनवॉ	RFBP	सीसोला A	50	25000	71.98%
47	2005	नैनवॉ	CA	कोरमा A	50	35000	62.14%
48	2005	इन्द्रगढ़	RFBP	भावपुरा	50	20000	52%
49	2005	रामगढ़	RFBP	ठीकरदा	50	20000	65%
50	2005	रामगढ़	CA	बड़ी अन्धेरी	50	20000	55%
51	2005	रामगढ़	RFBP	डाबेटा	50	10000	60%
52	2005	रामगढ़	RFBP	फजलपुरिया	50	10000	60%
53	2005	के0 पाटन	RFBP	बलदेवपुरा	50	25000	65%
54	2005	इन्द्रगढ़	CA	गेपुरजी ए	50	35000	77.85%
55	2005	के0 पाटन	RFBP	ढिकोली	50	25000	62%
56	2005	के0 पाटन	RFBP	पीपल्दा गोचर	25	13500	85%
57	2005	के0 पाटन	CA	झिरनिया	50	35000	61%
58	2005	के0 पाटन	CA	रामगंज	50	35000	63%
59	2005	डाबी	RFBP	केथूदा	50	10000	54%
60	2005	डाबी	RFBP	बालापुरा	50	10000	53%
				योग	1382	642200	
61	2006	हिण्डोली	RFBP	अबड़ सी	50	25000	52%
62	2006	हिण्डोली	RFBP	सलावलिया डी	50	25000	50%
63	2006	हिण्डोली	RFBP	सुखपुरा ई	50	25000	62%
64	2006	हिण्डोली	RFBP	गणेशगंज	70	35000	46%
65	2006	हिण्डोली	RFBP	सलावलिया सी	70	35000	42%
66	2006	हिण्डोली	RFBP	ओधन्धा ए	70	35000	50%
67	2006	हिण्डोली	RFBP	ओधन्धा सी	60	30000	55%
68	2006	हिण्डोली	RFBP	अबड़ बी	60	30000	70%
69	2006	हिण्डोली	RFBP	सुखपुरा बी	70	35000	55%

70	2006	हिण्डोली	CA	खेजड़ा	50	35000	70%
71	2006	रामगढ़	RFBP	दरा का नयागॉव	50	10000	65%
72	2006	रामगढ़	RFBP	काला भैरू	50	2000	70%
73	2006	रामगढ़	RFBP	योपुरिया की बाउड़ी	50	10500	44%
74	2006	रामगढ़	RFBP	गणपत पुरा	50	10000	46%
75	2006	रामगढ़	RFBP	बारवास	50	20000	70%
76	2006	बून्दी	RFBP	कालामाल	50	10000	85%
77	2006	रामगढ़	RFBP	सुरदॉत	50	10000	75%
78	2006	रामगढ़	RFBP	केशोपुरा	50	10000	58%
79	2006	नैनवॉ	RFBP	खोड़ी ई	50	25000	86.81%
80	2006	नैनवॉ	RFBP	सोरण	50	22000	77.27%
81	2006	नैनवॉ	RFBP	सिसोला बी	50	22000	86.50%
82	2006	नैनवॉ	RFBP	कोरमा बी	50	20000	94.50%
83	2006	इन्द्रगढ़	RFBP	अरियाली डी	50	25000	84.35%
84	2006	इन्द्रगढ़	RFBP	गेपुर जी बी	50	25000	82.75%
85	2006	इन्द्रगढ़	RFBP	शेरगंज	50	20000	90%
86	2006	इन्द्रगढ़	RFBP	कोटड़ी	50	20000	73.90%
87	2006	ड़ाबी	RFBP	गुवांर ए	50	10000	40%
				योग	1450	581500	
88	2007	हिण्डोली	RFBP	सलावलिया ई	50	20000	75%
89	2007	हिण्डोली	RFBP	[illegible] डी	50	13034	58%
90	2007	हिण्डोली	RFBP	ओधन्धा ई	50	25000	50%
91	2007	नैनवॉ	RFBP	तलवास ए	50	20000	70%
92	2007	नैनवॉ	RFBP	तलवास बी	50	9000	80%
93	2007	इन्द्रगढ़	RFBP	जयनिवास	50	11400	65.10%
94	2007	इन्द्रगढ़	RFBP	ड़ागाहेड़ी ए	50	11900	86.42%
95	2007	इन्द्रगढ़	RFBP	ड़ागाहेड़ी बी	50	9000	91.27%
96	2007	बून्दी	RFBP	हरिपुरा बी	50	18000	70%
97	2007	रामगढ़	RFBP	गुड़ा सदावर्तिया	50	13700	75%
98	2007	ड़ाबी	RFBP	गुवांर बी	50	10000	70%
				योग	550	161034	
				महायोग	4682	1909300	